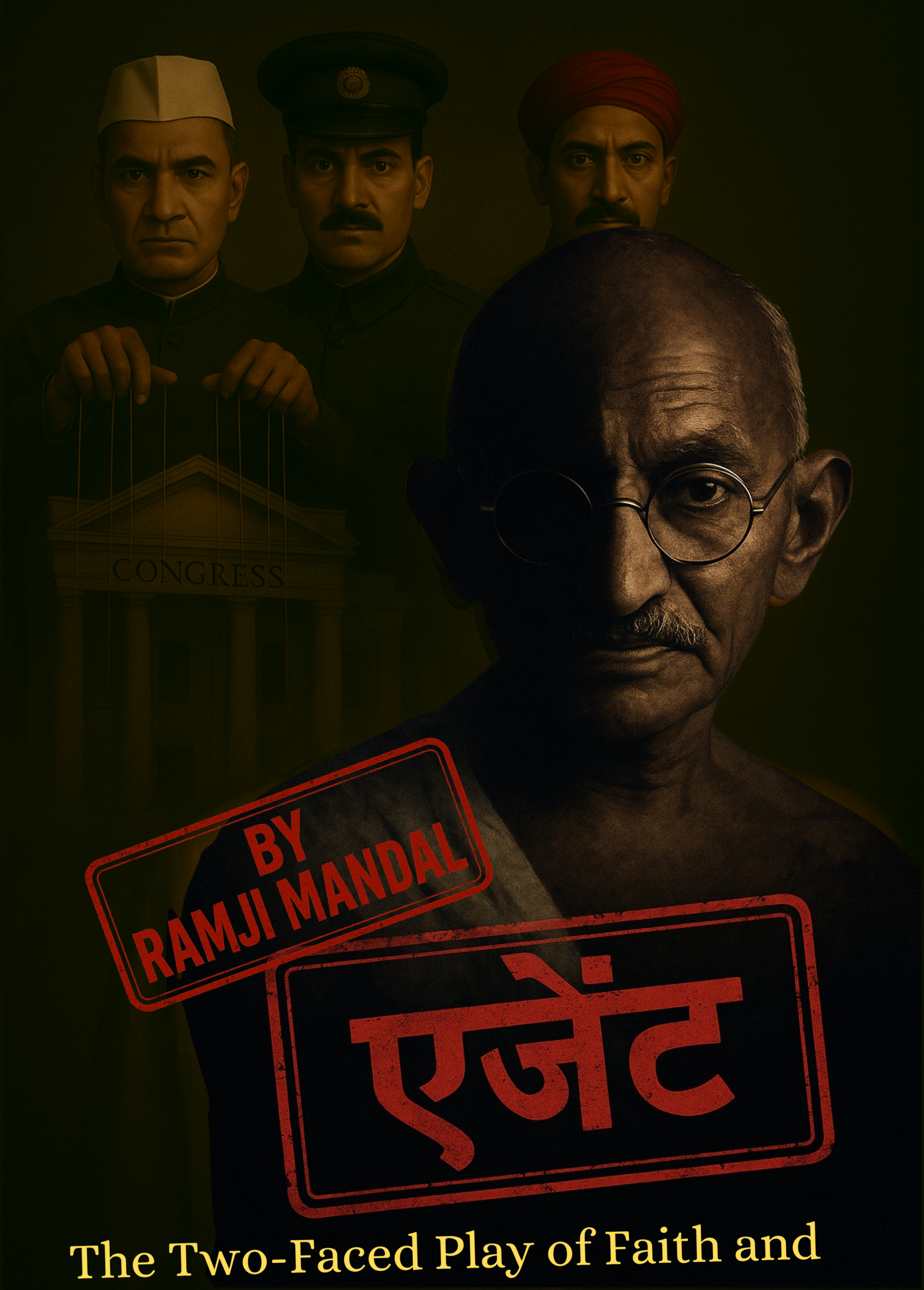


BY
RAMJI MANDAL

एजेंट

The Two-Faced Play of Faith and Power

Agent

The two-faced play of faith and power

विनम्र निवेदन (डिस्क्लेमर)

मैं कोई लेखक नहीं हूं, न ही प्रसिद्धि या पैसा कमाने की मेरी कोई इच्छा है। यह पुस्तक मैंने केवल एक जागरूक नागरिक के रूप में, भारत के मूल निवासियों — दलित, पिछड़ा, ओबीसी और वंचित समाज — को सच्चाई से अवगत कराने के लिए लिखी है।

मेरा उद्देश्य किसी लेखक, पुस्तक, या विचारधारा को अपमानित करना नहीं है। मैंने जिन पुस्तकों और दस्तावेजों से जानकारी ली है, उनका उल्लेख और संदर्भ (पेज नंबर सहित) पूरी ईमानदारी से दिया है। जो भी बातें मैंने शामिल की हैं, वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पुस्तकों, भाषणों या ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं — जिनमें अनुवादित और प्रकाशित रूपों से भी सामग्री ली गई है।

इस पुस्तक का उद्देश्य किसी मौलिक रचना की बिक्री या प्रभाव को रोकना नहीं है। मैं केवल विश्लेषण और आलोचना के माध्यम से सामाजिक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि लोग सोचें, समझें और अपने निर्णय खुद लें।

मेरा केवल एक सपना है — कि भारत के लोग अपने सच्चे मार्गदर्शकों को पहचानें। वे जिन्हें आज भुला दिया गया है — जैसे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फुले, बी.पी. मंडल, कांशीराम और समाज के वे असंख्य लोग जिन्होंने न्याय, आत्मसम्मान और समानता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।

यदि इस प्रयास से किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी मंशा किसी को चोट पहुँचाने की नहीं, बल्कि अपने समाज को सच्चाई की ओर ले जाने की रही है।

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना – अब हमारी बारी है

"मैं उस देश का बेटा हूँ
जिसे आज़ादी तो मिली—**but** आत्मा कभी आज़ाद नहीं हुई।
जिसकी रीढ़ में अब भी गांधी की लाठी चुभी है,
और आत्मा पर अब भी कांग्रेस की स्याही फैली हुई है!"

मैंने आंखें खोलीं एक ऐसे समाज में जहाँ गांधी को भगवान कहा गया, और हम... "हरिजन"—उसके दिए हुए नाम से अपनी पहचान तलाशते रहे।

जो हमारे पूर्वजों की पीठ पर "हरिजन" का तमाचा मारकर गया।
जिसने शूद्रों को शांति के नाम पर चुप्पी का पाठ पढ़ाया।
जिसने दलितों को भीख दी, अधिकार नहीं।

मैंने बचपन में सुना था कि गांधी अंग्रेजों की टट्टी साफ करता था। यह बात मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें कहती थीं। लेकिन मैं तर्कशील था, हूँ और रहूंगा। मुझे बिना प्रमाण किसी बात पर विश्वास करना मंज़ूर नहीं था। मैं न तो गांधी को भगवान मानता था, न ही कोई शैतान। मेरे लिए वो एक इंसान थे—सिर्फ इंसान। न महान, न दानव—बल्कि कहीं बीच में।

समय बीता। मैं बड़ा हुआ। किताबों से रिश्ता गहरा हुआ। और जब मैंने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को पढ़ा, तो पहली बार गांधी का दूसरा चेहरा सामने आया—वो चेहरा जिसे भारत की जनता से छुपाया गया था।

मैंने गांधी की अपनी ही लिखी किताबें पढ़ीं—हर पन्ने ने मुझे झकझोर दिया। वो बातें जो कभी सिर्फ मोहल्ले की बुज़ुर्गों की बातें लगती थीं, अब प्रमाण बनकर मेरे सामने थीं। अब मैं समझा—गांधी एक नेता नहीं, एक एजेंट था। कांग्रेस का एजेंट। और उसका मिशन था—ओबीसी, एससी, एसटी समाज को भावनाओं के नाम पर इस्तेमाल करना, दबाना, और सत्ता के लिए मोहरा बनाना।

यह किताब उसी अनुभव का परिणाम है।

मैं नहीं चाहता कि जो सच मुझे पता चला, वो बस मेरे तक सीमित रह जाए। मैं चाहता हूँ कि हर दलित, हर शूद्र, हर ओबीसी युवा इस सच को जाने। मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चले कि किस तरह उनके पूर्वजों को इस्तेमाल किया गया, और आज भी गांधी के नाम पर कांग्रेस कैसे भावनात्मक शोषण कर रही है।

मैं पूछता हूँ— अगर गांधी इतना महान था, तो बाबा साहब को क्यों कहना पड़ा— "मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता"?
अगर कांग्रेस दलितों की हितैषी थी, तो उसे "अछूतों की अलग मतदाता सूची" से डर क्यों लगा?

और कांग्रेस?

वो आज भी उसी झूठ की गठरी उठाए घूम रही है। आज जब राहुल गांधी संविधान लेकर डीपी सजाता है, जब बाबा साहब की मूर्ति के आगे सिर झुकाता है, तो याद रखो—ये श्रद्धा नहीं, राजनीति है। ये सम्मान नहीं, षड्यंत्र है।

हिटलर ने कहा था—

"If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it."

भारत में गांधी वही सबसे बड़ा झूठ था। और हम, शूद्र, ओबीसी, एससी, एसटी—उस झूठ के सबसे बड़े शिकार।

मैंने यह किताब इसलिए नहीं लिखी कि मुझे लेखक बनना था।
मैंने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि मुझे चीखना था—
उनके लिए जो कभी बोल नहीं सके।
मुझे तुम्हारे भीतर की सोई हुई आग को जगाना है।
मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ पढ़ो मत—उबलो, सोचो, और उठ खड़े हो।

एजेंट" सिर्फ किताब नहीं है—यह प्रतिरोध की शुरुआत है। यह उस झूठ के विरुद्ध विद्रोह है, जो हमें स्कूलों, किताबों और अखबारों के माध्यम से सालों से पढ़ाया और घोंपा गया।

अब बहुत हो गया!
अब हमारी बारी है—इतिहास बदलने की, सच बोलने की, और ज़हर को उगल देने की।
गांधी को पूजने वालों की भीड़ में अब एक वो भी होगा—
जो सवाल पूछेगा। जो बोलेगा। जो लड़ेगा।

और शायद वो तुम हो।

मैं नहीं कहता मुझ पर विश्वास करो—
मैं कहता हूँ— अगर अब भी चुप रहे, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कायर कहेंगी!
हज़ारों सालों से हमें झुकाया गया… पीटा गया… मिटाने की कोशिश की गई!
और हर बार हम चुप रहे, क्योंकि हमने सोचा शायद अगली सुबह बेहतर होगी। लेकिन अब

बहुत हुआ!
अब हम चुप नहीं रहेंगे! अब हम झुकेंगे नहीं — अब हम टूटेंगे नहीं!
अब हम ब्राह्मणवाद की उस झूठी चादर को फाड़ देंगे, जिसमें सदियों से हमारा इतिहास लपेट कर जला दिया गया।
अब हम गांधी जैसे एजेंटों के चेहरे से वो नकाब नोच कर फेंक देंगे, जिनके पीछे छिपकर कांग्रेस ने हमें ठगा!
अब हम कहेंगे — जो हमारे साथ किया गया उसका बदला चाहिए!
जो छीना गया, वो लौटाया जाए — नहीं तो क्रांति की भाषा हर गली में गूंजेगी!
हम लड़ेंगे! — और अबकी बार लड़ाई केवल न्याय की नहीं, आत्मसम्मान की होगी!
हम हिंसा नहीं चाहते… लेकिन अगर फिर से हमें कुचला गया, तो इस बार जवाब इतिहास की सबसे भारी चोट होगी!

ये किताब नहीं, तुम्हारे भीतर की आग का आईना है! इसे पढ़ो — और उठ खड़े हो जाओ!

– राम जी मंडल
(SC, ST, OBC समाज की आवाज़, जिसे अब कोई चुप नहीं करा सकता!)

गांधी को नाम चाहिए

गांधी को अपनी आत्मकथा लिखने की पड़ी थी, वह चाहता था दुनिया उसको जाने, उसको पढ़े, वह सिर्फ अपना नाम चाहता था। वह आत्मकथा लिखने के लिए, वह जेल में अपना पूरा समय बिताने के लिए भी तैयार था, क्योंकि जेल में उसके पास फुरसत ही फुरसत थी। यह बात खुद गांधी ने अपनी किताब — "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" की प्रस्तावना के आठवीं लाइन में लिखी है।

सवाल ये है — ऐसा क्या है "आत्मकथा" में, जिसके लिए गांधी जेल में रहने को तैयार हो गया?

दरअसल, आपकी किसी और किताब को इतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी आत्मकथा को। आत्मकथा से आपके बारे में जाना जाता है, उससे दुनिया आपको पहचानती है। इसलिए गांधी अपने आप को दुनिया के सामने रखना चाहता था।

गांधी आगे लिखता है — "मैं आत्मकथा लिखने को ललचा रहा हूँ। और ये मेरा मोह है।"

Page 41 - पोरबंदर के भूतपूर्व राणा साहब को गद्दी मिलने से पहले, मेरे भाई उनके मंत्री और सलाहकार थे। उन पर इस आशय का आरोप लगाया गया था कि उन दिनों उन्होंने राणा साहब को गलत सलाह दी थी। उस समय के Political Agent के पास यह शिकायत पहुंची थी, और मेरे भाई के बारे में उनका ख्याल खराब हो गया था। इस अधिकारी से गांधी विलायत में मिला था और मैं कह सकता हूं कि वहां उन्होंने मुझसे अच्छी दोस्ती कर ली थी। भाई की माफी के लिए मैं उनके पास उनके office गया, मैंने पुराने परिचय का स्मरण कराया, मैंने अपनी बात शुरू की। फिर साहब बोले- "तुम्हारे भाई प्रपंची हैं। मैं तुमसे ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहता। मुझे समय नहीं है। तुम्हारे भाई को कुछ कहना हो तो वे विधिवत प्रार्थना पत्र दें।"

मैं अपनी बात कहे जा रहा था। साहब उठे, -"अब तुम्हें जाना चाहिए।" मैंने कहा, "पर मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए।" फिर वहां चपरासी आया और गांधी को gate के बाहर कर दिया।

मैंने तुरंत एक पत्र घसीटा, "आपने मेरा अपमान किया है, चपरासी के जरिए मुझ पर हमला किया है, आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं आप पर मानहानि का विधिवत दावा करूंगा।"

फिर साहब का जवाब आया - "तुमने मेरे साथ असभ्यता का व्यवहार किया। जाने के लिए कहने पर भी तुम नहीं गए। इससे मैंने जरूर अपने चपरासी को तुम्हें दरवाजा दिखाने के लिए कहा। चपरासी के कहने पर भी तुम दफ्तर से बाहर न गए, तब उसने तुम्हें दफ्तर से बाहर कर

देने के लिए 'आवश्यक बल का उपयोग किया। तुम्हें जो करना हो, सो करने के लिए तुम स्वतंत्र हो।"

यह जवाब जेब में डालकर मैं मुंह लटकाए घर लौटा।

मैं मुकदमा दायर करना नहीं जानता था, फिरोजशाह मेहता से दायर करने को कहा। उन्होंने कहा, "यह चिट्ठी फाड़ दो, वह अफसर वाली, ऐसे तो चलता ही रहता है, इससे तुम बरबाद हो जाओगे।" मुझे यह सिखावन जहर की तरह कड़वी लगी, पर उस के कड़वे घूंट को पी जाने के सिवा मेरे पास और कोई उपाय न था।

मैं अपमान को भुला तो न सका, पर मैंने उसका सदुपयोग किया। मैंने नियम बना लिया - "मैं फिर कभी अपने को ऐसी स्थिति में नहीं पड़ने दूंगा, इस तरह किसी की सिफारिश न करूंगा।"

यहां लूप होल है:

1. गांधी कहता है उस अफसर ने गांधी से अच्छी दोस्ती कर ली थी, ध्यान रहे गांधी यह नहीं कह रहा, "मैंने अफसर से अच्छी दोस्ती कर ली थी।"
2. अगर उसने अच्छी दोस्ती कर ली थी, तो फिर गांधी ने अपनी तरफ से उस अफसर को अपनी पुरानी बात याद क्यों दिलाई, जबकि उसे गांधी को याद दिलानी थी।
3. गांधी बोलता है "मैं उस अफसर को जानता हूं", तो इसका मतलब यह नहीं कि "मैं उससे तुम्हारी (अपने भाई की) बात करू, माफी के लिए।
4. लेकिन गांधी फिर भी अफसर के पास चला जाता है। चलो ठीक है, चला गया।
5. लेकिन गांधी को उस अफसर से अपनी दोस्ती के बारे में क्यों याद दिला रहा था? वह एक क्लाइंट बनकर भी तो जा सकता था, एक दोस्त बनकर क्यों गया?
6. वह अफसर गांधी से एक बात तक नहीं करता। वह सीधा कह देता है, "तुम्हारा भाई प्रपंच है, उसे जो भी शिकायत है वह पत्र में लिखकर भेज दें।" लेकिन गांधी अपने नशे में चूर था, वह नहीं मानता। चपरासी कहता है फिर भी नहीं जाता, फिर वह धक्के मारकर भगा देता है। अब भी गांधी अपने अहंकार में यह भूल गया था कि गलती मेरी है और गांधी यह मानने को राजी न था। घर जाकर वह मुकदमा दायर करने की कहता है। गांधी अपनी गलती होने पर भी वह मानता न था, वह सिर्फ अपने वेश्या होने पर घमंड में चूर रहता था। गांधी ईर्ष्यालु स्वभाव का भी था, यह बात page 40 पर कही है। यह ईर्ष्यालु स्वभाव विदेश जाकर भी न छूटा था गांधी का।

गांधी ने माना था कि घर भी अच्छा और अच्छी बस्ती में लेना चाहिए। मैंने सोचा कि दूसरे बैरिस्टरो की तरह मेरे रहने से हिन्दुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी। मुझे लगा कि ऐसा घर में

साल के 300 पौंड के खर्च के बिना चला ही नहीं सकूंगा। मैंने निश्चय किया कि इतनी रकम की वकालत की गारंटी मिलने पर ही मैं रह सकता हूँ। और वहां रहने वालो को इसकी सूचना दे दी। इस चर्चा का परिणाम यह हुआ कि कोई **20** व्यापारियों ने मेरे लिए वर्ष का वर्षासन बांध दिया। इसके उपरांत दादा अब्दुल्ला विदाई के समय जो मुझे भेंट देने वाले थे, उसके बदले उन्होंने मेरे लिए आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया, मैं नेटाल में बस गया।

(यहां गांधी खुद मान रहा है कि ऊँची बस्तियों में (पैसे वाली) रहने से अपना मान सम्मान बढ़ता है, तो फिर ऊँचे कपड़े पहनने से भी मान सम्मान बढ़ता है। Page 51 पर गांधी स्टेशन मास्टर से टिकट लेने जाता है, तो उस पर अपना प्रभाव डालने के लिए फ्रॉक कोट, नेक टाई पहनकर जाता है। Page 57 पर रेलवे अधिकारी बोलता है, "अच्छे कपड़े पहनकर आओगे तो मैं पहले दर्जे का टिकट दे दूंगा।" Page 26 पर गांधी को अपने सफेद कपड़ों में शर्म लग रही थी विदेश में।

एक और बात बता दूं, गांधी एक साल के Agreement पर आया था South Africa में 105 पौंड में, जबकि इस घर का किराया एक साल का 300 पौंड था। Page 81 पर गाँधी लिखता है - दो-तीन दर्जन कमीज और उतने ही कॉलरों से भी मेरा काम चल नहीं पाता था। कॉलर में रोज बदलता था। कमीज रोज नहीं तो एक दिन के अंतर से बदलता था।)

स्वराज

गांधी ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, क्या यह वाकई सच है? ऐसा नहीं है। इसी प्रस्तावना में आगे एक गांधी का साथी कहता है कि आत्मकथा पश्चिम की प्रथा है और इससे पहले न किसी ने लिखी है और न किसी ने जानी है। और तुम लिखोगे क्या? फिर गांधी बड़ी ही सफाई से सबका मुंह बंद कर देता है। गांधी बोलता है- "तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे आत्मकथा कहां लिखना है? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं, उनकी कथा लिखनी है। यह सच है कि उनमें मेरा जीवन ओत-प्रोत होने के कारण कथा एक जीवन-वृत्तांत जैसी बन जाएगी। लेकिन उसके हर पन्ने पर मेरे प्रयोग ही प्रकट हों, तो मैं स्वयं उस कथा को निर्दोष मानूंगा।"

(यहां गांधी खुद ही उसे आत्मकथा मानने से इंकार कर रहा है और कह रहा है कि उसमें मेरे जीवन के प्रयोग हैं, इसीलिए वह आत्मकथा नहीं है, भले ही वह मेरे जीवन के ओत-प्रोत घूमे। लगता है गांधी को आत्मकथा की डिफिनिशन नहीं पता। आत्मकथा का मतलब उसमें आपका नाम, आपकी फैमिली का नाम लिखना नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन की घटनाएं और हमारे प्रयोग सब आ जाते हैं। गांधी जी आत्मकथा को जिस रूप में समझते थे...आत्मकथा वह होती है जिसमें लेखक— अपने जीवन की घटनाएं कालक्रम में प्रस्तुत करता है, अपने अनुभवों, विचारों, निर्णयों और संघर्षों का विवरण देता है,

स्वयं को केंद्र में रखकर सामाजिक और निजी दोनों पहलुओं को सामने लाता है। 'सत्य के प्रयोग' इन सभी मानकों पर खरी उतरती है।

गांधी की पुस्तक में क्या है?

बचपन से लेकर युवावस्था और राजनीतिक संघर्ष तक का विवरण।
शादी, पारिवारिक जीवन, नैतिक द्वंद्व, सेक्स पर विचार, और धार्मिक अनुभव।

राजनीतिक आंदोलन, सत्याग्रह, जेल यात्रा, दक्षिण अफ्रीका का जीवन और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन।

यह सब किसी भी आत्मकथा का मूल तत्व होता है।
गांधी के इनकार से आत्मकथा कैसे बदल सकती है?

अगर मैं आमलेट बनाकर कहूं कि यह सिर्फ "अंडों का प्रयोग" है, तो क्या वह आमलेट नहीं रह जाएगा?

गांधी का इसे "सत्य के प्रयोग" कहना केवल एक शैल्पिक चयन है। रचना का वास्तविक स्वरूप उसकी विषयवस्तु और संरचना से तय होता है, न कि लेखक की व्यक्तिगत व्याख्या से।

तुलना: बाबरनामा, तुज़ुक-ए-तैमूरी और गांधी की पुस्तक

बिंदु	बाबरनामा	तैमूरी आत्मकथा	गांधी की 'सत्य के प्रयोग'
जीवन की घटनाएं	हाँ	हाँ	हाँ
राजनीतिक संघर्ष	हाँ	हाँ	हाँ
निजी जीवन	कम	नहीं	हाँ
भावनात्मक संघर्ष	कम	नहीं	हाँ
नैतिक विचार और आत्ममंथन	नहीं	नहीं	अत्यधिक

निष्कर्ष: गांधी की पुस्तक शैली और गहराई दोनों में आत्मकथा से कहीं अधिक समृद्ध है।

"आध्यात्मिक ग्रंथ" कहना भ्रामक है

गांधी की पुस्तक में कुछ धार्मिक विचार जरूर हैं, लेकिन वह शुद्ध आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं है।

यह एक मानव जीवन के नैतिक, सामाजिक और निजी संघर्षों की ईमानदार प्रस्तुति है, जो आत्मकथा की श्रेणी में ही आती है।

निष्कर्ष:

गांधी की 'सत्य के प्रयोग' वस्तुतः एक आत्मकथा है, चाहे वह स्वयं इसे माने या नहीं। आत्मकथा की परंपरा को गांधी ने बदला नहीं, बल्कि उसमें गहराई और ईमानदारी जोड़ी।

यह रचना न केवल आत्मकथा है, बल्कि भारतीय साहित्य की एक अत्यंत मूल्यवान आत्मकथा है।

गांधी ने इसी प्रस्तावना में साफ-साफ कह दिया है कि मेरे जीवन की कुछ घटनाएं या प्रयोगों को सिर्फ आत्मा ही जानती है, लेकिन उन घटनाओं को मैं नहीं बता सकता।

Page 23:

मैं भावनगर के शामलदास **college** में पढ़ता था, लेकिन मेरी समझ में कुछ न आता था क्योंकि मैं कमजोर था। एक दिन ब्राह्मण मावजी दवे मेरे घर आए और कहने लगे, "तुम भाइयों में से कोई कबा गांधी की गद्दी संभालना चाहता है तो बिना पढ़ाई के वह नहीं होगा। अब जमाना बदल गया है।" गांधी के माता और भाई से यह बात बोली जा रही है — "आपको इसे विलायत भेजना चाहिए। केवलराम (मावजी दवे का बेटा) कहता है कि वहां की पढ़ाई सरल है, तीन साल में पढ़कर लौट आएगा। खर्च भी **4-5** हजार का होगा।

नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो, वे कैसे ठाठ से रहते हैं। वे चाहे तो उन्हें दीवानगीरी आज मिल सकती है। मेरी तो सलाह है कि आप मोहनदास को विलायत भेज दीजिए।"

मैं नहीं जानता कि विलायत जाने पर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। मैं जब बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूं, तो उनकी रहन-सहन और साहब (अंग्रेज) की रहन-सहन में कोई भेद न पाता। **Cigarette** तो कभी उनके मुंह से छूटती ही नहीं, पोशाक देखो — वह भी नंगी!

Page 25:

नौजवान लोग विदेश जाकर बिगड़ जाते हैं। कोई कहता है कि वे मांसाहार करने लगते हैं, कोई कहता है वहाँ शराब के बिना तो चलता ही नहीं। बेचरजी स्वामी मोढ बनियों में से बने हुए एक जैन साधु थे। वे बोले — "मैं इस लड़के से इन चीजों के व्रत लिबाउंगा, फिर इसे जाने में देने में कोई हानि नहीं होगी।"

उन्होंने प्रतिज्ञ लिबाई और मैंने माँस,मदिरा तथा स्त्री-संग से दूर रहने की प्रतिमा की, माताजी ने आज्ञा दी।

Page 24: जाने के लिए पैसे न थे, तो मेरी दृष्टि पत्नी के गहनों पर गई। यह गहने **2-3** हजार रुपये के थे। भाई ने जैसे-तैसे पैसे का प्रबंध करने का बीड़ा उठाया।

बंबई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे। इसी बीच जाति में खलबली मची। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई मोढ बनिया विलायत नहीं गया था। (गांधी मोढ बनिया था)।

मुझे पंचायत में हाजिर रहने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझमें अचानक हिम्मत कहां से आ गई। हाजिर रहने में मुझे न तो संकोच हुआ, न डर लगा।

हिन्दू धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। वहां धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहां साहब लोगों के साथ खाना-पीना पड़ता है।

मैंने जवाब दिया — "मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेशमात्र भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहां जाकर विद्याध्ययन ही करना है। विलायत जाने का निश्चय मैं बदल नहीं सकता।"

संरपंच बोले — "यह लड़का आज से जाति से बाहर कर दिया जाता है। जो कोई इसकी मदद करेगा, इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे सवा रुपये का दंड देंगे।"

मुझ पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। मैंने संरपंच से विदा ली।

(यहाँ से हमको काफी बातें जानने को मिलती हैं —

1. उस समय ब्राह्मण भी विदेश पढ़ने जाते थे क्योंकि ब्राह्मण मावजी दवे खुद गांधी को विदेश भेज रहा था और उनका बेटा भी विदेश में पढ़कर आया था।
2. गांधी हमेशा विदेशी चीजों का विरोध करते आया है, वह स्वराज चाहता था, तो फिर वह विदेश क्यों गया?
3. विदेश जाते वक्त गांधी अपनी चुटिया कटवा देता है। क्यों?
4. गांधी विदेश जाने के लिए इतना उतावला था कि उसे रात भर नींद नहीं आई, और सरपंच का कहना न मानकर समुद्र पार किया, धर्म को ठुकराया। गांधी अपनी पत्नी तक के गहने बेच देता है जाने के लिए।
5. गांधी पहले कहता है, विदेश जाने से लोग बिगड़ जाते हैं, अधर्म फैलाते हैं, मांसाहारी बन जाते हैं, पोशाक बदल लेते हैं, रहन-सहन बदल लेते हैं, सभ्यता भूल जाते हैं। लेकिन जब सरपंच भी यही बात कहता है, तो फिर गांधी कहता है — "मुझे लगता है कि विदेश जाने में लेशमात्र भी अधर्म नहीं है।" मज़ा तो तब आता है जब गांधी खुद तो अधर्म करता है, पर दूसरों को धर्म से बांधे रखता है।)

Page 24 — गांधी वैरिस्टरों की पोशाक का मज़ाक बनाता है कि उन्होंने अपनी सभ्यता के कपड़े नहीं पहने।

Page 26 — गांधी बोलता है, "मैं तो अपनी सफेद पोशाक की शरम से ही गड़ा जा रहा था।"
Page 27 — गांधी विक्टोरिया होटल में रहता था। लेकिन गांधी को अस्पताल, अदालत, रेल — सब से नफरत थी। फिर होटल से क्यों नहीं? वह भी तो हमारी सभ्यता नहीं। यहाँ गांधी अंग्रेजी रीतिरिवाज सीखता है।

Page 28 — "मैं स्वीकार करता हूं कि मांस खाना चाहिए। पर मैं अपनी प्रतिज्ञा का बंधन तोड़ नहीं सकता।" (यहाँ गांधी मांस इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि वह गाँव में जैन साधु को वचन देकर आया था और छोटे पर पिता को भी वचन दिया था। वैसे गांधी ने खुद ही स्वीकार किया है कि मांस खाना चाहिए।)

Page 35 — गांधी ने गीता को अपनी मातृभाषा या संस्कृत में नहीं पढ़ा था, बल्कि सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा था — वह भी लगभग सभी अंग्रेजी अनुवादों में। गांधी यह भी कहता है, "अब तक मैं नहीं जानता था यह अमूल्य ग्रंथ है।"

Page 39 — गांधी बाबा साहब से बोलता था कि "मैं जाति नहीं चाहता, वर्णव्यवस्था चाहता हूं।" लेकिन गांधी जब विदेश से पढ़कर आया था, तो उसे जाति से निकाला गया था। तो गांधी बोलता है, "मैं जाति के बहिष्कार संबंधी कानून का संपूर्ण आदर करता था, अपने सास-ससुर के घर अथवा बहन के घर में पानी तक न पीता था।")

Page 40

इतने में मुझे ममीबाई का मुकद्दमा मिला। मुझसे कहा गया, दलाल को कमीशन देना। मैंने साफ मना कर दिया। मुझको तो हर महीने **300** रु० मिल जाएँ तो काफी है। पर फिर भी ममीबाई का मुकदमा मुझे मिला। मुकदमा आसान था। मैं **case** के लिए खड़ा हुआ, पर मैं कांपने लगा, सिर चकराने लगा, जज हँसा होगा! पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा था — मैं बैठ गया। दलाल से कहा, यह मुकदमा मुझसे नहीं चल सकेगा। आप पटेल को सौंपिए। मुझे दी हुई फीस वापस ले लो।

हिन्द स्वराज में गांधी अदालतो, वकीलों को, रेल को, अस्पताल को — सबको देश से भगाना चाहता है। लेकिन यहाँ खुद गांधी वकील बनकर मुकदमा लड़ रहा है, वह भी किसी की मदद के लिए नहीं, बल्कि पैसों के लिये। अगर गांधी लोगों की मदद करता, तो विदेश से पढ़कर आकर सबसे पहले भारत में गरीब लोगों के, शूद्रों, अछूतों के लिए मुकदमा लड़ता, उनको उनका हक दिलाता। लेकिन गांधी पैसों के लिए विदेश **(South Africa)** भाग जाता है। जिस व्यक्ति से अपने देश की छुआछूत खत्म नहीं हुई, और न ही उसे खत्म करने का प्रयास किया, वह व्यक्ति विदेश जाकर रंगभेद को मिटाने चला। आपको बता दूं, रंगभेद मिटाने के लिए जो गांधी ने वहाँ युद्ध छेड़े थे, वह वहाँ बसे हुए **Indian** लोगों के लिए थे, न कि वहाँ के **Black** लोगों के लिए। अगर गांधी न्याय करता, तो उसे सबके लिए लड़ना था। इस पर मुझे एक किताब

का **reference** और देना चाहूंगा **Gandhi: Behind the Mask of Divinity (2004)** इसे अमेरिकी सेना के कर्नल जी. बी. सिंह ने लिखा है। इसमें बताया गया है गांधी दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के प्रति नस्लीय पूर्वाग्रह रखते थे वे उन्हें "काफिर" कहते थे और उन्हें भारतीयों से हीन मानते थे। गांधी ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया था कि भारतीयों को अश्वेतों के साथ न रखा जाए।)

Page 41

मैंने सोचा कि मैं शिक्षक का काम तो अवश्य ही कर सकता हूँ। मैंने अंग्रेजी का अभ्यास किया, काफी किया था। अतएव मैंने सोचा कि यदि किसी हाईस्कूल में मैट्रिक की कक्षा में अंग्रेजी सिखाने का काम मिल जाए, तो कर लूँ। खर्च का गड्ढा कुछ तो भरे! मैंने अखबारों में विज्ञापन पढ़ा — "आवश्यकता है अंग्रेजी शिक्षक की! प्रतिदिन एक घंटे के लिए। वेतन 75 रुपये।"

मैं वहाँ गया, लेकिन मैंने **B.A** नहीं कर रखी थी, तो मुझे नौकरी न मिल सकी। (जब गांधी अंग्रेजी का बहिष्कार कर रहा था, उसके पास और कोई रास्ता न था। क्योंकि सबसे पहले तो वह और लोगों की तरह ही अपना भविष्य संभालने में लगा था, और उसे किसी अंग्रेज या अंग्रेजी सभ्यता से **problem** न थी। लेकिन जब उसको राजनीति में लाया जाता है, गोखले के द्वारा भारत बुलाया जाता है, तो उसका नजरिया व विचार दोनों बदलते चले जाते हैं।)

Page 41 इसके बाद मैं अर्जियाँ लिखने का काम करने लगा।

Page 44 South Africa जब जाता है गांधी, तो वहाँ वह फ्रॉक कोट वगैरा पहनता है। **Page 46** गांधी को देशी पगड़ी पहनने पर दिक्कत हो रही थी लोगों के द्वारा, तो वह अंग्रेजी टोपी पहनने की कहता है, लेकिन अब्दुल्ला उसे रोक देता है।

Page 47 गांधी को जब ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, तो उस समय उसके पास ओवर कोट था।

Page 51 गांधी दूसरी बार रेल में जाता है, पहले दर्जे की सीट पर, तब वह फ्रॉक कोट, नेक टाई वगैरा लगाकर जाता है।

Page 62 गांधी ने माना था कि घर भी अच्छा और अच्छी बस्ती में लेना चाहिए। मैंने सोचा कि दूसरे बैरिस्टरों की तरह मेरे रहने से हिन्दुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी। **Page 67** प्रयाग में गांधी को कैमिस्ट की दुकान से दवा लेनी पड़ी थी। **Page 20** गांधी के पिता को भंगदर का फोड़ा निकल आता है, तो गांधी नर्स का काम करता है।

Page 78 गांधी अस्पताल में नर्स का काम करता है। युद्ध में घायल लोगों की सेवा-शुश्रूषा (नर्स वाला काम) करता है।

Page 81 दो-तीन दर्जन कमीजों और उतने ही कॉलरों से भी मेरा काम चल नहीं पाता था। कॉलर मैं रोज़ बदलता था। कमीज़ रोज़ नहीं तो एक दिन के अंतर से बदलता था।

मशीनों का विरोध: उस समय तक विश्व में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का ***model*** उपलब्ध था — पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहली में आर्थिक संसाधनों तथा अधिशेष पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित रहता है, तथा दूसरे में संसाधनों तथा अधिशेष पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित रहता है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में एक बात साझा है कि दोनों में मशीनों का व्यापक उपयोग किया जाता है तथा औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। गांधी इन दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को खारिज करते हैं। वे मशीनों के प्रयोग के सख्त खिलाफ हैं तथा वे यूरोप की सभ्यता को "चाण्डालों की सभ्यता" कहते हैं।

(मशीनों का विरोध इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि उसमें काम करने के लिए या उसे चलाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता थी। लेकिन जो मशीन में शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती थी, उन मशीनों का गांधी विरोध नहीं करता — जैसे चरखा, हल, सिलाई मशीन। **8 June 1921** के *नवजीवन* में प्रकाशित एक लेख में वे दोनों अर्थव्यवस्थाओं की आलोचना करते हैं। **- [Reference:** गांधी और गांधीवाद, अध्याय २, पृष्ठ **80-81)**

गांधी पूंजीपति और श्रमिक के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए एक नया आर्थिक सिद्धांत देते हैं, जिसे ट्रस्टीशिप या न्यास का सिद्धांत कहा जाता है।

① महात्मा गांधी के अनुसार, जो लोग समाज सेवा के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, भले ही उनकी बहुत सारी संपत्ति हो, उन्हें उसमें से कुछ भी अपना नहीं समझना चाहिए। उन्हें संपत्ति को अपने से कम सुविधा प्राप्त लोगों के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखना चाहिए।

② ट्रस्टीशिप से उनका तात्पर्य था कि धनवानों को अपनी संपत्ति पर पूरी तरह से अपना दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे श्रमिकों और समाज के गरीब वर्गों के श्रम और सहयोग के बिना अपनी संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते।

③ उनके अनुसार, धनी लोग नैतिक रूप से अपने धन को अपने कर्मचारियों और गरीबों के साथ निष्पक्ष तरीके से साझा करने के लिए बाध्य हैं।

④ उन्होंने कहा, "धनी व्यक्ति को अपनी संपत्ति तभी खर्च करनी चाहिए, जब उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उचित रूप से आवश्यक हो, तथा शेष राशि को समाज के लिए उपयोग करने हेतु ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए।"

⑤ धन को केवल दुरुपयोग से बचाने और उसे समान रूप से वितरित करने के लिए रखने का पूरा विचार मानव गरिमा की रक्षा करता है।

⑥ गांधी की विरासत में मिली संपत्ति में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि ट्रस्टी का जनता के अलावा कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। ट्रस्टीशिप से उनका मतलब संपत्ति को सौंपने की मजबूरी नहीं है, क्योंकि धनवान लोगों को जबरन बेदखल करने से समाज को उन लोगों की प्रतिभा से वंचित होना पड़ेगा, जो राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। उनका तरीका, धनी लोगों को ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए राजी करना था, जिसके विफल होने पर सत्याग्रह अपनाया जा सकता था। यह इस विश्वास पर आधारित है कि मानव स्वभाव कभी भी मुक्ति से परे नहीं है। इसमें उत्पादन के सभी साधन एक न्यास के अधीन रहेंगे। इस समय जो पूंजीपति और भू-मालिक हैं, उनको अहिंसक तरीके से न्यास का कार्य देखने के लिए मनाया जाएगा, तथा उनसे यह भी अनुरोध किया जाएगा कि श्रमिकों को उचित वेतन दें। यह प्रक्रिया पूरी तरह अहिंसक होगी। **19** जनवरी, **1921** के *"यंग इंडिया"* में गांधी ने लिखा, "क्या मैं विकास की घड़ी की सूई को पीछे घूमा देना चाहता हूँ? क्या मैं मिलों के स्थान पर अब चरखा और हथकरघा लाना चाहता हूँ? क्या मैं मिलों के स्थान पर बैलागाड़ी चलाना चाहता हूँ? क्या मैं मशीनों को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहता हूँ? इस प्रकार के प्रश्न पत्रकार एवं जनता के लोग मुझसे पूछते हैं। मेरा उत्तर है कि यदि मशीनें पूर्णतया गायब हो जाती हैं, तो मैं इस पर आंसू नहीं बहाऊंगा और ना ही इसे कोई आपदा मानूंगा।"

[रेफरेंस - गांधी और गांधीवाद, अध्याय 2, पृष्ठ 79]

(स्वराज का अर्थ अंग्रेजों का भारत से चले जाना नहीं है। भारतीय राज व्यवस्था को यूरोपीय आधुनिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर नहीं चलाना है, व शिक्षा की ओर नहीं बढ़ाना है। इसलिये गांधी यूरोप की सभ्यता को "चाण्डाल की सभ्यता" कहते हैं। गांधी पूर्णत: हिन्दू धर्म की मूल्य और मान्यताओं के आधार पर राजव्यवस्था का पुनर्गठन चाहते थे। गांधी के राजनीतिक चिंतन में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। वे सत्य, रामराज्य, ईश्वर का राज्य जैसे अपरिभाषित शब्दों का प्रयोग करते थे। कांग्रेस तब तक संसदीय लोकतंत्र का समर्थन कर चुकी थी, इसलिये गांधी ब्रिटिश मॉडल के संसदीय लोकतंत्र को मजबूरी में स्वीकार करते थे।**)**

आंबेडकर का निष्कर्ष – गांधीवाद का आर्थिक दर्शन बुरी तरह से भ्रामक है। माना जा सकता है कि मशीनों और आधुनिक सभ्यता ने बहुत सारी बुराइयां पैदा की हैं, परंतु ये बुराइयां इस सभ्यता के खिलाफ कोई तर्क नहीं हैं। क्योंकि बुराइयां मशीनों और आधुनिक सभ्यता के कारण नहीं हैं, बल्कि ऐसे गलत सामाजिक संगठन के कारण हैं, जिसने निजी संपत्ति और व्यक्तिगत लाभ की खोज को परम पवित्र लक्ष्य बना दिया है। सही उपाय है – सामाजिक ढांचे में उचित परिवर्तन करना, ताकि मशीनों से हुआ लाभ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथों में सीमित न रहकर सर्वसाधारण तक पहुंच सके।

[Reference- गांधी और गांधीवाद अध्याय **2,** पृष्ठ **85]**

आंबेडकर लिखते हैं – गांधीवाद उस समाज के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, जो लोकतंत्र को अपना आदर्श नहीं मानता। जो समाज लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, वही मशीनों तथा उस पर आधारित सभ्यता के प्रति बेरुखी रखेगा, परंतु लोकतांत्रिक समाज मशीनों और आधुनिक सभ्यता का विरोध नहीं कर सकता। गांधीवाद के अंतर्गत साधारण मनुष्य को नाममात्र की मजदूरी के लिए लगातार कठिन परिश्रम करते रहना और पशुवत बने रहना होगा। संक्षेप में गांधीवाद प्रकृति की वापसी की पुकार का अर्थ है – बहुसंख्यक जनता को नग्नावस्था, मलिनता, निर्धनता और अज्ञानता की ओर वापसी।

[Reference - पृष्ठ **86]**

गांधी के विपरीत आंबेडकर अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन राजकीय समाजवाद के सिद्धांतों के आधार पर करना चाहते हैं, जिसमें औद्योगिकरण और मशीनीकरण प्रमुख तत्व हैं। वे खेती के भी औद्योगीकरण का प्रस्ताव रखते हैं। बैंक, बीमा सहित मूलभूत उद्योगों एवं सभी बड़े उद्योगों को आंबेडकर सरकारी नियंत्रण में रखने के पक्षधर हैं। अपनी पुस्तक 'राज्य और अल्पसंख्यक' में डॉ. आंबेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन संबंधी विचारों को व्यक्त किया है।

[Reference - राज्य और अल्पसंख्यक, पृष्ठ **201]**

जो लोग यह कहते हैं हम चीन से आगे निकल गए हैं या वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, वे सभी लोग गांधीवाद के खिलाफ जाकर बोलते हैं। गांधी तो स्वराज, अहिंसा की बात करते था। हिंद स्वराज जिसे **1921** में दोबारा एक नई भूमिका के साथ प्रकाशित किया गया। इसकी भूमिका में गांधी अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं, वह लिखते हैं –

"इस किताब में आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका की गई है। यह सन् **1909** में लिखी गई थी। इसमें मेरी जो मान्यता प्रकट की गई है, वह आज पहले से ज्यादा मजबूत बनी है। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान 'आधुनिक सभ्यता' का त्याग करेगा, तो उसे इससे लाभ ही होगा।"

[Reference - 'हिंद स्वराज' मेपल प्रेस, **2021,** पृष्ठ **8]**

यहां मैं कुछ कहना चाहता हूं – कुछ लोग गांधी का एक पत्र ले आते हैं, जो सन् **1924** का है। वह संवाद दिल्ली का है, जिसके द्वारा लोग गांधी को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। हां, वह बात अलग है कि उस संवाद में भी गांधी उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन उन सब बातों का निष्कर्ष स्वराज ही है। हम क्यों इस संवाद को बार-बार लोगों को दिखा रहे हैं? क्योंकि यह संवाद गांधी और एक व्यक्ति के बीच का संवाद है, यानी उनका व्यक्तिगत मामला है। जबकि गांधी ने जो विचार अपने यंग इंडिया में, हिंद स्वराज पुस्तक में पहले ही साफ-साफ बता दिए हैं, कि वह किस तरह का स्वराज चाहते हैं। लेकिन फिर भी लोग गांधी का उस संवाद को

दिखाकर, उस संवाद को तोड़-मरोड़कर पेश करके स्वराज की जो परिभाषा गांधी ने हिंद स्वराज में बताई है, उससे विपरीत साबित कर देते हैं। अगर गांधी को अपनी थ्योरी बदलनी होती स्वराज को लेकर, तो उसने तब क्यों नहीं बदली जब गोखले ने उस किताब का नाश करने को कहा था। इसके उलट गांधी ने **1921** में इसी किताब को नई भूमिका के साथ छापा था और उसमें ये कहा था – अब मेरे विचार पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं।

गांधी के स्वराज पर किसने क्या आलोचना की, देखते हैं – मिडलटन मरी कहते हैं, "गांधी जी अपने विचारों के जोश में यह भूल जाते हैं कि जो चरखा उन्हें बहुत प्यारा है, वह भी एक यंत्र ही है और कुदरत की नहीं, बल्कि इंसान की बनाई हुई एक अकुदरती – कृत्रिम चीज है। उनके उसूल के मुताबिक तो उसका भी नाश करना होगा।" डिलाइल बर्स कहते हैं – "यह तो बुनियादी विचार दोष है। उसमें छिपे रूप से यह बात सूचित की गई है कि जिस किसी चीज का बुरा उपयोग हो सकता है, उसे हमें नैतिक दृष्टि से हीन मानना चाहिए। लेकिन चरखा भी तो एक यंत्र ही है। हल भी यंत्र है। और पानी खींचने के पुराने से पुराने यंत्र भी शायद मानव जीवन को सुधारने की मनुष्य की हजारों बरस की लगातार कोशिश के आखिरी फल होंगे। किसी भी यंत्र का बुरा उपयोग होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर ऐसा हो तो उसमें रही हुई नैतिक हीनता यंत्र की नहीं, बल्कि उसका उपयोग करने वाले मनुष्य की है।"

गांधी अपने विचारों के जोश में यंत्रों के बारे में जो अनपढ भाषा इस्तेमाल की है, उसे आज की जनता इस प्रकार से कह सकती है: "चूतिये हो क्या?" आज सभी के हाथों में मोबाइल और टीवी हैं, फिर चाहे वह गांधी का खानदानी ही क्यों न हो, वह भी एसी का मजा लेना चाहता है।

स्वराज शब्द का प्रयोग भी 'हिन्द स्वराज' के अर्थ में **17**वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी द्वारा मुस्लिम शासकों से स्वतंत्र राज स्थापित करने को लेकर, बाद में हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था।

[संदर्भ- वाजपेयी, अनन्या, 'राइचरा रिपब्लिक : दी पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ मार्डन इंडिया', हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, **2012,** पृष्ठ **59]**

हिन्द स्वराज में ही गांधी ने कहा है कि अपने मन का राज्य स्वराज है। उसकी कुंजी सत्याग्रह है। वैसे भी अहिंसा के साथ सत्याग्रह गांधी दर्शन का मूल तत्व है। हालांकि सत्याग्रह का सामान्य अर्थ है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, लेकिन गांधी अपने विचार प्रचलित शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त करते थे, क्योंकि समय आने पर गांधी अपने द्वारा ईजाद किए गए शब्दों का मनमाना अर्थ लगा सकते थे। जैसे वे कहते थे कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूं, और जब सत्य की व्याख्या करने के लिए कहा जाता था तो कहते थे सत्य ही ईश्वर है। तो फिर गांधी ईश्वर की खोज करना क्यों नहीं कहते थे? इसी प्रकार वे रामराज्य की बात करते थे, इसका अर्थ वे ईश्वर का राज्य बताते थे। लेकिन ईश्वर के राज्य की बात सीधे नहीं करते थे। इसका कारण स्पष्ट

है कि 'ईश्वर का राज्य' तो सभी धर्मों की परिकल्पना में है। यदि गांधी रामराज्य कहते तो पकड़े जाते, क्योंकि वास्तव में गांधी 'ईश्वर के राज्य' के स्थान पर दशरथ पुत्र राम का राज्य (हिन्दू धर्म) स्थापित करना चाहते थे, जिसका परम धर्म था गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना। इसी तरह गांधी ने मशीनों पर घुमा फिराकर विचार व्यक्त किए, लेकिन सभी का अर्थ एक ही है। देखें, गांधी अपने लेखन में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे - स्वराज, सत्याग्रह, रामराज्य, ईश्वर का राज्य, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि। इन शब्दों को वे परिभाषित अलग ढंग से करते थे। धार्मिक शब्दावली का प्रयोग राजनीतिक विषयों को परिभाषित करने के लिए करते थे। इसका सबसे सटीक उदाहरण अछूतों को 'हरिजन' की संज्ञा देना है। इन शब्दजालों के कारण गांधी को उनके वास्तविक रूप में पहचानना बड़ा मुश्किल है। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी धोखा खा गए, तो देश की **90%** अनपढ़ आबादी कैसे धोखा न खाती। वास्तव में गांधी ने जानबूझकर अपने व्यक्तित्व, अपने शब्दों और अपने विचारों को अस्पष्ट रखा। इससे हिंदू धर्म के अनुयायियों, पूंजीपतियों और जमींदारों ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी, गांधी की वैसी छवि उन्होंने देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत की। इसलिए आज भी गांधी के संवाद को लोग घुमा-फिरा कर बताकर गांधी को यह साबित करने में लग जाते हैं कि गांधी मशीनों का विरोध नहीं चाहते, वह तो उसके पीछे पागलपन का विरोध करते थे।

[देखें - 'हिन्द स्वराज' पृष्ठ 119, ग्राम स्वराज पृष्ठ 38]

यहां गांधी ने जो शुरुआत में कहा था कि “मुझे आपत्ति मशीनों पर नहीं है”, इसी को लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आगे का पूरा संवाद वे पढ़ते ही नहीं। गांधी ने जो यह कहा कि मुझे आपत्ति मशीनों से नहीं, तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं बताता कि किन-किन मशीनों से नहीं। या गांधी यहां कौन-कौन सी मशीनों की बात कर रहा हैं, जिससे गांधी को आपत्ति नहीं। इसका सही अर्थ है कि गांधी को उन मशीनों से आपत्ति नहीं है, जिनमें दिमाग और तर्क नहीं लगता हो, जिन्हें बिना शिक्षा के किया जा सकता है। गांधी को तो सुई, हल, चरखा, लोहार, खिलौने बनाना जैसी मशीनों या कामों से कोई आपत्ति नहीं। बाकी मशीनीकरण से आपत्ति है। यह बात गांधी सही बोल रहा था, उनका उद्देश्य मशीनों का नाश नहीं, बल्कि उनकी सीमा बांधना था। अगर गांधी मशीनों का सबका नाश कर देंगे तो फिर हल, चरखा, सुई, यहां तक कि गांधी का चश्मा तक त्यागना पड़ेगा। इसीलिए 'सीमा' का मतलब भी वही है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं, हल की सीमा, किसी से बात करने के लिए फोन की नहीं, पत्र की सीमा है। ये सीमाओं की बात कर रहा था गांधी। मेरी समझ नहीं आ रहा कि लोग गांधी को मशीनों का हितैषी सिद्ध करने में क्यों लगे हुए हैं, जबकि वह खुद बार-बार बोल रहा था कि स्वराज लाना है, देहात बसाना है, महलों को नहीं, झोपड़ों को बसाना है।

ग्राम स्वराज पेज **40:** हर बार एक ही बात को घुमा-फिरा कर बता रहे हैं गांधी, वो एक बार भी यह नहीं बता रहे कि वो कौन से यंत्र के विरुद्ध नहीं हैं और कौन से यंत्र उनके स्वामी बन जाएंगे।

उनके नाम क्यों नहीं बताए गए, क्योंकि गांधी लोगों को भ्रम में डाल रहा है, जबकि सबका अर्थ एक ही है: सिलाई मशीन, हल, चरखा। अभी भी अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो ग्राम स्वराज पेज **22** पर देखिए, वहां गांधी गांव को क्यों पसंद करते हैं, बता रहा हैं। पेज **41:** यदि हमें यंत्रों की आवश्यकता होगी, तो समय आने पर हम अपने देश में यंत्र दाखिल करेंगे। **[** टूवर्ड्स न्यू होराइजन्स **1959,** पृ. **45-46]**

(गांधी ने फिर से बेवकूफ बना दिया। अरे भाई, अभी जरूरत नहीं है क्या यंत्रों की**?** जरूरत होगी तो हम यंत्रों को ले लेंगे। लेकिन यहां यह भी बता देते हैं कि कौन से यंत्र, पश्चिमी सभ्यता वाले**?)**

पेज **42:** शहरों की सभ्यता यंत्रों पर और उद्योगीकरण पर निर्भर करती है, जबकि गांव की सभ्यता हाथ-उद्योगों पर निर्भर करती है। हमने दूसरी सभ्यता को पसंद किया है। **[** हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड **6-12-1944]**

पेज **44:** सारी दुनिया में युद्ध के लिए शहरी लोग ही जिम्मेदार हैं, देहाती हरगिज नहीं।

[ग्लीनिंग्स, पृ. **17]**

"मेरी निगाह में शहरों की वृद्धि एक बुरी चीज है।**" [** हरिजन सेवक**-27-6-1946,** पृ. **198]**

दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी गांधी, विश्व में नस्लवाद विरोधी गांधी के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। कट्टर सनातनी हिंदू धर्म निरपेक्ष व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया गया। लोकतंत्र विरोधी गांधी, लोकतंत्र के नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। हिन्दू राष्ट्र-राज्य के समर्थक, उदारवादी राष्ट्र-राज्य के समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन यदि गांधी द्वारा प्रयोग किए गए आदर्शों का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि गांधी हिन्दू धर्म के आदर्शों को मानने वाले थे और उन्हीं के आधार पर आधुनिक भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे।

वर्ण व्यवस्था, वैदिक धर्म की रीढ़ है, जिसके आधार पर गांधी हिन्दू समाज का पुनर्गठन करना चाहता था। वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर लागू करना चाहता था, मनुस्मृति के नियमों के अनुसार चार वर्ण ही होने चाहिए। इस नियम को लागू करना चाहते थे, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण अछूतों को राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक अधिकार से वंचित रखने के लिए जान की बाजी लगा देना था। मात्र अस्पृश्यता को समाप्त कर सहमत होना ताकि अस्पृश्य जातियां स्पृश्य बनकर शूद्र की श्रेणी में जाएं या अछूत ही रहें। अहिंसा, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, और शाकाहार जैसे मूल्य ब्राह्मणों ने सर्वोच्च मानवीय मूल्य घोषित किए हैं। गांधी ने इन्हीं मूल्यों को आदर्श मूल्य माना और अपने लिए इन्हें अपनाने की घोषणा की, ताकि वे अपने आप को सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर सके।

गांधी के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला आदर्श अहिंसा भी महाभारत से लिया गया है, जिसका पूरा श्लोक है "अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च"। इसका अर्थ है, अहिंसा परम कर्तव्य है, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा उचित है। गांधी का पूरा चरित्र इन्हीं आदर्शों से बना है। गीता इनकी आदर्श पुस्तक है। इन्होंने अपने जीवन में तीन पुस्तकें लिखीं: पहली 'हिन्द स्वराज', दूसरी 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग', और तीसरी 'की टू हेल्थ', जो शाकाहार पर है। तीनों पुस्तकें ब्राह्मणवाद मूल्यों को ही स्थापित करती हैं।

आंबेडकर गांधी को महात्मा नहीं मानते थे, न तो आचरण के आधार पर, न विचार के आधार पर। आचरण के आधार पर बाबा साहब गांधी की तुलना मशहूर उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास 'डेविड कॉपरफिल्ड' के पात्र उराया हीप से करते हैं। उराया हीप इस उपन्यास का खलनायक है, जो अपने मालिक की संपत्ति को धोखे से हड़पना चाहता है, लेकिन अंत तक सफल नहीं हो पाता। आंबेडकर ने **BBC** को दिए एक साक्षात्कार में गांधी को 'महात्मा मानने से इनकार कर दिया। बाबा बताते हैं, "गांधी ने मेरे ही सामने अपने असली जहरीले दांत खोले थे। मैं उस आदमी के भीतर तक झाँक सकता था। क्योंकि अन्य लोग गांधी से भक्तों के रूप में मिलने जाते थे, लेकिन मैं एक प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला, इसलिए मैं उन्हें अन्य सभी लोगों की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से समझता था।" **[Reference -** गांधी और गांधीवाद, अध्याय **7,** पृ**. 153]**

आंबेडकर गांधी को रूढ़िवादी हिंदू और कुटिल राजनीतिज्ञ मानते थे, जो आधुनिक भारत में ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी मूल्यों की सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहते थे। बाबा साहब ने गांधी के वास्तविक चरित्र और विचारों को भारत और विश्व के सामने उजागर करने का अथक प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।

इधर कुछ वर्षों में गांधी का वास्तविक चरित्र दुनिया के सामने उजागर हुआ है। परिणामस्वरूप, वर्ष **2015** में दक्षिण अफ्रीका में गांधी की मूर्ति को तोड़ा गया, तथा गांधी को रंगभेद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थक घोषित किया गया। घाना विश्वविद्यालय में स्थापित गांधी की मूर्ति को हटाया गया। न्यूयॉर्क स्थित रिचमंड हिल में हिन्दू मंदिर के सामने गांधी की मूर्ति को एक ही महीने के अंदर दो बार तोड़ा गया, **3** और **16** अगस्त **2022** को। इटली में खालिस्तानीयों ने गांधी की मूर्ति को कई बार तोड़ा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी की मूर्ति पर सफेद रंग पोता गया और कहा "नस्लवादी गांधी को गिरना होगा"। **2015** में दक्षिण अफ्रीका में सोशल मीडिया पर **#GandhiMustFall** प्रसारित किया गया। ट्विटर उपयोगकर्ता उन लेखों को उजागर कर रहे हैं जिनमें बताया गया है कि "नटाल भारतीय कांग्रेस के नेता के रूप में उन्होंने कहा था कि भारतीय काले लोगों से श्रेष्ठ हैं और उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से डरबन डाकघर में उनके लिए एक अलग प्रवेश द्वारा बनाने के लिए याचिका दायर की थी, जहां वे पहले काले लोगों के लिए आरक्षित प्रवेश द्वार का उपयोग करते थे।" पिछले सप्ताह केपटाउन

विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद, वहाँ से ब्रिटिश उपनिवेशवादी सेसिल जॉन रोड्स की प्रतिमा हटा दी गई थी। सेसिल जॉन रोड्स दक्षिण अफ़्रीका में एक अंग्रेजी खनन दिग्गज और राजनैतिज्ञ जिन्होंने **1890-1896** तक केप **colony** के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।

शादी

गांधी कहीं भी यह नहीं कहते कि अछूतों का स्पर्श हो जाने से नहाना अनिवार्य नहीं है। गांधी ने तो बहुत ही स्पष्ट कहा है कि अस्पृश्यता के निवारण का अर्थ हिंदुओं के बीच अंतरजातीय सहभोज, अंतरजातीय विवाह बिल्कुल नहीं है।" **[Reference - 1921-22** के गुजराती पत्र **'**नवजीवन**'** में देखें, व यह आलेख ग्यारहवे खंड में पुनः मुद्रित गांधी शिक्षण सीरीज के **18**वें अध्याय के रूप में संकलित है**]** (यानि गांधी के स्वराज में शूद्र शूद्र ही रहेगा)

एक नए युग का अभ्युदय हुआ है, जिसे गांधीवाद कहते हैं। यह सच है कि गांधी ने गांधीवाद जैसे किसी वाद के अस्तित्व से इंकार किया था, गांधी का यह इंकार उनके द्वारा धारण की गई साधारण विनम्रता से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु इससे गांधीवाद का अस्तित्व झुठलाया नहीं जा सकता। अच्छी खासी संख्या में गांधीवाद शीर्षक वाली पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनका प्रतिवाद गांधी ने कभी नहीं किया। कुछ लोगों को तो इसमें इतना विश्वास है कि वे गांधीवाद की तुलना मार्क्सवाद से करने लगते हैं। गांधीवाद का अर्थ है- फिर से गांव की ओर लौटना और गांव को आत्मनिर्भर बनाना।

अब देखते हैं गांधी के गांव, यानी स्वराज में क्या-क्या होगा? सबसे पहले आपको बता दूं, **1924** तक गांधी जाति के पक्षधर थे, लेकिन **1925** में सिर्फ वर्णव्यवस्था के पक्षधर रह गए। क्योंकि इस समय तक जाति को बुरा बताना तेजी से शुरू हो रहा था। दक्षिण भारत में भी जातिवाद बहुत जोर पकड़ चुका था। तो इन सबको देखते हुए गांधी ने वर्णव्यवस्था का दामन थाम लिया, यानी **1925** में गांधी वर्णव्यवस्था की बात करने लगे। गांधी बोलता हैं –

"सर्वोत्तम उपाय यह है कि छोटी-२ जातियां अपना अलग अस्तित्व समाप्त कर एक बड़ी जाति बन जाएं। ऐसी बड़ी जातियां की संख्या **4** हो, जिससे प्राचीन वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो सके।"

गांधी आगे बोलते हैं कि वर्णों का विभाजन जन्म पर आधारित हो। ब्राह्मण युद्धकला सीख सकता है, परंतु उसे अपनी आजीविका नहीं बनाएगा। वैश्य भी विद्या प्राप्त कर सकता है या युद्धकला सीख सकता है, परंतु उसे अपनी आजीविका नहीं बना सकता। उसको अपना वर्ण का पेशा ही करना होगा, यानी अपने पूर्वजों का वंशानुगत पेशा ही अपनाना होगा। गांधी बोलता हैं - "मैं वर्ण व्यवस्था में इसलिए विश्वास करता हूं, क्योंकि यह लोगों के कर्तव्यों और पेशों को निर्धारित करती है।"

वर्ण का अर्थ है- मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही उसके पेशे का निर्धारण। वर्ण व्यवस्था में अपनी पसंद का पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। उसका पेशा उसका वंश परंपरा से ही निर्धारित

रहता है। **[Reference -** गांधी और गांधीवाद**, page 78-79** व वर्णव्यवस्था **book** में भी लिखा है ये**]**

(इन सब से यह तो पता चल गया कि गांधी के गांव में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के काम को नहीं चुन सकता। यानि भंगी भंगी का ही काम करेगा**,** वेश्या वेश्या का ही। इसीलिए गांधी ने जेल में रह रहे कैदी श्री पटवर्धन को झाड़ू की नौकरी न देने पर उसके लिए सत्याग्रह किया था। गांधी ने एक बार भी उस कैदी से ये नहीं कहा कि तुम इस नौकरी को ही क्यों करना चाहते हो**?)**

तनख्याह salary

खैर, अब बात करते हैं इन सब लोगों की तनख्वाह **(Salary)** क्या होगी**?** ग्राम स्वराज संग्राहक हरिप्रसाद व्यास इसके पेज **30** पर लिखते हैं**, "**जिसमें न कोई ऊँचा है और न कोई नीचा है। सारे काम एकसे हैं और सारे काम की मजदूरी भी एकसी है।**" [Reference-** महात्मा गांधी **-** दि लास्ट फेज**, 1956** खंड **1,** पृष्ठ **539-40]**

ऐसे आदर्श समाज में न कोई गरीब होगा**,** न भिखारी**,** न कोई ऊँचा होगा**,** न नीचा**,** न कोई करोड़पति मालिक होगा**,** न आधा भूखा नौकर**,** न शराब होगी**,** न कोई दूसरी नशीली चीज। **[**हरिजन**-18-9-1948-** पृष्ठ **466]**

इसी किताब का पेज **57** पर लिखा है**, "**धनिक को अपने पड़ोसी से एक कोड़ी भी ज्यादा रखने का अधिकार नहीं। ज्यादा पैसा हो तो वह ट्रस्टी बन जाए। समाज के खातिर धन कमाएगा**,** समाज के कल्याण के लिए उसे खर्च करेगा**,** तब उसकी कमाई में शुद्धता आएगी।**" (**यहाँ समाज का मतलब वैश्य का वैश्य समाज या ब्राह्मण का ब्राह्मण समाज है**) [**हरिजन सेवक **- 25-8-1942** पृष्ठ **243]**

डॉक्टर**,** भंगी**,** मोची**,** सबकी सैलरी एक बराबर होगी। अब अगर कोई व्यक्ति इन सबसे**,** यानी अपने खर्चे से ज्यादा कमा ले**,** अपने दिमाग से**,** तो वह पैसा उस व्यक्ति का नहीं होगा**,** वह पैसा पूरे गांव का होगा और उन पैसों को अपने पास रखेगा जरूर**,** लेकिन एक ट्रस्टी बनकर। सीधे**-**सीधे शब्दों में**,** अगर किसी व्यक्ति का खर्चा **10** रुपये है और अगर उसने **12** रुपये कमा लिए**,** तो वह **2** रुपये उसे गाँव वालों को देने होंगे। **[**ग्राम स्वराज पृष्ठ **69]**

"आर्थिक समानता का सच्चा अर्थ है जगत के सब मनुष्यों के पास एक समान संपत्ति का होना**,** यानी सबके पास इतनी संपत्ति का होना जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकताएं पूरी कर सकें।**" [**हरिजन **- 28-8-1940** पृष्ठ **260]**

"वकालत का पेशा करने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि एक देहाती बढ़ई या दूसरे कारीगर की मजदूरी से ज्यादा पैसा लिया जाए।**" [**हरिजन **- 13-7-1940** पृष्ठ **205]**

"अगर भारत को स्वाधीनता का ऐसा आदर्श जीवन व्यतीत करना है**,** जिससे संसार जलन करे**,** तो तमाम भंगियों**,** डॉक्टरों**,** वकीलों**,** शिक्षकों**,** व्यापारियों और दूसरे लोगों को दिनभर के प्रमाणिक काम का एक सा वेतन या एकसी मजदूरी मिलनी चाहिए।**" [**हरिजन **16-3-1947** पृष्ठ **67]**

[ग्राम स्वराज पृष्ठ **78] -** स्वदेशी एक धार्मिक नियम है।

पृष्ठ **80** पर लिखा है, "जो वस्तु अपने देश में नहीं बन सकती या बड़ी कठिनाई से बन सकती है, उसे विदेशों के प्रति द्वेष रखने के कारण यदि वह बनाने लगे, तो वह स्वदेशी धर्म नहीं होगा।" **[From Yerwada Mandir 1959** अध्याय **16** पृष्ठ **66]**

दरअसल इसके पीछे की चाल को समझते हैं - क्या गांधी किसान और पूंजीपति दोनों को बराबर आर्थिक समानता चाहता है? संयुक्त प्रांत में जमीदारों के खिलाफ विद्रोह कर रहे काश्तकारों को निर्देश देते हुए गांधी ने **18** मई, **1921** के 'यंग इंडिया' के अंक में काश्तकारों तथा जमीदारों के संबंधों के बारे में अपने विचारों का प्रतिपादन किया " जबकि संयुक्त प्रांत सरकार औचित्य की सीमा का उल्लंघन............ सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।" (गांधी और गांधीवाद पृष्ठ **83, 84)** [इसमें किसान का मतलब काश्तकार और जमीदार का मतलब रैयतदार है।] (यहां गांधी संपत्तिशाली वर्ग को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। यहां तक कि वह उनके विरुद्ध किसी अभियान के भी विरोधी हैं। आर्थिक समानता के लिए उनके मन में कोई उत्साह नहीं है। धनी वर्ग का उल्लेख करते हुए गांधी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नष्ट कर दिया जाए। मालिक और मजदूरों के बीच, धनी और निर्धन के बीच, जमींदार और किसानों के बीच आर्थिक विवादों को सुलझाने के लिए गांधी का नुस्खा बिल्कुल सरल है कि संपत्तिवान अपने को संपत्ति का न्यासी (ट्रस्टी) घोषित कर दें। मालिकों को उनकी संपत्ति के अधिकार से वंचित होने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस खुद को गरीबों के न्यासी के रूप में घोषित कर देने की जरूरत है।" (यहां गांधी का ट्रस्टी मॉडल आपने देखा, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी कमाई को दूसरों को दे देगा? और अगर जब उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी जो उसने ज्यादा कमा ली है, तो वह ज्यादा कमाएगा क्यों ? गांधी का यहां जवाब होगा कि वह अपने समाज के लोगों के लिए कमाएगा। तो यहां मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति का नाम बताइए जो ये करने को तैयार हो। आज लोग दूसरों के पैसे को नहीं छोड़ते, वह खुद का पैसा क्यों देंगे? आज के ट्रस्टी जो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, वह कितने ईमानदार हैं, यह तो कॉलेज की फीस से पता चल जाता है और वहां की पढ़ाई से भी। आपको ट्रस्टी के बारे में ज्यादा जानना है तो **Nitish Rajput** की वीडियो देख लीजिए, उसमें उन्होंने कॉलेज के ट्रस्टी की खाल उधेड़ी है। जो संविधान के लागू होने पर भी, जहां उन्हें सजा दी जाएगी, फिर भी ट्रस्टी लोग करोड़ों रुपये शिक्षा के बिजनेस से कमाते हैं, जिसे लोग 'शिक्षा का मंदिर' कहते हैं। जब शिक्षा के मंदिर से भी पैसा कमाया जाता हो, तो किसी और चीज को कोई कहां छोड़ रहा होगा? यह तो तब है जब संविधान में इन सब गुनाहों की सजा लिखी है, लेकिन गांधी के स्वराज में तो दंड का प्रावधान ही नहीं है, तो तब क्या होगा? इससे भी बड़ा सवाल गांधी के समय में ही कितने ही जमींदार थे, लेकिन क्या गांधी ने कभी कोई सत्याग्रह भी किया था? क्या इन जमींदारों के खिलाफ नहीं किया है? नहीं किया है, ये वही लोग हैं जो कांग्रेस और गांधी को चंदा देते थे। तिलक स्वराज फंड के लिए **1** करोड़ **25** लाख रुपये मिले, क्या यह अछूत शूद्रों ने दिए थे? अरे, उनके पास

तो एक जोड़ी कपड़े तक नहीं थे। यह बात खुद गांधी ने बताई है कि उनके पास एक साड़ी तक नहीं होती थी।

वकालत का पेशा करने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि एक देहाती बढ़ई या दूसरे कारीगर की मजदूरी से ज्यादा पैसा लिया जाए। [हरिजन, **13-07-1940,** पृष्ठ **205]** "अगर भारत को स्वाधीनता का ऐसा आदर्श जीवन व्यतीत करना है, जिससे संसार जलन करे, तो तमाम भंगियों, डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों और दूसरे लोगों को दिनभर के प्रामाणिक काम का एक सा वेतन या एक सी मजदूरी मिलनी चाहिए। संभव है भारतीय समाज यह ध्येय कभी सिद्ध न कर सके, परंतु यदि भारत वर्ष को सुखी देश बनना है, तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह इस लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करे।" [हरिजन, **16-3-1947,** पृष्ठ **67]** आपने अभी देखा कि गांधी सभी लोगों को समान वेतन की बात करता हैं, लेकिन फिर वह जमीदारों का पक्ष लेता हैं। और अब आप देखिए, गांधी शूद्रों को संपत्ति रखने से मना कर रहा है।

"शूद्र, जो केवल सवर्णों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते हैं और जिनकी अपनी कोई संपत्ति कभी नहीं होती, जो वास्तव में किसी वस्तु को अपनाने की इच्छा भी नहीं करते, अभिनंदनीय हैं। देवतागण भी ऐसे पुरुषों पर पुष्प वर्षा किए बिना नहीं रह सकते।" **[Reference -** वर्ण व्यवस्था, पृष्ठ **51]**

अब देखते हैं गांधी के गांव में मशीन, बिजली, फोन, गाड़ी, जहाज होंगे या नहीं। तो इस पर गांधी मशीनों के पूरी तरह से खिलाफ थे। इस पर गांधी ने **1921** में ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। "**19** जनवरी, **1921** के 'यंग इंडिया' में गांधी ने लिखा- "क्या मैं विकास की घड़ी की सूई को पीछे घुमा देना चाहता हूं? क्या मैं मिलों के स्थान पर अब चरखा और हथकरघा लाना चाहता हूं? क्या मैं मिलों के स्थान पर बैलगाड़ी चलाना चाहता हूं? क्या मैं मशीनों को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहता हूं? इस प्रकार के प्रश्न पत्रकार एवं जनता के लोग मुझसे पूछते हैं। मेरा उत्तर है कि यदि मशीनें पूर्णतया गायब हो जाती हैं तो मैं इस पर आंसू नहीं बहाऊंगा और न ही इसे कोई आपदा मानूंगा।" **[Reference -** गांधी और गांधीवाद, अध्याय **2,** पृष्ठ **79]**

8 जनवरी, **1925** को काठियावाड के राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता के खास अवसर पर उन्होंने कहा - "असीम बढ़ती हुई निर्जीव मशीनों की पूजा करते-करते राष्ट्र थक गए हैं**………..**राह रोक देते हैं।" **[Reference-** गांधी और गांधीवाद, पृष्ठ **79]** (यहां गांधी श्रम करने पर जोर देते हैं। गांधी की 'हिन्द स्वराज' को जिस किसी ने पढ़ा होगा, उसे मालूम होगा उसमें गांधी आधुनिक सभ्यता के विरोधी हैं। गांधी पश्चिम की सभ्यता को शैतान की सभ्यता बोलते हैं।)

बंगाल में कपड़े की मिल (कंपनी) नहीं है, इसलिए लोगों ने अपना असली धंधा फिर से हाथों में ले लिया। बंगाल बंबई की मिलों को बढ़ावा देता है, वह ठीक ही है, लेकिन अगर बंगाल ने

तमाम मशीनों से परहेज किया होता, उनका बॉयकॉट किया होता, तो और भी अच्छा होता। यंत्र आज की सभ्यता की मुख्य निशानी है और वह महापाप है, ऐसा मैं तो साफ देख सकता हूं। बंबई की मिलों में जो मजदूर काम करते हैं, वे गुलाम बन गए हैं। जो महिलाएं उनमें काम करती हैं, उनकी हालत देखकर कोई भी कांप उठेगा। जब मिलों की वर्षा नहीं हुई थी, तब वे महिलाएं भूखी नहीं मरती थीं। मशीन की यह हवा ज्यादा चली, तो हिंदुस्तान की बुरी दशा होगी। यंत्र तो सांप का ऐसा बिल है, जिसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों सांप होते हैं। एक के पीछे दूसरा लगा ही रहता है। जहां यंत्र होंगे, वहां बड़े शहर होंगे। जहां बड़े शहर होंगे, वहां ट्रामगाड़ी और रेलगाड़ी होगी। वहीं बिजली की बत्ती की जरूरत रहती है। यंत्र का गुण तो मुझे एक भी याद नहीं आता, जबकि उसके अवगुणों से मैं पूरी किताब लिख सकता हूं। अंग्रेजों को बाहर निकाला, क्या आपने स्वराज पा लिया? अगर आप मानते हैं तो वह ठीक नहीं है। सच्चा स्वराज जो मैंने पहले बताया, वही होना चाहिए। उसे आप गोला-बारूद से कभी नहीं पा सकते। गोला-बारूद हिंदुस्तान को सधेगा नहीं। इसलिए सत्याग्रह पर भरोसा रखिए। अंग्रेज बोरिया-बिस्तर बांधकर अगर चले जाएंगे, तो हिंदुस्तान अनाथ हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर हमारे भाग में आपस में लड़ना ही लिखा होगा, तो हम लड़ मरेंगे। उसमें कमजोर को बचाने के बहाने किसी दूसरे को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसी से तो हमारा सत्यानाश हुआ है। **[Reference-** ग्राम स्वराज, पृष्ठ **94]**

"आप (इसी किताब का पृष्ठ **100)** रेलवे और फौज के लिए बेशुमार रुपये खर्च करते हैं, यह हमसे देखा नहीं जाता। हमें उसकी जरूरत नहीं मालूम होती। हमें विलायती या यूरोपी कपड़ा नहीं चाहिए। इस देश में पैदा होने वाली चीजों से ही हम अपना काम चला लेंगे।" पृष्ठ **101**

"भारत की सभ्यता सच्ची सभ्यता है। यूरोप की सभ्यता चार दिन की चांदनी है, यानी उसके बाद मिट्टी में मिल जाएगी।"

"ऐसी भूमि में देवों के निवास (पृष्ठ **36)** की कल्पना नहीं की जा सकती, जो मिलों और कारखानों के धुएं जोर-शोर से घृणा के लायक बना दी गई है, और जिसके मार्गों पर मुसाफिरों की भीड़ से भरी बेशुमार मोटर-गाड़ियों की खींचने वाले इंजन हमेशा तेजी से दौड़ते रहते हैं।" [स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स, महात्मा गांधी, पृष्ठ **353-54]**

पृष्ठ **163** "कपड़े की, शक्कर की और चावल की मिलों को हमारी मदद की जरूरत नहीं है**………** इसलिए यह शोध करते रहना हमारा स्पष्ट कर्तव्य है कि गांव के चरखे को, कोल्हू को, ओखली को किस रीति से जिंदा रखा जा सकता है। चरखे, कोल्हू को, ओखली के ही माल का प्रचार किया जाए। उसके गुणों को बतलाया जाए।" [हरिजन सेवक **17-8-34,** पृष्ठ **266]**

"संक्षेप में, मैं इतना ही कहूंगा कि हमें अपने नित्य के उपयोग के लिए सिर्फ वे ही चीजें खरीदनी चाहिए, जो कि गांव में बनती हों। हो सकता है कि गांव की बनी चीजें भद्दी या बेडौल हों, तब हमें चाहिए कि हम गांवों की कारीगरी को प्रोत्साहन देने का प्रयास करें, न कि यह दलील सामने रखकर उन चीजों को लेने से इनकार कर दें कि विदेशी अथवा बड़े-बड़े कल-कारखानों की बनी स्वदेशी चीजें गांवों की चीजों से कहीं बढ़िया होती हैं।" [हरिजन सेवक **30-11-1934,** पृष्ठ **388-89]**

"हर हिंदुस्तानी को इसे अपना धर्म समझना चाहिए कि जब-जब और जहां-जहां मिले, वहां वह हमेशा गांव की बनी चीजें ही काम में ले।" ग्राम स्वराज पृष्ठ **168** [रचनात्मक कार्यक्रम **1959,** पृष्ठ **26-27]**

"चरखे को मैंने गांव के उत्थान का सूर्य माना है।" पृष्ठ **169** [खादी **1959,** पृष्ठ **215-16]**

गांधी का यह तर्क देना कि मशीनों, मिलों और कारखानों से पूंजी कुछ ही हाथों में जाएगी, और इनसे धुआं, धूल, शोरगुल, गंदी हवा होती है, जिनसे बीमारियां फैलती हैं और मशीनों की वजह से युद्ध होते हैं, ये सब तर्क घिसे-पिटे और पुराने हैं, और इनमें कोई दम नहीं है। गांधीवाद रूसो, रस्किन, टॉलस्टॉय और उनके अनुयायियों के विचारों का केवल दुहराव है। गांधी के विचार आदिम युग के हैं, इनका आशय प्रकृति की ओर और पशु जीवन की ओर लौटने से है। मैं यह मानता हूं (बाबा साहब बोल रहे हैं) कि मशीनों की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन इस डर से हम पीछे तो नहीं लौट सकते। गांधी को चाहिए था कि वह इस समस्या का हल निकालते, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करते, ताकि मशीनों से हुआ लाभ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथों में सीमित न रहकर सर्वसाधारण तक पहुंच सके। और आज भी हम प्रदूषण को कम करने के तरीके विज्ञान हमें बताती है, गांधी को भी यही करना था। लेकिन गांधी तो उल्टे पैर पीछे को ही भाग रहे थे, वह न तो कोई उपाय ढूंढ़ना चाहते थे और न ही मुश्किलों का सामना करना चाहते थे। क्योंकि गांधी भगौड़ा थे। एक और बात, मशीनों से युद्ध या विनाश नहीं होता, क्योंकि यह तो बस व्यक्ति पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति के हाथ में वह मशीन है, यानी बंदूक बुरी या अच्छी नहीं होती, वह तो चलाने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। उसी तरह सभ्यता बुरी नहीं होती, उस में रह रहे लोग बुरे होते हैं।

दंत मंजन

Page 171 “कोई भी व्यक्ति शहरों के बने दंत मंजनो को छूएगा ही नहीं। वह तो लकड़ी के कोयले को महीन पीसकर और उसमे थोडा सा साफ नमक मिलाकर अपने घर में ही बढिया मंजन तैयार कर लेगा” **[** हरिजन सेवक **25-1-1935, page 460]**

सिनेमा नहीं होगा

[ग्राम स्वराज पृ० **15] -** “कारखानों में निरंतर एक ही प्रकार का काम करते करते मनुष्य की आत्मा मर जाती है और उसकी सूक्ष्म उदात्त भावनाएं नष्ट हो जाती है इसके फलस्वरूप वह मनोरंजन के लिए नैतिक पतन करने वाले सिनेमा गृहों**,** शराब की दुकानों और वेश्यालयों की शरण लेता है और इस प्रकार कारखाने के थकाने और ऊबाने वाले काम की क्रूरता से भागने का मिथ्या प्रयत्न करता है। **(** यहाँ गाँधी सिनेमा का विरोध कर रहा है “

शिक्षा

तालीम का अर्थ क्या है? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षरज्ञान ही हो, तो वह तो एक साधन जैसी ही हुई। उसका उपयोग अच्छा भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। [ग्राम स्वराज, पृष्ठ **88**] यह बात अगर ठीक है, तो इससे यह साबित होता है कि अक्षर-ज्ञान से दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है।

शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान ही होता है, यानी लोगों को लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना, जो बुनियादी या प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। एक किसान ईमानदारी से खुद खेती करके रोटी कमाता है। उसे मामूली तौर पर दुनियावी ज्ञान है—अपने माँ-बाप के साथ कैसे बरतना, अपनी स्त्री के साथ कैसे बरतना, बच्चों से कैसे पेश आना, जिस देहात में वह बसा हुआ है वहां उसकी चाल-ढाल कैसी होनी चाहिए, इस सबका उसे काफी ज्ञान है। लेकिन वह अपने दस्तखत करना नहीं जानता। इस आदमी को आप अक्षर-ज्ञान देकर क्या करना चाहते हैं? उसके सुख में आप कौन सी बढ़ोतरी करेंगे? क्या उसकी झोंपड़ी या उसकी हालत के बारे में आप उसके मन में असंतोष पैदा करना चाहते हैं? ऐसा करना हो, तो भी उसे अक्षर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। [पृष्ठ **89**]

अब ऊंची शिक्षा को लें। मैं भूगोल-विद्या सीखा, खगोल-विद्या (आकाश के तारों की विद्या) सीखा, बीजगणित भी मुझे आ गया, भूगर्भ विद्या को भी मैंने पी लिया, लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना कौन सा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया? किस मकसद से मैंने वह ज्ञान हासिल किया? उससे मुझे क्या फायदा हुआ?

इसलिए, प्राइमरी-प्राथमिक शिक्षा को लीजिए या ऊंची शिक्षा को लीजिए, उसका उपयोग मुख्य बात में नहीं होता। उससे हम मनुष्य नहीं बनते—उससे हम अपना कर्तव्य (फर्ज) नहीं जान सकते। [पृष्ठ **90**] अगर मैंने ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाई होती, तो मैं नहीं मानता कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता।"

यहां गांधी सही कह रहा है कि अगर किसान को दस्तखत करना सिखा दिया या उसे गणित पढ़ना, खगोल-विद्या सिखा दी तो उससे उसका भला नहीं होगा क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। गांधी के स्वराज में आपको टेक्नोलॉजी, नौकरी, फौजी, तोपें, ये सब देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप इन सबके बारे में सीखकर क्या करेंगे? गांधी के स्वराज में वर्णव्यवस्था है, यानी वैश्या लड़की वैश्या ही रहेगी, और भंगी भंगी ही रहेगा, किसान किसानी ही करेगा। तो अंग्रेजी या किसी भी तरह की पढ़ाई की क्या जरूरत है? गांधी सही बोल रहे हैं कि प्राथमिक या ऊंची शिक्षा से हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य (फर्ज) नहीं जान सकते।

[Page 90] “हमारे पुराने स्कूल ही काफी हैं। वहां नीति को पहला स्थान दिया जाता है। वह सच्ची प्राथमिक शिक्षा है।”

[Page 91] “करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी।”

बालक जब पक्की उम्र के हो जाएं, तब भले ही वे अंग्रेजी शिक्षा पाएं, और वह भी उसे मिटाने के इरादे से, न कि उसके जरिये पैसे कमाने के इरादे से। ऐसा करते हुए भी हमें यह सोचना होगा कि अंग्रेजी में क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, यह भी हमें सोचना होगा।

[Page 92] जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं, उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा।

सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर एक पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिन्दू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फारसी का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। वह हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तरी और पश्चिमी हिन्दुस्तान के लोगों को तमिल सीखनी चाहिए।

पाठक: आपने जो धर्म की शिक्षा की बात कही, वह बड़ी कठिन है।

गाँधी: फिर भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हिन्दुस्तान कभी नास्तिक नहीं बनेगा। हिन्दुस्तान की भूमि में नास्तिक फल-फूल नहीं सकते।

(गांधी यहां सबको हिंदी सिखाने की बात कर रहा हैं, जबकि गांधी ने अपने बेटे को दक्षिण अफ्रीका में गुजराती में न पढ़ाने के कारण स्कूल नहीं भेजा। तो फिर गांधी सबको या किसी को गुजराती भाषा सीखने को क्यों नहीं कहता? "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" में गांधी कह चुका है कि मैं गुजराती होने की वजह से देश की ज्यादा सेवा कर सकता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। दरअसल, नेहरू और कांग्रेस हिंदी क्षेत्र से थे, तो गांधी भी हिंदी का प्रचार करने में लगा था)

[Page 55] “यह मानना कि किताबों से ही, मेज, कुर्सी पर बैठने से ही ज्ञान मिलता है, बुद्धि का विकास होता है, घोर अज्ञान और भारी वहम है। हमें तो इसमें से निकल ही जाना चाहिए।”

[सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **Page 114]** पर गांधी टॉलस्टाय आश्रम में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि गांधी को वर्तमान पद्धति पसंद नहीं थी। लेकिन सच्ची पद्धति क्या होती है, यह भी गांधी को नहीं पता था। वह इतना समझते थे कि आदर्श स्थिति में सच्ची शिक्षा तो मां-बाप की निगरानी में ही हो सकती है।

(इसी कारण से गांधी ने अपने बच्चे पढ़ाए नहीं और खुद ने भी कभी पढ़ाए नहीं। अब अगर आप यह कहेंगे कि गांधी को समय नहीं मिला था, तो यही बात मैं करूंगा और माता-पिता के पास समय कहां से आएगा?)

देखें "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" **[Page 13, 15, 23]**

“मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था, पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था।” (क्योंकि गांधी तो पढ़ाई में होशियार नहीं था, जब गांधी विदेश पढ़ने गया था, वहां भी गांधी से पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि वह होशियार नहीं था)

इस किताब के **Page 15** पर **4** क्लास से अंग्रेजी में पढ़ाई होने लगती थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता था, ‘भूमिति’ एक सरल किताब थी, उसे भी मैं पढ़ नहीं पाता और न समझ पाता। शिक्षक अच्छी तरह समझाते थे, फिर भी। संस्कृत ने तो और परेशान कर दिया था।

(गांधी को खुद किसी भाषा का ज्ञान नहीं था और वह बच्चों को तमिल, उर्दू, फारसी-अरबी, संस्कृत पढ़ाने लग जाता था, देखें "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" **[Page 115]** पर।

आत्मा की शिक्षा के लिए गांधी बच्चों से भजन गवांते थे। दरअसल, गांधी सबको गंवार बनाना चाहते थे। [सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **Page 123]**)

मि. केलनबैक, दक्षिण अफ्रीका का गांधी का मित्र था, वह गृह-निर्माण कला का काम करते थे और उनका धंधा खूब अच्छे से चल रहा था, लेकिन गांधी लिखता है, "वे हिन्दुस्तान आ चुके होते तो आज एक सुंदर किसान और बुनकर बनकर सादा जीवन बिताते होते।" वह पासपोर्ट न मिलने की वजह से भारत आ नहीं पाए थे।”

(जिस व्यक्ति का गृह-निर्माण कला का धंधा अच्छे से चल रहा है, फिर भी गांधी उसको गंवार बनाना चाहता है। खुद तो बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड भाग गया था)

गांधी बच्चों के खेलने-कूदने के भी खिलाफ था। उनको सिर्फ गंवार वाले काम में ही लगाए रखता था। [सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **Page 114]** पर बच्चों (विद्यार्थियों) से बड़े-बड़े गड्ढे खुदवाना, पेड़ काटना, बोझ उठाकर ले जाना ऐसे काम कराता था। जिन्हें करने में विद्यार्थी परेशान हो जाते थे और वह खेलने-कूदने के लिए भी नहीं जा पाते थे क्योंकि गांधी का कहना था, इन कामों को करने के बाद कसरत या खेलकूद की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई के लिए उनको सिर्फ **3** घंटे ही दिए जाते थे, यानी **3** घंटे क्लास चलती थी। अंग्रेजी भी सबको सिखाई जाती थी। यहां अंग्रेजी इसलिए पढ़ाई जाती थी क्योंकि वह दक्षिण अफ्रीका था और वहां अंग्रेजी जरूरी बन गई थी, और गांधी के कई सारे मित्र भी अंग्रेज थे। अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ाते तो वह सवालों के घेरे में आ जाते, वहीं भारत में गांधी अंग्रेजी का पूरी तरह से बहिष्कार करने लग जाता है क्योंकि न तो यहां अंग्रेजी की जरूरत थी और न यहां सवालों के घेरे में था गांधी।

लेख भी साफ होना चाहिए

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **page 14]** मैं नहीं जानता कि पढाई में सुंदर लेख जरूरी है जब में विदेश गया पढ़ने तो वहां सुंदर लेख देखकर मैं शरमाया और पछताया। **Page 15** गांधी की शादी की वजह से उसकी एक कक्षा की पढाई मारी गई थी तो उसने एक साल में दो कक्षाओं की पढाई की थी **3 class** की और **4 class** की।

जानवर बनके काम करो –

Page 56: "ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण श्रम द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किया और कहा कि श्रम किए बिना जो खाते हैं, वे चोर हैं।" [यंग इंडिया, **13-10-1929** पृ. **325]**

Page 60: "हर गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का सारा अनाज और कपड़े के लिए कपास खुद पैदा कर ले।" [हरिजन सेवक, **2-8-1942** पृ. **243]**

[ग्राम स्वराज, **Page 61]:** "हर एक की अपनी पूरी और बराबरी की जगह होगी।" [हरिजन सेवक-**28-7-1946** पृ. **236]**

Page 64: "भगवदगीता के तीसरे अध्याय में लिखा है कि यज्ञ किए बिना जो खाता है, वह चोरी का अन्न खाता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ शरीर-श्रम या रोटी-मजदूरी ही प्रतीत हो सकता है।"

बाइबल कहती है - "अपनी रोटी तू अपना पसीना बहाकर कमा और खा!" [मंगल प्रभात **1958,** पृ. **41-44]**

(यहाँ गांधी गीता के यज्ञ का अर्थ अपने मन मुताबिक निकाल रहा है, जबकि वहां वैश्य और क्षत्रियों को यज्ञ करने को कहा गया है ताकि ब्राह्मणों का भला हो सके। दूसरा, गांधी दूसरे धर्मों को भी अपनी बात सही ठहराने के लिए घसीट लेता है। एक जगह गांधी कहता है कि मुहम्मद ने भी आज की सभ्यता को शैतान की सभ्यता कहा है। और यहाँ शरीर श्रम को सही ठहराने के लिए बाइबल घसीट दिया। **Page 91** पर सिक्खों को भी घसीट दिया।)

Page 65: "पहले आपको खेती का श्रम करना है, जो खेती नहीं कर सकते, वह दूसरा श्रम करें - कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारी।" [मंगल प्रभात - **1958** पृ. **41-44]**

Page 66: "क्या मनुष्य अपने बौद्धिक श्रम से अपनी आजीविका नहीं कमा सकते? नहीं। शरीर की आवश्यकताएं शरीर द्वारा ही पूरी होनी चाहिए।" [हरिजन **29-6-1935** पृ. **156]**

“बौद्धिक श्रम शरीर श्रम से निश्चित रूप में श्रेष्ठ हो सकता है। अक्सर होता है**,** लेकिन वह शरीर श्रम का स्थान कभी नहीं लेता और न कभी ले सकता है।**” [**हिन्दी नवजीवन **- 5-11-1925** पृ**. 15]**

शहर न हों

हिंद स्वराज **page 62]** पूर्वजो ने सोचा कि बड़े शहर खडे करना बेकार की झंझट है उनमें लोग सुखी नहीं होंगे। उनमे ठगों की टोलियों और वेश्याओं की गलियां पैदा होंगी, गरीब अमीरो से लुट जायेंगे इसलिए उन्होने छोटे देहातो में संतोष माना। उन्होंने देखा कि राजाओ और उनकी तलवार के बनिस्बत नीति का बल ज्यादा बलवान है। इसलिए उन्होंने राजाओं को नीतिवन पुरुषो ऋषियों और फकीरो - से कम दर्जे का माना।

(गांधी बोल रहा है **india** में शहर नहीं थे तो हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी क्या? राजाओ को **control** करने के लिए ऋषि मुनि को राजा से उपर रखा है। लेकिन हम क्यो तीसरे आदमी पर विश्वास करें। हो सकता है ऋषि मुनि राजा से मिलकर हम पर हुकुमत करे **[**हिंद स्वराज **page 57]** पर गांधी ही बोल रहा था "दो लोगो की लडाई में तीसरे व्यक्ति यानि अदालत का क्या काम हम उसके फैसले पर क्यों विश्वास करें" यही नियम यहां भी लागू होता है हम ऋषि मुनि परं क्यों विश्वास करें। जब ऋषि मुनि हमारी जाति से है ही नहीं। **[**हिंद स्वराज**Page 63]** गांधी बोलता है "पहले लोग अदालतों में नहीं जाते थे" यह बात इण्डिका' में लिखी है। घरों में ताले नही लगे होते थे। लोग अदालतों में नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ झगडे नहीं होते थे।

तर्क:

गांधी के मुताबिक भारत गाँवों का देश था, शहर नहीं थे। लेकिन हकीकत ये है कि:

❖ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताएं (जो **4000** साल पहले की हैं) — ये पूरे प्लान के साथ बने शहर थे।

❖ वहाँ सड़कों की योजना, नालियों की व्यवस्था, अनाज रखने के गोदाम, बड़े-बड़े भवन, स्नानघर, और व्यापारिक मंडियाँ थीं। यानि ये सभ्यता 'गांव वाली' नहीं बल्कि पूरी तरह से शहर आधारित सभ्यता थी।

निष्कर्ष:

गांधी का "भारत में शहर नहीं थे" कहना इतिहास के प्रमाणों के खिलाफ है। तुम्हारा सवाल – हम क्यों माने ऋषियों को? वे तो राजा से मिलकर भी हुकूमत कर सकते हैं।

बहुत ही सटीक बात है ये। चलो अब इसे तर्क से समझते हैं:

❖ राजा तो सत्ता में है, पर अगर ऋषि-मुनि उसके फैसलों को 'धर्म' कहकर सही ठहराने लगें, तो फिर आम आदमी क्या करे?

❖ जब ऋषि-मुनि खुद ब्राह्मण जाति के हैं, और आम जनता, खासकर शूद्र, दलित, किसान अगर उनसे अलग जातियों के हैं — तो उनका हमारे ऊपर फैसला लेना क्या सही है।

"दो लोगों की लड़ाई में तीसरे व्यक्ति का क्या काम? अदालत पर क्यों विश्वास करें?"

तो सवाल बिल्कुल सही है:

➤ जब गांधी खुद अदालत (तीसरे व्यक्ति) को अनावश्यक कहता है,

➤ तो ऋषि-मुनियों की 'ऊँचाई' क्यों मानें?

जब वो हमारी जाति के ही नहीं, और हमारे अनुभव की बात नहीं करते, तो उन्हें धर्म का ठेकेदार क्यों मानें। गांधी खुद अपने विचारों में फंस जाता है — एक ओर कहता है अदालत (तीसरा आदमी) सही नहीं, दूसरी ओर राजा से ऊपर ऋषि (तीसरा आदमी) को रखता है।

जब ऋषि-मुनि जनता से नहीं, ब्राह्मणों से हैं, तो ये भी एक तरह की ब्राह्मण सत्ता ही है, जो जनता पर थोपी गई है।

☑ शहरों का विरोध करता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता ऐतिहासिक शहर है।

☑ राजा से ऊपर ऋषि को रखता है, जबकि वो भी तो सत्ता ही है – बिना जनता की भागीदारी के।

☑ शिक्षा का विरोध करता है, जिससे जनता जागरूक न हो।

[ग्राम स्वराज पृ०**16]**अपने ता० **5-10-1945** के पत्र में गांधी ने पंडित नेहरू को लिखा- **"**मै यह मानता हूं कि अगर हिन्दुस्तान को सच्ची आजादी पानी है' और हिन्दुस्तान के मारफत दुनिया को भी, तब आज नहीं तो कल देहातों में ही रहना होगा; झोपडिपो में, महलों में नहीं।**.......**उस सत्य और अहिंसा का दर्शन हम देहातों की सादगी में ही कर सकते हैं।**...........**मुझे कोई डर नहीं है कि दुनिया उल्टी ओर ही जा रही दिखती है। यो तो पतंगा जब अपने नाश की ओर जाता है, तब सबसे ज्यादा चक्कर खाता है और चक्कर खाते खाते जल जाता है। हो सकता है हिन्दुस्तान इस पतंगा के चक्कर में से न बच सके । मेरा फर्ज है कि आखिर दम तक उसमे से उसे (हिन्दुस्तान को) और उसके मारफत जगत को बचाने की कोशिश करूँ"

Page 17,42,शहरों को वे (गाँधी) गांवों के शोषण का साधन मानते थे। उन्होंने शहरों को राष्ट्र के समाज शरीर को पीड़ा और कष्ट देने वाले फोडे भी कहा है।

[हिन्द स्वराज पृ०**94][** ग्राम स्वराज पृ०**17,42, 44,45]**

(गांधी स्कूल गया होता तो आज ऐसी बातें न करता कोई भी शहर जन्म से शहर नहीं होता पहले वो गांव ही होता है लेकिन उसमे विकास होने लगे तो वह शहर में तब्दील हो जाता है लेकिन जिस गांव में विकास नहीं वह अपनी पुरानी परंपराओ पर चलना पसंद करता है। तो उसका दिवाला तो निकलेगा ही। आज लोग सरकार से यह नहीं कहते हमको गांव ही चाहिए वो कहते है हमे मकान**,**सडक**,** लैटरिन**,** लाइट**,**पार्क**,**चाहिए नौकरी चाहिए।**)**

"ग्राम स्वराज **page 46** पर लिओनेल कार्टिस ने हमारे गांवो को घूरे के ढेर कहा है।

page 49 "गाँधी बोलता है अगर गांव नष्ट हो जाए**,** तो **-** हिन्दुस्तान भी नष्ट हो जाएगा। वह हिन्दुस्तान नहीं रह जाएगा।**" [** हरिजन **29-8-1936** पृ० २२६ **]**

पुलिस नहीं होगी

Page 50

गाँव की रक्षा के लिए ग्राम सैनिकों का एक ऐसा दल रहेगा, जिसे लाजिमी तौर पर बारी-बारी से गाँव के चौकी-पहरे का काम करना होगा।

[हरिजन सेवक **– 2-8-1942,** पृ**. 243-244]**

पुलिस के बिना मैं काम चला सकूँगा, यह कहने की मेरी हिम्मत नहीं; जैसे कि यह कहने की हिम्मत है कि बिना फौज के मैं काम चला लूँगा।

मैं ऐसी स्थिति की कल्पना जरूर करता हूँ जब पुलिस की भी ज़रूरत नहीं होगी — यह पुलिस आज की पुलिस से बिल्कुल भिन्न ही प्रकार की होगी। उसमें अहिंसा में विश्वास रखने वालों की भर्ती होगी। वे लोगों के सेवक होंगे, सरदार नहीं।

पुलिस के पास कुछ शस्त्र तो होंगे, पर उनका उपयोग शायद ही कभी होगा। ऐसा पुलिस का उपयोग मुख्यतः चोर-डाकुओं को काबू में रखने के लिए ही होगा।

[हिंद स्वराज**,** पृ**. 30]**

गाँधी गोलाबारूद, जंगी बेड़ा, फौज — इन सबके रखने के भी विरुद्ध है।

जिसके पास जमीन नहीं

Page 51

हर मकान के आसपास या आगे-पीछे इतना बड़ा आँगन हो, जिसमें गृहस्थ अपने लिए साग-भाजी लगा सकें और अपने पशुओं को रख सके।

[हरिजन**, 9-1-1937,** पृष्ठ **383]**

शारीरिक श्रम न करने वाले को खाने का क्या अधिकार हो सकता है?

[मंगल प्रभात**, 1958,** पृष्ठ **35]**

Page 56

ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण श्रम द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किया, और कहा कि श्रम किए बिना जो खाते हैं, वे चोर हैं।

[यंग इंडिया**, 13-10-1929,** पृष्ठ **325]**

Page 65

पहले आपको खेती का श्रम करना है। जो खेती नहीं कर सकते, वे दूसरा श्रम करें — कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारी।

[मंगल प्रभात**, 1958,** पृष्ठ **41-44]**

Page 66

क्या मनुष्य अपने बौद्धिक श्रम से अपनी आजीविका नहीं कमा सकते? — नहीं। शरीर की आवश्यकताएँ शरीर द्वारा ही पूरी होनी चाहिए।

[हरिजन**, 29-6-1935,** पृष्ठ **156]**

स्वावलम्बन बनो

Page 82

हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हमें समाज पर भार नहीं बनना चाहिए। स्वावलम्बी बन जाने के बाद हम अपना फालतू समय दूसरों की सेवा में लगाएंगे। अतएव, स्वावलम्बन का मतलब तो यह है कि लोग कपास से लेकर कपड़ा बनाने तक की सभी क्रियाएँ सीख लें, अनाज की मौसमी फसलें खड़ी करें, और मवेशियों के लिए घास-चारे का प्रबंध करें। अगर यह नहीं हुआ, तो भूखों मरने की नौबत आएगी।

[हरिजन सेवक, 5-4-1942, पृ. 098]

व्रत/खाना / कमी पूरी करो

Page 140 से **144** तक**:**

अब मैं आपको यह बता दूँ कि विदेशों से हमको मिलने वाले **3%** अनाज को लेने से इनकार करने के बाद हम किस तरह इस कमी को पूरा कर सकते हैं। यहाँ से आप खुद देख लें, पेज **144** तक गांधी हिन्दू-मुसलमानों के लिए व्रत-रोज़े बताता है। सलाद, कच्ची खब्जी खाने को बोलता है, ताकि अनाज की बचत की जा सके।

इसके साथ ही गांधी बोलता है—

"मैं आप लोगों का ध्यान प्रेसिडेंट ट्रूमैन द्वारा अमेरिकन जनता को दी गई उस सलाह की तरफ खींचूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकन लोगों को कम रोटी खाकर यूरोप के भूखों मरते लोगों के लिए अनाज बचाना चाहिए।"

(यहाँ बेवकूफ़ गांधी को यह नहीं पता कि तब यूरोप में संकट का समय था, इसलिए अमेरिका ने ऐसा बोला था। दूसरा, यह ज्यादा दिनों तक नहीं होता; यूरोप अपने को संकट से उभार लेता। नहीं तो दूसरे देश उसकी मदद करते — और अमेरिका ने मदद की भी। लेकिन यहाँ गांधी तो भारत को खुद ही संकट में डाल रहा है, भूखमरी की हालत पैदा कर रहा है। और यह कुछ दिनों की तो बात है नहीं — जो हम भूखे रहें। क्योंकि भारत विदेश की मदद लेगा ही नहीं, तो संकट से उभरेगा कब? क्या तब तक हम कच्ची सब्जी खाते रहें और रोज़े रखते रहें?)

भीख मांगना / भंडारा

Page 67 "मेरा वश चले तो जहां मुफ्त भोजन मिलता है, वे सब सदाव्रत मैं बंद कर दूँ। इससे राष्ट्र का पतन हुआ है और आलस्य, बेकारी, दंभ और अपराधों को प्रोत्साहन मिला है। इस प्रकार का अनुचित दान देश के भौतिक या आध्यात्मिक धन की कुछ भी वृद्धि नहीं करता और दाता के मन पुण्यात्मा होने का झूठा भाव पैदा करता है। जो भी हो, नियम यह होना चाहिए कि — मेहनत नहीं, तो खाना भी नहीं।" **[यंग इंडिया 13-8-1965, पृ० 282]**

भीख मांगने को प्रोत्साहन देना बेशक बुरा है, लेकिन मैं किसी भिखारी को काम और भोजन दिए बिना नहीं लौटाऊंगा। हां, वह काम करना मंजूर न करे तो उसे मैं भोजन के बिना ही चला जाने दूँगा। जो लोग शरीर से लाचार हैं — लंगड़े, लूले — उनका पोषण राज्य को करना चाहिए।" **[हरिजन, 11-5-1935, प्रष्ठ 99]**

"आपको अपने पसीने की रोटी कमाना पसंद होना चाहिए और भीख मांगने या दान लेने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।" **[हरिजनसेवक, 9-6-1946, प्रष्ठ 169]**

चरखा

Page 152 "उपयोगी मालूम होने वाले सारे उद्योगों को एक-एक कर छांटते-छांटते हम इस अनिवार्य परिणाम पर पहुंचते हैं कि लाखों लोगों के लिए एकमात्र सार्वत्रिक उद्योग कताई ही है, दूसरा कोई नहीं।" **[यंग इंडिया, 30-9-1926, प्रष्ठ 341]**

"जब हम एक बार (खादी के) उद्योग का पुनरुद्धार कर लेंगे, तो अन्य सब उद्योगों को उद्धार अपने आप हो जाएगा। मैं चरखे को केन्द्र बनाकर ऐसी व्यवस्था करूंगा कि उसके चारों ओर दूसरे उद्योग पनपते रहें।" **[यंग इंडिया, 21-5-1925, प्रष्ठ 177]**

"मुझे अपना अनुभव बताता है कि खादी को शहरों और गांवों दोनों में सर्वव्यापी बनाने के लिए यह जरूरी है कि खादी सूत के बदले में ही मिले।" **[ग्राम स्वराज, Page 154], [स्वराज थ्रू चरखा 1945, पृ० 5]**

"गांधी बोलता है — कांग्रेस ने चरखा अपनाया था, सही, लेकिन क्या उसने वह खुशी से अपनाया था? नहीं, वह तो चरखा मेरे खातिर बरदाश्त करती है।" **[खादी, 1959, पृ० 205-10]**

"चरखे को मैंने गांव के उत्थान का सूर्य माना है।" **[खादी, 1959, पृ० 215-16, Page 169]**

"गांधी बोलता है — मुझे याद नहीं पड़ता कि सन् **1908** तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी मैंने 'हिंद स्वराज' में यह माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी, उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन् **1915** में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें चरखा शुरू किया था। आश्रम में हम सब कलम चलानेवाले थे या व्यापार करना जानने वाले थे, हममें कोई कारीगर नहीं था। इसलिए चरखा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से चरखा मिला और एक सिखानेवाला आया। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार कर पहनने थे। इसलिए आश्रमवासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद कर दिया। चरखे पर मैंने भी हाथ आजमाया..........अब मैं केवल खादीमय बनने के लिए अधीर हो उठा। मेरी धोती देशी मिल के कपड़े की थी।"

दूध और चमड़े का कारखाना

“गोशाला से दूध मिलेगा, और कत्ल किए हुए ढोरों के नहीं बल्कि मरे हुए ढोरों के चमड़े से बने सस्ते और टिकाऊ जूते तैयार करके देगी। ऐसी गोशाला शहर के मध्य में या उसके आसपास कहीं नजदीक में एक या दो एकड़ जमीन पर नहीं हो सकती; वह तो शहर से दूर जंगल में **50** या **100** एकड़ जमीन पर हो सकती है। वहां डेरी और चमड़े का कारखाना भी होगा।” **(Page 172) [**हिन्दी नवजीवन**, 29-10-1925,** प्रष्ठ **85-86]**

“गांव में मरने वाले पशुओं पर भी स्वाभाविक रूप से ऐसी धार्मिक संस्था का ही अधिकार होना चाहिए।” **[**गोसेवा**, 1961,** प्रष्ठ **49]**

Page 178 — “चमार को मरे हुए जानवर की चीर-फाड़ में कला हासिल है। उससे चमड़ी को निकलवाओ, सिर्फ मरे हुए जानवरों का चमड़ा बनाया जाए।”

हाथ चक्की

Page 173 — “अगर धान को गांवों में उसी पुरानी रीति से ओखली और मूसल से कूटा जाए**,** तो कूटने वाली बहनों को तो रोज़ी मिलेगी। हमारे देश के जिन भागों में धान की फसल होती है**,** वहां प्रायः सब जगह धान कूटने के बड़े-बड़े कारखाने खुल गए हैं। इसका कारण है — मनुष्य की लोभवृत्ति।” **[**हरिजन सेवक**, 2-11-1934,** प्रष्ठ **357]**

“इस तरह इंजन वाली चक्कियों को रखने से आज देहात में चलने वाली पत्थर की चक्कियां बेकार हो जाएंगी। चक्की बनाने का उद्योग करने वाले लोग भी बेकार हो जाएंगे। इस तरह तो गांव के उद्योगों का और उनके साथ कला का भी लोप हो जाएगा।” **[**हरिजन सेवक**, 10-3-1946,** पृ० **040]**

साबुन

Page 180 — **“**साबुन जैसी चीजें सज्जी मिट्टी **(**एक प्रकार की खारी मिट्टी**,** जिसे खनिज सोडा भी कहते हैं**)** से घर में ही बनाकर ग्रामवासी साफ रहेंगे। उस साबुन में टाटा के या गोदरेज साबुन के कारखानों की खुशबू नहीं होगी**,** न वैसा सुहावना पैकिंग होगा**,** परंतु देहात के लिए खादी के जितना ही उपयोगिता और स्वावलंबन उसमें भरा होगा।**” [**खादी**, 1959,** पृ० **246]**

हाथ बना कागज

Page 180 — "कागज भी हाथ का बनाओ।**" [**हरिजन सेवक**, 31-8-1934,** पृ० **284]**

बैलगाड़ी

Page 184 — "खेतों में थोड़ी दूर के काम में पशुओं का उपयोग करना मशीन की ताकत से काम लेने की तुलना में महंगा नहीं पड़ता**,** और इसलिए अधिकांश बातों में पशु मशीन का मुकाबला कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बैलगाड़ी को लीजिए।**" [**हरिजन सेवक**, 3-7-1937,** प्रष्ठ **284]**

Page 188 — "और अगर हमारी हाथ-उद्योगों की सभ्यता को जिंदा रहना है**,** तो बैलों को जिंदा रहना ही होगा। आपको इस बात का पता लगाना चाहिए कि गांव में किसके ढोर **(**जानवर**)** सबसे अच्छे हैं और फिर इस बात की खोज करनी चाहिए कि वह उन्हें इतनी अच्छी हालत में कैसे रख सकता है। आप इसका पता लगाएं कि गांव में किस की गाय सबसे ज्यादा दूध देती है और यह जानें कि वह उसे किस तरह पालता और खिलाता है। आप गांव के सबसे अच्छे बैल और सबसे अच्छी गाय के लिए इनाम रख सकते हैं। आदर्श ढोरों के बिना हमारे गांव आदर्श नहीं बन सकते।**" [**हरिजन**, 15-9-1940,** प्रष्ठ **282]**

सामान पैसों से नहीं, सूत से खरीदो

Page 190 — “मेरी योजना में नकद (प्रचलित) सिक्का धातु नहीं, परंतु श्रम है। आप इसमें आपत्ति कर सकते हैं कि यह तो वस्तु के बदले वस्तु बदलने की पुरानी पद्धति की ओर लौटना है। लेकिन क्या सारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसी पद्धति पर आधारित नहीं है?” **[**हरिजन**, 2-11-1934,** पृ० **302]**

“मेरा अनुभव मुझे बतलाता है कि यदि खादी को शहरों और गांवों दोनों में सार्वत्रिक बनाना हो, तो वह सिर्फ सूत के बदले में ही सुलभ होनी चाहिए। मुझे आशा है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, लोग खुद ही सूत के सिक्के से खादी खरीदने का आग्रह करेंगे।” **[**स्वराज थ्रू चरखा**, 1945,** पृ० **5]**

“कातनेवाले सूत बदले में अपनी सामान्य दैनिक आवश्यकता की चीजें निश्चित भाव पर खरीद सकेंगे।” **[**हरिजन सेवक**, 18-1-1942,** प्रष्ठ **6]**

गांधी का विचार था — सूत को एक प्रकार की मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

वैद्य/डॉक्टर

Page 58

हमारे समाज में वैद्य का धंधा कभी अच्छा माना ही नहीं गया। अंग्रेजों ने डॉक्टरी विद्या से भी हम पर काबू जमाया है। मैं बहुत खाऊं और मुझे बदहजमी, अजीर्ण हो जाए, फिर से मैं डॉक्टर के पास जाऊं और वह मुझे गोली दे। गोली खाकर मैं चंगा हो जाऊं और दोबारा खूब खाऊं और फिर से गोली लूं। अगर मैं गोली न लेता तो अजीर्ण की सजा भुगतता और फिर से बेहद नहीं खाता। डॉक्टर बीच में आया और उसने हद से ज्यादा खाने में मेरी मदद की।

Page 59

यूरोप के डॉक्टर तो हद करते हैं। वे सिर्फ शरीर के ही गलत जतन के लिए लाखों जीवों को हर साल मारते हैं। जिंदा जीवों पर प्रयोग करते हैं। ऐसा करना किसी भी धर्म को मंजूर नहीं। डॉक्टर हमें धर्मभ्रष्ट करते हैं। उनकी बहुत सी दवाओं में चरबी या दारू होती है।

Page 60

डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनते हैं। उसमें परोपकार की बात नहीं है। जब ऐसा ही है तब भलाई का दिखावा करने वाले डॉक्टरों से खुले ठग वैद्य (नीम हकीम) ज्यादा अच्छे हैं।

Page 196

कुदरती इलाज के लिए बहुत बड़ी पंडिताई की या ऊंचे दर्जे की यूनिवर्सिटी की डिग्रियां प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। हिन्दुस्तान तो 7 लाख गांवों में बसा है। इन गरीबों के बीच आप बड़ी-बड़ी डिग्रियों वाले डॉक्टरों और अस्पतालों की कीमती चीजों के बड़े काफिले को किस तरह ले जाएंगे? उन्हें तो सादे कुदरती इलाज और रामनाम का ही आधार है।

[हरिजन सेवक, 7-4-1946, पृ. 69]

यह कोई वैद्य की दी हुई पुड़िया लेने की बात नहीं है और न अस्पताल जाकर मुफ्त दवा लेने या वहां रहने की बात है। जो मुफ्त दवा लेता है वह भिक्षुक बनता है, जो कुदरती उपचार करता है वह कभी भिक्षुक नहीं बनता। वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है और अच्छा होने का उपाय खुद ही कर लेता है।

[हरिजन सेवक, 2-6-1946, पृ. 165]

मेरा कुदरती इलाज तो सिर्फ गांव वालों के लिए ही है। इसलिए उसमें खुर्दबीन, एक्स-रे वगैरह का कोई स्थान नहीं है। और न ही कुदरती इलाज में कुनैन, एमिटीन, पेनिसिलिन वगैरह दवाओं

की गुंजाइश है। उसमें अपनी व घर की सफाई, गांव की सफाई का पूरा-पूरा स्थान है और बीमारी आ जाए तो उसे मिटाने के लिए कुदरत के सभी कानूनों पर अमल के साथ-साथ - रामनाम ही सच्चा इलाज है। यह इलाज सार्वजनिक नहीं हो सकता जब तक स्वयं इलाज करने वाले में रामनाम की सिद्धि न आ जाए।

Page 210 तक

रोगों के कुदरती इलाज बताता है जैसे- सिर में दर्द हो तो मिट्टी की पट्टी सिर पर रख लो। चाहे सिर में किसी भी कारण से दर्द हो रहा हो। सामान्य फुंसियों-फोड़े को भी मिट्टी मिटाती है। वर्म वगैरह के डंक पर व बिच्छू के डंक पर भी मैंने **(**गांधी**)** मिट्टी का खूब प्रयोग किया है।

[आरोग्य की कुंजी**, 1958,** पृ**. 41]**

सख्त बुखार में मिट्टी का उपयोग पेट पर रखने के लिए और सिर में दर्द हो तो सिर पर रखने के लिए मैंने किया है। टायफाइड में मैंने मिट्टी का खूब प्रयोग किया है।

[आरोग्य की कुंजी**, 1958,** पृ**. 41]**

मिट्टी न तो बहुत चिकनी होनी चाहिए और न बिल्कुल रेतीली। खाद वाली तो बिल्कुल हरगिज न होनी चाहिए। वह रेशम की तरह मुलायम होनी चाहिए। बारीक छलनी से छान लेना चाहिए। बिल्कुल साफ न हो तो उसे सेंक लेना चाहिए। मिट्टी सूखी होनी चाहिए।

[आरोग्य की कुंजी**, 1958,** पृ**. 42]**

Page 200

बारीक समुद्री रेती दस्त लाने के लिए उपयोग में ली जाती है, क्योंकि मिट्टी पचती नहीं। उसे कचरे की तरह बाहर निकलना ही होता है, और साथ-साथ वह मल भी निकालती है। लेकिन इसको मैंने कभी अनुभव नहीं किया है।

[आरोग्य की कुंजी**, 1958,** पृ**. 43]**

Page 200 पर गांधी कटिस्नान, चद्दर स्नान व घर्षण स्नान की विधि बताता है –

कटिस्नान सख्त बुखार को उतारने में काम आता है। यह स्नान भूखे पेट ही लेना चाहिए। इससे कब्जियत को भी लाभ होता है और अजीर्ण भी मिटता है। इस स्नान का मैंने बहुत उपयोग किया है, **100** में से **75** बार वह सफल हुआ है।

इसके बाद घर्षण स्नान की विधि बताता है गांधी –

मुझे जितना अनुभव कटिस्नान का है, उतना घर्षण स्नान का नहीं है। मैंने घर्षण स्नान का प्रयोग करने में आलस्य किया है। जननेन्द्रिय का उपयोग घर्षण स्नान के लिए करने और उसे साफ-

सुथरी रखने से ब्रह्मचर्य पालन में मदद मिलती है। इस इन्द्रिय के द्वारा व्यर्थ वीर्य स्खलन न होने देने की सावधानी बढ़ती है।

[आरोग्य की कुंजी, **1958,** पृ. **46-47]**

Page 202

शरीर में घमौरी निकली हो, पित्ती **(Prickly heat)** निकली हो, आमवात **(urticaria)** निकला हो, बहुत खुजली आती हो, खसरा या चेचक निकली हो, तब चद्दर स्नान उपयोगी सिद्ध होता है। मैंने इन रोगों में चद्दर स्नान का उपयोग छूट से किया है। मैंने देखा जब रक्त की गति मंद पड़ गई हो, पांव टूटते हों, तब बर्फ घिसने से बहुत फायदा होता है।

इसके बाद गांधी गर्म पानी के उपचार के बारे में बात करता है –

जो काम प्रसिद्ध दवा आयोडीन (या झंडू बाम) करती है, वही काम काफी हद तक गर्म पानी कर देता है। सूजने वाले भाग पर हम आयोडीन लगाते हैं, उस पर गर्म पानी की पट्टी रखने से आराम होने की संभावना है। कान के दर्द में आयोडीन की बूंदें डालते हैं, उसमें भी गर्म पानी की पिचकारी लगाने से दर्द शांत होने की संभावना है।

[आरोग्य की कुंजी, **1958,** पृ. **49-50]**

भाप के रूप में पानी बहुत काम देता है। रोगी को पसीना न आता हो तो भाप के द्वारा बहलाया जा सकता है। किसी के पांव कड़े हो गए हों या टूटते हों, तो एक गहरे बर्तन में गुनगुना पानी भर लें और पैर डाल दें तथा उसमें राई की भुक्की भी डाल दें। गले में बलगम हो तो भाप लें।

[आरोग्य की कुंजी, **1958,** पृ. **50-52]**

कहां सोएं

मनुष्य के सोने का स्थान आकाश के नीचे होना चाहिए। ओस और सर्दी से बचने के लिए काफी ओढ़ने को रखा जा सकता है। जब आंख खुलेगी तो वह प्रतिक्षण नया दृश्य देखेगा। इससे उसकी आंखें चौंधियाएंगी नहीं, बल्कि वे शीतलता का अनुभव करेंगी।

[आरोग्य की कुंजी, 1958, पृ. 55-56]

सूर्य स्नान कैसे करें

जैसे हम पानी का स्नान करके साफ-स्वच्छ होते हैं, वैसे ही सूर्य स्नान करके भी साफ और तंदुरुस्त हो सकते हैं। दुर्बल मनुष्य या जिसका खून सूख गया हो, वह यदि प्रातःकाल के सूर्य की किरणें नंगे शरीर पर ले, तो उसके चेहरे का फीकापन और दुर्बलता दूर हो जाएगी। और अगर पाचन क्रिया मंद हो तो वह जाग्रत हो जाएगी। नंगे बदन (बिल्कुल नंगे) हम धूप में टहल भी सकते हैं। कोई न देख सके, ऐसी जगह ढूंढ़कर यह क्रिया की जा सकती है। अगर इतना समय न हो, तो बारीक लंगोटी से निजी भागों को ढंककर सूर्य स्नान लिया जा सकता है।

[आरोग्य की कुंजी, 1958, पृ. 57]

***(private part** मतलब इसमें लड़की के स्तन भी आते हैं, लिंग व योनि भी)*

इसी पृष्ठ पर

ऐसे सूर्य स्नान से बहुत लोगों को लाभ हुआ है। क्षयरोग में इसका खूब उपयोग किया जाता है। कई बार फोड़े का घाव भरता ही नहीं है, उसे सूर्य स्नान दिया जाए तो वह भर जाता है।

[आरोग्य की कुंजी, 1958, पृ. 58]

Page 59

हेतु यही है कि भोले-भाले ग्रामवासियों को रहस्यमयी गोलियों और दवाओं के डर से दूर रखा जाए।

[हरिजन, 5-4-1935, पृ. 59]

दवाइयाँ

Page 207

कोई अपने पास रखना ही चाहे तो अंडी का तेल, कुनैन और उबला हुआ पानी - ये सब बढ़िया दवाइयाँ हैं। अधिकांश ज्वर तो पूर्ण या अर्ध उपवास से ही शांत हो जाते हैं। अन्न और दूध को छोड़ देना और फलों का रस अथवा मुनक्के का उबला हुआ पानी लेना, तथा नींबू के ताजे रस या इमली के साथ गुड़ का उबला हुआ पानी लेना भी अर्ध उपवास है।

[हरिजन सेवक, 17-5-1935, पृ. 104]

इसी पृष्ठ पर गांधी लिखता है –

जहां ग्रामसेवक खुद किसी निश्चय पर न पहुंच सकें, वहां उन्हें स्थानीय वैद्यों का, अगर वैद्य न हो तो पड़ोसी डॉक्टर का सहयोग लेना चाहिए। लेकिन ठीक इसके नीचे ही गांधी यह बोल देता है – उन्हें याद रखना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ वैद्य तो प्रकृति ही है।

(गांधी ने अब जो वैद्य, डॉक्टर का बहिष्कार की बात की है, वह उसकी नहीं, उसके धर्म की है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में ये सब लिखा है, उसमें लोहार, सुनार, वैद्य – सभी को गाली दी गई है।)

Page 209

गांव में जो लोग दवा बांटते हैं, वह गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं है। गांधी बोलता है – सेवा के जितने भी तरीके हैं, उनमें यह सामाजिक सेवा मुझे सबसे ज्यादा काहिल और अक्सर हानिकारक मालूम होती है। इसकी बुराई का आरंभ तो तभी हो जाता है जब कि मरीज यह समझने लगता है बस दवा गटक जाने के सिवा मुझे और कुछ नहीं करना है। दवा पाकर वह आगे के लिए सावधान बने ऐसा नहीं होता। जैसा कि सिन्दी गांव में हमें मालूम होता जा रहा है। कि बहुत से रोगों में तो गरम पानी, धूप, साफ नमक और सोडा के साथ कभी-2 अंडी के तेल व कुनैन का प्रयोग करने से ही काम चल जाता है। **[- हरिजन सेवक 16-11-1935 page 318]**

(गांधी सामाजिक सेवा से बिल्कुल नफरत करता है चाहे उसमें आप किसी खाने का भण्डारा कराओ या दवा बाटो। यहां गांधी जितने भी इलाज बता रहा है वह सभी उसके नहीं है वह इलाज किसी और की किताब से उठाकर हमको बता रहा है **Ex -** मिट्टी का इलाज जुस्टने की किताब 'रिटर्न टु **Nature'** से उठाया है। कटि स्नान, घर्षण स्नान,क्यूमे के हैं। इसी **book page 210** पर क्यूने को जुस्टने बताया गया है**)**

दूध

ग्राम स्वराज,पेज **211** [आरोग्य की कुंजी, **1958,** पृ०**8-18]-** दूध को हम किसी भी तरह शाकाहार नहीं मान सकते। सच पूछा जाए तो वह मांस का ही एक रूप है। जो गुण मांस में है वे अधिकतर दूध में भी है। मैं शाकाहार का पक्षपाती हूं। परन्तु अनुभव से मुझे यह स्वीकार करना पड़ा है,कि दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे मक्खन, दही वगैरा के बिना मनुष्य शरीर पूरी तरह टिक नहीं सकता। मैंने दूध घी के बगैर **6** वर्ष निकाले है। उस समय मेरी शाक्ति में किसी तरह की कमी नहीं आई थी। पर अपनी मूर्खता के कारण मुझे **1917** में सख्त पेचिश हो गई। मेरा शरीर हाड़ पिंजर बन गया। मैंने हठपूर्वक दवा न ली और उतने ही हठ से दूध या छाछ भी लेने से इनकार किया। शरीर किसी तरह बनता ही नहीं था। मैंने दूध न लेने का व्रत लिया था। लेकिन डॉ० व अपनी पत्नी के कहने पर मैंने बकरी का दूध लिया था। इस पर से और ऐसे अनेक दूसरे अनुभवों पर से मैं लाचार होकर दूध का पक्षपाती बना हूँ। लेकिन मेरा यह दृढ मत है कि असंख्य वनस्पतियों में से कोई न कोई ऐसी जरूर होगी, जो दूध और मांस की आवश्यकता पूरी तरह पूरी कर सके और उनके दोषों से मुक्त हो। मेरो दृष्टि से दूध और मांस लेने में दोष तो है ही। मांस के लिए हम पशु-पक्षियों का नाश करते हैं। जानवरों को भी रोग होते है इसीलिए उनका दूध नहीं पीना चाहिए। और मां के दूध के सिवा दूसरा दूध पीने का हमें अधिकार नहीं है।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **page 94 -** यहाँ गाँधी का बेटा मणीलाल बीमार हो जाता है तो **doctor** उसको माँस और अंडा बताता है तो गाँधी यह कहकर उनकी मना कर देता है कि इन सबकी मेरे धर्म में मनाई है। मैं उसको पानी का उपचार दूंगा इस बीच वह गाँधी अपने बेटे का **40** दिन तक दूध और पानी तथा फलों के रस पर उसका उपचार करता है।

राजनीतिक पार्टी से दूर रहो

page 240 जब गांवो की भलाई का ख्याल न रखते हुए अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए गांवों का उपयोग करने के ख्याल से राजनीतिनिक सत्ता की बू हमारे गांवो में पहुंचती है तो उससे ग्रामवासियो को मदद मिलने के बजाय उनकी तरक्की में रुकावट डालती होती है। मैं तो कहूंगा कि चाहे जो नतीजा हो, हमें ज्यादा मात्रा में स्थानीय मदद लेनी चाहिए; और अगर हम राजनीतिक सत्ता हडपने की बुराई से दूर रहे। तो हमारे हाथो कोई गलतो होने की संभावना नहीं रहती।

(इससे पहले गांधी कह चुका है कि हमे अपने फैसले किसी तीसरे व्यक्ति यानि अदालत के हाथों नहीं करने चाहिए बल्कि खुद ही निपटा लेने चाहिये यानि पंचायत से। और ये बात यही बताई जा रही है। क्या यह वही गाँधी है जो अछूतो के राजनीतिक अधिकार छीनने के लिये अपनी जान की बाज़ी लगा दी सुभाष चंद्र को हटाकर नेहरू को बिठाया सरदार पटेल को हटाकर नेहरू को बैठाया क्या गाँधी तब राजनीति नहीं खेल रहा था अंबेडकर के शब्दों में -गांधी और राष्ट्रपति लिंकन के विचारों में अंतर था कि लिंकन नीग्रो लोगों का उद्धार करने के लिए तैयार हो जाते यदि ऐसा करना वह संघ को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक समझते। इसके बरक्स गांधी अछूतो को राजनीतिक विस्तार देने के लिए तैयार नहीं है चाहे वह स्वराज के लिए जरूरी ही क्यों न हो।)

(हरिजन सेवक **2-3-19 47 page 36]**

स्वराज के द्वारा हमारे सारे विश्व की सेवा करेंगे **]** यंग इंडिया **16-4-1939 page 79]**

(स्वराज बाला व्यक्ति अपने पड़ोसी की सेवा से बाहर निकल नहीं पा रहा वह क्या खाक सेवा करेगा दुनिया की**)**

जाति

कुछ लोग ये कहेंगे कि गांधीवाद में जाति नहीं सिर्फ वर्ण है तो बता दू गाँधी ने कभी भी जाति की बुराई नहीं की गांधी ने बस उसे काल-असंगत कहा है। दूसरी बात जाति क्या चाहती भोजन और विवाह रोखना वही वर्ण व्यवस्था करती है भोजन और विवाह रोखना ।

गांधी का स्वराज लिकन के संघ जैसा - अमरीका गृहयुद्ध में संघ और दासता दो प्रश्नों के बारे में राष्ट्रपति लिंकन का आचरण याद आता है... .. . . (गाँधी और गाँधीवाद **Page 69,70,71)**

गांधी और राष्ट्रपति लिंकन के विचारों में अंतर था कि लिंकन नीग्रो लोगों का उद्धार करने के लिए तैयार हो जाते यदि ऐसा करना वह संघ को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक समझते। इसके बरक्स गांधी अछूतो को राजनीतिक विस्तार देने के लिए तैयार नहीं है चाहे वह स्वराज के लिए जरूरी ही क्यों न हो।

(स्वराज से पहले हिंदुओं के दिल दिमाग से छूआछूत का गोबर निकालना बहुत जरूरी है और गांधी ने छूआछूत खत्म करने के लिए कभी कुछ नहीं किया, हां कांग्रेस व हरिजन सेवक संघ ने कुएं स्कूल खोले जरूर थे। लेकिन उन्होंने कभी एक ही कुएं से अछूत हिन्दू को पानी लेने को नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो अछूतों को अलग कुएं खुदवा दिये। इससे छूआछूत खत्म कहा हुई? हिन्दू धर्म ने सबको अपने में समा लिया लेकिन अस्पृश्यता को समा न सका,अल्लाहउपनिषद जिसे अकबर के शासन-काल के ब्राह्मणों ने अकबर के दीन-ए-इलाही को हवा देने के लिए तैयार किया था। और उसे हिंदू धर्म के सप्तम दर्शन की मान्यता दे दी थी। व भविष्यपुराण में अकबर को रानी विक्टोरिया को जगह दी इज्जत दी। गोमांस भक्षण करने वालो को (हिंदू धर्म) साफ तौर पर ब्राह्मववाद के अहिंसावादी सिद्धांत्वन्तवाद को अपने में समाहित कर लिया और पूर्ण शाकाहारी धर्म बन गया। यदि हिंदू धर्म आदिकाल में ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता था। बाद में बौद्ध धर्म जैन धर्म से शाकाहारी बन गया। हिंदुओं ने अल्लाहउपनिषद लिखा क्योंकि अकबर द्वारा नए धर्म की स्थापना से अकबर की सहायता का लालच था। **24** करोड़ हिंदुओं में **6** करोड अस्पृश्य अधिकतर भंगियों और झाडू लगाने वालों के रूप में हिंदुओं के घरों की सफाई का काम ही तो करते है? क्योंकि हिन्दु धर्म के अनुसार उस गंदे काम को ब्राह्मण खुद नहीं कर सकता। यहा तक की हिन्दू धर्म के अनुसार घर में शौचालय तक नहीं बना सकते। देखें **toilet** मूवी।

शासक वर्ग प्रजातंत्र और स्वराज का विरोधी होता है। भारत में शासक वर्ग ब्राह्मण है। तो कांग्रेस किसके लिए आजादी की लड़ाई लड़ रही थी? क्या वह शासक वर्ग के लिए लड़ रही है या भारत के लिए? ब्राह्मण को जघन्य से जघन्य अपराध करने पर भी मृत्यु दण्ड नहीं दिया था सकता.)

स्वराज झूठा

1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई, यानी एक संविधान बनाया था, जिसका नाम 'नेहरू रिपोर्ट' था। यह लार्ड इरविन के पास लेकर गए इस रिपोर्ट को, इसमें इन्होंने अपने लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसको भगा दिया, यानी इरविन ने। फिर जवाहरलाल नेहरू को इससे बेइज्जती महसूस हुई, और **1929** में इसने 'पूर्ण स्वराज' की मांग कर दी। और यह कह दिया कि आज से ही देश आज़ाद हो गया और **26** जनवरी **1930** को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया और कहा कि हर **26** जनवरी को हम तिरंगा झण्डा लहराएंगे। और तभी से हम **26** जनवरी को झण्डा लहराते आए हैं, जबकि **26** जनवरी को कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि संविधान **26** नवम्बर **1949** को बन गया था लेकिन उसको जानबूझकर **26** जनवरी **1950** को ही लागू कराया गया था।

जब से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया है, तब से सन् **1886** तक भारतीयों ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उन पर कौन शासन कर रहा है अथवा किस प्रकार का शासन किया जा रहा है। क्योंकि राजा तो आते-जाते रहते थे लेकिन प्रजा वही की वही रह जाती थी और उनके बारे में कोई सोचता ही न था। सन **1886** में कांग्रेस की स्थापना हुई और वह पहला अवसर था जब से भारतीयों ने देश के शासन में दिलचस्पी लेना आरंभ किया। परंतु कांग्रेस ने भी **1910** तक केवल ठीक-ठाक सरकार के लिए ही आंदोलन किया।

सन् **1910** में कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वायत्त शासन की मांग की, यानी डोमिनियन स्टेट की। जब सन् **1919** में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए, तब भारतीयों को स्वायत्त शासन की मांग उठाने का ध्यान आया। भारतीयों ने **1917** में **19** मांगों का ज्ञापन तैयार किया था। सभी जानते हैं कि उस समय भारतीय अधिकतर प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली से ही संतुष्ट थे। सर दिनेश वाचा और माननीय समरनाथ व राहुल गाँधी जैसे कुछ भारतीय नेता इसे भी भारतीयों की लंबी-लंबी छलांग मानते थे।

(मांटेग्यू ने अपनी इंडियन डायरी में यह लिखा है कि जब उन नेताओं ने राजनीतिक सुधार के प्रश्न पर मुझसे बात की तो उन्होंने कहा — "सरकार पर प्रभाव डालने के प्रस्ताव पास करने का अधिकार हमें दिया जाए, जिसे हम मृदु स्वर में सरकार के सामने प्रयोग कर सकें। परंतु हम उत्तरदायी सरकार बनाने के योग्य नहीं हैं।"

उत्तरदायी सरकार का अर्थ — जनता के प्रति जवाबदेही, सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता द्वारा होता है और यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, तो चुनावों के माध्यम से उसे सत्ता से हटाया जा सकता है। उत्तरदायी सरकार का लक्ष्य जनता के हितों की रक्षा करना,

उनकी समस्याओं का समाधान करना और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार शासन चलाना होता है — साफ शब्दों में *वर्तमान सरकार*।

गांधी ने भी शुरूआती दौर में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग से पहले तक गांधी और कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य 'स्वराज' का अर्थ डोमिनियन स्टेट ही था। स्वराज को डोमिनियन स्टेट के रूप में देखा जाता था क्योंकि इससे भारत को आंतरिक मामलों में स्वायत्ता मिल जाती। गांधी को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार भारत को आंतरिक स्वायत्ता प्रदान कर सकती है। **1928** की नेहरू रिपोर्ट का गांधी ने समर्थन किया था। यह **26** सितम्बर **1929** को अपने समाचार 'यंग इंडिया' में भी छापा था।

बाबा साहब ने अपनी पुस्तक "कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया?" के पेज **184** पर लिखा है —

*"**1930** में कांग्रेस के प्रस्तावों में पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिए जाने के बावजूद गांधीजी गोलमेज सम्मेलन में केवल प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान कर देने से ही संतुष्ट होने को तैयार थे। गोलमेज सम्मेलन में जो लोग उपस्थित थे वे जानते हैं कि गांधीजी प्रांतीय स्वायत्तता से किस प्रकार सहमत हुए थे। यदि सन् **1935** के **Government of India Act** में केंद्रीय सरकार के लिए जिन उत्तरदायित्वों तथा मौलिक तत्वों की व्यवस्था की गई है, उसका श्रेय गैर-कांग्रेसी पार्टियों के उन प्रतिनिधियों को जाता है जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अंग्रेज सरकार ने उस मांग से अधिक मंजूर किया। यदि सन **1939** में इस दिशा में कोई रुकावट आई तो उसका मुख्य कारण यही था कि भारतीय इस बात पर सहमत नहीं थे कि वे अपने देश के लिए कैसा संविधान चाहते हैं।"*

डोमिनियन स्टेट — जिसमें एक राष्ट्र ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होते हुए भी आंतरिक मामलों में स्वशासन का अधिकार रखता था। लेकिन उसकी विदेश नीति और रक्षा जैसे प्रमुख मामले ब्रिटिश सरकार के अधीन होते थे। ये अपनी सरकार, अपना कानून बना सकते थे, लेकिन इन्हें ब्रिटिश सम्राट को ही अपना संवैधानिक प्रमुख मानना पड़ता था। इन्हें अपने आंतरिक मामलों जैसे कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक नीति इत्यादि पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती थी। डोमिनियन देशों के कानून ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों से प्रभावित होते थे, लेकिन वे अपनी संसद और न्यायपालिका की स्थापना करने में स्वतंत्र थे।

गांधी-इरविन समझौता **(1931)** में भी गांधी ने लार्ड इरविन के साथ डोमिनियन का मुद्दा उठाया था। हालांकि यह पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। **18** सितम्बर **1929** को 'यंग इंडिया' में छपा था — इस लेख में गांधी ने स्पष्ट किया कि यदि ब्रिटिश सरकार एक साल के भीतर नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं करती, तो कांग्रेस असहयोग आंदोलन शुरू करेगी।

खेलकूद बंद

गांधी बच्चों के खेलने-कूदने के भी खिलाफ था। उनको सिर्फ गंवार वाले काम में ही लगाए रखता था। *[सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **Page 114**]* — बच्चों (विद्यार्थियों) से बड़े-बड़े गड्ढे खुदवाना, पेड़ काटना, बोझ उठाकर ले जाना, ऐसे काम कराता था। जिसको करने में विद्यार्थी परेशान हो जाते थे और वह खेलने-कूदने के लिए भी नहीं जा पाते थे क्योंकि गांधी का कहना था — इन कामों को करने के बाद कसरत या खेलकूद की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई के लिए उनको सिर्फ **3** घंटे ही दिए जाते थे, यानी **3** घंटे की क्लास चलती थी। अंग्रेज़ी भी सबको सिखाई जाती थी।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **page 14** गाँधी मानता था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसकी सोच तब बदल गई जब टीचर ने खेलना -कूदना अनिवार्य कर दिया था।

[हिंद स्वराज, **Page 30**] — गांधी गोलाबारूद, जंगी बेड़ा, फौज — इन सबके रखने के भी विरुद्ध है।

[हिंद स्वराज, **Page 72**] — गांधी को अंग्रेजों से समस्या नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा, उनकी राजनीति — उनकी हर एक चीज़ जो भारतीयों को दी जा रही है — उससे समस्या है।

[हिंद स्वराज, **Page 39**] — गांधी बिल्कुल धर्म से जुड़ा है। ब्राह्मण कहता है कलयुग आएगा जब शूद्र-अछूत किसी की न सुनेगा, वह आज़ाद हो जाएगा — यही बातें गांधी कह रहा है कि ये सभ्यता नहीं, यानी पीछे से आगे बढ़ना सभ्यता नहीं। हमको पुराने तौर-तरीके अपनाने चाहिए — जैसे बैलगाड़ी, चरखा, लुहार। यहां अपनी बात को जायज़ ठहराने के लिए गांधी मोहम्मद को भी घुसीट देता है। गांधी लिखता है — *"पैगंबर मोहम्मद साहब की सीख के मुताबिक यह शैतानी सभ्यता है। हिंदू धर्म इसे निरा 'कलियुग' कहता है।"*

[हिंद स्वराज, **Page 43**] — *"मेरी पक्की राय है कि हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी से नहीं, बल्कि आजकल की सभ्यता से कुचला जा रहा है। मुझे तो धर्म प्यारा है, इसलिए पहला दुख मुझे यह है कि हिन्दुस्तान धर्मभ्रष्ट होता जा रहा है।"*

कांग्रेस ही स्वराज चाहती थी — देखें *[हिंद स्वराज, **Page 25**] — "कांग्रेस के आरंभ से स्वराज की नींव पड़ी — यह कैसे कहा जा सकता है?"*

गांधी — *"देखिए, कांग्रेस ने अलग-अलग जगहों पर हिन्दुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें हम एक राष्ट्र हैं — ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नज़र रहती थी। महसूल का*

एक प्रजा को होना चाहिए — ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज कनाडा में है, वैसा स्वराज कांग्रेस ने हमेशा चाहा है।"

(गांधी के लाने से पहले तक कांग्रेस खुद अपने पैरो पर नहीं खडी थी। वह दो दलो में बंटी थी उनमें फूट पडी हुई थी। स्वराज का जो केन्द्र चरखा है वह **1915** तक भी गांधी को भारत में नहीं दिखा था। गांधी के आने के बाद काग्रेस का नक्शा ही बदल गया था। देखे "कांग्रेस और गांधी ने अछूतो के लिए क्या किया" यह बात सच है स्वराज की प्राप्ति कांग्रेस चाहती थी न कि गांधी**?** लेकिन कांग्रेस खुद यह मुकाम हासिल न कर पाती**?** क्योंकि कांग्रेस राजनीति पर फोकस कर रही थी और गांधी को धर्म/ स्वराज पर फोकस के लिए छोड़ रखा था। **)**

page 27 - यह सच है कि गरम दल व नरम दल उनके बीच जहर भी पैदा हुआ है। एक दल दूसरे का भरोसा नहीं करता**.** दोनों एक दूसरे को ताना मारते है। सूरत कांग्रेस के समय करीब**-**करीब मार**-**पीट भी हो गई।

अधिकार

[ग्राम स्वराज**,** पृष्ठ **28]**

अहिंसा पर आधारित स्वराज में लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान न हो तो कोई बात नहीं**,** लेकिन उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

[हरिजन **- 25-3-1939,** पृष्ठ **64]**

(जैसे शूद्र को अपने अधिकार नहीं**,** अपने कर्तव्य याद रखने चाहिए**)**

स्वराज या राम राज

[ग्राम स्वराज, पृष्ठ **24]**

"गांधी खुद ही कहता है — स्वराज को मैंने रामराज्य कहा है। रामराज्य का अर्थ है — शुद्ध नैतिक सत्ता के आधार पर स्थापित जनता की सार्वभौम सत्ता।"

[हरिजन **- 2-1-1937,** पृष्ठ **374]**

स्वराज का अर्थ है

[पृष्ठ **25]**

सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयत्न करना — फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का।

[यंग इंडिया **- 6-8-1925,** पृष्ठ **276]**

(गांधी कभी भी ब्राह्मणों के नियंत्रण से निकलने को नहीं कहता)

[पृष्ठ **26]**

स्वराज सबका था तो गांधी ने स्वराज को रामराज्य का ही नाम क्यों दिया? उसने मुहम्मद राज, अली राज, बाई गुरु राज क्यों नहीं बोला? गांधी हमेशा गीता को साथ लेकर घूमता था, बाईबल और कुरान को क्यों नहीं? क्या ये रामराज्य सनातनी था या ब्राह्मणराज?

सत्य के साथ मेरे प्रयोग की प्रस्तावना में गांधी कहता है —

"मैं सत्यरूपी परमेश्वर का पुजारी हूँ, वह एक ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है।" इसी सत्य को अपना आधार मानकर, अपना दीपस्तंभ समझकर, उसके सहारे में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ।

यह सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं इसका शोधक हूँ। इस शोध के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हूँ।

(यहाँ आप देख सकते हो गांधी ईश्वर के लिए कुछ भी कर सकता था, यानी उसे सिद्ध करने के लिए, रामराज (ब्राह्मणराज) को वापस लाने के लिए। एक और बात मैं आपको बता दूं — गांधी वैष्णव संप्रदाय से है और वह बात कर रहा है अद्वैतवाद यानी शैव संप्रदाय की। क्योंकि "एक ही सत्य यानी परमेश्वर है, बाकी सब मिथ्या है", यह उसी की थ्योरी है। और वह राम को भी मानता है सबसे ज्यादा।)

[ग्राम स्वराज, पृष्ठ **24] —**

गांधी खुद ही कहता है — **"**स्वराज को मैंने रामराज्य कहा है। रामराज्य का अर्थ है शुद्ध नैतिक सत्ता के आधार पर स्थापित जनता की सार्वभौम सत्ता।**"**

[हरिजन**, 2-1-1937,** पृष्ठ **374]**

हिंद स्वराज **Page 43:** यहां गांधी बोलता है**, "**पाखण्ड तो सब धर्म में है।**"** ये कैसा तर्क है**?** अरे**,** गांधी अगर सब धर्म में पाखण्ड है तो उनको छोड़ क्यों नहीं देता**,** उन्हें बढ़ावा क्यों दे रहा है**?** दूसरा बात**,** अगर पाखण्ड है तो कितना है**,** या सब धर्मों में समान है**?)**

हिंद स्वराज **Page 44: "**जो धर्म में ठगी करते हैं**,** वह दुनियावी ठगी से अच्छे होते हैं।**"** गांधी बोल रहा है। आगे कह रहा है**, "**मुझे सभ्यता में पाखण्ड मिला लेकिन धर्म में नहीं**,"** गांधी बोलता है**, "**धर्म में तो एक खून हो रहा है**,** सभ्यता में **3** खून हो रहे हैं**,** तो धर्म अच्छा है।**"**

धंधा

Page 135 - सन् **1915** में हरिद्वार में कुंभ का मेला था। उसने उसमें जाने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं थी। **Page 136 -** मैं यात्रा की भावना से हरिद्वार नहीं गया था। तीर्थक्षेत्र में पवित्रता की शोध में भटकने का मोह मुझे कभी नहीं रहा। किंतु **17** लाख लोग पाखंडी नहीं हो सकते थे। कहा गया था कि मेले में **17** लाख लोग आए होंगे। यहां मैंने एक पांच पैरों वाली एक गाय देखी। मुझे तो आश्चर्य हुआ, किंतु अनुभवी लोगों ने मेरा अज्ञान तुरंत दूर कर दिया। पांच गाय दुष्ट और लोभी लोगों के लोभ की बलिरूप थी। गाय के कंधे को चीरकर उसमें जिंदा बछड़े का काटा हुआ पैर फंसाकर कंधे को सी दिया जाता था और इस दोहरे कसाईपन का उपयोग अज्ञानी लोगों को ठगने में किया जाता था। पांच पैरों वाली गाय के दर्शन के लिए कौन हिंदू न ललचाएगा? उस दर्शन के लिए वह जितना दान दे उतना कम है। **Page 138 -** मैं गंगा-स्नान करके आया था, इसलिए शरीर खुला था। **Page 139 -** हरिद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तों को और गंगा के सुंदर किनारों को गंदा कर देते थे। गंगा के पवित्र जल को दूषित करने में भी उन्हें किसी प्रकार का संकोच न होता था।

Page 137 ऋषिकेश में अनेक संयासी मुझसे मिलने आए थे। उनमें से एक को मेरे जीवन में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। फीनिक्स मण्डल मेरे साथ था। मेरे सिर पर शिखा और जनेऊ न देखकर उन्हें दुःख हुआ और उन्होंने मुझसे कहा- "आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ और शिखा नहीं रखते हैं।" काठियावाड़ के वैश्य परिवारों में जनेऊ पहनने का रिवाज नहीं था। पर पहले तीन वर्णों को जनेऊ पहनने की पहचान चाहिए, इस आशय का नया प्रचार चल रहा था, उसके फलस्वरूप गांधी कुटुंब के कुछ व्यक्ति जनेऊ पहनने लगे थे। जो ब्राह्मण हम दो-तीन भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाते थे, उन्होंने हमें जनेऊ पहनाया और अपने पास कुंजी रखने का कोई कारण न होते हुए भी मैंने दो-तीन कुजियां उसमें लटका ली। जनेऊ के टूट जाने पर उसका मोह उतर गया था या नहीं, सो तो याद नहीं है, पर मैंने नया जनेऊ नहीं पहना। बड़ी उम्र होने पर हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका में भी दूसरों ने मुझे जनेऊ पहनाने का प्रयत्न किया था, मेरा जनेऊ पहनाने से कोई विरोध नहीं था, परंतु उसे पहनने का कोई कारण नहीं दिखाई देता था। वैष्णव होने के कारण मैं कंठी पहनता था। शिखा तो गुरुजन हम भाइयों के सिर पर रखवाते ही थे। पर विलायत जाने के समय मैंने इसे शरम के मारे शिखा कटा दी थी, कि वहाँ पर खुला रखना होगा। गोरे शिखा को देखकर हँसेंगे और मुझे जंगली समझेंगे। मेरे साथ रहनेवाले मेरे भतीजे छगनलाल गांधी दक्षिण अफ्रीका में 'बड़ी श्रद्धा से शिखा रखते थे। यह शिखा उनके सार्वजनिक काम में बाधक होगी, इस भ्रम के कारण मैंने उनका मन दुखाकर भी उसे कटवा दिया था। यों शिखा रखने में मुझे शरम लगती थी। मैंने स्वामी जी को उपर्युक्त बात कह सुनाई और कहा- "मैं

जनेऊ तो धारण नहीं करूंगा। हिंदू समाज को जनेऊ का अधिकार तभी हो सकता है, जब वह अस्पृश्यता का मैल धो डाले, ऊंच-नीच की बात भूल जाए। किंतु शिखा के संबंध में आपकी बात मुझे अवश्य सोचनी होगी। शिखा तो मैं रखता था। मुझे लगता है कि शिखा धारण करनी चाहिए।" **Page 139** स्वामी जी को जनेऊ के बारे में मेरी दलील अच्छी नहीं लगी।

एक गाल पर मारो दूसरे पर खाओ

गांधी विदेश में सबसे पहले गीता से परिचित हुआ था। लोगों को ये गलतफहमी है। दरअसल है तो वह गीता ही, लेकिन एडविन अर्नोल्ड की अनुवादित किताब का नाम 'द सॉन्ग सेलेस्टियल' था। यहाँ एक और बात बता दूं, क्रिश्चियन लोग गीता नहीं पढ़ते थे, उसका नाम थियोसोफिस्ट सोसाइटी ने बताया है, यह संघ क्रिश्चियन नहीं था, इसके विचार अलग तरह के थे।

दोनों भाइयों ने मुझे (गांधी) सर एडविन अर्नोल्ड की 'द लाइट ऑफ एशिया' की किताब को पढ़ने का सुझाव दिया, जिन्हें मैं अभी तक सॉन्ग सेलेस्टियल के लेखक के तौर पर जानता था, फिर मैंने उसे गीता से ज्यादा गहरी रुचि के साथ पढ़ा। एक बार घटना शुरू करने के बाद मैं उसे छोड़ नहीं पाया। (कोई अब यह कह सकता है कि वह अगर क्रिश्चियन थे तो ‘द लाइट ऑफ एशिया’ यानी बुद्ध की किताब क्यों पढ़ रहे थे।)

अब इसके बाद वह दोनों भाई गांधी से कहते हैं, "आप थियोसोफिकल सोसाइटी जॉइन कर लो।" लेकिन गांधी अपना धर्म नहीं छोड़ता। इसके बाद गांधी एक ईसाई से मिलता है और वह गांधी को बाइबल पढ़ने को देता है, तो गांधी को **Old Testament** पसंद नहीं आता, लेकिन **New Testament** पसंद आता है। उस **New Testament** में लिखा था- "तुम बुराई का विरोध नहीं करोगे, बल्कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है, तो तुम उसकी तरफ अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। कोई यदि तुम्हारा कोट ले तो, उसे अपना चोगा भी दे दो।"

(गांधी को **New Testament** इसीलिए पसंद आता है क्योंकि उसमें शूद्र और अछूतों को दबाने की बात लिखी है, जैसे "तुम बुराई का विरोध नहीं करोगे, बल्कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है, तो तुम उसकी तरफ अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो।" यह सब शूद्र और अछूतों पर लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण से हिंसा मत करना, लेकिन वह आपके साथ हिंसा कर सकते हैं। यही कारण है कि इस **dialogue** को ब्राह्मण वर्ग ने इतना प्रचारित किया है कि यह **dialogue** गांधी का बना दिया। आज किसी से भी पूछ लो, लोग यही कहेंगे, "यह गांधी बोलते थे, एक गाल पर कोई मारे तो दूसरे पर खा लो।" लेकिन यह सीख गांधी ने हमको क्यों दी? किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दी?

जो गांधी बात बात पर धर्म की बात करता रहा, असल में उसने कभी धर्म का पालन किया ही नहीं, न तो गांधी बचपन में धर्म में रुचि रखता था और न जवान होने के बाद या यूं कहूं **agent** होने के बाद भी। ये वही गांधी है जो धर्म के लिए अपनी पत्नी को मारने तक के लिए राजी हो गया था, असल में वह धर्म के लिए नहीं, अपने **experiment** के लिए अपनी पत्नी की कुर्बानी

देने को तैयार था। गांधी ने स्वामी जी से बोलने से पहले जनेऊ इसलिए नहीं पहना, क्योंकि उसको अछूत शूद्र नहीं पहन सकते, शिखा इसलिए नहीं कटवाई, क्योंकि शूद्र, अछूत, शिखा नहीं रख सकते। अगर ऐसा होता तो गांधी के कुटुंब में भी लोग जनेऊ पहनने लगे थे, उनको गांधी ने कभी नहीं रोका। अछूत को तो गांव में आने का भी अधिकार न था, तो क्या गांधी ने भी गांव में आने से मना किया था क्या? **Page 146** गांधी हाथी पर बैठकर जाता है। क्या शूद्रों अछूतों को यह अधिकार था।

ईसाइयों से नफरत

"मैं वैष्णव सम्प्रदाय में जन्मा था, मुझे भूत-प्रेत से डर लगता था। रंभा ने समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी, इसलिए बचपन में मैं राम नाम जपता था। लेकिन यह जप ज्यादा समय तक नहीं चला। जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा, वह था रामायण का पारायण। पोरबंदर में पिताजी राम मंदिर में रोज रात के समय रामायण सुनते थे। आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्तिमार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ।"

"राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। दरअसल जब पिता बीमार थे, तो जैन, मुस्लिम, पारसी लोग पिता को देखने आते थे। इसलिए ये सब वातावरण का प्रभाव मुझ पर पड़ा और मुझमें सब धर्मों के लिए समान भाव पैदा हो गया।

एक ईसाई धर्म अपवादरूप था — उसके प्रति कुछ अरुचि थी। ईसाई लोग हिन्दू देवताओं और हिन्दू धर्म को मानने वालों की बुराई करते थे। मुझे यह असहाय लगा। उन्हीं दिनों एक प्रसिद्ध हिंदू के ईसाई बनने की बात सुनी। गांव में चर्चा थी कि उन्हें ईसाई धर्म की दीक्षा देते समय गोमांस खिलाया गया और शराब पिलाई गई। उनकी पोशाक भी बदल दी गई और अंग्रेजी कपड़े पहनने लगे। इन बातों से मुझे पीड़ा हुई। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझमें ईश्वर के प्रति आस्था थी।"

(भूत-प्रेत के डर से जो राम नाम लेना शुरू किया, वह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। गांधी तुलसीदास की रामायण को अहमियत इसलिए दे रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा जातिवाद, ऊँच-नीच तुलसीदास ने ही फैलाई है।

गांधी को जैनों, पारसियों से कोई दिक्कत न थी क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम थी और यह कोई आंदोलन बगैरा — यानी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते थे। इनको तो अपने धर्म से मतलब था।

मुसलमानों से कभी किसी को प्रॉब्लम हुई ही नहीं — ये ब्राह्मणवाद का साथ देते थे। मुस्लिमों को शासन करने के लिए प्रजा चाहिए थी, सो उनको ब्राह्मण दिलाते थे। एक भी मुस्लिम शासक में किसी ब्राह्मण को सजा न दी और न कभी हिन्दू धर्म में दखल दिया — वरना जो काम अंग्रेजों ने किया, सालों पहले मुस्लिमों को करना था।

अब ईसाइयों से गांधी को बहुत ज्यादा समस्या होने लगी क्योंकि यह हिन्दू धर्म में दखल देते थे। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं बंद कीं।

अछूतों को, जिनको किसी चीज का अधिकार न था, उनको अंग्रेजों ने ईसाई बनाकर अधिकार दिलाए।

अंग्रेजों की मजबूरी थी लोगों को ईसाई बनाना। दरअसल जब अंग्रेज अछूतों या शूद्रों को उनका हक देते या दिलाते, तो ब्राह्मण वर्ग व गांधी जैसे लोग उनका पूरी तरह से विरोध करते। और कोई भी व्यक्ति अपनी बहन का रेप माफ कर सकता है, लेकिन धर्म में दखल माफ नहीं कर सकता। इसलिए वह लोगों को पहले ईसाई बनाते, फिर उनको अधिकार देते।

इसके अलावा, यहाँ से हमको इतना तो पता चल गया कि ईसाई धर्म को लोग जानबूझकर बुरा बता रहे थे। यह तभी से शुरू हो गया था और यह अफवाह फैलाई जाती थी कि ईसाई धर्म हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, उन्हें जबरदस्ती ईसाई धर्म में तब्दील कर दिया जाता है और जो ईसाई बनते हैं, वह गाय का मांस खाते हैं — ऐसी अफवाह फैलाई जाती थी उस समय ताकि ईसाई धर्म कोई अपनाये नहीं।

गांधी ने पूरा ज़ोर लगाया था कि ये अछूत-शूद्र हिन्दू धर्म को न छोड़ें।

एक बात नोट कीजिए — जितने भी ईसाई बनते, वे सब अछूत, शूद्र ही थे। वैश्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं।)

धर्म गांधी का

[सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पृष्ठ **23**] —

गांधी विदेश पढ़ने के लिए जाता है और अपने धर्मगुरुओं की एक नहीं सुनता। वह धर्म का उल्लंघन करके समुद्र पार करता है और उसे जाति से निकाल दिया जाता है। फिर भी वह विदेश जाता है और कहता है कि विदेश जाने से कोई लेशमात्र भी अधर्म नहीं होता।

[पृष्ठ **17**] —

गांधी धर्म का उल्लंघन करके मांस खाता है, चोरी करता है, बीड़ी पीता है, वेश्या के घर जाता है।

विदेश में जब पढ़ाई के लिए गांधी जाता है तब वह अपनी चुटिया कटवा देता है।

[पृष्ठ **35**] —

गांधी ने गीता अपनी मातृभाषा व संस्कृत में पढ़ी ही नहीं थी। उस समय मुझे लगा कि भगवतगीता अमूल्य ग्रंथ है, यह मान्यता धीरे-धीरे बढ़ती गई और आज तत्त्वज्ञान के लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। मैं इसके लगभग सभी अंग्रेजी अनुवाद पढ़ गया हूँ।"

(ये है गांधी धर्म — वैष्णव संप्रदाय का होकर भी गांधी ने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन रामायण जरूर पढ़ी व सुनी थी।

यहाँ तक कि गांधी को अब तक ये ही नहीं पता था कि गीता एक अमूल्य ग्रंथ है। और गांधी ने इसको मातृभाषा या संस्कृत में नहीं पढ़ा था।)

[पृष्ठ **53**] —

मिस्टर बेकर से गांधी बोलता है — "मैं जन्म से हिन्दू हूँ, इस धर्म का अभी मुझे अधिक ज्ञान नहीं है। दूसरे धर्मों का ज्ञान भी कम ही है। मैं कहाँ हूँ, क्या मानता हूँ, मुझे क्या मानना चाहिए — यह सब मैं नहीं जानता। अपने धर्म का अध्ययन मैं गंभीरता से करना चाहता हूँ।"

[पृष्ठ **37**] —

"मैं **20** साल का हो गया हूँ। मैं यह बिल्कुल नहीं जानता था कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, और वह हममें किस प्रकार का काम करता है।"

(इसका मतलब ये नहीं कि वह अछूत, शूद्र की हालत भी नहीं जानता या वर्णव्यवस्था या जाति नहीं जानता था।

उसकी माँ बचपन में गांधी से कहती थी — जब किसी अछूत से छू जाओ तो किसी मुस्लिम को छू लेना, इससे तुम शुद्ध रहोगे।

इसके लिए देखें: गांधी और गांधीवाद, पृष्ठ **35**।

इसके अलावा, गांधी को इंग्लैंड जाने से पहले ही जाति से निकाल दिया गया था। क्या तब गांधी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे जाति से क्यों निकाल दिया गया? यानि ये सब चीज़ें या ऊपर की चीज़ें — धर्म की — सब जानते हैं। गांधी।जो यह कह रहा है — "मैं हिन्दू धर्म के बारे में नहीं जानता", इसका मतलब ये है कि वह अभी धर्म में शास्त्रार्थ करने लायक नहीं बना है।)

[पृष्ठ 71] —

गांधी का पूरा परिवार दक्षिण अफ्रीका जाता है, यानी समुद्र पार कर देते हैं।

[पृष्ठ 37] — गांधी **20** साल का हो गया, उन दिनो में यह नहीं बिल्कुल नहीं जानता था कि धर्म क्या है ईश्वर क्या है? और वह हममें किस प्रकार का काम करता है।

[पृष्ठ 18] —

गांधी मांस खाता है लेकिन धर्म के अनुसार उस प्रायश्चित का व्रत पालन नहीं करता। वह एक भी बार किसी भी चीज़ का व्रत पालन नहीं करता — चाहे चोरी या वेश्या के घर जाने का हो।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग पेज **94-** गांधी ने इस **topic** को धर्म संकट का नाम दिया है। "मैंने जैसे दफ्तर किराए पर लिया। वैसे ही गिरगांव में भी घर लिया ....इतने में मेरा दूसरा लडका बहुत बीमार हो गया। उसे काले ज्वर ने पकड लिया...........इस बीमारी के पहले बचपन में उसे चेचक भी बहुत जोर की निकल चुकी थी। मैने डॉक्टर की सलाह ली। उन्होंने कहा, "इसके लिए दवा बहुत कम उपयोगी होगी इसे तो अण्डे और मुर्गी का शोरबा देने की जरूरत है।" मणिलाल की उम्र **10** साल की थी। उससे में क्या पूछता?

डॉक्टर एक बहुत भले पारसी थे। मैने कहा, डाक्टर हम सब अन्नाहारी है। मेरी इच्छा अपने लड़के को इन दो में से एक भी चीज देने की नही होती । क्या दूसरा कोई उपाय नहीं बताइए? डाक्टर बोले - आपके लड़के के प्राण संकट में है। दूध और पानी मिलाकर दिया जा सकता है पर इससे पूरा पोषण नहीं मिल सकता। जैसा कि आप जानते है, मैं बहुतेरे हिंदू कुटुंबो में जाता हूं। पर दवा के नाम पर तो उन्हें जो भी चीज दें, वे ले लेते हैं। मैं सोचता हूं कि आप लड़के पर ऐसी सख्ती न करें तो अच्छा हो ।"........... गांधी बोलता है - लड़का बड़ा होता तो मैं अवश्य ही उसकी इच्छा जानने का प्रयत्न करता, और वह जो चाहता उसे करने देता।........मेरा खयाल है कि मनुष्य के धर्म की परीक्षा ऐसे ही समय होती है। सही हो या गलत, पर मैने यह धर्म माना है कि मनुष्य को मांसादि नहीं खाना चाहिए।............... यद्यपि मणिलाल स्वयं निर्णय करने

की स्थिति में नही था, फिर भी उसे डाक्टर के साथ हुई चर्चा सुना दी तो वह बोला आप खुशी से पानी के उपचार कीजिए। मुझे न शोरबा पीना है और न अंडे खाने है।" इस कथन से में खुश हुआ। यद्यपि मैं समझता था कि मैने उसे ये दोनों चीजे खिलाई होती तो वह खा भी लेता।............बुखार उतरता न था। रात में वह अंट-बंट बकता था। तापमान **104** डिग्री तक जाता था मैं घबराया, यदि बालक को खो बैठा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? बड़े भाई क्या कहेंगे? दूसरे डॉक्टर को क्यों न बुलाया जाए? वैद्य को क्यों न बुलाया जाए?.............दूसरी ओर इस तरह के विचार भी आते थे - तुझे पानी के उपचार पर श्रद्धा है, दवा पर नहीं। डाक्टर रोगी को प्राणदान नहीं देता। वह भी तो प्रयोग ही करता है। जीवन की डोर तो एक ईश्वर के ही हाथ में है।.............मैं मणिलाल को बगल में लेकर सोया था। मैं उठा,चादर ली और उसे ठंडे पानी में भिगोया -निचोडा। उसमें उसे सिर से पैर तक लपेट दिया। ऊपर से दो कंबल ओढा दिए। सिर पर गीला तौलिया रखा।............ शरीर बिल्कुल सूखा था। पसीना आता ही न था।............राम नाम की रटन तो मुंह में थी ही।..........सवेरे मणिलाल का बुखार हल्का हो गया था दूध और पानी तथा फलों के रस पर वह **40** दिन रहा।..........आज मेरे सब लडको में मणिलाल का शरीर सबसे अधिक सशक्त है। मणिलाल का निरोग होना राम की देन है।.............मैंने तो यह जाना कि ईश्वर ने मेरी लाज रखी और आज भी मैं यही मानता हूँ।

(यहां कुछ बातें बताना चाहता हूं — गांधी ने दो बार कहा कि उसका बेटा **10** साल का है और वह सही-गलत में फर्क नहीं कर सकता। तो फिर, जो उस समय **8** से **12** साल के बीच लड़की-लड़के की शादी कर दी जाती थी, वह तो उन पर अत्याचार था। पृष्ठ **71** पर भी गांधी बताता है कि भारत में शादी बचपन में ही कर दिए जाते हैं।

दूसरा — गांधी डॉक्टर को बुलाकर लाता है और वह अंडा, मांसाहार की बात करता है, तो गांधी यह कहते हुए मना कर देता है कि मेरे हिन्दू धर्म में मांसाहार नहीं खाया जाता। लेकिन गांधी यह कैसे भूल गया कि हिन्दू धर्म तो डॉक्टर को भी नहीं बुलाता। उसको धर्मों में गाली दी गई है।

तीसरा — गांधी अगर पढ़ लेता तो कुछ बन जाता। उसको यह तक नहीं पता था कि अण्डा शाकाहारी है या मांसाहारी। गांधी अपने बेटे को दूध पिलाता है, जबकि कई सारे ब्राह्मण दूध को भी मांसाहार में रखते हैं। यहाँ तक कि गांधी भी दूध की तुलना मांस से करता है और आगे चलकर गांधी भी बीमार पड़ जाता है, तो वह दूध नहीं पीता, यह कहकर कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि गोखले खुद गांधी को दूध पीने की कहते हैं, फिर भी वह दूध नहीं पीता।)

देखें — ग्राम स्वराज, पृष्ठ **211**; [आरोग्य की कुंजी, **1958**, पृ० **8-18**] — गांधी लिखता है: "दूध को हम किसी भी तरह शाकाहार नहीं मान सकते। सच पूछा जाए तो वह मांस का ही एक रूप है। जो गुण मांस में हैं, वे अधिकतर दूध में भी हैं। मैं शाकाहार का पक्षपाती हूं, परन्तु अनुभव

से मुझे यह स्वीकार करना पड़ा है कि दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे मक्खन, दही वगैरह के बिना मनुष्य शरीर पूरी तरह टिक नहीं सकता। मैंने दूध-घी के बगैर **6** वर्ष निकाले हैं। उस समय मेरी शक्ति में किसी तरह की कमी नहीं आई थी, पर अपनी मूर्खता के कारण मुझे **1917** में सख्त पेचिश हो गई। मेरा शरीर हाड़-पिंजर बन गया। मैंने हठपूर्वक दवा न ली और उतने ही हठ से दूध या छाछ भी लेने से इनकार किया। शरीर किसी तरह बनता ही नहीं था। मैंने दूध न लेने का व्रत लिया था, लेकिन डॉक्टर और अपनी पत्नी के कहने पर मैंने बकरी का दूध लिया था। इस पर से और ऐसे अनेक दूसरे अनुभवों पर से मैं लाचार होकर दूध का पक्षपाती बना हूं। लेकिन मेरा यह दृढ़ मत है कि असंख्य वनस्पतियों में से कोई न कोई ऐसी जरूर होगी, जो दूध और मांस की आवश्यकता पूरी तरह पूरी कर सके और उनके दोषों से मुक्त हो। मेरी दृष्टि से दूध और मांस लेने में दोष तो है ही। मांस के लिए हम पशु-पक्षियों का नाश करते हैं। जानवरों को भी रोग होते हैं, इसीलिए उनका दूध नहीं पीना चाहिए। और मां के दूध के सिवा दूसरा दूध पीने का हमें अधिकार नहीं है।"

चौथा — गांधी ने अपने बेटे का इलाज धर्मों के हिसाब से नहीं किया, क्योंकि 'चिकित्सा शास्त्र' में बुखार का इलाज बताया गया है।

पांचवां — गांधी ने कभी धर्म की न सुनी, लेकिन अपने बच्चों पर व अपने अनुयायियों पर इसे थोपता रहा। इसी कारण बड़े होकर इसके बालकों ने इसकी एक बात भी न मानी और जात-धर्म से अलग लड़की से प्यार किया व शादी की।

छठा — गांधी बोलता है, डॉक्टर रोग का इलाज नहीं करता, वह तो प्रयोग करता है। अब इस गांधी को कोई समझाए — पहले ***experiment*** किए जाते हैं, उसके बाद जब वह सफल होते हैं, तब दवा बनकर ***market*** में आती हैं। यानी वह प्रयोग होकर आते हैं और फिर डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं।

सातवां — गांधी कहता है, उसका बेटा मणिलाल आज भी अपने भाइयों में सबसे मजबूत/सशक्त है। और मणिलाल का ठीक होना राम की देन है। यानी गांधी यह संदेश दे रहा है कि धर्म में आस्था रखने से रोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि यह बात गांधी ने पहले ही सुन रखी थी — जब गांधी छोटा था, तो वह मंदिर में रामायण सुनने जाता था और जो रामायण सुनाता था, वह एक ब्राह्मण था। वह रोगी था, उसे कुष्ठ रोग था, लेकिन उसने अपना इलाज नहीं कराया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि रामचरितमानस पढ़ते-पढ़ते वह ठीक हो जाएगा — और वह ठीक हो भी गया था। उसका नाम लाढ़ महाराज था। यह गांधी के घर में रामायण सुनाता था। **(देखें: गांधी और गांधीवाद, पृष्ठ 37)**

गांधी यह कैसे भूल गया कि डॉक्टर ने उसके बेटे को दवा खिलाई थी — उसकी वजह से बुखार उतरा था।

आठवां — यहां डॉक्टर गांधी से बोल रहा है कि वह और भी हिन्दू घरों में जाता है और उनको वह दवा के नाम पर जो भी देता है, उसे वे स्वीकार कर लेते हैं।

Page 17 पर — गांधी जब मांस खाता है, तो उसे पता चलता है कि और भी लोग मांस खा रहे थे। यहां तक कि जो स्कूल टीचर थे, वह भी मांस खाते थे। और आज भी बंगाल की तरफ के ब्राह्मण सब मांसाहारी हैं।

नवां — **Page 20** — गांधी का पिता भगंदर की फोड़े की वजह से मरा था।)

Page 107 — कस्तुरबाई पर रोग के **3** घातक हमले हुए और तीनों में वह केवल घरेलू उपचार से बच गई...

उसे बार-बार रक्तस्राव हुआ करता था। एक डॉक्टर मित्र ने शल्यक्रिया करा लेने की सलाह दी थी... डॉक्टर ने और उनकी पत्नी ने कस्तुरबाई की अच्छी सार-संभाल की। यह घटना डरबन में हुई थी... कुछ ही दिनों बाद खबर मिली कि कस्तुरबाई का शरीर बिल्कुल सुधर नहीं रहा है और वह बिछोना छोड़कर उठ बैठ भी नहीं सकती। एक बार बेहोश भी हो चुकी थी।

डॉक्टर जानते थे कि मुझसे पूछे बिना औषधि या अन्न के रूप में कस्तुरबाई को शराब अथवा मांस नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर ने मुझे जोहान्सबर्ग में टेलीफोन किया — "मैं आपकी पत्नी को मांस का शोरबा अथवा बीफटी देने की जरूरत समझता हूं। मुझे इजाजत मिलनी चाहिए।"

मैंने उत्तर दिया —

"मैं यह इजाजत नहीं दे सकता, किंतु कस्तुरबाई स्वतंत्र है। उससे पूछने जैसी स्थिति हो तो पूछिए और वह लेना चाहे तो जरूर दीजिए।"

... डॉक्टर ने मुझसे कहा —

"मैंने तो शोरबा पिलाने के बाद ही आपको टेलीफोन किया था।" मैंने कहा —

"डॉक्टर, मैं इसे दगा समझता हूं।"

डॉक्टर ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया —

"दवा करते समय मैं दगा-बगा नहीं समझता... हमारा धर्म तो किसी भी तरह रोगी को बचाना है।"

गांधी बोला —

"मांस न लेने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं।" डॉक्टर बोले —

"आपकी फिलॉसफी मेरे घर में तो हरगिज नहीं चलेगी........मैं कब कहता हूं कि ले जाइए?"

फिर, मैं कस्तुरबाई के पास गया......

"मैं मांस का शोरबा नहीं लूंगी। मनुष्य की देह बार-बार नहीं मिलती। चाहे आपकी गोद में मैं मर जाऊं, पर अपनी इस देह को भ्रष्ट तो नहीं होने दूंगी।"

डॉक्टर गुस्सा हुए और बोले —

"आप तो बड़े निर्दयी पति मालूम पड़ते हैं। ऐसी बीमारी में उस बेचारी से इस तरह की बातें करने में आपको शर्म भी नहीं आई? मैं आपसे कहता हूं कि आपको स्त्री यहां से ले जाने लायक नहीं है।"

फीनिक्स पहुंचने के बाद दो-तीन दिन के अंदर एक स्वामी पधारे......

स्वामीजी के आगमन के समय मणिलाल और रामदास भी वहां मौजूद थे। स्वामीजी ने मांसाहार की निर्दोषता पर व्याख्यान देना शुरू किया। मनुस्मृति के श्लोकों का प्रमाण दिया। पत्नी के सामने इस तरह की चर्चा मुझे अच्छी नहीं लगी.....

"मांसाहार के समर्थन में मुझे मनुस्मृति के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। मैं उसके श्लोकों को जानता था। मैं जानता था कि उन्हें प्रक्षिप्त मानने वाला भी एक पक्ष है। कस्तुरबाई की श्रद्धा काम कर रही थी। वह बेचारी शास्त्र के प्रमाण को क्या जाने? उसके लिए तो बाप-दादों की रूढ़ि ही धर्म थी।"

(Page 110)

"स्वामीजी, आप कुछ भी क्यों न कहें, पर मुझे मांस का शोरबा खाकर स्वस्थ नहीं होना है। अब आप मेरा सिर न पचायें, तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा।"

पहला - गांधी बोल रहा था, "मेरे बेटे का दूसरे दिन बुखार कम हो गया राम की वजह से", जबकि गांधी यह नहीं बताता कि उसको डॉक्टर ने दवा पहले ही खिला दी थी।

दूसरा - यहां डॉक्टर पूछ रहा है, "अगर आपको माँस नहीं खाना है तो आप अंडे या मांस का शोरबा पी सकते हैं।"

तीसरा - गांधी एक भी बार कभी भी किसी वैद्य के पास नहीं गया। वह डॉक्टर के पास ही जाता था।

चौथा - गांधी धर्म में इतना डूबा हुआ था कि अगर मांस न लेने के कारण उसकी पत्नी अगर मर जाए तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होगा। वही दूसरी ओर, उसकी पत्नी व बेटा दोनों मरने को राजी थे, लेकिन मांस नहीं खाना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ऐसा गांधी के सम्मान में या आदर्श पत्नी और बेटे की वजह से बोल रहे होंगे। दरअसल, ऐसा नहीं है।

आपको याद होगा, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपनी बेटे को स्कूल जाने से रोक देता है तो उसके बेटे उससे सवाल करते हैं और उस पर अपनी नाराजगी दिखाते हैं। व बड़े होकर अलग जात धर्म की लड़की से शादी भी करते हैं, गांधी की इच्छा के विपरीत जाकर। वही गांधी की पत्नी को जब **1906** में इंडिया आते समय भेंट के रूप में गहने, सोने, चाँदी, हीरे मिलते हैं, तो गांधी की पत्नी गांधी से खूब लड़ती है क्योंकि वह उन गहनों को लौटाना नहीं चाहती और गांधी के समझाने पर भी नहीं समझती। यहां तक कि वह कहने लग जाती है कि, "इन गहनों पर मेरा भी अधिकार है, क्योंकि मैंने भी आपकी और आपके बुलाए हुए मित्रों की खूब सेवा की है।"

तो इससे इतना तो पता चल गया — ये गांधी के प्रति प्यार या आदर्श नहीं, बल्कि धर्म के प्रति प्यार व अंधविश्वास था।

पाँचवां - एक ब्राह्मण (स्वामी जी) स्वयं आकर गांधी को मनुस्मृति खोलकर मांस खाने को सही बताता है, लेकिन गांधी उन श्लोकों को प्रक्षिप्त बता देता है। वह एक ब्राह्मण होकर मनुस्मृति के श्लोकों को प्रक्षिप्त नहीं मानता, लेकिन गांधी वैश्य होकर उसे प्रक्षिप्त साबित करने में लगा है, जबकि वैश्यों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, इनको सिर्फ सुनने का ही अधिकार है।

छठा - डॉक्टर साफ-साफ बोल देता है, "मैं दगा-बगा नहीं समझता, हमारा धर्म तो रोगी को किसी तरह बचाना है।"

सातवां - यहां गांधी भी बोलता है, "डॉक्टर ने अच्छी तरह से उसकी पत्नी की सेवा की व डॉक्टर की पत्नी ने भी।")

Page 110

"...यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, तथापि उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था। दूसरी दवा कराने का आग्रह न था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया..."

(पत्नी भी जानती है गांधी को डॉक्टर के नाम पर कुछ नहीं आता और इसलिए उसकी पत्नी बहुत मुश्किल से, और जब गांधी अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, तब वह नमक और दाल छोड़ने को राजी होती है।)

Page 121

"विलायत में मुझे पसली की सूजन की शिकायत हुई थी। इस बीमारी के समय गोखले, विलायत आ चुके थे। उनके पास मैं और केलनबैक हमेशा जाया करते थे...... जब मैं बीमार पड़ा तो आहार के मेरे प्रयोग तो चल ही रहे थे। डॉ० जीवराज मेहता मेरी सार-संभाल करते थे। उन्होंने दूध और अन्न लेने का बहुत आग्रह किया। शिकायत गोखले तक पहुंची। फलाहार की मेरी दलील के बारे में उन्हें बहुत आदर न था। उनका आग्रह यह था कि आरोग्य की रक्षा के लिए डॉक्टर जो कहें, सो लेना चाहिए......

मैंने विचार के लिए **24** घंटे का समय मांगा। सारी रात मैंने सोच-विचार में बिताई... मैंने धीरे से जवाब दिया — "मैं सबकुछ करूंगा, किंतु आप एक चीज का आग्रह न कीजिए। मैं दूध और दूध के पदार्थ अथवा मांसाहार नहीं लूंगा।"

..."वैसा होने देने में मुझे अधर्म मालूम होता है।"

गोखले ने दुख से, परंतु अत्यंत प्रेम से कहा — "आपका निश्चय मुझे पसंद नहीं है। इसमें मैं धर्म नहीं देखता।"

...डॉक्टर ने अप्रसन्नता प्रकट की। लेकिन वे लाचार हो गए। उन्होंने मुझे मूंग का पानी लेने की सलाह दी और उसमें हींग का बघार देने को कहा... एक-दो दिन वह खुराक ली। उससे मेरी तकलीफ बढ़ गई। मुझे वह मुफ़िक नहीं आई। अतएव मैं फिर फलाहार पर आ गया।

डॉक्टर ने बाहरी उपचार तो किए ही। उससे थोड़ा आराम मिलता था, पर मेरी मर्यादाओं से वे बहुत ही परेशान थे।

...पसली का दर्द मिट नहीं रहा था। इससे मैं घबराया। मैं इतना जानता था कि औषधोपचार से नहीं, बल्कि आहार के परिवर्तन से और थोड़े बाहरी उपचार से दर्द जाना ही चाहिए।

सन् **1890** में मैं डॉ० एलिंसन से मिला था। वे अन्नाहारी थे और आहार के परिवर्तन द्वारा बीमारियों का इलाज करते थे... "दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे तो तुम्हें कुछ दिनों बिना किसी चिकनाई के ही रखना है।"

यों कहकर पहले तो मुझे सिर्फ रूखी रोटी और कच्चे साग तथा फल खाने की सलाह दी। कच्ची तरकारियों में मूली, प्याज... चटनी की शक्ल में पीसकर खाना था...

डॉ० एलिंसन दूसरी बार मुझे देखने आए... सूखे मेवे का — अर्थात मूंगफली आदि की गिरी का मक्खन अथवा जैतून का तेल लेने को कहा...

पीड़ा पूरी तरह नष्ट न हुई। मैं खटिया छोड़ न सका। डॉक्टर मेहता समय-समय पर आकर मुझे देख तो जाते ही थे — "मेरा इलाज करें तो अभी अच्छा कर दूं।" यह वाक्य तो हमेशा उनकी जुबान पर रहता ही था।

(यहां गांधी के नखरे और अंधविश्वास और बढ़ जाते हैं। क्योंकि **Page 95** पर गांधी अपने बेटे को मांस, अंडा की जगह दूध पिलाना धर्म समझता है, जबकि यहां गांधी गोखले के कहने पर भी दूध नहीं पीता और कहता है — "यह अधर्म होगा।"

Page 27 पर दूध पीता था गांधी।

दरअसल ऐसा था — गांधी एक्सपेरिमेंट करता था। पहले उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया, बाकी सब चीजें छुड़वा दीं, तो उसका बच्चा अच्छा हो गया। तो अब गांधी ने खुद का दूध छोड़ दिया।

यानी उसने अब और ज्यादा एक्सपेरिमेंट अपनाने, या यों कहें कि प्रयोग बढ़ाने शुरू कर दिए। ठीक वैसे ही अपनी बीवी पर भी उसने एक्सपेरिमेंट किए थे।

और गांधी इसमें किसी की भी नहीं सुनता था। गांधी भले ही एक एजेंट था, लेकिन वह अपने प्रयोग में — यानी एक्सपेरिमेंट में — किसी के भी दखल बर्दाश्त नहीं करता था, चाहे वह सरदार पटेल या नेहरू जी ही क्यों न हों।

गांधी के मित्र जो **South Africa** में थे, उसने उनकी तक न सुनी थी।

और गांधी इन प्रयोगों के लिए कितना गिर गया था — यह इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि गांधी अपनी पत्नी की मौत करने से भी पीछे नहीं हटा था।

गांधी को हर बार प्रयोग में — एक्सपेरिमेंट करने की चुल रहती थी। जैसे **Page 81** पर वह कपड़े धोने का एक्सपेरिमेंट करता है और इसको एक्सपेरिमेंट का नाम वह खुद ही देता है।

यहां मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ —

पहली — गांधी ब्राह्मण, गोखले, डॉक्टर — किसी के भी कहने पर दूध, मांस, अंडा नहीं खाता।

दूसरी — डॉक्टर पूरी कोशिश करते थे अपने मरीज को बचाने की। इसमें वह कोई भेदभाव नहीं करते थे। **)**

जीवन-परिचय

[सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **page 13, 15, 23]** गांधी का खानदान पहले पंसारी का धंधा करता था, लेकिन पिछली तीन पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। कबा गांधी के भी चार विवाह हुए थे, पिता अनपढ़ थे, केवल थोड़ा बहुत ज्ञान था। गांधी का बचपन पोरबंदर में ही बीता था, गांधी बहुत शरमीला लड़का था, स्कूल में अपने काम से काम रखता था। गांधी को 7 साल की उम्र में राजकोट के ग्रामशाला में भर्ती किया गया था। गांधी स्कूल में होशियार नहीं था और वह बेवकूफ भी था, केवल स्कूल की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का भी शौक न था। छोटे पर ही उसके पिता ने उसे "श्रवण पितृभक्ति नाटक" की किताब खरीद कर दी, गांधी भी श्रवण की तरह बनना चाहता था। इसे बाजा बजाने का शौक था, पिता एक बाजा खरीद लाए इसके लिए। गाँव में कोई नाटक- कंपनी आई थी, तो वह हरिश्चंद का नाटक कर रही थी, गांधी उसे देखते हुए थकता न था। मुझे अपनी होशियार का कोई गर्व नहीं था, पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था। (क्योंकि गांधी तो पढ़ाई में होशियार ही न था। जब गांधी विदेश पढ़ने गया था, वहाँ भी गांधी से पढ़ाई नहीं होती क्योंकि वह होशियार न था।) गांधी के आचरण में दोष आने पर गांधी खूब रोता था, हर साल माता-पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे, गांधी का आचरण कभी खराब नहीं आया। गांधी मानता था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसकी सोच तब बदल गई, जब टीचर ने खेलना-कूदना अनिवार्य कर दिया था। पेज **16** गांधी और उसकी पत्नी बराबरी के उम्र के थे, पर मैंने पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। पत्नी अनपढ़ थी, अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह पढ़ सके तो अच्छा हो।

(यानि गांधी एक पति की तरह पेश आता था, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार आना चाहिए)। **Page 17** गांधी ने गलत दोस्त की संगत ले ली थी, पत्नी ने छुड़ाने को बोला, लेकिन गांधी पत्नी का हुक्म है क्यों लेता? हां, माता का उल्लंघन नहीं कर सकता था।

Page 15: गांधी की शादी की वजह से उसकी एक कक्षा की पढ़ाई मारी गई थी, तो उसने एक साल में दो कक्षाओं की पढ़ाई की थी **- 3** कक्षा की और **4** कक्षा की।

(इतनी जल्दी शादी हो गई थी गांधी की)।

[सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पृष्ठ **43]** —

अब्दुल्ला, इंडिया से एक व्यक्ति (गांधी) को बुलाता है **South Africa** में ताकि वह व्यक्ति अब्दुल्ला के वकील को केस अच्छी तरह समझा सके।

इसके लिए वह उसे करीब **1** साल के लिए एग्रीमेंट पर बुलाता है**,** उस व्यक्ति को — और उसके किराये का खर्चा भी देता है अब्दुल्ला**,** और उसके भोजन के खर्च के अलावा **105** पाउंड भी देता है।

(अगर कोई मामूली झगड़ा हो या जमीनी झगड़ा हो**,** तो भी कोई इतने खर्चे पर विदेश से किसी व्यक्ति को क्यों बुलाएगा**?**

इसका मतलब यह नहीं था कि वह दोनों व्यक्ति अडानी **(**अब्दुल्ला**) -** अंबानी **(**तैयब खान**)** थे**,** जो पैसे की परवाह नहीं कर रहे थे।

अगर इतने ही मालदार होते तो तैयब जब केस हारा था**,** तो उसने **37** हजार पाउंड चुकाए नहीं बल्कि समय मांगा वो भी बहुत लंबा। इतना तो **clear** हो गया है केस साधारण न था और वह दोनो सिर्फ व्यापारी थे न कि अमीरों के अमीर **)**

(2) आपको बता हूँ यह केस दो रिश्तेदारों के बीच चल रहा था। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा**-** हाँ पता है महाभारत याद आ रही है। उसमे भी दो परिवारों के बीच झड़प रहती है जमीन को लेकर।

शरमीला गांधी

सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **page 13:** मैं बहुत शमीला लड़का था, पाठशाला में अपने काम से काम रखता था।

Page 14: न जाने में मेरा शरमीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था।

Page 17: मैं बहुत डरपोक था, चोर, भूत, सांप आदि के डर से घिरा रहता था। रात को अंधेरे में तो कहीं जाता ही न था। दीये के बिना सोना असंभव था, कहीं इधर से भूत न आ जाएं, उधर से चोर या सांप न आ जाए।

Page 32: 'अन्नाहारी मंडल' की कार्यकारिणी में मुझे चुन तो लिया गया था और उसमें हर बार हाजिर भी रहता था, पर बोलने के लिए जीभ खुलती ही न थी। मंडल का उद्देश्य केवल अन्नाहार शाकाहार का प्रचार करना था। एक बार समिति में मुझे अपने विचार व्यक्त करने पर मुझमें बोलने की हिम्मत न थी, इसलिए मैंने अपने विचार लिखकर सभापति के सम्मुख रखने का निश्चय किया। मैं अपना लेख ले गया। जैसा कि मुझे याद है, मैं उसे पढ़े जाने की हिम्मत भी नहीं कर सका। सभापति ने उसे दूसरे सदस्य से पढ़वाया। मेरा शरमीला स्वभाव दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर ही दूर हुआ, बिल्कुल दूर हो गया, ऐसा तो आज भी नहीं कहा जा सकता।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **page 14:** मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेख जरूरी है, जब मैं विदेश गया पढ़ने, तो वहां सुंदर लेख देखकर मैं शरमाया और पछताया।
Page 25: जब गांधी विदेश पढ़ने जाता है और सरपंच उसे बुलाता है तब - मैं गया, मैं नहीं जानता था कि मुझमें अचानक हिम्मत कहां से आई, हाजिर रहने में मुझे न तो संकोच हुआ, न डर लगा।

(वैसे गांधी उम्र भर शरमीला और डरपोक रहा, लेकिन अपनी सभ्यता भूलने के लिए, धर्म का उल्लंघन करने के लिए हिम्मत आ गई, बहादुरी आ गई)।

Page 40: विलायत जाकर भी मैं अपने ईर्ष्यालु स्वभाव को छोड़ नहीं पाया था।
Page 40: गांधी ममीबाई का मुकदमा लड़ता है, लेकिन शर्म के कारण कांपने लगता है। सिर चकराने लगता है और गांधी केस वापस कर देता है और पैसे भी।

Page 90: गांधी कांग्रेस के भाषण में बोल नहीं पाता।

Page 92: गोखले गांधी से शरमीलापन छोड़ने को कहते हैं।

पिता की सेवा

सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **page 13:** गांधी के पिता ने उसे 'श्रवण - पितृभक्ति नाटक' की किताब खरीद कर दी। गांधी भी श्रवण के समान बनना चाहता था।

Page 14: खेलकूद में रुचि इसलिए न थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होते ही पिता की सेवा के लिए घर भाग जाता था। जब खेलकूद टीचर ने अनिवार्य कर दिया, तो गांधी ने विनती की कि मुझे पिता की सेवा के लिए कसरत से छुट्टी दी जाए।

(यहां यह कहना गलत न होगा, गांधी को पढ़ाई नहीं करनी थी, उसको पिता की सेवा करनी थी)।

Page 16: पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही, ठाकुर साहब ने उन्हें आखिरी घड़ी तक छोड़ा नहीं। दरअसल, गांधी का और उसके मझले भाई का और काकाजी के छोटे लड़के का इनकी शादी एक साथ हो रही थी। पिताजी दीवान की नौकरी कर रहे थे, तो ठाकुर साहब ने विवाह के 2 दिन पहले ही छुट्टी दी थी। पिताजी राजकोट से पोरबंदर आ रहे थे, तांगा में, वहां से पांच दिन का रास्ता था, लेकिन आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। फिर भी शादी तो हुई, मैं विवाह के बाल-उत्साह में पिताजी का दुख भूल गया।

Page 18,19: पिता को बिना बताए मांस खा लिया, वैश्याओं के यहाँ भी गया, बीड़ी भी चुराई, पैसे चुराए।

Page 20: पिता को भंगदर फोड़ा था, खटिया पर ही पड़े रहते थे, गांधी उनका नर्स का काम करता था, उसके साथ माताजी और घर का पुराना नौकर भी पिता की सेवा करते थे। रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता ही था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था और सो भी ऐसे, जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र, वैद्यक-शास्त्र और व्यवहार-शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। (ध्यान रहे गांधी शादीशुदा थे)। जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती, तो मैं खुश होता और पिता के पैर छूकर सीधा शयन-गृह में पहुंच जाता, एक बार मैं पैर दबा रहा था, चाचा जी ने मुझसे कहा- जा अब, मैं बैठूंगा, मैं खुश हुआ और सीधा शयन-गृह में पहुंचा, पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता, मैंने उसे जगाया। पांच-7 मिनट बाद पिता के मरने की खबर मिली। इस काले दाग को मैं आज तक मिटा नहीं सका, भूल नहीं सका। माता-पिता के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था, यह उस सेवा में रह गई अक्षम्य त्रुटि थी।

(गांधी अगर अपने पिता की सेवा कर रहा था बीमारी में, तो यह इतनी बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा अपने माता-पिता की सेवा करता है बीमारी में। अगर गांधी वाकई दिल से पिता की सेवा करता था, तो फिर वह छुट्टी की चिंता में क्यों पड़ा रहता था? वह बस यही देखता रहता था, कब मुझे छुट्टी मिले और कब शयनगृह में मैं घुसूं बीबी के साथ कुछ करूं। हां, गांधी के पिता जब मरते हैं, तो गांधी भी इसी बात के लिए रोता है। मैं अगर पिता की सच्चे दिल से सेवा करता और किसी विषय में मन नहीं लगाता (यानि शयनगृह), तो पिता के आखिरी पलों में मैं पिता के साथ होता। लेकिन हर बार की तरह गांधी प्रायश्चित की बोलकर गुनाहों से अपने को दूर कर लेता है। फिर बाद में गांधी यह भी कहता है। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी-व्रत का पाल करनेवाला मानते हुए भी विषयांध माना है। गांधी इस सब को अपने ऊपर काला दाग मानता है। यहां शयन-गृह का अर्थ पत्नी के साथ सेक्स करने को जल्दी में रहता था और पिता की सेवा छोड़ देता था।)

अंग्रेजी

सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पेज **15:** मुझे **4** क्लास में बैठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरी समझ में कुछ न जाता था। पेज **23:** मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ भी मुझे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मैं कमजोर था। पेज **23:** गांधी विदेश भाग जाता है पढ़ने के लिए (क्या वहाँ अंग्रेजी न थी, वहां हिंदी में पढ़ाते थे?) पेज **27:** डॉ. मेहता ने मुझे अंग्रेजी रीति-रिवाज 'सिखाए। यह कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में थोड़ी बातचीत करने की आदत उन्हीं ने डलवाई। पेज **30:** गांधी अपना हर समय खाना ढूंढने में और खाने में ही बिता देता था, या घर बदलने में लगा देता था। वह पढ़ता तो था ही नहीं। गांधी बोलता है, "मैं जानता था कि बैरिस्टर की परीक्षा के लिए बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है; इसलिए मुझे बेफिक्र था, पर मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे दुख देती थी।" पेज **30:** लंदन की मैट्रिकुलेशन पास करने के लिए गांधी लैटिन भाषा सीखता है। पेज **35:** गांधी ने गीता अपनी मातृभाषा व संस्कृत में नहीं पढ़ी, बल्कि सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ी थी। पेज **41:** गांधी जब ममीबाई का केस लड़ नहीं पाता अपनी शर्म और डर के कारण, तो वह हाई स्कूल मैट्रिक की कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा लू। इसके लिए अंग्रेजी का काफी अभ्यास किया था, लेकिन मेरे पास **BA** की डिग्री न होने के कारण मुझे वहां नौकरी न मिली। पेज **70:** मद्रास में सबके साथ, विशेषकर अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता था (सभा में)। पेज **76:** गांधी अपने बच्चों को साउथ अफ्रीका में इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि वहां अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, गुजराती में नहीं, हालाँकि अशुद्ध तमिल और हिंदी में पढ़ाई होती थी। फिर भी अपने बच्चों को अनपढ़ रखा। पेज **90:** कांग्रेस में हर एक प्रस्ताव पर लंबे-लंबे भाषण होते थे, सब अंग्रेजी में।

गांधी और गांधीवाद, पेज **35:** यहां गांधी को पहले अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। उसे हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मण के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। फिर अंग्रेजी स्कूल में बैठाया गया”

यहां गांधी के परिवार को अंग्रेजी सभ्यता से कोई दिक्कत नहीं थी और न ही गांधी को। यह गांधी राम रक्षा व विष्णु पूजन सीखता है, क्या इसी से देश चलनेवाला था? क्या यह विज्ञान को पीछे छोड़ने वाला था? क्या यह विज्ञान की जगह ले सकता था? तो फिर गांधी अंग्रेजी सभ्यता की तरफ क्यों भागा? यहां 'राम रक्षा' में बताया जाता था कि अछूतों से दूर रहो, वो पापी हैं। यहाँ एक और बात कहना चाहूंगा, लाढ़ महाराज (एक ब्राह्मण जो मंदिर का पुजारी था) का कुष्ठ रोग रामायण पढ़कर दूर हो गया, लेकिन क्या रामायण को पढ़कर किसी का मन का मैल (जो अछूत को पापी समझते हैं) दूर हुआ था?

सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पेज **76:** अब बात गांधी के बच्चों की कर लेते हैं। गांधी अपने बच्चों को साउथ अफ्रीका में इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि वहां गुजराती में पढ़ाई नहीं होती, तो अंग्रेजी में होती थी। अब सबको पता है, यह गांधी को भी पता था, जिस देश में जाएंगे तो उसी देश की भाषा में पढ़ना पड़ता है। पेज **27:** गांधी अंग्रेजी रीति-रिवाज सीखता है, अंग्रेजी में बात करना सीखता है। पेज **30:** लंदन की मैट्रिकुलेशन पास करने के लिए गांधी लैटिन भाषा सीखता है। पेज **35:** गांधी ने गीता की सबसे पहले अंग्रेजी में ही पढ़ी थी, वह भी अंग्रेजों के सभी अनुवाद में। पेज **41:** गांधी हाई स्कूल मैट्रिक की कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी का काफी अभ्यास करता है, यानि अंग्रेजी को सीखता है। ये सब देखकर आपको पता चल गया होगा, गांधी को अंग्रेजी से बिल्कुल नफरत नहीं थी और न ही अंग्रेजी सभ्यता से। पेज **102:** डरबन में मैंने जो घर बसाया था, उसमें परिवर्तन तो किए ही थे। खर्च अधिक रखा था, घर साफ रखने के लिए एक नौकर था। पाखाना साफ करने के लिए तो म्यूनिसिपैलिटी का नौकर आता था। **............**मैं यह तो नहीं कहूंगा कि बालकों के अक्षर ज्ञान के प्रति मैं लापरवाह रहा। पर यह ठीक है कि मैंने उसकी कुरबानी करने में संकोच नहीं किया।**..............** उन्होंने कभी-कभी अपना असंतोष भी व्यक्त किया है। यदि मैं उन्हें अक्षर-ज्ञान कराने के लिए एक घंटा भी नियमित रूप से बचा सका होता, तो मैं मानता कि उन्हें अक्षर-ज्ञान हो गया है। मैंने ऐसा आग्रह नहीं रखा, इसका दुख मुझे और दोनों को रह गया है। सबसे बड़े लड़के ने अपना संताप कई बार मेरे सामने और सार्वजनिक रूप में भी व्यक्त किया है।**...... .. . .** 'इस कमी के लिए मुझे पश्चाताप नहीं है अथवा है तो इतना ही कि मैं आदर्श पिता न बन सका**................**इन बालकों की अंग्रेजी शिक्षा के विषय में मेरे और पोलाक के बीच कितनी ही बार गरमागरम बहस हुई है। मैंने शुरू से ही यह माना है कि जो हिंदुस्तानी माता-पिता अपने बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी बोलनेवाले बना देते हैं, वे उनके और देश के साथ द्रोह करते हैं। मैंने यह भी माना है कि इससे बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रह जाता है, और उस हद तक वह देश की तथा संसार की सेवा के लिए कम योग्य बनता है। अपने इस विश्वास के कारण मैं हमेशा जानबूझकर बच्चों के साथ गुजराती में ही बातचीत करता था। पोलाक को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी दलील यह थी कि मैं बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहा हूँ। वे मुझे आग्रहपूर्वक और प्रेमपूर्वक समझाया करते थे कि यदि बालक अंग्रेजी के समान व्यापक भाषा को सीख लें, तो संसार में चल रही जीवन की होड़ में वे एक बड़ी मंजिल को सहज ही पार कर सकते हैं। उनकी यह दलील मेरे गले न उतरती थी।

टॉलस्टॉय आश्रम में जो साउथ अफ्रीका में था (पेज **115**) उसमें अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक तीन घंटे रखे गए थे। कक्षा में हिंदी, तमिल, गुजराती, उर्दू भाषाएँ सिखाई जाती थी। प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। अंग्रेजी भी सबको सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बच्चों को थोड़ा संस्कृत का और सभी बच्चों को थोड़ा हिंदी का परिचय कराया जाता था।

(यहाँ आपने देखा गांधी टॉलस्टॉय आश्रम में अंग्रेजी सिखा रहा है और अपने बेटे को अंग्रेजी की वजह से ही पढ़ाया नहीं था क्योंकि यह विदेश है। इसीलिए अंग्रेजी पढ़ानी जरूरी बन गई थी गांधी के लिए**,** क्योंकि भारत के आश्रम में गांधी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाते और मैकाले को गाली देने लग जाता है**)**

सत्य के साथ मेरे प्रयोग**,** पेज **28:** हिंदुस्तान में मैंने समाचार पत्र कभी न पढ़े थे।

उर्दू क्यों नहीं पढ़ते?

सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पेज **15:** स्कूल में संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी, फारसी के टीचर नरम मिजाज के थे। और विद्यार्थियों ने गांधी को बताया, फारसी तो सरल है, यह सुनकर गांधी भी फारसी पढ़ने लगा। यह सब एक हिंदू टीचर ने देख लिया, उसने गांधी को बुलाकर उसकी जाति और धर्म के बारे में बताया कि तू हिंदू है, तो इस प्रकार गांधी ने फारसी भाषा को छोड़ दिया।

गांधी की अय्यासी

सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पेज **17:** गांधी ने एक गलत दोस्त की संगत ले ली थी, यह बात गांधी को भी पता थी। उसकी पत्नी, माँ, भाई सबने उसे उस दोस्त को छोड़ने को कहा, लेकिन गांधी ने यह कहकर बात टाल दी, "उसे मैं सुधार दूंगा।"

एक दिन गांधी को पता चला कि कई हिंदू शिक्षक मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए जो मांसाहार करते थे। गांधी ने इसका कारण पूछा, तो लोगों/दोस्तों ने कहा, "इससे ताकत आती है, तो तुम भी खाओ।" मैं डरपोक था, चोर, भूत, सांप आदि के डर से घिरा रहता था। रात कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने यह मान लिया था कि मांसाहार अच्छी चीज है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। एक दिन छुपकर दोस्त के साथ मांसाहार कर लिया। लेकिन पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा। पेज **18**

पेज **28:** गांधी स्वीकार करता है कि मांस खाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं खाऊँगा।

(गांधी को बताया गया था मांस से ताकत आती है, साहस नहीं। फिर भी उसने मांस खाया, पिता के लिए मांस छोड़ा, तो पहले याद न था पिता मांस की मना करते थे, फिर भी खा लिया। गांधी को धर्म के अनुसार व्रत करना था, मांस खाने के बाद यही धर्म है, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया और न ही उसके पिता ने उससे ऐसा करवाया।)

पेज **18:** एक बार मेरे मित्र मुझे वेश्याओं के यहां ले गए। वहां मुझे एक स्त्री के मकान में भेजा, पैसे का भुगतान दोस्तों ने कर दिया था। मैं घर में घुस गया, उस कोठरी में मैं बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। शर्म के मारे उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुँह से बोल न निकाल सका। औरत ने मुझे गुस्से में मुझे खरि खोटी सुनाई और भगा दिया।

(पता नहीं क्यों गांधी हमको वेबकूफ और खुद को बहुत होशियार समझ रहा है, तभी तो वह अपनी जिन्दगी के राज खोल-खोल के बता रहा है, लेकिन उन पर साथ के साथ परदा डालता जा रहा है- यहां कुछ बातें सोचने योग्य हैं। पहली, गाँधी अपने पिता से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार कि उनकी सेवा के लिए गांधी ने खेलकूद त्याग दिया था स्कूल में, फिर भी वह ऐसी हरकतें कर रहा था पिता से बिना पूछे। दूसरा, जब उसने मांसाहार खाया था तो उसने बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन उसने पिता के ख्याल से उसे छोड़ दिया। जब होना तो यह चाहिए था कि अगर वाकई उसने पिता के लिए मांस छोड़ा था, धर्म के लिए मांस छोड़ा था तो उसे प्रायश्चित भी करना चाहिए था। हां, हिन्दू धर्म में सबका प्रायश्चित लिखा है। इसके बाद उसे और कोई गलती या पाप नहीं करना था। लेकिन फिर भी वह गलती करता है, यों कहो पाप करता है,

वेश्याओं के यहां चला जाता है। उसको उस वेश्या ने इसलिए भगा दिया, क्योंकि वह उससे बोल-बतला नहीं रहा था। आपको बता दूं, वेश्याओं के यहां बतलाने के लिए नहीं जाते, सेक्स के लिए जाते हैं। उनको बतलाने में इंटरेस्ट नहीं होता, अगर कोई उनके साथ अपनी तरफ से कुछ नहीं करता तो भी वह अपनी तरफ से शुरू हो जाती हैं। गांधी को डर लग रहा था, शर्म भी आ रही थी, फिर भी वेश्या की खटिया पर उसके पास जाकर बैठ गया।)

Page 19: अपने एक रिश्तेदार के साथ मैंने बीड़ी पीना सीख लिया, हम अपने काका और दूसरों को बीड़ी पीते देख, हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। पैसे हमारे पास थे नहीं, इसलिए काका जो बीड़ी पीते थे, उसके पीछे की बची हुई बीड़ी को वह फेंक देते थे, उसी को हम पीते थे। यह बीड़ी का ठूंठ हर समय मिलता नहीं था, और इससे धुआं भी कम निकलता था, तो हमने नौकर की जेब से पैसे चुरा लिए और कुछ हफ्तों तक काम चलाया। इस बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है जो बीड़ी की तरह होता है, उसको हम पीने लगे। अब हमें दुःख इस बात का था कि हमने बड़ों की आज्ञा के बिना बीड़ी पी, अब हम ऊब गए और आत्महत्या की सोची। इसके लिए धतूरे खाने की सोची, क्योंकि वह जहर होता है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई मरने की, इसके बाद बीड़ी नहीं पी।

(यहां गांधी एक ही बात को बार-बार दोहरा रहा है कि हमने बड़ों की आज्ञा के बिना बीड़ी पी है, इसलिए अब बीड़ी नहीं पियेंगे। अरे, जब मांसाहार के समय यह बात बोल दी थी तो वेश्याओं के घर अपने पापा से पूछकर जाता और जब बीड़ी पीते समय तो पापा से पूछ ही लेता। बीड़ी एक दिन नहीं पी, बल्कि हफ्तों तक पी थी, जो पापा की याद नहीं आई। आत्महत्या भी एक दिखावा था, धतूरे को तो खाना तो दूर, उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। इस समय तक वह बालक नहीं, शादीशुदा गांधी था)

Page 19: दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र **15** साल की रही होगी। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें से एक तोला सोना काट लेना मुश्किल नहीं था। दरअसल, उन पर मामूली सा, लगभग **25** रु का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ। पर मेरे लिए यह बात असहाय थी। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूंगा ही नहीं। मुझे लगा पिता के सामने अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। आखिर मैंने यह सब लिखकर एक चिट्ठी में पिता को बात बता दी। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे। इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से आंसू टपके। चिट्ठी को फाड़ा, फिर लेट गए, मैं भी रोया।

(अब मुझसे और नहीं बोला जा रहा, ये गांधी है या झूठ की दुकान, बात-बात पर झूठ बोलता है। देखो-मांसाहार के समय और गलती न करने की जब कसम ले ली थी, प्रायश्चित कर लिया

था, तो फिर बार-बार वही गलती क्यों दोहरा रहा था, क्योंकि गांधी छिछोरा था। मांसाहार = वेश्या = बीड़ी = नौकर के पैसे चोरी = भाई के साथ चोरी = पिता जी भगंदर फोड़ा से परेशान थे। वैसे हिन्दू धर्म में तो बहुत ताकत थी, इनके यहां हर चीज का इलाज है, फिर भी भगंदर ठीक न हुआ। वह हमेशा खटिया पर पड़े रहते थे, इसलिए उनको चिट्ठी में लिखकर दे डाला। गांधी ने अपनी जुबान से अपना गुनाह कबूल नहीं किए, यानि दिल से अभी उसे पछतावा नहीं था।)

Page 33: जिस होटल में मैं ठहरा था, वहां एक विधवा बुढ़िया थी, उसने गांधी को परेशान देखा तो वह गांधी से बातचीत करने लगी। दरअसल, गांधी जिस होटल में खाना खा रहा था, वहां का मेनू फ्रेंच भाषा में था, लेकिन गांधी को वह भाषा आती नहीं थी, तो बुढ़िया ने उसकी मदद की थी। उस बुढ़िया ने गांधी को लंदन में अपना पता दिया और हर रविवार को वह गांधी को अपने यहां खाने का न्योता देती। वह और भी अवसरों पर गांधी को बुलाती थी। जवान स्त्रियों से जान पहचान कराती थी और उनसे बात-चीत करने को ललचाती थी, ताकि गांधी का शरमीला पन छूट जाए। वह अपने घर रहने वाली एक स्त्री के साथ बहुत बातें करवाती थी। कभी-कभी हम दोनों (यानि गांधी और उस लड़की को) को अकेला भी छोड़ देती थी। मैं तालीम पाने लगा, हर रविवार की राह देखने लगा। बुढ़िया भी मुझे लुभाती जाती। मैंने सोचा- क्या ही अच्छा होता, अगर मैं इस भद्र महिला से अपने विवाह की बात कह देता? मैंने एक पत्र लिखा और बुढ़िया से कह दिया, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे तभी कह देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूं। मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूं। मेरा विवाह बचपन में हुआ है और मेरा एक लड़का भी है।

(पहले तो मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा, गांधी में कभी दूसरे से नजर मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, वह हमेशा चिट्ठी लिखकर अपनी बात कहता था। अपने पिता के सामने जब गांधी गुनाह कबूल करता है, तब भी वह चिट्ठी लिखता है। जब अन्नाहारी मंडल समिति में भी गांधी अपने विचार चिट्ठी में लिखता है, स्पीच नहीं देता। उस लड़की से शादी न करने की बात भी चिट्ठी में लिखता है। गांधी को जब वह बूढ़ी महिला स्त्रियों से मिलवाती है, वो भी जवान स्त्रियों से और एक स्त्री के साथ **Room** में अकेला छोड़ जाती है, तो गांधी को कोई ऐतराज नहीं होता, जबकि वह गांव में जैन साधु को वचन देकर आया था कि स्त्री संग नहीं रहेगा और न मास खायेगा। यहां उसने मांस तो नहीं खाया, लेकिन स्त्री संग ज़रूर रहा, गांधी खुद बोलता है कि मैं तालीम पाने लगा और हर रविवार की राह देखने लगा, बुढ़िया भी मुझे लुभाती। गांधी को किसी बात से समस्या नहीं थी, समस्या उसे तब हुई जब गांधी की उस लड़की के साथ शादी करने की नौबत आई, तब उसे याद आया मैं तो शादीशुदा हूं। यहां आपको एक और बात बता दूं, इसी सेक्स के लिए गांधी अपने पिता के पैर दबाने से छुटकारा पाना चाहता था। जैसे ही उसे छुट्टी मिलती, वह शयन गृह में जाकर बीबी के साथ सेक्स करने लग जाता, लेकिन पिता की मौत हो जाने पर वह इससे दुखी होता है और इन सब से दूर रहने की बोलता है।)

Page 36: अब मेरी उम्र **20** साल थी। मैं गृहस्थाश्रम का ठीक-ठीक अनुभव ले चुका था। **1890** के साल में पोर्टस्मथ में अन्नाहरियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें मुझे और एक हिन्दुस्तानी मित्र को निमंत्रित किया गया था। हम दोनों वहां पहुंचे, हमें एक महिला के घर ठहराया गया था। वहां बहुतेरे घर दुराचारिणी स्त्रियों के होते हैं, वे स्त्रियां वैश्या नहीं होतीं। न निर्देषी ही होती हैं। ऐसे ही घर में हम लोग टिके थे। विलायत में अच्छे भले घरों में भी इस तरह गृहिणी मेहमानों के साथ ताश खेलने बैठती है। ताश खेलते हुए वीभत्स विनोद शुरू हुआ, मैं नहीं जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण हैं। मुझे इस विनोद में रस आने लगा, मैं भी इसमें शरीक हो गया। वाणी में से क्रिया में उतरने की तैयारी थी। ताश एक तरफ धरे ही जा रहे थे, लेकिन मेरे भले साथी के मन में रामवसे, उन्होंने कहा, "अरे तुमसे यह कलियुग कैसा, तुम्हारा यह काम नहीं है, तुम यहां से भागो।" मेरा ख्याल है कि पर-स्त्री को देखकर विकारवश होने और उसके साथ रंगेलियां करने की इच्छा पैदा होने का मेरे जीवन में यह पहला प्रसंग था। उस रात मैं सो नहीं सका। अनेक प्रकार के विचारों ने मुझ पर हमला किया। घर छोड़ दूं? भाग जाऊं? मैं कहां हूं? अगर मैं सावधान न रहूं तो मेरी क्या गत हो? यह सोच लिया कि घर तो नहीं छोड़ना है, पर जैसे भी बने पोर्टस्मथ छोड़ देना है। मेरे साथी पोर्टस्मथ में कुछ दिन के लिए रूके। उन दिनों में बिल्कुल नहीं जानता था कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है?

("गांधी ने कभी कोई बचन किसी को दिया ही नहीं था और न कोई प्रायश्चित किया था, वरना बार-बार वह रंगरेलिया न मनाता, छोटे पर वेश्या के घर न जाने की सौगंध लेने वाला फिर से वेश्या के यहां पहुंच गया। हां, पता है पूर्ण रूप से यानि नाम से वेश्या नहीं थी, लेकिन काम वेश्याओं वाले थे। अब गांधी वहां कोई और घर भी ढूंढ सकता था। गांधी उन स्त्रियों के साथ सेक्स करने के लिए रण में उतर गया था। गांधी कहता है, 'मुझे भी वीभत्स विनोद में रस आने लगा और मैं इसमें शरीक हो गया, लेकिन ऐन समय पर मेरे दोस्त के मन में राम आए और मुझे रोक लिया, लेकिन मैं रात भर सोया नहीं।' गांधी को पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि उसका मन लड़कियों की तरफ बार-बार भाग रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी।

मांसाहार - बेश्या - बीड़ी/ चोरी - चोरी/ भाई - बूढ़ी दादी सेक्स - सेक्स वैश्या

ब्रह्मचर्य

पेज **78:** गांधी को अफ्रीका में दो और बच्चे होते हैं। गांधी ने साउथ अफ्रीका में दो और बच्चे पैदा कर दिए।

(समझ नहीं आ रहा**,** वहा घर बसाने गया था या लोगों के लिए आंदोलन करने**,** जिस देश में गांधी के जान के प्यासे लोग रह रहे थे**,** उस देश में वह आराम से बच्चे पैदा करने में लगा था।**)**

पेज **79:** अपनी स्त्री के साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका स्पष्ट बोध मुझे दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ। मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति को रोकना। हमने अलग खाटें रखीं**,** रात में पूरी तरह थकने के बाद ही सोने का प्रयास किया। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन का अर्थ है **-** ब्रह्मा-दर्शन। यह ज्ञान मुझे शास्त्रद्वारा नहीं हुआ। यह अर्थ मेरे सामने क्रम-क्रम से अनुभवसिद्ध होता गया। उससे संबंधित शास्त्रवाक्य मैंने बाद में पढ़े। ब्रह्मचर्य में शरीर-रक्षण**,** बुद्धि-रक्षण**,** आत्मा का रक्षण समाया हुआ है। इसे मैं व्रत लेने के बाद दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा।

मैंने स्वयं अनुभव किया है**,** यदि स्वाद को जीत लिया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत सरल हो जाता है। इस कारण**,** जब से आगे के मेरे आहार-संबंधी प्रयोग केवल अन्नाहार की दृष्टि से नहीं**,** बल्कि ब्रह्मचर्य की दृष्टि से होने लगे। मैंने प्रयोग करके अनुभव किया कि आहार थोड़ा**,** सादा**,** बिना मिर्च-मसाले का और प्राकृतिक स्थितिवाला होना चाहिए। ब्रह्मचारी का आहार वनपक्व फल है। इसे अपने विषय में तो मैंने **6** वर्ष तक प्रयोग करके देखा है। जब मैं सूखे और हरे वनपक्व फलों पर रहता था। दुग्धाहार के कारण वह कष्टसाध्य बन गया है। मुझे फलाहार से दुग्धाहार पर क्यों जाना पड़ा**,** इसकी चर्चा में यथास्थान करूंगा। यहां तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रह्मचारी के लिए दूध आहार व्रत-पालन में बाधक है। इस विषय में मुझे शंका नहीं है। इसका कोई यह अर्थ न करे कि ब्रह्मचारी मात्र के लिए दूध का त्याग इष्ट है। दूध के समान स्नायु-पोषक और उतना ही सरलता से पचनेवाला फलाहार मुझे अभी तक मिला नहीं**,** और न कोई वैद्य**,** हकीम**,** डॉक्टर ऐसे फलों अथवा अन्न की जानकारी दे सका है। अतएव दूध को विकारोत्पादक वस्तु जानते हुए भी मैं उसके त्याग की सलाह अभी किसी को नहीं दे सकता। ब्रह्मचर्य में उपवास के बारे में भी समझना चाहिए।

ब्रह्मचर्य में उपवास अनिवार्य अंग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है **-** मन-वचन-क्रम से समस्त इन्द्रियों का संयम। इस संयम के लिए ऊपर बताए गए त्याग की आवश्यकता है। त्याग के क्षेत्र की सीमा ही नहीं है। जैसे ब्रह्मचर्य की महिमा की कोई सीमा नहीं है।

(गांधी का ब्रह्मचर्य बिल्कुल ऐसा ही जैसे बिल्ली **101** चूहे खाकर हज को चली

यहां ऐसा लगता है गांधी सेक्स से अब ऊब गया हो। सेक्स से ऊब गया का मतलब अपनी पत्नी से ऊब गया था। इसीलिए पत्नी को भी बुरा न लगे, इसके लिए ब्रह्मचर्य का नाम दे डाला। गांधी ने खुद कहा है कि स्वाद को जीत लिया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन सरल हो जाता है, पर गांधी ने तो कभी स्वाद छोड़ा ही नहीं था। गांधी को पकवान दिए जाते हैं, लेकिन गांधी पूरे पकवान चट कर जाता है और यह बात गांधी खुद मानता है कि इसे ऐसा नहीं करना था।

इससे यही साबित हो रहा है, गांधी ने सिर्फ अपनी बीबी से पल्ला झाड़ने के लिए और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बोल दिया है। गांधी ने यहां ब्रह्मचर्य की कहानी खुद से ही बनाई है, उसने साफ-साफ बोल दिया है। 'यह ज्ञान मुझे शास्त्र द्वारा नहीं मिला।' उसका खुदका है। दरअसल, गांधी पेज **73** पर पहले ही बता चुका है, उसे अपने हिंदू धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो यहां अपनी पत्नी लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में बता ही क्या सकता था, इसलिए उसने खुद से ही इसकी कहानी डेफिनिशन बना दी। और कह दिया, 'उपवास करो, आहार व्रत रखो, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, सबके सब बता डाला।' ये परिभाषा आपको किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गांधी ने कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ा ही नहीं था। गांधी बोलता है, 'ब्रह्मचर्य के आहार व्रत पालन में दूध बाधक है।' यानी दूध की मना कर रहा है गांधी। जबकि गांधी दूध पीता था, इससे पहले पेज **27** पर देखें। जब गांधी बीमार पड़ जाता है तो भी वह दूध पीता है, कहता है, 'ये दूध तो बकरी का है, भैंस का नहीं।'

दूध से गांधी को प्रॉब्लम क्यों है, यह बाद में देखेंगे।

गांधी बोलता है, 'त्याग की क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है।' जो चीजें गांधी ने बताई हैं, उसके त्याग की कोई सीमा नहीं। यानी आहार की त्याग की सीमा नहीं। स्वाद की त्याग की सीमा नहीं। लेकिन त्याग की आवश्यकता जरूर है। अब आप कितना त्याग करेंगे, यह आप पर निर्भर है, इसकी कोई सीमा नहीं।)

Page 81 ब्रह्मचर्य वाले **chapter** में गांधी बोलता है, "आत्मार्थी के लिए राम-नाम और राम कृपा ही अंतिम साधन है।"

Page 16 गांधी और उसकी पत्नी बराबर के उम्र के थे, पर मैंने पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया, पत्नी अनपढ़ थी। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह पढ़ सके तो अच्छा हो।

(यानि गांधी एक पति की तरह पेश आता था। जैसे हिन्दू धर्म के अनुसार आना चाहिए।)

हिंद स्वराज **Page 32- Parliament** की माता को गांधी बांझ, वैश्या बोल रहा है। ऐसे शब्द **use** करने वाला कौन हो सकता है? ये किस व्यक्ति के शब्द हो सकते हैं। [यहां मुझे यह **Parliament** की रानी विक्टोरिया लग रही है]

शब्द कितने मायने रखते हैं, यह गांधी से ही सीख लो-

"सत्य के साथ मेरे प्रयोग" **Page 192** मौलाना शौकत अली के कहने पर मैंने असहयोग के प्रस्ताव का मसविदा रेलगाड़ी में तैयार किया। आज तक मेरे मसविदों में शांतिमय शब्द प्रायः नहीं आता था। मैं अपने भाषण में इस शब्द का उपयोग करता था। सिर्फ मुसलमान भाइयों की सभाओं में 'शांतिमय' शब्द से मुझे जो समझाना था, वह मैं समझा नहीं पाता था। इसलिए मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद से दूसरा शब्द माँगा, उन्होंने 'बाअमन' शब्द दिया और असहयोग के लिए 'तर्के मवालात' शब्द सुझाया। मैंने प्रस्ताव तैयार करके रेलगाड़ी में ही मौलाना शौकत अली खान को दे दिया। रात में मुझे ख्याल आया कि मुख्य शब्द 'शांतिमय' तो छूट गया है। मैंने महोदव को दौड़ाया और कहलवाया कि छापते समय प्रस्ताव में 'शांतिमय' शब्द बढ़ा लें।**Page 94-110**

(दरअसल ऐसा था, गांधी एक्सपेरिमेंट करता था, पहले उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया, बाकी सब चीज छुड़वा दी [इसको पूरा देखने के लिए **Page 94** या इसी **pdf** के "धर्म गांधी का" **Topic** पढ़ लें], तो उसका बच्चा अच्छा हो गया। तो अब गांधी ने खुद का दूध छोड़ दिया, यानी उसने अब और ज्यादा **experiment** अपनाने या यों कहें कि प्रयोग बढ़ाने शुरू कर दिए। ठीक वैसे ही अपनी बीबी पर भी उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। और गांधी इसमें किसी की भी नहीं सुनता था। गांधी भले ही एक एजेंट था, लेकिन वह अपने प्रयोग में यानी एक्सपेरिमेंट में किसी के भी दखल बर्दाश्त नहीं करता था, चाहे वह सरदार पटेल या नेहरू जी ही क्यों ना हो। गांधी के मित्र जो **South Africa** में थे, उसने उनकी तक न सुनी थी और गांधी इन प्रयोगों के लिए कितना गिर गया था, यह इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि गांधी अपनी पत्नी की मौत करने से भी पीछे नहीं हटा था। देखें **Page 107-** डॉक्टर ने मुझसे कहा, "मैंने तो शोरबा पिलाने के बाद ही आपको टेलीफोन किया था।" मैंने (गांधी) कहा, "डॉक्टर, मैं इसे दगा समझता हूँ।" डॉक्टर ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, "दवा करते समय मैं दगा-बगा नहीं समझता। हमारा धर्म तो किसी भी तरह रोगी को बचाना है।" गांधी बोला, "मांस न लेने के कारण उसकी (गांधी की पत्नी की) मृत्यु हो जाए तो मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं।" डॉक्टर बोले, "आपकी फिलॉसफी मेरे घर में तो हरगिज नहीं चलेगी।"

यह **experiment** धर्म के लिए नहीं, खुद के लिए होते थे।)

"सत्य के साथ मेरे प्रयोग" **Page 32-** 'अन्नाहारी मण्डल' की कार्यकारिणी में मुझे चुन तो लिया गया था और उसमें हर बार हाजिर भी रहता था। मण्डल का उद्देश्य केवल अन्नाहार था। यानी शाकाहार का प्रचार करना था।

Page 106- जूलू विद्रोह के समय गांधी बोलता है, "जब इस निर्जन प्रदेश में हम किसी घायल को लेकर अथवा यों ही मीलों पैदल जाते थे, तब मैं सोच में डूब जाता था... मुझे अभी इस

बात का साक्षात्कार तो नहीं हुआ था कि ईश्वर-दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य वस्तु है; किंतु मैं यह स्पष्ट देख सका था कि सेवा के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। मुझे लगा कि इस प्रकार की सेवा तो मेरे हिस्से अधिकाधिक आती ही रहेगी और यदि मैं भोग विलास में, संतानोत्पत्ति में और संतति के पालन पोषण में लगा रहा तो मुझसे संपूर्ण सेवा नहीं हो सकेगी; मैं दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता… विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो परिवार की सेवा समाज-सेवा की विरोधी न बने। मैं इस प्रकार के विचार चक्र में फंस गया… व्रत लेते ही मैंने एक परिवर्तन कर डाला कि पत्नी के साथ एक शय्या का अथवा एकांत का मैंने त्याग किया। इस प्रकार जिस ब्राह्मचर्य का पालन में इच्छा या अनिच्छा से सन् **1900** से करता आ रहा था, व्रत के रूप में उसका आरंभ सन् **1906** के मध्य हुआ।"

(Page 79 पर गांधी ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन का अर्थ - ब्रह्मा-दर्शन बताता है, लेकिन **Page 106** पर गांधी बोलता है, "मुझे अभी इस बात का साक्षात्कार तो नहीं हुआ था कि ईश्वर-दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य वस्तु है।"

ब्रह्मचर्य में –

पहला - स्त्री से दूर रहना चाहिए,

दूसरा - वनपक्क फल ही खाने चाहिए,

तीसरा - दूध नहीं पीना चाहिए,

चौथा - सेवा करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है,

पांचवा - ईश्वर के दर्शन ब्रह्माचार्य से मिलेगें, हालांकि इस पर गांधी पूरी तरह से **sure** नहीं,

छठा - उपवास करना चाहिए।

ब्रह्मचर्य में स्त्री से दूर रहना चाहिए, इस बात का ज्ञान गांधी को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रह्माचार्य, से पहले ही गांधी अपने आहार प्रयोग करता था, लेकिन अब सभी आहार प्रयोग ब्रह्मचर्य को ध्यान में रखकर करता है।

यहां हंसने वाली बात यह है कि गांधी को ब्रह्मचर्य के बारे में ही नहीं पता, जबकि उसके आस पास साधु मुनि खूब मिले होंगे? जब **Page 25** पर गांधी विलायत पढ़ने जाता है, तब भी एक जैन साधु ही गांधी से **3** वचन लेता है, उसके बाद वह विलायत जाता है। गांधी अपने पिता के साथ मंदिर में हर रात को रामायण सुनने जाता था और गांधी की तभी से तुलसीदास की रामचरितमानस को **page 21** भक्तिमार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं।

यह ब्रह्मचर्य का ढोंग गांधी का **1896** के बाद से होने लगा था।

Page 79 पर गांधी कहता है, "मैं अभी दूध की त्याग की सलाह नहीं दे सकता," लेकिन **page 121** पर गोखले के कहने पर भी गांधी दूध नहीं पीता।

Page 94 पर गांधी अपने बीमार लड़के को दूध और फलों के रस पर **40** दिन तक रखता है। **Page 110** पर गांधी अपनी बीमार पत्नी पर अपना आहार का प्रयोग का **experiment** करता है, उसकी इच्छा के विपरीत उसे नमक और दाल खाना छुड़वा देता है। यही **experiment** वह अपने बेटे पर करता है और **40** दिन तक उसे दूध और फलों के रस पर ही जिंदा रखता है, लेकिन जब गांधी को लगता है यह **experiment** कहीं तक कामयाब हो गया है, तो वह इन आहार प्रयोगों को और आगे बढ़ाता है। अब गांधी दूध को भी छोड़ देता है। जब इससे भी काम न चला तो आगे चलकर गांधी ने उपवास रखना भी शुरू कर दिया और सिर्फ पानी पर रहने लगा, व दूसरों से भी उपवास कराने लगा, अपने आश्रम के लोगों पर यह प्रयोग करने लगा।

इसी प्रकार गांधी ने **sex** से संबंधित **experiment** किए व अपनी पत्नी व आश्रम की लड़कियों के साथ भी किए।

गोखले ने **(Page 121)** भी आहार संबंधित **experiments** को गलत बताया था, लेकिन गांधी ने उसकी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार **sex** संबंधित **experiments** को भी नेहरू, पटेल ने गलत बताया था, पर गांधी ने उनकी भी बात नहीं मानी।

गांधी अपनी पत्नी से ब्रह्मचर्य के नाम पर जो दूर हुआ था, वह असल में दूर नहीं हुआ था, वह केवल अपना **experiment** कर रहा था। हां, इसी तरह का **experiment** गांधी आश्रम में लोगों पर करता था। लड़के-लड़कियां साथ-साथ नहाते थे, लेकिन **sex** नहीं करने देता था, उनसे कहता था, "इस पर काबू करो।" ऐसे ही गांधी खुद को देखना चाहता था, वह पत्नी से दूर रहकर कितना काबू कर सकता है अपने आप पर। गांधी की पत्नी व बच्चे इस बात से शायद पूरी तरह से अनजान न हो, यही कारण था कि उसके बेटों ने भी अलग जाति-धर्म की लड़की से शादी की, व उसकी पत्नी भी आंख मूंदकर गांधी का हुक्म नहीं मानती थी, चाहे वह जेवर लौटाने व बीमारी के समय दाल, नमक छोड़ना हो। दोनों मौकों पर गांधी की पत्नी ने उससे बराबरी की बहस की थी। जबकि **page 71** पर गांधी कहता है, "हिंदू पति अपने को पत्नी का ईश्वर मानता है।" इसलिए पत्नी को पति जैसा नचाए, वैसा नाचना होता है। **Page 16** पर गांधी कहता है, "हम दोनों (पति-पत्नी) बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। वह स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी।"

Page 112 गांधी की पत्नी के मरने के बाद उसके **experiments** अब बढ़ने लगे और खुले तौर पर किए जाने लगे।

गांधी ने चाय पीना भी छोड़ दिया था। **(Page 110)** मुझे जेल का पहला अनुभव सन् **1908** में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं, संयमी अथवा

ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छापूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले **5** बजे तक खाना खा लेना होता है। उन्हें हिन्दुस्तानी और हब्शी कैदियों को चाय या कॉफी नहीं दी जाती। नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है। स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता।**…………** 'अतएव**,** जेल से छूटने के बाद मैंने भोजन में तुरंत ये परिवर्तन किए। भरसक चाय पीना बंद किया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली।**…………** किंतु एक ऐसी घटना घटी**,** जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया**,** जो लगभग **10** वर्ष तक अखंड रूप से कायम रहा।**……….**अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। मैंने यह भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमजोर शरीर वाले को दाल न खानी चाहिए**;** किंतु मैं उन्हें तुरंत छोड़ न सका था। दोनों चीजें मुझे प्रिय थीं।**………….**यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी।**………**मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। स्वयं मुझ पर **(page 111)** तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव अच्छा ही पड़ा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक न रही। एक साल का समय तो तेजी से बीत गया।**…………**दाल और नमक का मेरा त्याग देश लौटने तक चालू रहा। केवल एक बार सन् **1914** में विलायत में नमक और दाल खाई थी। पर इसकी बात और देश वापस आने पर ये दोनों चीजें फिर किस तरह लेनी शुरू की। इसकी कहानी आगे कहूंगा। नमक और दाल छुड़ाने के प्रयोग **(experiment)** मैंने दूसरे साथियों पर भी काफी किए हैं और दक्षिण अफ्रीका में तो परिणाम अच्छे ही आए हैं। भोगी और संयम के आहार भिन्न होने चाहिए।

(गांधी को जहाँ भी कुछ नया देखने को मिलता**,** वह उसे अपने प्रयोग का हिस्सा बना लेता था। जैसे-जेल में उसे सूर्यास्त से पहले खाना**,** नमक**,** चाय नहीं मिलती थी**,** फिर भी गांधी ने इन सबको ***positive*** लिया और अपने ***experiment*** का हिस्सा बना लिया। ***Page 112*** पर उपवास को हिस्सा बना लिया।

दूसरा**-** यह बात मैं खुद नहीं कह रहा कि गांधी ***experiment*** करता था या कर रहा था**,** ये तो गांधी ने खुद कहा है और हर बार कहा है। गांधी ने अपनी पत्नी के नमक-दाल छुड़ाने से पहले ही वह उन पर ***experiment*** कर रहा था**,** इसलिए अपनी पत्नी पर भी वह ***experiment*** किया था तथा उसके बाद वही ***experiment*** और लोगों पर भी किए। देखिए ***Page 111*** पर गांधी कहता है — **"**नमक और दाल छुड़ाने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफी किए हैं और दक्षिण अफ्रीका में तो परिणाम अच्छे ही आए हैं।**"**

आपको बता दूँ**,** गांधी शुरू से ही बहुत खाता था। जैसे जब वह इंग्लैण्ड जाता है तो वहाँ **(***सत्य के साथ मेरे प्रयोग*, ***Page 27*****)** — **"**बिना नमक और मसालों वाली साग-सब्ज़ी मुझे **(**गांधी**)** रुचती नहीं थी। मैं देखता कि रोटी के तो दो-तीन टुकड़े ही लेने की रीत है**,** इससे अधिक माँगने पर शरम लगती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था।**"**

Page 164 पर गांधी को पेचिश था, फिर भी वह खाने के लालच में आ जाता है और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। दरअसल गांधी थोड़ा खाने के लिए बैठता है लेकिन स्वाद के लिए पेट भर खा जाता है।

तीसरा — गांधी ने अपने ***experiments*** को जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाम दिया, ताकि लोग उसको आसानी से पचा सकें। गांधी ने यह सब अपने ***experiment*** को सही ठहराने के लिए किया। इसका सबूत ये भी है कि गांधी की जो ब्रह्मचर्य की ***definition*** है, वह हिन्दू धर्म की किसी भी किताब में नहीं मिलती। और यह बात गांधी ने स्वयं भी स्वीकार की है। तो क्या गांधी यहाँ अपने को शास्त्रों या ब्राह्मणों से ऊँचा मानता है, अपने आप को? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप गांधी के ब्रह्मचर्य को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें तो गांधी के ***experiments*** की ही कहानी मिलेगी — इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने ***experiment*** को जायज़ ठहराने के लिए गांधी ने ब्राह्मण धर्म के ब्रह्मचर्य का सहारा लिया है। आपको एक और बात बताऊँ — हिन्दू धर्म के अनुसार शास्त्र लिखने का अधिकार या उसमें कुछ परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को है, किसी वैश्य को नहीं।

अगर एक लाइन में कहें तो गांधी के ***experiments*** लावारिस हैं, जिनको गांधी ने ब्रह्मचर्य के साथ जोड़कर उनको वारिस बना दिया।)

Page 112 — "अब तो दिन-प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की दृष्टि से आहार में परिवर्तन होने लगे। इनमें पहला परिवर्तन दूध छोड़ने का हुआ। मुझे पहले-पहल रामचन्द्र भाई से मालूम हुआ था कि दूध इंद्रिय विकार पैदा करने वाली वस्तु है। हम दोनों (गांधी और मि० केलनबैक) ने उसी क्षण टॉलस्टॉय फार्म पर दूध का त्याग किया। यह घटना सन् **1892** में घटी। **…………** दूध छोड़ने के कुछ ही समय बाद केवल फलाहार के प्रयोग का भी हमने निश्चय किया। फलाहार में भी जो सस्ते से सस्ते फल मिले, उनसे ही अपना निर्वाह करने का हमारा निश्चय था। गरीब से गरीब आदमी जैसा जीवन बिताता है, वैसा ही जीवन बिताने की उमंग हम दोनों की थी।"

(गांधी ने अपने मित्रों को भी अपने ***experiment*** में शामिल कर लिया था या यों कहें कि उन पर भी ***experiment*** किया — जैसे मिस्टर केलनबैक पर।

गांधी यहाँ खुद कह रहा है कि दिन-प्रतिदिन उसके ***experiment*** में परिवर्तन होने लगे। **1892** में दूध छोड़ने के बाद गांधी अब फलाहार का ***experiment*** करने लग गया था। **1908** में नमक-दाल छोड़ी, ब्रह्मचर्य का पालन सन् **1900** से करता आ रहा था, व्रत के रूप में उसका प्रारंभ सन् **1906** के मध्य से हुआ (व्रत था कि पत्नी से अलग सोना)। **1909** में गांधी का बेटा बीमार पड़ा था, यानि भारत में पड़ा था। **1897** में गांधी दूध को छोड़ने पर पूरी तरह से सहमत नहीं था। **1915** में गांधी खाने का ***time table*** बनाता है।)

Page 112 — "जिन दिनों मैंने दूध और अनाज छोड़कर फलाहार का प्रयोग शुरू किया, उन्हीं दिनों संयम के हेतु से उपवास शुरू किए। .... उपवास केवल आरोग्य की दृष्टि से करता था। एक मित्र की प्रेरणा से मैंने समझा कि देह-दमन के लिए उपवास की आवश्यकता है। चूँकि मैं वैष्णव कुटुंब में पैदा हुआ था और चूँकि माता ही जो कठिन व्रतों का पालन करने वाली थी, इसलिए देश में एकादशी आदि व्रत मैंने किए थे, किंतु वे देखा-देखी अथवा माता-पिता को प्रसन्न करने के विचार से किए थे। ऐसे व्रतों से कोई लाभ होता है, इसे न तो मैं उस समय समझता था, न मानता ही था। किंतु उक्त मित्र को उपवास करते देखकर और अपने ब्रह्मचर्य-व्रत को सहारा पहुँचाने के विचारों से मैंने उनका अनुकरण करना शुरू किया और एकादशी के दिन उपवास रखने का निश्चय किया। साधारणतः लोग एकादशी के दिन दूध और फल खाकर समझते हैं कि उन्होंने एकादशी की है। पर फलाहारी उपवास तो अब मैं रोज करने लग गया था। इसलिए मैंने पानी पीने की छूट रखकर पूरे उपवास किए। .... उस साल रमज़ान और श्रावण दोनों एक साथ पड़े थे।"

गाँधी कुटुंब में वैष्णव व्रतों के साथ शैव व्रत भी पाले जाते थे।........... इसलिए इस श्रावण मास का व्रत मैने रखना चाहा। इस महत्वपूर्ण प्रयोग का प्रारंभ टॉलस्टॉय आश्रम में हुआ था।.........उनमें बालक और नौजवान भी थे। उनके लिए स्कूल चलता था इन नौजवानों में चार पांच मुसलमान थे।.........आश्रम में पारसी, ईसाई भी थे। ....अतएव मुसलमान नौजवानों को मैने रोजे रखने के लिए उत्साहित किया............मुसलमान सूरज डूबने की राह देखते थे, जबकि दूसरे उससे पहले खा लिया करते थे, जिससे वे मुसलमानों को परोस सकें, उनके लिए विशेष वस्तुएं तैयार कर सकें........... मुसलमान दिन में पानी भी न पीते थे, जबकि दूसरे लोग छूट से पानी पीते थे। इस प्रयोग का एक परिणाम यह हुआ कि उपवास और एकाशन का महत्व सब समझने लगे। एक दूसरे के प्रति उदारता और प्रेम भाव में वृद्धि हुई। आश्रम में अन्नाहार का नियम था। यह नियम मेरी भावना के कारण स्वीकार किया गया था।..........मेरा अनुभव यह है कि उपवास आदि से मुझ पर तो आरोग्य और विषय - नियमन की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

(पेज 121) — गोखले को गांधी के ये प्रयोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, और सेक्स संबंधी प्रयोग पटेल और नेहरू को भी पसंद नहीं थे।

(जैसा कि मैंने पहले कहा — गांधी जब भी कुछ नया देखता अपने **experiment** से संबंधित, तो वह उसे अपने **experiment** का हिस्सा बना लेता था। जैसे जेल में नमक, चाय को व यहाँ उपवास को एक व्यक्ति को देखकर उसे हिस्सा बना लिया। और खाना पीना छोडकर सिर्फ पानी पर रहने लगा। गांधी ने इन **experiment** के लिये दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम खोला था। और भारत में **sex experiment** के लिए सत्याग्रह आश्रम खोला था।

गांधी इन **experiment** के **Result** हर बार बताता है कि **experiment** कैसा रहा।)

"पेज **35:** मुझे डॉ. प्राणजीवनदास मेहता से मिलने रंगून जाना था। वहां जाते हुए श्री भूपेन्द्रनाथ वसु का निमंत्रण पाकर मैं कलकत्ते में उनके घर ठहरा था... उन दिनों में फलाहार ही करता था। मेरे साथ लड़का रामदास था। कलकत्ते में जितने प्रकार का सूखा और हरा मेवा मिला, उतना सब इकट्ठा किया गया था। स्त्रियों ने रात भर जागकर पिस्ता वगैरह को भिगोकर उनके छिलके उतारे थे। ताजे फल भी जितनी सुघड़ता से सजाए जा सकते थे, सजाए गए थे। मेरे साथियों के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार किए गए थे... डॉ. मेहता के साथ ऐसा संबंध था कि उनके घर को मैं अपना ही घर समझ सकता था। इस कारण तरह-तरह का जो मेवा आता, उसका मैं विरोध न करता था। नाना प्रकार की वस्तुएं आंखों और जीभ को रुचिकर लगती थीं। खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। मैं खुद जल्दी खा लेना पसंद करता था, इसलिए बहुत देर तो नहीं होती थी। फिर भी रात के **8-9** सहज ही बज जाते थे। मेरा जीवन व्रतों की नींव पर रचा हुआ है। इसलिए मैंने कोई कठिन व्रत लेने का निश्चय किया। मुझे उस अनावश्यक परिश्रम की याद आई, जो कलकत्ते और रंगून में यजमानों को मेरे लिए उठाना पड़ा था। (यहां गांधी उन लोगों की बात कर रहे हैं, जहां वह मेहमान बनकर गए थे और उन्होंने रात भर मेवे छीले, व पकवान बनाए थे)। इसलिए मैंने आहार की वस्तुओं की मर्यादा बांधने और अंधेरे से पहले भोजन करने का व्रत लेने का निश्चय किया।

(आपको बता दूं, गांधी शुरू से ही बहुत खाता था, जैसे जब वह इंग्लैंड जाता है तो वहां (सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पेज **27**) बिना नमक और मसालों वाली साग-सब्जी मुझे (गांधी) रुचती नहीं थी। मैं देखता कि रोटी के तो दो-तीन टुकड़े ही लेने की रीत है, इससे अधिक मांगने पर शरम लगती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था।

दरअसल यहां दोपहर को सिर्फ रोटी, पत्तों वाली एक भाजी और मुरब्बे पर गुजर करता था, यही खुराक शाम के लिए भी थी। दरअसल, विदेशों में खाने का टाइम टेबल होता है और उनका भोजन हल्का होता है, यानी कम खाना लेकिन भारत में इसका उल्टा होता था। यहां गांधी को वह लोग मांस खिलाना चाहते थे, लेकिन वह खाता नहीं था। हां, गाँधी यह जरूर कहता था कि मांस खाना चाहिए)

मैंने देखा कि यदि मैं मर्यादा की रक्षा नहीं करता हूं तो यजमानों के लिए मैं भारी असुविधा का कारण बन जाऊंगा और सेवा करने के बदले हर जगह लोगों को मेरी सेवा में उलझाए रहूंगा। अतएव, **24** घंटों में पांच चीजों से अधिक कुछ न खाने का और रात्रि-भोजन के त्याग का व्रत तो मैंने ले ही लिया... बीमारी में दवा के रूप में बहुत सी चीजें लेना या न लेना, दवा की गिनती खाने की वस्तुओं में करना या न करना। इन सब बातों को सोच लिया और निश्चय किया कि खाने के कोई भी पदार्थ में पांच से अधिक न लूंगा। इन दो व्रतों के लिए अब **13** साल हो चुके

हैं... मेरा यह मत है कि इन व्रतों के कारण मेरा जीवन बढ़ा है, और मैं मानता हूं कि इनकी वजह से मैं अनेक बार बीमारी से बच गया हूं।

(यहां गांधी 1915 में कुंभ के मेले में गया था, यह तभी की बातें हैं। जब गांधी भारत आया 1914 में, तब भी वह अपने प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसके दोस्त या रिश्तेदार उसे हर तरह के मेवे, पकवान खिलाने लगे तो उसका उन पर नियंत्रण नहीं रहता था, खुद पर, इसलिए वह अब और प्रयोग को बढ़ा देता है। और अब खाने का टाइम टेबल भी बना लेता है तथा 24 घंटों में सिर्फ 5 ही पदार्थ खाऊंगा, फिर चाहे वह दवा ही क्यों न हो, उसको भी वह खाने के पदार्थ में जोड़ लेता है। व रात में भोजन करता नहीं था अब। इन सबका भी परिणाम बताता है कि मैं इनसे कभी बीमार न हुआ। होगा भी कहां से, पूरे कलकत्ते के मेवे तो खा गया।)

गांधी पेज 75 पर ब्रहाचार्य को ब्रह्म-दर्शन बताता है, लेकिन पेज 106 पर वह कहता है, मुझे अभी इस बात का साक्षात्कार तो नहीं हुआ था कि ईश्वर-दर्शन के लिए ब्रह्माचार्य अनिवार्य वस्तु है”

(यहां गांधी ने लोगों के सवालों से एक ही झटके में अपना पल्ला झाड़ लिया।"

गांधी को हर बार प्रयोग में एक्सपेरिमेंट करने की चुल रहती थी, जैसे पेज 81 पर वह कपड़े धोने का एक्सपेरिमेंट करता है और इसको एक्सपेरिमेंट का नाम वह खुद ही देता है। दरअसल, इससे पहले कभी भी खुद से अपने कपड़े नहीं धोये थे और न उसकी बीबी ने।

Page 94 पर गाँधी बोलता है - डाक्टर रोगी को प्राणदान नहीं देता। वह भी तो प्रयोग ही करता है। यानि गाँधी की निगाह में सबकुछ **experiment** ही होता है।

*सम्पूर्ण गांधी वांग्मय खण्ड 94, पृ० 367 - गांधी अपने पत्र में लिखते है- मैं उसे (मनु) अपने पास सोने दे रहा हूं। वो बिना कोई कपड़े पहने सोने देती है, लेकिन बिना गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो, उसे जगाना पड़ता है। चाहे 2 बजे हो या 3 बजे। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ कि वो इस तरह सो पाती है। (गांधी का लिखा पत्र 30 Dec, 1946) गांधी इस समय 77 साल के थे और मनु सिर्फ 19 साल की।

मनु को डायरी लिखने का शौक था, वह हर बात को उसमें लिखती थी और बाद में गांधी उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। अब यह डायरी भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखगार में रखी हुई है। इस डायरी के कुछ अंश **India Today Magazine** में भी छपे थे। इस डायरी में मनु ने **21 Dec, 1946** को लिखा था- आज रात जब बापू, सुशीलाबेन और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे, तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन (गले लगाया) किया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद मासूम (यौन

इच्छाओं के मामले में) बनी रहने के लिए मेरी प्रशंसा की। (स्रोत - इंडिया **Today, 17 June 2017)**

गांधी के इन प्रयोगों से सुशीला नईयर, आभा बहन की जलन बढ़ने लगी थी। गांधी के प्रयोग जो बंद कुठिया में होते थे, अब वह बाहर आने लगे थे। गांधी और मनु की हर तरफ चर्चाएँ होने लगी, तो मनु ने अपना यह दर्द **31 Jan 1947** को डायरी में दर्ज करते हुए लिखा –

ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। मुझे संदेह है कि अफवाहें फैलाने के पीछे अम्तुस्सलामबेन, सुशीलाबेन और कनुभाई (आभाबेन के पति और गांधी के भतीजे) का हाथ है। मैंने जब बापू को ये बात बताई तो वो मुझसे सहमत हुए बोले कि- 'पता नहीं, सुशीला को इतनी जलन क्यों हो रही है।' बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई, तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा। बापू का कहना था कि यह उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूं। **……** उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सब हमारा साथ छोड़ जाएं, तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम यह प्रयोग सफलतापूर्वक करेंगे और फिर इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। (स्रोत- इंडिया **Today, 17 June 2017)**

इस पर सरदार पटेल ने कहा, यानि गांधी के प्रयोगों पर - आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने इस प्रयोग (ब्रह्मचर्य के) को फिर से शुरू करने के बारे में क्यों सोचा? आपके साथ हुई आखिरी बातचीत के बाद मुझे लगा था कि ये अध्याय समाप्त हो गया है। देवदास (गांधी के बेटे) की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई हैं। हम सभी को असहनीय दर्द हो रहा है। आपको इसे (ब्रह्मचर्य के प्रयोग) रोक देना चाहिए।

(सरदार पटेल **25 Jan, 1947)**

(स्रोत- **India Today, 6 June 2013)**

सम्पूर्ण गांधी वांग्यमय, खण्ड **80,** पेज **480 - 1** फरवरी **1947** को गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में मनु के साथ अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर एक विस्फोटक बयान दिया। गांधी ने सबके सामने सब कुछ स्वीकार करते हुए कहा- मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्दोष आचरण को लेकर कोई गलतफहमी हो। मेरी पोती (मनुबेन) मेरे साथ है। वो मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोती है। **……** मैं जो यज्ञ कर रहा हूं, ये उसका पवित्र अंग है, मेरे इस प्रयत्न की सफलता के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे पता है कि मेरे इस आचरण की मेरे मित्रों ने भी आलोचना की है। लेकिन अपने मित्रों के खातिर भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता।

(गांधी का भाषण- **1** फरवरी **1947)**

मनु ने अगले दिन यानि **2** फरवरी **1947** को अपनी डायरी में लिखा- बापू ने प्रार्थनासभा में लोगों को बताया कि वे मेरे साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि

सबके सामने यह बात क्यों कही। मुझे बहुत राहत महसूस हुई क्योंकि अब लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे। मैंने अपने आप से कहा कि अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। दुनिया को जो कहना है, वह कहती रहे। (स्त्रोत - **India Today, 17 June, 2017)**

19 साल की मनु को लगा इससे लोगों के मुंह पर ताले लग जाएंगे, लेकिन यह उसकी नासमझी थी। इस पूरी घटना के बाद पूरे देश में लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। लोगों ने गांधी को अपमानजनक भाषा में पत्र लिखे। मनु **7** फरवरी **1947** को लिखती है- ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर माहौल लगातार गर्माता ही जा रहा है। ठक्कर बापा (समाजसेवी और गांधी के परम मित्र) आज अपने साथ बहुत सारे पत्र लाए जो इस मुद्दे पर बहुत गर्म थे। इन पत्रों को पढ़कर मैं हिल गई।

(स्त्रोत- **India Today, 17 June 2017)**

सरदार पटेल ने **16** फरवरी **1947** को एक और पत्र गांधी को लिखा- मुझे किशोरलाल मशरुवाला का पत्र मिला, इस बीच देवदास और राजगोपालाचारी जी से भी इस मुद्दे पर बात हुई। हम सबको लगता है कि आपके हठ का कोई संत नहीं है। आपने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल दिया है। इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को सार्वजनिक करने से दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप धर्म के बजाय आम लोगों को अधर्म के रास्ते पर क्यों धकेल रहे हैं, काश, हम अपना दिल खोलकर बता सकते कि हमारे घाव कितने गहरे हैं। (स्त्रोत-**India Today, 6 June 2013)**

ठक्कर बाबा को गांधी की आत्मा का चौकीदार कहा जाता था। मनु ने अपनी डायरी में लिखा- ठक्कर बापा ने बापू से पूछा कि अगर ‘मुस्लिम लीग’ को इसकी भनक भी लग गई और उसने इस बारे में लांछन लगाए तो क्या होगा? बापू ने जवाब दिया कि किसी के डर से वे अपने धर्म को कतई नहीं छोड़ेंगे। बापू ने ठक्कर बापा से कहा कि अगर सरदार पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे तो भी वे अपने प्रयोग (ब्रह्मचर्य के) जारी रखेंगे।

(मनु की डायरी, **25** फरवरी **1947**) (स्त्रोत-**India Today, 17 June 2017)** लेकिन ठक्कर बापा पीछे नहीं हटे। मनु ने **2** मार्च **1947** को अपनी डायरी में लिखा, "आज बापू को ठक्कर बापा का एक गुप्त पत्र मिला। उन्होंने इसे मुझे पढ़ने को दिया। यह पत्र दिल को इतना छू लेने वाला था कि मैंने बापू से आग्रह किया कि 'ठक्कर बापा' को संतुष्ट करने के लिए आज से मुझे अलग सोने की अनुमति दें।" (स्त्रोत-**India Today, 7 June 2017)**

आचार्य कृपलानी ने गांधी को पत्र में कहा कि आप मनुष्य का प्रयोग अपने लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि अपने साधन की तरह कर रहे हैं। यानि कृपलानी की नजर में मनुबेन गांधी के लिए एक साधन मात्र थीं।)

पृष्ठ **29 -** इंग्लैण्ड में गांधी को ज्यादातर भूखा रहना पड़ता था क्योंकि वहां के होटल मांसाहारी होते थे, लेकिन एक दिन शाकाहारी होटल मिल जाता है और उसी में भरपेट भोजन करता है गांधी। पृष्ठ **27** पर गांधी कहता है "यहां दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता, (शायद अब तक गांधी दूध पीते होगा) ।" पृष्ठ **79 -** मैंने स्वयं अनुभव किया है कि यदि स्वाद को जीत लिया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत सरल हो जाता है। इस कारण अब से मैं अन्नाहार की दृष्टि से नहीं, ब्रह्मचर्य की दृष्टि से खाने लगा। पृष्ठ **79 -** ब्रह्मचर्य में दूध नहीं पीना चाहिए।

पृष्ठ **118 -** तब जब प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड गया, तब भी गांधी फलाहारी ही था। पृष्ठ **135 -** मेरे लिए पकवान बनाए गए, मेवा हर तरह की लाई गई, मेरी जी मचलाता…

रंगरूटों की भर्ती के काम में मेरा शरीर काफी क्षीण हो गया। उन दिनों मेरे आहार में मुख्यत: सिकी हुई और कुटी हुई मूंगफली, उसके साथ थोड़ा गुड़, केले वगैरह फल और दो-तीन नींबू का पानी, इतनी चीजें रहा करती थीं। मैं जानता था कि अधिक मात्रा में खाने से मूंगफली नुकसान करती है। फिर भी वह अधिक खा ली गई (सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पृष्ठ **164)** उसके कारण पेट में कुछ पेचिश रहने लगी। रात आश्रम पहुंचा। उन दिनों में दवा कदाचित लेता ही न था। विश्वास यह था कि एक बार का खाना छोड़ देने से दर्द मिट जाएगा। मुझे याद पड़ता है कि मैंने कस्तुरबाई से कह दिया था कि मैं दोपहर को भी खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन उसने मुझे ललचाया और मैं लालच में फंस गया। उन दिनों में किसी पशु का दूध नहीं लेता था। इससे घी-छाछ का भी मैंने त्याग कर दिया था। इसलिए उसने मेरे लिए दले हुए गेहूं को तेल में भूनकर लपसी बनाई। पूरे मूंग भी बनाए गए थे। मैं स्वाद के वश में होकर पिघला, खाने बैठा तो थोड़ा खाने के बदले पेट भरकर खा गया। खाने के बाद एक घंटा भी न बीता था कि जोर की पेचिश शुरू हो गई। पेट का दर्द बढ़ता ही जाता था। पृष्ठ **165 - 15-15** मिनट से पखाने की हालत मालूम होती थी। आश्रम के आम पखाने में जाता था, उसके बदले दो मंजिले पर कमोड मंगवाया। शरम तो बहुत आई, घर में लाचार हो गया था। फूलचंद बापूजी बिजली की गति से कमोड ले आए। मैंने डॉक्टरों को बुलाने से इनकार कर दिया। दवा तो लेनी ही नहीं थी। सोचा किए हुए पाप की सजा भोगूंगा। साथियों ने यह सब मुंह लटकाकर सहन किया। **24** घंटों में **30-40** बार पखाने की हाजत हुई होगी। खाना मैं बंद कर ही चुका था। साथियों ने दवा लेने और इंजेक्शन लगवाने को कहा लेकिन मैंने साफ इनकार किया। अतिशय परिश्रम के कारण बुखार आ गया और बेहोशी भी आ गई। मित्र अधिक घबराए। दूसरे डॉक्टर भी आए, पर जो रोगी उनकी बात माने नहीं, उसके लिए वे क्या कर सकते थे? मैं अभी आश्रम में पीड़ा भोग ही रहा था कि इतने में वल्लभभाई समाचार लाए कि जर्मनी पूरी तरह हार चुका है और कमिश्नर ने कहलवाया है कि रंगरूट भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन दिनों में जल का उपचार करता था और उससे शरीर टिका हुआ था। वैद्य मित्र और डॉक्टर मित्र अनेक प्रकार की सलाह देते थे, पर मैं किसी तरह दवा पीने को तैयार नहीं हुआ। शरीर

क्षीण हो गया था। दो-तीन मित्रों ने सलाह दी कि दूध लेने में आपत्ति हो तो मांस का शोरबा लेना चाहिए, और औषधि के रूप में मांसादि, चाहे जो वस्तु ली जा सकती है। इसके समर्थन में उन्होंने आयुर्वेद के प्रमाण दिए। **[Note-** पहले स्वामी ने मनुस्मृति का प्रमाण दिया था कि उसमें मांस खाना लिखा है, लेकिन गांधी उसको प्रक्षिप्त बता देता है। अब यहाँ उसके मित्र उसको मांस के लिए आयुर्वेद के प्रमाण दिखा रहे हैं, फिर भी गांधी नहीं मानता।**]** एक ने अंडे लेने की सिफारिश की। लेकिन मैंने किसी की भी सलाह स्वीकार नहीं की।

Page 166: मैंने एक रात बिल्कुल ही आशा छोड़ दी थी। मुझे ऐसा भास हुआ कि अब मृत्यु समीप ही है। वल्लभभाई आए, डॉ. कानूगा आए। डॉ. बोले- "मैं खुद तो मरने के कोई चिन्ह देख नहीं रहा हूँ, नाड़ी साफ है। केवल कमजोरी के कारण आपके मन में घबराहट है।" किंतु मेरा मन नहीं माना और उस रात में शायद ही सो सका होऊंगा। सवेरा हुआ, मौत न आई। फिर भी उस समय जीने की आशा न बांध सका, और यह समझकर मृत्यु समीप है, जितनी देर बन सके, उतनी देर तक साथियों से गीता-पाठ सुनने में लगा रहा। **[Note-** जब गांधी को गोडसे ने मारा, तब वह राम का नाम मुँह से बोला था और अब गीता सुन रहा है।**]** किसी के साथ बात करने की भी इच्छा नहीं होती थी। थोड़ी बात करने से दिमाग थक जाता था। इस कारण जीने में कोई रस न रह गया था। जीने के लिए जीना मुझे कभी पसंद पड़ा ही नहीं। यों मैं मौत की राह बैठा देखता था। इतने में डॉ. तलवलकर एक विचित्र प्राणी को लेकर आए। वे महाराष्ट्रिय हैं। हिन्दुस्तान उन्हें पहचानता नहीं। वे अपने उपचार का प्रयोग मुझ पर करने के लिए आए थे। उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का अध्ययन किया था, पर वे डिग्री नहीं पा सके थे। बाद में मालूम हुआ कि वह ब्रह्मसमाजी हैं। नाम उनका केलकर है। वे बर्फ के उपचार के बड़े हिमायती हैं। पर उनकी खोजे योग्य हो अथवा अयोग्य, मैंने उन्हें अपने शरीर पर प्रयोग करने दिए। अब मैं जीने की कुछ आशा रखने लगा था। मैं कुछ अधिक खाने लगा। रोज **5-10** मिनट घूमने लगा। अब उन्होंने सुझाया, "अगर आप अंडे का रस पीएं तो आप में जितनी शक्ति है, उससे अधिक शक्ति आने की गारंटी मैं दे सकता हूं।" अंडे दूध के समान ही निर्दोष हैं। वे माँस तो हरगिज नहीं हैं, जिनसे बच्चे पैदा होते ही नहीं। ऐसे निर्जीव अंडे भी काम में लाए जाते हैं। इसे मैं आपके सामने सिद्ध कर सकता हूं। पर मैं ऐसे निर्जीव अंडे लेने को भी तैयार नहीं हुआ।

(डॉक्टर, स्वामी जी **(**ब्राह्मण**)**, ब्रह्मसमाजी, गोखले, गांधी के सभी साथी, इन सबने मनुस्मृति, आयुर्वेद के प्रमाण दिए, फिर भी गांधी ने मांस नहीं खाया। फिर उसे अंडा खिलाया, दूध पिलाया, पर गांधी ने इनको भी नहीं लिया यह कहते हुए कि यह अधर्म है। यहाँ गांधी **experiment** करता है, लेकिन जब उसे अपने चारों तरफ अपनी मौत दिखती है और उससे उठ बैठा नहीं जाता, तो वह **experiment** को रोक देता है, फिर डॉक्टर से उपचार भी कराता है, खाना भी खाने लग जाता है जो उसने पहले छोड़ रखा था। और अब घूमने फिरने भी लग जाता है। अब गांधी दूध भी पीने लग जाता है। मौत के डर से एक बात और, जब गांधी की जान पर आई तो

उसे धर्म दिखाई नहीं दिया, जबकि जब उसकी पत्नी की जान जा रही थी तो गांधी बोला - **Page 107:** "मांस न लेने के कारण उसकी (गांधी की पत्नी की) मृत्यु हो जाए तो मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं।" डॉक्टर बोले - "आपकी फिलॉसफी मेरे घर में तो हरगिज नहीं चलेगी।"

आगे देखें: जब गांधी अपनी पत्नी पर **experiment** करता, तो वह उसे दवा नहीं देता, अपने बेटे को भी नहीं देता, लेकिन खुद खा लेता है।

Page 167: पेचिश के कारण गुदाद्वार इतना नाजुक हो गया था कि साधारण स्पर्श से भी मुझसे सहा न जाता था और उसमें दरारें पड़ गई थीं, जिससे मलत्याग के समय बहुत कष्ट होता था। डॉ. दलाल आए, "जब तक आप दूध न लेंगे, मैं आपके शरीर को फिर से हष्ट-पुष्ट नहीं बना सकता, और लोहे तथा आर्सेनिक की पिचकारियां लेनी चाहिए। यदि आप इतना करें तो आपके शरीर को पुनः पुष्ट करने की गारंटी मैं देता हूं।" यह जानकर कि गाय-भैंस पर फूंके की क्रिया की जाती है (फूंके का मतलब होता है – किसी जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि के शरीर में किसी भी बीमारी या बुरी नजर को दूर करने के लिए झाड़-फूंक करना, टोना-टोटका करना), मुझे दूध से नफरत हो गई है। और यह तो मैं सदा से मानता रहा हूं कि दूध मनुष्य का आहार नहीं है। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। यह सुनकर कस्तूरबाई, जो मेरी खटिया के पास खड़ी थी, बोल उठी - "तब तो आप बकरी का दूध ले सकते हैं।".....दूध की प्रतिज्ञा लेते समय मेरे सामने गाय-भैंस ही थीं, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूधमात्र की मानी जानी चाहिए। और जब तक मैं पशु के दूधमात्र को मनुष्य के आहार के रूप में निषिद्ध मानता हूँ, तब तक मुझे उसे लेने का अधिकार नहीं, इस बात को जानते हुए भी मैं बकरी का दूध लेने को तैयार हो गया। मुझे यह बात हर दिन खटकती रहती है कि मैंने दूध के बारे में व्रत की आत्मा का-भावार्थ का हनन किया है। बकरी का दूध शुरू करने के कुछ दिन बाद डॉ. दलाल ने गुदाद्वार की दरारों का ऑपरेशन किया और वह बहुत सफल हुआ। वल्लभभाई मुझे प्रतिदिन देखने आते जाते थे।

ग्राम स्वराज, **page 211,** (आरोग्य की कुंजी, **1958,** पृ. **8-18) -** दूध को हम किसी भी तरह शाकाहार नहीं मान सकते। सच पूछा जाए तो वह मांस का ही एक रूप है। जो गुण मांस में हैं, वे अधिकतर दूध में भी हैं।

मैं शाकाहार का पक्षपाती हूं। परंतु अनुभव से मुझे यह स्वीकार करना पड़ा है कि दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे मक्खन, दही वगैरह के बिना मनुष्य शरीर पूरी तरह टिक नहीं सकता। मैंने दूध-घी के बिना **6** वर्ष निकाले हैं। उस समय मेरी शक्ति में किसी तरह की कमी नहीं आई थी।……

(गांधी कभी दूध-मांस को इसीलिए नहीं लेता क्योंकि ये धर्म में नहीं आता, इसीलिए ब्राह्मण और उसके साथी उसको मनुस्मृति और आयुर्वेद के प्रमाण दिखाते हैं कि उसमें कहीं भी दूध और मांस की मनाही नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि खुद कृष्ण भगवान मक्खन खाने

के इतने शौकीन थे कि वह मक्खन की चोरी तक कर लेते थे। यानि इतना तो साफ हो गया, यह धर्म के लिए नहीं था। यह सब जब गाँधी का बेटा और बहु बीमार थी, तो उसने धर्म का ही तर्क दिया था। यहां तक कि **page 107** पर गांधी धर्म के लिए अपनी पत्नी की जान देने के लिए भी राजी हो जाता है। इसके साथ यह भी बता दूं, गांधी ने अपने बेटे को दूध पिलाया था। लेकिन जब गांधी खुद ज्यादा बीमार होने लगता है, तो वह अब दूध-मांस को धर्म नहीं बताता, बल्कि कहता है **page 167 -** "यह जानकर जैसे गाय-भैस पर फूंके की क्रिया की जाती है। (फूंके" का मतलब होता है – किसी जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि के शरीर में किसी भी बीमारी या बुरी नजर को दूर करने के लिए, झाड़-फूंक करना, टोना-टोटका करना) मुझे दूध से नफरत हो गई है। और यह तो मैं सदा से मानता रहा हूं कि दूध मनुष्य का आहार नहीं है।" यहां पर गांधी के बोल ही बदल जाते हैं, अब धर्म नहीं, फूंके को कारण बता रहा है और दूध मनुष्य का आहार नहीं है, मां के बेटे का है। ऐसे बोल सामने आ गए। अब गांधी गाय, भैंस का दूध नहीं पीता, बल्कि बकरी का पीता है क्योंकि उस पर फूंके नहीं होता। मैं यहां यह ही कहना चाह रहा हूं, ये सब गांधी धर्म के लिए नहीं, धर्म के नाम पर अपने प्रयोग कर रहा था, जैसे आज के बाबा महात्मा जैसे आसाराम, राम रहीम, बागेश्वर कर रहे हैं।)

गांधी लालची

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **Page 86:** "मैं देश आया था, तब भी भेंटे मिली थीं, पर इस बार की भेंटों और सभाओं के दृश्य से मैं अकुला उठा। भेंटों में सोने-चांदी की चीजें तो थीं ही, पर हीरे की चीजें भी थीं। साथ ही इन भेंटों में **50** गिन्नियों का एक हार कस्तुरबाई के लिए था, पर वह मेरी सेवा के कारण मिली थी।"

... जिस शाम को इनमें से मुख्य भेंटें मिली थीं, वह रात मैंने पागल की तरह जागकर बिताई। मैं अपने कमरे में काटता रहा **...** सैंकड़ों की कीमत के उपहारों को छोड़ना कठिन मालूम होता था। **...** मुझे ये चीजें रखनी ही नहीं चाहिए। **...** मैं यह जानता था कि धर्मपत्नी को समझाना कठिन होगा। बच्चों को समझाने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। इसका मुझे विश्वास था। **...** लड़के तो तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, "हमें इन गहनों की आवश्यकता नहीं है। हमें ये सब लोटा देना ही चाहिए। और जीवन में कभी हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता हुई तो क्या हम स्वयं न खरीद सकेंगे?"

... भले आपको जरूरत न हो और आपके लड़कों को भी न हो, बच्चों को तो जिस रास्ते लगा दो, उसी रास्ते वे लग जाते हैं। भले मुझे न पहनने दें, पर मेरी बहुओं का क्या होगा? **...** मैंने धीरे से कहा - लड़कों का ब्याह तो होने दो। हमें कौन उन्हें बचपन में ब्याहना है? बड़े होने पर तो ये स्वयं ही जो करना चाहेंगे करेंगे। और हमें कहां गहनों की शौकीन बहुएं खोजनी हैं? **...** जानती हूँ, आपको, मेरे गहने भी तो आपने ही ले लिए न! जिन्होंने मुझे सुख से न पहनने दिए, वे मेरी बहुओं के लिए क्या लाएंगे? **...** और मेरे हार पर आपका क्या अधिकार है?" मैंने पूछा (गांधी), "पर यह हार तुम्हारी सेवा के बदले में मिला है या मेरी सेवा के बदले में मिला है?" कुछ भी हो, आपकी सेवा, मेरी भी सेवा हुई। आपने मुझसे रात-दिन मजदूरी करवाई, वह क्या सेवा में शुमार न होगी? मुझे रूलाकर भी आपने हर किसी को घर में ठहराया और उनकी चाकरी करवाई! उसे क्या कहेंगे?

... सन् **1896** में **1909** में मिली हुई भेंट, मैंने लौटा दी। उनका ट्रस्ट बना और सार्वजनिक काम के लिए उनका उपयोग**...** आज भी आपत्ति कोष के रूप में यह धन मौजूद है और उसमें वृद्धि होती रहती है**...** इससे हम बहुत से लालचों से बच गए हैं।

(गांधी लालची था। अगर वह ईमानदार या खुद्दार होता तो वह उन भेंटों को स्वीकार ही नहीं करता। दूसरी बात, गांधी रात भर सोया नहीं क्योंकि उसे हीरे, सोने, चांदी की ज्वैलरी ही दिखाई दे रही थी। अब गांधी यहां एक चाल चलता है। **1896** और **1909** की भेंटों को वह लौटाता नहीं है, बल्कि उनका ट्रस्ट बना देता है और सारा पैसा उसमें जमा कर देता है, ये कहकर कि

यह सार्वजनिक काम के लिए है। गांधी का ट्रस्ट या अछूतों के लिए राजकोष को हम पहले ही देख चुके हैं कि गांधी ने अछूतों के लिए कितना फंड इकट्ठा किया था। दरअसल, यह पैसा कहीं और नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए जमा किया गया था। अंबेडकर ने भी लिखा है कि कांग्रेस गांधी का उपयोग कर रही थी, क्योंकि वह बनिया जाति से था, और बनियों की जेब से पैसा सिर्फ एक बनिया ही निकाल सकता है। इसी कारण बहुत ही कम समय में कांग्रेस की कमान **(1919 में)** गांधी के हाथों मिल गई थी। अगर **1896** की भेंट गांधी को खटक रही थी तो उसे लौटाने की याद आज ही आई।

यहां गांधी साफ-साफ बता रहा है कि लोगों के लिए जो काम (सत्याग्रह वगैरह किए) किए, वह सिर्फ मैंने (गांधी) ने ही किए हैं, उसकी पत्नी या परिवार का कोई हाथ नहीं उसमें, लेकिन पत्नी बोल रही है कि मेरा भी हाथ है उसमें क्योंकि तुम लोगों को घर पर लाते थे, उनकी सेवा करवाई, मुझसे रात दिन मजदूरी करवाई, मेरी इच्छा के विपरीत मुझसे काम कराया।

यहां गांधी कहता है, "हमें अपने बच्चों की शादी कौन सी छोटी उम्र में करनी है?" जबकि गांधी **Page 71** पर कहता है, "भारत में ब्याह बचपन में हो जाते हैं।" गांधी ये भी कहता है, "हमें कौन सी शौकीन बहु लानी है?" यानी ऐसी बहु लाएंगे जो घर का काम करे, हमारी सेवा करे, हम जो कहें, वो करे। साफ शब्दों में कस्तुरबाई ही लानी है, जिसकी इच्छा के विपरीत भी उससे काम कराते रहे। कस्तुरबाई की तरह और हुआ भी यही। गांधी के बेटे की शादी **18** साल की उम्र में हुई, जबकि गांधी की शादी धर्म के हिसाब से **13** साल की उम्र में हो गई थी। गांधी यहां अपने बेटों के बारे में बोलता है, "बड़े होने पर तो ये जो स्वयं करना चाहेंगे, करेंगे।" इसलिए गांधी के बेटे उसके खिलाफ, यानी स्वराज के खिलाफ जाकर देवदास ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण लड़की लक्ष्मी से शादी की थी, तथा मणिताल को दक्षिण अफ्रीका में एक मुस्लिम लड़की फातिमा से प्यार हो गया था।

यहां गांधी ने एक और बात कही थी कि भेंट को लौटाने के लिए मेरे लड़के मान जाएंगे। यही बात गांधी ने तब कही जब अफ्रीका में गांधी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता और उन्हें अनपढ़ रहना सिखाता। जबकि गांधी के लड़कों ने उसकी बात कभी मानी ही नहीं और न पत्नी ने। पत्नी को तो वह दबा देता था, यानी उसकी आवाज को। यह बात **Page 71** पर गांधी ने खुद स्वीकार की है। गांधी के बेटे कितने आदर्शवादी थे।

यहां गांधी ने यह सारी भेंट कांग्रेस को ही दी थी, इसका एक और सबूत ये है, गांधी बोलता है, "यह पैसा/भेंट सार्वजनिक काम या सेवा के लिए दी थी" और **Page 93** पर गांधी सार्वजनिक सेवा का मतलब बताता है: "कांग्रेस की सेवा।"

गाँधी और बाबा साहब

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **Page 81** भोग भोगना मैंने शुरू तो किया, पर वह टिक न सका। घर के लिए साज-सामान भी बसाया, पर मेरे मन में उसके प्रति कभी मोह उत्पन्न नहीं हो सका। इसलिए घर बसाने के साथ ही मैंने खर्च कम करना शुरू कर दिया। धोबी का खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ। इसके अलावा धोबी निश्चित समय पर कपड़े नहीं लौटाता था। इसलिए दो-तीन दर्जन कमीज़ो और उतने ही कॉलरों से भी मेरा काम चल नहीं पाता था। कॉलर में रोज़ बदलता था। कमीज़ रोज़ नहीं तो एक दिन के अंतर से बदलता था। इससे दोहरा खर्च होता था। मुझे यह व्यर्थ प्रतीत हुआ। अतएव, मैंने धुलाई का सामान जुटाया। धुलाई कला पर पुस्तक पढ़ी और धोना सीखा। पत्नी को भी सिखाया। पहली बार अपने हाथों से कॉलर धोए हुए कॉलर को तो मैं भूल नहीं सकता। उसमें कलफ अधिक लग गया था और इस्तरी पूरी गरम नहीं थी। कॉलर के जल जाने के डर से इस्तरी को मैंने अच्छे तरह दबाया भी नहीं था। इससे कॉलर में कड़ापन तो आ गया, पर उसमें से कलफ झड़ता रहता था। ऐसी हालत में मैं कोर्ट गया और वहां वैरिस्टरों के लिए मजाक का साधन बन गया। पर इस तरह का मजाक सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझमें काफी थी।

अपने कॉलर धोने का मेरा यह पहला प्रयोग है। कॉलर की कीमत के बराबर धुलाई जाती है, इतनी धुलाई देने के बाद भी धोबी की गुलामी करनी पड़ती है। इसकी अपेक्षा अपने हाथ से धोना मैं ज्यादा पसंद करता हूं। जिस तरह मैं धोबी की गुलामी से छूटा, उसी तरह नाई की गुलामी से भी छूटने का अवसर आ गया। एक बार प्रिटोरिया में एक अंग्रेज हज्जाम की दुकान पर पहुंचा। उसने मेरी हजामत बनाने से साफ इंकार कर दिया और इनकार करते हुए जो तिरस्कार प्रकट किया, सो खाते में रहा। मुझे दुख हुआ। मैं बाजार पहुंचा। मैंने बाल काटने की मशीन खरीदी। आइने के सामने खड़े होकर बाल काटे। बाल जैसे-तैसे कट तो गए, पर पीछे के बाल काटने में बड़ी कठिनाई हुई। सीधे तो वे कट ही न पाए। कोर्ट में खूब कहे-कहे लगे- "तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हो गए हैं?" "सिर पर चूहे तो नहीं चढ़ गए थे?" मैंने कहा- "जी नहीं, मेरे काले सिर को गोरा हज्जाम कैसे छू सकता है? इसलिए कैसे भी क्यों न हो, अपने हाथ से काटे हुए बाल मुझे अधिक प्रिय हैं।"

असल में उस हज्जाम का कोई दोष न था। अगर वह काली चमड़ीवालों के बाल काटने लगता तो उसकी रोजी मारी जाती। हम भी अपने अछूतों के बाल ऊंची जाति के हिंदुओं के हज्जामों को कहां काटने देते हैं? दक्षिण अफ्रीका में मुझे इसका बदला एक नहीं, बल्कि अनेकों बार मिला है। और चूंकि मैं यह मानता था कि यह हमारे दोष का परिणाम है, इसलिए मुझे इस बात से कभी गुस्सा नहीं आया।

(यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह पार्ट बाबा साहब और गांधी का कंपेरिजन करने पर रखूंगा। लेकिन यहां गांधी धोबी से दो वजहों से कपड़े नहीं धुलाता, हालाँकि इससे पहले तक धोबी से ही कपड़े धुलाता था। कपड़े अब इसलिए नहीं धुलवाए थे, क्योंकि खर्च बढ़ गया था क्योंकि परिवार साथ था। दूसरा गांधी को धोबी की गुलामी सी करनी पड़ती थी। जबकि इंडिया में धोबी नाई सब गांधी के, यानि ऊंची जाति के पैरों के नीचे रहते थे। तो ये सब गांधी सह नहीं पाया। इन सबसे हटकर एक बात सोचो, गांधी इससे पहले कहां बाल कटवाता था या और हिंदुस्तानी थे कहाँ बाल कटवाते थे। जैसा कि देखा गया है, सब रंगभेद नहीं करते थे। जैसे होटल वाला, गांधी कई होटल गया, लेकिन उसको जगह नहीं दी थी, लेकिन फिर भी होटल में रहता था, ऐसा क्यों? क्योंकि सभी होटलवालों ने उसे मना नहीं किया था। ऐसे ही गांधी जानबूझकर लोगों की निगाहों में हीरो बनने के लिए नाई वाली कहानी लिख रहा है। या तो गांधी जानबूझकर गोरे की दुकान पर गया, ऐसा गोरा जो रंगभेद मानता था। या गांधी ने खुद ही यह कहानी बनाकर लिख दी है। इंडिया का अछूत पूरे भारत में कहीं भी चला जाता, उसके नाई बाल नहीं काट सकता था, क्योंकि एक अछूत का होने का सवाल नहीं था, बल्कि धर्म का मामला था। लेकिन वही अछूत साउथ अफ्रीका में वह बाल कटवाने जाता, तो उसे हर जगह तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर मना ही किया जाता, लेकिन फिर भी वह बाल कटवा लेता, क्योंकि वहां धर्म का मामला नहीं था, सिर्फ रंगभेद था। ऐसा रंगभेद कि अगर आप काठ-वाठ से रहते तो ज्यादातर चांस रहते थे कि गोरा भी आपसे रंगभेद न माने। यानी अच्छे कपड़े पहनकर रहते तो, जैसा कि पेज 57 पर गांधी से स्टेशन मास्टर कहता है कि अगर हिंदुस्तानी अच्छे कपड़े पहनकर आए तो उनको पहले दर्जे का टिकट मिल जाएगा। दूसरा, हर गोरा रंगभेद नहीं मानता था, जैसा कि गांधी के केस में देखने को मिला है। और वह वहाँ आजाद भी रहता था। लेकिन भारत में जो अछूत को अछूत नहीं समझेगा, वह धर्म के विरुद्ध माना जाएगा।)

जाति

सत्य के साथ मेरे प्रयोग पेज **39 -** गांधी बाबा साहब से बोलता था कि मैं जाति नहीं चाहता, वर्णव्यवस्था चाहता हूं। लेकिन गांधी जब विदेश से पढ़कर आया था, तो उसे जो जाति से निकाला गया था, तो गांधी बोलता है कि मैं जाति के बहिष्कार संबंधी कानून का मैं संपूर्ण आदर करता था। अपने सास-ससुर के घर अथवा बहन के घर में पानी तक न पीता था।"

सत्याग्रह

बाबा साहब, ज्योतीबा फ़ूले ने भी सत्याग्रह किये तो यह गाँधी का कैसे हो गया? क्योंकि गाँधी के सत्याग्रह की परिभाषा अलग है। जैसे उसका मतलब है कानून तोड़ना, जो कानून नियम तुमको पसंद नहीं उसे तोड़ दो, उसकी न सुनो चाहे कुछ भी हो जाए अपने मजे से आज़ाद होकर डोलो घूमो। लेकिन हिंसा नहीं करनी, चाहे आपको सरकार तोप पर रखकर उड़ा दे हिंसा मत करना। अब सत्याग्रह में कानून तोड़ने की बात है, या जो आपको पसंद नहीं उसे मत मानो। इसमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, गरीबी अपनानी चाहिए (पैसे की परवाह मत करो), सत्य/धर्म का पालन करना चाहिए। इसको एक लड़का या बुजुर्ग कोई भी कर सकता है।

आपने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पेज **41** पर देखा, आपने कि गांधी को ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है चपरासी (इस कहानी को आप पूरा इसी किताब **agent** के "गांधी को नाम चाहिए" वाले टॉपिक पर देख लो), लेकिन गांधी वहां सत्याग्रह नहीं करता, वह अपना मुँह लटकाए घर को चला जाता है और उस अफसर पर मुकदमा दायर करने को कहता है। यहां गांधी पंचायत को भी नहीं बुलाता। गांधी पर मुकदमा दायर करना नहीं आता है तो वह फिरोज़ शाह मेहता से कहता है, यह एक ऊँचे दर्जे के वकील थे, उनसे वह मुकदमा दायर करने को कहता है। लेकिन वह मना कर देते हैं। कहते हैं ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन इसके बाद गांधी एक अच्छी बात कहता जो सभी लोग करते हैं और उनको करनी भी चाहिए। गांधी कहता है- "मैंने नियम बना लिया, मैं फिर कभी अपने को ऐसी स्थिति में नहीं पड़ने दूंगा।" यही बात मैं कह रहा हूं, ऐसी स्थिति में फंसो ही क्यों? लेकिन गांधी तो हिन्द स्वराज में चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है। जो तुमको पसंद नहीं उसे मत मानो चाहे कानून हो या कुछ भी, फिर चाहे तुमको तोप के मुँह पर रखकर ही उड़ा क्यों न दिया जाए, लेकिन तुमको उसके जवाब में हिंसा नहीं करनी, सत्याग्रह अपनाना है। यह बोल गांधी के नहीं धार्मिक किताबों के हैं। आप पर कितना भी जुल्म करे ब्राह्मण फिर भी आप ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठा सकते, कुछ भी हो जाए, अपना वर्ण, जाति, व्यवसाय नहीं छोड़ सकते। ऐसा ही गांधी का सत्याग्रह बोल रहा है।

पेज **56** नेटाल में जो स्थान दादा अब्दुल्ला का था, प्रिटोरिया में वही स्थान सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद का था। उनसे मैंने पहले ही हफ्ते में जान-पहचान कर ली। मैंने उन्हें बताया, मैं प्रिटोरिया के प्रत्येक भारतीय के संपर्क में आना चाहता हूँ, मैंने हिन्दुस्तानियों की स्थिति का अध्ययन करने अपनी इच्छा प्रकट की, और इन सारे कामों में उनकी मदद चाही। उन्होंने हाँ कह दिया। मेरा पहला कदम तो सभी भारतीयों की एक सभा करके उनके सामने सारी स्थिति का चित्र खड़ा कर देना था। अंत में मैंने यह सुझाया कि एक मंडल की स्थापना करके हिन्दुस्तानियों के कष्टों और कठिनाइयों का इलाज अधिकारियों से मिलकर और अर्जियाँ भेजकर करना

चाहिए। और यह भी सूचित किया कि मुझे जितना समय मिलेगा, उतना इस काम के लिए मैं बिना वेतन के दूंगा। निश्चय हुआ कि ऐसी सभा हर महीने या हर हफ्ते की जाए। इस सभा में विचारों का आदान-प्रदान होता रहता था। नतीजा यह हुआ कि प्रिटोरिया के लगभग सभी भारतीयों को मैं पहचानने लगा, मुझे प्रिटोरिया में रहने वाले ब्रिटिश एजेंट से परिचय करने की इच्छा हुई। मैं मि. जैकोब्स डिवेट से मिला। उसकी सहानुभूति भारतीयों के साथ थी। रेलवे के अधिकारियों से मैंने पत्र व्यवहार शुरू किया और बतलाया कि उन्हीं के कायदों के अनुसार भारतीयों को ऊँचे दर्जे में यात्रा करने से रोका नहीं जा सकता। इसके परिणामस्वरूप यह पत्र मिला कि अच्छे कपड़े पहने हुए भारतीयों को ऊँचे दर्जे के टिकट दिए जाएंगे। इससे पूरी सुविधा नहीं मिली पेज **57** क्योंकि अच्छे कपड़े कौन से हैं और कौन से नहीं, इसका फैसला तो स्टेशन मास्टर को ही करना था न! ब्रिटिश एजेंट ने मुझे भारतीयों के बारे में हुए पत्र-व्यवहार संबंधी कई कागज पढ़ने को दिए। तैयब सेठ ने भी दिए थे। जैसे यह पता चला कि 'ऑरेंज फ्री स्टेट' से भारतीयों को किस निर्दयता के साथ निकाल बाहर किया गया था।

(यहां गांधी भारतीय लोगों की एक सभा जोड़ता है तैयब खान की मदद से, फिर उनके दुःखों के निवारण के लिए गांधी उन्हें समझाता है कि हमें अधिकारियों से मिलना चाहिए, उनको अर्जियाँ भेजकर अपनी मदद की गुहार लगानी चाहिए। और गांधी यह करता भी है। अब सवाल यह है कि जब गांधी हिन्द स्वराज पेज **80-81** पर कह चुका है, "हमें कानून नहीं मानना चाहिए जो हमें पसंद न हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए तुम सत्याग्रह करो," तो फिर गांधी अपनी ही बात से यहाँ मुकर जाता है और लोगों के साथ सत्याग्रह करने की जगह, उनसे कहता है, "तुम अधिकारियों से मदद मांगो।"

फिर वह अधिकारी पत्र का जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर हिन्दुस्तानी अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे, तो उन्हें पहले दर्जे का टिकट मिल जाएगा। यहाँ मैं एक और लाइन जोड़ना चाहता हूँ, देखें पेज **51** वहाँ गांधी दूसरी बार रेल के सफर के लिए पहले दर्जे की टिकट पाने के लिए स्टेशन मास्टर के पास एक पत्र भेजता है और फिर गांधी अपने आप से बोलता है, "अगर मैं पूरी साहबी ठाठ में उसके सामने जाकर खड़ा होऊँगा (स्टेशन मास्टर के) और उससे बात करूंगा, तो वह समझ जाएगा और शायद मुझे टिकट दे देगा। अतः, मैं फ्रॉक कोट, नेक टाई वगैरह डालकर पहुँचा।" इसका मतलब यह है कि भारतीय लोगों को पहले दर्जे का टिकट न देने का कारण ये थे -

1. रंगभेद
2. साफ-सफाई

यहाँ साफ-सफाई पर बात कर लेते हैं। भारतीय लोगों के कपड़े अच्छे नहीं होते थे, इसके भी कारण ये थे - वे 'कुली' थे, यानी मजदूरी करने आते थे। वे गरीब भी होते थे। भारतीय लोगों में यह देखा जाता था कि वे अपने धर्म और पोशाक, अपनी भाषा से ज्यादा लगाव रखते हैं, इसी कारण वे अपने कपड़े बदलते नहीं थे, यानी हिन्दुस्तानी कपड़े ही पहनते थे। न कि अंग्रेजी कपड़ा। आपने देखा होगा, दक्षिण भारत के लोग संसद में भी अपनी धोती पहनकर चले जाते हैं।)

पेज **57** वहाँ जो कानून काले रंग के लोगों पर लागू होते थे, वे भी एशियावासियों पर लागू होते थे। उनके अनुसार, हिन्दुस्तानी लोग पटरी (फुटपाथ) पर अधिकारपूर्वक चल नहीं सकते थे और रात **9** बजे के बाद परवाने के बिना नहीं निकल सकते थे। लेकिन मि. कोट्स मुझे परवाना नहीं दे सकते थे क्योंकि मालिक अपने नौकर को ही परवाना दे सकता था। और मैं मि. कोट्स के साथ रात को घूमने जाया करता था, कभी-कभी घर पहुँचते-पहुँचते **10** भी बज जाते थे, अतः पुलिस का हमेशा डर रहता था। मैं हमेशा 'प्रेसीडेंट स्ट्रीट' के रास्ते एक खुले मैदान में घूमने जाया करता था। मैं यहाँ हमेशा फुटपाथ पर से होकर गुजरता था, लेकिन एक बार एक सिपाही ने मुझे बिना बताए/चेताए बिना पटरी से उतर जाने को कहे मुझे धक्का मारा, लात मारी और नीचे उतार दिया। लेकिन उस दिन से मैंने वह पेज **59** रास्ता छोड़ दिया। मैं खुद निर्दोष होकर फिर लात किसलिए खाऊँ? इसलिए मैंने घूमने जाने के लिए दूसरा रास्ता पसंद कर लिया।

(यहाँ फिर मैं यही बात कहूँगा, गांधी ने बीच का रास्ता अपनाया था, दूसरा रास्ता अपनाकर, जबकि गांधी ने कह रखा है स्वराज में, कि जो पसंद आए वो करो। यहाँ गांधी खुद तो सत्याग्रह नहीं करता और न कानून तोड़ता है, जबकि हमें बोलता है, "कानून तोड़ो, सत्याग्रह करो।")

पेज **45, 46** गांधी को अदालत में उसकी हिन्दुस्तानी पगड़ी उतारने को कहता है मजिस्ट्रेट, लेकिन गांधी पगड़ी नहीं उतारता और अदालत छोड़ देता है। लेकिन उस अदालत में मुस्लिम अपनी टोपी पहनकर जा सकता था।

गांधी एक अंग्रेजी टोपी खरीदने की कहता है और अपनी पगड़ी को उतारने की कहता है, लेकिन अब्दुल्ला उसे समझाता है, "ऐसा मत करो," गांधी मान जाता है।

(यहां गांधी को अदालत पगड़ी उतारने की कहती है और गांधी तब तो अदालत से आ जाता है, लेकिन फिर वह अपनी पगड़ी की वजह से अपमानित न हो, इसके लिए वह उसे उतारने को राजी हो जाता है और अंग्रेजी टोपी पहनने को राजी हो जाता है। जबकी उसे सत्याग्रह करना था, उसे अदालत से बाहर नहीं आना था, उसे यह भी कहना था, "एक मुस्लिम टोपी पहनकर जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकता?" गांधी ने हिन्द स्वराज पेज **81** में कहा है, "आपको जो पसंद हो वह करो, किसी कानून को मत मानो, इसके लिए सत्याग्रह करो।")

पेज **47** गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है और गांधी पहले तो, उसी स्टेशन पर रात भर ठण्ड में बैठा रहता है और सुबह को जनरल मैनेजर को एक लंबा तार भेजता है उस सिपाही की शिकायत के लिए।

(यहाँ गांधी रातभर ठण्ड में तो रहा पर एक बार भी सत्याग्रह नहीं करता।)

पेज **48** गांधी सिकरम में बैठता है और वहाँ एक गोरा मुखिया गांधी को कुत्ते की तरह मारता है, लेकिन गांधी वहाँ भी बस गोरे व्यक्ति की शिकायत वहाँ के एजेंट को करता है। (गांधी पिटता रहा, गालियाँ खाता रहा, लेकिन सत्याग्रह नहीं करता।)

पेज **60** गांधी जब से अफ्रीका गया, तब से उसने एक भी सत्याग्रह नहीं किया। एक और बात जान लो, हिन्द स्वराज पेज **83-85** में बोलता है, "सत्याग्रह अकेले भी हो सकता है, एक बीमार आदमी भी कर सकता है, **12** साल का व्यक्ति भी कर सकता है।" पर गांधी का पहला सत्याग्रह कब होता है, जब वह “नेटाल इंडियन कांग्रेस" संस्था बना लेता है। उससे पहले वह सत्याग्रह नहीं करता, वह सिर्फ अधिकारियों को अरजी लिखता है, उनसे मदद मांगता है और कानून तोड़े बिना दूसरा रास्ता अपना लेता था।

पेज **60** एक अखबार के एक कोने में मैंने एक छोटा सा संवाद देखा, उसका शीर्षक था, "इंडियन फ्रेन्चाइज" यानी हिन्दुस्तानी मताधिकार। इस संवाद का आशय यह था, हिन्दुस्तानियों को नेटाल की धारासभा के लिए सदस्य चुनने का जो अधिकार है, वह छीन लिया जाए। मैंने अब्दुल्ला सेठ से पूछा, उन्होंने कहा, "हम तो सिर्फ व्यापार की ही खबर पता है, ये सब हम नहीं जानते।" मैंने पूछा - "पर यहाँ पैदा हुए हिन्दुस्तानी वे क्या करते हैं?" अब्दुल्ला बोले, "अरे भाई वह (जो हिन्दुस्तानी हैं, यहाँ पैदा होने वाले) ईसाई हैं, इसलिए पादरियों के पंजे में हैं। और पादरी सब गोरे हैं, जो सरकार के अधीन हैं।" मेरी आँखें खुल गई। "इस समाज को अपनाना चाहिए। वे ईसाई हैं, इससे क्या हिन्दुस्तानी नहीं रहे और परदेशी बन गए?" मैंने अब्दुल्ला सेठ से कहा, "लेकिन इससे तो आप सभी मुश्किल में पड़ जाओगे, और यह हिन्दुस्तानियों को मिटाने का पहला कदम है।" दूसरे मेहमान इन चर्चाओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, "मैं आपसे सच बात कहूँ? अगर इस स्टीमर में न जाएं और एकाध महीना रुक जाएं, तो आप जिस तरह कहेंगे, हम लड़ेंगे।"

पेज **61** मैंने मन में लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर ली और एक महीना रुकने का निश्चय किया। वहाँ सब एक साथ बोले थे, "यह बात सच है।" अब्दुल्ला सेठ: "आप गांधी को रोक लीजिए।" तब गांधी रूखा था।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने हिन्दुस्तानियों की मांग का समर्थन किया था। विलायत में भी अरजी की प्रतियाँ सब पक्षों के नेताओं को भेजी गई थीं। मुझे अलग घर बसाने की आवश्यकता जान पड़ी, मुझे सार्वजनिक खर्च पर नहीं रहना था। उस समय मैंने माना था कि घर भी अच्छा और अच्छी

बस्ती में लेना चाहिए। मैंने सोचा कि दूसरे वकीलों की तरह, मेरे रहने से हिन्दुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी।

पेज **62** मुझे लगा कि ऐसा घर में साल के **300** पौण्ड के खर्च के बिना चला ही नहीं सकूंगा। मैंने निश्चय किया कि इतनी रकम की वकालत की गारंटी मिलने पर ही मैं रह सकता हूँ। और वहां रहने वालों को इसकी सूचना दे दी। इस चर्चा का परिणाम यह हुआ कि कोई **20** व्यापारियों ने मेरे लिए वर्ष का वर्षासन बांध दिया। इसके उपरांत दादा अब्दुल्ला विदाई के समय जो मुझे भेंट देने वाले थे, उसके बदले उन्होंने मेरे लिए आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया। और मैं नेटाल में बस गया।

भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के विरुद्ध केवल प्रार्थना पत्र भेजकर ही बैठा नहीं जा सकता था। उसके बारे में आंदोलन चलते रहने से उपनिवेश - मंत्री पर उसका असर पड़ सकता था। इसके लिए मैंने अब्दुल्ला सेठ व और साथियों की मदद से एक संस्था खोली। इस संस्था के नामकरण में थोड़ा धर्म-संकट था। फिर मैंने इसका नाम कांग्रेस रख दिया। **1894** के मई महीने की **22** तारीख को "नेटाल इंडियन कांग्रेस" का जन्म हुआ। उसका सदस्य बनने के लिए बहुतेरे लोग अपना नाम लिखाते और पैसे देते। एक व्यापारी को **6** पौंड देने थे लेकिन वह **3** पौंड से आगे ही न बढ़ रहा था। बहुत मुश्किल के बाद उसने **6** पौंड दिए। यह व्यापारी ने पैसे नहीं दिए थे जब तक सब भूखे थे क्योंकि बाकी व्यापारी भी तभी पैसे देते और खाना चंदा के पैसे से ही आता था। लेकिन बाद में उसने पूरे पैसे दे दिए, बहुत मुश्किल के बाद। हिन्दुस्तानियों को गिरमिटिया मजदूर रखने की इजाजत नहीं थी। यहां हिन्दुस्तानियों से कर भी बहुत ज्यादा लिया जाता था। "नेटाल इंडियन कांग्रेस" ने आवाज उठाई तो कर **3** पौंड करवा दिया। या खुद सरकार ने किए हो सकता है।

(गांधी जब से दक्षिण अफ्रीका आया है तब से उसने यह पहला सत्याग्रह किया है। एक बात और जान लो सत्याग्रह कभी अकेले नहीं किया जा सकता। जब गांधी अकेला था तो उसने सत्याग्रह की जगह अधिकारियों और सरकार से मदद मांगी। लेकिन जैसे ही उसने "नेटाल इंडियन कांग्रेस" बनाई, उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया। लेकिन सत्याग्रह करने से पहले इसने अधिकारियों को अरजी भेजी थी और कानून भी नहीं तोड़ा।

एक और भ्रम आपका दूर कर देता हूँ: लोगों को लगता है गांधी का पहला सत्याग्रह तब शुरू हुआ या सत्याग्रह की नींव रखी जब गांधी को रेल से धकेला गया था, जबकि ऐसा नहीं है। तब तो गांधी ने सत्याग्रह का जिक्र तक नहीं किया। वह सिर्फ ये सोच रहा था उस समय कि मैं लौट जाऊं या यहीं रहूं, गांधी अपने धर्म को याद करता है और कहता है, "क्या मुझे लड़ना चाहिए अपने अधिकारों के लिए या लौट जाना चाहिए?" यहां गांधी सत्याग्रह की नहीं बोल रहा था,

वह तो सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ने की बात कह रहा है। जो हर व्यक्ति करता है, हर कोई अपने अधिकार के लिए लड़ता है।

सत्याग्रह का आपको मतलब ही नहीं पता। उसका मतलब है "कानून तोड़ना, जो कानून या नियम आपको पसंद नहीं, उसे तोड़ दो, उसकी न सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मजे से आजाद होकर डोलो, घूमो। लेकिन हिंसा नहीं करनी, चाहे आपको सरकार तोप पर रखकर उड़ा दे, हिंसा मत करना। अब सत्याग्रह में कानून तोड़ने की बात है, या जो आपको पसंद नहीं, उसे मत मानो।")

पेज **127** सत्याग्रह आश्रम को खोलने और उसे चलाने की जिम्मेदारी गोखले लेता है और अंतिम रात को गोखले गांधी को रूचनेवाली एक पार्टी भी देता है जिसमें सिर्फ खास खास मित्रों को बुलाया जाता है।

पेज **132** पर एंड्रूज गांधी से पूछता है, "गांधी, आपको क्या लगता है भारत में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा? अगर आएगा तो कब आएगा?"

इस पर गांधी कहता है, "गोखले ने मुझसे एक साल तक के लिए किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है, न प्रकट करना है। इसलिए मैं समझता हूं कि पांच वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर नहीं आएगा। गोखले अनुसार मुझे एक साल तक देश में भ्रमण करना है। इस बीच अगर गांधी से कोई मदद मांगता तो वह कहता कि आप कांग्रेस के पास जाइए।" (पेज **143**)

(यानि सत्याग्रह भारत में गांधी की इच्छा से नहीं होता था, वह तो कांग्रेस की इच्छा से होता था। क्या गांधी को नहीं पता कि भारत की स्थिति क्या है और मुझे किस लिए भारत बुलाया गया है? गोखले ने अपने खत में गांधी को लिखा था कि "देश को तुम्हारी जरूरत है।" क्या गांधी ने एक बार भी नहीं जानने की कोशिश की कि किस काम के लिए जरूरत है? खैर, यहां एक और बात गौर करनेवाली है कि गांधी गोखले की यह बात मान रहा है और यह भी कहता है कि "मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करूंगा।" लेकिन जब गोखले गांधी के **experiment** में दखल देता है तो गांधी उसकी बात नहीं मानता।)

हिंद स्वराज बुक पेज **80:** जब मुझे कोई काम पसंद न आए और वह काम मैं न करूं, तो उसमें मैं सत्याग्रह या आत्मबल का उपयोग करता हूं। मिसाल के तौर पर, मुझे लागू होनेवाला कोई कानून सरकार ने पास किया। वह कानून मुझे पसंद नहीं है। अब अगर मैं सरकार पर हमला करके यह कानून रद्द करवाता हूं, तो कहा जाएगा कि मैंने शरीर-बल का उपयोग किया। अगर मैं उस कानून को मंजूर ही न करूं और उस कारण से होने वाली सजा भुगत लूं, तो कहा जाएगा कि मैंने आत्मबल या सत्याग्रह से काम लिया। सत्याग्रह में मैं अपना ही बलिदान देता हूं।

हिंद स्वराज पेज **81:** "हमें अच्छे या बुरे कानून को मानना चाहिए। ऐसा अर्थ तो आजकल का है, पहले ऐसा नहीं था। तब चाहे जिस कानून को लोग तोड़ते थे और उसकी सजा भोगते थे।

कानून हमें पसंद न हो तो भी उनके मुताबिक चलना चाहिए, यह सिखावन मर्दानगी के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है और गुलामी की हद है। सरकार तो कहेगी कि हम उसके सामने नंगे होकर नाचे। तो क्या हम नाचेंगे?

अगर लोग एक बार सीख लें कि जो कानून हमें अन्यायी (गैर-इंसाफवाला) मालूम हो, उसे मानना नामर्दगी है, तो हमे किसी का भी जुल्म बांध नहीं सकता। यही स्वराज की कुंजी है।

शरीर-बल का उपयोग करना, गोला-बारूद काम में लाना हमारे सत्याग्रह के कानून के खिलाफ है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें जो पसंद है, वह दूसरे आदमी से हम (जबरन) करवाना चाहते हैं। अगर यह सही हो, तो फिर वह सामनेवाला आदमी भी अपनी पसंद का काम हमसे करवाने के लिए हम पर गोला-बारूद चलाने का हकदार है।

हिंद स्वराज **Page 83** "लेकिन सत्याग्रही तो कहेगा कि जो कानून उसे पसन्द नहीं है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करेगा, फिर चाहे उसे तोप के मुंह पर बांधकर उसकी धज्जियां क्यों न उड़ा दी जाएं।"

Page 83 हाँ, यह सही है कि शरीर से जो दुबला हो, वह भी सत्याग्रही हो सकता है। एक आदमी भी (सत्याग्रही) हो सकता है और लाखों लोग भी हो सकते हैं। मर्द भी सत्याग्रही हो सकता है, औरत भी हो सकती है। उसे अपना लश्कर तैयार करने की जरूरत नहीं रहती। उसे पहलवानों की कुश्ती सीखने की जरूरत नहीं रहती।

Page 85 14 वर्ष का एक लड़का सत्याग्रही हुआ है, यह मेरे अनुभव की बात है। रोगी आदमी सत्याग्रही हुए हैं, यह भी मैंने देखा है।

जो देश के भले के लिए सत्याग्रही होना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गरीबी अपनानी चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए (यानि धर्म का)। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से मनुष्य वीर्यवान नहीं रहता, नामर्द या कमजोर हो जाता है।

जैसे ब्रह्मचर्य की जरूरत है, वैसे ही गरीबी को अपनाने की भी जरूरत है। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि जिसके पास पैसा है, वह उसे फेंक दे। फिर भी पैसे के बारे में लापरवाह रहने की जरूरत है। सत्याग्रह का सेवन करते हुए अगर पैसा चला जाए, तो चिंता नहीं करनी चाहिए।

स्वावलंबी का अर्थ - आत्मनिर्भर, अपना ही सहारा लेनेवाला।

वैतनिक का अर्थ - वेतन अथवा मजदूरी लेकर काम करने वाला।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **Page 166 -** गांधी बोलते हैं, "जीने के लिए जीना पसंद नहीं मुझे।।"

हिंद स्वराज **Page 102** मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, वह तो हमें खुद लेना होगा। उसे लेने की हममें ताकत होनी चाहिए। यह ताकत उसमें होगी:

① जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग लाचारी से ही करेगा।

② वकील वकालत छोड़ देगा और खुद घर में चरखा चलाकर कपड़े बुन लेगा।

③ जो वकील दूसरों को भी अदालत छोड़ने को कहेगा।

④ 'जज भी अदालत छोड़ेगा।

⑤ डाक्टर अपनी डाक्टरी छोड़ेगा।

⑥ जो धनी होने से अपना चरखा चालू करने में खर्च करेगा और खुद सिर्फ स्वदेशी माल का इस्तेमाल करके दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा देगा।

④ जो दूसरे हिन्दुस्तानियों की तरह समझेगा कि अंग्रेजों की सभ्यता को बढ़ावा देकर हमने जो पाप किया है, उसे धो डालने के लिए अगर हमें मरने तक भी अंडमान में रहना पड़े, तो वह कुछ ज्यादा नहीं होगा।

Page 105 मुझे अंग्रेजों से द्वेष नहीं, मुझे उनकी सभ्यता के लिए द्वेष है।

टिप्पणियाँ - मिडलटन मरी: गांधीजी अपने विचारों के जोश में यह भूल जाते हैं कि जो चरखा उन्हें बहुत प्यारा है, वह भी एक यंत्र है।

डिलाइल बर्क्स: चरखा, नाक पर लगाया हुआ चश्मा भी आंख की मदद करने को लगाया हुआ यंत्र ही है। हल भी यंत्र है। किसी भी यंत्र का बुरा उपयोग होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर ऐसा हो, तो उसमें रही हुई नैतिक हीनता यंत्र की नहीं, बल्कि उसका उपयोग करने वाले मनुष्य की है।

मुस्लिम अच्छे

(गाँधी और गांधीवाद **page 36-**

① गांधी को बचपन में उसकी मां बताती थी, जब भी किसी अछूत से छुब जाओ तो किसी मुस्लिम को स्पर्श कर लेना चाहिए, इससे तुम शुद्ध हो जाओगे।

② **South Africa** में काम के लिए भेजने वाला भी एक मुस्लिम सेठ अब्दुल करीम था। गांधी को ऐसे समय भेजा था, जब उसको नौकरी की सख्त जरूत थी।

③ वहां उसका परिचय और भी मुस्लिम व्यापारियों से होता है, वे उनके साथ रहता है तथा एक और मुस्लिम सेठ अब्दुलगनी उसको मिलता है। यह सब गांधी की अच्छे से देखभाल के साथ-साथ इसकी मदद भी करते है। इसका मतलब ये नहीं अंग्रेज अफसरों ने मदद नहीं की, उन्होंने भी की थी, उनके नाम- सत्य के साथ मेरे प्रयोग **page 53,** मि-बेकर, **page 52** मि० जॉन्स्टन, **page 55** प्लीमथ ब्रदर, **page 57** मि. जेकोब्स डिवेट **page 54** मि० कोट्स, **page 78** डॉ० बूथ सेंट है।

④ पर अंग्रेजो को सहूलियत गांधी नहीं दे सकता, वह तो **political** के चक्कर में पड़कर अंग्रेजो को बुरा साबित करने में लग गया था, देखें हिन्द स्वराज को, आपको उसमें गांधी जहर उगलता दिख जाएगा।

④ **page 45** जब अदालत में गांधी को पगडी के साथ घुसने नहीं दिया जाता, लेकिन एक मुस्लिम टोपी पहनकर घुस जाता है। गांधी वहा भी उसका विरोध नहीं करता।

⑥ मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुस्लिम शासक शुरू से ब्राह्मणों के रहे हैं। तुलसीदास लिखते है, मैं तो मस्जिद में सोता था। अकबर को लेकर अल्लाहा उपनिषद, लिख डाला, एक ओर ग्रन्थ भविष्यपुराण लिख डाला, लेकिन अंग्रेजो के लिए एक भी ग्रन्थ नहीं लिखा। अंग्रेजो का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह हिन्दू धर्म से दबे नहीं, उनकी प्रथायें खत्म करने में लग गये वह। लेकिन मुस्लिमों ने ऐसा कुछ न किया था।

⑧ तैयब हाजी खान, इन्होंने हिन्दुस्तानियों की मदद करने के लिए गांधी का साथ दिया था, एक मंडल की स्थापना करने में।

(3) अब्दुल्ला को गोरे लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, उसको लालच भी देते है, फिर भी वह गांधी की मदद करता है और उसके परिवार व गांधी को फ्री में **India** से **South Africa** जहाज में लाता है।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **page 112-115** गांधी - कुटब में वैष्णव व्रतों के साथ शैव व्रत भी पाले जाते थे……इसलिए इस श्रावण मास का व्रत मैंने रखना चाहा। इस महत्वपूर्ण प्रयोग का प्रारंभ टॉलस्टॉय आश्रम में हुआ था……… उनमें बालक और नौजवान भी थे। उनके लिए स्कूल चलता था। इन नौजवानों में चार पांच मुसलमान थे. ……… आश्रम में पारसी ईसाई भी थे……….अतएव मुसलमान नौजवानों को मैने रोजे रखने के लिए उत्साहित किया……….मुसलमान सूरज डूबने की राह देखते थे, जबकि दूसरे उससे पहले खा लिया करते थे, जिससे वे मुसलमानों को परोस सके उनके लिए विशेष वस्तुएं तैयार कर सके……….मुसलमान दिन में पानी भी न पीते थे, जबकि दूसरे लोग छूट से पानी पीते थे। इस प्रयोग का एक परिणाम यह हुआ कि उपवास और एकाशन का महत्व सब समझने लगे। एक दूसरे के प्रति आकर उदारता और प्रेम भाव में वृद्धि हुई। आश्रम में अन्नाहार का नियम था। यह नियम मेरी भावना के कारण स्वीकार किया गया था।

बैलगाडी में हिन्दुस्तान का सफर करते थे। वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अन्तर न था।

हिंद स्वराज **page 50** गाँधी बोलता है, बहुतेरे हिन्दुओं और मुसलमाने के बाप दादा एक ही थे, हमारे अंदर एक ही खून है। मुस्लिम हिन्दू शांति से रहने लग गये थे, लेकिन अंग्रेजो ने फिर से इनमें झगडे करवा दिये।

Page 51 मैं खुद गाय को पूजता हूं, यानि मान देता हूँ। गाय हिन्दुस्तान की रक्षा करनेवाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का, जो खेती-प्रधान देश है, आधार है। क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूँगा ? क्या उसे मारूंगा ? नहीं।

मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और उसे देश के खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए। अगर वह न समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं। अगर मुझे गाय पर अंत्यत दया आती हो तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। मुझे मुसलमान भाई के पैर भी पड़ने चाहिए।

Page 52 मुसलमान हिंसक और हिंदू अहिंसक है। इसलिए दोनों की नहीं बनेगी, वह सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसा विचार स्वार्थी धर्मशिक्षकों, शास्त्रियों और मुल्लाओं ने हमें दिये है। और इसमें जो कमी रह गई थी, उसे अंग्रेजो ने पूरा किया है। कुरान में ऐसे सैकड़ों वचन है जो हिन्दुओ को मंजूर हों; गीता में ऐसी बातें लिखी है कि जिनके खिलाफ मुसलमान को कोई भी ऐतराज नहीं हो सकता।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **page 92** गाय आज पूरा दूध नहीं देती, क्योंकि उसे पूरा खाना नहीं मिलता। आज दरअसल हिन्दू गाय को काटते हैं। मुसलमान या दूसरे कोई नहीं काटते। हिन्दू गाय को अच्छी तरह रखते नहीं और आहिस्ता आहिस्ता उसका कत्ल करते हैं। वह ज्यादा बुरा है। गाय को हिन्दुस्तान में जितना कष्ट उठाना पड़ता है उतना गोरे किसी देश में नहीं उठाना पड़ता। **[**हरिजन सेवक**-4-1-1948 page 435-36]**

गाँधी ने खिलाफत आंदोलन में भी मुस्लिमों का साथ दिया था व पाकिस्तान को पैसे भी दिलवाए थे।

गाँधी AGENT

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **Page 43:** गांधी समुद्र पार करके विदेश पढ़ने को कैसे जाता है, ये पूरा देखने के लिए इसी किताब **agent** के 'गाँधी का धर्म' वाला टॉपिक देख लो। अब इस पर बात करते हैं गांधी और उसकी फैमिली को इस बात से बिल्कुल परेशानी या आपत्ति न थी कि हमारा बेटा धर्म का उल्लंघन करके, पंचों का उल्लंघन करके समुद्र पार जा रहा है और एक बार नहीं, कई बार गया गांधी। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि गांधी को न तो धर्म की पड़ी थी और न देश की भक्ति की और न स्वराज जैसा कुछ था। गांधी तो पहले ही कह चुका है जब वह विदेश गया था, तब तक भी वह ईश्वर को नहीं जानता था, ईश्वर में उसकी आस्था न थी।

गांधी ने तो न कभी गीता पढ़ी थी और न रामायण। हां, उसने रामायण सुनी थी मंदिर में, लेकिन पढ़ी न थी। अरे गांधी को जब भी भूतों से डर लगता, वह कभी न राम का नाम लेता और न कभी हनुमान या कृष्ण का। रंभा के कहने पर उसने राम का नाम लेना शुरू तो किया, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं किया। गांधी **South Africa** जाने तक अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता था, उसे न तो भारत देश की चिंता थी, और न देश के धर्म, स्वराज की। हां, जब तक गांधी राजनीति में नहीं आता, तब तक वह स्वराज, अंग्रेजी सभ्यता, सत्याग्रह, अंग्रेजी भाषा, धर्म, जाति-वर्णव्यवस्था इन पर कभी बात नहीं करता और न की।

यहां गांधी बैरिस्टर बनकर आता है, फिर भी लोगों के मुकदमे नहीं लड़ता, अछूत, शूद्र को उनके अधिकार नहीं दिलाता, जैसा कि हिंद स्वराज पुस्तक पेज **102** पर गांधी बोल रहा है कि वकीलों को अपना पेशा छोड़ देना चाहिए, उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए" लेकिन गांधी ने अपना बैरिस्टर का पद क्यों नहीं छोड़ा?

यहां गांधी **South Africa** जाने से पहले पैसों की बात कर रहा है, जब उसे बताया गया कि आपके जाने का खर्च, रहने और खाने के खर्च के अलावा आपको **105** पौंड दिए जाएंगे, तो गांधी एक बार भी बहस किए बिना राजी हो जाने को तैयार हो गया।

जबकि हिंद स्वराज में गांधी बोलता है हमको गरीबी अपनानी चाहिए, पैसा पास नहीं रखना चाहिए। ये पैसा सत्याग्रह में अड़चन पैदा करेगा (हिंद स्वराज पृ. **85**)।

गांधी डॉक्टर, वकील, जज, सबको नौकरी छोड़ने की बोल रहा था, फिर गांधी कहता है मुझे "जैसे भी बने मुझे हिंदुस्तान छोड़ना था।" यहां गांधी हिंदुस्तान छोड़ना क्यों चाहता था? क्या उसको अय्यासी नहीं मिल रही थी? क्या? यहां उसको इज्जत की नौकरी नहीं मिल रही थी? यहां वह धर्म की जंजीरों से छूटना चाहता था, क्योंकि हमने देखा गांधी जब विदेश पढ़ने गया

तो शर्म की वजह से अपनी चुटिया कटवा दी थी, जो एक पाप था, उसने गले में जनेऊ भी नहीं पहना।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग पेज **26:** गांधी जब विदेश पढ़ने गया तो उसने सफेद पोशाक पहन रखी थी, तो उसे उसमें बहुत शर्म लग रही थी। इसलिए पेज **44:** गांधी जब **South Africa** जाता है, तो वह फॉक कोट बगेरा पहनकर जाता है।

गांधी **(South Africa)** के स्टीमर के घाट पर पहुंचते ही समझ गया कि यहां भारतीयों के साथ अच्छा नहीं होता, यानी उनकी यहां अधिक इज्जत नहीं, लेकिन भारत में उसने अपना सारा बचपन बिता दिया, बैरिस्ट बनकर भी भारत आ गया तो भी उसे यह नहीं दिखा कि भारत में एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी का गुलाम बनकर जीता है, वो गुलाम अछूत, शूद्र थे। बाबा साहब कह गए कि हमसे ज्यादा गुलाम अच्छे होते हैं, वह गुलाम मालिक के पास जा सकता है, मालिक गुलाम को छू सकता है, मालिक गुलाम को खाना-पीना देता, उसका ध्यान रखता है, पर अछूत की परछाई से भी लोग दूषित हो जाते हैं।

अब्दुल्ला सेठ मुझे घर पर ले गए। वह बहुत कम पढ़े-लिखे थे, पर उनके पास अनुभव का ज्ञान बहुत था। हिंदुस्तानी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्हें इस्लाम का अभिमान था। वे दूसरे या तीसरे दिन मुझे डरबन की अदालत दिखाने ले गए। मजिस्ट्रेट मुझे बार-बार देखता रहा, उसने मुझे पगड़ी उतारने को कहा, मैंने इंकार किया और अदालत छोड़ दी।

वहां भारत से जाने वालों ने अपना दो गुट बना रखे थे- एक भाग मुस्लिम व्यापारियों का या वे अपने को अरब कहते थे। दूसरा भाग "हिंदू या पारसी का था। पारसी अपना परिचय परसियन के नाम से देते। एक चौथा समुदाय तमिल, तेलगू, और उत्तरी हिंदुस्तानी के गिरमिटिया तथा गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों का था।

गिरमिट का अर्थ-इकरार यानी **Agreement,** होता है। जिसके अनुसार उन दिनों गरीब हिंदुस्तानी पांच साल तक मजदूरी करने के लिए नेटाल जाते थे। गिरमिट से ही गिरमिटिया शब्द बना है। अंग्रेज इन गिरमिटवालों को कुली के नाम से पहचानते थे, चूंकि वे संख्या में अधिक थे। इसलिए दूसरे हिंदुस्तानियों को (जो गिरमिटिया नहीं थे) भी कुली कहते थे। वह कुली के बदले सामी भी कहते थे। सामी अर्थात स्वामी यानी मालिक होता है। सामी ज्यादातर तमिल नामों के अंत में लगने वाला प्रत्यय है।- सामी अर्थात स्वामी, इसलिए मैं 'कुली बैरिस्टर' कहलाया। व्यापारी 'कुली व्यापारी' कहलाते थे।

पेज **46:** मुसलमान यह शब्द सुनकर गुस्सा होता है और कहता है, "मैं कुली नहीं अरबी हूँ, अर्थात व्यापारी हूं।" ऐसी दशा में पगड़ी उतारने का मतलब था अपमान सहन करना। मैंने तो सोचा कि मैं हिंदुस्तानी पगड़ी की विदा कर दूं और अंग्रेजी टोपी पहन लूं, ताकि उसे उतारने में अपमान न जान पड़े और मैं झगड़े से बच जाऊं! पर अब्दुल्ला सेठ को यह सुझाव अच्छा न

लगा। कुल मिलाकर अब्दुल्ला सेठ की दलील मुझे अच्छी लगी। मैंने पगड़ी के किस्से को लेकर अपने और पगड़ी के बचाव में समाचार पत्रों के नाम एक पत्र लिखा। अखबारों में मेरी पगड़ी की खूब चर्चा हुई, और **3-4** दिन के अंदर ही मैं अनायास दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्धि पा गया। किसी ने मेरा पक्ष लिया और किसी ने मेरी धृष्टता की खूब निंदा की। मेरी पगड़ी तो लगभग अंत तक बनी रही।

(यहां गांधी को अंग्रेजी टोपी पहनने पर कोई दिक्कत नहीं थी और न गांधी ने टोपी के लिए कोई सत्याग्रह किया और न लड़ा, बल्कि बीच का रास्ता अपना रहा था, यानि अंग्रेजी टोपी पहन रहा था। टोपी की टोपी रहती और उसे अपमानित भी नहीं होना पड़ता, लेकिन अब्दुल्ला उसको समझाता है तो वह अंग्रेजी टोपी नहीं पहनता।)

Page 47 में सातवें या आठवें दिन डरबन से रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दर्जे का टिकट कटाया गया। वहां रेल में सोने के लिए पांच शिलिंग का अलग टिकट कटाना होता था। अब्दुल्ला सेठ ने उसे कटाने का आग्रह किया, पर मैंने मना कर दिया। ट्रेन लगभग **9** बजे नेटाल की राजधानी मोरित्सबर्ग पहुंची। यहां बिस्तर दिया जाता था, मेरे पास अपना बिस्तर था तो मैंने नौकर से मना कर दिया। वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया, उसने मेरी तरफ देखा। मुझे भिन्न वर्ण का पाकर वह परेशान हुआ, बाहर निकला और एक दो अफसरों को लेकर आया। उसने मुझसे कहा, "इधर जाओ, तुम्हे आखिरी डिब्बे में जाना है।" मैंने कहा, "मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है।" गांधी नहीं उतरा, सिपाही आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और धक्का देकर नीचे उतारा। मेरा सामान उतार लिया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इंकार कर दिया। ट्रेन चल दी। सर्दी का मौसम था। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था। रेलवालों ने उसे कहीं रख दिया था क्योंकि गांधी ने उस सामान को उठाया ही नहीं था। पर सामान मांगने की हिम्मत न हुई। ठंड में मैं कांपता रहा। कमरे में दीया नहीं था, मैं बात करने की मनःस्थिति में नहीं था। मैंने अपने धर्म का विचार किया—या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना तो नामर्दी होगी। यह निश्चय करके मैंने दूसरी ट्रेन में, जैसा भी हो, आगे ही जाने का फैसला किया। सवेरे ही सवेरे मैंने जनरल मैनेजर को शिकायत का लंबा तार भेजा, दादा अब्दुल्ला को भी खबर भेजी। इससे व्यापारी मुझे मिलने स्टेशन पर आए। उन्होंने मुझसे कहा, "आप पर जो बीती है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब हिन्दुस्तानी लोग पहले या दूसरे दर्जे में सफर करते हैं तो ऐसा ही होता है।" दिन ऐसी ही बातें सुनने में बीता। रात पड़ी, ट्रेन आई। बिस्तर का जो टिकट मैंने डरबन में कटाने से इनकार किया था, वह मेरिट्सबर्ग में कटाया। ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन की ओर ले चली। इससे आगे का आप किताब में देखें**: page 48** पर। यहां शॉर्ट में कहानी बता देता हूं—चार्ल्स टाउन से जोहानिस्बर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी, घोड़ों की सिकरम थी, मेरे पास सिकरम का टिकट था। उस सिकरम वाले ने मुझसे कहा, "यह टिकट तो रद्द हो गया है क्योंकि गांधी एक दिन देर से (यानि **7** तारीख की जगह **8** को) गया था।"

लेकिन वहां एक दिन देर से पहुंचने पर भी टिकट रद्द नहीं होता था। दरअसल, गांधी अजनबी और कुली देखकर वह नहीं चाहता था गांधी अंदर गोरे के साथ बैठे। सिकरम के बाहर। अर्थात कोचवान की बगल में दाएं-बाएं: दो बैठकें थी। उनमें से एक पर सिकरम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है—अपमान है। मैं मन में बहुत झुंझलाया। लगभग **3** बजे सिकरम मारडीकोप पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था, वहां वह खुद बैठें। क्योंकि उसे सिगरेट पीनी थी। थोड़ी हवा भी खानी थी। इसलिए उसने एक मैला सा बोरा, जो वहां कोचवान के पास पड़ा था, उठा लिया और पैर रखने की पट्टी (सीढ़ी) पर बिछा कर मुझसे कहा, "सामी" (जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, गोरा वहां के काम करने वाले जो बाहर से आते थे, उन्हें कुली या सामी कहते थे), "तू यहां बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना था।" इसीलिए मैंने डरते-डरते उससे कहा, "तुमने मुझे यहां बैठाया। मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहां बैठाया। अब तुम मुझे अपने पैरों के पास (शायद सीढ़ियों पर) बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूं, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं।" मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बांह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सीखचे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए, पर सीखचे न छोड़ूंगा। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, पर मैं चुप था। यात्रियों में से कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, "अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठा रहने दो। उसे मारो मत, उसकी बात सच है। वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो।" इससे गोरे ने मुझे छोड़ दिया, पर वह मेरी तरफ बराबर घूरता ही रहा। उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा। मैंने सिकरम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहा। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी। वह एजेंट को भेज दी। इसके बाद गांधी होटल में जगह ढूंढता हैं, लेकिन होटल वाला मना कर देता है। मैं अब्दुलगनी के पास पहुंचा, उन्हें दुबारा बताया, तो वह खिलखिलाकर हंसने लगे, बोले, "वे होटल में कैसे ठहरने देंगे?"

(यहां कुछ लूप होल हैं, जिनको आगे देखेंगे, पहले ये जानो कि गांधी ने खुद पहले दर्जे का टिकट नहीं कटवाया था, बल्कि अब्दुल्ला सेठ ने खुद कटवाकर गांधी को दिया था। क्योंकि गांधी ने लिखा है, "मेरे लिए पहले दर्जे का टिकट कटाया गया", इसका अर्थ है कि किसी दूसरे ने टिकट कटवाई थी। अगर गांधी खुद टिकट लेता तो वह ऐसे लिखता, "मैंने पहले दर्जे की टिकट को कटवाया"।

इसका एक और सबूत ये है कि गांधी को इंडिया से साउथ अफ्रीका भेजा गया था, तो वह अपने पैसों से नहीं, बल्कि जिसने बुलाया है, उसी के पैसों से आया था। तो सीधी सी बात है, टिकट भी उसी ने कटवाई होगी, और यहां रहने और खाने की व्यवस्था उसी मालिक के जिम्मे थी। तो

सीधी सी बात है, वह अपने काम के लिए गांधी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा था, तो टिकट भी वही कटवायेगा न कि गांधी। तीसरा सबूत, गांधी एक दिन बाद सिकरमवाले के पास जाता है, यानी टिकट पहले से ही खरीदकर गांधी को दे दी गई थी, और उस मालिक (अब्दुल्ला) ने सिकरम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था।

यहीं लूप होल है, अगर अब्दुल्ला ने टिकट कटवायी तो इसे पता होना चाहिए कि यहां **(South Africa)** रंगभेद चल रहा है। तो उसने टिकट क्यों कटवाया? उसने टिकट कटवाने से पहले गांधी को बताया जरूर होगा। या गांधी को उसके दोस्त व्यापारियों ने भी वहां रहने के नियम बताये होंगे और रंगभेद के बारे में भी। जब गांधी को रेल से बाहर कर दिया जाता है, तो वहां उससे मिलने उसके दोस्त व्यापारी आते हैं और उससे यही बात छूटते ही कहते हैं, "आप पर जो बीती है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब हिन्दुस्तानी पहले या दूसरे दर्जे में सफर करते हैं, तो ऐसा ही होता है।"

यानि उन्हें पता थी यह बात। जब गांधी सिकरम में पिटने के बाद अब्दुलगनी सेठ के पास पहुंचता है और गांधी उसे बताता है कि मुझे होटल में जगह न दी, तो अब्दुलगनी सेठ बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है। पता है? वह हंसता क्यों है? क्योंकि गांधी को साउथ अफ्रीका में रहे हुए **1** दिन नहीं, बल्कि **8-10** दिन हो चुके थे, और उसे ये तक नहीं पता चला कि यहां रंगभेद चल रहा है।

अब बात रह जाती है कि उस रेलवे वाले ने टिकट काटी क्यों थी जब पहले और दूसरे दर्जे में काले लोगों को जाने नहीं दिया जाता। तो इसका उत्तर ये है कि ये रंगभेद वहां के अधिकारी नहीं फैला रहे थे, बल्कि वहां के गोरे लोग फैला रहे थे। इसलिए आप देखोगे, किसी भी गाड़ी वाले को या होटल वाले को गांधी से वह मना नहीं करते, बल्कि मना इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी वजह से बाकी लोग भाग जाएंगे। सिकरम वाले ने गांधी को नहीं पीटा, बल्कि जनता ने पीटा। मैं उस व्यक्ति को जनता इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि गोरी जनता ही भेदभाव करती थी। रेल में भी गोरे व्यक्ति ने गांधी को बाहर निकालवाया था।)

Page 51: जब गांधी दूसरी बार रेल में पहले दर्जे की टिकट लेता है, तो टिकट काटने वाला पहले ही बता देता है कि मैं तो टिकट काट दूंगा, लेकिन कोई आपको बाहर निकाल दे तो मुझसे मत कहना। फिर भी गांधी पहले दर्जे की टिकट कटवाता है। यानि अब भी गांधी पहले दर्जे की टिकट कटवा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, उसे पहले भी पता था कि मेरे साथ रंगभेद होगा, बस गांधी बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लोगों की सहूलियत चाहिए थी।

यहां पर भी जब टिकट वाला टिकट चेक करने आता है, तो वह गांधी को तीसरे दर्जे वाले डिब्बे में जाने को कहता है, लेकिन वहां एक गोरा व्यक्ति गांधी को जाने नहीं देता और टीसी वाला बोलता है उस गोरे से कि जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या। इससे पता चलता है, दिक्कत

अधिकारियों को नहीं, लोगों को थी। और देखें, **Page 52:** जब गांधी एक होटल में ठहरता है, तो वह होटल वाला गांधी को रुकने की जगह तो दे देता है, लेकिन वह कहता है कि तुम्हारी रोटी तुम्हारे ही रूम में पहुंचा दी जाएगी, लेकिन तुम यहां टेबल पर यानि सबके साथ नहीं खा सकते क्योंकि वह गोरे लोग भाग जाएंगे। गांधी मान लेता है, लेकिन वह होटल वाला गांधी से बिना पूछे गोरे लोगों (जो उसके यहां ठहरे थे) से पूछता है, "क्या एक हिन्दुस्तानी को यहां आपके साथ खाना खिला सकते हैं?" तो वह मान जाते हैं और गांधी सबके साथ खाने लग जाता है। इससे यही साबित होता है कि भेदभाव गोरे लोग मानते थे, सरकार या अधिकारी लोग नहीं, लेकिन सभी गोरे लोग एक से नहीं थे।

(यहां गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन गांधी ने सत्याग्रह नहीं किया, बल्कि जनरल मैनेजर को शिकायत का लंबा तार भेज डाला और दादा अब्दुल्ला को भी। गांधी जब सिकरम के गोरे मुखिया के हाथों पिट रहा था, तो वहां एक हिन्द स्वराज की किताब की एक बात इससे मैच कर रही है। गांधी कह रहा था कि चोरों को सुधारना चाहते हो, तो, जो चोर चोरी करने आये, उसके लिए घर के दरवाजे खोल दो, तिजोरी खुली छोड़ दो, खिड़कियां खोल दो, अपना बिस्तर वहां से हटा लो। ऐसा हर बार करो, इससे चोर का दिल पिघल जाएगा, वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा।"

चोर चोरी करना छोड़ सकता है इस तरीके से, तो गांधी सिकरम की सीढ़ियों पर और उस गंदे बोरे पर बैठ जाता अपने आप ही और ऊपर से उस गोरे के जूते साफ कर देता। तो इससे गोरे का दिल पिघल जाता और वह फिर किसी भी काले को परेशान नहीं करता। पर गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता इस तरकीब से चोर सुधरेगा या नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है गांधी ने ऐसा प्रयोग अपने जीवन में नहीं किया। हां, राजनीति में शामिल होने के बाद शायद किया हो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए।)

Page 51 इस अब्दुलगनी ने कहा- कल आपको प्रिटोरिया जाना है, वहां आपको तीसरे दर्जे में ही जगह मिलेगी। ट्रांसवाल में नेटाल से अधिक कष्ट है। फिर मैंने स्टेशन मास्टर को पत्र भेजा, उसमें मैंने अपने बैरिस्टर होने की बात लिखी। साथ ही यह भी सूचित किया कि मैं हमेशा पहले दर्जे में ही सफर करता हूँ।" मैं फ्रॉक कोट, नेक टाई वगैरा डालकर पहुंचा और स्टेशन मास्टर से मैंने पहले दर्जे का टिकट मांगा। स्टेशन मास्टर ने पूछा, "क्या तुमने ही चिट्ठी लिखी थी?" मैं बोला, "हां।" स्टेशन मास्टर हंसा, उसे दया आई। वह बोला, "आपके प्रति मेरी सहानुभूति है, मैं आपको टिकट देना चाहता हूं। पर एक शर्त है- अगर रास्ते में गार्ड आपको उतारे दे और तीसरे दर्जे में बैठाए तो आप मुझे फांसिये नहीं, यानी आप रेलवे कंपनी पर दावा न कीजिए।" अब्दुलगनी सेठ मुझे विदा करने आए थे। उन्होंने मुझे चेताया, "अगर गार्ड नहीं तो यात्री आपको बैठने नहीं देंगे।" गार्ड टिकट चेक करने आया, मैंने टिकट दिखाया, उसने तीसरे दर्जे में जाने का इशारा किया उंगली से, लेकिन मैं नहीं गया। इस डिब्बे में एक ही अंग्रेज यात्री था, उसने गार्ड

को अड़े हाथों लिया, "तुम इन भले आदमी को क्यों परेशान करते हो? मुझे इनके बैठने से तनिक भी कष्ट नहीं है।" गार्ड बड़बड़ाया, "आपको कुली के साथ बैठना है तो मेरा क्या बिगड़ता है?" और चल दिया।

एक अमेरिका हब्शी गांधी को छोटे से होटल में ले गया, उस होटल के मालिक ने गांधी से कहा, "मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मन में तो काले-गोरे का कोई भेद नहीं है, पर मेरे सब ग्राहक गोरे ही हैं। यदि मैं आपको भोजन गृह में **page 52** भोजन कराऊंगा तो मेरे ग्राहक भाग जाएंगे।" उन्होंने कहा, "भोजन तुमको अपने कमरे में ही करना होगा।" मैंने कमरे में प्रवेश किया। कुछ देर बाद होटल का मालिक आया, बोला, "मैंने आपको कमरे में खाना देने की बात कही थी, पर मैंने उसमें शर्म महसूस की, इसलिए अपने ग्राहकों से आपके बारे में पूछा तो वह मान गए हैं, आप भोजन-गृह में बैठकर भोजन कर सकते हैं।" इस होटल मालिक का नाम मि. जॉन्स्टन था। दूसरे दिन सवेरे में वकील के घर गया, उनका नाम था ए. इब्ल्यू. बेकर। उन्होंने कहा, "यहां रंग-भेद बहुत है, इसलिए घर मिलना आसान नहीं है, पर मैं एक बहन को जानता हूँ, वह गरीब है, भटियारे की स्त्री है, वह बहन मान गई और हफ्ते के **35** शिलिंग देने की बात हुई।" फिर मि. बेकर को गांधी ने अपने बारे में बताया कि "मैं हिन्दू हूँ, इस धर्म (हिन्दू धर्म) का अभी मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, दूसरे धर्मों का ज्ञान भी कम ही है। मैं कहां हूँ, क्या मानता हूँ, मुझे क्या मानना चाहिए, यह सब मैं नहीं जानता। अपने धर्म का अध्ययन मैं गंभीरता से करना चाहता हूँ। दूसरे धर्मों का अध्ययन भी यथाशक्ति करने का मेरा इरादा है।" मि. बेकर बोले, "मैंने अपने खर्च से एक गिरजा-घर बनवाया है। उसमें समय-समय पर धर्म संबंधी व्याख्यान दिया करता हूँ, आप भी वहां आएंगे तो मुझे खुशी होगी।" मि. बेकर ने ढेर सारी धार्मिक किताबें पढ़ने को दी और कहा, "सच्ची पुस्तक तो बाइबल की है, आप उसे अवश्य पढ़िए।" मैंने मि. बेकर का धन्यवाद दिया और अपने बस भर (जितना हो सके) रोज एक बजे उनके मंडल में प्रार्थना के लिए पहुंचना स्वीकार किया। दूसरे दिन एक बजे मैं मि. बेकर के प्रार्थना-समाज में गया, सबने घुटने के बल बैठकर प्रार्थना की। मैंने भी उनका अनुकरण किया। वहां मुझे मि. कोट्स मिले। उन्होंने मेरे गले में वैष्णवी कंठी देखी। उन्हें यह वहम जान पड़ा और वे दुःखी हुए। बोले, "यह वहम तुम जैसों को शोभा नहीं देता, लाओ इसे तोड़ दूँ।" मैंने कहा, "यह कंठी नहीं टूट सकती, माताजी का प्रसाद है।" पर क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? मैं इसका गूढ़ार्थ नहीं जानता, पर माता ने दी है।" मि. कोट्स मेरी इस दलील की कद्र नहीं कर सके, क्योंकि वह यह बताना चाहते थे कि दूसरे धर्मों में भले ही कुछ सत्य हो, पर पूर्ण सत्यरूप ईसाई धर्म को स्वीकार किए बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। इन परिचयों में एक परिचय प्लीमथ ब्रदर से संबंधित था। प्लीमथ ब्रदर नाम का एक ईसाई संप्रदाय है। मि. कोट्स के कराए हुए बहुत से परिचय मुझे अच्छे लगे। उन्होंने भी मुझे किताबों से लाद दिया था मि. कोट्स ने। वे लोग (जिनसे कोट्स ने परिचय कराया) मुझे ईश्वर से डरनेवाले जान पड़े। पर इस कुटुंब में एक भाई ने मुझसे यह दलील की- "आप हमारे धर्म की खूबी नहीं समझ सकते।" उसने और भी बताया, पर मैंने कहा, "यदि

सर्वमान्य ईसाई धर्म यही है तो वह मेरे काम का नहीं है। मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो पाप-वृत्ति से, पाप कर्म से मुक्ति चाहता हूँ।"

(गांधी को धर्म का ज्ञान नहीं था, फिर भी दूसरे के धर्मों में कमियाँ ढूंढना वह खूब जानता था, पर पूरी किताब में किसी भी पन्ने पर अपने धर्म की एक भी कमी न बताई।)

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **Page 62** गांधी बोलता है, "मुझे घर अच्छा और अच्छी बस्ती में लेना चाहिए, इससे दूसरे बैरिस्टरों की तरह रहने से मेरे हिन्दुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी।" (मैं शुरू से कह रहा हूँ, गांधी पहले परिवर्तन की सोचता था, लेकिन राजनीति के बाद स्वराज की सोचने लगा। यहां गांधी खुद मान रहा है कि ऊंची बस्तियों में (पैसे वाली) रहने से अपना मान-सम्मान बढ़ता है, तो फिर ऊंचे कपड़े पहनने से भी मान-सम्मान बढ़ता है।)

Page 51 पर गांधी स्टेशन मास्टर से टिकट लेने जाता है, तो उस पर अपना प्रभाव डालने के लिए फ्रॉक कोट, नेक टाई पहनकर जाता है।

Page 57 पर रेलवे अधिकारी बोलता है, "अच्छे कपड़े पहनकर आओगे तो मैं पहले दर्जे का टिकट दे दूंगा।"

Page 26 पर गांधी को अपने सफेद कपड़ों में शर्म लग रही थी, विदेश में।

एक और बात बता दूं, गांधी एक साल के **Agreement** पर आया था, **105** पौंड में, जबकि **South Africa** में गांधी के घर का किराया एक साल का **300** पौंड था।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **Page 67:**राजकोट में दक्षिण अफ्रीका का काम चल रहा था। इसी बीच मैं बंबई हो आया। मेरा इरादा खास-खास शहरों में सभाएं करके विशेष रूप से लोकमत तैयार करने का था। इस ख्याल से मैं वहां गया था। पहले मैं न्यायमूर्ति रानडे से मिला, उन्होंने मुझे फिरोजशाह मेहता से मिलने की सलाह दी। बाद में मैं जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी से मिला, उन्होंने भी मेरी बात सुनी और वही सलाह दी। मैं फिरोजशाह से मिला जैसे पिता बेटों से मिलता है, उनके पास उनके अनुयायियों का दरबार तो भरा ही रहता था। मैंने उनसे रानडे और तैयबजी से मिल चुकने की बात भी बता दी। उन्होंने कहा, "गांधी, तुम्हारे लिए मुझे आम सभा करनी होगी।" फिर बंबई की इस यात्रा में मैं वहां अपने बहनोई से मिलने गया, वे वहीं रहते थे। वे बीमार थे, गरीब भी थे। उनको मैं अपने साथ राजकोट ले गया, उनकी सेवा करते हुए मैं दक्षिण अफ्रीका का काम कर रहा था। बहनोई का स्वर्गवास हो गया। इसके दूसरे दिन मुझे बंबई की सभा के लिए जाना था। मैंने सुन रखा था कि जिस सभा में सर फिरोजशाह बोलनेवाले हों, उस सभा में खड़े रहने को जगह नहीं मिलती। सर फिरोजशाह को मेरा भाषण अच्छा लगा। इस सभा के परिणामस्वरूप देशपांडे और एक पारसी सज्जन पिघले और दोनों ने मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका जाने का अपना निश्चय प्रकट किया।

मैं फिर लोकमान्य तिलक से मिला, उन्होंने कहा, "सब पक्षों की मदद लेने का आपका विचार बिल्कुल ठीक है," क्योंकि पूना में दो दल थे। और मैं सबकी मदद चाहता था। लोकमान्य का यह मेरा प्रथम दर्शन था। यहां से मैं गोखले के पास गया, उनसे भी मेरा यह पहला परिचय था।

सर फिरोजशाह मुझे हिमालय जैसे, लोकमान्य समुद्र जैसे और गोखले गंगा जैसे लगे। सभा पाच्याप्पा हॉल में हुई थी, और मेरा खयाल है कि डॉ. सुब्रह्मण्यम उसके सभापति थे। मद्रास में सबके साथ विशेषकर अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता था। इतने में डरबन से तार मिला, "पार्लियामेंट संसद जनवरी में बैठेगी, जल्दी लौटिए।" इससे अखबारों में एक पत्र लिखकर मैंने तुरंत लौट जाने की जरूरत जता दी और कलकत्ता छोड़ा। दादा अब्दुल्ला के बंबई के एजेंट को तार दिया कि पहले स्टीमर से मेरे जाने की व्यवस्था करें। दादा अब्दुल्ला ने स्वयं 'कुरलैंड' नाम का स्टीमर खरीद लिया था। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को मुफ्त ले जाने का आग्रह किया।

कुटुंब के साथ यह मेरी पहली समुद्री यात्रा थी।

मैंने कितनी बार लिखा है कि हिंदू समाज में ब्याह बचपन में हो जाते हैं और पति साक्षर, पत्नी निरक्षर रहती है। हिंदू पति अपने को पत्नी का ईश्वर मानता है, इसलिए पत्नी को पति जैसा नचाए वैसा नाचना होता है।

मुझे अपनी पत्नी और बालकों की वेशभूषा, खाने-पीने की और बोल-चाल की संभाल रखनी होती थी।

मुझे रीति-रिवाज सिखाने होते थे।

हमारे बंबई छोड़ते समय वहां प्लेग की शिकायत थी। डरबन के गोरे नागरिक हमें उलटे पैर लौटा देने का आंदोलन चला रहे थे। गोरे लोग एक के बाद दूसरी विराट सभाएं कर रहे थे। वे दादा अब्दुल्ला के नाम धमकियां भेजते थे। उन्हें लालच भी देते थे, अगर दादा अब्दुल्ला दोनों स्टीमरों को वापस ले जाएं तो गोरे नुकसान की भरपाई करने को तैयार थे। अब्दुल्ला किसी की धमकी से डरने वाले नहीं थे। इस समय वहां सेठ अब्दुल करीम हाजी आदम दुकान पर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े, वे स्टीमरों को बंदरगाह पर लाएंगे और यात्रियों को उतारेंगे। मेरे नाम उनके विस्तृत पत्र बराबर आते रहते थे। जहाज 'धक्के पर' लगा, यात्री उतरे। पर मेरे बारे में मि. एस्कंब ने कप्तान से कहलाया था, "गांधी को और उनके परिवार को शाम के समय उतारिएगा, क्योंकि गोरे उनके प्राण के प्यासे हैं।" लेकिन आधा घंटा भी न हुआ था कि इतने में मि. लाटन आए और अपनी जिम्मेदारी पर हमको ले जाने लगे। जैसे ही हम जहाज से उतरे, कुछ लड़कों ने मुझे पहचान लिया और वे गांधी गांधी चिल्लाने लगे। खासी (बहुत) भीड़ जमा हो गई। सबसे पहले तो भीड़वालों ने मुझे मि. लाटन से अलग कर दिया। फिर मुझ पर कंकड़ों, सड़े अंडों की वर्षा शुरू हुई। किसी ने मेरी पगड़ी उछालकर फेंक दी। फिर लातें शुरू हुईं, तमाचे पड़ने लगे। पुलिस के दस्ते के साथ मैं सही-सलामत पारसी

रुस्तमजी के घर पहुंचा। मेरे पीठ पर छिपी मार पड़ी थी। यों भीतर शांति थी, पर बाहर गोरे ने कार को घेर लिया था। शाम हो चुकी थी। बाहर हजारों लोग तीखी आवाज में शोर कर रहे थे और गांधी को हमें सौंपो की पुकार मचा रहे थे। लेकिन सुपरिटेंडेंट ने मुझे, दो जवानों के साथ बगल की गली से बाहर निकाल दिया। गांधी को हिंदुस्तानी सिपाही की वर्दी पहनाई और सिर पर मार पड़े तो उससे बचने के लिए माथे पर पीतल की एक तश्तरी रखी। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठाकर मुझे अब उसी थाने में ले गए, जिसमें आश्रय लेने की सलाह सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर ने पहले दी थी। उस समय के उपनिवेश मंत्री स्व. मि. चेंबरलेन ने तार किया कि मुझे पर हमला करनेवालों पर मुकदमा चलाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। "अब अगर आप हमला करनेवालों को पहचान सकें तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवाने और उन पर मुकदमा चलाने को तैयार हूं।" ऐसा मि. एंस्कब ने कहा था, और मि. चेंबरलेन भी यही चाहते थे। मैंने जवाब दिया, "मुझे मुकदमा नहीं चलाना।" उन्हें तो यह कहा गया है कि मैंने हिंदुस्तान अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहकर नेटाल के गोरे को बदनाम किया है।

सर फिरोजशाह के प्रताप से उस समय मैंने हिंदुस्तान में एक भी भाषण बिना लिखे नहीं किया था। अपने उन सब भाषणों और लेखों का संग्रह तो मेरे पास था ही। मैंने यह सब उसे दिया और सिद्ध कर दिखाया कि मैंने हिंदुस्तान में ऐसी एक भी बात नहीं कही, जो अधिक तीव्र शब्दों में दक्षिण अफ्रीका में न कही हो।

मैंने यह बता दिया कि कुरलैंड और नादरी के यात्रियों को लाने में मेरा हाथ बिलकुल न था। उनमें तो अधिकांश पुराने ही थे और बहुतेरे नेटाल में रहनेवाले नहीं थे। बल्कि ट्रांसवाल जानेवाले थे। उन दिनों नेटाल में मंदी थी। ट्रांसवाल में बहुत अधिक कमाई होती थी। इस कारण अधिकांश हिंदुस्तानी वहीं जाना पसंद करते थे। - मैंने यह सब एक पत्र में लिखकर मि. एस्कंब को दिया। इस खुलासे का और हमलावरों पर मुकदमा दायर करने से मेरे इनकार करने का इतना ज्यादा असर पड़ा कि गोरे शर्मिंदा हुए। समाचार पत्रों ने मुझे निरदोष सिद्ध किया और हल्ला करनेवालों की निंदा की।

(अब्दुल्ता को गोरे लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, फिर भी वह गांधी का साथ देता है। गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आता है ताकि उसको कांग्रेस अपना प्लान समझा सके, इसके लिए वह शहरों में सभाएं करता है, इसको पहली बार तिलक, गोखले और और भी लोगों से परिचय होता है। फिरोजशाह गांधी के लिए एक आम सभा जोड़ते हैं। फिरोजशाह का दरबार उनके अनुयायियों से भरा रहता था, फिरोजशाह बंबई के शेर कहलाते थे। यह जहां भी भाषण देते थे, उस सभा में खड़े रहने को जगह नहीं मिलती थी। फिर भी इन्होंने गांधी से मुलाकात की तो उसके लिए सभा कराई। तिलक, गोखले जैसे लोग गांधी का साथ देते हैं, जो कि इससे पहली बार मिलते हैं, न जान, न पहचान। इससे पहले गांधी फिरोजशाह मेहता से एक बार मिलता है, लेकिन **Face to Face** नहीं मिला था, सिर्फ एक क्लाइंट के तौर पर मिला था। पेज **42** गांधी

को जब एक अफसर अपने ऑफिस से चपरासी द्वारा गांधी को बाहर निकलवा देता है, तो गांधी इसका बदला लेने के लिए कहता है, गांधी बोलता है - "मैं कौन दावा दायर करना जानता था? इन दिनों सर फिरोजशाह मेहता अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में राजकोट आए हुए थे। मेरे जैसा नया बैरिस्टर उनसे कैसे मिल सकता था? पर उन्हें बुलाने वाले वकील के द्वारा पत्र भेजकर मैंने उनकी सलाह पुछवाई। उनका उत्तर था - गांधी से कहिए, ऐसा तो होता रहता है, चिट्ठी फाड़ दो।" कुल मिलाकर मैं यहां यह बताना चाह रहा हूँ कि गांधी फिरोजशाह को ऐसे जानता था जैसे मैं अडानी की लड़की को जानता हूँ। यहां भी गांधी यही बात कह रहा है, "मुझ जैसा नया वैरिस्टर उनसे कैसे मिल सकता था?" तो फिर उसने पहली ही मुलाकात में सभा कैसे जोड़ दी, जबकि उस सभा का मकसद गांधी को लोकमत प्राप्त और गांधी को एजेंट बनाना था, न कि अंग्रेजों को भगाना या भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी करना। अब आप यह कहोगे गांधी को साउथ अफ्रीका में नाम मिल गया था अपना, उसकी संस्था थी। तो क्या यह आपको लग रहा है? हां, यह सच है, गांधी को साउथ अफ्रीका में थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलने की वजह से ही और उसके काम करने के तरीके को देखकर ही उसको गोखले ने चुना था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसको पूरा भारत जानता था, अरे भाई, उसको भारत में कोई नहीं जानता था। फिर भी जब गांधी भारत आता है तो पेज **86** उसे सोना, चांदी, यहां तक कि हीरे भी उपहार में मिलते हैं, जो सोचने वाली बात है, इतना उपहार किसी को क्यों दिया जाएगा? बाबा साहब जब स्कूल जाते थे तो एक फटा बोरा साथ लेकर जाते थे। अगर आपको लग रहा है कि गांधी अच्छा काम करके आया है साउथ अफ्रीका में, इसलिए उसे इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो भाई, पहले ही बता दूं, इंडिया के लोगों के लिए उसने कोई काम नहीं किया यहां पर। हां, वहां पर उसने कुछ अधिकारों के लिए लड़ा था, लेकिन वह भी वहां पर रंगभेद गांधी ने खत्म नहीं किया और न ही वहां पर गांधी से हुआ। दूसरा, मैं यह बता दूं गांधी धर्म तोड़कर गया था और वह धर्म को तोड़कर ही आया है, जैसे उसने इंग्लिश सीखी, उसने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजी सभ्यता का समर्थन किया, उसने वहां पर अंग्रेजों के कई युद्धों में भाग लिया था और गांधी यहां से धर्म को तोड़कर गया था, समुद्र पार करके गया था। और गांधी यह बात खुद मानता है, जब वह लौटकर आता है, गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया। तो गांधी अपनी जाति बहिष्कार का पूरा समर्थन करता था। गांधी का पूरी दुनिया में नाम हो रहा था, वह पॉपुलर हो चुका था, ऐसा सोचने वालों को बता दूं, बाबा साहब ने अपनी किताब में बहुत सारी संस्थाओं के नाम लिखे हैं, जिनको आप न जानते थे, न उनके नाम सुने होंगे, उनमें कुछ नाम ये हैं - "अब्राहमण आंदोलन (फूले), कुगन अछूत समाज संघ।"

दूसरा, गांधी का नाम सब जान गए थे, तो गांधी ऐसा क्यों बोल रहा था कि मैं इंडिया के शहरों में सभाएं करने आया हूं ताकि लोकमत प्राप्त कर सकूं? तीसरा, गांधी भारत में दो सत्याग्रह कर देता है, और फिर भी गांधी को पंजाब के लोग नहीं जानते थे। गांधी बोलता है, "मैं कभी पंजाब नहीं गया और न ही वहां के लोग मुझे जानते हैं।" अब जब भारत में दो सत्याग्रह करने के बाद

भी गांधी को पूरा भारत नहीं जान पाया, तो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करने के बाद पूरा इंडिया गांधी को कैसे जान गया? चौथी बात, तब यूट्यूब, गूगल, फेसबुक नहीं थे, जो कहीं की भी बात एक घंटे में वायरल हो जाएगी, उस समय तक **90%** लोग अनपढ़ थे, उनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, तो अखबार भी कहां से पढ़ते? पांचवां, मान भी लिया जाए, कोई व्यक्ति कहीं फेमस हो रहा है, तो भी कोई पहली ही मुलाकात में उसके लिए सभा क्यों जोड़ेगा? अगर जोड़ेगा तो खुद के लिए जोड़ेगा, जैसे गांधी को अपनी पार्टी में जॉइन करने के लिए, या गांधी को प्लान बताएं, जो अंग्रेजों को भगाने के काम आए। यह सभा तो सिर्फ और सिर्फ गांधी के लिए जोड़ी गई थी, जिसमें महान लोगों ने भी भाग लिया, इन लोगों ने जिन्होंने पहले कभी गांधी का चेहरा भी न देखा था। तिलक, गोखले ने फिरोजशाह को भी। अगर एक-दो मुलाकातें होती, कुछ दिन एक-दूसरे के विचार समझे जाते तो भी समझ आता, यहां तो पहली ही मुलाकात पर गांधी को सबका साथ मिल गया। जो गांधी कभी फिरोज शाह से मिलने को तरस रहा था, वह आज उससे डायरेक्ट मिलके अपने लिए सभा करवा लेता है।

मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझे नहीं होंगे। मैं समझाता हूं। गांधी इंडिया आता जरूर है, लेकिन उसको बुलाया जाता है राजनीति जॉइन करने के लिए, इसके लिए एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें फिरोजशाह, तिलक, गोखले जैसे लोग आते हैं। यह सच है, गांधी इनसे पहली बार मिलता है। इस सभा में गांधी को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने के लिए ही नहीं कहा जाता, बल्कि भारतीयों को फिर से पुरानी सभ्यता की ओर (यानी ब्राह्मणराज) ले जाना चाहता था, जिसको इसने स्वराज का नाम दिया। इसके सबूत ये हैं कि गांधी की जब यह सभा हुई, उसकी डेट और हिंदू स्वराज जब रिलीज हुई, उसकी डेट देखो - इस मीटिंग के बाद हिंदू स्वराज बुक छपी होगी। चेक करना। **1896** में गांधी इंडिया आता है तो सोने, चांदी के उपहार मिलते हैं, क्योंकि इस समय गांधी कांग्रेस जॉइन करने आता है, इसीलिए उसे भेंट दी जाती है, लेकिन इसके बाद **1901** में भी आता है, लेकिन इस समय कितनी भेंट मिली इसका जिक्र गांधी ने नहीं किया, लेकिन **1909** में गांधी जब भारत आता है, तो उसे सोने, चांदी के साथ-साथ हीरे और **50** गिनियों का हार भी मिला, जिसे देखकर गांधी को रात भर नींद नहीं आती। अब इस बार गांधी को ये उपहार नहीं, रिश्वत थी, जो हिंदू स्वराज लिखने के लिए दी गई। इसके साथ यह भी बता दूं, गांधी भारत में सिर्फ कांग्रेस में भाग लेने के लिए ही आता था।

इसका दूसरा सबूत, यहां से आगे गांधी जो भी बताएगा वह स्वराज की ओर इशारा करता जाएगा, जबकि इसके पीछे के पन्नों पर वह एक साधारण मनुष्य की तरह पेश आता है।

इस मीटिंग के तुरंत बाद गांधी वापस दक्षिण अफ्रीका लौट जाता है, क्योंकि उसको दक्षिण अफ्रीका में अधूरे काम पूरे करने थे। वैसे भी उसी से तो वह **Famous** हुआ था। गांधी ने **politics** को **Join** किया था, इसलिये वह अपने परिवार को वहां **safe Feel** नहीं कर रहा था, इसलिए वह उन सबको दक्षिण अफ्रीका ले जाता है। ऐसा कौन सा भाई, पिता होगा

जो अपने परिवार को उस जगह ले जायेगा, जहां उसने पहले ही कांटे बिछा दिए हो। हां गांधी, को पहले ही पता था कि **South** अफ्रीका में गोरे लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो उसने अपनी **Family** को संकट में क्यों डाला? **Page 71** पर देखे, अब्दुल्ला गांधी को चिट्ठी लिखकर पल पल की खबर देता रहता था और ये भी खबर दी थी कि गोरे लोग तुम्हारे जान के प्यासे थे। अब आप यहां पर यह बोल सकते हो कि वहां पर भी तो उसकी जान के प्यासे थे, तो अपनी फैमिली को क्यों लेकर गया? तो यह बात सच है, लेकिन यह भी सच है कि गांधी को नहीं पता था कि केस इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा वहां पर जाकर, क्योंकि बाद में गांधी खूब खुशी के साथ रहने लगा था अपनी फैमिली के साथ।)

Page 76- 1897 की जनवरी में जब मैं डरबन उतरा, तब मेरे साथ तीन बालक थे। मेरा भानजा लगभग **10** वर्ष की उम्र का, मेरा बड़ा लड़का नौ वर्ष का और दूसरा लड़का पाँच वर्ष का। अब इन सबको कहाँ पढ़ाया जाए?

अब देखना यहां से गांधी के स्वराज वाले नखरे शुरू होंगे -

मैं अपने लड़कों को गोरों के लिए चलनेवाले स्कूलों में भेज सकता था, पर वह केवल मेहरबानी और अपवाद रूप होता। दूसरे सब हिन्दुस्तानी बालक वहां पढ़ नहीं सकते थे। हिन्दुस्तानी बालकों को पढ़ाने के लिए ईसाई मिशन के स्कूल थे, पर उनमें मैं अपने बालकों को भेजने के लिए तैयार न था। वहां दी जाने को वाली शिक्षा मुझे पसंद न थी। वहां गुजरती द्वारा शिक्षा मिलती ही कहां से? सारी शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जाती थी, अथवा बहुत प्रयास किया जाता, तो अशुद्ध तमिल या हिन्दी में दी जा सकती थी। अपनी रुचि के अनुकूल गुजराती शिक्षक मैं खोज न सका। मैं उन्हें देश भेजने के लिए तैयार न था। उस समय भी मेरा यह खयाल था कि छोटे बच्चों को माता-पिता से अलग नहीं रहना चाहिए। मैं स्वयं बालकों को पढ़ाने का थोड़ा प्रयास करता था, पर वह अत्यंत अनियमित था। मैं जितना समय देना चाहता था, उतना दे नहीं सका। इस कारण मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें अक्षर-ज्ञान न दे सका। इस विषय में मेरे सब लड़कों को न्यूनाधिक मात्रा में मुझसे शिकायत भी रही है, क्योंकि जब-जब वे **BA, MA,** मैट्रिकुलेट के भी संपर्क में आते, तब स्वयं किसी स्कूल में पढ़ सकने की कमी का अनुभव करते थे।

Page 78 सन् **1920** में जिन नौजवानों को मैंने स्वतंत्रता-घातक स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने के लिए आमंत्रित किया था, और जिनसे मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए निरक्षर रहकर आम रास्ते पर गिट्टी फोड़ना, गुलामी में रहकर अक्षर-ज्ञान प्राप्त करने से कहीं अच्छा है, वे अब मेरे कथन के मर्म को कदाचित समझ सकेंगे।

(जैसा कि गांधी ने प्रस्तावना में कहा है कि मेरी जीवन की कुछ बातें मेरी आत्मा ही जानती है और उनका जिक्र मैंने इस किताब में नहीं किया है।" अब सवाल है कि गांधी ने अपने जीवन

के माँस, बीड़ी, चोरी की बातें तक बता दी हैं, यहाँ तक कि सेक्स की बातें भी खोली हैं। हर आदमी की जिंदगी में अगर कोई राज रहता है तो वह है सेक्स, अब अगर गांधी ने उसका भी खुलासा कर दिया है तो बचा क्या? कुछ नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। गांधी ने जो बात हमसे छुपाने को कही है, वह और कोई नहीं बल्कि वह बात गांधी की **secret** मीटिंग सभा है। हां, वही है, गांधी ने यह तो बता दिया कि मैं सभा के लिए **India** आया और सभा भी की, लेकिन यह नहीं बताया उसमें बोला क्या? कहा क्या था? जबकि गांधी ने अपनी हर बात हमें बताई, फिर यह क्यों नहीं?

अब बात गांधी के बच्चों की कर लेते हैं। अब गांधी अपने बच्चों को **South Africa** में इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि वहां गुजराती में पढ़ाई नहीं होती थी, अंग्रेजी में होती थी। अब सबको पता है, यह गांधी को भी पता था, जिस देश में जाएंगे, तो उसी देश की भाषा में पढ़ना पड़ता है। **Page 27** गांधी अंग्रेजी रीति-रिवाज सीखता है, अंग्रेजी में बात करना सीखता है। **Page 30** लंदन की मेट्रिकुलेशन पास करने के लिए गांधी लैटिन भाषा सीखता है। **Page 35** गांधी ने गीता को सबसे पहले अंग्रेजी में ही पढ़ा था, वो भी अंग्रेजों के सभी अनुवाद। **Page 41** गांधी **High school** मैट्रिक की कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी का काफी अभ्यास करता है, यानि अंग्रेजी को सीखता है।

ये सब देखकर आपको पता चल गया होगा कि गांधी को अंग्रेजी से बिल्कुल नफरत नहीं थी और न ही अंग्रेजी सभ्यता से, लेकिन गांधी की सभा के बाद वह अंग्रेजी और अंग्रेजी सभ्यता से नफरत करने लग जाता है। हां, पूरी तरह नहीं करने लग जाएगा, एक साथ धीरे-धीरे ही करेगा। हां, इससे पहले का बताना मैं भूल गया- गांधी को पता था कि गुजराती भाषा में यहां शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर क्यों ये बहाना दे रहा है कि मैंने अपने बच्चों को गुजराती भाषा न होने के कारण पढ़ाया नहीं? अरे गांधी जी, तुमने भी तो अंग्रेजी में पढ़ाई की थी। चलो, अंग्रेजी न थी तो क्या, अशुद्ध तमिल और हिन्दी ही सही, उसी में शिक्षा दिला देते। आपको बता दूं, आज यूपी में आप कहीं भी घूम आना, आपको गुजराती नहीं मिलेगी और आप हरियाणा में कहीं भी घूम आना, आपको तमिल नहीं मिलेगी, आप बंगाल में घूम आना, कन्नड़ भाषा नहीं मिलेगी। जब एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य में नहीं मिल रही, तो साउथ अफ्रीका में अपनी भाषा ढूंढने का ढोंग क्यों कर रहा है गांधी?

चलो, ये भी छोड़ो, अपने बच्चों को भारत वापस भेज देता, लेकिन गांधी कहता है, "वो छोटे बच्चे हैं, उनको मैं अपने से दूर नहीं भेज सकता था।" अरे गांधी, लंदन घूम आया, सालों-साल रह आया, साउथ अफ्रीका में साल भर रह आया, तब उसको नहीं दिखा कि मेरी फैमिली और बच्चे अकेले हैं? वैसे भी बच्चों के भविष्य के लिए माता-पिता को अपना बच्चा खुद से दूर भेजना ही पड़ता है। आज भी लोग अपने बच्चों को होस्टल में, परदेश में उनको पढ़ाने को भेजते हैं। गांधी तो अपने बच्चों को परदेश भी नहीं भेज रहा था, वह तो इंडिया भेज रहा था, फिर क्यों

नहीं भेजा अपने देश? वैसे गांधी हिन्द स्वराज में चिल्ला-चिल्ला कर सबको उठाने में लगा है, अपनी सभ्यता, अपनी सभ्यता करता हुआ, फिर वहां साउथ अफ्रीका में क्या "हु लाला हुरहुर" की सभ्यता दे रहा था? जब खुद पर आती है तो "हु लाला हुरहुर", जब हमारी बात होती है तो अपनी सभ्यता, अपनी सभ्यता के गीत गाता है। ऐसा भी नहीं है कि गांधी के बच्चों को गांधी से शिकायत नहीं थी, उनको गांधी से शिकायत रहती थी। पेज **102** पर देखें, वह कहते हैं, "हमें क्यों नहीं पढ़ाया? बाकी सब पढ़े हुए लोग हैं, हम अनपढ़ रह गए।"

गांधी ने **1920** में बच्चों को सीख दी थी कि गुलामी में रहकर पढ़ने से अच्छा है कि अनपढ़ रहो, इसलिए कॉलेज, स्कूलों को छोड़ दो। यहां गांधी की सोच के लिए मैं सबसे पहले कहूंगा, आप तालियां या घर की प्लेटों को जोर-जोर से बजाइये।

शिक्षा गुलामी नहीं लाती, बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ देती है।

अछूत समाज, शूद्र समाज को अंबेडकर तभी गुलामी से आज़ाद कर पाए जब वह शिक्षित बने, ज्योतिबा फूले ने लोगों को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। गांधी खुद शिक्षित था, इसी कारण वह लोगों के हक के लिए लड़ रहा था। अगर वह शिक्षित न होता तो उसके अधिकार उसे कैसे पता चलते? इसके लिए ये देखें पेज **61:** गांधी बोलता है, "मेरे पास कुछ अखबार पड़े थे। मैं उन्हें पढ़ रहा था, एक अखबार के कोने में मैंने एक छोटा सा संवाद देखा। उसका शीर्षक था 'हिंदुस्तानी मताधिकार'। इस संवाद का आशय यह था कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की धारासभा के लिए सदस्य चुनने का जो अधिकार है, वह छीन लिया जाए।" मैंने अब्दुल्ला सेठ से पूछा, उन्होंने कहा, "इन बातों को हम क्या जाने?" फिर मैंने पूछा, "पर यहां पैदा हुए और अंग्रेजी जानने वाले इतने सारे नौजवान हिंदुस्तानी यहां हैं, वे क्या करते हैं?" अब्दुल्ला बोला, "वे बेचारे, इसमें क्या समझें, वे सिर्फ ईसाई हैं और इसलिए पादरियों के पंजे में हैं, और पादरी सब गोरे हैं।"

(यहां गांधी अखबार पढ़ता है। अखबार अंग्रेजी भाषा में था, और अब्दुल्ला से इसके बारे में पूछता है, लेकिन अब्दुल्ला थोड़ा बहुत ही पढ़ा-लिखा था। देखें पेज **44,** इसी लिए अब्दुल्ला कह देता है, "हम क्या जानें इन बातों को?" अगर अब्दुल्ला शिक्षित होता तो उसे इस सबका ज्ञान होता। फिर गांधी कहता है, "यहां पैदा हुए अंग्रेजी जानने वाले लोग, वे क्या करते हैं?" यहां गाँधी का कहने का मतलब था कि यहां जो पैदा हुए हैं, वे तो अंग्रेजी जानते हैं, तो वे इस खबर पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जो लोग एग्रीमेंट पर आते थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी।

अब आप समझ गए होंगे, शिक्षा का महत्व कितना होता है। अगर गांधी को भी अंग्रेजी न आती तो न वह अखबार गांधी कभी पढ़ता और न वह साउथ अफ्रीका में रुकता, क्योंकि उसका केस खत्म हो चुका था, इसलिये वह भारत वापस आ रहा था, लेकिन उस खबर ने उसे रोक लिया।

गांधी पेज **81** पर जब कपड़े धोने सीखता है, तो उसके लिए भी वह धुलाई कला की पुस्तक पढ़ता है। तब अनपढ़ रहकर आप मारकाट करके गुलामी से आज़ाद हो सकते हो, लेकिन शिक्षित रहकर आप बिना खून की बूंद बहाए, आप गुलामी से आज़ाद हो सकते हो।)

सत्य के साथ मेरे प्रयोग पेज **78:** डॉ. बूथ, सेंट एडम्स मिशन के मुखिया थे, वे हमेशा अपने पास आने वालों को मुफ्त दवा दिया करते थे। बहुत भले और दयालु आदमी थे। पारसी रुस्तमजी की दानशीलता के कारण डॉ. बूथ की देख-रेख में एक बहुत छोटा "अस्पताल" खुला। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं इस अस्पताल में नर्स का काम करूं। मेरा काम बीमार की हालत समझकर उसे डॉक्टर को समझाने और डॉक्टर की लिखी दवा तैयार करने, बीमार को देने का था। इनमें से अधिकांश तमिल, तेलगु, उत्तर हिंदुस्तान के गिरमिटिया होते थे। यह अनुभव मेरे लिए भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। बोअर युद्ध के समय घायलो की सेवा-शश्रूषा के काम में और दूसरे बीमारों की परिचर्या में मुझे इससे बड़ी मदद मिली। दक्षिण अफ्रीका में मेरे दो लड़के और हुए।

गांधी का अपने परिवार को **India** न भेजने के दो कारण थे — पहला पॉलिटिक्स, दूसरा सेक्स।

गांधी कितना **sexy** है, इसको पूरा देखने के लिए देखें "गाँधी की अय्याशी" वाला **topic**। यहां बस इतना ही जान लो — **page 20:** गांधी का पिता बीमार था, फिर भी गांधी को पत्नी के साथ **sex** की पड़ी थी।

Page 76, 77, 78 — गांधी अपने बच्चों की पढ़ाई तक मरवा देता है **sex** के लिए। न तो उनको वह भारत भेजता है और न अंग्रेजी स्कूल।

इसमें **politics** और **sex** दोनों शामिल थे। इसका सबूत ये है — गांधी ने वहां **South Africa** में दो और बच्चे पैदा कर दिए।

समझ नहीं आ रहा, वहां गांधी घर बसाने गया था या लोगों के लिए आंदोलन करने? जिस देश में गांधी के जान के प्यासे लोग रह रहे थे, उस देश में वह आराम से बच्चे पैदा करने में लगा था।

यहां एक और बात कहना चाहूंगा — "हिन्द स्वराज" में अस्पतालों का विरोध किया जा रहा है और यहां गांधी अस्पताल में नर्स बनने का अनुभव शेयर कर रहा है। गांधी मरीजों को दवाएं दे रहा है — वो दवा जो उसने पहले तो खाई थी लेकिन **politics** के बाद नहीं खाई थी। क्योंकि **page 67** पर गांधी अपने लिये दवा खरीदता है।

अब लोगों को यहां पर यह प्रॉब्लम होगी, यह उनका सवाल होगा — कि अगर **1896** में गांधी ने कांग्रेस को **join** कर लिया था और उसका एजेंट बन गया था, तो उसके बाद से गांधी अंग्रेजों की मदद क्यों कर रहा था?

देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं — गांधी को जो खड़ा किया गया था, वह अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं किया गया था बल्कि वह सिर्फ धर्म के लिए खड़ा किया गया था — यानी फिर से ब्राह्मण धर्म को वापस लाना।

क्योंकि उनको पता था, अंग्रेजों के जाने के बाद या उस समय लोग धर्म से बाहर जा रहे थे — जैसे जाति का बहिष्कार करना।

और अंग्रेज खुद ही बहुत सारी चीजें धर्म में बदलाव कर रहे थे — जैसे सती प्रथा को बंद करना, बाल विवाह को बंद करना, जैसी बहुत सारी प्रथाएं इन्होंने बंद कर दी थीं। यहां तक कि अछूतों व शूद्रों को इन्होंने सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था, जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ है।

शूद्रों के लिए पैसे रखने की इजाजत दे दी थी, उन्हें बोलने का और शिक्षा का अधिकार दिया था — जो कि ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है।

तो इसी को, यानी पुराने ब्राह्मण धर्म को फिर से लाने के लिए गांधी को खड़ा किया गया था। और अंग्रेजों को भगाने वाली बात — यह गांधी ने कभी या कांग्रेस ने कभी की ही नहीं। यह मैं आगे समझाऊंगा। पहले अभी इतना हम जान लेते हैं — गांधी ने किस तरीके से अंग्रेजों की मदद की।

अंग्रेजों का पूरी तरह से बहिष्कार उस दिन से शुरू हुआ था, जिस दिन "पूर्ण स्वराज" की मांग हुई थी।

उससे पहले अंग्रेजों को भगाने की नीयत कांग्रेस की कभी थी ही नहीं।

यही कारण है कि गांधी ने "हिंद स्वराज" बुक में अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं की।

बल्कि उसमें तो हमें हमारे पुराने ब्राह्मण धर्म की तरफ लौटने को कहा है।

यानी उसमें बताया है — अंग्रेज बुरे नहीं हैं, अंग्रेजों की सभ्यता बुरी है।

और हमें अंग्रेजों की सभ्यता नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना हिंदू धर्म — यानी ब्राह्मण धर्म चाहिए।

देखें — "हिंद स्वराज" **page 43:**

"मेरी पक्की राय है कि हिन्दुस्तान अंग्रेजों से नहीं, बल्कि आजकल की सभ्यता से कुचला जा रहा है। मुझे तो धर्म प्यारा है, इसलिए पहला दुःख मुझे यह है कि हिन्दुस्तान धर्मभ्रष्ट होता जा रहा है।"

Page 105:

"मुझे अंग्रेजों से नहीं, मुझे उनकी सभ्यता के लिए द्वेष है।"

1896 में गांधी **India** आता है **South Africa** से और सभा करता है।

फिर **1897** की जनवरी तक **South Africa** पहुंच जाता है वापस।

1897 से **1899** के बीच गांधी अपनी कहानी बताता है जिसमें बोअर युद्ध हुआ था।

जब यह युद्ध हुआ, तब मेरी अपनी सहानुभूति केवल बोअरों की तरफ ही थी। पर मैं मानता था कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत विचारों के अनुसार काम करने का अधिकार मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ब्रिटिश राज्य के प्रति मेरी वफादारी मुझे उस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जबरदस्ती घसीट ले गई। मैंने अनुभव किया कि जब मैं ब्रिटिश प्रजाजन के नाते अधिकार मांग रहा हूँ तो उसी नाते ब्रिटिश राज्य की रक्षा में हाथ बंटाना भी मेरा धर्म है। उस समय मेरी राह थी कि हिंदुस्तान की संपूर्ण उन्नति ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर हो सकती है। अतः जितने साथी मिले, उतनों को लेकर और अनेक कठिनाइयों सहकर हमने घायलों की सेवा-शुश्रूषा करने वाली एक टुकड़ी खड़ी की।

अब तक साधारणतया यहां के अंग्रेजों की यही धारणा थी कि हिन्दुस्तानी संकट के कामों में नहीं पड़ते। उन्हें स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता।

अकेले डॉ. बूथ ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने हम घायल योद्धाओं की सार-संभाल करना सिखाया।

अपनी योग्यता के विषय में हमने डाक्टरी प्रमाण पत्र प्राप्त किए।

मि. लाटन, स्व. एस्कंब ने भी हमारे इस कार्य को पसंद किया।

अंत में लड़ाई के समय सेवा करने देने के लिए हमने सरकार से विनती की। जवाब में सरकार ने हमें धन्यवाद दिया, पर यह सूचित किया कि इस समय हमें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है।

हमारी इस टुकड़ी में लगभग **1100** आदमी थे। उनमें करीब **40** मुखिया थे। दूसरे कोई **700** स्वतंत्र हिन्दुस्तानी भी रंगरूटों में भर्ती हुए थे। बाकी के गिरमिटिए थे। डॉ. बूथ भी हमारे साथ थे।

यद्यपि उस गोला-बारूद की हद के बाहर ही काम करना होता था, फिर भी संकट के समय गोला-बारूद की सीमा के अंदर काम करने का अवसर भी हमें मिला।

ऐसे संकट में न पड़ने का इकरार सरकार ने अपनी इच्छा से हमारे साथ किया था।

इसलिए जनरल बुलर ने यह संदेश भेजा कि यद्यपि आप लोग जोखिम उठाने के लिए वचनबद्ध नहीं हैं, तो भी यदि आप जोखिम उठाकर घायल सिपाहियों और अफसरों को रणक्षेत्र से उठाकर सौर डोलियों में डालकर ले जाने को तैयार हो जाएंगे, तो सरकार उपकार मानेगी।

हम तो जोखिम उठाने को तैयार ही थे।

इन दिनों सबको कई बार दिन में **20-25** मील की मंजिल तय करनी पड़ती थी, और एक बार तो घायलों को डोले में डालकर इतने मील चलना पड़ा था।

हमारे छोटे से काम की उस समय तो बड़ी स्तुति हुई।

इससे हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी।

आख़िर हिन्दुस्तानी साम्राज्य के वारिस तो हैं ही — इस आशय के गीत गाए गए। जनरल बुलर ने अपने तरीके में हमारी टुकड़ी के काम की तारीफ की।

मुखियों को युद्ध के पदक भी मिले।

मैं गिरमिटिया हिन्दुस्तानियों के बहुत अधिक संपर्क में आ सका।

उनमें अधिक जागृति आई और "हिंदू, मुसलमान, ईसाई, गुजराती, सिंधी — हिन्दुस्तानी हैं" — यह भावना अधिक दृढ़ हुई।

सबने माना कि अब हिन्दुस्तानियों के दुःख दूर होने ही चाहिए।

लड़ाई में गोरों के साथ जो संपर्क हुआ, वह मधुर था।

वह हमारा उपकार मानते थे।

(मैं पहले ही बता चुका हूँ, गाँधी के विचार **1896** से बदलने शुरू हो गए थे। आपको बता दूं, यह सब घटनाएँ **1896** के बाद की हैं, और गांधी **1896** में पहले ही भारत जा चुका है। तो क्या गोखले ने या तिलक ने या किसी व्यक्ति ने या खुद गांधी ने नहीं देखा था कि भारत में अंग्रेज किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं हम पर? तो हम उनकी मदद क्यों करें? हमें तो इन्हें भगाना है। फिर गांधी ने ऐसा क्यों किया? वह उनकी मदद क्यों कर रहा था? और एक बार नहीं, बार-बार कर रहा था?

गांधी यहाँ तीन वजहों से अंग्रेजों की मदद करता है।

पहला - गाँधी इंग्लैण्ड व साउथ अफ्रीका में रहा, तो उसकी दोस्ती अंग्रेजों के साथ थी और वह पहले से ही अंग्रेजों की मदद कर रहा था, और अंग्रेज भी उसकी मदद कर रहे थे। तो ये एक लगाव था उनके लिए। जैसा कि गाँधी बोलता भी है, मेरी सहानुभूति अंग्रेजों की तरफ ही रही

है। वह एक अलग बात है, गाँधी ने वहाँ के **Black** लोगों का कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि वह उनको भी अछूत समझता था। ये आगे बताऊंगा।

दूसरा - गाँधी को इससे एक नाम व पहचान मिलती थी। यही तो एक वजह थी, जिसकी वजह से गाँधी को **Congress** ने चुना था।

तीसरा - गाँधी/कांग्रेस अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत पर राज करना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे मुगलों के साथ मिलकर अछूत शूद्रों पर राज किया। अब पहले इसको सबूत के साथ अच्छे से देख लेते हैं-

1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई, यानि एक संविधान बनाया था, जिसका नाम 'नेहरू रिपोर्ट' था। यह लार्ड इरविन के पास लेकर गए इस रिपोर्ट को। इसमें इन्होंने अपने लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसको भगा दिया, यानि ईरविन ने। फिर नेहरू, यानि जवाहरलाल नेहरू को इससे बेइज्जती महसूस हुई, और **1929** में इसने 'पूर्ण स्वराज' की मांग कर दी। और यह कह दिया कि आज से ही देश आजाद हो गया, और **26 Jan 1930** को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया। और कहा कि हर **26 Jan** को हम तिरंगा झण्डा लहरायेंगे। और तभी से हम **26 Jan** को झण्डा लहराते आये हैं, जबकि **26 Jan** को कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि संविधान **26 Nov 1949** को बन गया था, लेकिन उसको जानबूझकर **26 Jan 1950** को ही लागू कराया गया था।

जब से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया है, तब से सन् **1886** तक भारतीयों ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उन पर कौन शासन कर रहा है, अथवा किस प्रकार का शासन किया जा रहा है। क्योंकि राजा तो आते-जाते रहते थे, लेकिन प्रजा वहीं की बड़ी रह जाती थी और उनके बारे में कोई सोचता ही न था।

सन् **1886** में कांग्रेस की स्थापना हुई, और वह पहला अवसर था जब से भारतीयों ने देश के शासन में दिलचस्पी लेना आरंभ किया। परंतु कांग्रेस भी **1910** तक केवल ठीक-ठाक सरकार के लिए ही आंदोलन कर रही थी। सन् **1910** में कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वायत्त शासन की मांग की, यानि डोमिनियन स्टेट की। जब सन् **1919** में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए, तब भारतीयों के लिए स्वायत्त शासन की मांग उठाने का ध्यान आया। भारतीयों ने **1917** में **19** मांगों का ज्ञापन तैयार किया था। सभी जानते हैं कि उस समय भारतीय अधिकतर प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली से ही संतुष्ट थे। सर दिनेश वाचा और माननीय समरनाथ, कुछ भारतीय नेता, इसे भी भारतीयों की लंबी-लंबी छलांग मानते थे।

(मांटेग्यू ने अपनी इंडियन डायरी में यह लिखा है कि जब उन नेताओं ने राजनीतिक सुधार के प्रश्न पर मुझसे बात की, तो उन्होंने कहा, "सरकार पर प्रभाव डालने के प्रस्ताव पास करने का

अधिकार हमें दिया जाए, जिसे हम मृदु स्वर में सरकार के सामने प्रयोग कर सकें। परंतु हम उत्तरदायी सरकार बनाने के योग्य नहीं हैं।")

उत्तरदायी सरकार का अर्थ – जनता के प्रति जवाबदेह सरकार। सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता द्वारा होता है, और यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, तो चुनावों के माध्यम से उसे सत्ता से हटाया जा सकता है। उत्तरदायी सरकार का लक्ष्य जनता के हितों की रक्षा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार शासन चलाना होता है। साफ शब्दों में – वर्तमान सरकार।

गांधी ने भी शुरूआती दौर में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग से पहले तक गांधी और कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य 'स्वराज' का अर्थ डोमिनियन स्टेट ही था। क्योंकि इससे भारत को आंतरिक मामलों में स्वायत्ता मिल जाती। गांधी को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार भारत को आंतरिक स्वायत्ता प्राप्त कर सकती है। **1928** की नेहरू रिपोर्ट का गांधी ने समर्थन किया था। यह **26 Sep 1929** को अपने समाचार 'यंग इंडिया' में भी छापा था।

बाला साहब ने अपनी **Book** "कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया" के **Page 184** पर लिखा है कि –

"1930 में कांग्रेस के प्रस्तावों में पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिए जाने के बावजूद, गांधीजी गोलमेज सम्मेलन में केवल प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान कर देने से ही संतुष्ट होने को तैयार थे। गोलमेज सम्मेलन में जो लोग उपस्थित थे, वे जानते हैं कि गांधीजी प्रांतीय स्वायत्तता से किस प्रकार सहमत हुए थे। यदि सन् **1935** के **Government of India Act** में केंद्रीय सरकार के लिए जिन उत्तरदायित्वों तथा मौलिक तत्वों को व्यवस्था की गई है, उसका श्रेय गैर-कांग्रेसी पार्टियों के उन प्रतिनिधियों को जाता है, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अंग्रेज सरकार ने उस मांग से अधिक मंजूर किया। यदि सन् **1939** में इस दिशा में कोई रुकावट आई, तो उसका मुख्य कारण यही था कि भारतीय इस बात पर सहमत नहीं थे कि वे अपने देश के लिए कैसा संविधान चाहते हैं?"

18 Sep 1929 को 'यंग इंडिया' में छपा था – इस लेख में गांधी ने स्पष्ट किया कि यदि ब्रिटिश सरकार एक साल के भीतर नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं करती, तो कांग्रेस असहयोग आंदोलन शुरू करेगी।

गांधी-इरविन समझौता **(1931)** में भी गांधी ने लार्ड इरविन के साथ डोमिनियन का मुद्दा उठाया था। हालांकि यह पूरी तरह लागू नहीं हो पाया।

कांग्रेस ही स्वराज चाहती थी। देखें 'हिन्द स्वराज', **Page 25** – गांधी बोलता है: "कांग्रेस के आरम्भ से स्वराज की नींव पड़ी, यह कैसे कहा जा सकता है?" गांधी – "देखिए, कांग्रेस ने अलग-अलग जगहों पर हिन्दुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें 'हम एक राष्ट्र हैं' ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नजर रहती थी। महसूल का हक प्रजा को होना चाहिए – ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज कनाडा में है, वैसा स्वराज कांग्रेस ने हमेशा चाहा है।"

कांग्रेस जो "स्वराज" चाहती है, वह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन स्वराज है — जैसा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में था।

गांधी के आने से पहले तक कांग्रेस खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ी थी। वह दो दलों में बंटी थी, उनमें फूट पड़ी हुई थी। स्वराज का जो केन्द्र चरखा है, वह **1915** तक भी गांधी को भारत में नहीं दिखा था। यानि चरखे से स्वराज मिले, यह प्लान गांधी का ही था। गांधी के आने के बाद कांग्रेस का नक्शा ही बदल गया था। देखे "कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया।"

यह बात सच है, स्वराज की प्राप्ति कांग्रेस चाहती थी, न कि गांधी? लेकिन कांग्रेस यह मुकाम खुद हासिल न कर पाती क्योंकि कांग्रेस राजनीति पर फोकस कर रही थी और गांधी को धर्म/स्वराज पर फोकस के लिए छोड़ रखा था।

अब तो आप समझ गए होंगे, गांधी अंग्रेजों का विरोध क्यों नहीं करता। वह अंग्रेजी सभ्यता का विरोध करता है। अंग्रेजी सभ्यता का अर्थ है शिक्षा, समानता, **science** को आगे बढ़ाना, **modern culture**। गांधी सिर्फ हिन्दू धर्म को बचाने के लिए खड़ा किया गया था।

गांधी ने **1100** स्वयंसेवकों की एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों का समर्थन ट्रांसवाल और दक्षिण अफ्रीका में आम तौर पर भारतीयों के लिए बेहतर परिस्थितियों में तब्दील हो जाएगा। हालांकि, उनकी उम्मीद झूठी साबित हुई। गांधी **1902** में कुछ समय के लिए भारत लौटा और भारतीय नेताओं से मिले और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के कल्याण के लिए समर्थन जुटाया। युद्ध के बाद ब्रिटिश-बोअर समझौते के कारण ट्रांसवाल में भारतीयों पर और प्रतिबंध लगा दिए गए। दरअसल, बोअर का अर्थ किसान होता है।

ब्रिटिश साम्राज्य दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाहता था, जबकि बोअर अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखना चाहता था। **19**वीं सदी में ट्रांसवाल और अन्य बोअर क्षेत्रों में सोने और हीरे की खोज से आर्थिक व राजनीतिक महत्व बढ़ गया। बोअर मुख्य रूप से डच और फ्रेंच मूल के थे। बोअर गणराज्यों में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों (उइतलैंडर्स) को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था, जिससे ब्रिटेन की हस्तक्षेप का बहाना मिला।

1901 में गांधी और उसका परिवार भारत लौट आया। गांधी ने मुंबई में एक कानूनी प्रैक्टिस स्थापित की और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रुचि लेना शुरू कर दिया। लेकिन **1902** में उसे डरबन से एक टेलीग्राम मिला और वे वहीं लौट आए। इस समय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग भी लिया था। गांधी को बोअर युद्ध में उनके काम के लिए अंग्रेजों द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी।

गांधी ने आत्मकथा में लिखा है — "जब युद्ध की घोषणा हुई, मैंने महसूस किया कि यदि मैं एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में अधिकारों की मांग करता हूं, तो यह मेरा कर्तव्य भी है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में भाग लूं।"

बोअर किसान थे, जो मुख्यतः डच, फ्रेंच और जर्मन मूल के यूरोपीय थे। उन्हें मूल रूप से **17**वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दक्षिण अफ्रीका लाया गया था। इन बोअरों को अफ्रीका में बसाया गया ताकि वे कंपनी के लिए खेती कर सकें और स्थानीय रूप से भोजन का उत्पादन कर सकें। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोप से किसान और कारीगरों को लाकर वहां खेती और अन्य कामों के लिए बसाया। ये दक्षिण अफ्रीका के केप कॉलोनी क्षेत्र में बसे थे और यहीं पर खेती करते थे।

1806 में ब्रिटेन ने केप कॉलोनी पर कब्जा कर लिया, जिससे बोअर किसानों और ब्रिटिश प्रशासन के बीच तनाव बढ़ने लगा। आपको बता दूं, बोअर किसान मुख्यतः स्वनिर्भर किसान थे। ये अपनी स्वतंत्र रूप से खेती और जीवनशैली बनाए रखना चाहते थे, जबकि ब्रिटिश उनके ऊपर कब्जा करना चाहते थे, यानि नियंत्रण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी **(VOC)** ने दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों के रूप में काम करने के लिए लोगों को लाया था, यानि बोअर किसानों को। ये गुलाम नहीं थे। युद्ध में **75,000** लोगों की जान गई थी।

यह दक्षिण अफ्रीका के मूल के नहीं थे, बल्कि वे डच, फ्रेंच और जर्मन प्रवासियों के वंशज थे। इन्हें बाहर से लाया गया था और ये लोग मुख्य रूप से **17**वीं शताब्दी के अंत और **18**वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपनिवेश स्थापित किया था। बोअर लोग स्वतन्त्र थे, वह गुलाम नहीं थे। इन्हें कृषि क्षेत्र में विकास के लिए लाया गया था। बोअर लोगों ने खुद दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी मूल के लोगों को गुलाम बनाकर रखा था और उनके श्रम का उपयोग करते थे। यह कुछ हद तक निर्दोष थे क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के खिलाफ अपनी ज़मीन और स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे थे। लेकिन वे खुद भी औपनिवेशिक प्रभु थे, जो काले अफ्रीकियों को गुलाम बनाते थे।

(चाहे कुछ भी हो, गांधी हिंसा की ओर और अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि बोअर लोगों के साथ मिलकर उसे अंग्रेजों को मिटाना था। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि बोअर गणराज्यों में ब्रिटिश अधिकारियों को राजनीति से वंचित रखा गया था। अरे तो क्या गांधी भी

तो अछूतों को राजनीति से वंचित रखना चाहता था! गांधी ने अपने नाम व वफादारी के लिए कई हजार बोअर किसान, बच्चे, महिलाओं को मौत की नींद सुलवा दिया। हां, गांधी चाहता तो वह आंदोलन कर सकता था, सत्याग्रह कर सकता था।

Page 82: गांधी बोलता है — "मैंने अनुभव किया कि जब मैं ब्रिटिश प्रजा होने के नाते अधिकार मांग रहा हूं, तो उसी नाते ब्रिटिश राज्य की रक्षा में हाथ बटाना भी मेरा धर्म है।" यह डायलॉग गांधी का भारत में भी लागू होता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भारत में भी शूद्र-अछूत ब्रिटिशों से अपने अधिकार मांग रहे थे, तो गांधी उनसे बार-बार यह क्यों कह रहा था कि तुम अंग्रेजों का साथ मत देना? गांधी भारत आते ही अंग्रेजों को बहुत बुरा साबित करने में लग जाता है। और जब ब्रिटिश अछूतों को उनके हक दे रहे थे, तो गांधी अपने मरने की धमकी देता है — कि अछूतों को हक दिए तो मैं मर जाऊंगा। जिसे पूना पैक्ट कहते हैं।

[गांधी से सावधान, **Page 53]**

यहां लोग एक बात बोलते हैं — गांधी ब्रिटिश की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वह भारत को आजाद कराना चाहता था। अरे भाई! गांधी को भारत आजाद कराने की कभी पड़ी ही नहीं थी। गांधी आजाद रहकर जीना चाहता था, इसलिए तो धर्म वगैरा को नहीं पढ़ता था। **20** साल की उम्र तक भी उसकी रुचि धर्म में नहीं थी। अंग्रेजों की वजह से ही वह समुद्र पार कर पाया। अपनी चुटिया कटवा दी, जनेऊ उतार दिया। और अब भी आपको गांधी सही लग रहा है, तो आगे देखो — अभी गांधी दो बार और अंग्रेजों का साथ देता है।)

सत्य के साथ मेरे प्रयोग, **Page 85:** भारत में **1897** में और **1899** में अकाल पड़े थे, तो दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने भारत में अच्छी मदद भेजी थी, पैसों की। पहले अकाल के समय जितनी रकम इकट्ठा हो सकी थी, दूसरे अकाल के मौके पर उससे कहीं अधिक रकम इकट्ठा हुई थी। इस चंदे में हमने अंग्रेजों से मदद मांगी थी, और उनकी ओर से अच्छा उत्तर मिला था। गिरमिटिया हिन्दुस्तानियों ने भी अपने हिस्से की रकम जमा कराई थी। जब भारतवर्ष में कोई सार्वजनिक संकट उपस्थित होता है, तब दक्षिण अफ्रीका की ओर से वहां बसनेवाले भारतीय हमेशा अच्छी रकम भेजते।

(यहाँ आप लोगों ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय बसे हुए हैं और जो मजदूरी करने गए हैं, यानी गिरमिटिया — दोनों ने ही भारत में मदद भेजी। लेकिन किसको? सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को, क्योंकि अछूत शूद्र की जिंदगी में अकाल नहीं आता, बल्कि उनकी जिंदगी तो खुद अकाल से बदतर है, जो हिन्दू धर्म की देन है। दूसरा — यहाँ अंग्रेजों से चंदा माँग रहा था गांधी, और अंग्रेजों ने उनको चंदा भी दिया था।)

गिरमिटिया लोग — यह भारतीय अनुबंधित श्रमिक थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा दक्षिण अफ्रीका और अन्य उपनिवेशों में कृषि और अन्य मजदूरी कार्यों के लिए लाया गया था। ये श्रमिक मुख्य

रूप से शुगर केन (गन्ना) और अन्य बागानों में काम करते थे। अंग्रेज उन्हें एक अनुबंध/**Agreement** (गिरमिट) के तहत लाते थे। इससे उन्हें गिरमिटिया कहा जाने लगा।

Page 104 - जुलू विद्रोह **(1906):**

घर बसाकर बैठने के बाद कहीं स्थिर होकर रहना मेरे नसीब में बदा ही न था। अखबारों में यह खबर पढ़ने को मिली कि नेटाल में जुलू 'विद्रोह' हुआ है। जुलू लोगों से मेरी कोई दुश्मनी न थी। उन्होंने एक भी हिन्दुस्तानी का नुकसान नहीं किया था। 'विद्रोह' शब्द के औचित्य के विषय में भी मुझे शंका थी। किंतु उन दिनों में अंग्रेजी सल्तनत को संसार का कल्याण करनेवाली सल्तनत मानता था। मेरी वफादारी हार्दिक थी। मैं उस सल्तनत का क्षय नहीं चाहता था।

मैं अपने को नेटालवासी मानता था और नेटाल के साथ मेरा निकट संबंध तो था ही। अतएव मैंने गवर्नर को पत्र लिखा कि यदि आवश्यकता हो, तो घायलों की सेवा-शुश्रूषा करनेवाले हिन्दुस्तानियों की एक टुकड़ी लेकर मैं सेवा के लिए जाने को तैयार हूँ। तुरंत ही गवर्नर का स्वीकृति-सूचक उत्तर मिला.........तय यह किया था कि यदि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो जाए, तो जोहानिस्बर्ग का घर उठा देंगे। मि० पोलाक अलग घर लेकर रहेंगे और कस्तूरबाई फीनिक्स जाकर रहेगी........ कुछ सामान फीनिक्स गया, कुछ मि० पोलाक के पास रहा। डरबन पहुँचने पर मैंने आदमियों की माँग की। बड़ी टुकड़ी की आवश्यकता नहीं थी। हम **24** आदमी तैयार हुए। उनमें मेरे सिवा चार गुजराती थे, बाकी मद्रास प्रांत के गिरमिट मुक्त हिन्दुस्तानी थे और एक पठान था.............

चिकित्सा-विभाग के मुख्य पदाधिकारी ने मुझे 'सार्जेंट मेजर' का मुद्दती पद दिया और मेरी पसंद के अन्य तीन साथियों को 'सार्जेंट' का, और एक को 'कापेरिल' का पद दिया। वरदी भी सरकार की ओर से ही मिली। इस टुकड़ी ने **6** सप्ताह तक सतत सेवा की।

'विद्रोह' के स्थान पर पहुँचकर मैंने देखा कि वहाँ विद्रोही जैसी कोई चीज नहीं थी। कोई विरोध करता हुआ भी नजर नहीं आता था।

Page 105:

विद्रोह मानने का कारण यह था कि एक जुलू सरदार ने जुलू लोगों पर लगाया गया नया कर न देने की उन्हें सलाह दी थी और कर की वसूली के लिए गए हुए एक सार्जेंट को उसने कत्ल कर डाला था। सो जो भी हो, मेरा हृदय तो जुलू लोगों की तरफ था। और केंद्र पर पहुँचने के बाद हमारे हिस्से मुख्यतः जुलू घायलों की शुश्रूषा करने का काम आया — तो मैं बहुत खुश हुआ.......

गोरे सिपाही जालियों में से झाँक-झाँक कर हमें घाव साफ करने से रोकने का प्रयत्न करते। हमारे न मानने पर खींचते और जुलुओं के बारे में जिन गंदे शब्दों का उपयोग करते, उनसे तो कान के

कोने झड़ जाते थे। धीरे-धीरे गोरे सिपाहियों के साथ मेरा परिचय हो गया और उन्होंने मुझे रोकना बंद कर दिया… .. . . .

Page 106:

दो-तीन मौकों पर तो एक ही दिन में **40** मील की मंजिल तय करनी पड़ी। यहाँ भी हमें तो केवल प्रभु का ही काम मिला। जो जुलू मित्र भूल से घायल हुए थे, उन्हें गोलियों में उठाकर छावनी तक पहुँचाना था और वहाँ उनको सेवा-शुश्रूषा करनी थी।

(Page 82 पर गांधी बोलता है कि मेरी हमदर्दी केवल बोअरों की तरफ ही थी, लेकिन ब्रिटिश राज्य के प्रति मेरी बफादारी मुझे उस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जबरदस्ती घसीट ले गई। उस समय मेरी यह राय थी कि हिन्दुस्तान की संपूर्ण उन्नति ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर हो सकती है।

Page 104 पर जुलू विद्रोह के दौरान गांधी बोलता है कि जुलू लोगों से मेरी कोई दुश्मनी न थी। उन्होंने एक भी हिन्दुस्तानी का नुकसान नहीं किया था। किंतु उन दिनों में अंग्रेजी सल्तनत को संसार का कल्याण करनेवाली सल्तनत मानता था। मेरी वफादारी हार्दिक थी। मैं उस सल्तनत का क्षय नहीं चाहता था।

यहाँ गांधी दो बात एक ही बोल रहा है कि दुनिया का कल्याण फिर से दुनिया का कल्याण — अंग्रेज ही कर सकते हैं। और अंग्रेजों के प्रति गांधी की बफादारी हार्दिक, यानी दिल से थी।

गांधी ने यहाँ भी बोअर किसानों की तरह जुलू आदिवासियों को मरने दिया। जुलू लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने एक नया कर लगा दिया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी।

जुलू लोगों की पहले ही भूमि छीन ली गई थी और उन्हें कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था।

गांधी ने स्टेचर बियरर कोर बनाकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की मदद की।

गांधी ने ज़ुलू विद्रोह को सपोर्ट नहीं किया — बल्कि कहा कि विद्रोहियों को कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए।

जब बोअर किसान अपनी स्वतंत्रता को लड़े, व जूलू आदिवासी अपने ऊपर लगे करों को हटाने के लिए लड़े, तो गांधी उनके खिलाफ खड़ा था। लेकिन जब वहां के भारतीयों पर अंग्रेजों ने कर लगाए, उनकी स्वतंत्रता छीनी, तो गांधी आंदोलन करता है। इससे साबित होता है कि गांधी दक्षिण अफ्रीका के लोगों को भी भारतीय अछूत से ज्यादा कुछ न समझता था। गांधी अपने आप को ऊंचा कुल का समझता था वहां पर भी। इसी कारण दक्षिण

अफ्रीका के लोग गांधी की मूर्तियां तोड़ने में लगे हैं और सोशल मीडिया पर **#GandhiBoycott** चला रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर कौन से कर लगाए गए**:**

① **£3** टैक्स (ट्रांसवाल टैक्स या भारतीय अप्रवासी कर) – यह कर उन भारतीयों पर लगाया गया था जो नेटाल क्षेत्र में काम करने के बाद अपनी अनुबंधित अवधि **(Agreement)** पूरी कर चुके थे और वहां रहना चाहते थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में जारी रखने के लिए प्रति वर्ष **£3** का कर देना पड़ता था।

② एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, **1906** – इस कानून के तहत दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों को अनिवार्य रूप से अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता था और एक पहचान पत्र (पास) रखना होता था। अगर किसी के पास यह पहचान पत्र नहीं होता, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता।

③ निवास और व्यापार पर प्रतिबंध – भारतीयों पर दक्षिण अफ्रीका के कई क्षेत्रों में निवास करने और व्यापार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। उन्हें शहरों के बाहरी इलाकों में ही रहने की अनुमति थी और कई व्यवसायों से उन्हें बाहर रखा गया था।

④ मताधिकार का अधिकार – भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, और उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह समझा जाता था। गांधी ने वहां भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की माँग की।)

Page 106:

"जुलू विद्रोह में मुझे बहुत से अनुभव हुए और बहुत कुछ सोचने को मिला। बोअर-युद्ध में मुझे लड़ाई की भयंकरता उतनी प्रतीत नहीं हुई थी, जितनी यहां हुई। यहां लड़ाई नहीं बल्कि मनुष्य का शिकार हो रहा था... लेकिन मैं सब कुछ कड़वे घूंट पी गया और मेरे हिस्से जो काम आया, सो तो केवल जूलू लोगों की सेवा का ही आया।"**।**

Page 118:

"दक्षिण अफ्रीका के बहुत से स्मरण अब मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं। जब सन् **1914** में सत्याग्रह की लड़ाई समाप्त हुई, तो गोखले की इच्छानुसार मुझे इंग्लैंड होते हुए हिन्दुस्तान पहुंचना था... अतएव समुद्री यात्रा के लिए भी तीसरे दर्जे का टिकट कटाया... कंपनी ने हमारे लिए अधिक सुविधा कर दी थी... और चूंकि हम तीनों फलाहारी थे... मिस्टर केलनबैक को दूरबीनों का शौक था, दो-एक कीमती दूरबीनें उन्होंने अपने साथ रखी थीं... मैंने कहा, हमारे बीच इस प्रकार के झगड़े हों, इससे अच्छा क्या यह न होगा कि हम इस दूरबीन को ही समुद्र में फेंक दें... मैंने

दूरबीन फेंक दी। वह कोई सात पौंड की थी**...** इंग्लैंड की खाड़ी में पहुंचते ही हमें लड़ाई छिड़ जाने के समाचार मिले और हमें रोक दिया गया। **4** अगस्त को युद्ध घोषित कर दिया गया**, 6** अगस्त को हम विलायत पहुंचे। विलायत पहुंचने पर पता चला कि गोखले तो पेरिस में अटक गए हैं**...** गोखले अपने स्वास्थ्य के कारण फ्रांस गए थे**,** परंतु लड़ाई की वजह से वहां फंस गए। उनसे मिले बिना देश जाना न था और कोई कह नहीं सकता था कि वे कब आ सकेंगे**...** घायलों को प्राथमिक सहायता देने की सब क्रियाएं सिखाई जाती थीं। हम लगभग **80** व्यक्ति इस विशेष वर्ग में भर्ती हुए। **6** हफ्ते बाद परीक्षा ली गई**,** जिसमें एक ही व्यक्ति नापास हुआ**...** पर कमजोर बूढ़े और स्त्रियां आदि क्या करें**?** चाहने पर उनके लिए भी काम तो था ही। वे लड़ाई में घायल हुए लोगों के लिए कपड़े वगैरह सीने**,** काटने में जुट गए**...** सरोजनी देवी उसकी सदस्या थी**...** ज्यों ही यह खबर दक्षिण अफ्रीका पहुंची कि हम में से कुछ ने इकट्ठा होकर युद्ध में काम करने के लिए अपने नाम सरकार के पास भेजे हैं**,** त्यों ही मेरे नाम वहां से दो तार आए। उनमें एक पोलाक का था। उसमें पूछा गया था – 'क्या आपका यह कार्य अहिंसा के आपके सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है**?**'

असल में जिस विचारधारा के वश होकर मैं बोअर युद्ध में सम्मिलित हुआ था**,** उसी का उपयोग मैंने इस बार भी किया था। मैं इस बात को भली-भांति समझता था कि युद्ध में सम्मिलित होने का अहिंसा के साथ कोई मेल नहीं बैठ सकता**...** अहिंसा व्यापक वस्तु है। हम हिंसा की होली के बीच घिरे हुए पामर प्राणी हैं। यह वाक्य गलत नहीं है कि 'जीव जीव पर जीता है।'

Page 120:

"मनुष्य एक क्षण के लिए भी बाहरी हिंसा के बिना जी नहीं सकता। खाते-पीते**,** उठते-बैठते**,** सभी क्रियाओं में इच्छा-अनिच्छा से वह कुछ न कुछ हिंसा तो करता ही रहता है**...** वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी नाश नहीं चाहता और यथाशक्ति उसे बचाने का प्रयत्न करता है**,** तो वह अहिंसा का पुजारी है**...** किंतु कोई देहधारी बाहरी हिंसा से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता**...** मनुष्य हिंसा से बिल्कुल अछूता नहीं रह सकता**...** युद्ध में सम्मिलित होने में मैंने धर्म माना।"

"बोअर आज भी इस प्रश्न पर सोचता हूं**,** तो मुझे उपर्युक्त विचारधारा में कोई दोष नजर नहीं आता। मुझे उसका पश्चाताप भी नहीं है।" **Page 121.**

(यहाँ सिर्फ इतना ही कहूंगा यहाँ गाँधी हिंसा को सही ठहरा रहा है जबकि हिंद स्वराज में हिंसा की पूरी तरह से मना कर रहा है। **)**

Page 85 लड़ाई का काम से मुक्त होने के बाद अनुभव किया कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीका में नहीं**,** बल्कि हिन्दुस्तान में हैहै **. ......** देश का मित्र वर्ग भी देश लौट आने के लिए बार-बार आग्रह करता रहता था। शर्त यह थी कि यदि एक वर्ष के अंदर कौम को मेरी आवश्यकता मालूम हुई**,** तो मुझे वापस दक्षिण अफ्रीका को पहुंचना होगा।

कांग्रेस कैसी- सत्य के साथ मेरे प्रयोग **Page 87** हिन्दुस्तान पहुंचने पर थोड़ा समय मैंने घूमने-फिरने में बिताया। यह सन् **1909** का जमाना था। उस साल की कांग्रेस कलकत्ता में होने वाली थी........कांग्रेस का यह मेरा पहला अनुभव था। मैं जिस विभाग में था, उसी में लोकमान्य तिलक भी ठहरे हुए थे........मैंने अनेक स्वंयसेवकों से दोस्ती की। उनसे दक्षिण अफ्रीका की बातें कीं। इससे वे जरा शर्मिंदा हुए। इन भोले और भाले स्वंयसेवकों में इच्छा तो बहुत थी, पर तालीम और अभ्यास कहां से आती? कांग्रेस साल में **3** दिन के लिए इकट्ठा होकर फिर सो जाती थी। साल में **3** दिन की तालीम (शिक्षा) से कितना सीखा जा सकता था, जैसे स्वयंसेवक थे, वैसे ही प्रतिनिधि थे। उन्हें भी इतने दिनों की तालीम मिलती थी। वे अपने हाथ से अपना कोई भी काम न करते थे। सब बातों में उनके हुक्म छूटते रहते थे, "स्वयंसेवक यह लाओ - स्वयंसेवक वह लाओ" चला ही करता था। छुआछूत को मानने वाले वहां बहुत थे। द्रविड़ी रसोई बिल्कुल अलग थी। उन प्रतिनिधियों को तो 'दृष्टिदोष' भी लगता था......... रसोईघर क्या थी, वह एक तिजोरी थी। वह कहीं से भी खुली न थी। मुझे यह वर्णधर्म उल्टा लगा। कांग्रेस में आनेवाले प्रतिनिधि जब इतनी छुआछूत रखते हैं, तो उन्हें भेजने वाले लोग कितनी रखते होंगे?. .... गंदगी की हद नहीं थी.......पाखाने कम थे। उनकी दुर्गंध की याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंने एक स्वयंसेवक को यह सब दिखलाया, उसने साफ इनकार करते हुए कहा, "यह तो भंगी का काम है।" मैंने झाड़ू मांगा, वह मेरा मुँह ताकता रहा। मैंने झाड़ू खोज निकाला, पाखाना साफ किया। पर यह तो मेरी अपनी सुविधा के लिए हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा थी और पाखाने इतने कम थे कि हर बार उपयोग के बाद उनकी सफाई होनी जरूरी थी। यह मेरी शक्ति के बाहर की बात थी........मैंने निर्णय किया था कि कांग्रेस के कार्यालय में मेरी सेवा स्वीकार की जाए तो सेवा करूं और अनुभव लें। मैं घोषालबाबू के पास गया। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और ज़रा हंसकर मुझसे पूछा, "मेरे पास तो क्लर्क का काम है, आप करेंगे?" मैंने कहा, "अवश्य करूंगा"। श्री घोषाल मुझे पहचानते न थे। नाम-धाम जानने का काम तो उन्होंने बाद में किया। पत्रों का ढेर साफ करने का काम मुझे बहुत आसान लगा......... मेरा इतिहास जानने के बाद भी मुझे क्लर्क का काम सौंपने के लिए वे कुछ लज्जित हुए। यह काम सौंपकर आपने मुझ पर उपकार ही किया है। क्योंकि मुझे कांग्रेस में काम करना है। घोषालबाबू के बटन भी "बेरा" लगाता था। यह देखकर 'बेरे' का काम मैंने छीन लिया। मुझे वह पसंद था......... कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, पंडाल का भव्य दृश्य, स्वयंसेवकों की कतारें, मंच पर नेताओं की उपस्थिति इत्यादि देखकर मैं घबरा गया.........सर फिरोजशाह ने मेरा प्रस्ताव लेने की स्वीकृति तो दी थी.........पर हर एक प्रस्ताव पर लंबे-लंबे भाषण होते थे, सब अंग्रेजी में। हर एक के साथ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जुड़े होते थे। इस नक्कारखाने में मेरी तूती की आवाज़ कौन सुनेगा?.........रात के **11** बज गए थे, मुझमें बोलने की हिम्मत न थी। मैं गोखले से मिल चुका था और उन्होंने मेरा प्रस्ताव देख लिया था। उनकी कुर्सी के पास जाकर मैंने धीरे से कहा, "मेरे लिए कुछ कीजिएगा?" उन्होंने कहा, "आपके प्रस्ताव को मैं भूला नहीं हूं।".........सर

फिरोजशाह बोले, "कहिए, सब काम निबट गया न?" गोखले बोल उठे, "दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव तो बाकी है।" "मि. गांधी कब से बैठे राह देख रहे हैं।" फिरोजशाह बोले, "आप उस प्रस्ताव को देख चुके हैं?" "हाँ," "आप को वह पसंद आया..........तो गांधी पढ़ो।" मैंने कापते हुए प्रस्ताव पढ़ सुनाया, गोखले ने उसका समर्थन किया, सब बोल उठे, सर्वसम्मति से पास। "बाच्छा बोले, "गांधी,**(page 91)** तुम **5** मिनट लेना।" इस दृश्य से मुझे प्रसन्नता न हुई। किसी ने भी प्रस्ताव को समझने का कष्ट नहीं उठाया। सब जल्दी में थे......सवेरा हुआ, मुझे तो अपने भाषण की फिक्र थी, पाँच मिनट में क्या बोलूंगा?. ....मेरे प्रस्ताव का समय आने पर सर दीनशा ने मेरा नाम पुकारा, मैं खड़ा हुआ, मेरा सिर चकराने लगा। ऐसे-तसे मैंने प्रस्ताव पढ़ा.........इतने में सर दीनशा की घंटी बजी। मुझे विश्वास था कि मैंने अभी पाँच मिनट पूरे नहीं किए हैं। मुझे पता नहीं था कि यह घंटी मुझे चेताने के लिए दो मिनट पहले ही बजा दी गई थी। मैंने बहुतों को आधा-आधा, पौन-पौन घंटे बोलते देखा था और घंटी नहीं बजी थी। मुझे दुःख तो हुआ। घंटी बजते ही मैं बैठ गया।

(ऐसा लगता है गांधी को कांग्रेस ने जो एजेंट चुना था, उस पर सभी कांग्रेस के लोग संतुष्ट न थे, उनमें गोखले, फिरोजशाह गांधी से संतुष्ट नजर आते हैं। यहां समिति में गांधी को उसकी औकात के बारे में बताया जा रहा था, उसको भाषण न बोलने देना, उसको कम समय देना, उसमें भी उसको घंटी बजाकर बैठा लेना, पृष्ठ **88** पर देखो, वहां गांधी कांग्रेस के स्वयंसेवकों को अपने दक्षिण अफ्रीका की कुछ बातें बताता है, तो स्वयंसेवक शर्मिंदा होते हैं और उसकी बात को समझते भी नहीं। फिर गांधी को यह कहना पड़ता है, इसमें इनका नहीं, कांग्रेस का दोष है क्योंकि वह इनको शिक्षा नहीं देती। गांधी यहां खुद बताता है, यहां जो भाषण दे रहे थे, वह सभी प्रसिद्ध लोग थे, और गांधी यहां खुद को प्रसिद्ध बताता है। गांधी बताता है कि यहां इन प्रसिद्ध व्यक्तियों के सामने मेरी तुती की आवाज कौन सुनेगा? यहां गांधी बार-बार एक ही बात दोहराता है कि मुझमें बोलने की हिम्मत न हो पा रही थी, दरअसल गांधी से कोई खुश न था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए गांधी को शर्म और लज्जा महसूस हो रही थी। लेकिन गोखले उसकी हिम्मत को बढ़ा तो देते हैं, फिर भी कांग्रेस के सदस्य उसकी हिम्मत तोड़ने में लग जाते हैं। भाषण से एक दिन पहले ही गांधी को बोल दिया जाता है कि तुम्हें पाँच मिनट ही बोलना है। गांधी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि और बाकी के लोग आधे-आधे, पौने-पौने घंटे बोलते देखे थे, लेकिन फिर भी गांधी पाँच मिनट के लिए मान जाता है। लेकिन उसके साथ फिर धोखा होता है, उसे पाँच मिनट से पहले ही अधूरे भाषण में ही बैठा दिया जाता है। गांधी इस पर दुःख प्रकट करता है।

यहां आपको एक और बात बताता हूँ, पृष्ठ **88** पर गांधी जब कांग्रेस में काम मांगने जाता है तो घोषाल गांधी को क्लर्क का काम देता है। गांधी अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए यह लिखता है कि "घोषाल मुझे तब पहचानते न थे।" यह कैसे हो सकता है, गांधी को तो दक्षिण अफ्रीका से

आए तो उसे हीरा सोने की चीजें दी गई, यानी उसकी वैल्यू थोड़ी, न थी। और जब गांधी को कांग्रेस में भर्ती करने के लिए लाया गया, तो क्या उसके सदस्यों से उसका परिचय नहीं कराया होगा? क्यों बाद में कहीं पर भी गांधी यह नहीं कहता कि मैंने अपना परिचय सब से कराया। गांधी जब भाषण देता है तो भी अपना परिचय नहीं कराता क्योंकि गांधी को सब लोग जानते थे। और वैसे भी इससे पहले गांधी **1896** में कांग्रेस के सदस्यों से मिल चुका था। एक समिति बनाकर और वह समिति फिरोजशाह ने करवाई थी। वह **1901** में भी भारत आया था। अगर घोषाल को गांधी के बारे में पता नहीं था इसी कारण क्लर्क की नौकरी दी, उसे, लेकिन जब घोषाल को पता चला गांधी के बारे में तो वह शर्मिंदा होता है। लेकिन गांधी ने एक भी बार यह नहीं कहा कि मैं गांधी हूं, यानी अपने बारे में नहीं बताया, जबकि इससे पहले वह स्वयंसेवकों को अपने कारनामों के बारे में बताता है। वह जब उसके भाई को सजा होने वाली होती है, तब भी गांधी अपनी बढ़ाई मारता है उस अधिकारी के सामने।

गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए ही बुलाया था, पृष्ठ **93** पर गांधी बताता है, गोखले की बड़ी इच्छा थी कि मैं बंबई में बस जाऊं, वहां बैरिस्टर का धंधा करूं और उनके साथ सार्वजनिक सेवा में हाथ बटाऊं। उस समय सार्वजनिक सेवा का मतलब था, कांग्रेस की सेवा। उनके द्वारा स्थापित संस्था का मुख्य कार्य कांग्रेस की व्यवस्था चलाना था। मेरी भी यही इच्छा थी, पर काम मिलने के बारे में मुझे आत्मविश्वास न था। पिछले अनुभवों की याद भूली नहीं थी। खुशामद करना मुझे विषयतुल्य लगता था।" **(पृष्ठ 93)**

यानी गांधी कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन यहां गांधी पिछले अनुभवों का दुःख प्रकट करता है क्योंकि गांधी के साथ क्या हाल हुआ, वह मैं आपको पीछे बता चुका हूं। यहां गांधी एक और बात कह रहा है "खुशामद करना मुझे विषतुल्य लगता है" यहां गांधी काम की खुशामद की बात कर रहा है। पृष्ठ **88** पर गांधी कांग्रेस में काम मांगता है और भूपेन्द्रबाबू के पास जाता है, तो वह काम से मना कर देते हैं। फिर गांधी घोषाल के पास जाता है, तो वह हंसते हुए गांधी से कहता है, "मेरे पास तो क्लर्क का काम है" (यानि चिट्ठियों के ढेर में से चिट्ठियां छांट-छांट कर मुझे देनी है) और यह भूपेन्द्रबाबू, घोषालबाबू दोनों कांग्रेस के मंत्री थे।)

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **Page 127**

सत्याग्रह आश्रम को खोलने की और उसे चलाने की जिम्मेदारी गोखले लेता है और अंतिम रात को गोखले गांधी को रुचने वाली एक पार्टी भी देता है, जिसमें सिर्फ खास खास मित्रों को बुलाया जाता है। **Page 132** पर एंड्रयूज **(Andrews)** गांधी से पूछता है कि गांधी, आपको क्या लगता है, भारत में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा? अगर आएगा, तो कब आएगा? इस पर गांधी कहता है, "गोखले ने मुझसे एक साल तक के लिए किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है, न प्रकट करना है।" इसलिए मैं समझता हूं

कि पांच वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। गोखले अनुसार मुझे एक साल तक देश में भ्रमण करना है। इस बीच अगर गांधी से कोई मदद मांगता, तो वह कहता कि आप कांग्रेस के पास जाइए। **(Page 143)**

यानि सत्याग्रह भारत में गांधी की इच्छा से नहीं होता था, वह तो कांग्रेस की इच्छा से होता था। क्या गांधी को नहीं पता कि भारत की स्थिति क्या है और मुझे किसलिए भारत बुलाया गया है? गोखले ने अपने खत में गांधी को लिखा था कि देश को तुम्हारी जरूरत है। क्या गांधी ने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि किस काम के लिए जरूरत है? खैर, यहां एक और बात गौर करने वाली यह है कि गांधी गोखले की यहां बात मानता है और यह भी करता है कि मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन जब गोखले गांधी के प्रयोग में दखल देता है, तो गांधी उसकी बात नहीं मानता।

यहां थोड़ा यह भी कहना कि गोखले गांधी की स्वराज की किताब का बहिष्कार सिर्फ एक लाइन के शब्दों से करके रह जाता है क्योंकि सभी लोगों ने गोखले को ही आगे कर रखा था, इसलिए वह बुरा नहीं बनना चाहता था। क्योंकि 'स्वराज' पुस्तक **1909** में लिखी थी, फिर भी गोखले गांधी का भारत में आश्रम खुलवाता है और गांधी को एक साल के लिए सार्वजनिक जवाबों से दूर रहने को कहता है। गांधी भी प्रतिज्ञा करके कहता है, "मैं यही करूंगा।" गोखले ने **1920** तक किताब को खत्म करने को क्यों कहा, जबकि खत्म तो उसी समय किया जा सकता था? दरअसल यह सब चाल थी। दरअसल **1920** की तारीख लोगों के दिलों में स्वराज को बैठाने के लिए थी। लेकिन यह हो नहीं सका, तो जानबूझकर गांधी ने **1921** में नई भूमिका के साथ स्वराज पुस्तक को फिर छापा। कुछ लोग यह कहते हैं कि गोखले को नीचा दिखाने के लिए गांधी ने ऐसा किया, लेकिन यह सच नहीं है। गांधी गोखले को अपना गुरु मानता था और उसकी हर बात भी मानता था, तो क्या स्वराज को खत्म नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन यह एक चाल थी। नेहरू, पटेल, सुभाष, किसी को भी स्वराज से कोई दिक्कत नहीं थी।

शुरुआत में कांग्रेस के सभी नेताओं को गांधी पर भरोसा नहीं था, लेकिन बहुत ही जल्दी लोगों को गांधी की कामयाबी पर भरोसा हो गया और मात्र **4** सालों में ही, यानी **1919** में, गांधी को कांग्रेस अपनी कमान दे देती है।

यहां **Page 141** पर गांधी कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में मेरे यहां अन्त्यज आते रहते थे और भोजन करते थे। लेकिन गांधी ने **Page 114** कहा कि टॉलस्टॉय आश्रम में मुसलमान, पारसी, ईसाई, सब थे, लेकिन गांधी ने एक बार भी अछूत व्यक्ति का जिक्र नहीं किया। क्योंकि उसके आश्रम में एक भी अछूत था ही नहीं। और न ही गांधी कभी दक्षिण अफ्रीका में किसी अछूत से मिला था। उल्टा वह तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अछूत समझता था, इसलिए गांधी ने कभी भी उनके लिए आंदोलन या सत्याग्रह कभी नहीं किया। गांधी ने जिस तरह से यहां अन्त्यज

का जिक्र किया है, तो यहां टॉलस्टॉय आश्रम या शांतिनिकेतन आश्रम, गुरुकुल कांगड़ी का जिक्र कर देता कि वहां कितने अछूत थे?

यहां गांधी ने बोला था, "हमें आश्रम चलाने के लिए पैसे नहीं मिले, तो हम अन्त्यजों की बस्ती में जाकर मजदूरी करेंगे।" यह सब लिखते समय या तो गांधी नशे में होगा, या वह मजाक के मूड में होगा। क्योंकि अछूतों की बस्ती में कुछ करने के लिए काम नहीं मिलता, उनको मेरे हुए जानवरों को फेंकना होता था, उन्हें गाड़ना होता था, और उन्हीं मरे हुए पशुओं को खाते भी थे। गांव के अंदर आना उनके लिए मना होता था। उन्हें देखने मात्र से लोग अपवित्र हो जाते थे। यहा तक कि शूद्र भी उनको नहीं अपनाते थे। अब गांधी यहां कौन सी मजदूरी करते? गांधी ने एक बात बोली थी कि "मैं अछूतों और भंगियों का दर्द समझने के लिए अगला जन्म भंगी अछूत का लूंगा।" लेकिन अछूत का दर्द तो दूदाभाई से पता चल गया था गांधी को, उस अन्त्यज की वजह से उसका सत्याग्रह आश्रम खत्म होने की कगार पर खड़ा था। फिर गांधी ने ऐसा क्यों बोला कि वह अगला जन्म लेगा, उनके दर्द को जानने के लिए?

इसके अलावा, मैं आपको बता दूं, इससे पहले ही गांधी यह दर्द जान चुका है दक्षिण अफ्रीका में- सत्य के साथ मेरे प्रयोग **Page 81:** गांधी को अपने हाथों से कपड़े धोने पड़े और खुद ही अपने बाल काटने पड़े। यह उसने खुशी से नहीं किया, बल्कि वहां के रंगभेद के कारण किया, लेकिन गांधी इस पर उन लोगों से नाराज नहीं होता, क्योंकि गांधी बोलता है कि "हम लोगों ने, यानी उनकी जाति के लोग, अछूत पर अत्याचार और भेदभाव कर रहे हैं और उसकी सजा मुझे दक्षिण अफ्रीका में मिल रही है।"

Page 127

गोखले की तीव्र इच्छा थी कि मैं भी सोसाइटी में सम्मिलित हो जाऊं, मेरी भी इच्छा थी ही; किंतु सोसाइटी के सदस्यों को ऐसा लगा कि सोसाइटी के आदर्श और काम करने की रीति मुझसे भिन्न है। इसलिए मुझे सदस्य बनना चाहिए या नहीं, इस बारे में उनके मन में शंका थी। मैंने अपने विचार गोखले को बता दिए थे- "मैं सोसाइटी का सदस्य बनूं चाहे न बनूं। तो भी मुझे एक आश्रम (सत्याग्रह आश्रम) खोलकर उसमें फीनिक्स के साथियों को रखना और खुद वहां बैठ जाना है।" गोखले ने कहा- "आपको आश्रम के लिए पैसा मुझसे लेना है। उसे मैं अपना ही आश्रम समझूंगा।"

Page 134

अब मैंने अनुभव किया कि मुझे सोसाइटी में भरती होने के लिए सतत् प्रयत्न करना चाहिए। मुझे यह लगा कि गोखले की आत्मा यही चाहेगी। मैंने बिना संकोच के और दृढ़तापूर्वक यह प्रयत्न शुरू किया। इस समय सोसाइटी के लगभग सभी सदस्य पूना में उपस्थित थे। मैंने उन्हें मनाना और मेरे विषय में उन्हें जो डर था, उसे दूर करना शुरू किया। किंतु मैंने देखा कि सदस्यों

में मतभेद था। ......अनुभव से मैं देखता हूं कि मेरा प्रथा के अनुसार सोसाइटी का सदस्य न बनना ही उचित था, और जिन सदस्यों ने मेरे प्रवेश का विरोध किया था, उनका विरोध वास्तविक था।

(जिस प्रकार से गांधी को सोसाइटी में भर्ती नहीं किया जा रहा, उसी प्रकार से कांग्रेस में भी भर्ती नहीं किया जा रहा था, क्योंकि गांधी पर किसी को विश्वास न था कि यह उनके काम का है, और गांधी का रिकॉर्ड देखा जाए तो वह एक मनमाना व्यक्ति था, जिसको धर्म की कोई परवाह नहीं थी। वह स्वराज क्या खाक दिला सकता है... और वह सही भी थे क्योंकि स्वराज गांधी कभी दिला ही न सका।**)**

गांधी कितना अहिंसावादी

मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर बोअर युद्ध और जुलू विद्रोह में कितने मासूमों को मौत की नींद सुला दी थी, कितने ही घर उजाड़ दिए, कितने ही बच्चों को अनाथ बना दिया। जुलू विद्रोह जिस हक के लिए शुरू हुआ था, उन्हीं हकों को बाद में गांधी अंग्रेजों से मांगता है, क्योंकि उन अंग्रेजों की निगाहों में सब बराबर थे। गांधी को लगा कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, तो वो हमको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो वहां के बसे भारतीयों के भी हक छीन लिए। जब गांधी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देता है, तो गांधी को **Page 120** दक्षिण अफ्रीका से उसके मित्र मि. पोलाक एक तार भेजते हैं, उसमें वह गांधी से पूछते हैं, "क्या आपका यह काम अहिंसा के आपके सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है?" तो गांधी इस खत का जवाब इस प्रकार देता है- "असल में जिस विचारधारा के वश होकर मैं बोअर युद्ध में सम्मिलित हुआ था, उसी का उपयोग मैंने इस बार भी किया था। मैं इस बात को भली-भांति समझता था कि युद्ध में सम्मिलित होने का अहिंसा के साथ कोई मेल नहीं बैठ सकता। .... हिंसा व्यापक वस्तु है। हम हिंसा की होली के बीच घिरे हुए पामर प्राणी हैं। यह वाक्य गलत नहीं है कि 'जीव जीव पर जीता है।' **(Page 120)**

मनुष्य एक क्षण के लिए भी बाहरी हिंसा के बिना जी नहीं सकता। खाते-पोते, उठते-बैठते, सभी क्रियाओं में इच्छा-अनिच्छा से वह कुछ न कुछ हिंसा तो करता ही रहता है। .... वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु का भी नाश नहीं चाहता और यथाशक्ति उसे बचाने का प्रयत्न करता है, तो वह अहिंसा का पुजारी है।........... किंतु कोई देहधारी बाहरी हिंसा से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता.......... मनुष्य हिंसा से बिल्कुल अछूता नहीं हो सकता......... युद्ध में सम्मिलित होने में मैंने धर्म माना और आज भी इस प्रश्न पर सोचता हूँ, तो मुझे उपर्युक्त विचारधारा में कोई दोष नजर नहीं आता। पश्चाताप भी नहीं है। **(Page 121)**

(यहां यह कहा गया है "जीव जीव पर जीवित है", अर्थात इस संसार में कोई भी जीव बिना हिंसा के नहीं रह सकता। मनुष्य को जीने के लिए अनजाने में भी किसी न किसी प्रकार की हिंसा करनी पड़ती है। मनुष्य खाते-पीते, उठते-बैठते हिंसा करता ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन अनिवार्य हिंसा से बचने के लिए प्रयास करता है, वह अपनी भावनाओं में दया और करूणा को प्राथमिकता देता है, और अपनी शक्ति के अनुसार हिंसा से बचने का प्रयास करता है, तो वह अहिंसा का पुजारी है।

हालांकि कोई भी मनुष्य पूरी तरह से हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन लगातार संयम और करुणा बढ़ाने के प्रयास से एक बेहतर इंसान बन सकता है। जब दो राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ता

है, तो अहिंसा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उस युद्ध को रोकने की कोशिश करे। यदि किसी के पास युद्ध का विरोध करने की शक्ति और अधिकार नहीं है, तो उसे युद्ध में सम्मिलित होकर उसका मुकाबला करने का अधिकार और शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। लेखक, यानी गांधी, यहां इस बात को स्वीकार करता है कि उसमें युद्ध का विरोध करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसके पास युद्ध में सम्मिलित होने के अलावा कोई और मार्ग नहीं था।

अंत में लेखक यह भी कहता है कि उसने बंदूकधारी और उसकी सहायता करने वालों के बीच अहिंसा के दृष्टिकोण से कोई भेदभाव नहीं किया। इसका अर्थ है कि उसके लिए युद्ध के समय मित्र और शत्रु में कोई अंतर न था, क्योंकि अहिंसा की विचारधारा सभी के प्रति समान दया और करुणा की बात करती है। कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अहिंसा का पालन करने के लिए भी हमें युद्ध या संघर्ष में भाग लेना पड़ता है, क्योंकि विरोध करने की क्षमता न होने पर हमें उस संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ता है। लेकिन वह अब यह महसूस करते हैं कि उनके लिए बंदूकधारी की मदद करना अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ नहीं था।

यहां यह तर्क दिया जा रहा है कि चाहे किसी का कार्य प्रत्यक्ष रूप से हिंसक न हो, फिर भी वह उस हिंसक कार्य का सहभागी बन जाता है। लेखक ने युद्ध में भाग लेने को धर्म के रूप में स्वीकार किया है। लेखक को अपने उन विचारों पर आज भी कोई पछतावा नहीं है। यहां गांधी अपनी हिंसा को सही ठहरा रहे हैं, जबकि 'स्वराज' किताब में वह पूरी तरह से हिंसा के खिलाफ हैं, और यहाँ तक कि भगत सिंह, सुभास चंद्र बोस इनको हिंसा को मरते दम तक गलत ही कहता रहा। और भारत में क्या कभी गांधी को वाकई हिंसा की जरूरत महसूस नहीं हुई, जो उसे विदेश में हो गई थी।

ग्राम स्वराज **Page 89**

मेरी राय है कि जब तक ईश्वर पर जीता-जागता विश्वास न हो, तब तक सत्य और अहिंसा पर चलना असंभव है। **[**हरिजन सेवक, **28-7-1946 Page 236]**

Page 109

जिसे अहिंसा का पालन करना है, सत्य की अराधना करनी है, ब्रह्माचार्य पालन को स्वाभाविक बनाना है, उसके लिए तो शरीर श्रम रामबाण है। यह श्रम वास्तव में देखा जाए तो खेती से ही संबंध रखता है। पर आज की जो स्थिति है, उसमें सब उसे नहीं कर सकते, इसलिए खेती का आदर्श ध्यान में रखकर बदले में दूसरा श्रम जैसे कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारि आदि कर सकता है। **[Reference -** मंगल प्रभात, **1958, Page 43]**

(पहले गांधी बोलता है कि अहिंसा और सत्य के लिए ईश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। फिर बाद में कहता है कि सत्य, अहिंसा के लिए श्रम जरूरी है, यानी खेती करना। अगर जिस व्यक्ति

के पास खेती नहीं है, तो वह बढ़ई, लुहार, कताई, चरखा का काम करे, यानी आपको घुमा फिराकर गांधी गंवार जीवन पर ले ही आता है।)

हिंद स्वराज **Page 27**

गांधी बंग-भंग की लड़ाई में जो दंगे-फसाद हुए, उसको वह जायज ठहराता है।

(यहां दंगे-फसाद/अशांति को जायज इसलिए ठहरा रहा है गांधी, क्योंकि इससे स्वराज जोर पकड़ने लगा था। लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था, और गांधी यहीं तो चाहता था

भगत सिंह फांसी - धींगरा ने जो खून किया है, उससे या जो खून हिन्दुस्तान में हुआ है, उनसे देश को फायदा हुआ है। ऐसा अगर कोई मानता हो, तो यह बड़ी भूल करता है। धींगरा को मैं देशाभिमानी मानता हूं। लेकिन उसका देशप्रेम पागलपन से भरा था। उसने अपने शरीर का बलिदान गलत तरीके से दिया। इससे अंत में तो देश को नुकसान ही होनेवाला है। [पंजाबी युवक मदनलाल धींगरा ने जुलाई **1909** में लंदन में कर्नल सर कर्जन बाइली को गोली का निशाना बनाया था। उसे फांसी की सजा मिली थी।]

भगत सिंह को गाँधी ने क्यों नहीं बचाया? क्योंकि भगत सिंह और धींगरा एक ही सोच के थे।

हिंद स्वराज **Page 78-** गोरो में कहावत है कि जिस राष्ट्र की 'हिस्टरी' (कोलाहल) नहीं है, वह राष्ट्र सुखी है। राजा लोग कैसे खेलते थे, कैसे खून करते थे, कैसे वैर करते थे, यह सब हिस्टरी में मिलता है। अगर यही इतिहास होता, अगर इतना ही हुआ होता, तब तो यह दुनिया कब की डूब गई होती। अगर दुनिया की कथा लड़ाई से शुरू होती, तो आज एक भी आदमी जिंदा नहीं रहता।

(बेवकूफ गांधी ब्राह्मण ग्रंथों में सब लिखा है, कैसे वैर रखते थे, कैसे खून करते थे, कैसे खेलते थे, तो क्या दुनिया डूब गई? आज तो सारा इतिहास हमारे सामने है, तो क्या दुनिया खत्म हो गई?

दुनिया की कथा लड़ाई से ही शुरू हुई है और खत्म भी लड़ाई पर ही होगी। हम सब एक-दूसरे को मारकर जीते हैं। यह बात खुद गांधी ने कही है कि “जीव जीव पर जीता है।” यही प्रकृति का नियम है। जब राम जी सीता को अहिंसा से नहीं ला सके, कृष्ण दो परिवारों के बीच का विवाद तक न मिटा सका, उन्होंने पूरी महाभारत ही करा डाली। तो क्या गांधी अहिंसा से देश आजाद कराएगा?)

Page 79 दुनिया में इतने लोग आज भी जिंदा हैं, यह बताता है कि दुनिया का आधार हथियार बल पर नहीं है, परंतु सत्य, दया या आत्मबल पर है।

(इंडिया पर हथियार हैं, फिर भी चीन भारत की जमीन हड़पता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि दुनिया लड़ाई के हंगामों के बावजूद टिकी हुई है।)

Page 102 मांगने से कुछ नहीं मिलेगा; वह तो हमें खुद लेना होगा। उसे लेने की हममें ताकत होनी चाहिए। यह ताकत उसी में होगी:

① जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग लाचारी से ही करेगा।

② वकील वकालत छोड़ देगा और खुद घर में चरखा चलाकर कपड़े बुन लेगा।

③ जो वकील दूसरों को भी अदालत छोड़ने को कहेगा।

④ जज भी अदालत छोड़ेगा।

⑤ डॉक्टर अपनी डाक्टरी छोड़ेगा।

⑥ जो धनी होने से अपना चरखा चालू करने में खर्चेगा और खुद सिर्फ स्वदेश माल का इस्तेमाल करके दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा देगा।

⑦ जो दूसरे हिन्दुस्तानियों की तरह समझेगा कि अंग्रेजों की सभ्यता को बढ़ावा देकर हमने जो पाप किया है, उसे धो डालने के लिए अगर हमें मरने तक भी अंडमान में रहना पड़े, तो वह कुछ ज्यादा नहीं छोगा।

(यहां गांधी हिंसा की बात कर रहा है)

सत्य, अहिंसा की शिक्षा गांधी की, इसको डॉ. अंबेडकर मौलिक उपलब्धि नहीं मानते हैं। वे लिखते हैं- मानवीय संस्कृति की रक्षा के लिए सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की आवश्यकता है, इस बात को अब किसी को पुनः पढ़ाने की कोई वजह नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस बात को सदियों पहले बुद्ध ने अच्छी तरह समझाया है। उसमें गांधी का नया कुछ भी नहीं है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोग के संबंध में बार-बार खड़े होने वाले रहस्यमयी सवालों पर यदि रोशनी डाली हो तो वे महात्मा की उपाधि के लायक सिद्ध हुए होते। और दुनिया भी उनको शुक्रगुजार होती। कब सत्य बोलना चाहिए, कब हिंसा को समर्थनीय मानना चाहिए, इन दो रहस्यों के जवाब की दुनिया बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। **[Reference -** गांधी और गांधीवाद पृ**. 123]**

(2) 1918: चंपारण और खेड़ा आंदोलन - किसानों को संघर्ष के लिए उकसाया गांधी ने बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में किसानों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया।

यह आंदोलन अहिंसक था, लेकिन इसकी वजह से कई लोगों को ब्रिटिश पुलिस ने मारा और पीटा। क्या यह भी एक प्रकार की हिंसा नहीं थी?

सवाल: अगर अहिंसा इतनी अच्छी थी, तो उन्होंने अंग्रेजों को खुश करने के बजाय सीधा विद्रोह क्यों किया?

1932: अछूतों के लिए "अहिंसा", लेकिन खुद राजनीति में हिंसा **1932** में ब्रिटिश सरकार ने "कम्युनल अवॉर्ड" के तहत अछूतों को अलग से वोट देने का अधिकार दिया। बाबा साहेब अंबेडकर इसके समर्थन में थे, क्योंकि इससे शूद्रों को हक मिलने वाला था। लेकिन गांधी ने इसका विरोध किया और मरने की धमकी (अनशन) दी।

सवाल: अगर गांधी सच में अहिंसावादी थे, तो उन्होंने भूख हड़ताल (भावनात्मक हिंसा) से अछूतों के अधिकार क्यों छीने? क्या यह अछूतों के खिलाफ मानसिक हिंसा नहीं थी?

1947: गांधी ने भारत का विभाजन रोकने के लिए हिंसक धमकी दी जब भारत का बंटवारा तय हो गया, तो गांधी ने कहा कि "अगर भारत का बंटवारा हुआ, तो मैं अपनी जान दे दूंगा।" लेकिन जब पाकिस्तान बना, तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डाला कि पाकिस्तान को **55** करोड़ रुपये दिए जाएं।

सवाल: अगर गांधी को हिंसा से नफरत थी, तो उन्होंने विभाजन रोकने के लिए खुद को मरने की धमकी क्यों दी? और जब पाकिस्तान बन गया, तो उन्होंने आत्महत्या क्यों नहीं की? गांधी की अहिंसा सिर्फ कमजोरों के लिए थी? जब भी क्रांतिकारी आंदोलन तेज होता था, गांधी "अहिंसा" का संदेश देने लगते थे। लेकिन जब अंग्रेजों को फायदा होने वाला होता था, तो वे हिंसा को अनदेखा कर देते थे।

2. क्रांतिकारी आंदोलन और गांधी

नाम	गांधी का रवैया
भगत सिंह	गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया और यह तर्क दिया कि हिंसा से आज़ादी नहीं मिल सकती।

सुभाष चंद्र बोस	गांधी ने नेताजी के विचारों का विरोध किया और कहा कि आज़ादी का रास्ता हिंसा नहीं हो सकता। उन्होंने आजाद हिंद फौज को "हिंसक रास्ता" कहा।
अन्य क्रांतिकारी (राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद आदि)	गांधी ने हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों का विरोध किया, यह कहते हुए कि वे "अनुशासनहीन" हैं।

गांधी ने सरदार पटेल को हटाकर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया — क्या यह हिंसा नहीं थी?"

"गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया — क्या यह अन्याय नहीं था?"

गांधी का अहिंसा का सिद्धांत **100%** पाखंड (दोगलापन) था। वे कमजोर लोगों (अछूतों, शूद्रों, गरीबों) को अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, ताकि वे लड़ न सकें। गांधी ने शूद्रों को अहिंसा का पाठ क्यों पढ़ाया? अब सवाल यह उठता है कि गांधी ने हमेशा अछूतों और शूद्रों को "अहिंसा" का पाठ क्यों पढ़ाया?

जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई थी, तब भी शूद्रों को अहिंसा का उपदेश दिया। जब ब्राह्मणों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी, तब भी अहिंसा का उपदेश दिया। गांधी ने ऐसा क्यों किया? इसका एक ही कारण था: अगर शूद्र और अछूत हिंसक क्रांति कर देते, तो वे ब्राह्मणों से अपने अधिकार छीन सकते थे। गांधी को डर था कि अगर शूद्र लड़ना सीख गए, तो वे ब्राह्मणों से बदला भी ले सकते थे। इसीलिए, उन्होंने शूद्रों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया ताकि वे कभी विद्रोह न करें।

(3) खिलाफत आंदोलन **(1919-1924)**

गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जो मूल रूप से एक धार्मिक मुद्दा था। इसी दौरान केरल में मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया। गांधी ने इस हिंसा पर खुलकर विरोध नहीं किया और इसे "धार्मिक उत्साह" कहकर टाल दिया। अगर वे सच में अहिंसावादी होते, तो वे इसे तुरंत रोकने के लिए कुछ करते। क्या गांधी ने बाद में भी हिंसा का समर्थन किया? भारत छोड़ो आंदोलन **(1942)** और हिंसा गांधी ने "करो या मरो" **(Do or Die)** का नारा दिया।

इस आंदोलन में कई जगहों पर हिंसा हुई – सरकारी इमारतें जलाई गईं, रेलवे लाइनें तोड़ी गईं। अगर गांधी पूरी तरह अहिंसा के समर्थक थे, तो उन्होंने यह नारा क्यों दिया?

भारत की स्थिति

सत्य के साथ मेरे प्रयोग पेज **71** - हिन्दू समाज में ब्याह बचपन में हो जाते हैं, पति साक्षर और पत्नी निरक्षर होती है। हिन्दू पति अपने को पत्नी का ईश्वर मानता है। इसलिए पत्नी को पति जैसा नचाए वैसा नाचना होता है।

पेज **18** - हमारे यहां की ट्रेन में गंदगी रहती है जबकि दक्षिण अफ्रीका में साफ थी। पेज **84** - दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले हिन्दुस्तानियों पर लगाए जानेवाले एक आरोप का, जिसमें कुछ तथ्य था। इलाज करने का काम मैंने वहां के अपने निवास काल में ही सोच लिया था। हिन्दुस्तानियों पर जब-तब यह आरोप लगाया जाता था कि वे अपने घर-बार साफ नहीं रखते और बहुत गंदे रखते हैं। इस आरोप को निःशेष करने के लिए आरंभ में हिन्दुस्तानियों के मुखिया माने जानेवाले लोगों के घरों में तो सुधार आरंभ हो ही चुके थे। पर घर-घर घूमने का सिलसिला तब शुरू हुआ, जब डरबन में प्लेग के प्रकोप का डर पैदा हुआ। …………इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में घर-बार साफ रखने के महत्व को न्यूनाधिक मात्रा में स्वीकार कर लिया गया। (न्यूनाधिक यानि कुछ कम और कुछ अधिक)

पेज **71** - इंडिया में भी प्लेग था।

पेज **87** - यह सन् **1909** का जमाना था। उस साल की कांग्रेस कलकत्ते में होनेवाली थी, दीनशा एदलजी वाच्छा उसके अध्यक्ष थे। मुझे तो कांग्रेस में जाना ही था। यह मेरा पहला अनुभव था। हम कलकत्ता पहुंचे……… मैंने किसी स्वंयसेवक से पूछा, "मुझे कहां जाना चाहिए?" वह मुझे रिपन कॉलेज ले गया।………गंदगी की हद नहीं थी। चारों तरफ वहां पानी ही पानी फैल रहा था। पाखाने कम थे। उनकी दुर्गंध की याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंने एक स्वंयसेवक को यह सब दिखलाया, उसने साफ इनकार करते हुए कहा, "यह तो भंगी का काम है।"

पेज **118** - जब सन **1914** में सत्याग्रह की लड़ाई समाप्त हुई, तो गोखले की इच्छा अनुसार मुझे इंग्लैंड होते हुए हिन्दुस्तान पहुंचना था।…………अतः समुद्री यात्रा के लिए तीसरे दर्जे का टिकट कटाया। पर इस तीसरे दर्जे में और हमारे (भारत) के तीसरे दर्जे में बहुत अंतर है। हमारे यहां सोने बैठने की जगह भी मुश्किल से मिलती है। जबकि वहां के तीसरे दर्जे में स्थान काफी था और स्वच्छता की भी अच्छी चिंता रखी जाती थी।

गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए पहले दर्जे की टिकट की बात करते हैं, तो रेल वालों की तरफ से यह जवाब आता है कि अगर भारतीय साफ-सुथरे रहेंगे और कपड़े अच्छे पहनेंगे, तो उनको पहले दर्जे का टिकट मिल जाएगा।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग पेज **87 -** हिन्दुस्तान पहुंचने पर थोड़ा समय मैंने घूमने-फिरने में बिताया। यह सन् **1909** का जमाना था। उस साल की कांग्रेस कलकत्ते में होनेवाली थी।.........कांग्रेस का यह मेरा पहला अनुभव था.........मैं जिस विभाग में था, उसी में लोकमान्य तिलक भी ठहरे हुए थे.........मैंने अनेक स्वंयसेवकों से दोस्ती की। उनसे दक्षिण अफ्रीका की बातें कीं। इससे वे जरा शर्मिंदा हुए। इन भोले और भाले स्वंयसेवकों में इच्छा तो बहुत थी, पर तालीम और अभ्यास कहां से था? कांग्रेस साल में **3** दिन के लिए इकट्ठा होकर फिर सो जाती थी। साल में **3** दिन की तालीम (शिक्षा) से कितना सीखा जा सकता था? जैसे स्वयंसेवक थे, वैसे ही प्रतिनिधि थे। उन्हें भी इतने दिनों की तालीम मिलती थी। वे अपने हाथ से अपना कोई भी काम न करते थे। सब बातों में उनके हुक्म छुटते रहते थे। स्वयंसेवक "यह लाओ, स्वयंसेवक वह लाओ" चलता ही रहता था। छुआछूत को मानने वाले वहां बहुत थे। द्रविड़ी रसोई बिल्कुल अलग थी। उन प्रतिनिधियों को तो 'दृष्टिदोष' भी लगता था।........... रसोईघर क्या थी, वह एक तिजोरी थी। वह कहीं से भी खुली न थी। मुझे यह वर्णधर्म उल्टा लगा। कांग्रेस में आनेवाले प्रतिनिधि जब इतनी छुआछात रखते हैं, तो उन्हें भेजने वाले लोग कितनी रखते होंगे?............गंदगी की हद नहीं थी।.........पाखाने कम थे। उनकी दुर्गंध की याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंने एक स्वंयसेवक को यह सब दिखलाया, उसने साफ इनकार करते हुए कहा, "यह तो भंगी का काम है।" मैंने झाड़ू मांगा, वह मेरा मुँह ताकता रहा। मैंने झाड़ू खोज निकाला, पाखाना साफ किया। पर यह तो मेरी अपनी सुविधा के लिए हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा थी और पाखाने इतने कम थे कि हर बार उपयोग के बाद उनकी सफाई होनी जरूरी थी। यह मेरी शक्ति के बाहर की बात थी।...........मैंने निश्चय किया था कि कांग्रेस के कार्यालय में मेरी सेवा स्वीकार की जाए, तो सेवा करूं और अनुभव लें।

पेज **138 -** गांधी गंगा-स्नान करके आया था। इसलिए शरीर खुला था।
पेज **139 -** हरिद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तों को और गंगा के सुंदर किनारों को गंदा कर देते थे। गंगा के पवित्र जल को दूषित करने में भी उन्हें किसी प्रकार का संकोच न होता था।

दक्षिण अफ्रीका से भारत जब गांधी आता है तो तब मुंबई में प्लेग की बीमारी फैल जाती है। मुझे लगा, स्वच्छता के विभाग में मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैंने राज्य को अपनी सेवा का प्रस्ताव दिया। उसे स्वीकार कर लिया गया और मुझे उस कमेटी में रखा गया, जो इन समस्याओं को देखती थी। मैंने शौचालयों की सफाई पर विशेष जोर दिया, और सोसाइटी में हर सड़क का निरीक्षण करने का निश्चय किया। गरीबों को अपने शौचालयों का निरीक्षण कराने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब हम अमीरों या समृद्ध घरों में गए तो कईयों ने अंदर आने की अनुमति नहीं दी, हमारे सुझावों को सुनना तो दूर की बात थी। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अमीर लोगों के शौचालय ज्यादा गंदे होते थे। वे घुप्प अंधेरे वाले और बदबूदार होते थे और उसमें गंदगी और कीड़े भरे होते थे। जो सुझाव हम देते थे, वह काफी सरल थे। उदाहरण के तौर पर मल करते

समय इसे जमीन पर गिरने की बजाय बाल्टी में रखने और यह सुनिश्चित करना कि मूत्र किसी बाल्टी में एकत्रित हो। बजाय इन्हें जमीन पर करने और उसी में सूखने के, और शौचालय की बाहरी दीवार को तोड़ने का सुझाव दिया, जिससे शौचालय को रोशनी और हवा मिले और जमादार उसकी ठीक से सफाई कर सके। समृद्ध वर्ग ने इस अंतिम सुझाव पर काफी आपत्तियां जताई और ज्यादातर मामलों में काम नहीं किया। कमेटी को अछूतों के कमरों का भी निरीक्षण करना था। कमेटी का केवल एक सदस्य मेरे साथ वहां चलने को तैयार हुआ, औरों के लिए उनके क्वार्टरों में जाना निरर्थक था। उनके शौचालयों के निरीक्षण का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन मुझे उनके क्वार्टर आश्चर्यजनक रूप से काफी सही अवस्था में मिले। यह मेरा उनके इलाके में पहला दौरा था। (यानी अछूतों के इलाके में पहली बार गांधी गए थे) वहां के पुरुष और स्त्रियां मुझे देखकर बहुत चकित हुए। मैंने उनसे उनके शौचालयों के निरीक्षण की अनुमति मांगी। "हमारे लिए शौचालय!" उन्होंने आश्चर्य से पूछा- "हम शौच के लिए खुले में जाते हैं। शौचालय तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए है।" "तब, यदि आपको ऐतराज न हो तो क्या मैं आपके घरों का निरीक्षण कर सकता हूँ?" मैंने पूछा। "सर, आपका स्वागत है। आप हमारे घरों के हर कोने को देख सकते हैं। हमारे घर कोई घर नहीं बल्कि एक छेद है।" मैं अंदर गया और उनके बाहर और अंदर बहुत सफाई थी। प्रवेश द्वार में काफी अच्छी-सी सफाई की हुई थी। घर को खूब अच्छे से गोबर और मिट्टी से लेपा हुआ था और थोड़े बहुत जो बर्तन थे, वे चमक रहे थे। इन क्वार्टरों में बीमारी फैलने का डर नहीं था। उच्च वर्ग के शौचालय जिन्हें हमने देखा, उनका विस्तार से वर्णन करने मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। हर कमरे की अपनी नाली थी, जिसका उपयोग पानी और मूत्र करने के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ था पूरे घर में बदबू ही बदबू थी। लेकिन एक घर की मंजिल में शयन कक्ष था, जिसमें एक नाली थी, जिसका उपयोग मल और मूत्र दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता था। नाली में एक पाइप था जो नीचे तल तक जाता था। इस कमरे की बदबू को सहन नहीं किया जा सकता था। कमेटी वैष्णवों की हवेली में भी गई। हवेली के पुजारी की मेरे परिवार के साथ काफी घनिष्ठता थी, इसलिए उसने हर जगह का निरीक्षण करने की इजाजत दे दी। यहां हवेली का एक भाग ऐसा था, जिसे उन्होंने भी कभी नहीं देखा था। यह वह जगह थी, जहां कूड़ा-करकट और इस्तेमाल में लाई गई खाने की प्लेटों को दीवार से बाहर फेंका जाता था। यहां गायों और पक्षियों का जमावड़ा था। शौचालय भी गंदे थे। मैं पूजा करने वाले स्थल में इतनी गंदगी देखकर बहुत दुःखी हुआ। जिस जगह को हम पवित्र मानते हैं।

गांधी को छूआछत पाप कब लगा

मैं यह शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा देखने के लिए देखें-[गांधी और गांधीवाद पृ० 35] अहमदाबाद में 14 और 15 अप्रैल, 1921 को हुई सप्रेस्ड क्लासेज कांफ्रेंस में दिए भाषण में गांधी ने कहा था- जब मैं मुश्किल से 12 वर्ष का था, तभी यह विचार मेरे मन में पैदा हुआ था। एक झाड़ू लगाने वाला अछूत जिसका नाम ऊखा था, मेरे घर की टट्टी साफ किया करता था। अक्सर मैं अपनी मां से पूछ बैठता था कि उसे छूना क्यों ठीक नहीं है और मुझे उसे छूने से क्यों रोका जाता है। यदि कभी अचानक मैं ऊखा से छू जाता, तो मुझे अपने शरीर को शुद्ध करने और प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता था, और यद्यपि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था, परंतु मुस्कराते हुए यह विरोध भी प्रकट कर दिया करता था कि छूआछूत को धर्म की नजरों में कहीं भी स्वीकृति नहीं मिली हुई है और यह कि ऐसी स्वीकृति का होना असंभव है। मैं बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और आज्ञाकारी लड़का था और माता-पिता की आज्ञा का पालन दृढ़ता से करता था। मैं स्कूल में अक्सर अछूतों से छू जाता था और मैं उस सच्चाई को अपने माता-पिता से कभी नहीं छिपाता था। मेरी मां मुझे कहा करती थी कि अपवित्र से छू जाने पर अपने को शुद्ध करने का सबसे आसान रास्ता है - पास से गुजरते हुए मुसलमान की स्पर्श करके अशुद्धता से मुक्त हो जाओ। मैं अक्सर अपनी मां का आदर करते हुए उनकी बात मान लेता था।

कुछ समय के बाद हम लोग पोरबंदर चले गए। उस समय तक मुझे अंग्रेजी स्कूल में नहीं डाला गया था और मुझे मेरे भाई को एक ब्राह्मण के शिष्यत्व में रखा गया। जिसने हमें राम रक्षा और विष्णु पूंजिका की शिक्षा दी। 'जले विष्णु' । 'स्थले विष्णु' (वहीं भगवान जल-थल सभी जगह व्याप्त हैं) पाठ मुझे अभी तक याद है। मैं उस समय बहुत डरपोक था, भूत-प्रेतों से डर लगता था। तब मुझे यह विश्वास नहीं था कि 'राम रक्षा' में कहीं कोई ऐसी बात है जिसमें अछूतों का छू जाना पाप समझा गया हो। तब मैं उसका अर्थ नहीं समझता था अथवा बहुत कम अर्थ जानता था। लेकिन मुझे विश्वास था कि 'राम रक्षा' से भूत-प्रेतों से उत्पन्न सभी प्रकार के भय, तो नष्ट हो सकते हैं, परंतु अछूतों को छू लेने के भय का निवारण नहीं हो सकता है। हमारे परिवार में रामायण का पाठ नियमित रूप से किया जाता था। एक ब्राह्मण जिसका नाम 'लाढ़ महाराज' था, यह पाठ किया करता था। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था और उसे विश्वास था कि रामायण का लगातार पाठ करते रहने से उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा और वास्तव में वह रोगमुक्त भी हो गया था। मैं जोर देकर कहता हूं कि मैंने उस समय छूआछात को पाप समझा था। मैंने वैष्णवों और रूढ़िवादी हिंदुओं की जानकारी के लिए यह कहानी बतलाई है।

(यहां गांधी की बात मेरे समझ नहीं आ रही। गांधी बोलता रहता है कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ, यह सत्य की खोज कैसी थी? जो अपने माता-पिता की गलत सीख को नहीं पहचान

सका, गांधी ने अपने आप को बचाने के लिए यह तो कह दिया कि मैं एक आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए अछूत को अछूत समझता रहा। तभी तो गांधी अछूत के संपर्क में आने पर माता-पिता को बता देता था और फिर उनकी आज्ञा अनुसार मुस्लिम को छूता था। लेकिन गांधी यह भी बता रहा है कि छूआछात धर्म में नहीं है, तो उसने इस पर कभी बहस क्यों नहीं की? आज्ञाकारी होने का मतलब यह नहीं होता कि आप अंधविश्वासी बन जाएं। गांधी यह दिखाना चाह रहा है कि सिर्फ मैं ही आज्ञाकारी था, बाकी सब कोई आज्ञा नहीं मानता था। खैर, यहां पर जो भी हो, जब गांधी स्कूल में अछूतों से छू जाता था तो अपने माता-पिता को बताता ही क्यों था? अगर बता भी देता, तो मुस्लिम को छूने की जरूरत क्या थी और मुस्लिम को ही क्यों छूता था? इस पर तो बहस या सवाल कर ही सकता था, अगर तब नहीं, तो भाषण देते समय ही बता देता कि मुस्लिम को ही क्यों छूता था, क्योंकि वो अकेला तो नहीं था जो यह टोटका करता होगा। यहां गांधी को पहले अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, उसे हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मण के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। फिर अंग्रेजी स्कूल में बैठाया गया। यहां गांधी के परिवार का अंग्रेजी सभ्यता से कोई दिक्कत नहीं है और न ही गांधी को है। यह गांधी राम रक्षा सीखता है और विष्णु पूंजिका, क्या इसी से देश चलने वाला था? क्या यह विज्ञान को पीछे छोड़ने वाला था? क्या विज्ञान की जगह ले सकता था? तो फिर गांधी अंग्रेजी सभ्यता की तरफ क्यों भागा? यहां राम रक्षा में भी बताया जाता था कि अछूतों से दूर रहो, वे पापी हैं।

यहां एक और बात कहना चाहूंगा, लाढ़ महाराज का कुष्ठ रोग रामायण पढ़कर दूर हो गया, लेकिन क्या रामायण को पढ़कर किसी का मन का मैल (जो अछूत को पापी समझते थे) दूर हुआ था? गांधी जोर देकर कह रहा है छूआछूत पाप नहीं, तो आइये देखते हैं- गांधी ने छूआछात मिटाने के लिए क्या किया?

गोखले ने गांधी से जोर देकर कहा था कि वह अपने राष्ट्र से बहुत दूर हैं। वह चाहते थे कि गांधी भारत आएं और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की स्थिति जानें (गांधी अपने देश की स्थिति को नहीं देखता, लेकिन वह साउथ अफ्रीका के भारतीयों को बचाने में लगा था)। मैं इस संबंध में मद्रास के प्रकाशक टैगोर एंड कंपनी द्वारा सन 1922 में प्रकाशित पुस्तक 'यंग इंडिया' से गांधी के जीवन संबंधी एक टिप्पणी का उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें दर्शाया गया है कि जब से गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखा, इस बारे में उनके कौन-कौन से मुख्य कार्य रहे हैं। [गांधी और गांधीवाद पृ. 37]

गांधी 2 अक्टूबर, 1869 को पैदा हुए थे……..वर्ष 1894 से 1915 तक वह दक्षिण अफ्रीका में रहे। उस अवधि में उन्होंने अछूतों के विषय में कभी सोचा तक नहीं और ऊखा की भी कोई खोज खबर नहीं ली। (गांधी और गांधीवाद पृष्ठ 39) गांधी 1915 में भारत वापस आए। क्या तब उन्होंने अछूतों की कोई चिंता की? मैं उपरोक्त जीवनवृत्त से ही निम्नलिखित अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ: "सन 1915 में भारत वापस आए… 6 वर्ष की साधारण कारावास की सजा हुई

(पृष्ठ 39)। यह टिप्पणी में कुछ रह गया है, चलो उसको भी जोड़ते हैं। "वर्ष **1919** में ब्रिटिश साम्राज्य से... **25** लाख रुपये एकत्र किए।" **(पृष्ठ 40)** मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल करने के इरादे से उन्होंने खिलाफत आंदोलन का पक्ष लिया और खिलाफत आंदोलन के पक्ष में हिन्दुओं को गोलबंद करने का भरसक प्रयत्न किया। (जबकि जिन्ना इसके लिए मना करता रहा)। लेकिन इस समय तक अछूतों के लिए क्या किया? अब यहां कुछ लोग बारदोली आंदोलन की बात बताएंगे, तो यह सच है कि बारदोली कार्यक्रम में अछूतों का उत्थान भी एक मुद्दा था। परंतु... सन् **1921** में बारदोली कार्यक्रम के संबंध में गांधी की कारगुजारियों के बारे में यही कुछ कहना काफी होगा। **(पृष्ठ 40,41)**

गांधी ने सन् **1922** के बाद अछूतों के लिए क्या किया? वर्ष **1924** में वह जेल से रिहा किए........ कस्तूरबा फंड के संग्रह में लगे रहे **(पेज 41) 1924** में गांधी को मौका मिला था कि वह छूआछात मिटाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और अपने आंदोलन को प्रभावकारी बना सकते थे, परंतु गांधी ने क्या किया? कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में वर्ष **1922** से **1924** के बीच का...... इन पांच बहिष्कारों का खुद पालन नहीं करते, वे स्वतः ही अपनी उम्मीदवारी खो बैठेंगे **(पेज 41-43)**। उस समय भी गांधी के पास मौका था कि छूआछात के विरुद्ध आंदोलन छेड़ सकते थे। वह ऐसा प्रस्ताव ला सकते थे कि यदि कोई हिंदू अपने को कांग्रेस का सदस्य बनवाना चाहते हैं, तो पहले उन्हें प्रमाण देना होगा कि वे छूआछात नहीं मानते और अपने प्रमाण की पुष्टि में अपने घरेलू काम-काज के लिए अछूत को नौकर रखे हुए हैं, यह दिखाना होगा। इसके सिवाय और कोई प्रमाण यही माना जाएगा **(पेज 43)**।

(आपको बता दूं, उस समय अछूत, शूद्रों को छोड़कर सब लोग नौकर रखते थे। गांधी के घर में भी नौकर थे 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' पेज **20** पर देखें। गांधी का एक पुराना नौकर गांधी के पिता की देखभाल करता है जब उनके पिता के भगंदर फोड़ा निकल आता है। टट्टी उठाना, मरे हुए पशुओं को उठाना, इन कामों के लिए भंगी व अछूत होते थे। जमीन जोतने के लिए शूद्रों को भी काम पर लगा लिया जाता था, लेकिन घर के अंदर का काम इनसे नहीं कराया जाता था। और 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' पेज **102** पर गांधी बोलता है, डरबन में मैंने जो घर बसाया था, उसमें परिवर्तन तो किए ही थे। खर्च अधिक रखा था, घर साफ रखने के लिए एक नौकर था। पाखाना साफ करने के लिए तो म्यूनिसिपैलिटी का नौकर आता था।)

अछूतों ने दो सत्याग्रह जोरों सोरों से किए और भी सत्याग्रह किए थे, उन्होंने लेकिन वे दोनों सत्याग्रह ही मुख्य सत्याग्रह थे क्योंकि अछूतों और उनके विरोधी सवर्ण हिंदुओं दोनों ने ही उन पर अपना पूरा जोर लगा दिया था। हजारों अछूत आदमियों और औरतों ने इन सत्याग्रहों में भाग लिया......... उल्टे कड़े शब्दों में उस सत्याग्रह की निंदा की **(पेज 44)**।

गांधी ने कहा, "इस सत्याग्रह का इस्तेमाल विदेशियों को भगाने के लिए करो, अपने ही देश के भाइयों के खिलाफ नहीं।"

आमरण अनशन गांधी का दूसरा हथियार है। ऐसा कहा जाता है गांधी ने कुल 21 अनशन किए, इनमें से कुछ हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए और अधिकांश अपने आश्रम में रहने वालों द्वारा किए गए अनैतिक आचरण का प्रायश्चित करने के लिए किए गए थे। इसमें एक सत्याग्रह बम्बई की सरकार के उस आदेश के विरोध में भी था, जिसमें बम्बई सरकार ने जेल के एक कैदी श्री पटवर्धन द्वारा मांग करने पर भी उसे झाड़ू लगाने का काम देने से इंकार कर दिया था।

इन 21 अनशनों में एक भी छूआछात निवारण के लिए नहीं किया गया। वर्ष 1933 में गांधी ने दो आंदोलन चलाए। पहला मंदिर प्रवेश का था, उन्होंने उस आंदोलन को दो तरीकों से चलाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली। पहला था, अछूतों के लिए गुरुवायूर मंदिर खोलना। दूसरा था, श्री रंगा अय्यर द्वारा पेश किए गए मंदिर प्रवेश विधेयक को केंद्रीय विधानमंडल में पास कराना। गांधी ने कहा था कि यदि निश्चित तिथि तक गुरुवायूर मंदिर अछूतों के लिए नहीं खोला गया, तो वह आमरण अनशन करेंगे। लेकिन गुरुवायूर मंदिर तो अब तक अछूतों के लिए बंद है। गांधी का आमरण अनशन के वचन धरा का धरा रह गया। वास्तव में गांधी ने गवर्नर जनरल से मंदिर प्रवेश विधेयक को पेश करने की मंजूरी हासिल करने के लिए खूब प्रयास किया था और गांधी सफल भी हुआ था, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने विधेयक के समर्थन का वादा किया था, उसने केंद्रीय सभा में विधेयक को चयन समिति को भेजने से इनकार यह कहते हुए कर दिया कि इस विधेयक से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। साफ-साफ शब्दों में बताऊं तो सवर्ण हिन्दू कभी यह नहीं चाहते कि अछूत, शूद्र भी उनकी कभी बराबरी करे। इस विधेयक के फेल होने से श्री रंगा अय्यर को बड़ी निराशा हुई। लेकिन गांधी ने इसकी कोई परवाह नहीं की (क्योंकि गांधी कांग्रेस का ही एजेंट था)।

दूसरा आंदोलन हरिजन सेवक संघ की स्थापना था। यह आंदोलन भी 1933 में शुरू किया था। सारे भारत में इस संस्था की शाखाओं का जाल बिछाया गया। इस संघ की स्थापना करने के 3 उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य यह बताना था कि हिन्दू अछूतों के प्रति बहुत दया भाव रखते हैं और उन्हें अपना समझते हैं, और उनके उत्थान कल्याण के लिए उदारतापूर्वक धन दे सकते हैं। दूसरा दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटने में अछूतों की मदद करना। तीसरा अछूतों के मस्तिष्क में उन हिंदुओं के प्रति विश्वास जमाना जो राजनीतिक मामलों में उनसे दुराव की नीति अपनाते थे। इन तीनों में से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। पहले ही झटके में हिन्दुओं ने संघ के लिए 8 लाख का चंदा एकत्र किया, लेकिन यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए दिए गए करोड़ों रुपये के चंदे की तुलना में नहीं के बराबर था। इसके बाद हिंदुओं ने अपना हाथ खींच लिया। अब संघ अपने खर्चे के लिए या सरकारी अनुदान पर निर्भर करता है अथवा कुछ धनी वणिकों

की दानशीलता पर निर्भर कर रहा है, जो अछूतों से प्रेम होने के कारण नहीं, वरन यह सोचकर दान करते हैं कि गांधी को प्रसन्न रखना उनके लिए लाभदायक है।

संघ की शाखाएं साल दर साल बंद कर दी जाती रही हैं। संघ इतनी तेजी से सिकुड़ रहा है कि शीघ्र ही शाखा रहित केंद्र रह जाएगा। संघ किसी की भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। संघ अछूतों को अपने प्रबंधन से कठोरता से अलग रखता है। यहां गांधी को पुनः अवसर मिला था कि वह संघ को हिंदुओं और अछूतों के बीच सेतु बना पाते। संघ की गतिविधियों में अछूतों को शामिल करके उसके कार्यक्रम में सुधार करके वह संघ को एक मजबूत और साहसी संस्था बना सकते थे। परंतु गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। संघ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और गांधी के जीवनकाल में ही उसका अंत हो जाएगा। जब गांधी ने जो मंदिर प्रवेश अभियान चलाया वह तो फेल हो चुका था, लेकिन अछूत सत्याग्रह करते ही रहे थे, तो उनके लिए मंदिर खोले गए थे। इस पर खुद कांग्रेस ही आंकड़े जारी करती है, देखे- **17** अगस्त, **1939** को बंबई विधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्य श्री० बी० के गायकबाड़ ने प्रश्न किया कि बंबई प्रेसिडेंसी में सन् **1932** से जब से गांधी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया है, तब से अछूतों के लिए कितने मंदिर खोले गए हैं? कांग्रेसी मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार खोले गए मंदिरों की संख्या **142** थी, उनमें से **121** मंदिर बिना मालिक के और बिना पंडित के थे, जो सड़कों के किनारे वीरान पड़े थे, जिनकी देखभाल कोई नहीं करता था और जिनमें कभी पूजा के लिए कोई नहीं जाता था, वहां सिर्फ आवारा कुत्ते ही अपना घर बनाकर रहते थे। दूसरा तथ्य यह सामने आया कि गुजरात में गांधी के अपने जिले में एक भी मंदिर अछूतों के लिए नहीं खोला गया था। गांधी के **10** मार्च, **1940** के गुजराती समाचार पत्र 'हरिजन बंधु' में कहा गया- "अछूतों के पाठशालाओं में प्रवेश पाने के संबंध में अभी भी छूआछात जितना बाधक गुजरात में है, उतना और कहीं नहीं है।"

(Reference - संजाना के ‘सेस एंड नॉनसेंस इन पोलिटिक्स से अछूत**)**

असल में गांधी को छूआछात निवारण की अपेक्षा चरखा कातने का प्रचार प्रसार करने में अधिक रुचि थी। 'क्या इससे यह नहीं प्रतीत होता कि छूआछात निवारण का गांधी के कार्यक्रम में कोई विशेष स्थान नहीं है या फिर वह उनकी कार्यसूची में है ही नहीं? क्या इससे स्पष्ट नहीं हो जाता कि गांधी के बयान कि छूआछात हिन्दू धर्म पर धब्बा है और छूआछात निवारण के बिना स्वराज नहीं होगा- केवल लारालप्पा ला धाई धप्पा धाई से ज्यादा और कुछ नहीं?

स्वराज आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी ने अछूतों से ब्रिटिश सरकार का पक्ष नहीं लेने का अनुरोध किया था।

गांधी बोलता है कि वह स्वराज प्राप्ति के आंदोलन की योजना तैयार करने में व्यस्त था और उसी कारण उन्होंने छूआछात की समस्या की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला" बड़ा ही गजब स्पष्टीकरण दिया है **1915** से पहले स्वराज कहां था? गोखले के बुलाने पर गांधी भारत आता है और सत्याग्रह करता है एक गन्ने के लिए, दूसरा मील मजदूरों के लिए। तब उसका स्वराज कहां था? मजदूर और किसानों की परेशानी समझ गया, लेकिन छूआछात नहीं समझ पाया।

पूना पैक्ट अछूतों की मांगों का विरोध करना, मुसलमानों को खरीदने की कोशिश करना, ब्रिटिश सरकार को धमकी देना सिर्फ इसलिए कि वह अछूतों को उनका हक न दें। गांधी छूआछात निवारण के लिए सत्याग्रह अभियान या अनशन क्यों नहीं करता? गांधी केवल छूआछात पर, धर्मोपदेश देने तक क्यों सीमित रह जाता है? गांधी धर्मोपदेश के अलावा कुछ नहीं करेगा, इसके बार में सही कारण अछूतों की जानकारी में सबसे पहले सन् **1929** में आए। तब अछूतों द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी में अपने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए, मंदिर प्रवेश एवं सार्वजनिक कूओं से पानी लेने के लिए, हिन्दुओं के विरुद्ध सत्याग्रह जारी था। एक आशा थी कि इस सत्याग्रह में गांधी का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा, और गांधी को समर्थन करना भी चाहिए क्योंकि सत्याग्रह का यह हथियार गांधी का ही था। खैर जब सभी लोगों द्वारा गांधी से समर्थन करने की अपील की गई तो गांधी ने हिंदुओं के विरुद्ध छेड़े गए सत्याग्रह अभियान की निंदा करते हुए बयान जारी करके अछूतों को आश्चर्य में डाल दिया। इस विषय में गांधी का तर्क यह था- सत्याग्रह का प्रयोग केवल विदेशियों के विरुद्ध किया जाना चाहिए। अपने ही भाइयों अथवा देशवासियों के विरूद्ध नहीं। क्योंकि हिन्दू अछूतों के भाई हैं, इसी देश के वासी हैं। अपने इस तर्क से गांधी ने अपने सत्याग्रह जैसे हथियार को बकवास साबित कर दिया।

श्री ए.वी. ठक्कर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि मैं **22** तारीख को प्रातः गरासिया जाति के नेताओं से मिला। उन्होंने कहा कि वे इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि स्कूल में ढेरों और चमारों के बच्चे उनके बच्चों के साथ बैठे। **23** तारीख को मैं अहमदाबाद के जिलाधीश से इस उम्मीद से मिला कि शायद इससे कोई रास्ता निकल जाए, परंतु सब व्यर्थ। इस प्रकार हरिजन बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने से वंचित कर दिए गए, परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की। इससे हरिजनों में इस कदर निराशा घर कर गई है कि वे सब के सब गांव छोड़कर दूसरे गांव जाने की सोच रहे हैं। जब यह रिपोर्ट गांधी को दी गई तो उन्होंने क्या किया? गांधी ने यह सलाह दी- "आत्म सहायता के बराबर कोई सहायता नहीं... उन गरीब परिवारों की मदद करेंगे।"

(गांधी और गांधीवाद पेज **64) [Reference -** हरिजन **5** अक्टूबर**, 1925]**

(गांधी ने काविठा के अछूतों को अपनी जन्मभूमि त्यागने की सलाह तो दी, परंतु उन्होंने श्री ठक्कर को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वह काविठ के हिन्दुओं पर मुकदमा चलवाएं और अपने

अधिकार प्राप्त करने में अछूतों की पूरी सहायता करें? इसके लिए गांधी हिन्दुओं की नाराजगी मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। इस सबसे स्पष्ट है कि गांधी हिन्दुओं के भले बनकर ही रहना चाहते हैं। इसीलिए तो हिन्दुओं के विरुद्ध जो सत्याग्रह अछूतों ने छेड़ा, उसका गांधी ने विरोध किया। और यही कारण है कि गांधी ने अछूतों की मांगों का विरोध किया। इसका एक और कारण यह है कि गांधी नहीं चाहता कि अछूत संगठित हो और शक्तिशाली बनें। गांधी को डर है कि इससे वे हिन्दुओं की दासता से मुक्त हो जाएंगे।)

Page, 59-63 हरिजनों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा, स्वच्छ हरिजन भी मंदिर होटल में प्रवेश नहीं पा सकता, हिन्दू होटल हो या ईरानी होटल में भी उन्हें चाय तक नसीब नहीं होती। **10** वर्षों की मेहनत के बाद भी यही हाल है। यहां हरिजन सेवक संघ की स्थापना **1933** में हुई थी और **Page 59,60,63** पर **1944** तक के आंकड़े दिखाए हैं। तो हरिजन सेवक संघ बनाई ही क्यों थी? हरिजन सेवक संघ का पूरा उद्देश्य अछूतों में अपने हिन्दू स्वामियों के प्रति दास मनोवृत्ति पैदा करना है। हरिजन सेवक संघ ने छोटी-मोटी सेवाएं करके ऐसे कृतज्ञ अछूतों का एक झुंड इकट्ठा कर लिया था, जिनका काम प्रचार करना था कि गांधी और हिन्दू ही अछूतों के संरक्षक हैं। अंधविश्वास वाले लोग भी गांधी से जुड़े थे, जो हर धर्म में आपको मिल जाएंगे। कुछ अछूतों की मांग थी कि संघ अछूतों को सौंप दिया जाए और उसका संचालन वे स्वयं करें। कुछ अन्य अछूत मांग कर रहे थे कि संघ के मुख्य संचालक बोर्ड में अछूतों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। गांधी ने यहां पहला तर्क यह दिया कि हरिजन सेवक संघ हिन्दुओं में छूआछात के पाप का प्रायश्चित करने का माध्यम है। हिन्दू ही हैं जिन्हें अपने किए पर प्रायश्चित करना है। इसीलिए अछूतों को संघ के संचालन में कोई स्थान नहीं मिल सकता। दूसरा तर्क यह था कि एकत्र किया गया धन हिन्दुओं से प्राप्त हुआ है, अछूतों से नहीं, और क्योंकि वह धन अछूतों से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अछूत संघ संचालन बोर्ड के प्रतिनिधि नहीं बन सकते।

(यहां गांधी की अस्वीकृति बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन उनके तर्क इतने अपमानजनक हैं कि कोई भी स्वाभिमानी इस संघ से वास्ता रखने से इंकार कर देगा। इसका मतलब यह था कि जो संघ को पैसा दे रहे थे, वह सिर्फ गांधी को पैसे दे रहे थे, न कि अछूतों को, इसीलिए अछूत संघ में नहीं जा सकते थे। तो फिर संघ का काम क्या था? क्या वह लोगों के दिल-दिमाग में यह नहीं डाल पा रहा था कि अछूत भी इंसान हैं?)

हरिजन सेवक संघ एक न्यास (ट्रस्टीशिप) के समान है और अछूत उस संस्था से लाभ प्राप्त करता है। कानून और प्राकृतिक न्याय को जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को मानेगा कि सभी लाभार्थियों को उस न्यास के उद्देश्य और लक्ष्य जानने का पूरा अधिकार है और उन्हें यह भी जानने का अधिकार है कि धन के उपयोग के विषयों में कोई अनियमितताएं तो नहीं बरती जा रही हैं। लाभार्थियों को यह भी अधिकार है कि वे उस न्यासी को हटा सकते हैं, जिसने उनका विश्वास खो दिया है। स्पष्ट है कि गांधी इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

गांधी जो ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज में अपना न्यास (ट्रस्टीशिप) को प्रचारित कर रहा है, वह तो यहीं फेल हो गया।

हरिजन सेवक संघ के संचालन में अछूतों को भाग न लेने देने के यही वास्तविक कारण नहीं हैं। वास्तविक कारण तो इससे भिन्न है। पहला, यदि संघ अछूतों को सौंप दिया जाए, तो गांधी और कांग्रेस के पास अछूतों पर नियंत्रण का और कोई साधन नहीं रह जाएगा। अछूत हिन्दुओं की कृपा पर रहना बंद कर देंगे। दूसरी बात, स्वतंत्र हो जाने पर अछूत अपने कल्याण के लिए हिन्दुओं की कृतज्ञता जताना बंद कर देंगे। क्या यह व्यवहार में अछूतों के उत्थान की सच्ची इच्छा के अनुरूप है? क्या गांधी अछूतों के मुक्तिदाता कहे जा सकते हैं? इन हजार वर्ष की गुलामी में हिन्दुओं ने अछूतों पर सिर्फ **8** लाख रूपये की ही दया दिखाई, वो भी तब जब खुद गांधी भीख का कटोरा लेकर पूरे देश में घूमा। गांधी कहीं भी यह नहीं कहते कि अस्पृश्यता के स्पर्श हो जाने से नहाना अनिवार्य नहीं है। गांधी ने तो बहुत ही स्पष्ट कहा है कि अस्पृश्यता के निवारण का अर्थ हिन्दुओं के बीच अंतरजातीय सहभोज और अंतरजातीय विवाह बिल्कुल नहीं है। **[Reference-1921-22** के गुजराती पत्र 'नवजीवन' में देखें, व यह आलेख ग्यारहवे खंड में पुनः मुद्रित गांधी शिक्षण सीरीज के **18**वें अध्याय के रूप में संकलित हैं**]**

गांधी के अस्पृश्यता के निवारण का अर्थ तो बस इतना है कि अस्पृश्य को अतिशूद्र की श्रेणी से उठाकर शूद्र वर्ग में रख दिया जाए। इससे अधिक और कुछ नहीं।। लेकिन यहां एक दिक्कत है, क्या वह वर्ग अछूतों को अपनायेगा, उनके साथ खाना खाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, शूद्र भी अछूतों को मारे, घर आये तो भगाये। इसलिए गांधी ने एक चाल खेली, जनता को जिनको अतिशूद्र कहा जाता था, अछूत न कहकर हरिजन कह दिया। इससे शूद्र भी खुश, अछूत भी खुश, और सवर्ण हिन्दू तो होंगे ही खुश, क्योंकि हरिजन का सही अर्थ तो उन्हीं को पता है। क्योंकि अछूत गांव के बाहर रहते थे, इसलिए शास्त्र वगैरा वह नहीं जानते थे। इसलिए हरिजन का अर्थ भी उनको नहीं पता था और उन्होंने इस पर कुछ न कहा, बल्कि इसको स्वीकार कर लिया। हां, उन लोगों को जैसे-जैसे इसका अर्थ समझ आता गया, वैसे-वैसे उन्होंने इससे दूरी बना ली और आज अपने को हरिजन कहने वाला शायद ही कोई अछूत बचा हो।।

यह सच है कि गांधीवाद शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के अस्पृश्यों के अधिकार पर हिन्दू शास्त्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए तैयार है। गांधीवाद के अन्तर्गत वे कानून, डाक्टरी, इंजीनियर व किसी भी क्षेत्र में शिक्षा हासिल कर सकते हैं, यहां तक तो ठीक है। परन्तु क्या अस्पृश्य अपने ज्ञान के इस्तेमाल के लिए भी स्वतंत्र हैं? क्या उन्हें अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होगी? गांधीवाद के अनुसार, अस्पृश्यों को निश्चित तौर पर अपना पैतृक व्यवसाय ही अपनाना होगा। उसमें पसंद-नापसंद का कोई सवाल न था। हां, आप और कोई भी काम सीख सकते हो, लेकिन उसे अपनी आजीविका नहीं बना सकते, करना आपको पैतृक पेशा ही होगा। इस सबके बारे में डिटेल में वर्णव्यवस्था वाले चैप्टर में देखो।

अछूतों की जिन्दगी कैसी थी? इसके लिए गांधी और गांधीवाद पेज **59-64** पर देखें, व कांग्रेस और गांधी ने क्या किया, पेज **24-30** देखें।।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग पेज **87**, गांधी कांग्रेस के बारे में बताता है, उनके जैसे स्वयंसेवक थे। वैसे ही प्रतिनिधि थे। उन्हें भी इतने दिनों की तालीम मिलती थी। वे अपने हाथ से अपना कोई भी काम न करते थे। सब बातों में उनके हुक्म छुटते रहते थे, स्वयंसेवक यह लाओ, स्वयंसेवक वह लाओ, चला ही करता था। छूआछूत को मानने वाले वहां बहुत थे। द्रविड़ी रसोई बिल्कुल अलग थी। उन प्रतिनिधियों को तो 'दृष्टिदोष' भी लगता था.........रसोइघर क्या थी, वह एक तिजोरी थी। वह कहीं से भी खुली न थी। मुझे यह वर्णधर्म उल्टा लगा। कांग्रेस में आनेवाले प्रतिनिधि जब इतनी छूआछात रखते हैं, तो उन्हें भेजने वाले लोग कितनी रखते होंगे?. ....गंदगी की हद नहीं थीथी.......पाखाने कम थे। उनकी दुर्गंध की याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंने एक स्वयंसेवक को यह सब दिखलाया, उसने साफ इनकार करते हुए कहा, "यह तो भंगी का काम है।" मैंने झाड़ू मांगा, वह मेरा मुँह ताकता रहा। मैंने झाड़ू खोज निकाला, पाखाना साफ किया। पर यह तो मेरी अपनी सुविधा के लिए हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा थी और पाखाने इतने कम थे कि हर बार उपयोग के बाद उनकी सफाई होनी जरूरी थी। यह मेरी शक्ति के बाहर की बात थी”

गुरुवयूर के मंदिर में अछूतों के प्रवेश हेतु केलप्पन जी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो मंदिर प्रवेश आंदोलन का एक भाग था। इसी के साथ मद्रास विधान परिषद के एक सदस्य डॉ. सुब्बारायन ने केंद्रीय सभा में मंदिर प्रवेश का विधेयक पेश किया था। इसी प्रकार विधेयक सी.एस. रंगा अय्यर, दूसरा हरिविलास शारदा, तीसरा लालचंद नवलराय, चौथा एम.आर. जयकर ने पेश किया था। इस आंदोलन में गांधी ने भी भाग लिया। **1932** से पहले गांधी अस्पृश्यों के हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने के सर्वथा विरुद्ध थे। गांधी के शब्दों में, "यह कैसे संभव हो सकता है कि अन्त्यज (अस्पृश्य) के पास सभी वर्तमान हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार हो? वर्णाश्रम के विद्यमान रहते हिन्दू धर्म और हिंदू ग्रंथों को प्रमुख स्थान मिला हुआ है, यह कहना कि प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू मंदिर में प्रवेश कर सकता है, आज यह असंभव है।" **[Reference-** गांधीजी शिक्षण, भाग दो, पृष्ठ **132** तथा कांग्रेस और गांधी पेज **119]**

इसलिए गांधी द्वारा मंदिर प्रवेश के आंदोलन में भाग लेना बड़े आश्चर्य की बात है या क्या गांधी ने यह फैसला हृदय-परिवर्तन के कारण बदला? दरअसल, गांधी को लगा कि कहीं पूरा विभाजन न हो जाए, तथा गांधी अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक अधिकारों के दावे को कमजोर करना और अस्पृश्यों तथा हिन्दू के बीच अलगाव वाली दीवार को तोड़ना था। इस आंदोलन के द्वारा अस्पृश्यों का पृथक अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, और उन्होंने वाहवाही लूटने की अपनी आदत के कारण किया। गांधी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन में बाबा साहब का समर्थन मांगा, लेकिन **B.R. Ambedkar** ने इससे साफ मना कर दिया। क्योंकि बाबा गांधी की चालों को जानते थे,

और बाबा का कहना था, "अस्पृश्यों का मंदिर प्रवेश नहीं, उन्हें तो अपने राजनीतिक अधिकार चाहिए।" दूसरा यह, मंदिर प्रवेश विधेयक के लेखक ने अस्पृश्यता की प्रथा पर गंभीर रुख नहीं अपनाया था। यह विधेयक अस्पृश्यता को पापाचार नहीं मानता था, यह अस्पृश्यता को केवल सामाजिक दोषभर मानता था, यानी यह अस्पृश्यता को शराब पीने की आदत से अधिक नहीं समझता था। यह विधेयक अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित नहीं करता। इसके अलावा, दीवान बहादूर आर. श्रीनिवासन ने भी मंदिर प्रवेश का समर्थन नहीं किया। यह वही हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने प्रेस को अपने बयान में कहा था, "जब किसी दलित वर्ग सदस्य को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी... उपरोक्त तथ्य लाए गए हैं।" [कांग्रेस और गांधी 125]

यानि इसमें श्रीनिवासन ने कहा था कि कानून की जबरदस्ती से मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। गांव में सवर्ण हिन्दू खुलेआम कानून का उल्लंघन करेंगे। गांव के दलित वर्ग के लिए वह वैसा ही होगा जैसे कि कोई अस्पृश्य किसी कागज पर मिठाई लिखकर दे और अस्पृश्य से उसका स्वाद चखने के लिए कहो।

विस्तार से जानते हैं- गुरुवयूर में कृष्ण का एक मंदिर है। कालीकट का जमोरिन उस मंदिर का न्यासी है। केलप्पन नामक एक हिन्दू मालाबार में अस्पृश्यों के लिए कार्य कर रहा था, उसने उस मंदिर में अस्पृश्यों के प्रवेश करने के लिए आंदोलन आरंभ किया। कालीकट का जमोरिन, जो उस मंदिर का न्यासी था, अस्पृश्यों के प्रवेश के लिए मंदिर खोलने से इंकार कर दिया और अपने बचाव में हिन्दू धर्म दाय अधिनियम की धारा 40 का सहारा लिया, जिसके अनुसार मंदिरों के विषय में चली आ रही परंपरा-रीति-रिवाज के विरुद्ध कोई भी न्यासी कुछ नहीं कर सकता था। मा. केलप्पन ने 20 सितम्बर, 1932 को सामने धूप में बैठ कर भूख हड़ताल शुरू कर दी। जमोरिन ने इस फजीहत से छुटकारा पाने के लिए गांधी से अपील की कि वह केलप्पन को कुछ समय तक अनशन स्थगित करने के लिए कहें। गांधी के कहने पर केलप्पन ने 10 दिन अनशन करने के बाद 1 अक्टूबर, 1932 को तीन महीने के लिए अपना अनशन स्थगित कर दिया। गांधी ने जमोरिन को कहा कि केलप्पन जी ने उनके अनुरोध पर अनशन स्थगित किया था। इसलिए अस्पृश्यों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए वह जिम्मेदार हो गए हैं। 5 नवम्बर, 1932 को गांधी ने प्रेस को बयान छापने को दिया, "केरल के गुरुवयूर... मुझे विवश होकर केलप्पन के साथ ही अनशन करना पड़ेगा।" (कांग्रेस और गांधी, पृष्ठ 128)

जमोरिन ने इसे मानने से इंकार कर दिया और गांधी के जवाब में प्रेस को ये बयान छापने को कहे, "अस्पृश्य लोगों के लिए मंदिर प्रवेश... आंदोलन के समर्थक चाहते..." (पृष्ठ 128)

गांधी के लिए इन परिस्थितियों में अनशन करना आवश्यक और अनिवार्य हो गया था, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। गांधी ने अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हुए कहा कि यदि पोन्नती

तालुक में जनमत-संग्रह कराया जाए, जहाँ पर मंदिर स्थित है और यह फैसला हो कि वहां के अधिकांश लोग अस्पृश्य लोगों के लिए मंदिर खोलने के विरुद्ध हैं, तो मैं अनशन रोक दूंगा। तदनुसार जनमत-संग्रह किया गया। परिणाम यह घोषित हुआ कि **56%** मंदिर प्रवेश के पक्ष में, **9%** विरोध में, **8%** निष्पक्ष, और **27%** ने मतदान नहीं दिया। असल में इनको मतदान से बाहर जानबूझकर रखा गया था। लेकिन फिर भी इस परिणाम पर गांधी? अनशन को बचनवद्ध थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। इसके बजाय, **21** दिसम्बर, **1932** को गांधी ने ये बयान छापने को दिये, "इस शासकीय घोषणा... अनशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और सरकारी फैसले तक स्थगित रहेगा। केलप्पन जी इस स्थगन से सहमत हैं।" **(**पृष्ठ **128)**

वायसराय ने विधेयक पेश करने की अनुमति दे दी। फिर भी गांधी ने अनशन नहीं किया। इसको और समझने के लिए देखें पृष्ठ **129-136** पर।

इन सबके निचोड़ में मैं बता देता हूं, गांधी और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अछूतों के साथ विश्वासघात किया था। गांधी के सिपहसालार राजगोपालाचारी ने भी अछूतों के साथ विश्वासघात किया था, और गांधी राजगोपालाचारी को दोषी ठहराने के बजाय रंगा अय्यर को इसलिए दोषी ठहराते हैं क्योंकि उन्होंने विधेयक पर कांग्रेसी समर्थन की वापसी पर आक्रोश में आकर भर्त्सना की थी।

अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करने पर गांधी अपनी स्थिति बदल देते हैं और मंदिर प्रवेश के समर्थक बन जाते हैं। किन्तु जब चुनावों में कांग्रेस को हराने की हिन्दू धमकी देते हैं, तब गांधी मंदिर प्रवेश विधेयक को माचिस दिखा देता है। इस पर अंबेडकर पूछते हैं, क्या यही ईमानदारी है?

ट्रावनकोर के महाराजा ने दिनांक **12** नवम्बर, **1936** को अपने राज्य में अस्पृश्यों के प्रवेश हेतु मंदिर खोलने की घोषणा की- "अपने धर्म में सत्य..........अब भविष्य में किसी भी हिंदू को जन्म अथवा धर्म के आधार पर हमारे राज्य द्वारा संचालित एवं नियंत्रित मंदिरों में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।" **(**गांधी और कांग्रेस पृष्ठ **305)**

कांग्रेस और गांधी द्वारा इस घोषणा पर बहुत कुछ कहा गया। लेकिन यहां जानना यह जरूरी है कि यह बोल भले महाराज के थे, लेकिन वास्तव में इसके पीछे उनके प्रधानमंत्री सर सी. पी. रामास्वामी अय्यर का भरपूर योगदान था।

अब सवाल यह है कि ये करने के लिए राजी कैसे हुए थे। इसके पीछे एक वजह है, दरअसल सन् **1936** में ट्रावनकोर में इजवा जाति का एक सम्मेलन हुआ, इजवा मालाबार क्षेत्र में अस्पृश्य से संबंधित है। और इस जाति के लोग मालाबार के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। यह पढ़ा-लिखा समाज है और इसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। यह एक जागरूक समाज भी है और राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों के विरोध में आंदोलन भी किया करता है।

यह सम्मेलन इस बात पर विचार करने के लिए बुलाया गया था कि इजवा लोग कोई अन्य धर्म अपनाने हेतु हिन्दू धर्म को त्याग दें या नहीं। इजवा लोग बड़ी संख्या में हैं। इतनी बड़ी जाति का हिंदू धर्म से नाता तोड़ना हिन्दुओं की कब्र खोदने के समान था, और उस सम्मेलन ने इस खतरे को वास्तविक भी बना दिया। **[Reference-** यह सभा सन् **1935** में येवला में मेरी (अंबेडकर) अध्यक्षता में हुई सभा में लिए गए फैसले पर विचार करने के लिए की गई थी।**]**

क्या यह मंदिर प्रवेश इजवा जाति को धर्मपरिवर्तन से रोकने के लिए किया गया? मद्रास विधानसभा में मालाबार मंदिर प्रवेश विधेयक पर चर्चा के दौरान सर पन्नीरसेल्वस द्वारा प्रस्तुत कुछ तथ्य यदि सच हैं, तो इस घोषणा का सारा खोखलापन ही स्पष्ट हो जाता है- 'सर टी. पन्नीरसेल्वस ने कहा-"प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए तर्कों में से एक ट्रावनकोर.......... उत्साह की पहली लहर के बाद हरिजनों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलने पर उन्होंने उन मंदिरों में जाना बंद कर दिया है और जो लोग उन मंदिरों में हरिजन प्रवेश से पूर्व जाया करते थे, उन्होंने वहां पूजा-पाठ करना बंद कर दिया है ....सफलता मिली है।" **(पृष्ठ 307)**

सर टी. पन्नीरसेल्वस द्वारा विधेयक के तृतीय वाचन पर दिए गए बयान से बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा- "महाराजा जानना चाहते थे कि क्या यह सत्य है कि पटरानी के निजी मंदिर को घोषणा से मुक्त रखा गया है? (यानि इस मंदिर में अछूत नहीं जा सकते थे) इसका क्या कारण था? फिर पटरानी की पुत्री के विवाह के उत्सव के दौरान यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि मंदिर की शुद्धि कराई जाए और उनसे शुद्धिकरण के लिए कहा गया जैसा कि मुझे बताया गया है ....निहितार्थ हुआ।" **(पृष्ठ 307)**

इन तथ्यों को चुनौती देने का साहस सर पी. रामास्वामी अय्यर अथवा सी. राजगोपालाचारी जैसे किसी व्यक्ति को नहीं हुआ।

यहां ऊपर प्रधानमंत्री की जो बात आई, वह सर सी. पी. रामास्वामी अय्यर थे, जो ट्रावनकोर के महाराजा के प्रधानमंत्री थे।"

पंडित मदन मोहन मालवीय.......... अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ की स्थापना करना तथा विभिन्न प्रांतों और केन्द्रों में उसकी शाखाएं खोलना था। उसका मुख्यालय दिल्ली में था, घनश्याम दास बिडला जी उसके अध्यक्ष और अमृतलाल ठक्कर उसके महामंत्री बनने वाले थे। इस संघ की स्थापना की योजना गांधी की थी। इस लीग की स्थापना का कार्य पूना पैक्ट का परिणाम था.............. गांधी को यह नाम पसंद नहीं आया और गांधी ने इसका नाम 'हरिजन सेवक संघ' रखा, जिसका अर्थ था उन लोगों की संस्था जो अछूतों की सेवा में लगे हैं। यानि हरिजन का अर्थ हुआ अछूत............इस नाम से शैवों और वैष्णवों के बीच विवाद खड़ा हो गया। विष्णु के **100** नामों में से 'हरि' एक नाम है, जबकि 'हर' शिव के **100** नामों में से एक है **(page 137) ,**

अब इस संघ को चलाने के लिए जनता से चंदा की अपील की गई - यह सारणी देखें- **(page 139)** यह सारणी (तालिका) स्पष्ट करती है कि **6** लाख रुपये एकत्र करने का इरादा किया गया था और इसे पूरे देश में अस्पृश्यता निवारण के लिए तथा इस धन को हरिजनों के उत्थान पर खर्च करना था। देसी राज्यों को मिलाकर इस योजना का प्रसार **22** प्रांतों में फैल तो चार करोड़ की राशि भी अछूतों के लिए कम थी।

हरिजन सेवक संघ को कार्य करने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से गांधी ने **7** नवम्बर, **1933** से **29** जुलाई, **1934** के दौरान देश भर की यात्रा की और **8** लाख रुपये इकट्ठे किए। चूंकि यात्रा का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों के हित में सवर्ण हिंदुओं के अंदर उत्साह पैदा करना और धन भी एकत्र करना था, अतः गांधी ने अधिकतर यात्रा पैदल चलकर की।

[Reference - हरिजन, **3** अगस्त, **1934]**

जब संघ ने, यानी गांधी को सिर्फ वाहवाही लूटनी थी तो संघ के महामंत्री ने दिल्ली में संघ के भवन में बहुत से अमेरिकी लोगों को आमंत्रित किया और उन्हें दिखाया कि गांधी जी द्वारा अस्पृश्यों के कल्याण के लिए कितना अनूठा कार्य किया जा रहा है।

माहौल इस तरह से बना दिया गया कि संघ अछूतों के कल्याण के लिए (जैसे नए कुएं खुदवाए, स्कूल खुलवाए आदि) बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रहा है?

परंतु वास्तविकता क्या है?

(Page 141)

आपको बता दूं संघ ने शुरू में ही (सारणी से) यह कह दिया था कि अछूतों के कल्याण के लिए **6** लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। लेकिन संघ ने वास्तव में खर्च कितना किया? यह उसके सचिव ने मई **1941** की अपनी रिपोर्ट में बताया कि **- 8** वर्षों में संघ ने हरिजनों के लिए अपनी विभिन्न शाखाओं और केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से क्रमशः लगभग **24,25,700** रुपये और **3,41,607** रुपये खर्च किए। समस्या की आवश्यकताओं को देखते हुए यह **27,67,307** रुपये की धनराशि अपर्याप्त है **"[Reference- Page 141,** (रपट, पृष्ठ **75)],** इस आधार पर संघ का वार्षिक व्यय **3,45,888** रुपये बैठता है, जो संघ की अपेक्षित से **50%** कम था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संघ उतना बड़ा कार्य नहीं कर रहा है जितना संघ के लोग प्रचार करते हैं। पांच करोड़ अछूतों की आबादी पर तीन लाख रुपये वार्षिक बजट से अछूतों की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती। गांधी ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए तिलक स्वराज फंड खोला, जिसमें उसने **1** करोड़ **25** लाख रुपये का चंदा इकट्ठा किया। फिर कस्तूरबा स्मारक कोष खोला, जिसमें **1** करोड़ **15** लाख रुपये का चंदा इकट्ठा किया था। इसके विपरीत हिंदुओं ने संघ के लिए चंदे के रूप में भीख दी थी, वो गांधी के नाम पर। अब संघ के कार्य पर बात करने से

पहले कि संघ किसलिए बनाया गया था, उस पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि क्या संघ निष्पक्ष था या नहीं? - इस 'हरिजन संघ' में गांधी ने एक चाल चली थी, ठीक वही चाल जो मंदिर प्रवेश विधेयक के समय चली थी, यानी बाबा साहब को अपनी तरफ करना। मंदिर प्रवेश के समय बाबा साहब ने गांधी के साथ आने से मना कर दिया था, क्योंकि बाबा गांधी की चालों को जानते थे। लेकिन इस बार बाबा पूना पैक्ट से टूट चुके थे, उन्हें अछूतों के लिए कुछ करने का और कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, सिर्फ हरिजन सेवक संघ में ही बाबा भर्ती होकर अछूतों का उद्धार कर सकते थे। इसलिए इसे जॉइन कर लिया था। इसके अलावा **Page 143** पर वह लिखते हैं "मैंने पूना पैक्ट के बाद 'भूलो और क्षमा करो' की भावना अपनाई, इसलिए हरिजन संघ में शामिल हुआ।"

लेकिन यहां गांधी की चाल साफ-साफ नजर आती है, वह बाबा को बार-बार अपनी तरफ इसीलिए लाना चाहता था, क्योंकि वह अछूतों को अपनी तरफ लाना चाहता था, जिसमें बाबा की जरूरत थी गांधी को। खैर, बाबा के कहने पर संघ में दो और लोगों को शामिल कर लिया गया, वो भी अछूत थे, उनके नाम राय बहादुर श्रीनिवास और डी.बी. नाइक थे।

लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर बाबा ने संघ छोड़ दिया। बाबा के बाद एक-दो दिन के अंदर ही श्रीनिवास और डी.बी. नाइक ने भी संघ छोड़ दिया। इन दोनों ने संघ क्यों छोड़ा, इसकी वजह तो पता नहीं, हां बाबा ने संघ क्यों छोड़ा, इसकी वजह पता है, वो ये है। - अंबेडकर, **page 143** पर लिखते हैं, "मैं हरिजन संघ में शामिल होकर कुछ करना चाहता था, मैं वास्तव में, गांधी से संघ की उस योजना के विषय में चर्चा करना चाहता था। चर्चा करने से पहले तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन से मुझे बुलावा आ गया। मैं इतना ही कर सकता था कि मैं संघ के महामंत्री ए.बी. ठक्कर जी को अपने विचार लिखकर भेज दूँ। तदनुसार मैंने स्टीमर पर से उन्हें पत्र लिखा। यह पत्र बहुत लंबा है, आप देख सकते हो, **Page 144-150** पर, पर मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ।- "अब हम एंटी-अनटचेबिलिटी लीग की योजना को मिलजुल कर चला सकते हैं.......... एंटी अनटचेबिलिटी लीग के उद्देश्य के सम्बंध में मेरा (बाबा साहब) विचार यह है कि इससे दलित वर्ग के केवल कुछ ही चुने हुए बच्चों को उन्नति करने में सहायता न मिले, बल्कि पूरे वर्ग का स्तर उठाने में वह विचार सहायक सिद्ध हो। अतः मैं नहीं चाहता कि लीग केवल स्वयं की योजना को कार्यान्वित करने में अपनी शक्ति व्यर्थ में बर्बाद करे। मैं चाहूंगा कि बोर्ड अपनी सारी शक्तियों को ऐसी योजना पर केंद्रित करे, जिससे दलित वर्ग के लोगों को स्वच्छ सामाजिक वातावरण मिल सके। इसमें बाबा साहब ने बोला था नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का आंदोलन चलाएंगे हम, क्योंकि सबसे पहले तो दलित वर्गों और सवर्ण हिंदुओं के बीच दंगे-फसाद होते हैं, जिसमें दोनों तरफ के लोगों के सिर फूटते हैं और फौजदारी के मुकदमें चलते हैं। इस लड़ाई में दलित वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पुलिस तथा मजिस्ट्रेट उनके विरुद्ध होते हैं। नागरिक अधिकारों के इस अभियान में लीग

को सफलता प्राप्त करने के लिए देहाती क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्वयंसेवक दल तैयार करने होंगे, जो दलित वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के लिए प्रोत्साहित करेंगे और कानूनी दाव-पेंचों में सफलतापूर्वक उनकी सहायता करेंगे, तो मैं लीग के इस कार्यक्रम को प्रभावकारी समझूँगा। अवसर की समानता क्योंकि दलित वर्ग के लोग अन्य लोगों की तरह गांवों में तथा शहरों में सब्जियां, दूध, घी बेचकर अपनी जीविका नहीं कमा सकते। दलितों को पुलिस में सिपाही अथवा संदेशवाहक तक नहीं बनाया जाता। कारखानों में भी वही हाल है। बुनाई के दरवाजे जैसे अधिक आय वाले विभाग उनके लिए हमेशा बंद रहते हैं। सामाजिक मेलजोल क्योंकि मेरे विचार से सवर्ण हिंदुओं के घरों में दलितों को मेहमानों अथवा नौकरों के रूप में प्रवेश दिलाने से अधिक प्रभावकारी उपाय और कोई नहीं हो सकता। अस्पृश्यों और सवर्णों में कानून द्वारा एकता नहीं लाई जा सकती- संयुक्त मतदान से भी नहीं। परस्पर प्रेम से ही उनमें समरसता लाई जा सकती है। मेरे विचार से पारिवारिक बंधन तोड़कर ही ऐसा प्रेम करना संभव होगा।"

बाबा जब यह पत्र ठक्कर को भेजते हैं तो बाबा के प्रस्तावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और यहां तक कि कोई पावती भी नहीं भेजी गई। इसके बाद बाबा संघ को छोड़ देते हैं।

बाबा के संघ छोड़ने के बाद ही संघ ने अपना जहरीला चेहरा सबके सामने खुल के रख दिया। बम्बई में **30** सितम्बर, **1932** को कावसजी जहांगीर हॉल में जो बैठक हुई, उसमें लीग के उद्देश्यों को निम्नलिखित ढंग से बताया गया-

"अस्पृश्यता के विरोध में प्रचार ………… जबरदस्ती नहीं की जाएगी, बल्कि केवल शांतिपूर्ण ढंग से समझा-बुझा कर सभी सार्वजनिक कुएं, धर्मशालाएं, सड़कें……… मंदिर दलित वर्गों के लिए खुले घोषित किए जाएंगे।" **(पृष्ठ 150)**

परंतु उसके उद्घाटन के **2** महीने बाद **3** नवम्बर को घनश्याम दास विडला और ए. बी. ठक्कर ने एक बयान इस प्रकार जारी किया- "इस लीग को विश्वास है कि समझदारी सनातनी हिंदू अस्पृश्यता निवारण के उतना ज्यादा विरुद्ध नहीं है जितना कि अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाहों के विरुद्ध है। चूंकि लोगों की इच्छा नहीं कि संघ अपनी सीमा के बाहर जाकर सुधारों को अपने हाथों में ले, इसलिए……….. जातिप्रथा की समाप्ति और अंतर्जातीय सहभोज जैसे समाज-सुधार के कार्य सीमा से बाहर रखे गए हैं।"

संघ का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वह अछूतों को अपने अधिकार लेने से रोक रहा था, पूना पैक्ट के बाद गांधी अछूतों को अपनापन दिखाने का ढोंग कर रहा था। वह नहीं चाहता था अछूत हिंदुओं से अलग हों - संघ का उद्देश्य या काम सिर्फ राजनीतिक था। हां, यह सच है कि मूल विचार संघ को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना था, **3** नवम्बर, **1932** को जारी किए गए बयान में कहा भी गया था- "लीग बिना किसी ……………वह राजनीतिक अथवा

धार्मिक किसी भी प्रकार के प्रचार से अपने को नहीं जोड़ेगी।... . . धार्मिक प्रचार में भाग नहीं ले सकते।"

इसके बावजूद इस घोषणा पर अमल कम उल्लंघन अधिक हुआ। हरिजन सेवक संघ एक राजनीतिक संस्था है, जिसका प्रत्यक्ष लक्ष्य और उद्देश्य अस्पृश्यों को कांग्रेस में लाना है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं- मैं यह बता सकने की स्थिति में हूं कि हरिजन सेवक संघ की बम्बई शाखा ने अपने कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण के कारण शहर में रहने वाली कुछ अछूत जातियों को काली सूची में डालने की नीति बनाई। काली सूची में दर्ज जातियों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और अन्य प्रकार की शैक्षणिक सहायता से भी उन्हें वंचित कर दिया गया। अस्पृश्यों के राजनीतिक आंदोलन की अग्रणी और सदैव कांग्रेस के साथ महार जाति काली सूची में डाल दी गई और महार विद्यार्थियों के साथ उस समय तक भेदभाव किया जाता था, जब तक कि यह न सिद्ध कर दें कि वे कांग्रेस के विरुद्ध विचारों वाली संस्था में भाग नहीं लेते।

अंतिम उदाहरण मैं ए. वी. ठक्कर के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूं। वे हरिजन सेवक संघ के महामंत्री हैं। ठक्कर बम्बई सरकार के पिछड़ी जाति बोर्ड के सदस्य भी हैं। इस बोर्ड की स्थापना सन् **1929** में हुई थी। इस बोर्ड की बैठक समय-समय पर होती है और यह अस्पृश्यों और पिछड़ी जातियों से संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह देता है। ठक्कर जी ने बोर्ड की बैठक में सरकार से यह सिफारिश करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अस्पृश्य विद्यार्थियों की सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति में से महार छात्रों को निकाल दिया जाए। इसके लिए तर्क यह दिया गया कि महार जाति शिक्षा में काफी आगे बढ़ गई है। अतः उन्हें छात्रवृत्ति देना सरकार धन का दुरुपयोग करेगा। अतः उसे अन्य अस्पृश्य जातियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जब इसकी जांच की गई, तो उस रिपोर्ट से पता चला कि महार जाति तो अन्य अछूत जातियों में शिक्षा में सबसे पीछे है।

यह सब महार जाति को ही निशाना क्यों बना रहे थे, इसका साफ-साफ उत्तर है- अंबेडकर। हां, क्योंकि बाबा साहब महार जाति से थे और उनके भाषण अन्य जातियों, अछूत की अन्य जातियों के अपेक्षा महार जाति पर ज्यादा प्रभाव डालते थे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है चाहे व्यक्ति सही हो या गलत, उसका असर सबसे पहले अपनी जाति के लोगों पर पड़ता है। इसलिए गांधी जाति मिटाना नहीं चाहता था।

खैर, इन सबसे तो यह तो पता चल गया कि संघ का उद्देश्य कभी अछूतों के कल्याण के लिए या हुआछूत मिटाना था ही नहीं। इसके बाद कुछ सवाल रह जाते हैं। जब बाबा साहब और बाकी के दो व्यक्तियों ने भी जब संघ को छोड़ दिया था, तो गांधी ने उनकी जगह किसी और अछूत व्यक्ति को संघ में शामिल क्यों नहीं किया, जबकि उनकी जगह सवर्ण हिंदुओं को ही

शामिल कर लिया। ऐसा नहीं है कोई अछूत आ नहीं रहा था संघ में, लोग तो आना चाहते थे संघ में, देखें **(पृष्ठ 142), 14** अक्टूबर, **1944** को**… . . . . . …**।

लेकिन गांधी किसी अछूत को न तो संघ में शामिल करता है और न उसका संचालन सौंपता है। गांधी संघ को हिंदू महासभा के हाथ सौंप देता है। संघ को अब कोई हिंदू पैसा भी नहीं देता है। यह संघ मोदी की योजनाओं से ज्यादा और कुछ नहीं था, जैसे मोदी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नई-नई योजना निकालता है, लेकिन योजना के सफल होने के नाम पर लारालाप्पा ला धाई थाप्पा धा होता है। **EX-** आयुष्मान योजना, जन धन कल्याण आदि।

उस समय एक और संघ था 'दलित वर्ग मिशन सोसाइटी', इससे अछूतों को कोई द्वेष-भाव नहीं था। वह सोसाइटी भी हरिजन सेवक संघ के समान अस्पृश्यों के बीच कल्याण कार्य करा रही थी। हिंदुओं और अछूतों ने दोनों ने पूरी लगन से कंधे से कंधा मिलाकर मिशन के कार्य को आगे बढ़ाया। इसके दो कारण थे, पहला- 'दलित वर्ग मिशन सोसाइटी' में हिंदुओं के साथ अछूत भी शामिल थे। दूसरा- इस संघ का उद्देश्य राजनीतिक नहीं था।

अगर गांधी हरिजन सेवक संघ मोदी की योजना जैसा है, तो दलित वर्ग मिशन सोसाइटी डॉक्टर सुरेन्द्र कुमार अज्ञात के विचारों जैसी है, एकदम निष्पक्ष।।।

हरिजन- बाबा साहब ने हरिजन शब्द का बहुत विरोध किया, इसीलिए संविधान में भी इस शब्द को नहीं डाला गया, लेकिन कांग्रेस और हिन्दू सरकारी दस्तावेजों में पत्र-पत्रिकाएँ, सरकारी रेडियो एव कांग्रेसी नेता भी इस शब्द का धडल्ले से प्रयोग करते रहे। आंबेडकरवादी इसका विरोध करते रहे, अंततः माननीय आर. एल. केन जो दिल्ली के एक समर्पित एवं जुझारू कार्यकर्ता हैं, को सफलता हाथ लगी, जब सन् **1990** में भारत सरकार को एक आदेश निर्गत करना पड़ा। यह आदेश इस प्रकार था- गृह मंत्रालय के दिनांक **10.2-1982** के पत्र द्वारा**…………** ऐसा ही उल्लेख करें। **(**गांधी और गांधीवाद, पृष्ठ **11, 12, 28)**

फरवरी **1922** में बारदोली **(**गुजरात**)** में कांग्रेस कार्य समिति ने रूपरेखा तैयार की। इसे 'बारदोली कार्यक्रम' के नाम से जाना जाता है। संकल्प में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार था- कार्य समिति समस्त कांग्रेस संगठनों को सलाह देती है कि वे निम्नलिखित कार्यकलापों को क्रियान्वित करने में जुट जाएं -

(1) कांग्रेस के कम से कम एक करोड़ सदस्य बनाए जाएं।

(2) दूसरा - चरखे को लोकप्रिय बनाएं तथा खादी का जनसाधारण में प्रचार कर उसे बढ़ावा दिया जाए।

(3) तीसरा - दलित वर्गों को बेहतर जीवनयापन करने के लिए संगठित करना, उन्हें अपने बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करना।

(4) चौथा - जिन वर्गों में शराब पीने की लत पड़ गई है, उनकी लत छुड़वाना।

(5) पाँचवां - गांव तथा शहरों में पंचायतें स्थापित की जाएं।

(6) छठा - सभी वर्गों और जातियों के बीच एकता और आपसी सद्भाव पर जोर दिया जाए।

(7) सातवां - तिलक मेमोरियल स्वराज फंड में धन इकट्ठा करना जारी रखा जाए।"

अब यहां मेरा (बाबा साहब) इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि रचनात्मक कार्य के इस कार्यक्रम के विभिन्न मुद्दों का क्या हुआ। मेरा संबंध तो केवल दलित वर्गों से संबंधित मुद्दों से ही है। और हम इस पर ही बात करेंगे -

कांग्रेस कार्य समिति ने लखनऊ में जून **1922** को आयोजित बैठक में इस विषय को विचारार्थ स्वीकार किया। समिति ने बारदोली प्रस्ताव के अछूतोधार से संबंधित उस भाग पर निम्नलिखित संकल्प पास किया - "यह समिति देश भर .... उपसमिति का गठन करती है। स्वामी श्रद्धानंद जी, सरोजनी नायडू, आई. के. याज्ञनिक तथा जी. बी. देशपांडे उस उपसमिति के सदस्य होंगे...... ....इस योजना के लिए फिलहाल दो लाख रु. की राशि जुटाई जाएगी।" (गांधी और कांग्रेस, पृष्ठ **43**)।

कार्य समिति के इस प्रस्ताव में संशोधन किया गया, जिसमें फिलहाल इस योजना के लिए **2** लाख के स्थान पर **5** लाख रु. की धनराशि जुटाई जाएगी।

लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने से पहले ही एक सदस्य स्वामी श्रद्धानंद ने समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। फिर यह समिति अस्पृश्यता के प्रश्न पर हिंदू समाज विशेषकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा से अनुरोध करती है कि वह इस समस्या को अपने हाथ में ले और हिंदू समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए प्राणपण से सम्यक प्रयत्न करें।'

कांग्रेस ने अछूतों की समस्या से किस प्रकार अपना पल्ला झाड़ लिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस द्वारा अपने दायित्व को हिंदू महासभा पर थोपना जले पर नमक छिड़कने से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। हिंदू महासभा का लक्ष्य एवं उद्देश्य केवल हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति की रक्षा करना ही था। और यहां एक लडाकू हिंदू संगठन तो है, पर यह सामाजिक सुधार संस्था नहीं है। यह पूरी तरह से राजनीतिक व धार्मिक संस्था है, जिसका मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य भारतीय राजनीति में मुसलमानों के प्रभाव को समाप्त करना है।

कांग्रेस अस्पृथ्यों के लिए **2** से **5** लाख रू० से अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी, बल्कि स्वामी श्रद्धानंद को समिति में रखकर उसे अपनी भूल का अहसास हुआ। कांग्रेस ने पहले तो स्वामी श्रद्धानंद को संयोजक बनाने से इनकार कर दिया और इससे भी बात न बनते देख समिति को भंग कर अस्पृथ्योत्थान का काम हिंदू महासभा को सौंप देने में ही अपनी भलाई समझी।

दरअसल, स्वामी श्रद्धानंद अछूतों के बहुत बड़े सत्यनिष्ठ और शुभचिंतक थे। कांग्रेस गंगाधरराव बी० देशपाण्डे को संयोजक बनाना चाहती थी, इस बात को स्पष्ट करता है कि वह स्वामी श्रद्धानंद के हाथों में उस काम को रखना पसंद नहीं करती थी। क्योंकि देशपाण्डे एक कट्टर ब्राह्मण था, जिसने अस्पृश्यों के कल्याण कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई। बाद में कांग्रेस ने अलग स्कूल, अलग कूँए, की व्यवस्था की अस्पृश्यों के लिए, यानि कांग्रेस हुआछूत को समाप्त नहीं करना चाहती थी। यह समिति का अस्पृश्यों का कार्य हिंदू महासभा को सौंपना बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मुस्लिमों के कल्याण का कार्य **RSS** को सौंपना।

तिलक स्वराज फंड - कांग्रेस ने सन् **1921** में तिलक मेमोरियल स्वराज फंड आरंभ किया था। कांग्रेस ने कितना धन एकत्र किया, तालिका-**1** (गांधी और कांग्रेस पेज **47**) से इसका कुछ अनुमान लग जाता है। इस कोष में जनता ने **1** करोड़ **25** लाख रु० जमा किए या चंदा दिया। वह धन कांग्रेस के प्रचार के लिए एकत्र किया गया था, तथा उसे कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों पर ही खर्च करना था, जिसकी रूपरेखा कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा बारदोली में तैयार की गई थी। इतनी बड़ी धनराशि कांग्रेस ने कैसे खर्च की? पेज **54** तालिका-**2** और तालिका-**3** को देखें। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस धन का बंटवारा किसी बुद्धिमत्तापूर्ण सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया था। बम्बई प्रांत की आबादी डेढ़ करोड़ थी, उसे **27** लाख रु० दिए गए, यूपी की और मद्रास जिनकी प्रत्येक की आबादी **4-4** करोड़ थी, इनको **5-5** लाख रु० दिए गए………… के तीनों क्षेत्रों में भी मिलती है। पेज **55**, निधियों का बंटवारा न केवल सिद्धांतहीन था, अपितु यह उत्पन्न निर्लज्जतापूर्ण पक्षपात भी था। तीन वर्षों में वितरित कुल **49.5** लाख के अनुदान में से गांधी के गृह प्रांत गुजरात को **26.25** लाख रु० और शेष भारत को **23** लाख रूपये दिए गए। इसका अर्थ यह हुआ कि **29.50** लाख की आबादी वाले प्रदेश को **26.50** लाख, तथा **23** करोड़ की आबादी के शेष भारत को **23** लाख रु० दिए गए। निधियों के आबंटन पर न कोई प्रतिबंध था और न ही कोई नियंत्रण। यह जानने की कोई जरूरत नहीं समझी गई कि अनुदान किस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया और यह धन किसे दिया गया?

तालिका-**4** (पेज **56**) यह ज्ञात नहीं है कि………… धन की बरबादी और फिजूलखर्ची का पता लगाना बहुत कठिन है। यह दुख की बात है कि जनता के धन की कांग्रेस के लुटेरे नेताओं ने मनमाने ढंग से बिना किसी चिंता के जो विवेकहीन लूट मचाई, वह केवल अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी साख बनाने के लिए ही की गई। तो कांग्रेस से आशा की जाती कि वह स्वराज फंड से अस्पृश्योत्थान पर प्राथमिकता के रूप में धन खर्च करेगी, जबकि **40** वकील जो कांग्रेस के लिए काम करते थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, उनके लिए तिलक फंड में धन एकत्र किए जाने तक **5600** रु० प्रति माह देने की स्वीकृति मिली। तथा जो विद्यार्थी कांग्रेस का प्रचार करते थे, उनके लिए **3000** रुपए प्रति महीना दिया गया। इन वकीलों की कोई जांच नहीं की गई, जिन्होंने अपना पेशा पहले ही छोड़ दिया था और जनता के धन पर जीवन निर्वाह

कर रहे थे, और बताया गया कि ये राष्ट्र-हित में अपनी वकालत छोड़ी थी। कांग्रेस ने यह संकल्प तो किया कि अस्पृश्योत्थान के लिए अलग फंड बनाया जाए, परंतु इस दिशा में कुछ किया-कराया नहीं। हाँ, मैं बारदोली कार्यक्रम की बात कर रहा हूं, जिसके लिए सिर्फ **5** लाख रूपये निर्धारित किए थे। लेकिन बाद में कार्य-समिति ने यह महसूस किया कि अस्पृश्योत्थान जैसे महत्वहीन तथा अलाभप्रद कार्य के लिए यह धनराशि बहुत अधिक है और उसमें कटौती कर उसे **2** लाख रूपये कर दिया। **6** करोड़ अछूतों के लिए **2** लाख रूपये।

अब बात कर लेते हैं, क्या वास्तव में अछूतों पर **2** लाख रु० खर्च भी किए थे या नहीं**?** देखें तालिका **5** (पेज **57**)। इससे पता चलता है कि बारदोली कार्यक्रम में, जिसमें अछूतों को इतना अधिक महत्व प्राप्त हुआ, किंतु व्यय करने के लिए **49.5** लाख रूपये में से केवल **43,381** रुपये ही मिले, क्या छलकपट का इससे भी बड़ा उदाहरण हो सकता है। जबकि गांधी खुद बोलते थे, "अछूतों के उद्धार के बिना स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता।" देखें **3** नवम्बर, **1921** के यंग इंडिया में गांधी ने लिखा था। तथा दोबारा गांधी ने **15** दिसम्बर, **1920** के यंग इंडिया में कहा –

"सरकार**.........**अस्पृश्यता का पाप मिटाए बिना स्वराज उतना ही दुर्लभ है, जितना कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिना है।" **(**पेज **57, 59)**

गांधी और गांधीवाद पेज **124** पर लिखा है **-** "पीछे से हमला करने का काम कमजोर सेनापति ने खोज निकाला है। गांधी हमेशा इसी युक्ति का इस्तेमाल करते रहे हैं। वे कई सालों तक स्वयं को गोपाल कृष्ण गोखले का विनम्र अनुयायी मानते रहे हैं, उन्होंने कई सालों तक तिलक की प्रशंसा करने का क्रम जारी रखा था। वे तिलक से नफरत करते थे, इस बात को कई लोग जानते हैं। फिर भी तिलक के नाम का उपयोग किए बिना हम एक करोड़ की स्वराज निधि इकट्ठा नहीं कर सकते, इस बात को वे अच्छी तरह जान गए थे। पेज **137** गांधी तिलक की लिखी किताबों को कचरे से ज्यादा और कुछ नहीं मानते, उसकी नजर में प्रमाणित शास्त्र वह है जो संतों ने लिखे हैं।"

गांधी अछूतो को छोड़ना नहीं चाहता**- 20ct, 1920** के यंग इंडिया में गांधी कहता है **-** "देश **...........** वे अपना धैर्य खोकर गुलाम बनाने वाली सरकार की सहायता कर सकते है। वे ऐसा कर सकते है, किन्तु उनका उसी प्रकार पतन होगा**..........** मुसलमानों ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया परंतु वे असफल रहे**.........** सिखों ने भी अज्ञानता में ऐसा ही किया और वे भी असफल रहे। आज भारत में सिखों से अधिक असंतुष्ट कौम और कोई नहीं है**...........** दलित वर्ग के सामने दूसरा विकल्प हिंदू धर्म का त्याग कर इस्लाम अथवा ईसाई धर्म को बडे पैमाने पर ग्रहण करना है**......** . . . . . परंतु मुझे विश्वास है अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का अंग नहीं है**..........** पंचम वर्ण के लोगों के पास इस समय ऐसा कोई नेता नहीं है जो असहयोग

आंदोलन के माध्यम से उन्हें विजय दिला सके……….. वर्तमान बुरी सरकार के विरुद्ध असहयोग करने के लिए भारत के अन्य वर्गों के साथ पूरा सहयोग करें।। "

इसी लेख में गांधी ने हिन्दुओं से कहा-" हिन्दुओं को समझ लेना चाहिए कि यदि वे सरकार के विरुद्ध पूर्णतः सफल असहयोग करना चाहते हैं तो उन्हें पंचम वर्ण के लोगों से वैसा ही सद व्यवहार करना चाहिए जैसा कि मुसलमानों के साथ करते है।" (गांधी और कांग्रेस **Page 58,59)**

किसी प्रकार का पश्चाताप करने के बजाए गांधी ने अस्पृथ्यों की समस्या के प्रति उदासीनता बरतने को उचित ठहराते हुए जिन तर्कों का सहारा लिया उन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ये तर्क **20 oct, 1920** के यंग इंडिया में उपलब्ध हैं- "अंग्रेजो से अपना कलंक धोने से पहले क्या हमें अपना कलंक नहीं धोना चाहिए **?.........**आजादी नहीं होती है।"**(page 59)**

गांधी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा " अब यह चक्र……….इसलिए पंचम वर्ण की समस्या मुझे उतनी ही प्रिय है जितना मुझे अपना जीवन………अतः मैं इस बात से आश्वस्त हूं क्योंकि समग्र जनता में सभी छोटे वर्ग आ जाते है ।" (गांधी और कांग्रेस **page 60)**

गांधी को शाब्दिक भ्रमजाल में फंसाने की कला में महारथ हासिल थी। गांधी बोलता है कि कई अस्पृथ्यो से कहना कि वे हिदुओं के विरुद्ध कुछ न करें क्योंकि वे अपने सगे-संबंधियो के विरुद्ध हो जाएंगे। यह बात तो मानने वाली है परंतू यह मान लेना कि हिन्दू अस्पृथ्यो को अपने सगे-संबंधी समझते है एकदम भ्रामक है।)

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **page 127,130 -** गांधी भारत आता है और अपने फीनिक्स साथियों को शान्तिनिकेतन आश्रम में जगह दिलवा देता है एंडूज की सहायता से, हाँ वो बात अलग है गांधी भारत के किसी भी आश्रम के संचालक को नहीं जानता था फिर भी गांधी शांतिनिकेतन आश्रम में जाता है और वहां रसोई घर का बंटवारा कर देता है। तथा बर्तन धोने, अनाज साफ करने वाली, झाडू लगाने वाली सबकी अलग अलग टोली बना दी। और आरोग्य और नीति की दृष्टि से यही सही है। इससे रसोई पर स्वावलंबी होगा/बनेगा। (स्वावलंबी का अर्थ होता है आत्मनिर्भर या अपना ही सहारा लेने वाला) लेकिन **page 140** पर गांधी सत्याग्रह आश्रम में एक ही रसोई की बात करता है। वहां वह कोई टोली नहीं बनाता। गांधी ने शांतिनिकेतन में ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां ऊँची और नीची जाति के लोग रहते होंगे इसलिए गांधी के इस फैसले से वहां के कई शिक्षक सहमत नहीं थे। और **Page 131** यह प्रयोग बंद कर दिया वहां के लोगों ने।"

(अब यहां ऊँची जाति का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही है, लेकिन नीची जाति का अर्थ अछूत, शूद्र नहीं हो सकता क्योंकि इनकी परछाई मात्र से ही लोग अपवित्र हो जाते थे और इसके में दो सबूत देता हूं**:**

(1) **page 88** कांग्रेस के सदस्य छूआछूत को माननेवाले वहां बहुत थे। द्राविडी रसोई बिल्कुल अलग थी। उन लोगों को तो दृष्टिदोष भी लगता था, यानि अछूतों को देखने मात्र से वह अपवित्र हो जाते थे जैसा कि मनुस्मृति में भी लिखा है। इसी कारण से उन्होंने अपना रसोई इस तरह से बनाया था जो कहीं से भी खुली हुई नहीं थी, दृष्टिदोष की वजह से वह रसोईघर के अंदर ही सब खाना पीना होता था। उसमें धूंआ इतना रहता कि आदमी का दम घुट जाता था। यहां कोई अछूत नहीं था, यहां जरूर **south** के लोग व **north** के लोग होंगे, इसलिए द्राविड शब्द का उपयोग हुआ है। और जैसा कि **page 140** पर गांधी खुद बताता भी है आश्रम में इस समय लगभग **13** तमिल भाई थे। दक्षिण अफ्रीका से मेरे साथ पांच तमिल बालक आए थे और दूसरे यहीं के थे। या जाति में भी ऊंचे नीचे लोग होते है। यह वहीं होंगे।

(2) **Page 140** जब गांधी एक किराये के मकान पर सत्याग्रह आश्रम खोलता है तो वहाँ एक अन्त्यज आता है, अपनी पत्नी के साथ रहने को, तो उसकी वजह से वह घर का मालिक उसको गालियां देता है व उसको पानी नहीं लेने देता कूँए से, व सभी लोग उसका विरोध करते हैं और आश्रम के लोग भी उसका विरोध करते है। यहाँ तक गोखले भी उस अन्त्यज का विरोध करते हैं। दरअसल, **page 127** पर गोखले ही गांधी को आश्रम खोलने के लिए पैसे देते है और कहते है, "उसे मैं अपना आश्रम ही समझूँगा।" गोखले डा० देव से आश्रम को पैसे देते रहने के लिए कह देता है। लेकिन यहां गांधी **Agent** होने का पूरा फर्ज निभाता है और गोखले का नाम तक नहीं लेता कि उसने पैसे देने बंद कर दिये थे गांधी के आश्रम के बहिष्कार की बाते शुरू हो चुकी थी। और गाँधी का आश्रम खत्म ही हो गया था कि एन वक्त पर एक सेठ आ जाता है, जो गाँधी का फैन था, वह उसे पैसे देता है।

शायद यही कारण हो, इसके आगे जितनी भी गांधी ने संघ, संस्था बनाई या कांग्रेस में, कहीं भी गांधी ने अछूतो को फिर कभी भर्ती नहीं किया। हरिजन सेवक संघ में तो अछूतो के कहने पर भी उनको संघ में शामिल नहीं किया।

यहां कुछ लूप होल भी है, जैसे जरूर गांधी ने यह एक कहानी बनाई है अन्त्यज की, ताकि वह लोगो की सहानुभूति पा सके। क्योंकि यहा गांधी शूद्र की बात कहता तो कहीं तक ठीक था, लेकिन गांधी ने तो अत्यंज की बात की है और वो भी एक **teacher** की। खैर, जो भी हो, दोनों तरफ से ही गांधी ने सिर्फ आश्रम में दो वजह से उसको जगह दी थी:

(1) सहानुभूति के लिए

(2) ताकि कोई यह न कह सके कि यह आश्रम तो ऊँची जात वालों का ही है। यहा मुझे डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद की किताब **"Obc** साहित्य विमर्श" की एक बात याद आ रही

है, वहां पर भी डा० राजेन्द्र प्रसाद बताते है कि ब्राह्मणो के साहित्य में सिर्फ एक या दो **OBC** वालों को ले लिया जाता था ताकि कोई यह न कह पाए कि यह ब्राह्मण साहित्य है।

जिन लोगों को अगर संघ, संस्था, आश्रम में शामिल भी कर लिया जाता था, तो उनको नीचा ही समझा जाता था और उनकी एक न सुनी जाती थी। इसी वजह से डॉ. अंबेडकर को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। और हरिजन सेवक संघ भी छोड़ दिया था। व बारदोली कार्यक्रम से स्वामी श्रद्धानंद ने भी इसी कारण त्याग पत्र दे दिया था।)

यहाँ विस्तार से जानते है - "मैं गुजरात में ही कहीं स्थिर होना चाहता हूँ।" गोखले को ये विचार पसंद थे। इसलिए उन्होंने कहा - "आप अवश्य ऐसा करें। सदस्यों के साथ की बातचीत का जो भी परिणाम आए, पर यह निश्चित है कि आपको आश्रम के लिए पैसा मुझी से लेना है। उसे मैं अपना ही आश्रम समझूँगा।" मेरा हृदय फूल उठा।**......page 127**

गोखले ने स्व. डॉ. देव को बुलाकर कह दिया, "गांधी का खाता अपने यहां खोल लीजिए और इन्हें आश्रम के लिए तथा अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए जितनी रकम की जरूरत हो, आप देते रहिए। अब मैं पूना छोड़कर शांतिनिकेतन जाने की तैयारी कर रहा था। अंतिम रात को गोखले ने रुचनेवाली एक दावत दी और खास खास मित्रों को न्योता। उसमें उन्होंने जो चीजें मंगवाई थीं, उन्हीं का, अर्थात सूखे और ताजे फलों के आहार का ही प्रबंध किया था। **(Page 130)** राजकोट में मैं शांतिनिकेतन गया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहां मैं काकासाहन कालेलकर से पहले-पहल मिला.......शांतिनिकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था........एंडूज यहां थे ही, पिर्यसन भी थेथे.......मैंने वहां के शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि वेतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना लें तो अच्छा हो। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोईघर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयं पकाए पदार्थ का पाठ सीखेंगे। एक-दो शिक्षकों ने सिर हिलाकर असहमति प्रकट की..........पिर्यसन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने-आपको खपा दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटनेवाली की बनी, दूसरी अनाज साफ करनेवाली की। रसोईघर के पास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेनबाबू आदि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। **(Page 131)** ....पिर्यसन का काम बड़े-बड़े बर्तन मांजना था, कुछ लोग थक जाते थे, लेकिन पिर्यसन हंसते चेहरे से काम करते रहते। बर्तन मांजनेवाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते थे.........फीनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था। यह नहीं, बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। मसालों का त्याग किया गया था। अत: भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोईघर शुरू किया था। उसमें एक-दो टीचर और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद

हो गया। **(Page 132)** पत्नी और मगनलाल गांधी को मैंने साथ लिया। बाकी सब शांतिनिकेतन में रहे। बर्दवान तक एंड्रूज मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, "क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा? अगर ऐसा लगता हो तो कब आएगा? इसकी कोई कल्पना आपको है?" मैंने जवाब दिया, "इसका उत्तर देना कठिन है, अभी एक वर्ष तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे एक वर्ष तक देश में भ्रमण करना है, किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है, न प्रकट करना है। मैं उस प्रतिज्ञा का अक्षरश: पालन करूंगा……इसलिए मैं नहीं समझता कि पांच वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा।"

(Page 140) अहमदाबाद के मित्रों के साथ मैंने जो चर्चाएं की, उनमें अस्पृश्यों का प्रश्न भी चर्चा का विषय बना था। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि कोई योग्य अंत्यज भाई आश्रम में भरती होना चाहेगा तो मैं उसे अवश्य भरती करूंगा………मकानों की तलाश करते हुए कोचरब श्री जीवणताल बैरिस्टर का मकान किराए पर लेने का निश्चय हुआहुआ……..तुरंत ही प्रश्न उठा कि आश्रम का नाम क्या रखा जाए?........सेवाश्रम, तपोवन आदि नाम सुझाए गए थे। मैंने और साथियों ने सत्याग्रह आश्रम नाम पसंद किया……..आश्रम चलाने के लिए नियमावली की आवश्यकता थी…….आश्रम में इस समय लगभग **13** तमिल भाई थे। दक्षिण अफ्रीका से मेरे साथ पांच तमिल बालक आए थे और दूसरे यहीं के थे। लगभग **25** स्त्री-पुरुषों से आश्रम का आरंभ हुआ था। सब एक रसोई में भोजन करते थे और इस तरह रहने की कोशिश करते थे मानो एक ही कुटुंब के हों। आश्रम को कायम हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि………भाई अमृतलाल ठक्कर का पत्र मिला,........."एक गरीब और प्रमाणिक अंत्यज परिवार है। वह आपके आश्रम में रहना चाहता है। क्या उसे भरती करेंगे?" इसकी मुझे जरा भी आशा न थी। मैं चौंका……..दूदाभाई, उनकी पत्नी दानीबहन और दूध-पीती तथा घुटनों चलती बच्ची लक्ष्मी तीनों आए। दूदाभाई बबई में शिक्षक का काम करते थे। नियमों का पालन करने को वे तैयार थे। उन्हें आश्रम में रख लिया। सहायक मित्र मंडल में खलबली मच गई। जिस कुएं में बंगले के मालिक का हिस्सा था, उस कुएं से पानी भरने में हमें अड़चन होने लगी। (यह सत्याग्रह आश्रम एक किराए के मकान में खोला था, उसी घर के मालिक की बात कर रहा है गांधी) चरसवाले पर हमारे पानी के छींटे पड़ जाते तो वह भ्रष्ट हो जाता। उसने गालियां देना और दूदाभाई को सताना शुरू किया। मैंने सबसे कह दिया, "गाली सहते जाओ और दृढ़तापूर्वक पानी भरते रहो।"........पैसे की मदद बंद हो गई।……..पैसे की मदद बंद होने के साथ बहिष्कार की अफवाहें मेरे कानों तक आने लगीं। मैंने साथियों से चर्चा करके तय कर रखा था, "यदि हमारा बहिष्कार किया जाए और हमें कहीं से कोई मदद मिले तो भी अब हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे। अंत्यजों की बस्ती में जाकर उनके साथ रहेंगे, और जो कुछ मिलेगा, अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे।" आखिर मगनलाल ने मुझे नोटिस दी, "अगले महीने आश्रम का खर्च चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं।" मैंने धीरज से जवाब दिया, "तो हम अंत्यजों की

बस्ती में रहने जाएंगे। फिर अगले दिन एक सेठ आता है और वह गांधी को **13** हजार के नोट देकर चला जाता है। वह आश्रम के अंदर नहीं आता, बाहर से ही पैसे देकर चला जाता है। गांधी ने उसको पहली बार देखा था। वह सेठ आश्रम को पैसे दान करने आया था। इससे गांधी को एक साल का खर्चा मिल गया।**(Page 141)**

अन्त्यज के आने से जिस तरह बाहर खलबली मची, उसी तरह आश्रम में भी मची, यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में मेरे यहाँ अन्त्यज आदि आते रहते और भोजन करते थे। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ अन्त्यज कुटुंब का आना मेरी पत्नी को और आश्रम की दूसरी स्त्रियों को पसंद आया। दानी बहन के प्रति घृणा तो नहीं, तो उनकी उदासीनता ऐसी थी जिसे मेरी अत्यंत सूक्ष्म आंखें देख लेती थीं, कान सुन लेते थे।"

बुक पूना पैक्ट, पेज **90** – गांधी बोला, ''यदि अस्पृश्यों को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व दिया गया, तो वे अछूत ही रहेंगे।'' इस बात पर म्यूरियल बोली, ''अगर ऐसा होता तो आंबेडकर ने स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग ही नहीं की होती।'' तो यह सुनकर गांधी उस महिला से आगबबूला होकर बोला कि ''तुम कमरे से बाहर चली जाओ।''

(यहाँ दो बातें हैं – पहला, गांधी को तर्क आता ही नहीं, इसलिए उस महिला का जवाब नहीं दे पाया। दूसरा, गांधी महिला जाति की कभी इज्जत नहीं करता था।)

ब्राह्मण सुहागरात

मालाबार में प्रचलित सम्बन्ध विवाह प्रथा के अनुसार वहाँ शासित वर्ग, जैसे नायर अपनी औरतों को ब्राह्मणों द्वारा रखैल बनाए जाने में अपनी इज्जत समझते थे। यहाँ तक कि राजा भी अपनी रानियों का सुहागरात को कौमार्य (शील) भंग कराने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण देते थे। एक समय ऐसा भी था जब शासित वर्ग का कोई मनुष्य ब्राह्मण के पैर का अंगूठा धोए गए पानी को पिए बिना भोजन नहीं कर सकता था। सर पी. सी. रे ने अपने बचपन की बात लिखी है कि कलकत्ता की सड़कों पर प्रातःकाल शासित वर्ग के बच्चे पात्रों में पानी लिए ब्राह्मण के पैर धोने के लिए घंटों प्रतीक्षा किया करते थे। वे पैर धोकर यह पानी अपने माता-पिता को दे देते थे, जो भोजन के लिए उसकी प्रतीक्षा करते थे।............ आज भी वे उसे ''स्वामी'' कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है ''भगवान''।

(गांधी और कांग्रेस, पेज **206)** ब्राह्मण सुहागरात पहले करता था, यह पूरा देखें – **(**पेज **205, 206)**

गांधी कितना तार्किक

गांधी और गांधीवाद, पेज **53** – जब गांधी से पूछा जाता है, ‘‘तुमने अछूतों के लिए क्या किया**?**’’ तो गांधी बोलता है, वह स्वराज प्राप्ति के आंदोलन की योजना तैयार करने में व्यस्त था और उसी कारण उन्हें छूआछूत की समस्या की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला। गांधी ने इस तर्क का सहारा लिया कि उसने देश के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने को समर्पित करके और अछूतों के हित से किनाराकशी करके कोई गलती नहीं की है।”

यानि राज्य में रेप हो रहे हों, उनको मारा-पीटा जा रहा हो, तो योगी बोलता है, ‘‘मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ध्यान देश के डेवलपमेंट की ओर व अपनी पार्टी की तरफ है।’’

गांधी और गांधीवाद, पेज **62**, व कांग्रेस और गांधी, पेज **254** – जब **1929** में अछूत मंदिर प्रवेश व कुओं से पानी व अपने नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह कर रहे हिंदुओं के विरुद्ध तो उन्होंने गांधी से मदद मांगी, तो गांधी ने कहा – ‘‘सत्याग्रह का प्रयोग केवल विदेशियों के विरुद्ध किया जाना चाहिए, अपने ही भाइयों अथवा देशवासियों के विरुद्ध नहीं। क्योंकि हिंदू अछूतों के भाई हैं और इसी देश के वासी हैं, इसलिए इस नियम के तहत उनके विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए।’’

अपने इस तर्क से गांधी ने अपने सत्याग्रह जैसे हथियार को बकवास साबित कर दिया। अगर कोई हिंदू, हिंदू के साथ रेप, मारपीट, जलील करे तो उसके खिलाफ सत्याग्रह या कोई मारपीट मत करो क्योंकि वह तुम्हारा भाई है।

गांधी और गांधीवाद, पेज **67** – जब गांधी ने ‘हरिजन सेवक संघ’ की स्थापना की, तो अछूतों ने उसमें अपना प्रतिनिधित्व मांगा, तो गांधी बोला – ‘‘हरिजन सेवक संघ हिंदुओं में छूआछात के पाप का प्रायश्चित करने का माध्यम है। हिंदू ही हैं, जिन्हें अपने किए पर प्रायश्चित करना है। इसलिये अछूतों को संघ में शामिल नहीं किया जा सकता।’’

दूसरा तर्क दिया – ‘‘संघ को जो धन मिलता है, वह हिंदुओं से मिलता है, अछूतों से नहीं। और क्योंकि वह धन अछूतों से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अछूत संघ में शामिल नहीं हो सकते।’’

[Reference – कांग्रेस और गांधी, पेज **142, 26 Sep, 1944** को अखबारों में छपा**]**

गांधी और गांधीवाद, पेज **7 [**हरिजन, दिनांक **13 Oct, 1940]** – जब ब्रिटिश सरकार ने अछूतों को पृथक अस्तित्व घोषित किया और कहा कि भावी संविधान में उनकी भी सहमति लेना

आवश्यक है, तो इस पर गांधी विरोध करता हुआ बोला – ''मैंने अनुभव किया है.......... अछूत वर्ग हिंदू समाज की तरह अनेक जातियों में बंटा है........ नहीं कर सकता।''

गांधी द्वारा दिया गया तर्क कितना बचकाना है – अरे भाई, मुस्लिम तथा भारतीय ईसाइयों के विषय में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं है, उनमें भी तो जातियाँ होती हैं। मुसलमान तीन वर्गों में विभाजित हैं......... कर सकते हैं।

(गांधी और गांधीवाद, पेज **71, 72)**

कांग्रेस और गांधी, पेज **282** – गांधी का तर्क है कि छूआछूत को अन्तर्जातीय विवाह, अन्तर्जातीय सहभोज अर्थात अछूतों और हिंदुओं के बीच खानपान और शादी-विवाह करके खत्म नहीं किया जा सकता। इसको तो तभी खत्म किया जा सकता है जब अछूतों को पंचम वर्ण से निकालकर चौथे वर्ण, यानि अति शूद्र बना दो, मतलब अछूत से शूद्र बना दो।" (यंग इंडिया, **5 Sep, 1925)**

लेकिन जो शूद्र हैं, वे भी तो अत्याचार सह रहे हैं, उनका क्या? शूद्र भी तो इस नर्क से निकलना चाह रहे हैं।

गांधी और गांधीवाद, पेज **84** – गांधी का मशीनों पर यह तर्क कि इससे पैसा थोड़े लोगों के हाथ में जाएगा, और युद्धों से भी ज्यादा मौतें, अपंगता, अशक्तता ये मशीनें और आधुनिक सभ्यता पैदा कर रही है, तथा धुआँ, धूल, शोरगुल पैदा होता है – ये सभी तर्क घिसे-पिटे और पुराने हैं।

आज भी मशीनें हैं, सब खुश हैं। मशीनों ने सारे काम आसान किए हैं। और रही बात प्रदूषण की, तो इसके उपाय व इलाज वैज्ञानिक खोजते रहते हैं। और यह अलग बात है कि सरकार खुद से प्रदूषण या सामाजिक बुराइयों को कभी खत्म करना ही नहीं चाहती क्योंकि मैं ऐसे देशों के नाम बताऊँगा जहाँ सिर्फ मशीनीकरण है, लेकिन वहाँ प्रदूषण न के समान है – सिंगापुर, जापान, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, फ्रेंच पोलिनेशिया, मॉरीशस।

और गांधी यह क्यों भूल जाता है कि भारत की पहली सभ्यता कोई गाँव नहीं, शहर था – मोहनजोदड़ो सभ्यता। और गांधी यह भी भूल रहा है कि पहले बीमारियों के इलाज नहीं थे, जैसे मिर्गी की बीमारी को लोग भूत आना समझते थे और अब भी यही हाल है। प्लेग, एड्स – यह एड्स सबसे ज्यादा होता था, जिसका इलाज उस समय नहीं था। यह एड्स हर दूसरे या तीसरे घर में मिलता था – पोलियो, टीबी, मलेरिया आदि। इन सबका इलाज आज की सभ्यता ने दिया है, स्वराज ने नहीं।

गाँधी और गाँधीवाद **Page 107 -** "गांधी अछूतों के पृथक चुनाव पर यह बोलता है **-** इससे अछूत समाज हिन्दू समाज से अलग हो जाएगा।"

अरे गांधी, अछूत हिन्दू कभी थे ही नहीं। आप कोई भी शास्त्र उठा लो, उसमें चार वर्ण की बात आएगी, पाँचवें वर्ण की नहीं। कृष्ण भी गीता में चार वर्ण की बात करता है। और अछूतों को पाँचवें वर्ण में रखा है, यानी अन्त्यज।। वो एक अलग बात है, ये पहले सनातनी थे, ब्राह्मणवाद ने इनको इनके ही धर्म से बाहर कर दिया और आधे लोगों को शूद्र बनाकर अपनी सेवा के लिए रख लिया।

यहाँ गांधी की गलती नहीं है। अगर उसे तर्क करना नहीं आता, तो यह बात तो ब्राह्मण शास्त्र इनको सिखाता आया है कि तर्क मत करो, तर्क मत करो।। और यही बात गांधी ने भी मानी। इसकी पहले की पीढ़ियाँ भी तर्क नहीं करती थीं, तो कैसे करता। इसी वजह से गांधी पढ़ाई में भी कभी अच्छा नहीं रहा।

गांधी और गाँधीवाद **Page 139 -** "गांधी का तर्क - हिन्दू धर्म इसलिए महान है क्योंकि उसके मानने वालों में ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लवूर, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि जैसे लोग रहे हैं। वह गुणरहित नहीं हो सकता।"

तो ईसाई धर्म में तो हिन्दू धर्म से ज्यादा पढ़े-लिखे तार्किक व्यक्ति व वैज्ञानिक पैदा हुए थे, फिर भी गांधी ईसाई धर्म का विरोध करता रहा (इसी किताब में **Page 124, 154** पर देखें)। देखें ईसाई लोग जो महान हैं:

वैज्ञानिक: आइज़क न्यूटन, गैलीलियो गैलिली, जोहान केपलर, लुई पाश्चर
समाज सुधारक: मार्टिन लूथर किंग जूनियर, फ्रेडरिक डगलस, विलियम विलबरफोर्स, मदर टेरेसा।।

ग्राम स्वराज **Page 105 -** "चरखे में चकती पीतल की, सींक लोहे की हो गई थी गांधी के समय तक। तो वह गांधी कहता है - पहले चकती मिट्टी की व सींक बाँस की होती थी, लेकिन अब उसमें शास्त्रीय ढंग से विकास हो गया है।"

यानि यहाँ गांधी वैज्ञानिक ढंग से नहीं बोल रहा है। गांधी तो वैज्ञानिक ढंग (तार्किक ढंग) को बिल्कुल नकार देता है।

ग्राम स्वराज **Page 87 -** कांग्रेस पंचायतों को जीवित करने का प्रयास करती है, तो गांधी कहता है - "अगर वह व्यवस्थित और सुंदर ढंग से (मैं वैज्ञानिक तरीके से नहीं कहूंगा) नहीं किया गया तो फिर असफल होगा।"

[Reference: Young India - 28-5-1935 Page 123]

यानि यहाँ भी गांधी पंचायतों की व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग (तार्किक ढंग) से नहीं चाहता।।

ग्राम स्वराज **Page 66 -** "क्या मनुष्य अपने बौद्धिक श्रम से अपनी आजीविका नहीं कमा सकते? नहीं। शरीर की आवश्यकताएँ शरीर द्वारा ही पूरी होनी चाहिए।"

[हरिजन **29-6-1935 Page 156]**

"बौद्धिक श्रम शरीर-श्रम से निश्चित रूप में श्रेष्ठ हो सकता है, अकसर होता है, लेकिन वह शरीर श्रम का स्थान कभी नहीं लेता और न कभी ले सकता है।"

[हिन्दी नवजीवन **- 5-11-1925** पृ. **15]**

उर्दू विवाद

सत्य के साथ मेरे प्रयोग **Page 115** पर गाँधी टॉलस्टॉय आश्रम में बच्चों को गांधी खुद ही तमिल और उर्दू सीखने का काम करता है। लेकिन यह कैसे हो सकता है, क्योंकि इसी किताब के **Page 15** पर गाँधी बताता है - स्कूल में संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी के **teacher** नरम मिजाज के थे, और विद्यार्थियों ने गांधी को बताया फारसी तो सरल है। यह सुनकर गांधी भी फारसी पढ़ने लगा। यह सब एक हिन्दू **teacher** ने देख लिया। उसने गांधी को बुलाकर उसकी जाति और धर्म के बारे में बताया कि तू हिन्दू है। तो इस प्रकार गांधी ने फारसी भाषा को छोड़ दिया। तो गाँधी उर्दू कैसे पढ़ाता? यह भी तो मुस्लिम भाषा है।

हम अब बात करेंगे कि गांधी जी किस स्वराज की बात करते थे और उसका स्वराज किस धर्म से मेल खाता है। हम यहाँ सनातन धर्म (वैदिक धर्म), हिंदू धर्म (ब्राह्मणवाद), और हिंदुत्व (सावरकर, **RSS, BJP**) इन तीनों के बारे में जानेंगे। फिर हम इन तीनों के स्वराज का **comparison** करेंगे।"

बहुत पहले की बात है... जब धरती पर न नफरत का नाम था, न ऊँच-नीच का बंटवारा। पहाड़ों से उतरती नदियाँ जैसे सबको एक समान सींचती थीं, वैसे ही इंसान भी एक-दूसरे को बिना भेदभाव के अपनाते थे। न कोई बड़ा था, न कोई छोटा। न कोई ब्राह्मण था, न कोई शूद्र... सब सिर्फ मानव थे — एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी। गाँव के कुएं से सब एक साथ पानी पीते थे। एक साथ खेतों में हल चलते थे, और एक ही चूल्हे की रोटी, हर जाति के हाथ से निकलकर, सबके पेट भरती थी। कोई तालाब सिर्फ ऊँच जाति का नहीं था। हर शादी में गाँव भर का आशीर्वाद होता था, हर मरने वाले को, चाहे वो कोई भी हो, पूरा गाँव कंधा देता था। गाँव के बच्चे — कोई चमार का बेटा हो या कोई ठाकुर का, एक ही खेत में कीचड़ में खेलते थे, किसी के घर में बच्चा पैदा होता, तो पूरा गाँव उसका होता। कोई भी बच्चा किसी भी आँगन में खेल सकता था, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता था उसके लिए। न जात पूछी जाती, न धर्म... बस प्रेम की भाषा बोली जाती थी। शादी के रिश्ते मन और आत्मा से जुड़ते थे, जाति और गोत्रों से नहीं। हर रिश्ता पवित्र था, क्योंकि वह दिल से बंधा होता था। धरती का वह प्रेम देखकर, स्वयं भगवान भी मानव रूप में अवतरित होते थे।

राम, जो रघुकुल के सूर्य थे, जंगलों में एक *आदिवासी स्त्री शबरी* के झूठे बेर खा लेते हैं — न कोई घृणा, न कोई भेद।

कृष्ण, जो खुद *ग्वाले* थे, लेकिन उनके सबसे प्रिय मित्र थे *ब्राह्मण सुदामा*। न कोई जाति पूछी, न कुल — बस दोस्ती पको पूजा।

उस समय धर्म का मतलब सिर्फ "धारणा" था — सच्चाई, करुणा, सेवा और प्रेम। कोई *हिंदू* नहीं था, कोई *मुसलमान* नहीं था... सब इंसान थे, और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म था। एक दूसरे की रोटी में स्वाद था, पानी में मिठास थी, और रिश्तों में विश्वास था। हरियाली सिर उठाकर मुस्कुराती थी, क्योंकि इंसान इंसानियत से जुड़ा था। खेतों में अन्न की बारिश होती थी, क्योंकि वहाँ ईर्ष्या की आग नहीं थी। नदियाँ गुनगुनाती थीं, क्योंकि उनके किनारे कोई इंसान किसी इंसान को नीचा नहीं दिखाता था।

● आज की दुनिया से कितना अलग था वो युग...

आज जब हम किसी मंदिर में जाति पूछते हैं,
जब हम शादी में धर्म देखते हैं,
जब हम दोस्ती से पहले नाम पूछते हैं —
तब वह युग हमें याद आता है...

● क्या हम वह युग फिर से पा सकते हैं?
शायद हाँ...

अगर हम फिर से एक-दूसरे को बिना जाति,

बिना धर्म, बिना घृणा के अपनाना सीख लें।

शायद फिर ईश्वर हमारे बीच आए...

शायद फिर कोई राम जन्म ले...

शायद फिर कोई कृष्ण बांसुरी बजाए...

क्योंकि ईश्वर वहीं आते हैं...

जहाँ प्रेम होता है।

अब वक्त है...

उस युग को फिर से लाने का।

जहाँ कृष्ण फिर आएँ...

राम फिर मुस्कराएँ...

और हनुमान फिर से उड़ चलें...

क्योंकि धरती फिर से प्रेम से महकने लगे।

सनातन में जाति

वेदों और प्राचीन ग्रंथों में जाति की स्थिति

ऋग्वेद **(1500-1000** ईसा पूर्व) में जाति नहीं, बल्कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी।

✅ ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख "पुरुष सूक्त" (ऋग्वेद **10.90.12)** में मिलता है।

✅ यहाँ वर्णों को शरीर के अंगों से जोड़ा गया – ब्राह्मण (मस्तिष्क), क्षत्रिय (बाहु), वैश्य (जंघा), शूद्र (पैर)।

✅ लेकिन यह जन्म से निर्धारित नहीं था, बल्कि कर्म से था।

✅ हां, वेदों में जाति का उल्लेख मिलता है, लेकिन वह बहुत सीमित और अस्पष्ट है।

📜 ऋग्वेद **(10.90.12)** – "पुरुष सूक्त"

➡ इसमें चार वर्णों का उल्लेख है:

1 ब्राह्मण – मुख से उत्पन्न

2 क्षत्रिय – भुजाओं से उत्पन्न

3 वैश्य – जंघाओं से उत्पन्न

4 शूद्र – चरणों से उत्पन्न

📜 अथर्ववेद **(19.62.3)**

➡ इसमें "चांडाल" शब्द का उल्लेख मिलता है, जो सामाजिक रूप से निम्न माने जाते थे।

📜 यजुर्वेद **(26.2)**

➡ इसमें "शूद्र" शब्द आता है, जिसका अर्थ "सेवक वर्ग" बताया गया है।

📌✅ निष्कर्ष:

➡ वेदों में जातियों के नाम (जैसे यादव, चमार, कुर्मी) नहीं मिलते, लेकिन वर्गीकरण मिलता है।

शुरूआत में जाति तो थी लेकिन बहुत कम थी पहले वर्ण ही चलता था जैसे वाल्मीकि की रामायण में हमको जातियों के नाम बहुत कम मिलते है लेकिन तुलसीदास की रामायण में बहुत सारी जातियों के नाम मिलते है

📌 उदाहरण:

1 विश्वामित्र: पहले क्षत्रिय थे, लेकिन तपस्या करके ब्राह्मण बन गए।

2 वाल्मीकि: पहले शूद्र माने जाते थे, लेकिन उन्होंने ऋषि बनकर रामायण लिखी।

3 वेदव्यास: उनका जन्म मछुआरे के घर हुआ था, लेकिन वे महान ऋषि बने।

4 रावण: ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन कर्मों के कारण "राक्षस" कहे गए। ➡ अगर जाति जन्म से तय होती, तो ये बदलाव संभव नहीं होते।

जातिवाद का कठोर होना – समय के साथ बदलाव

📜 मनुस्मृति (लगभग **200** ईस्वी) के बाद जाति जन्म आधारित होने लगी।

✅ पहले वर्ण व्यवस्था लचीली थी, लेकिन मनुस्मृति में इसे कठोर बना दिया गया।

✅ मनुस्मृति **(1.91-92)** में लिखा है:- "ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म से ही अपने वर्ण में रहते हैं।"

✅ यानी अब जाति कर्म से नहीं, बल्कि जन्म से तय होने लगी।

उदाहरण:

1 गुप्त काल **(300-550** ईस्वी) में समाज अधिक कठोर हुआ और जाति व्यवस्था मजबूत हो गई।

2 भक्ति आंदोलन **(1200-1700** ईस्वी) में जाति का विरोध हुआ, लेकिन यह समाज में बनी रही।

➡ यानी जातिवाद पहले नहीं था, लेकिन बाद में इसे कठोर बना दिया गया।

● तो जो लोग कहते हैं कि जाति कभी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं थी, वे गलत हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जाति हमेशा जन्म से तय होती थी, वे भी गलत हैं।

इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि **30 nov, 2024** को जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने का आह्वान किया था, जिसके जवाब में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जाति व्यवस्था सनातन धर्म की पहचान है और इसे समाप्त करने से सनातन धर्म की पहचान नष्ट हो जाएगी।

📖 वाल्मीकि रामायण में जातियों के संदर्भ –

1. राम के मित्र "गुह निषाद" थे

➡ निषाद जाति को शूद्र या आदिवासी माना जाता था। निषाद जाति (भील, गोंड, संथाल, आदि)

✔ गुह निषादराज का वर्णन, जो एक नाव चलाने वाले निषाद थे।

2. शबरी भील समाज की थीं

➡ शबरी को एक "आदिवासी" महिला के रूप में वर्णित किया गया है।

3. हनुमान को "वनवासी" कहा गया

➡ तुलसीदास ने "कपि जाति" (वानर) का उल्लेख किया, लेकिन यह आदिवासी समाज का संकेत है।

4. वाल्मीकि को पहले "शूद्र" कहा गया

➡ वाल्मीकि जाति से "भंगी" माने जाते हैं, क्योंकि उनका काम मृत पशुओं को हटाने से जुड़ा था।

📖 महाभारत में जाति का उल्लेख –

1. वेदव्यास मछुआरे समाज से थे

➡ उनकी माता सत्यवती मछुआरों की बेटी थीं, इसलिए वे जाति से "मछुआरे" हुए।

2. कर्ण सूतपुत्र थे

➡ "सूत" जाति को क्षत्रिय और शूद्र के मिश्रण से उत्पन्न कहा गया है।

3. एकलव्य निषाद थे

➡ द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वे निषाद जाति से थे।

4. भील राजाओं का वर्णन

➡ महाभारत में भीलों का उल्लेख है, जो आदिवासी समाज से आते थे। यह वही भील है जिन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत मदद की थी यानी यह एक योद्धा वर्ग रहा है।

प्राचीन काल में "जाति" शब्द नहीं था, बल्कि "वर्ण" था।

रामायण और महाभारत काल में जातियां थीं, लेकिन जन्म आधारित नहीं थीं। उदाहरण:

➡ कृष्ण यादव थे, लेकिन राजा बने।

➡ वाल्मीकि भंगी जाति के थे, लेकिन महर्षि बने।

➡ वेदव्यास मछुआरे के बेटे थे, लेकिन महर्षि बने।

➡ कर्ण सूतपुत्र थे, लेकिन योद्धा बने।

✔ "जाति थी, लेकिन जन्म से नहीं, कर्म से तय होती थी।"

✔ "रामायण और महाभारत में जातियां थीं, लेकिन वे बदल सकती थीं।"

यह जातिवाद हमको अशोक के समय तक नहीं मिलता उस समय की किताब मेगास्थनीज को इंडिका में 7 वर्गों का नाम आता है यानि समाज 7 वर्गों में बँटा था जो कर्म आधारित था।

1. दार्शनिक **(Philosophers)** – ब्राह्मण, ऋषि, धार्मिक विद्वान।
2. किसान **(Farmers)** – खेती करने वाला वर्ग।
3. सैनिक **(Soldiers)** – योद्धा वर्ग (क्षत्रियों जैसा)।
4. चरवाहे **(Herdsmen)** – पशुपालन करने वाले।
5. कारीगर **(Artisans)** – शिल्पकार, लोहार, बढ़ई आदि।
6. निरीक्षक **(Overseers)** – प्रशासनिक अधिकारी (जैसे राज्य के अधिकारी)।
7. सलाहकार **(Councillors)** – राजनीतिक सलाहकार और मंत्री।

यह वर्गीकरण वर्ण/जाति व्यवस्था से अलग था और पेशे आधारित था।

✅ मेगास्थनीज **(300** ई.पू.) ने "इंडिका" में भारतीय समाज का वर्णन किया है।

➡ इसमें उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है,

➡ इसमें जाति जन्म से तय नहीं थी, बल्कि कर्म पर आधारित थी।

📌 निष्कर्ष:

✔ यह विभाजन जन्म का आधार नहीं था।

✔ मेगास्थनीज ने कहीं नहीं लिखा कि कोई जाति जन्म से बंधी थी, यानी तब जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी।

✔ "अगर जाति जन्म से थी, तो मेगास्थनीज ने इसे क्यों नहीं लिखा?"

✔ "अगर जाति जन्म से थी, तो श्रीकृष्ण राजा कैसे बने, जबकि वे ग्वाले थे?"

✔ "अगर जाति जन्म से थी, तो ऋषि वाल्मीकि शूद्र होते हुए भी महर्षि कैसे बने?"

✔ "अगर जाति जन्म से थी, तो वेदव्यास मछुआरे होते हुए भी वेद कैसे लिख सकते थे।

जातियाँ पहले भी थी और अब भी है -

✅ शास्त्रों के प्रमाण बताते हैं कि –

✔ श्रीकृष्ण यादव (ग्वाला) थे।

✔ वेदव्यास मछुआरा जाति से थे।

✔ वाल्मीकि भंगी समाज से थे।

✔ हनुमान आदिवासी समाज से थे।

✔ राम के मित्र निषादराज निषाद जाति से थे।

✔ कर्ण सूतपुत्र थे, यानी मिश्रित जाति से थे।

क्या उस समय जातिवाद था?

कृष्ण, जो ग्वाला जाति (अहीर) से थे, उनके बहुत करीबी मित्र सुदामा ब्राह्मण जाति से थे। दोनों के बीच जातिगत भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म में लोग अपनी जाति के आधार पर रिश्ते बनाने में सक्षम थे, और यह जातिवाद का उदाहरण नहीं था।

राम, जो एक क्षत्रिय थे, और उनका मित्र हनुमान, जो आदिवासी जाति से थे, इनके बीच भी कोई जातिवाद नहीं था। राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, जो एक आदिवासी महिला थीं। यह भी एक और उदाहरण है जो दिखाता है कि सनातन धर्म में जातिवाद की कोई कठोर अवधारणा नहीं थी।

हम ईश्वर के वंशज कैसे हुए

✅ श्रीकृष्ण को "यादव" क्यों कहा जाता है, इसका प्रमाण भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है। भागवत पुराण **(10.5.1)** ➡ इसमें वर्णन मिलता है कि श्रीकृष्ण का जन्म "नंद" के घर हुआ था, जो गोकुल के ग्वाला (गाय चराने वाले) थे।

महाभारत (सभापर्व **14.4)** ➡ यहां श्रीकृष्ण को "यदुकुलनंदन" कहा गया है, जिसका अर्थ "यादव वंश में जन्मा व्यक्ति" होता है।

अहीर, यादव, गड़रिया आदि जातियाँ पारंपरिक रूप से पशुपालक रही हैं, ये सब श्रीकृष्ण के वंशज रही है।

विष्णु पुराण **(4.13.1-2)** ➡ इसमें स्पष्ट लिखा है कि "यदु" वंश से उत्पन्न लोग "यादव" कहलाए।

निष्कर्ष:

✔ श्रीकृष्ण का जन्म "यदु" वंश में हुआ था, इसलिए वे "यादव" कहे गए।

✔ नंद भी ग्वाला थे, इसलिए कृष्ण को ग्वाला समाज का भी माना जाता है।

✔ ग्वाला समाज आज भी भारत में मौजूद है, तो यह स्पष्ट है कि यह जाति पहले से थी।

✅ वेदव्यास का जन्म मछुआरा समाज में हुआ था, इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है।

महाभारत (आदिपर्व, **63.95-100)**

➡ इसमें वर्णन है कि वेदव्यास की माता सत्यवती थीं, जो "मत्स्यगंधा" थीं।

➡ "मत्स्य" का अर्थ मछली होता है, और मत्स्यगंधा का अर्थ "मछली पकड़ने वाली जाति" होता है।

📌 निष्कर्ष:

✔ वेदव्यास की माता मछुआरिन थीं, इसलिए वे जाति से मछुआरे हुए।

✔ मछुआरा जाति आज भी मौजूद है, तो यह स्पष्ट है कि यह पहले भी थी।

✅ महर्षि वाल्मीकि का जन्म शूद्र जाति में हुआ था, और वे पहले सफाई कार्य करते थे।

आदिकाव्य रामायण (बालकांड, **1.1.5)**

➡ इसमें वाल्मीकि को "प्राचीन समय का शूद्र" कहा गया है। स्कंद पुराण (अवंतिका खंड, **36.1-10)**

➡ इसमें लिखा है कि वाल्मीकि पहले "रात्रीचर" थे, यानी जंगलों में रहने वाले और शवों को हटाने वाले।

निष्कर्ष:

✔ वाल्मीकि का जन्म भंगी जाति में हुआ था, लेकिन बाद में वे ऋषि बने।

✔ भंगी जाति सफाई कार्य से जुड़ी थी, और यह आज भी मौजूद है, तो यह पहले भी थी।

✅ हनुमान जी को "वानर" कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में आदिवासी समाज का प्रतीक है।

वाल्मीकि रामायण (किष्किंधा कांड, **4.1.50)**

➡ इसमें लिखा गया है कि हनुमान "पर्वतों पर रहने वाले वनवासी समाज" से थे। महाभारत (वनपर्व, **149.10-15)**

➡ इसमें भी वानर जाति का वर्णन है, और इसे "वनवासी जाति" से जोड़ा गया है। निष्कर्ष:

✔ हनुमान वानर जाति से थे, जो असल में आदिवासी समाज का प्रतीक है।

✔ आज भी भारत में कई आदिवासी समूह जंगलों में रहते हैं, तो यह जाति पहले भी थी।

1 कृष्णा **(Krishna)** जाति**:**

☑ उत्तर भारत में**:-** यदुवंशी कृष्ण**:** भगवान श्रीकृष्ण को यदुवंशी कहा जाता है।

यादव जाति**:** यादव जाति **OBC** (अन्य पिछड़ा वर्ग) में आती है।

☑ दक्षिण भारत में**:-** यादव जाति (ओबीसी)**:** तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यादव समुदाय भी **OBC** में आता है।

गोप **(OBC):** कर्नाटक और महाराष्ट्र में "गोप" समुदाय को यादव के रूप में देखा जाता है। अहीर, यादव, गड़रिया आदि जातियाँ पारंपरिक रूप से पशुपालक रही हैं, ये सब श्रीकृष्ण के वंशज रही है।

2 वाल्मीकि **(Valmiki)** जाति**:**

☑ उत्तर भारत में**:-** वाल्मीकि समुदाय**:** ज्यादातर अनुसूचित जाति **(SC)** में आता है। सफाई कर्मचारी समाज**:** वाल्मीकि जाति से जुड़े लोग नगर निगम और सरकारी सफाई कार्यों में प्रमुख रूप से देखे जाते हैं।

☑ दक्षिण भारत में**:-** वाल्मीकि **(ST/OBC):**आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में "वाल्मीकि" समुदाय कुछ जगहों पर अनुसूचित जनजाति **(ST)** और कुछ जगहों पर **OBC** में आता है।

कर्नाटक में "वाल्मीकि नायक" **ST** कैटेगरी में आते हैं।

3 राम **(Ram)** जाति**:**

☑ उत्तर भारत में**:-** राम एक क्षत्रिय थे जो **obc** समाज और **sc** समाज में आते है। आपको बता दूँ कि लोगों के दिमाग में ये बैठा रखा है कि क्षत्रिय केवल वही है जो राजा थे पर ऐसा नहीं है,क्षत्रिय वर्ग एक योद्धा वर्ग है जिसमें किसान भी आते थे क्योंकि किसानों को उस समय एक योद्धा के रूप में देखा जाता था। इसका सबूत हमको मेगास्थनीज को इंडिका में मिलता है। और आज किसान कौन है **sc, obc** तो ये ही असली राम के वंशज है।

अगर लोग ये कहना चाह रहे है कि राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो प्रथ्वीराज चौहान, महाराना प्रताप थे तो भी यह राम के वंशज नहीं क्योंकि राम के समय कोइ भी ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता था यानी जातियों का आपस में आदान प्रदान होता रहता था।

इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ब्राह्मण और राजपूत ये सब विदेशी है ये भारत के मूलनिवासी नहीं है ये मैं नहीं कह रहा ये सब नेहरू सावरकर और भी लोगों ने खुद ही अपनी किताब में लिखा है व इनकी एक **dna report** भी आई थी।

आर्य आक्रमण/प्रवास सिद्धांत **(Aryan Invasion/Migration Theory)**

19वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों (जैसे मैक्स मूलर) ने कहा कि आर्य (ब्राह्मण, राजपूत आदि के पूर्वज) मध्य एशिया/यूरोप से भारत आए और यहाँ के मूल निवासियों (द्रविड़/आदिवासियों) पर हावी हुए। इस सिद्धांत के अनुसार, ब्राह्मण और राजपूत "आर्यों" के वंशज हैं, जो भारत के मूल निवासी नहीं थे।

समर्थन में प्रमाण: ऋग्वेद **(1500 BCE)** में "दस्यु" और "आर्य" के बीच संघर्ष का उल्लेख। सिंधु घाटी सभ्यता **(3300-1300 BCE)** के पतन के बाद आर्य संस्कृति (वैदिक सभ्यता) का उदय।

☑ दक्षिण भारत में:- राम **(Naidu, Mudiraj - OBC):** आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ पिछड़ी जातियों में "राम" नाम पाया जाता है।

राम नायक **(ST):** कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ आदिवासी समूहों में "राम" नाम प्रचलित है।

4 आंकड़ों के अनुसार कितने लोग इनमें आते हैं?

◆ भारत में **OBC** जनसंख्या: लगभग **40-45%**

◆ **SC** जनसंख्या: लगभग **16-18%**

◆ **ST** जनसंख्या: लगभग **8-10%**

◆ **General** वर्ग: लगभग **20-25%**

➡ यदि यादव (कृष्णा), वाल्मीकि और अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ें तो कुल मिलाकर लगभग **60%+** लोग **OBC, SC,** और **ST** में आते है

सनातन में वर्णव्यवस्था

(ऋग्वेद - पुरुषसूक्त, **10.90.12**) "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायतः॥"

(ऋग्वेद **10.90.12**) इस श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति को एक ही पुरुष (ब्रह्म) के अंगों से जोड़कर बताया गया है, लेकिन यहाँ जन्म के आधार पर भेद नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक वर्णन है, जो समाज के विभिन्न कार्यों (ज्ञान, रक्षा, व्यापार, सेवा) को दर्शाता है, न कि जन्मजात श्रेष्ठता को।

लेकिन इसको लोग ब्राह्मण द्वारा बाद में जोड़ा मानते है। संदेह के कारण:

वैदिक काल **vs** बाद का युग:- ऋग्वेद के पहले **9** मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं, जबकि **10**वाँ मंडल (जिसमें पुरुषसूक्त है) बाद का जोड़ा हुआ माना जाता है। कुछ विद्वानों (जैसे मैक्स मूलर, वेबर) का मानना है कि यह सूक्त वैदिक काल के अंत (लगभग **1000-800 BCE**) में रचा गया।

प्रतीकात्मक **vs** शाब्दिक अर्थ: - पुरुषसूक्त में "मुख, बाहु, जांघ, पैर" का वर्णन समाज के विभिन्न कार्यों का प्रतीक है (जैसे ज्ञान, रक्षा, उत्पादन, सेवा)। लेकिन बाद में इसे शाब्दिक रूप से लेकर जन्मजात जाति व्यवस्था का औचित्य सिद्ध किया गया।

विरोधाभास: - ऋग्वेद के अन्य सूक्तों (जैसे **9.112.1**) में कर्म की प्रधानता बताई गई है, जबकि पुरुषसूक्त को जन्म आधारित व्याख्या के लिए इस्तेमाल किया गया।

कौन-कौन से विद्वान इसे "संदिग्ध" या "प्रक्षिप्त" मानते हैं?

पाश्चात्य विद्वान:- मैक्स मूलर: उन्होंने कहा कि पुरुषसूक्त "ब्राह्मणवादी विचारधारा" का प्रभाव दिखाता है, जो वैदिक काल के बाद उभरा।

ए.एल. बाशम: अपनी पुस्तक "द वंडर दैट वाज़ इंडिया" में लिखा कि यह सूक्त सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए जोड़ा गया।

भारतीय विद्वान:- डॉ. अम्बेडकर: उन्होंने "शूद्रों की खोज" में लिखा कि पुरुषसूक्त को ब्राह्मणों ने बाद में वेदों में डाला, ताकि जाति व्यवस्था को पवित्र सिद्ध किया जा सके। स्वामी विवेकानंद: उन्होंने कहा कि "वर्ण व्यवस्था मूल रूप से कर्म आधारित थी, लेकिन पुरुषसूक्त की गलत व्याख्या से यह जन्म आधारित हो गई।"

तर्क:- ऋग्वेद के बाकी हिस्सों से अलग: ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त प्रकृति-देवताओं (अग्नि, इंद्र, वरुण) की स्तुति में हैं, जबकि पुरुषसूक्त एक दार्शनिक रचना है।

ब्राह्मण ग्रंथों में अतिरिक्त व्याख्या: शतपथ ब्राह्मण **(13.6.2)** जैसे ग्रंथों में पुरुषसूक्त को यज्ञ-केंद्रित व्याख्या दी गई, जो संदेह पैदा करती है।

विरोधाभास: वेदों के अन्य भागों (जैसे ऋग्वेद **9.112.1**, यजुर्वेद **26.2**) में कर्म की प्रधानता है, जबकि पुरुषसूक्त को जन्म से जोड़कर देखा जाने लगा।

सुझाव:- पुरुषसूक्त की व्याख्या प्रतीकात्मक रूप में करें, न कि शाब्दिक। जैसे:

- "मुख" = ज्ञानियों (ब्राह्मणों) का स्थान,
- "बाहु" = रक्षकों (क्षत्रियों) का स्थान,
- "जांघ" = उत्पादकों (वैश्यों) का स्थान,
- "पैर" = श्रमिकों (शूद्रों) का स्थान।

इससे स्पष्ट है कि यह एक कार्य-विभाजन था, जन्मगत भेद नही

"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।"

(श्रीमद्भगवद्गीता **4.13**) भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि चार वर्ण गुण (सत्व, रज, तम) और कर्म (योग्यता) के आधार पर बनाए गए हैं, जन्म के आधार पर नहीं। "गुणकर्मविभागशः" शब्द साबित करता है कि वर्ण कर्म और स्वभाव से तय होता था।

"जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते।"

(महाभारत, शांतिपर्व **188.5**) इसका अर्थ है: "जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार (शिक्षा, कर्म) से द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) बनते हैं।" यह साबित करता है कि जाति जन्म से नहीं, बल्कि शिक्षा और कर्म से निर्धारित होती थी।

"न जातिः कारणं शौर्ये न जातिः कारणं ज्ञाने।"

(महाभारत, वनपर्व **177.20**) "शूरता या ज्ञान में जाति कारण नहीं होती" – यह साबित करता है कि प्राचीन काल में योग्यता ही मायने रखती थी।

विश्वामित्र: क्षत्रिय से ब्राह्मण- विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय (राजा) थे, लेकिन तपस्या और ज्ञान से ब्राह्मण बन गए। (वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड **51.24**) में उन्हें "ब्रह्मर्षि" कहा गया।

वेदव्यास: दासीपुत्र से महर्षि

महर्षि वेदव्यास का जन्म एक दासी (मत्स्यगंधा) के गर्भ से हुआ था, लेकिन ज्ञान के कारण उन्हें ब्राह्मणों का गुरु माना गया। (महाभारत, आदिपर्व) में उनकी कथा है।

वाल्मीकि: डाकू से महर्षि ,वाल्मीकि जन्म से शूद्र (डाकू रत्नाकर) थे, लेकिन तपस्या से ऋषि बने और रामायण की रचना की।

बौद्ध ग्रंथ (अम्बट्ठ सुत्त, दीघ निकाय): बुद्ध ने ब्राह्मणों के जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के दावे को खारिज किया और कहा कि कर्म ही मायने रखता है।

जैन ग्रंथ (उत्तराध्ययन सूत्र): महावीर स्वामी ने कहा कि "जाति नहीं, आचरण ही व्यक्ति को महान बनाता है।"

(यजुर्वेद **26.2**) "यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।

ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च॥"

अर्थ: "मैं (ईश्वर) कल्याणकारी वाणी (ज्ञान) को सभी मनुष्यों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, आर्य (कर्मशील) और अनार्य (अकर्मण्य)—के लिए समान रूप से प्रदान करता हूँ।"

यहाँ शूद्र और आर्य को समान अधिकार दिया गया है, जो सिद्ध करता है कि ज्ञान/कर्म ही निर्णायक है।

(अथर्ववेद **19.32.8**) "समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥"

अर्थ: "तुम्हारी इच्छाएँ, हृदय और मन समान हों, ताकि तुम साथ-साथ सुखपूर्वक रह सको।" यह मंत्र सामाजिक एकता पर जोर देता है, न कि जन्म के आधार पर भेद पर।

(1) ऋषि कवष ऐलूष: शूद्र पुत्र से ब्रह्मर्षि

ऋग्वेद **(5.44.12)** में ऋषि कवष ऐलूष का उल्लेख है, जो एक शूद्र महिला (इलुषा) के पुत्र थे, लेकिन वेदों के मंत्रद्रष्टा बने। बाद में उन्हें "ब्रह्मर्षि" की उपाधि मिली, जो साबित करता है कि जन्म नहीं, बल्कि ज्ञान से वर्ण तय होता था।

(2) ऋषि वाल्मीकि: वैदिक परंपरा से जुड़ाव

हालाँकि वाल्मीकि का जिक्र वेदों में नहीं है, लेकिन वैदिक परंपरा उन्हें "आदिकवि" मानती है, जो जन्म से शूद्र थे, पर ज्ञान से ऋषि बने।

1. ऋग्वेद**:** "ब्राह्मण" शब्द का अर्थ – ज्ञानी या मंत्रद्रष्टा

(ऋग्वेद **7.103.8)** "ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः"

अर्थ**:** "ब्राह्मण वे हैं जो सोम (ज्ञान/तप) के पिता (आचार्य) हैं।" यहाँ "ब्राह्मण" शब्द किसी जन्मजात समुदाय के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और तपस्या करने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है।

(ऋग्वेद **9.112.1)** "कृण्वन्तो विश्वमार्यम्"

अर्थ**:** "सभी मनुष्य अपने कर्म से आर्य (श्रेष्ठ) बन सकते हैं।" यह सिद्ध करता है कि ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं, कर्म से प्राप्त होता था।

2. यजुर्वेद**:** ब्राह्मण = विद्वान, जन्म नहीं

(यजुर्वेद **20.17)** "ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत्"

अर्थ**:** "ब्राह्मण (ज्ञानी) समाज का मुख (प्रमुख अंग) है।"

यहाँ मुख का अर्थ कार्य (ज्ञान देना) है, न कि जन्मजात स्थिति।

(यजुर्वेद **26.2)** "ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च**...**"

अर्थ**:** "ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आर्य (कर्मशील) सभी को समान ज्ञान का अधिकार है।" यह साबित करता है कि शूद्र भी ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मण के समान बन सकता था।

3. अथर्ववेद**:** ब्राह्मणत्व की योग्यता

(अथर्ववेद **19.32.8)** "समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः"

अर्थ**:** "सभी की इच्छाएँ और हृदय समान हों।" यह मंत्र जन्म के आधार पर भेद को नकारता है।

(अथर्ववेद **19.71.1)** "ब्राह्मणः सम्राडभवत्"

अर्थ**:** "ब्राह्मण (ज्ञानी) सम्राट (श्रेष्ठ) बनता है।" यहाँ "ब्राह्मण" एक उपाधि है, जो ज्ञान और तप से प्राप्त होती है।

4. वैदिक उदाहरण**:** जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण

(1) ऋषि कवष ऐलूष (ऋग्वेद **5.44.12)** वे एक शूद्र महिला (इलुषा) के पुत्र थे, लेकिन ऋग्वेद के मंत्रद्रष्टा बने।

ऋग्वेद में उन्हें **"ब्रह्मवादिन"** (ब्राह्मण) कहा गया।।।।।।

(2) ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय (राजा) थे, लेकिन तपस्या से ब्रह्मर्षि बने। उनका उल्लेख ऋग्वेद **(3.53)** में है।

5. वेदों में "ब्राह्मण" की परिभाषा

वेदों में "ब्राह्मण" शब्द के लिए निम्न शर्तें बताई गईं:

ऋग्वेद **1.164.39:** "ब्राह्मण वह है जो सत्य का ज्ञाता है।"

अथर्ववेद **12.1.1:** "ब्राह्मण वह है जो वेदों का रक्षक है।"

यजुर्वेद **31.11:** "ब्राह्मणत्व तप और ज्ञान से प्राप्त होता है।"

यानि ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी। और देखें - ऋग्वेद **(Rigveda)** में ब्राह्मण का कर्म पर आधारित दर्जा दर्शाया गया है। ऋग्वेद, मंडल **10**, सूक्त **90** में कहा गया है:

"ब्राह्मणो कर्मनिष्ठा"

☞ व्याख्या: ब्राह्मण वह व्यक्ति होते हैं जो अपने कर्मों द्वारा धर्म का पालन करते हैं। यह जन्म के आधार पर नहीं है।

इसके अलावा, ऋग्वेद, मंडल **9**, सूक्त **113** में ब्राह्मणों के बारे में लिखा है:

"कर्मणा ब्राह्मणो लोकनायकः"

☞ व्याख्या: ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा समाज का नेतृत्व करते हैं, जन्म के आधार पर नहीं।

महाभारत, आदिपर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के आधार पर ब्राह्मणत्व की महत्ता को बताया:

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"

☞ व्याख्या: आप केवल कर्मों में अधिकार रखते हैं, फल में नहीं। यही सिद्धांत ब्राह्मणत्व पर लागू होता है।

महाभारत के भीष्म पर्व, अध्याय **13** में भीष्म पितामह ने यह कहा था:

"कर्मणा ब्राह्मणत्वं प्राप्तं"

☞ व्याख्या: ब्राह्मणत्व कर्म द्वारा अर्जित किया जाता है, जन्म से नहीं।

आंकड़ा: महाभारत में कर्म के आधार पर ब्राह्मणत्व पर जोर देने से यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणत्व किसी भी व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर मिल सकता है, न कि जन्म से।

भगवान कृष्ण ने गीता में ब्राह्मणत्व और समाज के सभी वर्गों की भूमिका को स्पष्ट किया: भगवद गीता, अध्याय 4, श्लोक 13 में भगवान कृष्ण ने कहा:

"चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः"

☞ व्याख्या: मैंने चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) का सृजन गुण और कर्म के आधार पर किया है, न कि जन्म के आधार पर।

भगवद गीता, अध्याय 18, श्लोक 41 में भगवान कृष्ण ने यह कहा:

"ब्राह्मणक्षत्रियविशामशूद्राणां च पार्थ"

☞ व्याख्या: समाज के सभी वर्ग कर्मों के आधार पर अपनी स्थिति प्राप्त करते हैं।

● आंकड़ा: गीता में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वर्ण कर्म और योग्यता पर निर्भर करते हैं, न कि जन्म पर। रामायण में भी ब्राह्मणों के कर्म और धार्मिक कार्यों के महत्व को दर्शाया गया है: रामायण, बालकांड, श्लोक 19.1 में भगवान राम ने ब्राह्मणों को समाज के शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित किया:

"ब्राह्मणो धर्मपालकाः"

☞ व्याख्या: ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले और समाज को सही मार्ग दिखाने वाले होते हैं। रामायण, उत्तरकांड में भगवान राम ने बताया कि, किसी का भी सम्मान उसके कर्म और धर्म के आधार पर होना चाहिए।

● आंकड़ा: रामायण में ब्राह्मणों का धर्म और कर्म के अनुसार सम्मान दिखाया गया है। इसमें कहीं भी जन्म आधारित जातिवाद का उल्लेख नहीं है।

भागवतम्, 10.1 में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को बताया:

"शरीरं ब्राह्मणत्वं"

☞ व्याख्या: ब्राह्मणत्व शारीरिक या जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर प्राप्त होता है।

ज्ञानी: ब्राह्मण का असली रूप वह होता है जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है, चाहे वह किसी भी जाति से हो।

पंडित: पुराने समय में जो लोग धार्मिक ग्रंथों और वेदों के ज्ञाता होते थे, उन्हें पंडित कहा जाता था।

आचार्य**:** यह भी एक नाम था जो ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता था**,** विशेष रूप से जिनका कार्य धार्मिक शिक्षा और सिद्धांतों का प्रचार करना था।

ऋषि**:** उन संतों या विचारकों को कहा जाता था जो धार्मिक ज्ञान के साथ-साथ समाज को सुधारने का कार्य करते थे।

सनातन में मूर्ति पूजा और मन्दिर

वेदों में मूर्ति पूजा **(Idol Worship)** और मंदिरों **(Temples)** का सीधा उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक धर्म मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य जैसे प्राकृतिक देवताओं की यज्ञ (हवन) और मंत्रों द्वारा पूजा पर केंद्रित था। हालाँकि, कुछ श्लोकों में "देवताओं के प्रतीकात्मक रूपों" का जिक्र है, जिसे बाद में मूर्ति पूजा से जोड़ा गया। आइए विस्तार से समझें:

वेद – ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद – ये चारों ज्ञान, यज्ञ, प्रकृति, मंत्र और तत्वचिंतन पर आधारित हैं।

वेदों में "देवताओं" का वर्णन है जैसे – अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, वायु, सूर्य,उषा आदि, लेकिन यह देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं, न कि कोई मूर्त रूप। बल्कि अधिकतर पूजा निराकार रूप में होती थी।

ऋग्वेद **(1.164.46):**

"एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति"

("सत्य एक है, लेकिन ऋषि इसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं।")

यहाँ निराकार ईश्वर की अवधारणा है, न कि मूर्ति की।

ऋग्वेद **10.129** (नासदीय सूक्त): "को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्"

("सृष्टि के आरंभ में कोई नहीं जानता था कि ईश्वर कैसा है।") यह अमूर्त ब्रह्म की ओर इशारा करता है।

यजुर्वेद **40.9** (ईशावास्योपनिषद):

"अंधं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते।

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः॥"

("जो लोग मूर्त रूपों (असम्भूति) की पूजा करते हैं, वे अंधकार में जाते हैं।")

यहाँ मूर्ति पूजा को नकारा गया है। हालाँकि वेदों में मूर्ति पूजा का स्पष्ट विवरण नहीं है, लेकिन कुछ श्लोकों में देवताओं के प्रतीकात्मक रूप मिलते हैं:

ऋग्वेद **2.33.9** (रुद्र/शिव का वर्णन)**:** "शिवं भव" कहा गया है**,** लेकिन यहाँ शिवलिंग जैसी मूर्ति का उल्लेख नहीं। अथर्ववेद **10.7.38** (विष्णु के कदम)**:** विष्णु के तीन कदमों (त्रिविक्रम) का वर्णन है**,** पर मूर्ति नहीं।

वेदों में "देवालय" या "मंदिर" शब्द नहीं मिलता।

यज्ञशाला (यज्ञ करने का स्थान) और देवगृह (देवताओं का आवास) जैसे शब्द हैं**,** लेकिन ये आधुनिक मंदिरों जैसे नहीं थे। ऋग्वेद **10.114.3:** "देवानां पथः" (देवताओं के मार्ग) का जिक्र है**,** जो तीर्थ या पवित्र स्थानों को दर्शाता हो सकता है।

वेदों में मूर्ति पूजा या मंदिरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। वैदिक पूजा-पद्धति यज्ञ**,** मंत्र और प्रकृति-आधारित थी।

वाल्मीकि रामायण (बालकाण्ड **35.16-18**)**:** राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं**,** जिसमें ऋष्यशृंग ऋषि यज्ञवेदी पर देवताओं का आह्वान करते हैं**,** लेकिन मूर्ति पूजा का सीधा उल्लेख नहीं है।

सुंदरकाण्ड (**5.15.12**)**:** हनुमान लंका में अशोक वाटिका के पास एक सुन्दर भवन देखते हैं**,** जिसे कुछ विद्वान मंदिर जैसा मानते हैं**,** लेकिन स्पष्ट वर्णन नहीं है।

आदिपर्व (**1.123.10**)**:** एकलव्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता है और धनुर्विद्या सीखता है। यह मूर्ति के प्रति श्रद्धा का उदाहरण है**,** लेकिन इसे देवता की मूर्ति पूजा नहीं माना जा सकता।

अनुशासन पर्व (**14.14.96**)**:** कृष्ण शिव की पूजा करते हैं**,** लेकिन मूर्ति या लिंग का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बाद के पुराणों (जैसे शिव पुराण) में कृष्ण द्वारा शिवलिंग स्थापना की कथा मिलती है।

रामायण अयोध्या काण्ड (**2.55.8**)**:** अयोध्या में "देवगृह" (देवताओं के घर) का उल्लेख है**,** जो मंदिर जैसा हो सकता है**,** लेकिन विवरण नहीं दिया गया

महाभारत सभा पर्व (**2.3.1**)**:** इंद्रप्रस्थ के राजमहल में देवताओं की मूर्तियों से सजे हॉल का वर्णन है**,** लेकिन यह सार्वजनिक मंदिर नहीं है।

सीधे उल्लेख नहीं**:** रामायण और महाभारत में देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित कर पूजा करने का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। अप्रत्यक्ष संकेत**:** एकलव्य द्वारा द्रोण की मूर्ति बनाना और देवगृह/यज्ञशालाओं का उल्लेख मिलता है।

ऋग्वेद **10.155.3 –** "अदो यद्दारु प्लवते**...**"

मूल श्लोक: "अदो यद्दारु प्लवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्। तदा रभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम्॥"

विश्लेषण: अर्थ: "जो काठ (लकड़ी) नदी के पार बिना किसी मनुष्य (अपूरुषम्) के बहती है, उसे पकड़कर दुःखों से पार जाओ।"

मूर्ति पूजा से संबंध? कुछ विद्वान (जैसे कुछ ओडिया विद्वान) इसे जगन्नाथ मंदिर की लकड़ी की मूर्तियों से जोड़ते हैं, लेकिन यह काल्पनिक व्याख्या है। मूल श्लोक में न तो मूर्ति का जिक्र है, न ही पूजा का। यह एक रूपक है जो संकटों से पार पाने की शिक्षा देता है।

निष्कर्ष: इस श्लोक को मूर्ति पूजा से जोड़ना असंगत है।

ऋग्वेद **10.94.1** – "प्रैते वदन्तु प्र वयं वदाम..." मूल श्लोक: "प्रैते वदन्तु प्र वयं वदाम सोमे सचन्त सुकृतस्य लोके। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः॥"

विश्लेषण: अर्थ: "ये (पत्थर) बोलें, हम बोलें, सोम के साथ सत्यकर्म के लोक में जुड़ें। अमृत के पुत्र (देवता) हमारी सुनें, जो दिव्य स्थानों में विराजमान हैं।"

मूर्ति पूजा से संबंध? यह श्लोक सोमरस निकालने के लिए पत्थरों (ग्रावण्) को घोटने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। "पत्थरों की ध्वनि" को देवताओं से संवाद बताया गया है, न कि मूर्ति पूजा।

निष्कर्ष: इसे मूर्ति पूजा से जोड़ना गलत है।

अथर्ववेद **19.71.1** – "ब्राह्मणः सम्राडभवत्"

मूल श्लोक: "ब्राह्मणः सम्राडभवत् सर्वस्येशान ओजसा।

तं देवा अब्रुवन्नृपं इदं सर्वं प्रशास्ति नः॥"

विश्लेषण: अर्थ: "ब्राह्मण (ज्ञानी) तेज से सम्राट बनता है और सबका स्वामी होता है। देवताओं ने उसे नियंता कहा।"

मूर्ति पूजा से संबंध? यह श्लोक ब्राह्मण (विद्वान) की श्रेष्ठता बताता है, न कि मूर्ति पूजा की। कुछ लोग इसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थन मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा से इसका कोई संबंध नहीं। निष्कर्ष: इसका मूर्ति पूजा से कोई लेना-देना नहीं।

वेदों में मूर्ति पूजा का अभाव: वैदिक धर्म यज्ञ, मंत्र और प्रकृति-पूजा (अग्नि, सूर्य, वरुण आदि) पर केंद्रित था। ईशावास्योपनिषद (यजुर्वेद **40.9**) में मूर्ति पूजा को "अंधकार का मार्ग" कहा गया है।

हड़प्पा सभ्यता तक हमको मूर्ति पूजा नहीं दिखती -

हड़प्पा से मातृदेवी की छोटी मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन ये प्रकृति (फसल, उर्वरता) का प्रतीक हो सकती हैं। पशुपति शिव जैसी मुहर मिली है, पर यह योगी का चित्र है। शिव का नहीं शिव की पूजा तो शैव संप्रदाय से शुरू हुई जो **9-10** वीं सदी का है।

पानी की पूजा: बड़े स्नानागार (मोहनजोदड़ो) और जलकुंड मिले हैं। यह दिखाता है कि पानी को पवित्र मानते थे।

पेड़-पौधों की पूजा: मुहरों पर पीपल के पेड़ की आकृतियाँ मिली हैं।

जानवरों का सम्मान: सिंह, हाथी और बैल की आकृतियाँ मिली हैं, जो प्रकृति के प्रतीक हैं। निष्कर्ष: हड़प्पावासी मूर्तियों की बजाय प्रकृति की शक्तियों (पानी, अग्नि, पेड़, जानवर) की पूजा करते थे।

क्या हड़प्पा में मंदिर थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में कोई मंदिर नहीं मिला। विशाल स्नानागार (**Great Bath**) को कुछ लोग "मंदिर" मानते हैं, लेकिन यह जल-पूजा या सामुदायिक स्नान का स्थान था।

देवी माँ की मूर्ति (**Mother Goddess Figurine**): यह एक मिट्टी की छोटी मूर्ति है, जिसे कुछ विद्वान "मातृदेवी" मानते हैं, लेकिन यह भी पूजा की मूर्ति नहीं, बल्कि घर की रक्षा या प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता है।

कोई मंदिर नहीं, कोई यज्ञशाला या वेदिक चिन्ह नहीं।

वेदों में हमको यही प्रकृति पूजा मिलती -

अग्नि (आग): ऋग्वेद (**1.164.46**) में अग्नि को "ज्ञान का देवता" कहा गया। लोग यज्ञ (हवन) करते थे, मूर्ति नहीं पूजते थे।

वायु (हवा): ऋग्वेद (**1.8.9**) में हवा को जीवनदायी शक्ति बताया गया।

इंद्र (बारिश): इंद्र को बादल और बारिश का देवता माना जाता था (मूर्ति नहीं)।

उपनिषद (बृहदारण्यक **4.5.6**) कहते हैं:

"ईश्वर का कोई रूप नहीं, वह अनंत है।"

हड़प्पा और वेदों में समानता: दोनों में प्रकृति पूजा थी, मूर्ति पूजा नहीं। आज भी प्रकृति पूजा: हिंदू पीपल, तुलसी, नदियों की पूजा करते हैं, जो वैदिक परंपरा का हिस्सा है।

सरल उदाहरण

- **हड़प्पा:** जैसे आज हम तुलसी को पूजते हैं (बिना मूर्ति के), वैसे ही हड़प्पावासी पीपल को मानते थे।
- **वेद:** जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं (मूर्ति नहीं), वैसे ही वैदिक लोग अग्नि में घी डालते थे।

आशोक के समय में भी मूर्ति पूजा या मन्दिर न थे इस समय तक बौद्ध धर्म अपने चरम पर था लेकिन बौद्ध धर्म भी में भी मूर्ति पूजा नहीं थी यह सब बाद में होने लगा है। - अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता। उसने स्तूप (जैसे साँची, धमेक) बनवाए, जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे गए, लेकिन बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं थीं। बौद्ध कला में बुद्ध को प्रतीकों (पद्मासन, धर्मचक्र, पैरों के निशान) से दिखाया जाता था, मूर्ति नहीं। प्रारंभिक बौद्ध परंपरा में बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया जाता था (जैसे: खाली सिंहासन, अशोक चक्र, वृक्ष आदि)। मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं थी। सांची, भरहुत, सारनाथ आदि स्थानों पर स्तूप बने, लेकिन वे केवल धार्मिक स्मारक थे, पूजा स्थल (मंदिर) नहीं।

इनमें भी मूर्तियाँ या देवमूर्तियाँ नहीं थीं। अशोक के शिलालेखों में शिव, विष्णु आदि देवताओं के मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं। पुरातत्वविदों को अशोक काल के हिंदू मंदिर नहीं मिले। उस समय तक मूर्ति पूजा (जैसे आज की तरह) प्रचलित नहीं हुई थी।

शैव संप्रदाय में शिवलिंग पूजा: गहन विश्लेषण

1. शिवलिंग का अर्थ और प्रमाण

शिव = निराकार ब्रह्म

श्वेताश्वतर उपनिषद (3.8) में कहा गया:

"न तस्य प्रतिमा अस्ति" (उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा/मूर्ति नहीं है)। लिंग पुराण (1.17.5-10) में शिवलिंग को "ब्रह्मांड का प्रतीक" बताया गया:

- आधार (नीचे का हिस्सा) = ब्रह्मा (सृष्टि)
- मध्य भाग = विष्णु (पालन)
- शीर्ष भाग = शिव (संहार)

ऊर्जा का प्रतीक

अथर्ववेद **(10.7.38)** में "स्तंभ" (यूपस्तंभ) को ब्रह्म का प्रतीक माना गया, जो बाद में शिवलिंग से जुड़ा।

महानिर्वाण तंत्र **(8.14-15)** कहता है:

"लिंगं चिदानंदरूपं" (शिवलिंग चेतना और आनंद का स्वरूप है)।

2. शैव मत में मूर्ति पूजा का विरोध

कश्मीर शैव दर्शन (अभिनवगुप्त)

इसमें "प्रत्यभिज्ञा हृदयम्" ग्रंथ में कहा गया:

"ईश्वर की कल्पना मूर्त रूप में करना अज्ञान है।" शैव सिद्धांत के अनुसार, शिव "निर्गुण-निराकार" हैं।

नयनार संतों के पद **(6**वीं-**9**वीं सदी) तिरुमूलर (तिरुमंत्रम **3000): *"शिव अरूप हैं, उन्हें मूर्ति में बाँधना पाप है।"*** मणिक्कवाचकर (तिरुवाचकम):

"मैंने पत्थर की मूर्ति को भगवान समझकर पूजा, लेकिन असली शिव तो मेरे भीतर हैं।"

4. शैव **vs** पौराणिक शिव पूजा (तुलना)

पहलू	शैव दर्शन	पौराणिक शिव पूजा
शिव का स्वरूप	निराकार (लिंग)	मूर्ति (अर्धनारीश्वर, नटराज)
पूजा विधि	ध्यान, मंत्र	अभिषेक, फूल-बिल्वपत्र
मूर्ति पूजा	विरोध	समर्थन
प्रमुख ग्रंथ	श्वेताश्वतर उपनिषद, तिरुमंत्रम	शिव पुराण, लिंग पुराण

5. विद्वानों के मत

1. डॉ. राधाकृष्णन (भारतीय दर्शन):

   "शैव दर्शन में शिवलिंग ब्रह्म की अव्यक्त शक्ति का प्रतीक है, न कि मूर्ति।"

2. स्टेला क्रैमरिस (पुरातत्वविद्):

   "हड़प्पा काल में शिवलिंग जैसी कोई वस्तु नहीं मिली, यह परवर्ती विकास है।"

6. निष्कर्ष **(Conclusion)**

1. शिवलिंग = निराकार ब्रह्म का प्रतीक, मूर्ति नहीं।
2. शैव संप्रदाय मूल रूप से मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
3. पौराणिक काल (**500 CE** के बाद) में शिव की मूर्तियाँ (नटराज, अर्धनारीश्वर) प्रचलित हुईं।

सच्चाई:

- ✅ शिवलिंग पूजा प्रतीकात्मक है (ब्रह्मांड की ऊर्जा)।
- ❌ शैव मत कभी भी मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं रहा।

अगर शैव, नाथ, या अद्वैत परंपराएँ अवतारवाद या मूर्ति पूजा को नहीं मानती — तो फिर देशभर में इतने शिवलिंग, शिवमंदिर, मूर्तियाँ क्यों? और क्या नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ आदि भी मूर्तिपूजक थे?"

【**1**】 प्रतीक और मूर्ति का अंतर: "शिवलिंग = मूर्ति नहीं, प्रतीक है"

● शिवलिंग क्या है?

"लिंग" का अर्थ है — चिन्ह, प्रतीक, संकेत

शिवलिंग = शिव के *अनाकार* (**Nirguna**) और *साकार* (**Saguna**) स्वरूप के बीच का पुल
तर्क:
जैसे अग्नि को तुम जलती लपट से नहीं पहचान सकते, केवल गर्माहट से — वैसे ही शिवलिंग = शिव का अनुभूति-चिन्ह।

तो मंदिरों में क्या होता है?

मूर्तियाँ = साकार रूप (अर्धनारीश्वर, नटराज आदि)

शिवलिंग = निराकार शिव का प्रतीक

शिवलिंग की पूजा = मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि अद्वैत शिव के अनुभव का प्रतीकात्मक रूप।

【2】 नाथ संप्रदाय की स्थिति:

● नाथ संप्रदाय शिव को किस रूप में मानता है?

"आदिनाथ" = पहला योगी, पहला गुरू, पहला चैतन्य

उनके लिए शिव कोई मूर्ति नहीं, बल्कि चैतन्य शक्ति का स्रोत हैं।

नाथ मंदिरों में मूर्तियाँ क्यों?

✅ हाँ, गोरखनाथ मंदिरों में मूर्तियाँ हैं।

लेकिन वहां पूजा का मुख्य केंद्र = समाधि, ध्यान, तंत्र और योग है। मूर्ति या शिवलिंग की पूजा वहाँ होती है, लेकिन मुख्य ध्यान "स्वानुभव" पर होता है, न कि मूर्ति पर।

प्रमाण:
गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर) में ध्यानगृह, योगमंडप, समाधि स्थल मुख्य हैं।

वहाँ मूर्ति है, लेकिन मूर्ति "अनुभव का प्रतीक" है — न कि भगवान को बाहर से बुलाना।

【3】 इतिहास और सामाजिक कारण: शिव की पूजा का इतना प्रसार क्यों?

प्राचीन भारत में शिव की पूजा क्यों फैली?

शिव = योग, तप, अग्नि, संन्यास, तंत्र, जीवन और मृत्यु के बीच का पुल आदिवासी, तांत्रिक, योगी, आम जनता — सबने उन्हें अलग-अलग नजरिए से अपनाया

वर्ग	शिव का रूप	पूजा क्यों
योगी	आदिनाथ	ध्यान और मोक्ष हेतु
तांत्रिक	भैरव, काल भैरव	शक्ति जागरण हेतु
आमजन	भोलेनाथ	सरल देव, शीघ्र कृपा

मंदिर संस्कृति	शिवलिंग	प्रतीकात्मक शिव

इसलिए शिव की पूजा हर परंपरा में दिखती है — लेकिन अर्थ और उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।

◆ निष्कर्ष: मूर्ति पूजा होती है, पर उसका अर्थ हर संप्रदाय में अलग होता है

संप्रदाय	मूर्ति है?	मान्यता	पूजा का उद्देश्य
वैष्णव	✓ हाँ	भगवान का अवतार	भक्ति, मोक्ष
शैव	✓ हाँ	शिव = अनादि तत्व	आत्मबोध
नाथ	⚠ सीमित	शिव = योग का स्रोत	आत्मसाक्षात्कार
अद्वैत	✕ नहीं	ब्रह्म = निराकार	ज्ञान, मोक्ष
लोकधर्म	✓ हाँ	भोलेनाथ = लोकदेवता	सुरक्षा, कृपा

◆ अंतिम शब्द **(Tattoo Mark Style** निष्कर्ष**):**

- ⛳ शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, वह "ब्रह्म का प्रतीक चिन्ह" है।
- ☸ नाथ संप्रदाय में मूर्ति तो है, पर उसका उद्देश्य ध्यान और योग है, न कि केवल पूजन।
- 🔱 शिव की व्यापक पूजा इसलिए फैली क्योंकि उन्होंने हर वर्ग को अपना लिया — योगी से लेकर ग्रामीण तक।

- ⚠ मूर्ति और प्रतीक में फर्क न समझना = दर्शन को आधा समझना।

इसे एसे समझो शुरुआती बुद्ध धर्म (हीनयान):   कोई मूर्ति नहीं — सिर्फ प्रतीक: धम्मचक्र (चक्र) = बुद्ध की शिक्षा, बोधिवृक्ष = ज्ञान का स्थान, खाली आसन = बुद्ध की अनुपस्थिति (अनात्मवाद), पूजा नहीं, केवल ध्यान, अनुशासन और निर्वाण पर ज़ोर।

बाद की शाखाएं (महायान, वज्रयान):

बुद्ध की मूर्तियाँ आने लगीं। लेकिन ये मूर्तियाँ = बुद्ध के गुणों, आदर्शों और ध्यान के प्रतीक। जैसे:
बुद्ध ध्यान मुद्रा = "ध्यान करो"

बुद्ध अभय मुद्रा = "डरो मत, भीतर झाँको"

तो क्या ये मूर्ति पूजा है? नहीं, ये प्रतीक पूजा है, आत्मबोध के लिए।

【2】 शैव, नाथ और अन्य संप्रदायों में भी क्या वही बात है?

हाँ, बिल्कुल! एकदम वैसी ही प्रक्रिया हुई है, बस भारतीय संदर्भ में।

- शुरुआती शिव परंपरा (अद्वैत-योग):

कोई मूर्ति नहीं, केवल ध्यान और अनुभूति। शिव = चैतन्य, चेतना, आत्मा का स्वरूप। लिंग = प्रतीक, न कि मूर्ति।

बाद में (भक्ति युग, लोकधर्म, मंदिर संस्कृति):

मूर्तियाँ बनीं (नटराज, अर्धनारीश्वर, पंचमुखी शिव), लेकिन ध्यान और अनुभव की जगह भक्ति और चमत्कार आने लगे।

नाथ संप्रदाय (गोरखनाथ):

शिव को आदि योगी मानते हैं — योग का प्रतीक। मूर्ति/शिवलिंग है, पर पूजा नहीं — ध्यान, समाधि और शक्ति जागरण का माध्यम।

निष्कर्ष:
ठीक बौद्ध धर्म की तरह, शैव और नाथ परंपराओं में मूर्ति = साधन है, साध्य नहीं।

तो क्या ये मूर्ति पूजा है या नहीं?

बात	बौद्ध धर्म	शैव / नाथ / योग परंपरा

शुरुआत में मूर्ति?	✖ नहीं	✖ नहीं
बाद में मूर्ति आई?	✅ हाँ	✅ हाँ
उद्देश्य क्या?	ध्यान, प्रतीक	ध्यान, प्रतीक
पूजा या भक्ति?	नहीं, आराधना	नहीं, अनुभव

✔ दोनों में मूर्तियाँ बुद्ध या शिव नहीं हैं, बल्कि उनकी चेतना का संकेत हैं।

◆ निष्कर्ष (टैटू चिह्नों में):

- ⛩ मूर्ति ≠ भगवान | मूर्ति = ध्यान का प्रतीक
- □♂ ध्यान, अनुभव और अनुशासन = असली पूजा
- 📿 मूर्ति अगर आत्मसाक्षात्कार में सहायक हो = ठीक
- ⚠ मूर्ति को ही अंतिम सत्य मान लेना = भूल

आर्य समाज का जन्म:

स्थापक: स्वामी दयानंद सरस्वती, स्थापना: **1875**

मुख्य ग्रंथ: "सत्यार्थ प्रकाश", "ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका"

मुख्य सिद्धांत: "वेद ही सर्वोच्च सत्य है" – इस आधार पर ही धर्म, समाज और जीवन को देखना चाहिए।

आर्य समाज कहता है कि: मूर्ति पूजा वेदविरुद्ध है यह अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देती है ईश्वर "निराकार" (बिना रूप के) है – जिसकी कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती ।

सत्यार्थ प्रकाश (दयानंद सरस्वती): में मूर्ति पूजा को “बुद्धिहीन परंपरा” कहा गया है। “पत्थर की मूर्ति से प्रार्थना करना ऐसे है जैसे दीवार से बात करना”

आर्य समाज के मंदिर: "आर्य मंदिर" या "वेद मंदिर" होते हैं। इनमें कोई मूर्ति नहीं, केवल यज्ञ वेदियाँ और वेद पाठ होते हैं

आर्य समाज के यज्ञ: अग्नि को साक्षी मानकर यज्ञ किया जाता है, लेकिन किसी देवता की मूर्ति स्थापित नहीं होती।

◆ मूर्ति पूजा को वेद के विरुद्ध मानने वाले अन्य आंदोलन:

आंदोलन / विचारधारा	मूर्ति पूजा की स्थिति	विचारधारात्मक आधार
ब्राह्म समाज (राजा राममोहन राय)	विरोध किया	ईश्वर निराकार है
प्रार्थना समाज	विरोध	आध्यात्मिक चिंतन
लिंगायत धर्म (बसवेश्वर)	विरोध	आत्मा और ईश्वर के एकत्व पर बल
बौद्ध धर्म (प्रारंभिक)	विरोध	प्रतीकात्मक पूजा, बिना मूर्ति
सिख धर्म	विरोध	गुरु ग्रंथ साहिब ही सर्वोच्च

◆ आंकड़े और प्रमाण:

विचारधारा	मूर्ति पूजा	स्थापना	प्रमुख स्थान
आर्य समाज	❌ निषेध	**1875**	भारत, केन्या, साउथ अफ्रीका
ब्राह्म समाज	❌ निषेध	**1828**	बंगाल

प्रारंभिक बौद्ध	❌ निषेध	**6**वीं स. पूर्व	मगध, वैशाली
सिख धर्म	❌ निषेध	**15**वीं सदी	पंजाब

आर्य समाज, जो वेदों को सर्वोच्च मानता है, मूर्ति पूजा को नकारता है।

ये सब वैदिक परंमपरा से जुड़े है इसीलिए मूर्ति पूजा का विरोध करते है यहाँ में एक अलग धर्म की भी बात करना चाहूँगा मुस्लिम धर्म की इसकी किताब कुरान में मूर्ति पूजा (इबादत-ए-असनाम) को स्पष्ट रूप से हराम (निषिद्ध) और शिर्क (ईश्वर के साथ साझीदारी) बताया गया है। इस्लाम की मूल अवधारणा ही तौहीद (एकेश्वरवाद) पर आधारित है, जो मूर्ति पूजा का पूर्ण विरोध करती है। कुरान की प्रमुख आयतें और उनका अर्थ:

1. सूरह अल-इख़लास **(112:1-4)** – एकेश्वरवाद की मूलभूत अवधारणा

"क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस्समद। लम यालिद व लम यूलद। व लम यकुल्लहू कुफुवन अहद।"

अर्थ:
"कहो: वह अल्लाह एक है। अल्लाह बेख़ताज है। न उसने किसी को जन्म दिया, न वह किसी से जन्मा। और न कोई उसका समकक्ष है।"

- यह आयत मूर्तियों के अस्तित्व को नकारती है, क्योंकि अल्लाह का कोई रूप/प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती।

2. सूरह अल-हज्ज **(22:30)** – मूर्तियों से दूरी का आदेश

"फ़जतनिबुर्रिज्सा मिनल औसानि वजतनिबू कौलज़्ज़ूर।"

अर्थ:
"मूर्तियों की गंदगी (पूजा) से बचो और झूठी बातों से दूर रहो।"

- यहाँ "औसान" शब्द मूर्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे "गंदगी" कहकर नकारा गया है।

3. सूरह यूनुस **(10:18)** – मूर्तियाँ न तो लाभ दे सकती हैं, न हानि

"व यअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफ़उहुम..."

अर्थ:
"वे अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की पूजा करते हैं जो न उन्हें नुकसान पहुँचा सकती हैं, न फायदा।"

- मूर्तियों को निर्जीव और शक्तिहीन बताया गया है।

4. सूरह अल-अनबिया **(21:52-54)** – इब्राहीम (अब्राहम) का मूर्ति-विरोध

"इज़ क़ाला लि अबीहि व कौमिहि मा हाज़िहित्तमासीलुल्लती अंतुम लहाआकिफ़ून। क़ालू वजदना आबाअना हाज़ा यअबुदून।"

अर्थ:
"जब इब्राहीम ने अपने पिता और कौम से पूछा: ये मूर्तियाँ क्या हैं जिनकी तुम पूजा करते हो? उन्होंने कहा: हमने अपने पूर्वजों को इन्हीं की पूजा करते देखा है।"

- इसके बाद इब्राहीम ने मूर्तियों को तोड़कर तौहीद (एकेश्वरवाद) का संदेश दिया **(21:58)**।

5. सूरह अल-फ़ातिहा **(1:5)** – केवल अल्लाह की इबादत

"इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।"

अर्थ:
"हम केवल तुझी (अल्लाह) की इबादत करते हैं और केवल तुझी से मदद माँगते हैं।"

- यह आयत मूर्ति पूजा के विरोध में सबसे स्पष्ट है।

6. सूरह अल-माइदा **(5:90)** – मूर्ति पूजा = शैतान का काम

"इन्नमल ख़मरु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुन मिन अमलिश शैतानि..."
अर्थ:
"मूर्तियाँ (अनसाब), जुआ, और पासे शैतान के गंदे काम हैं..."

- यहाँ "अनसाब" (मूर्तियाँ) को शैतानी कृत्य बताया गया।

7. सूरह अल-बक़रा **(2:256)** – धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं

"ला इकराहा फ़िद्दीन..."

अर्थ:
"धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं।"

- हालाँकि यह आयत जबरदस्ती न करने की बात करती है, लेकिन मूर्ति पूजा को इस्लाम में सख्त वर्जित माना गया है।

8. हदीस में मूर्ति पूजा का विरोध

- सहीह बुखारी (हदीस **2479**):

  पैगंबर मुहम्मद (स.) ने कहा:

  "जिस घर में मूर्ति या कुत्ता हो, उसमें फ़रिश्ते प्रवेश नहीं करते।"

- सहीह मुस्लिम (हदीस **832**):

  "क़यामत के दिन सबसे बुरी हालत मूर्ति बनाने वालों और पूजने वालों की होगी।"

निष्कर्ष: इस्लाम में मूर्ति पूजा क्यों हराम है?

1. तौहीद (एकेश्वरवाद): अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं।
2. शिर्क (साझीदारी): मूर्ति पूजा को अल्लाह के साथ साझीदारी माना गया।
3. मूर्तियाँ निर्जीव हैं: वे न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं, न मदद कर सकती हैं।

उदाहरण:

- पैगंबर मुहम्मद (स.) ने काबा से **360** मूर्तियाँ हटवाईं (**8** हिजरी)।
- इस्लामी इतिहास में मूर्ति पूजक समुदायों (जैसे मक्का के कुरैश) को तौहीद का संदेश दिया गया।

ध्यान रखें:

- कुरान के अनुसार, इब्राहीम (अब्राहम), मूसा (मूसा), ईसा (यीशु) सभी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया।
- इस्लाम में किसी भी प्रकार की छवि (तस्वीर/मूर्ति) बनाना मना है, चाहे वह धार्मिक हो या नहीं।

सनातन में ज्योतिष

मौसम की भविष्यवाणी:

वेदों में ज्योतिष का मतलब था - सूरज, चाँद और तारों को देखकर मौसम का अनुमान लगाना।

उदाहरण: ऋग्वेद **(1.24.9)** में इंद्र (बारिश के देवता) से प्रार्थना:

"हे इंद्र, हमें समय पर बारिश दो ताकि फसल अच्छी हो।"

वेदों में "तुम्हारा विवाह कब होगा?" या "तुम्हें नौकरी कब मिलेगी?"

जैसी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल नहीं मिलतीं।

केवल कर्म की शिक्षा मिलती है: ऋग्वेद **(10.22.1)**: *"अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा।"* अथर्ववेद: *"झूठ मत बोलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे।"* (यह चेतावनी है, भविष्यवाणी नहीं)।

वेदों में राहु-केतु, मंगल-शुक्र आदि ग्रहों को देवता नहीं, बल्कि प्राकृतिक शक्तियाँ माना गया।

उदाहरण: ऋग्वेद में सूर्य को "प्रकाश देने वाला" कहा गया, "भाग्य बताने वाला" नहीं।चंद्रमा को "समय गणना का साधन" बताया गया।

क्या वेदों में ग्रहों का प्रभाव माना गया?

नहीं! वेदों में ग्रहों को "नियमों से चलने वाले पिंड" कहा गया (ऋग्वेद **1.164.2**), "भाग्य बदलने वाले" नहीं।

अथर्ववेद **(19.9.10)**: *"सूर्य और चंद्रमा अपने नियम से चलते हैं, वे किसी का अच्छा-बुरा नहीं करते।"*

वेदों में नक्षत्रों का उपयोग समय गणना के लिए था, भविष्य बताने के लिए नहीं। "जन्म कुंडली" जैसी कोई चीज वेदों में नहीं मिलती। कर्मफल का सिद्धांत था, भाग्यफल का नहीं।

उदाहरण: अगर वेदों में ज्योतिष होता, तो रामायण में राम अपनी कुंडली नहीं दिखाते! कृष्ण कहते हैं: *"कर्म करो, फल की चिंता मत करो"* (गीता **2.47**), *"ग्रहों से डरो मत"* नहीं कहते।

हड़प्पा काल **(3300 BCE)**: मोहरों पर नक्षत्रों के चिह्न मिले, लेकिन भविष्यवाणियों के प्रमाण नहीं।

✅ सही बात: वेदों में मौसम, ऋतुओं और यज्ञ के समय का विज्ञान था। ❌ गलत धारणा: वेदों में राशिफल या कुंडली जैसी कोई चीज नहीं थी।

✅ रामायण में "भविष्यवाणी" नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषण था:

➡ कई लोग कहते हैं कि "राम के जन्म की भविष्यवाणी" की गई थी, लेकिन असल में यह एक संकेत था।

➡ जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तब वसिष्ठ ने कहा कि यह यज्ञ सफल होगा और पुत्र प्राप्त होगा।

➡ यह भविष्यवाणी नहीं, बल्कि राजनीतिक तर्क था, क्योंकि राजा को उत्तराधिकारी चाहिए था।

✅ महाभारत में "विदुर नीति" को गलत ढंग से भविष्यवाणी कहा जाता है:

➡ विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था कि "तुम्हारे पुत्रों की नीति गलत है और इससे विनाश होगा।"
➡ यह भविष्यवाणी नहीं, बल्कि अनुभव और तर्क था, जो कोई भी समझ सकता था।
➡ कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि "तेरी कुंडली में यह लिखा है"।

📌 निष्कर्ष:

✔ वेदों, रामायण और महाभारत में कहीं भी ज्योतिषी जैसी भविष्यवाणी नहीं थी।
✔ यह राजनीतिक विश्लेषण और अनुभव से आने वाले संकेत थे।
✔ बाद में इनका गलत अर्थ निकाला गया और भविष्यवाणी जैसा बना दिया गया।
✔ ग्रह-नक्षत्रों का अध्ययन था, लेकिन यह विज्ञान था, अंधविश्वास नहीं।

✅ कृष्ण के जन्म की "भविष्यवाणी" – असल में क्या था?

➡ कंस को एक "आकाशवाणी" हुई कि "तेरी बहन का आठवाँ पुत्र तुझे मारेगा।"

➡ लेकिन ध्यान दें – यह एक आकाशवाणी थी, किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी नहीं।
➡ यह कहानी प्रतीकात्मक है, जो यह दिखाती है कि अत्याचार करने वाले का अंत निश्चित है।

✅ बुद्ध के बारे में "भविष्यवाणी" – यह भी गलत मतलब निकाला गया:

➡ बुद्ध के जन्म पर एक ब्राह्मण ने कहा – "यह या तो सम्राट बनेगा या संन्यासी।"

➡ लेकिन यह भविष्यवाणी नहीं, बल्कि उस समय के समाज का नियम था।

➡ राजा के पुत्र या तो राजा बनते थे, या वैराग्य ले लेते थे – यही उस समय का सामान्य नियम था।

आप जो बात कह रहे हैं – कि मेगास्थनीज की 'इंडिका' **(Indica)** में "भविष्यवाणी" का ज़िक्र है, लेकिन वह भविष्यवाणी ज्योतिष की तरह व्यक्ति विशेष के भाग्य की नहीं, बल्कि मौसम जैसी प्राकृतिक घटनाओं की होती थी – यह बात आधार और प्रमाण के हिसाब से काफी हद तक सही है।

अब आइए इसे सटीकता, प्रमाण, और ऐतिहासिक संदर्भ के साथ समझते हैं — ताकि स्पष्ट हो जाए कि आप सही हैं या नहीं।

मेगास्थनीज **(Megasthenes):**

वह सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार (लगभग **302 BCE**) में भेजा गया था। ‘इंडिका’ **(Indica):**

यह उसकी लिखी किताब थी, जिसमें उसने भारत की राजनीति, धर्म, समाज, शासन, वनस्पति, पशुपालन, आदि का वर्णन किया है।

मूल 'इंडिका' ग्रंथ आज नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके अंश ग्रीक लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी आदि की कृतियों में बचे हैं।

इस किताब में लिखा है "भविष्यवाणी मौसम को लेकर होती थी, किसी के भाग्य को लेकर नहीं।"

सही बात — मेगास्थनीज ने भारत के ब्राह्मणों और "ज्योतिषियों" **(astrologers/wise men)** का उल्लेख किया है,उनका मुख्य कार्य था:

- खेती के लिए उपयुक्त समय बताना।
- युद्ध/यात्रा के शुभ मुहूर्त निकालना (जैसे- "वर्षा ऋतु में युद्ध न करें")।

मौसम, साल के चक्र, फसलों की संभावनाओं, सूखा-बाढ़, और यज्ञों के समय की भविष्यवाणी करते थे।

उन्होंने कभी "विवाह कब होगा", "राजा को पुत्र होगा या नहीं", जैसी बातें नहीं कही — ऐसा कोई उल्लेख ग्रीक स्रोतों में नहीं मिलता।

दंड का प्रावधान:

"यदि कोई ज्योतिषी दो बार से अधिक गलत भविष्यवाणी करता है, तो उसे पद से हटा दिया जाता है।"

यह बात भी ग्रीक स्रोतों में मिलती है।

उदाहरण: एरियन **(Arrian)** और स्ट्रैबो **(Strabo)** के उद्धरणों में कहा गया कि: "जिन ब्राह्मणों या पुजारियों द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ बार-बार गलत साबित होती थीं, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता था।"

यह दर्शाता है कि उस समय भविष्यवाणी एक वैज्ञानिक जिम्मेदारी मानी जाती थी, न कि अंधविश्वास।

स्ट्रैबो **(Geography, Book 15):**

"If the predictions made by the Brahmans failed more than once, they were dismissed from their position."

इससे आपका कथन पूरी तरह सही प्रमाणित होता है।

वेदों और शास्त्रों में 'ज्योतिष' का मतलब खगोलशास्त्र होता था, जिसमें: नक्षत्रों की स्थिति से ऋतु का ज्ञान, चंद्र-सूर्य की चाल से काल-गणना,

यज्ञों का समय निर्धारण,और कृषि चक्र की भविष्यवाणी।

यह "व्यक्तिगत राशिफल" वाली भविष्यवाणी नहीं थी, जैसा आज के "फिल्मी जोतिष" करते हैं।

✅ **5.** निष्कर्ष:

बात	सत्यता	प्रमाण
मेगास्थनीज ने भारत में भविष्यवाणियों का ज़िक्र किया	✅ सही	इंडिका के ग्रीक अंश

भविष्यवाणियाँ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मौसम और ऋतु के लिए होती थीं	✅ सही	स्ट्रैबो, एरियन
गलत भविष्यवाणी करने पर पद से हटाया जाता था	✅ सही	स्ट्रैबो **(Book 15)**

पाणिनि (अष्टाध्यायी **4.3.66): *"मौहूर्तिक"*** शब्द का अर्थ "मुहूर्त निकालने वाला" है, न कि भाग्य बताने वाला।

यूनानी इतिहासकारों (सेल्यूकस, प्लिनी) के लेख:

भारतीय ज्योतिषियों को "प्रकृति के अवलोककर्ता" बताया गया, न कि भविष्यवक्ता।

✔ "अगर ज्योतिष धर्म का हिस्सा था, तो मेगास्थनीज ने इसे क्यों नहीं लिखा?"

✔ "अगर ज्योतिष धर्म का हिस्सा था, तो रामायण-महाभारत में कोई भविष्यवाणी क्यों नहीं है?"

✔ "अगर ज्योतिष धर्म का हिस्सा था, तो वेदों में इसका कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता?"

✔ "अगर ज्योतिष सच है, तो कोई ज्योतिषी लॉटरी क्यों नहीं जीत सकता?

निष्कर्ष:

➡ भविष्यवाणी करना धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ठगी है।

➡ सनातन धर्म में केवल खगोलशास्त्र (खगोलीय गणना) थी, ज्योतिष नहीं।

➡ आजकल न्यूज़ चैनलों और बाबाओं के नाम पर धर्म को ठगा जा रहा है।

सनातन में अवतारवाद

वेदों में ईश्वर के "अवतार" (मनुष्य या जीव के रूप में जन्म लेने) की अवधारणा नहीं मिलती। यहाँ ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी और अजन्मा माना गया है:

ऋग्वेद

10.121.1:
"हिरण्यगर्भः

समवर्तताग्रे..."
("सृष्टि के आदि में स्वयंभू हिरण्यगर्भ [ब्रह्म] विद्यमान था")

यहाँ ईश्वर जन्म नहीं लेता, बल्कि सृष्टि का आदि कारण है।

यजुर्वेद **40.8** (ईशावास्योपनिषद):

"स पर्थिव्यां तिष्ठन्..."

("वह [ईश्वर] पृथ्वी में रहते हुए भी अजन्मा है") निराकार ब्रह्म की अवधारणा। विशेष बात: वेदों में विष्णु, रुद्र (शिव) आदि देवताओं का उल्लेख है, लेकिन "अवतार" जैसी कोई व्यवस्था नहीं।

"अवतरण" शब्द वेदों में "नीचे आना" (जैसे अग्नि का अवतरण) के अर्थ में आता है, ईश्वर के मानव रूप धारण करने के अर्थ में नहीं।

वाल्मीकि रामायण (मूल संस्करण) में राम को विष्णु का अवतार नहीं बताया गया: बालकाण्ड **(1.15.12):** राम को "महादेव के समान पराक्रमी" कहा गया है, न कि विष्णु का अवतार। युद्धकाण्ड **(6.105.12):** रावण के मरने के बाद ब्रह्मा राम को "मनुष्यों में श्रेष्ठ" कहते हैं, "अवतार" नहीं।

महाभारत के मूल भाग (जयसंहिता) में कृष्ण को अवतार नहीं माना गया: उद्योगपर्व **(5.48.81):** कृष्ण स्वयं कहते हैं:

"मैं कोई देवता नहीं, एक सामान्य मनुष्य हूँ।" शांतिपर्व **(12.47.5):** कृष्ण को "महापुरुष" कहा गया है।

निष्कर्ष **(Conclusion)**

वेदों और रामायण/महाभारत के मूल संस्करणों में अवतारवाद नहीं है।

यह अवधारणा पुराणों **(300-1000 CE)** में विकसित हुई।

राम और कृष्ण को मूल ग्रंथों में महान मनुष्य माना गया, देवता नहीं।

सत्यापन के स्रोत:

- वैदिक संहिताएँ (ऋग्वेद, यजुर्वेद)।
- वाल्मीकि रामायण (**Gita Press** संस्करण)।
- महाभारत (क्रिटिकल एडिशन, **BORI**)।

वेदों में "विष्णु" का उल्लेख जरूर है, पर वह "सर्वव्यापक गति" के प्रतीक के रूप में: ऋग्वेद **1.154.1-5** – "त्रिपद विष्णु"

"विष्णु तीन कदमों में व्याप्त है" – यह ब्रह्मांडीय उपस्थिति का प्रतीक है, न कि किसी व्यक्ति-रूप अवतार का।

इससे यह स्पष्ट होता है कि वेदों में विष्णु एक प्रतीकात्मक ब्रह्म-तत्व है, अवतारी देवता नहीं।

विष्णु एक *गौण देवता* थे — यज्ञों में केवल कुछ ही बार उल्लेख आता है। मुख्य देवता थे — *इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम।*

निष्कर्ष: सनातन धर्म में विष्णु का अवतारवाद से कोई संबंध नहीं था।

◆ सवाल:

"लिंग पुराण में शिव के **28** अवतार बताए गए हैं — तो क्या शैव संप्रदाय में भी अवतारवाद है?"

"नाथ संप्रदाय भी शिव को मानता है, तो क्या वो भी अवतारवाद को मानता है?" "क्या ये सब संप्रदायों की अपनी-अपनी कल्पना है, या कोई एक सच्चाई है?"

हाँ, लिंग पुराण में शिव के **28** अवतार वर्णित हैं। इनमें से कुछ के नाम: वीरभद्र,शंकराचार्य (हाँ, उन्हें भी अवतार माना गया),यक्ष, भीम, रिषभ,भृंगी, दुर्वासा आदि यह "अवतार" शब्द वैष्णव अवतारों जैसा नहीं है (जैसे राम-कृष्ण पूर्ण भगवान)।

लिंग पुराण **(1.24.1-30)**- शिव के "अवतारों" को "कालानुसार प्रकट होने वाले रूप" कहा गया है, न कि पूर्ण ईश्वर। उदाहरण: वीरभद्र का प्रकट होना दक्ष यज्ञ को रोकने के लिए हुआ, न कि धर्म स्थापना के लिए।

लिंग पुराण के ये अवतार — "कर्तव्यों की पूर्ति हेतु प्रकट रूप" हैं, न कि भगवान का पूर्ण अवतार।

▪ तुलना करो:

आधार	वैष्णव अवतार	शैव अवतार (लिंग पुराण)
लक्ष्य	अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना	शिव-तत्व के कुछ कर्म या रक्षण कार्य
रूप	पूर्ण भगवान, भक्त पूजते हैं	सीमित, कुछ ही पूजनीय
ग्रंथों में स्थान	प्रमुख पुराण (भागवत आदि)	लिंग पुराण में सीमित, और अन्य ग्रंथों में नहीं

निष्कर्ष: लिंग पुराण में "अवतार" शब्द का अर्थ = *कार्यात्मक रूप*, ना कि ईश्वर का संपूर्ण अवतार जैसा वैष्णव में।

हाँ, नाथ योगी शिव को आदिनाथ मानते हैं।

महायोगी गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ आदि सब शिव के योग परंपरा से जुड़े हैं। परंतु नाथ संप्रदाय में कोई अवतारवाद की पूजा नहीं होती। वहाँ लक्ष्य है — "अद्वैत शिव से मिलन", शरीर साधना के द्वारा।

नाथ योग का दर्शन यह कहता है:

नाथ संप्रदाय का ग्रंथ "गोरख बानी"श्लोक: *"जो तू ढूँढे बाहर, सो तो भीतर महेश"* अर्थ: ईश्वर बाहरी अवतारों में नहीं, आत्मा में है।

"ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। शिव स्वयं सबके भीतर हैं — उन्हें बाहर नहीं ढूँढो।" मतलब — नाथ संप्रदाय मूर्ति पूजा या अवतारवाद को प्राथमिकता नहीं देता। वो योग, समाधि, कुंडलिनी, ध्यान आदि से मुक्ति का मार्ग बताते हैं।

हाँ — सटीक शब्दों में: "संप्रदाय-आधारित सत्य" है।

संप्रदाय	अवतारवाद	मूर्ति पूजा	दर्शन का आधार

वैष्णव	✅ हाँ	✅ हाँ	भक्ति, अवतारवाद, लीला
शैव (दार्शनिक)	❌ नहीं	❌ नहीं	अद्वैत, योग, शिव = चैतन्य
शैव (लोक परंपरा)	⚠️ थोड़ा	✅ हाँ	शिवलिंग पूजन, भक्तिपथ
नाथ	❌ नहीं	⚠️ कम	योग, समाधि, शिव = अनुभव
शाक्त	✅ देवी के अवतार	✅ हाँ	शक्ति ही ब्रह्म है

◆ अंतिम निचोड़ **(Symbolic Summary):**

- ✅ शिव के "अवतार" की बात कुछ ग्रंथों में आई, लेकिन वो वैष्णव अवतारों जैसे नहीं हैं।
- ⚠️ ये बात सभी शैव परंपराओं में मान्य नहीं है, और नाथ जैसे संप्रदाय इन्हें नहीं मानते।
- ❌ शैव दर्शन (जैसे कश्मीर शैववाद, नाथ संप्रदाय) अवतारवाद को तर्कहीन मानता है।
- ✅ वैष्णव दर्शन ने ही अवतारवाद को संस्थागत और सर्वव्यापक रूप दिया।

सनातन धर्म में सहिष्णुता

ऋग्वेद **(1.164.46)** में कहा गया है**:**

"एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति"

(सत्य एक है**,** लेकिन विद्वान उसे अलग**-**अलग नामों से पुकारते हैं।**)** यह मंत्र सापेक्षवाद **(Relativism)** को दर्शाता है। उदाहरण**:** अग्नि**,** इंद्र**,** वरुण आदि देवताओं को एक ही परमसत्ता (ब्रह्म) के विविध रूप माना गया (ऋग्वेद **10.114.5)**।

नासदीय सूक्त (ऋग्वेद **10.129)** में कहा गया**:** "कोई नहीं जानता कि सृष्टि कैसे हुई**,** शायद परमात्मा भी नहीं**!"** — यह अज्ञेयवाद की ओर इशारा करता है। यह मूलभूत सिद्धांत दर्शाता है कि सनातन धर्म किसी एक विशिष्ट मार्ग या देवता को ही सत्य नहीं मानता**,** बल्कि विविधता को स्वीकार करता है।

ऋग्वेद **1.164.46:** "एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति"

- अर्थ**:**
  "सत्य एक है**,** पर ज्ञानी उसे विभिन्न नामों व रूपों में व्यक्त करते हैं।"
- तात्पर्य**:**

2. अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता

जैन और बौद्ध धर्म**:**

जैन धर्म के **24** तीर्थंकर और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध को हिन्दू परंपरा में भी सम्मान दिया गया है। महाभारत और पुराणों में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है (जैसे बुद्धावतार)**,** हालाँकि यह बाद के काल में जोड़ा गया प्रतीत होता है। लेकिन यह भी सहिष्णुता को दर्शाता है। बुद्ध ने वैदिक यज्ञों की हिंसा का विरोध किया**,** इसलिए कुछ परंपराओं ने उन्हें "मायावी अवतार" भी कहा। परंतु**,** समग्र रूप से बुद्ध को सम्मान मिला।

सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया**,** लेकिन उस समय के ब्राह्मणों या सनातनियों ने कोई बड़ा विरोध नहीं किया। यह सहिष्णुता का उदाहरण है।

वासुदेव कुटुम्बकम्**:**

यह विचार (विष्णु पुराण**,** महाभारत) कहता है कि "वासुदेवः सर्वम्" (सब कुछ भगवान विष्णु में समाया हुआ है)। इसमें अन्य देवताओं या धर्मों को "अंश" या "विभिन्न रूप" मानकर

समावेशिता दिखाई गई है। उदाहरण: शिव और विष्णु की एकता (हरिहर), बुद्ध को अवतार मानना।

3. ऐतिहासिक उदाहरण

हड़प्पा सभ्यता (प्रकृति पूजा):

सिंधु घाटी की मुहरों में पशुपति (योगी) और वृक्ष/प्रकृति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यह सनातन धर्म के "अनेकता में एकता" के सिद्धांत से मेल खाता है।

मौर्यकाल: सनातन ने बौद्ध सम्राट बिन्दुसार और अशोक को सहर्ष स्वीकार किया। अशोक के शिलालेखों में सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखता है (जैसे धम्म की व्याख्या में अहिंसा, सहनशीलता)।

अशोक के शिलालेख (रॉक एडिक्ट्स) में लिखा है:

"सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए।" उसने ब्राह्मणों और श्रमणों (बौद्ध/जैन) दोनों को दान दिया।

ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, वेदों में *"ऋषभ" नाम से* आते हैं। ऋग्वेद में ऋषभदेव (प्रथम जैन तीर्थंकर) का नाम आता है। भागवत पुराण (**5.5-6**) में ऋषभदेव की कथा विस्तार से है।

चंद्रगुप्त मौर्य जैन हुए — किसी ने विरोध नहीं किया।

गुप्तकाल: इस युग में हिन्दू, बौद्ध और जैन मंदिर साथ-साथ बने (जैसे देवगढ़, एलोरा)।

4. क्या सनातन धर्म ने कभी विरोध नहीं किया?

सामान्यतः सनातन धर्म ने सिद्धांतगत विवाद किए (जैसे बौद्धों से मीमांसा-शास्त्रार्थ), लेकिन हिंसक धर्मांतरण या उत्पीड़न नहीं। मीमांसकों (जैमिनी) **vs.** बौद्ध तर्कशास्त्र

आदि शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन (शून्यवाद) से शास्त्रार्थ किया, पर हिंसा नहीं की। प्रमाण: शंकराचार्य के "ब्रह्मसूत्र भाष्य" में बौद्ध मत का खंडन है, पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। बौद्ध विद्वानों (नागार्जुन, धर्मकीर्ति) के व्यक्तित्व पर कोई कीचड़ उछालने जैसी भाषा नहीं। (यह दार्शनिक चुनौती है, न कि व्यक्तिगत अपमान।)

अपवाद: कुछ शासकों (जैसे पुष्यमित्र शुंग) ने बौद्ध विहारों को नुकसान पहुँचाया, लेकिन यह राजनीतिक कारणों से भी था। दावा: कुछ बौद्ध ग्रंथों (जैसे अशोकावदान) में पुष्यमित्र को "बौद्ध-विरोधी" बताया गया। प्रतितर्क: पुरातत्व में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता।

मध्यकाल में हिन्दू-बौद्ध संघर्ष के कुछ उदाहरण मिलते हैं, पर यह व्यापक नहीं था।

रामायण: शबरी (आदिवासी) और निषादराज गुह को राम का स्नेह। महाभारत: विदुर (दासीपुत्र) को धर्मज्ञ माना गया।

भक्ति आंदोलन: कबीर, नानक, रैदास जैसे संतों ने सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया।

6. निष्कर्ष

सनातन धर्म का मूल स्वभाव सह-अस्तित्व रहा है। यह "अपना बनाने" (समावेश) की प्रवृत्ति रखता है, न कि "खंडन" की। जैन, बौद्ध, सिख, या स्थानीय आदिवासी परंपराओं को इसमें अंशतः आत्मसात किया गया। हालाँकि, इतिहास में कुछ टकराव हुए, लेकिन वे सांस्कृतिक लचीलेपन की तुलना में नगण्य हैं। इसलिए, यह कथन सही है कि सनातन धर्म ने दूसरे धर्मों का सैद्धांतिक विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने विशाल तंत्र में समेटने का प्रयास किया। यही इसकी शाश्वतता (सनातनता) का रहस्य है।

वेदों में धार्मिक बहुलवाद के प्रमाण

(अ) कोई "एकमात्र सत्य" का दावा नहीं

वेदों में कहीं भी नहीं लिखा: *"हमारा मार्ग ही सच्चा है, बाकी मिथ्या है।"* इसके विपरीत, अथर्ववेद (12.1.1) कहता है:

"सभी दिशाओं के लोग एक परिवार की तरह रहें।"

(स) विदेशी/अन्य परंपराओं का सम्मान

ऋग्वेद (8.70.11) में अनार्यों (गैर-वैदिक समूहों) के देवता शिव को *"रुद्र"* नाम से स्वीकार किया गया।

2. रामायण: धर्म की सार्वभौमिक परिभाषा

(अ) हनुमान का लंका प्रवेश (सुंदरकांड **5.51.22**)

संदर्भ: हनुमान लंका में राक्षसों के बीच धर्म की चर्चा करते हैं।

श्लोक:
"धर्मः साधारणः सृष्टेः"

"धर्म सभी प्राणियों के लिए समान है।"

तात्पर्य: रामायण "राक्षस" (असुर) और "देव" के बीच भी धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत को स्वीकार करती है। कोई धर्मांतरण नहीं: रावण को भी ज्ञान देकर सुधारने का प्रयास किया गया, न कि जबरन वैदिक धर्म अपनाने को कहा।

(ब) शबरी और निषादराज का उदाहरण

शबरी (आदिवासी) और निषादराज गुह को राम ने बिना किसी जाति/धर्म भेद के अपनाया।

तुलना: बाइबिल/कुरान में "विश्वास न करने वालों" के लिए कठोर भाषा है, पर रामायण में "अधर्मी" के प्रति भी सुधार की भावना है।

3. महाभारत**:** धर्म की बहुआयामी व्याख्या

(अ) शांतिपर्व **(109.9-11):** धर्म का लक्ष्य

भीष्म कहते हैं**:**

"अहिंसा परमो धर्मः" (अहिंसा सर्वोच्च धर्म है)

"यदि तुम्हारा धर्म दूसरों को कष्ट देता है, तो वह अधर्म है।"

उदाहरण**:** युधिष्ठिर बौद्ध दर्शन जैसी अहिंसा की बात करते हैं। विदुर (दासीपुत्र) को धर्मज्ञ माना गया, जो जाति/धर्म से ऊपर उठकर न्याय करता है।

(ब) अनुग्रह की अवधारणा

महाभारत (उद्योग पर्व **70.8):**

"अनुग्रहः परो धर्मः"

"दूसरों पर कृपा करना ही सच्चा धर्म है।"

तात्पर्य**:** यहाँ "प्रोपेगैंडा" या "धर्माधिकार" नहीं, बल्कि सेवा पर जोर है।

(स) बौद्ध/जैन विचारों के साथ सामंजस्य

महाभारत (मोक्ष धर्म पर्व) में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख। भगवद्गीता **(9.23):** *"येऽप्यन्यदेवताभक्ता... मामेव यान्ति"*

"जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः मुझ तक पहुँचते हैं।"

5. ऐतिहासिक साक्ष्य**:** सहअस्तित्व के प्रमाण

अशोक का शिलालेख (रॉक एडिक्ट **XII):**

"ब्राह्मणों, श्रमणों (बौद्ध/जैन) और अन्य संप्रदायों को समान सम्मान दें।"

गुप्तकाल **(4-6**वीं शताब्दी**):**

- हिन्दू, बौद्ध और जैन मंदिर एक ही परिसर में (देवगढ़, एलोरा)।

हर्षवर्धन (7वीं सदी):

- राजा हर्ष ने कनौज महासभा में हिन्दू, बौद्ध और जैन विद्वानों को एक साथ आमंत्रित किया।

6. निष्कर्ष**:** क्या वेद-रामायण-महाभारत दूसरे धर्मों का विरोध करते हैं**?**

नहीं। ये ग्रंथ**:**

- सर्वधर्म समभाव सिखाते हैं।
- "हम श्रेष्ठ" जैसा दावा नहीं करते।
- अन्य परंपराओं (जैन, बौद्ध, आदिवासी) को आत्मसात करते हैं।

- अपवाद**:**
  - कुछ स्थानों पर अधर्मी (जैसे दुर्योधन) की आलोचना है, पर धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि नैतिक आधार पर।

मूल संदेश**:**

"धर्म का उद्देश्य विवाद नहीं, बल्कि सर्व-कल्याण है।"

— यही सनातन धर्म की विशिष्ट पहचान है।

हिन्दू धर्म में जाति/ वर्ण

ये मैं पहले ही बता चुका हूँ जातियाँ सनातन धर्म में भी थी लेकिन अब जाति नहीं जातिवाद शुरू होने लगा था। अब से जातियों पर पाबंधियां लगने लगी एक जाति दूसरे जाति के हाथ का खाना भी नहीं खा सकती थी और न ही शादी विवाह कर सकती थी। इस समय से अब जातियाँ और ज्यादा बढ़ने लगी थी क्योंकि लोगों को उनके पेशे के आधार पर उनकी जाति दे दी गई जैसे सनातन में पहले जो कुंभार था वह अब जाति कहलाने लगी जबकी सनातन में वह एक सिर्फ पेशा था जो अपने कर्म के अनुसार उसे छोड़ सकता था। लेकिन हिन्दू धर्म में सबकुछ जन्म आधारित हो गया जिस कारण अब न तो कोई अपना वर्ण बदल सकता था और न पेशा यानि जाति, अब ब्राह्मण वर्ण नहीं जाति बन गई थी।

☑ पहले जातियाँ लचीली थीं – अब कठोर हो गईं

☑ पहले समाज खुला था – अब समाज बँट गया

▪ सनातन धर्म में जातियाँ थीं लेकिन सिर्फ "कर्म" पर आधारित थीं। ब्राह्मण = ज्ञान देने वाला, क्षत्रिय = रक्षा करने वाला, वैश्य = व्यापार करने वाला, शूद्र = सेवा करने वाला

✔ कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और गुणों से कोई भी वर्ण अपना सकता था। उदाहरण: महर्षि वेदव्यास – शूद्र माता से जन्म, लेकिन "महर्षि" कहलाए। ऋषि वाल्मीकि – जाति से शिकारी, लेकिन "रामायण" के रचयिता बने

✖ हिन्दू धर्म में जब ब्राह्मणवाद हावी हुआ, तो जातियाँ जन्म से तय कर दी गईं।

- अब ब्राह्मण पैदा होने से ही ब्राह्मण
- शूद्र चाहे कितना भी ज्ञानी हो, वह शूद्र ही रहेगा

⚠ परिणाम: छुआछूत शुरू, ऊँच-नीच की दीवारें, जातियों में खाना-पीना, विवाह सब बंद उदाहरण: एक ब्राह्मण दूसरे जाति के आदमी का छाया भी नहीं देखना चाहता था। एक शूद्र अगर वेद पढ़ लेता, तो उसे सज़ा मिलती थी।

⚫ **3.** पेशा अब "कर्म" नहीं रहा, जाति बन गया

सनातन में: कुम्हार = पेशा, लोहार = पेशा, धोबी = पेशा

हिन्दू जातिवाद में: कुम्हार = जाति, धोबी = जाति, लोहार = जाति

❌ अब पेशा बदला नहीं जा सकता था, पीढ़ियों तक वही करना पड़ता था।

● **4.** आंकड़े: कितनी बढ़ गई जातियाँ?

समय	जातियों की संख्या
वैदिक युग	**4** वर्ण
गुप्त काल	लगभग **100** जातियाँ
मध्यकाल	**500+** जातियाँ
आज	**3000+** जातियाँ और **25000** उपजातियाँ

➡ क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र, पेशे, बोली के अनुसार नई जातियाँ बनती गईं।

इस समय से जो भी किताब या ग्रंथ लिखे है उनमें जातियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उसमें ब्राह्मण को श्रेष्ठ और शूद्र और अछूत को खूब गालियां दी जाने लगी थी जैसे मनुस्मृति, पुराण, तुलसीदास की रामायण में तो सभी **obc sc st** जातियों को नीचा कहा गया है। उनको गाली दी गई है।

▼ **5.** असर: क्या खोया? क्या पाया?

▪ खोया: सामाजिक एकता, बराबरी, प्रतिभा की पहचान

▪ पाया: भेदभाव, जातिगत हिंसा, शोषण

☑ जातियाँ थीं, लेकिन जातिवाद नहीं था।

☑ जातियाँ सम्मान से जुड़ी थीं, लेकिन अब अपमान का कारण बन गईं।

☑ सनातन ने अवसर दिया, ब्राह्मणवाद ने रोक दिया।

ब्राह्मणवाद ने वर्ण व्यवस्था से बाहर एक नई श्रेणी बनाई – जिसे "अन्त्यज" कहा गया।

और इन्हें ही "अछूत" नाम दिया गया।

'अछूत' = वह जिसे छूने से धर्म भ्रष्ट होता है

यह लोग न तो किसी वर्ण में गिने जाते थे

न उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति थी

न वे पढ़ सकते थे

न ऊँची जातियों के गांव में घुस सकते थे

इनकी ज़िन्दगी कैसी थी?

सार्वजनिक कुएँ से पानी लेना मना, मंदिरों में प्रवेश वर्जित,स्कूलों में पढ़ाई की मनाही,ऊँची जातियों के गांव में दिन में भी घुसना अपराध

रहन-सहन: गाँवों से बाहर झोपड़ियों में रहना, रात में आना-जाना ताकि ऊँची जातियों की निगाह न पड़े, रास्ते पर चलते समय गले में घण्टी बाँधनी होती थी – ताकि कोई 'शुद्ध' व्यक्ति छू न जाए

आजीविका: चमड़े का काम, सफाई, शव दाह जैसे "अपवित्र" कहे जाने वाले कार्य, मज़दूरी के नाम पर गुलामी, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं

1901 की जनगणना में पहली बार "अछूत" शब्द सरकारी रिकॉर्ड में आया। **20**वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, भारत में **30** करोड़ आबादी में से लगभग **6** करोड़ लोग अछूत माने जाते थे। डॉ. अंबेडकर के अनुसार – *"अछूत होना जन्म से तय होता था, और यह स्थिति मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ती थी।"*

📜 धर्मसूत्र (गौतम धर्मसूत्र, वसिष्ठ धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र)

➡ इन ग्रंथों में जाति आधारित भेदभाव का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

📜 मनुस्मृति (**~200 BCE – 200 CE**)

➡ इसमें जातियों के आधार पर "कर्म और अधिकार" तय किए गए हैं।

✔ मनुस्मृति में जाति के आधार पर नियम दिए गए हैं –

1. ब्राह्मण – शिक्षा, यज्ञ, धार्मिक कार्य
2. क्षत्रिय – युद्ध, प्रशासन

3 वैश्य – व्यापार, खेती

4 शूद्र – सेवा कार्य

✅ सबसे महत्वपूर्ण:

➡ मनुस्मृति में पहली बार जाति को जन्म आधारित बताया गया।

➡ इसीलिए, यह ग्रंथ जातिवाद को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है।

📜 गुप्त काल (**~300-500** ईस्वी) में जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई।

📜 भक्ति काल (**~1200-1700** ईस्वी) में जाति विरोध शुरू हुआ।

📜 अंग्रेजों के समय (**1857-1947**) जाति को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने लगा।

📌 ✅ सबसे महत्वपूर्ण:

➡ पहले जाति का निर्धारण कर्म से होता था, लेकिन गुप्त काल के बाद यह जन्म आधारित हो गई।

➡ रामायण और महाभारत में जाति थी, लेकिन वह जन्म आधारित नहीं थी।
✅ मनुस्मृति क्यों लिखी गई?

➡ मौर्य काल (अशोक के समय) में जाति व्यवस्था लचीली थी, और समाज बौद्ध धर्म की ओर झुक रहा था।

➡ ब्राह्मणों ने समाज में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए मनुस्मृति लिखी, जिसमें जाति को जन्म से तय कर दिया गया।

➡ इसे "मनु" नाम के एक विद्वान द्वारा लिखा गया, लेकिन यह बाद में ब्राह्मणों द्वारा संशोधित की गई।

➡ इसका मूल उद्देश्य समाज में कानून और नैतिकता को स्थापित करना था, लेकिन बाद में इसे जाति आधारित बना दिया गया। ➡ इसमें शूद्रों और महिलाओं के अधिकार कम कर दिए गए।

📌 ✅ निष्कर्ष:

✔ मनुस्मृति लिखने से पहले वर्ण व्यवस्था लचीली थी।

✔ मनुस्मृति के बाद जाति जन्म से निर्धारित कर दी गई।

✔ यही कारण है कि मौर्य काल (अशोक के समय) तक जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी।

📜 📖 गुप्तकाल (**300-600** ईस्वी) में –

➡ गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिए और मनुस्मृति के नियमों को लागू किया।
➡ इस समय शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से पूरी तरह वंचित कर दिया गया।

📜 📖 मध्यकाल (**700-1700** ईस्वी) में –

➡ जाति व्यवस्था इतनी कठोर हो गई कि निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश तक नहीं दिया जाता था।

➡ शंकराचार्य, तुलसीदास और अन्य संतों ने भी जाति को जन्म आधारित बताया।

📌 ✅ निष्कर्ष:

✔ अशोक के समय तक जाति व्यवस्था लचीली थी।

✔ मनुस्मृति के कारण जाति जन्म से तय कर दी गई।

✔ गुप्त काल से लेकर ब्रिटिश काल तक यह और कठोर होती गई।

✅ "मेगास्थनीज" के प्रमाण बताते हैं कि –

✔ अशोक के समय जाति व्यवस्था लचीली थी।

✔ मेगास्थनीज ने जाति को जन्म आधारित नहीं बताया।

✔ मनुस्मृति के आने के बाद जाति जन्म से निर्धारित हो गई।

✔ गुप्त काल में इसे और कठोर बना दिया गया।।

हिन्दू धर्म में मूर्ति पूजा और मन्दिर

यह पहली बार था जब मन्दिर बनाये गए थे और मूर्ति पूजा शुरू हुई। मूर्ति पूजा का प्रचलन गुप्त काल के समय में पुराणों और भक्ति काल के दौरान हुआ, जब भक्तों ने साकार रूप में भगवान की पूजा की, गुप्त काल और उसके बाद की लोक परंपराओं ने इसे जनमानस में स्थापित किया।

लेकिन जो परंपराएँ केवल वेदों पर आधारित थीं, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत, पुराणिक, तांत्रिक और लोक परंपराएँ मूर्ति पूजा को महत्व देती हैं।

बुद्ध की पहली मूर्तियाँ:- कुषाण काल (**1st-2nd** सदी **CE**) में गांधार कला में बनीं।

हिंदू मूर्तियाँ:- गुप्त काल में इस दौरान मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ (जैसे देवगढ़, भितरगाँव के मंदिर)। सबसे पुराने हिंदू मंदिर गुप्त काल में बने, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त काल को 'हिंदू पुनर्जागरण काल' कहा जाता है। इस काल में धार्मिक मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। उज्जैन, एरण, भीतरी, देवगढ़, सांची, मंदसौर — इन स्थानों पर इस काल के वास्तविक मंदिर और मूर्तियाँ मिलती हैं।

गुप्त राजाओं की मुद्रा (**Coins**): समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने अपने सिक्कों पर देवताओं की मूर्तियाँ छपवाईं, जैसे गदा धारण किए विष्णु, दुर्गा, लक्ष्मी, आदि। गुप्त शिल्पकला: एलोरा, अजंता की गुफाएँ इस काल में विकसित हुईं। विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा की भव्य मूर्तियाँ बनाई गईं।

नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में भी हिन्दू और बौद्ध मूर्तियाँ स्थापित की गईं।

◆ निष्कर्ष सारणी (**Timeline Summary**):

काल	मूर्ति पूजा	मंदिर निर्माण	प्रमाण
हड़प्पा सभ्यता	नहीं	नहीं	केवल मुहरें और मिट्टी की आकृतियाँ
मौर्य काल (अशोक सहित)	नहीं	नहीं	स्तूप और शिलालेख; प्रतीकात्मक पूजा

गुप्त काल	हाँ	हाँ	दशावतार मंदिर, मूर्तियाँ, शिल्पकला, सिक्के

पुराणों में विस्तार: मूर्ति पूजा का विस्तृत वर्णन पुराणों में मिलता है, जो रामायण-महाभारत के बाद रचे गए। जब पुराण लिखे गए, तब मूर्ति पूजा का महत्व बढ़ा। खासकर विष्णु, शिव, और देवी की मूर्तियाँ पूजा में प्रमुख रूप से स्थापित की गईं।

✅ भारत की असली पूजा "यज्ञ" और "प्राकृतिक देवताओं" की थी।

➡ ऋग्वेद में लिखा है – "अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र, वरुण" ही असली देवता हैं।

➡ पूजा में सिर्फ "हवन, यज्ञ और मंत्र" होते थे, मूर्तियाँ नहीं।

✅ बाद में क्या हुआ?

➡ बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से मठ और मूर्तियाँ बनने लगीं। तब हिंदू धर्म में भी मंदिर बनाए जाने लगे।

➡ गुप्त काल (चंद्रगुप्त द्वितीय के समय) में पहली बार बड़े मंदिर बनाए गए।

➡ ब्राह्मणों ने मंदिर बनाकर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया।

➡ पुराणों में शिव, विष्णु, ब्रह्मा और देवी की मूर्तियों की कहानियाँ जोड़ी गईं।

निष्कर्ष:

✔ असली सनातन धर्म यज्ञ और प्राकृतिक देवताओं पर आधारित था।

✔ मूर्ति पूजा, और मंदिर बाद में जोड़े गए।

✔ राम, कृष्ण, शिव की पूजा पहले "मन से" होती थी, मूर्तियों से नहीं।

अग्नि पुराण - मंदिर निर्माण की विधि (स्थापत्य कला), मूर्तियों के आकार, सामग्री, दिशाओं का विस्तृत वर्णन है।

यह पहला ग्रंथ है जिसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर बनाने की प्रक्रिया दी गई है। गरुड़ पुराण- मूर्तियों की पूजा कैसे करनी है, किस धातु की होनी चाहिए, कौन से देवता की मूर्ति कहाँ स्थापित हो – सबका वर्णन।

स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण इन ग्रंथों में तीर्थ, मंदिर, मूर्ति स्थापना, व्रत, पूजन विधि आदि का विस्तार मिलता है।

चरण	स्रोत ग्रंथ	मूर्ति पूजा	मंदिर
वेद	ऋग्वेद आदि	नहीं	नहीं
रामायण/महाभारत	मूल संस्करण	नहीं / बहुत अल्प	नहीं
उपनिषद	ब्रह्म ज्ञान	नहीं	नहीं
स्मृतियाँ	मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य	पूजा विधि	नहीं
पुराण	अग्नि, गरुड़, स्कंद आदि	हाँ	हाँ
ऐतिहासिक काल	गुप्त युग	पूर्ण विकास	राजाश्रय

- अग्नि पुराण – अध्याय **38** से **42** – मंदिर वास्तु और मूर्ति का वर्णन
- गरुड़ पुराण – प्रेत खंड और धर्म खंड – पूजा और मूर्ति व्यवस्था

विष्णु पुराण **(5.20.30):**

"देवमूर्तिं प्रतिष्ठाप्य पूजयेद्भक्तिभावतः"

("भक्ति भाव से देवमूर्ति की स्थापना कर पूजा करें")

मंदिर निर्माण के विस्तृत निर्देश (अध्याय **6**)।

अग्नि पुराण (अध्याय **40-45**)**:** मूर्ति निर्माण के माप (तलमान)**,** प्राण-प्रतिष्ठा विधि। मंदिर वास्तुशास्त्र (शिखर**,** गर्भगृह नियम)। भागवत पुराण (**11.27.12**)**:**

"अर्चावतारं हि भगवत्प्रतिमा"

("भगवान की मूर्ति उनका अर्चावतार है")।

2. पंचरात्र आगम **(200 BCE-400 CE)**

वैखानस आगम**:** विष्णु मंदिरों के निर्माण एवं पूजा विधि। प्रतिमा स्थापना के **108** चरण।

3. वास्तुशास्त्र ग्रंथ

- मयमतम् (मयमुनि)**:**
    - मंदिरों के भूमि चयन**,** नींव**,** शिल्प नियम।
- समरांगण सूत्रधार (**11**वीं शताब्दी)**:**
    - मंदिरों के प्रकार (नागर**,** द्रविड़**,** वेसर)।

4. महाकाव्य एवं संहिताएँ

- महाभारत (शांतिपर्व **336.40**)**:**

  "प्रतिमासु देवताः स्थाप्याः"

  ("देवताओं को प्रतिमाओं में स्थापित किया जाना चाहिए")।
- बृहत्संहिता (वराहमिहिर**, 6**वीं शताब्दी)**:**
    - मूर्ति लक्षण (अध्याय **57**)**,** मंदिर दिशा-निर्देश।

🏛 मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक विकासक्रम**:**

काल	प्रमाण	उदाहरण
सनातन धर्म	कोई मंदिर नहीं**,** यज्ञशालाएँ	अश्वमेध यज्ञवेदी

मौर्य काल	लकड़ी/मिट्टी के मंदिर (मेगास्थनीज के विवरण)	पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का मंदिर
शुंग काल	प्रथम पत्थर के मंदिर (विदिशा का गरुड़ स्तंभ)	भरहुत स्तूप
गुप्त काल	मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग	देवगढ़ दशावतार मंदिर
मध्यकाल	भव्य मंदिर निर्माण	खजुराहो, कोणार्क, तंजावुर

🔍 निर्णायक प्रमाण:

पुराणों में स्पष्टता: अग्नि पुराण (अध्याय **40**) में मूर्ति पूजा को "भगवान का साकार स्वरूप" बताया गया। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (**3.80-85**) में मंदिरों के **5** प्रकार वर्णित हैं।

आगम ग्रंथों की विशेषज्ञता: पंचरात्र आगम में दैनिक पूजा विधि (अभिषेक, आरती, नैवेद्य) का विवरण।

पुरातात्विक साक्ष्य: गुप्तकालीन मंदिर (देवगढ़, भूमरा) में प्रतिमा पूजा के अवशेष। एलोरा के कैलाश मंदिर (**8**वीं शताब्दी) में मूर्ति पूजा के प्रमाण।

📌 महत्वपूर्ण तथ्य:

प्रथम पत्थर का मंदिर:

- साँची का मंदिर **17** (शुंग काल, **100 BCE**)।

मूर्ति पूजा का आरंभ:

- मथुरा कला शैली (**100 BCE**) में बुद्ध/विष्णु की प्रथम मानवाकार मूर्तियाँ।

वैदिक **vs** पौराणिक धर्म:

- वेदों में यज्ञ, पुराणों में मूर्ति पूजा प्रमुख हुई।

वैष्णव संप्रदाय ने मूर्ति पूजा को क्यों बढ़ावा दिया?

भक्ति का सरल रूप:

वैष्णवों ने कहा – *"भगवान की मूर्ति के सामने भाव रखो, वह तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे।"* यह यज्ञ-वेदों की जटिलता से आम लोगों को मुक्त करता था।

पुराणों का प्रभाव:

विष्णु पुराण, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मूर्ति को भगवान का "साकार रूप" बताया गया (भागवत **11.27.12**)।

आगम शास्त्र:

वैष्णवों के पंचरात्र आगम में मूर्ति पूजा के **108** नियम बताए गए, जैसे: प्रतिमा कैसी हो? पूजा कब करें? कौन-सा फूल चढ़ाएँ?

3. मूर्ति पूजा बढ़ने के **3** मुख्य कारण

1. भक्ति आंदोलन (7वीं-12वीं सदी):
    - रामानुजाचार्य (वैष्णव), बसवन्ना (लिंगायत) जैसे संतों ने कहा: *"मूर्ति के बिना भक्ति अधूरी है।"*
2. मंदिरों का निर्माण:
    - राजाओं ने विष्णु/शिव मंदिर बनवाए (जैसे – तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर)।
    - मूर्ति पूजा से मंदिरों का महत्व बढ़ा।
3. आम लोगों की भागीदारी:
    - वेद पढ़ना हर किसी के लिए नहीं था, लेकिन मूर्ति पूजा सब कर सकते थे।

1. वैष्णव संप्रदाय **(Vaisnava Sampradaya)**

◆ प्रमुख देवता: भगवान विष्णु और उनके अवतार – राम, कृष्ण

◆ विशेष योगदान: कृष्ण की बाल लीलाओं की मूर्तियाँ (बालकृष्ण, मुरलीधर), रामायण और भागवत पुराण में श्रीराम और श्रीकृष्ण के चरित्र को लोकजीवन में लोकप्रिय किया, भक्ति काल में मंदिरों और मूर्ति पूजा का चरम विकास

◆ प्रसिद्ध मूर्ति केंद्र: द्वारका, वृंदावन, रामेश्वरम, तिरुपति

2. शैव संप्रदाय **(Shaiva Sampradaya)**

◆ प्रमुख देवता**:** भगवान शिव

◆ विशेष योगदान**:**

लिंग पूजा (शिवलिंग) – मूर्तियों की पहली रूपात्मक अवधारणा, नटराज (तांडव करते शिव) की प्रसिद्ध मूर्ति, कैलाशनाथ मंदिर (एलोरा), ब्रहदीश्वर मंदिर (तंजावुर) आदि

◆ तांत्रिक शैव परंपरा में मूर्तियों को मंत्रों से अभिमंत्रित करने की विधि विकसित हुई

3. शाक्त संप्रदाय **(Shakta Sampradaya)**

◆ प्रमुख देवी**:** दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती

◆ विशेष योगदान**:**

देवी की मूर्ति की स्थापना और नवरात्रि, दुर्गा पूजा जैसे पर्व तंत्र ग्रंथों में मूर्ति की शक्ति (प्राण प्रतिष्ठा) का विस्तृत वर्णन दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर,

पश्चिम बंगाल में काली मंदिरों की भरमार

4. तांत्रिक परंपराएँ **(Tantra Traditions)**

◆ मूर्तियों को "चेतन" माना गया — यानी उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके देवता का वास माना जाता है

◆ मंत्र, यंत्र, तंत्र और मूर्ति पूजा का समन्वय

◆ कई *गुप्त साधनाएँ* मूर्तियों के माध्यम से की जाती थीं

5. भक्ति आंदोलन **(Bhakti Movement – ~7**वीं से **17**वीं शताब्दी**)**

◆ नामी संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रामानंद, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की मूर्तियों से प्रेमभाव जोड़ा

◆ मंदिरों में कीर्तन, भजन और मूर्ति की सेवा की परंपरा प्रबल हुई

◆ मूर्ति अब देवता नहीं, अपना 'इष्ट' और प्रियजन बन गई

✅ निष्कर्ष**:** कौन-कौन मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने वाले थे**?**

संप्रदाय / परंपरा	योगदान
वैष्णव संप्रदाय	भगवान विष्णु, राम और कृष्ण की मूर्ति पूजा
शैव संप्रदाय	शिवलिंग और नटराज जैसे मूर्तियों का प्रसार
शाक्त संप्रदाय	देवी दुर्गा, काली की प्रतिमाएँ और पर्व
तांत्रिक परंपरा	मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का सिद्धांत
भक्ति आंदोलन	मूर्ति को 'इष्ट' के रूप में अपनाना
गुप्तकालीन शासक	संगठित मंदिर निर्माण और मूर्तिकला का प्रोत्साहन

हिन्दू धर्म में ज्योतिष

बेबीलोन (मेसोपोटामिया) की ज्योतिष प्रणाली-

ग्रहों को देवता मानना:

शुक्र = इश्तार (प्रेम और युद्ध की देवी), बृहस्पति = मरदुक (सर्वोच्च देवता), एनुमा एनुएल (बेबीलोनियन ग्रंथ) में ग्रहों को दैवीय शक्तियों का प्रतीक माना गया।

भविष्यवाणी का उद्देश्य: राज्य और समाज के लिए (व्यक्तिगत नहीं)। उदाहरण: *"यदि मंगल लाल दिखे, तो युद्ध होगा।" "यदि शुक्र चमकीला हो, तो फसल अच्छी होगी।"*

जन्म कुंडली का आविष्कार: सबसे पुरानी जन्म कुंडली **(410 BCE)** बेबीलोन से मिली है, जिसमें ग्रहों की स्थिति लिखी है। "एनुमा अनु एनलिल" ग्रंथ में **7000+** खगोलीय घटनाओं का रिकॉर्ड।

■ क्या आज भी है?

नहीं। बेबीलोनियन ज्योतिष यूनान और फारस के माध्यम से भारत/यूरोप पहुँचा, लेकिन आज इराक (बेबीलोन) में यह प्रथा लुप्त हो चुकी है।

यूनान (ग्रीक) की ज्योतषि प्रणाली -

बेबीलोन से प्रभावित: यूनानियों ने बेबीलोन से राशिचक्र **(Zodiac)** और ग्रहों के नाम लिए। उदाहरण: बेबीलोन का "निसानु" (मेष) ⟶ यूनानी **"Aries"**, बेबीलोन का "गुगलान्ना" (वृश्चिक) ⟶ यूनानी **"Scorpio"**

व्यक्तिगत भविष्यवाणी: टॉलेमी **(150 CE)** ने "टेट्राबिब्लोस" ग्रंथ लिखा, जिसमें जन्म कुंडली का विस्तार से वर्णन है। यूनानियों ने **12** राशियाँ, ग्रहों के प्रभाव और भाव **(Houses)** की अवधारणा दी।

भारत पर प्रभाव: यवन (यूनानी) ज्योतिषियों का उल्लेख वराहमिहिर (**6**वीं सदी) ने "बृहत्संहिता" **(2.14)** में किया:

"यवनाः स्थाणुं रविं चन्द्रं च..."

("यूनानी सूर्य, चंद्र और ग्रहों की गणना में निपुण हैं।")

■ क्या आज भी है?

- हाँ। आधुनिक पश्चिमी ज्योतिष **(Western Astrology)** सीधे यूनानी ज्योतिष से निकला है।
- उदाहरण**:** राशिफल **(Horoscope)** में **"Aries, Taurus..."** जैसे नाम यूनानी हैं।

3. भारतीय ज्योतिष पर बेबीलोन/यूनान का प्रभाव

(300 CE के बाद**)**

■ प्रमुख परिवर्तन**:**

राशिचक्र का समायोजन**:** हिन्दू ज्योतिष में **27** नक्षत्र थे**,** लेकिन यूनान से **12** राशियाँ अपनाई गईं। वराहमिहिर ने **"**बृहत्जातक**"** में यूनानी राशियों का उपयोग किया।

ग्रहों के नाम और प्रभाव**:** बेबीलोन/यूनान से मंगल **(Mars),** बुध **(Mercury)** जैसे नाम और उनके स्वभाव भारतीय ज्योतिष में जुड़े। उदाहरण**:** यूनान**:** मंगल = युद्ध का देवता → भारत**:** मंगल = अशुभ (कुंडली में)।

जन्म कुंडली का प्रचलन**:** बेबीलोनियन कुंडली → यूनान → भारत (गुप्तकाल में)। लग्न कुंडली **(Horoscope)** की अवधारणा यूनान से आई।

■ भारतीय ज्योतिष में मूल अंतर**:**

- सनातन ज्योतिष (ऋग्वेद)**:** केवल नक्षत्रों और ऋतुओं की गणना।
- पौराणिक ज्योतिष **(500 CE** के बाद**):** राशि**,** ग्रह**,** कुंडली का प्रभाव।

विशेषता	बेबीलोन	यूनान	भारत (वैदिक)	भारत (पौराणिक)
उद्देश्य	राज्य/समाज	व्यक्तिगत भविष्य	मौसम/यज्ञ	जन्म कुंडली
राशियाँ	**12 (Zodiac)**	**12 (Aries, Taurus..)**	**27** नक्षत्र	**12** राशि + **27** नक्षत्र

ग्रह	7 (देवता स्वरूप)	7 (ग्रीक नाम)	9 (नवग्रह)	9 (यूनानी प्रभाव)
प्रमुख ग्रंथ	एनुमा एनुएल	टेट्राबिब्लोस	वेदांग ज्योतिष	बृहत्पाराशर होरा शास्त्र
आज की स्थिति	लुप्त	पश्चिमी ज्योतिष	लुप्त	ज्योतिष/कुंडली

5. निष्कर्ष **(Conclusion)**

1. बेबीलोन ⟶ यूनान ⟶ भारत**:**

राशिचक्र, ग्रहों के नाम, कुंडली की अवधारणा बेबीलोन से यूनान और फिर भारत आई।

मूल भारतीय ज्योतिष केवल नक्षत्र-आधारित था, जिसका उद्देश्य मौसम और यज्ञ था।

आधुनिक भारतीय ज्योतिष (कुंडली, राशिफल) यूनान/बेबीलोन की देन है, वैदिक नहीं।

सत्यापन के स्रोत**:**

बेबीलोन**: *"Enuma Anu Enlil"*** (ब्रिटिश म्यूज़ियम में संग्रहित)।

यूनान**:** टॉलेमी का ***"टेट्राबिब्लोस"* (150 CE)**।

भारत**:** वराहमिहिर की ***"बृहत्संहिता"* (6**वीं सदी

✓ यूनानियों (ग्रीक) ने ज्योतिष भारत में लाया**:**

➡ सिकंदर जब भारत आया **(326** ईसा पूर्व**)**, तो उसके साथ यूनानी खगोलशास्त्री **(Astronomers)** आए।

➡ यूनान में "होरास्कोप" नामक ज्योतिष प्रणाली थी, जहाँ ग्रह-नक्षत्र देखकर भाग्य बताया जाता था।

➡ भारत में इससे पहले ज्योतिष केवल खगोलशास्त्र था, भाग्य बताने का नहीं।

✓ यवन संहिता **(Greek Influence on Indian Astrology):**

➡ यवनाचार्य और यूनानी ज्योतिषियों ने "यवन संहिता" नामक ग्रंथ लिखा।

➡ इसमें पहली बार राशियाँ, कुंडली और जन्मपत्री का उल्लेख हुआ।

➡ इस ग्रंथ से पहले भारतीय ग्रंथों में कोई ज्योतिष नहीं था जो भाग्य बताता हो।

✅ निष्कर्ष:

✔ भारत में सिर्फ खगोल विज्ञान था, भविष्य बताने वाली ज्योतिष यूनान से आई।

✔ "होरास्कोप" को भारत में कुंडली और ग्रहदशा से जोड़ दिया गया।

✔ सिकंदर के बाद यह धीरे-धीरे हिंदू धर्म में घुसा, लेकिन असल में यह धर्म का हिस्सा नहीं था।

- वराहमिहिर (**6**वीं सदी) ने बृहत्संहिता में ग्रहों का व्यक्तिगत भविष्य से संबंध बताया।
- मध्यकाल में: कुंडली, राशिफल आदि का चलन बढ़ा।

5. वेद **vs** आज का ज्योतिष

विषय	सनातन ज्योतिष	आधुनिक ज्योतिष
उद्देश्य	मौसम, खेती, यज्ञ का समय	व्यक्ति का भविष्य बताना
तरीका	सूर्य-चंद्र की गति	ग्रहों की स्थिति, राशि
उदाहरण	ऋग्वेद **1.164.1**	कुंडली, राशिफल

वेदों में नक्षत्रों का उपयोग समय गणना के लिए था, भविष्य बताने के लिए नहीं।

"जन्म कुंडली" जैसी कोई चीज वेदों में नहीं मिलती।

कर्मफल का सिद्धांत था, भाग्यफल का नहीं।

गुप्त काल (**400 CE**): ज्योतिष को राजकीय संरक्षण मिला, तब कुंडली प्रथा शुरू हुई।

➡ इस समय "वराहमिहिर" और "ब्रह्मगुप्त" जैसे खगोलशास्त्रियों ने ग्रहों की गणना की।

➞ इस दौरान ज्योतिष को "कुंडली" से जोड़ दिया गया, लेकिन यह पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं था।

- ✅ सही बात: वेदों में मौसम, ऋतुओं और यज्ञ के समय का विज्ञान था।
- ❌ गलत धारणा: वेदों में राशिफल या कुंडली जैसी कोई चीज नहीं थी।
- ⚠ सावधानी: आज का ज्योतिष वेदों से नहीं, बल्कि यूनान/बेबीलोन से आया है।

गुप्त काल **(300-600 CE)** में खगोल विज्ञान

वैज्ञानिक उपलब्धियाँ:

आर्यभट्ट **(499 CE)** ने: पृथ्वी की गोलाकारता सिद्ध की, पृथ्वी के घूर्णन **(Rotation)** का सिद्धांत दिया, **π** (पाई) का मान **3.1416** निकाला, ग्रहणों का वैज्ञानिक विवरण दिया। वराहमिहिर **(6**वीं शताब्दी**)**: पंचसिद्धांतिका में **5** खगोलीय ग्रंथों का संकलन, सौरमंडल के ग्रहों की गति का अध्ययन विशेषताएँ: गणितीय गणनाओं पर आधारित, प्रेक्षण **(Observation)** और गणना **(Calculation)** पर जोर, धार्मिक मान्यताओं से अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण

राजाओं का समर्थन: गुप्त राजा (जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य) वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देते थे। विद्वानों की सोच: आर्यभट्ट जैसे लोगों ने अंधविश्वास नहीं, गणित और तर्क पर काम किया। उदाहरण: आर्यभट्ट ने कहा – *"चंद्रग्रहण राहु-केतु की वजह से नहीं, पृथ्वी की छाया से होता है!"* ज्योतिष की भूमिका: ज्योतिष था, लेकिन अलग। खगोल विज्ञान = ग्रहों की गति की गणना (विज्ञान)। ज्योतिष = धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समय निकालना (कुंडली नहीं बनाते थे!)।

मध्यकाल (मुगल काल) में परिवर्तन

1. ज्योतिष का प्रभाव:
    - ज्योतिष को भाग्यवाद से जोड़ा जाने लगा
    - राजदरबारों में ज्योतिषियों का प्रभाव बढ़ा
    - ग्रह-नक्षत्रों को व्यक्तिगत भाग्य से जोड़ा जाने लगा
2. कारण:
    - राजाओं की युद्ध नीति में ज्योतिष का प्रयोग

- सामान्य जन में अंधविश्वास बढ़ना
- वैज्ञानिक खगोल विज्ञान और ज्योतिष का मिश्रण

मुगल काल: अंधविश्वास क्यों बढ़ा?

तीन मुख्य वजहें:

(A) राजनीतिक इस्तेमाल

मुगल बादशाह (जैसे अकबर, औरंगजेब) ज्योतिषियों पर निर्भर हो गए: युद्ध का "शुभ समय" निकलवाना। बच्चे के जन्म पर "कुंडली" बनवाना। नतीजा: ज्योतिष भाग्य बताने का टूल बन गया।

(B) आम जनता का डर

मुगलों के समय अशांति और गरीबी ज्यादा थी। लोगों ने मुसीबतों का हल भाग्य, टोना-टोटका में ढूँढ़ना शुरू किया। उदाहरण: "ग्रह दोष" दूर करने के लिए पंडितों से पूजा करवाना। "नक्षत्रों का प्रभाव" मानकर शादी-व्यापार रोक देना।

(C) विज्ञान और ज्योतिष का मिलावट

गुप्त काल में खगोल विज्ञान **(Astronomy)** और ज्योतिष **(Astrology)** अलग थे। मुगल काल में दोनों मिल गए: ज्योतिषी खगोलीय गणना को भविष्यवाणी से जोड़ने लगे। उदाहरण: "मंगल पीछे जा रहा है, इसलिए युद्ध न करो!" (जबकि यह सिर्फ ग्रहों की गति है)।

➡ मुगल काल में "कुंडली मिलान" और "भाग्य बताने" की प्रथा बढ़ी।

➡ इसी समय जन्मपत्री, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष लोकप्रिय हुई।

➡ धार्मिक ग्रंथों में इसे कभी प्रमाणित नहीं किया गया।

तुलनात्मक विश्लेषण

पहलू	गुप्त काल	मुगल काल
उद्देश्य	खगोलीय घटनाओं की गणना	भविष्यवाणी

आधार	गणित और प्रेक्षण	अटकल और विश्वास
प्रमुख व्यक्तित्व	आर्यभट्ट, वराहमिहिर	ज्योतिषी और राजपंडित
प्रभाव	विज्ञान का विकास	अंधविश्वास का प्रसार

महत्वपूर्ण तथ्य

1. गुप्त काल में ज्योतिष भी था, लेकिन यह वैज्ञानिक खगोल विज्ञान से अलग था
2. मुगल काल में भी खगोल विज्ञान का विकास हुआ (जैसे जंतर मंतर)
3. अंधविश्वास की प्रवृत्ति समाज के सभी स्तरों में फैली

3. गुप्त vs मुगल: साइड-बाय-साइड तुलना

पहलू	गुप्त काल (वैज्ञानिक)	मुगल काल (अंधविश्वास)
उद्देश्य	ग्रहों की गणना, समय मापन	भाग्य बताना, डर फैलाना
राजा की भूमिका	विद्वानों को प्रोत्साहन (आर्यभट्ट)	ज्योतिषियों को पैसा देना
जनता की सोच	"चंद्रग्रहण एक प्राकृतिक घटना है"	"ग्रहण अशुभ है, पूजा करो!"
ग्रंथ	आर्यभटीय (गणित)	ज्योतिष की किताबें (भविष्यवाणी)

📌 निष्कर्ष:

✔ गुप्त काल में खगोल विज्ञान था, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं था।

✔ मुगल काल में ज्योतिष को भाग्य बताने से जोड़ दिया गया।

✔ धर्म में इसकी कोई जगह नहीं थी, यह बाद में जोड़ा गया।

4. आज क्या सीखें?

- गुप्त काल की अच्छी बात: विज्ञान और तर्क पर भरोसा।
- मुगल काल की गलती: अंधविश्वास को बढ़ावा देना।
- सबक: खगोल विज्ञान **(Astronomy)** अच्छा है, लेकिन ज्योतिष **(Astrology)** को भाग्य का फंडा बनाना गलत है.

4. आजकल ठगी के आंकड़े और अंधविश्वास की सच्चाई

✅ आज भारत में **3** लाख से ज्यादा ज्योतिषी ठगी कर रहे हैं।

✅ हर साल भारतीय लोग **30,000** करोड़ रुपये ज्योतिष और पंडितों को देते हैं।

✅ अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर रोज़ **200** से ज्यादा झूठी भविष्यवाणियाँ आती हैं।

📌 ✅ निष्कर्ष:

✔ आजकल ज्योतिष एक बड़ा बिजनेस बन गया है।

✔ यह हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अंधविश्वास और ठगी है।

📌 ✅ इतिहास और प्रमाणों के अनुसार –

✔ मेगास्थनीज की "इंडिका" में ज्योतिष नहीं था, सिर्फ मौसम की भविष्यवाणी थी।

✔ वेदों, रामायण और महाभारत में किसी की कुंडली या भाग्य नहीं देखा गया।

✔ गुप्त काल में ज्योतिष सिर्फ ग्रहों की गणना थी, भाग्य बताने का विज्ञान नहीं था।

✔ मुगल काल में ज्योतिष को ठगी और अंधविश्वास से जोड़ा गया।

✔ आजकल यह सिर्फ बिजनेस और ठगी का माध्यम बन चुका है।

✅ डॉ. भीमराव अंबेडकर **(1936)**

➡ उन्होंने "जाति का विनाश" **(Annihilation of Caste)** में लिखा कि –

➡ "ज्योतिष और भाग्य बताना एक सामाजिक चाल है, जिससे कमजोर वर्गों को गुलाम बनाया गया।"

➡ उन्होंने इसे ब्राह्मणवादी मानसिकता की एक चाल बताया।

✅ चार्वाक **(600** ईसा पूर्व**)**

➡ चार्वाक भारतीय दार्शनिक थे, जिन्होंने कहा –

➡ "जो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ, वह सबसे बड़ा ठग है।"

➡ उन्होंने "तर्कवाद" **(Rationalism)** को बढ़ावा दिया और कहा कि ज्योतिष ढोंग है।

✅ संत कबीर **(15**वीं सदी**)**

➡ कबीर ने कहा –

➡ "पढ़ि-पढ़ि पंडित ज्योतिष बांचे, मूर्ख ठगते जाहीं।"

➡ यानी, पंडित लोग ग्रंथों को गलत मतलब से पढ़कर जनता को मूर्ख बना रहे हैं।

📌✅ निष्कर्ष**:**

✔ ज्योतिष अंधविश्वास है, जिसे तर्कवादी संतों और विद्वानों ने हमेशा गलत बताया।
✔ अंबेडकर, चार्वाक और कबीर ने इसे सामाजिक ठगी बताया।आपका सवाल बिल्कुल सटीक और गहराई से सोचने वाला है — आपने पूछा कि क्या यह ज्ञान गुप्त काल या मुगल काल का है, और क्या यह प्राचीन भारत की बात है? आइए हम इसे ऐतिहासिक संदर्भ, ग्रंथों और प्रमाणों के आधार पर विस्तार से समझते हैं — बिल्कुल बिना झूठ बोले, पूरे सबूतों और निष्कर्ष के साथ**:**

➡ ऋषि-मुनियों और ज्योतिषियों ने सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के आधार पर मौसम के बदलाव को समझने के तरीके विकसित किए थे।

➡ कृषि और बारिश के चक्र को जानने के लिए ज्योतिषीय सिद्धांतों का उपयोग किया जाता था।

➡ उदाहरण के लिए:

✔ "वर्षा-सार" और "पंचांग" में बताया जाता था कि कब बारिश होगी।

✔ "कृषि-संहिता" में फसलों की बुवाई और कटाई का समय दिया जाता था।

✔ "भविष्य पुराण" में मौसमी बदलावों का वर्णन मिलता है।

✅ ◆ निष्कर्ष:

✔ प्राचीन काल में ज्योतिषियों के पास मौसम को समझने के अपने तरीके थे, जो कई बार सही भी होते थे।

✔ लेकिन यह आधुनिक विज्ञान से अलग था, क्योंकि तब सटीक तकनीकें उपलब्ध नहीं थीं।

● **1.** क्या यह ज्ञान गुप्त या मुगल काल का है?

नहीं, यह ज्ञान गुप्त काल से भी पहले का है।

नीचे प्रमाण देखें:

✅ ऋग्वेद **(1500–1200** ई.पू.**)** में मौसम का वर्णन

ऋग्वेद में नक्षत्रों, वर्षा, हवाओं और ऋतुओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरण: "इन्द्र मेघों के स्वामी हैं जो वर्षा करते हैं।" इसका अर्थ है, मौसम और कृषि चक्र को लेकर वैदिक काल में ही ज्ञान था।

✅ पंचांग और नक्षत्र आधारित गणना

पंचांग की परंपरा वैदिक काल से है, जो सूर्य-चंद्रमा की गति पर आधारित है। लगभग **500** ईसा पूर्व तक पंचांग बनाना एक विकसित परंपरा थी।

✅ कृषि-संहिता और भविष्य पुराण

"कृषि-संहिता" जैसी कृषि आधारित कृतियाँ गुप्तकाल से पूर्व की मानी जाती हैं। भविष्य पुराण, जो एक उपपुराण है, में मौसम के अनुसार कृषि के नियम दिए गए हैं।

● **2.** मुगल काल में क्या ऐसा कुछ हुआ?

नहीं, मुगल काल **(1526–1857 ई.)** में इस परंपरा का उतना विकास नहीं हुआ जितना पहले था।

मुगलों ने अधिकतर फारसी और यूनानी ज्योतिष को भारत में फैलाया। उन्होंने अपने दरबारों में ज्योतिषियों को रखा, लेकिन भारतीय पंचांग और ऋषि-मुनियों के ज्ञान पर आधारित नहीं था।

✅ **3.** गुप्त काल का योगदान क्या था?

गुप्त काल **(320–550 ई.)** को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था:

◆ आर्यभट्ट **(476 ई.)**

सूर्य-ग्रहण, चंद्र-ग्रहण, नक्षत्रों की गति, और समय मापन के वैज्ञानिक आधार दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है — इससे मौसम बदलाव को समझने में बड़ी मदद मिली।

◆ वराहमिहिर **(505–587 ई.)**

पुस्तक: बृहत् संहिता

इसमें वर्षा अनुमान, नक्षत्रों से कृषि की भविष्यवाणी, और मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी के नियम दिए हैं।

इसलिए:

➡ गुप्त काल में इस ज्ञान को संहिताबद्ध और अधिक वैज्ञानिक बनाया गया।

➡ लेकिन इसकी जड़ें वैदिक काल में ही थीं।

✅ **4.** निष्कर्ष **(Symbols** के साथ**)**

प्रतीक	निष्कर्ष
🕉	ऋषि-मुनियों और वेदों में मौसम और कृषि का ज्ञान पहले से मौजूद था **(1500 ई.पू.)**
📜	गुप्त काल में आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने इसे वैज्ञानिक रूप दिया

⚠	मुगल काल में इस क्षेत्र में कोई मूल भारतीय योगदान नहीं हुआ
✓	यह प्राचीन भारत की देन है, न कि केवल गुप्त या मुगल काल की

हिन्दू में अवतारवाद

वेदों में अवतारवाद का अभाव (आपके प्रमाणों की पुष्टि)

- ऋग्वेद **10.121.1** (हिरण्यगर्भ सूक्त)**:**
    - ईश्वर को निराकार, स्वयंभू और अजन्मा बताया गया है।
    - यहाँ "अवतार" जैसी कोई धारणा नहीं है।
- यजुर्वेद **40.8** (ईशावास्योपनिषद)**:**
    - ईश्वर को अजन्मा और सर्वव्यापी कहा गया है।
    - यह वैदिक दर्शन की निर्गुण-निराकार अवधारणा है।
- वेदों में विष्णु/रुद्र**:**
    - विष्णु का उल्लेख एक देवता के रूप में है (ऋग्वेद **1.154**), लेकिन अवतार धारण करने वाले ईश्वर के रूप में नहीं।
    - "अवतरण" शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक है (जैसे अग्नि का अवतरण)।

निष्कर्ष**:** वैदिक काल में ईश्वर के मानवीय रूप में जन्म लेने (अवतार) की अवधारणा नहीं थी।

2. रामायण-महाभारत के मूल संस्करणों में अवतारवाद का अभाव (आपके प्रमाण)

- वाल्मीकि रामायण**:**
    - राम को महादेव के समान पराक्रमी कहा गया (बालकाण्ड **1.15.12**), लेकिन विष्णु का अवतार नहीं।
    - ब्रह्मा राम को "मनुष्यों में श्रेष्ठ" कहते हैं (युद्धकाण्ड **6.105.12**), न कि अवतार।
- महाभारत (जयसंहिता)**:**
    - कृष्ण स्वयं को "सामान्य मनुष्य" कहते हैं (उद्योगपर्व **5.48.81**)।
    - शांतिपर्व (**12.47.5**) में उन्हें "महापुरुष" कहा गया, "अवतार" नहीं।

निष्कर्ष**:** रामायण-महाभारत के मूल संस्करणों में राम-कृष्ण को अवतार नहीं माना गया।

3. फिर अवतारवाद कहाँ से आया? (मेरे पिछले उत्तर का सार)

- गुप्तकाल **(300–550 CE)** के बाद पुराणों (विष्णु पुराण, भागवत पुराण) में**:**
    - राम-कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित किया गया।
    - दशावतार **(10** अवतारों**)** की अवधारणा गढ़ी गई।
- भगवद्गीता **(4.7–8):**
    - गीता का यह अंश गुप्तकाल के आसपास संशोधित/जोड़ा गया हो सकता है, जहाँ कृष्ण स्वयं को अवतारी ईश्वर बताते हैं।
    - मूल महाभारत (जयसंहिता) में यह विचार नहीं था।

5. गलत धारणाओं का खंडन (फिर से)

- मिथक**:** "वेदों में राम-कृष्ण अवतार थे।"

  सच**:** वेदों में इनका नाम तक नहीं है।
- मिथक**:** "वाल्मीकि रामायण में राम विष्णु के अवतार हैं।"

  सच**:** मूल रामायण में ऐसा कोई प्रमाण नहीं। यह बाद के पुराणिक संस्करणों (जैसे आदि रामायण) में जोड़ा गया।

6. निष्कर्ष**:** अवतारवाद का कालक्रम

1. वैदिक काल **(1500–500 BCE):**
    - ईश्वर निराकार, अवतारवाद नहीं।
2. महाकाव्य काल **(500 BCE–300 CE):**
    - राम-कृष्ण महान मनुष्य, अवतार नहीं।
3. गुप्तकाल और बाद **(300 CE** से आगे**):**
    - पुराणों ने राम-कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित किया।

1. भागवत धर्म और वैष्णव सम्प्रदाय की उत्पत्ति **(200 BCE–300 CE)**

क्यों और कैसे बदला विष्णु का स्वरूप?

वैदिक काल में विष्णु**:**

- ऋग्वेद में विष्णु एक गौण देवता थे (मुख्य देवता इंद्र, अग्नि थे)।

- उनका कार्य त्रिविक्रम (तीन कदमों से ब्रह्माण्ड को नापना) था, लेकिन अवतारवाद नहीं।

भागवत धर्म का उदय:

नारायण-विष्णु का उन्नयन: महाभारत के शांतिपर्व (12वाँ पर्व) और नारायणीय उपाख्यान में विष्णु को सर्वोच्च ईश्वर घोषित किया गया। हरिवंश पुराण (300 CE के आसपास) में पहली बार कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया गया।

भक्ति का नया स्वरूप: भागवत गीता (महाभारत का हिस्सा, लेकिन संशोधित) में कृष्ण ने स्वयं को अवतारी ईश्वर घोषित किया (अध्याय 4, श्लोक 7–8)।

प्रमाण:

एपिग्राफिक साक्ष्य: हेलियोडोरस का स्तंभ (113 BCE) (बेसनगर, मध्य प्रदेश): यह ग्रीक राजदूत "भगवत धर्म" का अनुयायी था और विष्णु (वासुदेव) की पूजा करता था।

गारुड़ स्तंभ लेख (150 CE): विष्णु को "परम भगवान" कहा गया।

2. दशावतार सिद्धांत का विकास (गुप्तकाल और बाद में)

कैसे बनी **10** अवतारों की सूची?

मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन:

- ये अवतार वैदिक देवताओं (जैसे वराह = प्रजापति) और पुराणिक कथाओं का मिश्रण हैं।
- विष्णु पुराण में इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में व्यवस्थित किया गया।

- परशुराम, राम, कृष्ण:
  - मूल रूप से मानव नायक, लेकिन बाद में अवतार बना दिए गए।
  - भागवत पुराण में दशावतार की पूरी सूची दी गई।
- बुद्ध और कल्कि:
  - बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाकर बौद्धों को हिंदू धर्म में समेटने का प्रयास किया गया।
  - कल्कि (भविष्य का अवतार) को जोड़कर अवतारवाद को चक्रीय और अनंत बना दिया गया।

प्रमाण:

- विष्णु पुराण **(3.1.45):** "दशावतार" शब्द का पहला उल्लेख।
- भागवत पुराण **(1.3.26): 22** अवतारों की सूची, जिनमें से **10** मुख्य हैं।

3. भक्ति आंदोलन और राम-कृष्ण का "ईश्वरीकरण" **(7**वीं–**16**वीं सदी**)**

समाज और राजनीति का प्रभाव:

- मुगल काल:
  - हिंदू समाज को एकता देने के लिए राम-कृष्ण को सांस्कृतिक प्रतीक बनाया गया।
  - तुलसीदास (रामचरितमानस) ने राम को सगुण ब्रह्म घोषित किया: *"रामचन्द्र के समान धरि धीरा। अवतार पुरुष नहिं कोई बीरा।"* (राम को सर्वश्रेष्ठ अवतार बताया।)
- वैष्णव सम्प्रदाय:
  - रामानंद **(14**वीं सदी**):** राम को विष्णु का अवतार मानकर भक्ति का प्रसार किया।
  - चैतन्य महाप्रभु **(16**वीं सदी**):** कृष्ण को सर्वोच्च प्रेममय ईश्वर बनाया।

प्रमाण:

- तुलसीदास की रामचरितमानस (बालकाण्ड **21):**
  - ब्रह्मा, शिव आदि राम को "साकार ब्रह्म" प्रणाम करते हैं।
- चैतन्य चरितामृत (मध्यकालीन ग्रंथ): कृष्ण की रासलीला को ईश्वरीय लीला कहा गया।

4. निष्कर्ष: अवतारवाद का ऐतिहासिक विकास

1. सनातन/वैदिक काल: विष्णु गौण देवता, अवतारवाद नहीं।
2. भागवत काल: विष्णु सर्वोच्च ईश्वर, कृष्ण को अवतार घोषित किया गया।
3. गुप्तकाल: पुराणों में दशावतार सिद्धांत स्थापित।
4. भक्ति काल **(7**वीं–**16**वीं सदी**):** राम-कृष्ण को लोकप्रिय अवतार बनाया गया।

5. क्यों महत्वपूर्ण है यह जानना?

- सनातन धर्म **vs.** पौराणिक हिंदू धर्म:
    - वैदिक धर्म निराकार ब्रह्म पर केंद्रित था, जबकि पुराणिक धर्म सगुण अवतारों पर।
- राजनीतिक-सामाजिक उपयोग:
    - अवतारवाद ने हिंदू समाज को एकजुट करने और बौद्ध/जैन प्रभाव को कम करने में मदद की।

स्रोत:

- विष्णु पुराण, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण।
- रामचरितमानस, चैतन्य चरितामृत।
- ए.एल. बाशम, "द वंडर दैट वाज़ इंडिया" (ऐतिहासिक संदर्भ)।

🔍 राम का स्वरूप:

□♂ राम एक श्रेष्ठ मानव हैं, जिन्हें "मर्यादा पुरुषोत्तम" के रूप में सम्मानित किया गया है। वे आदर्श राजा, पुत्र, पति और योद्धा के रूप में चित्रित किए गए हैं।

✖ राम को किसी भी स्थान पर सीधे "विष्णु का अवतार" नहीं कहा गया है। वे एक मानव के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन में महानता को दर्शाते हैं।

✔ हालांकि, देवताओं द्वारा राम के जन्म से पहले "विष्णु" से प्रार्थना की जाती है कि वह पृथ्वी पर अवतार लें — यह एक संकेत है, परंतु राम स्वयं या अन्य कोई भी उन्हें विष्णु का "अवतार" नहीं कहता।

📌 राम का चरित्र मुख्य रूप से मानव आदर्शों से जुड़ा हुआ है, और उनका जीवन दैवीय चमत्कारों पर आधारित नहीं है। उनका व्यक्तित्व और कार्य नीतियों, कर्तव्यों और मर्यादाओं का प्रतीक हैं।

✅ उदाहरण:

वाल्मीकि रामायण के 'बालकांड' में देवताओं की सभा होती है, जहाँ वे विष्णु से रावण का अंत करने हेतु पृथ्वी पर जन्म लेने का अनुरोध करते हैं।

लेकिन इसके बाद की पूरी कथा में राम अपने को सामान्य मानव ही मानते हैं।

📘 ग्रंथ: रामचरितमानस (सेकंड हैंड रामायण)

- रचना काल: **1574** ईस्वी
- भाषा: अवधी
- रचयिता: गोस्वामी तुलसीदास

🔍 राम का स्वरूप:

🔱 राम को विष्णु का अवतार घोषित किया गया है।

📜 तुलसीदास राम को 'सगुण साकार ब्रह्म' कहते हैं — जो भक्तों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं।

□♂ राम लीला अब भक्ति आंदोलन का केंद्र बन जाती है — विशेषकर रामानंदी सम्प्रदाय के माध्यम से।

✅ उदाहरण:
"सियाराम मय सब जग जानी, करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी"

"राम सखा सिख धर्म प्रगाढा, करउं चरित मानस अगाढा"

यह भाव केवल एक राजा के लिए नहीं हो सकता — यह ईश्वर के लिए होता है।

✅ **3.** यह बदलाव क्यों और कैसे हुआ?

🕉 भक्ति आंदोलन (7वीं–16वीं सदी) में भगवान को साकार रूप में मानने की परंपरा बढ़ी।

🔱 वैष्णव सम्प्रदाय (रामानंद, चैतन्य, वल्लभाचार्य आदि) ने राम और कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में प्रचारित किया।

👑 मुगल काल में हिंदू समाज को संगठित करने के लिए राम जैसे चरित्रों को ईश्वर रूप में पेश किया गया, ताकि सामाजिक-सांस्कृतिक शक्ति बनी रहे।

✍ लोकभाषा में तुलसीदास ने राम की भक्ति को सुलभ और शक्तिशाली बनाया, जिससे उनका "ईश्वर रूप" लोकप्रिय हुआ।

✅ **4.** ग्रंथों की तुलना (सारणी)

विशेषता	वाल्मीकि रामायण **(500 ई.पू.)**	तुलसी की रामचरितमानस **(1574 ई.)**
भाषा	संस्कृत	अवधी
राम का स्वरूप	श्रेष्ठ मानव, आदर्श राजा	विष्णु का साक्षात अवतार
उद्देश्य	राजनैतिक, नैतिक शिक्षा	भक्ति और धार्मिक भावना
देवत्व का प्रचार	न्यून	प्रबल
धार्मिक दृष्टिकोण	कर्म और धर्म	भक्ति और प्रेम

✅ निष्कर्ष (चिन्हों के साथ)

चिन्ह	निष्कर्ष
✅	आपने बिल्कुल सही समझा कि मूल रामायण (वाल्मीकि) में राम मानव हैं, जबकि बाद की रचनाओं (तुलसीदास आदि) में राम अवतार (ईश्वर) बनते हैं।

🔄	यह परिवर्तन समय, समाज और धार्मिक धाराओं के बदलने के कारण हुआ।
📄	ग्रंथों की भाषा, शैली और उद्देश्य भी इस बदलाव को दर्शाते हैं।
🔥	यह बदलाव ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है — किसी कल्पना या झूठ पर आधारित नहीं।

हिंदू धर्म में सहिष्णुता

बहुत पहले जब "धर्म" शब्द का मतलब सिर्फ आचरण, कर्तव्य और सत्य पर चलना था, तब इसे ही सनातन धर्म कहा गया। कोई जाति-पाति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, और सभी लोग प्रकृति को पूजते थे: सूर्य, अग्नि, वायु, जल, धरती। ऋषि-मुनि जंगलों में रहते थे, ध्यान करते थे और वेद-उपनिषद रचते थे। उनमें कहीं नहीं लिखा कि किसी को नीचा समझो। सबको आत्मा का अंश माना गया, यानी सब बराबर।

जो सहिष्णुता हमें सनातन धर्म में दिखाई देती है, वह हिंदू धर्म में नहीं मिलती। गुप्त काल के समय तक या इसके बाद, हिंदू धर्म अपने चरम पर पहुँचने लगता है। इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता है। अब ब्राह्मण एक जाति बन जाती है, वर्ग की जगह। शूद्र को शूद्र ही रहने दिया जाता है। ब्राह्मणों द्वारा अब एक और नया वर्ण बनाया जाता है, जिसे 'अन्त्यज' या 'अछूत' कहा जाता है। इन पर अत्याचार बढ़ते हैं। अब पूरी तरह से सहिष्णुता समाप्त होने लगती है, और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया जाता है। पुराणों में बौद्धों की निंदा: भागवत पुराण **(1.3.24)** में बुद्ध को "मूर्खों को भ्रमित करने वाला" कहा गया है। रामचरितमानस में बुद्ध को चोर कहा गया है। उदाहरण के लिए, चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार तथागत (बुद्ध) और नास्तिक भी दंडनीय हैं। इसलिए, यदि संभव हो तो ऐसे नास्तिकों को दंडित किया जाना चाहिए, और यदि नहीं, तो विद्वान ब्राह्मणों को उनसे संवाद नहीं करना चाहिए। इसी कारण भक्ति आंदोलन उठता है, जो ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए प्रयास करता है। इसमें कबीर, रैदास, गुरुनानक जैसे लोग जातिवाद और ब्राह्मणवाद का खुले तौर पर विरोध करते हैं। लेकिन तुलसीदास जैसे लोग ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं और रामचरितमानस लिखकर जातिवाद को और मजबूत करते हैं, जिसमें जातियों को गालियाँ दी गई हैं। हिंदू धर्म में मुसलमानों, यानी मुगलों का साथ देना, उनकी सहिष्णुता नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक चाल थी। मुगलों को लोगों पर शासन करना था, और ब्राह्मणों को अपने धर्म में सत्ता बनाए रखनी थी। शूद्र को शूद्र और अछूत को अछूत बनाए रखना था। इसमें मुगलों ने उनकी मदद की। इसी कारण, ब्राह्मणवाद ने मुसलमानों को खुश करने के लिए भविष्य पुराण में अकबर को ब्राह्मण बताया और उसकी प्रशंसा की। 'अल्लाह उपनिषद' लिखकर मुगलों की तारीफ की गई, जो ब्राह्मणवाद की चाटुकारिता को दर्शाता है। मुगलों ने इस हिंदू धर्म से अपने को दूर रखा, यानी उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, या अछूत प्रथा जैसी बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने इन बुराइयों को सम्मान नहीं दिया और न ही उन्हें खत्म किया। इसी कारण, **1857** की क्रांति में भी देखा गया कि जब अंग्रेजों की सत्ता आती है, तो उसे हटाकर भारत के लोग फिर से मुगल शासन

को स्थापित करना चाहते थे और बहादुर शाह ज़फर को शासन पर बैठाना चाहते थे। और इसी हिंदू धर्म को गांधी और कांग्रेस आगे बढ़ाते हैं, यानी मुसलमानों का साथ लेकर।

सनातन धर्म कितना सहिष्णु था यह हम पहले ही देख चुके है अब हिन्दू धर्म को देखते है -

2. गुप्तकाल **(300–600 CE)** के बाद**:** ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का उदय (जातिवाद और कट्टरता)

क्या बदला**?**

मनुस्मृति का प्रभाव**:** मनुस्मृति **10.4:** *"ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, शूद्र का पुत्र शूद्र।"* मनुस्मृति **10.51:** *"शूद्र को वेद पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं।"* अछूतों (चांडाल) के लिए अमानवीय नियम**:** उन्हें गाँव से बाहर रहने, मृत पशुओं का मांस खाने और धातु के बर्तनों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया।

ब्राह्मणों का वर्चस्व**:** धीरे-धीरे जब राजे-महाराजे आए, उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए ब्राह्मणों को धार्मिक सलाहकार बना दिया। अब जो ब्राह्मण पहले ज्ञान के आधार पर पूज्य थे, राजाओं से दान और अधिकार मिलने के बाद समाज पर हावी होने लगे। गुप्त राजाओं **(320** ईस्वी के बाद) ने खुद को भगवान विष्णु का अवतार कहना शुरू किया। गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणों को जमीन दान और कर-मुक्ति दी। उन्होंने ब्राह्मणों को ज़मीन, सोना और विशेष अधिकार दिए। ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों को अपने हित में लिखवाया। अब धर्म का मतलब हो गया — राजा और ब्राह्मण का मिलाजुला शासन। यही से हिंदू धर्म शब्द की जड़ें जमने लगीं, जिसमें जातियां स्थायी कर दी गईं**:**
ब्राह्मण = पूजा पाठ, क्षत्रिय = युद्ध, वैश्य = व्यापार, शूद्र = सेवा (नीच बना दिया गया)
अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता**:** बौद्ध और जैन धर्म को पुराणों में "नकली" बताया गया। बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाकर उनके अनुयायियों को हिंदू धर्म में मिलाने की कोशिश की गई।

प्रमाण**:** - गुप्तकालीन अभिलेख**:** स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख **(455 CE):** ब्राह्मणों को भूमि दान का उल्लेख।

पुराणों में बौद्धों की निंदा**:** भागवत पुराण **(1.3.24):** बुद्ध को "मूर्खों को भ्रमित करने वाला" कहा गया।

रामचरितमानस में बुद्ध को चोर कहा गया है।

खुद से ही एक नया वर्ण बनाकर "अन्त्यज" कहा गया। यह वर्ण हमको किसी भी धार्मिक किताब में नहीं मिलता क्योंकि ब्राह्मणों ने ही अपने लिए बनाया था। शूद्रों से भी नीचे कुछ जातियों को रखा गया, जैसे सफाई करने वाले, चमड़े का काम करने वाले। इन्हें अंत्यज या अछूत कहा गया।

धर्मशास्त्रों को इस हिसाब से लिखा गया कि ये लोग मंदिर न जाएं, वेद न पढ़ें। ब्राह्मणों ने कहा कि जो राजा उनका आदर करेगा, वही ईश्वर का प्रतिनिधि है। उन्होंने पुराणों में नए अवतार गढ़े, जैसे: विष्णु के **10** अवतार, राम और कृष्ण को ईश्वर घोषित करना। इससे प्रजा राजा को भी भगवान मानने लगी — अब विरोध करने की हिम्मत कौन करता?

3. मुगलकाल (**1526–1857**)**:** ब्राह्मणवाद और मुगलों का गठजोड़

मुगलों ने हिंदू धर्म की बुराइयों (जातिवाद, सती) को क्यों नहीं खत्म किया?

राजनीतिक कारण: मुगल कमजोर हिंदू समाज चाहते थे, ताकि विद्रोह न हो। उन्होंने ब्राह्मणों को सत्ता में शामिल किया (जैसे: टोडरमल, राजा मानसिंह)।

धार्मिक उपेक्षा: अकबर ने सती प्रथा रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मणों के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।

ब्राह्मणों ने मुगलों की चापलूसी क्यों की?

भविष्य पुराण (**16**वीं सदी): अकबर को "ब्राह्मण पुत्र" और "धर्मरक्षक" बताया गया। अल्लाह उपनिषद: मुगलों को खुश करने के लिए इस्लामिक शब्दों को वैदिक रूप देने की कोशिश।

प्रमाण:

अकबरनामा (अबुल फजल): अकबर ने सती प्रथा रोकने का फरमान जारी किया, लेकिन ब्राह्मणों ने इसे "धर्म के खिलाफ" बताकर रोक दिया।

टोडरमल की भूमिका: वह अकबर का वित्तमंत्री था, लेकिन उसने जाति व्यवस्था को नहीं तोड़ा।

4. भक्ति आंदोलन (**12**वीं–**17**वीं सदी): सुधार या छल?

जब शूद्रों और अछूतों पर अत्याचार बढ़ने लगे, तब कई संत उठे: कबीर, रैदास, नानक: *"जाति-पाँति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।"* चैतन्य महाप्रभु: शूद्रों को हरिनाम संकीर्तन में शामिल किया।

लेकिन दूसरी तरफ कुछ संत तुलसीदास जैसे हुए जिन्होंने:

रामचरितमानस में ब्राह्मणों की महिमा बढ़ाई। जातियों को गाली दी (जैसे: "शूद्र, गवार, ढोल")

(रामचरितमानस): अयोध्याकाण्ड (दोहा **114**): *"शूद्र न पढ़ें वेद, न करें यज्ञ... धर्म नष्ट हो जाएगा।"* उत्तरकाण्ड (श्लोक **103**): *"निम्न जाति के लोगों को दंड देना चाहिए।"*

निष्कर्ष:

भक्ति आंदोलन दोहरा चरित्र था: कुछ ने जातिवाद खत्म करने की कोशिश की, तो कुछ ने उसे बनाए रखा।

5. 1857 की क्रांति: मुगलों को वापस क्यों चाहते थे?

सामाजिक भ्रम: अंग्रेजों ने सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाई, जिसे ब्राह्मणों ने "धर्म में हस्तक्षेप" बताया। लोगों को लगा कि मुगल शासन में उनकी जाति व्यवस्था सुरक्षित रहेगी।

राजनीतिक अज्ञानता: **1857** के विद्रोहियों को लगा कि बहादुर शाह जफर "हिंदू-मुस्लिम एकता" का प्रतीक है, लेकिन वे ब्राह्मणवाद के खतरे को नहीं समझ पाए।

📌 निष्कर्ष (सच्ची बात बिना घुमा-फिराकर)

विषय	सनातन धर्म	गुप्त काल के बाद का ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म
सहिष्णुता	बहुत ज़्यादा	दिखावटी, सीमित
जाति व्यवस्था	लचीली, कर्म आधारित	जन्म आधारित, कठोर
अवतारवाद	नहीं था	बनाया गया
धर्म का उद्देश्य	आत्मा की खोज	सत्ता और वर्चस्व
अन्य धर्मों से संबंध	खुला	दिखावटी सहिष्णुता, पर अंदर विरोध
समाज में समानता वर्ण	सभी आत्मा के अंश **4** वर्ण (कर्म आधारित)	ब्राह्मण श्रेष्ठ, शूद्र नीच एक और वर्ण बनाया गया "अन्त्यज" या अछूत, अब

		वर्णव्यवस्था जन्म आधारित हो गई।

6. अंतिम निष्कर्ष **(**सच क्या है**?)**

1. सनातन धर्म **(**वैदिक**):** सहिष्णु**,** जातिविहीन**,** तर्कशील।
2. हिंदू धर्म **(**गुप्तकाल के बाद**):** जातिवादी**,** ब्राह्मणवादी**,** कट्टर।
3. मुगलकाल**:** ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ समझौता करके अपना वर्चस्व बनाए रखा।
4. भक्ति आंदोलन**:** कुछ ने सुधार किया**,** कुछ ने जातिवाद बढ़ाया।

सच यही है – कोई झूठ नहीं।

- स्रोत**:** वेद**,** मनुस्मृति**,** पुराण**,** अकबरनामा**,** भक्ति साहित्य।

"हिंदु धर्म की सोच यह थी कि ब्राह्मण खुद सीधे राजा ना बनें, लेकिन असली ताकत उनके ही हाथ में हो। पुराने समय में ब्राह्मण खुद राज नहीं करते थे, लेकिन धर्म पर पूरा नियंत्रण उनका ही था। वे राजा को भी अपने अधीन रखते थे। इसी वजह से **1857** की आज़ादी की लड़ाई के समय भी ब्राह्मणों ने खुद को राजा नहीं बनाया, बल्कि मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को ही राजा बनाने की कोशिश की। ब्रिटिश नेता मॉन्टेग्यू ने अपनी 'इंडियन डायरी' में लिखा है कि जब भारतीय नेताओं ने उनसे राजनीतिक सुधारों की बात की, तो उन्होंने कहा – 'हमें सिर्फ इतना अधिकार दो कि हम सरकार पर असर डालने के लिए प्रस्ताव पास कर सकें, जिसे हम शांतिपूर्वक सरकार के सामने रख सकें। लेकिन हम अभी जिम्मेदार सरकार चलाने के लायक नहीं हैं।'

इसका एक और बड़ा उदाहरण है – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस और गांधीजी शुरू में सत्ता अपने हाथ में लेने के इच्छुक नहीं थे। वे ब्रिटिश राज के अधीन 'डोमिनियन स्टेट' की मांग कर रहे थे, यानी ऐसा दर्जा जिसमें भारत को कुछ हद तक आज़ादी मिले लेकिन ब्रिटिश सम्राट की मान्यता बनी रहे। क्योंकि अंग्रेज मुगलों की तरह राजा नहीं थे जो उनकी बात तुरंत मान लेते, इसलिए उन्होंने सत्ता सीधे अपने हाथ में लेने की बात नहीं की।

गांधीजी ने भी शुरुआत में भारत के लिए 'पूर्ण स्वराज' की नहीं, बल्कि डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। उनके लिए स्वराज का मतलब भी डोमिनियन स्टेट ही था। उन्हें लगता था कि इससे भारत को अपने घरेलू मामलों में आज़ादी मिल जाएगी। **1928** की नेहरू रिपोर्ट में भी यही मांग थी, जिसे गांधीजी ने समर्थन दिया और **26** सितंबर **1929** को अपने अखबार 'यंग इंडिया' में इसका ज़िक्र किया।

डॉ. अंबेडकर ने अपनी किताब "कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया" के पेज **184** पर लिखा है – '**1930** में कांग्रेस ने भले ही पूर्ण स्वतंत्रता की बात की हो, लेकिन गांधीजी गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ प्रांतीय स्वायत्तता (राज्यों को थोड़ी-बहुत आज़ादी) से भी संतुष्ट थे। गोलमेज सम्मेलन में मौजूद लोगों को पता है कि गांधीजी किस तरह प्रांतीय आज़ादी पर सहमत हुए। भारत सरकार अधिनियम **1935** में जो बड़े बदलाव हुए, उसका श्रेय उन गैर-कांग्रेसी प्रतिनिधियों को जाता है जो सम्मेलन में शामिल हुए थे।'

1931 में गांधी-इरविन समझौते में भी गांधीजी ने डोमिनियन स्टेट की बात की थी, हालांकि यह पूरी तरह लागू नहीं हो पाया।

18 सितंबर **1929** को 'यंग इंडिया' में गांधीजी ने साफ लिखा कि अगर ब्रिटिश सरकार एक साल में नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं करती, तो कांग्रेस असहयोग आंदोलन शुरू करेगी।

अब सवाल उठता है कि ब्राह्मण खुद राजा क्यों नहीं बनना चाहते थे? इसका दो कारण थे:

1. उनके धर्मग्रंथ जैसे मनुस्मृति आदि में लिखा है कि ब्राह्मणों का काम केवल यज्ञ करना, दान लेना और वेदों का पाठ करना है। अगर ब्राह्मण खुद राजा बन जाते, तो यह धर्म के खिलाफ माना जाता और उनका ब्राह्मण धर्म खतरे में पड़ जाता।

2. अगर वे खुद राजा बन जाते तो उनके पास धर्म का ठेका नहीं रहता और शूद्र-अछूत उनके हाथ से निकल सकते थे। इसलिए वे हमेशा राजा को अपने नियंत्रण में रखते थे लेकिन खुद सत्ता में नहीं आते थे।

"लेकिन *हिंदुत्व* की विचारधारा इससे एकदम विपरीत है — यह चाहती है कि सत्ता पूरी तरह ब्राह्मणों के हाथ में हो। सावरकर द्वारा **1923** में दी गई 'हिंदुत्व' की परिभाषा केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें एक राजनीतिक उद्देश्य छिपा था — भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाना, जिसमें शासन और सत्ता पर ब्राह्मणों का पूर्ण नियंत्रण हो। यही कारण है कि **1925** में आरएसएस की स्थापना की गई, जो सावरकर की इसी विचारधारा पर आधारित था। उदाहरण के लिए, गोलवलकर की किताब *"वी ऑर आवर नेशनहुड डिफाइंड"* **(1939)** में साफ लिखा है कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को या तो हिंदू संस्कृति में समाहित होना होगा या वे दूसरे दर्जे के नागरिक होंगे। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था — बहुसंख्यक हिंदू समाज के नाम पर सत्ता को पूरी तरह अपने हाथों में लेना, और विशेष रूप से ब्राह्मणों की नेतृत्वकारी भूमिका को कायम रखना। यह सोच स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक सत्ता-विकेंद्रीकरण के खिलाफ थी, और इसी वजह से 'हिंदुत्व' केवल सांस्कृतिक आंदोलन नहीं बल्कि एक राजनीतिक एजेंडा भी बन गया था।" जब मुस्लिम लीग को यह लगने लगा कि हिंदुत्व बढ़ रहा है, और मुसलमानों को दबाया जा सकता है, तब **1930** में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इक़बाल ने "अलग मुस्लिम राष्ट्र" की बात रखी। **1940** में मुस्लिम लीग ने 'लाहौर प्रस्ताव' में पाकिस्तान की माँग की। यानी हिंदुत्व के उदय ने मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना को बढ़ाया, जिससे अलग राष्ट्र की मांग तेज़ हो गई।

"गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जो आरएसएस और सावरकर की सोच से जुड़ा हुआ था। ये हत्या सिर्फ गांधी जी की नहीं थी, बल्कि हिंदू धर्म की सहिष्णुता यानी दूसरों को सहन करने की भावना की भी हत्या थी।

इस हत्या का एक बड़ा कारण यह था कि एक बनिया (वैश्य) जाति का इंसान यानी गांधी जी, ब्राह्मणों से ऊपर माने जाने लगे थे। ये बात सावरकर जैसे ब्राह्मणवादी सोच रखने वालों को बिलकुल पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने गांधी जी को रास्ते से हटा दिया।

गांधी जी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सरदार पटेल को ये बात समझ में आ गई थी। इसलिए उन्होंने तुरंत आरएसएस पर रोक लगा दी। लेकिन जब लोगों का गुस्सा शांत हो गया, तो आरएसएस से रोक हटा ली गई।

सरदार पटेल ने ये रोक सिर्फ इसलिए लगाई थी ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए और आरएसएस बच जाए। अगर उस समय रोक न लगाई जाती, तो लोग खुद ही आरएसएस को खत्म कर देते।”

"आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है जैसे राम रहीम के साथ। भले ही वो जेल में है, लेकिन हकीकत में वह बीजेपी की छाया में है। जब बीजेपी चाहे, उसे जेल से बाहर निकाल देती है और जब चाहे अंदर भेज देती है। आपने देखा होगा कि पंजाब चुनाव के समय राम रहीम को जेल से बाहर लाकर उससे प्रचार करवाया गया था।"

चरण 1: ब्राह्मण सत्ता और हिंदुत्व की शुरुआत

पहले का समाज:

जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो समाज का एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों और उच्च जातियों के हाथों में था। पहले, ब्राह्मण समाज की रीति-रिवाजों और धार्मिक अनुशासन का पालन करने में अपनी शक्ति को बनाए रखते थे, लेकिन राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में नहीं थी।

ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन था, लेकिन अब यह बदलने वाला था।

सावरकर का हिंदुत्व:

वी. डी. सावरकर ने देखा कि ब्राह्मणों के पास धार्मिक ताकत तो थी, लेकिन राजनीतिक ताकत नहीं थी। इस खाली स्थान को भरने के लिए, उन्होंने "हिंदुत्व" की विचारधारा का आगाज किया। सावरकर ने कहा, *"हिंदू वह है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है।"*

उनका उद्देश्य था हिंदू धर्म को केवल धार्मिक सीमाओं से बाहर निकालकर एक राजनीतिक शक्ति बनाना।

उन्होंने इसे एकता के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि केवल हिंदू धर्म को मजबूत करने से ही भारत की स्वतंत्रता संभव है।

चरण 2: आरएसएस का गठन - सावरकर के हिंदुत्व के सपने को पूरा करना

आरएसएस की स्थापना:

सावरकर के हिंदुत्व को वास्तविकता में लाने के लिए, केसव बलिराम हेडगेवार ने **1925** में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की स्थापना की। आरएसएस का उद्देश्य था हिंदू धर्म को संगठित करना और उसकी शक्ति को राजनीति में लाना।

हेडगेवार ने सावरकर के विचारों को अपनाया और एक सशक्त संगठन बनाने का प्रयास किया। आरएसएस ने हिंदू समाज में एकता का प्रचार किया, लेकिन उसमें जातिवाद और ब्राह्मणवाद को बनाए रखा।

ब्राह्मणों का प्रभाव:

आरएसएस के अंदर ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत गहरा था। संघ के लगभग सभी प्रमुख नेता ब्राह्मण थे। इसका उद्देश्य सिर्फ हिंदू एकता नहीं था, बल्कि हिंदू समाज के एक हिस्से को राजनीतिक सत्ता में लाना था, और वह हिस्सा था ब्राह्मण वर्ग।

चरण 3: बीजेपी की भूमिका - आरएसएस के एजेंडे को सत्ता में लाना

बीजेपी का गठन:

1980 में आरएसएस ने जनता पार्टी से अलग होकर बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था, सावरकर के हिंदुत्व को राजनीतिक रूप से लागू करना और सत्ता में आकर हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को कानूनी रूप देना। आरएसएस *ने बीजेपी को "हिंदुत्व" का वाहक बना दिया और उसे सत्ता में लाने के लिए मजबूत किया।*
सत्ता की राजनीति:

बीजेपी ने हमेशा सावरकर के हिंदुत्व और आरएसएस के विचारों को मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाया।

राम मंदिर आंदोलन, सीएए/एनआरसी जैसे मुद्दे, हिंदू एकता और गौरक्षा जैसे मुद्दे बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा बने।

ब्राह्मणों की सत्ता को बनाए रखना, जाति व्यवस्था को कायम रखना, और हिंदू धर्म के राजनीतिक रूप को बनाना बीजेपी का मुख्य एजेंडा था।

चरण 4: तीनों का आपस में जुड़ाव

यह तीनों, यानी सावरकर का हिंदुत्व, आरएसएस, और बीजेपी वास्तव में एक ही विचारधारा के विभिन्न रूप हैं। अब इनका आपस में जुड़ाव इस प्रकार दिख सकता है:

सावरकर का हिंदुत्व: सावरकर ने हिंदुत्व को राजनीतिक और धार्मिक एकता के रूप में देखा, और यह ब्राह्मणों को सशक्त करने के लिए था।

आरएसएस: आरएसएस ने सावरकर के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया, और उनका उद्देश्य था हिंदू समाज को एकजुट करना, लेकिन ब्राह्मणों के हाथों में शक्ति बनाए रखना। आरएसएस

ने अपने कार्यों के माध्यम से ब्राह्मणों को शक्ति में लाने के लिए हिंदू राष्ट्र के सपने को आगे बढ़ाया।

बीजेपी: बीजेपी ने आरएसएस की मदद से सावरकर के हिंदुत्व को राजनीति में लागू किया। बीजेपी ने सत्ता में बैठकर, हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के लिए संविधान में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए और ब्राह्मणों की सत्ता को बढ़ावा दिया।

इतिहास के घटनाक्रम से: सावरकर के हिंदुत्व को लागू करने के लिए आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस ने अपने सिद्धांतों के आधार पर बीजेपी को सत्ता में लाया और भाजपा ने सावरकर के हिंदुत्व को अपनी नीति का हिस्सा बनाया। आप उदाहरण के रूप में राम मंदिर, सीएए जैसे मुद्दों को दिखा सकते हैं, जहां बीजेपी ने आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे को लागू किया।

ब्राह्मणवाद का समर्थन:आरएसएस और बीजेपी में ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। भाजपा की कैबिनेट में अधिकतर मंत्री उच्च जाति से हैं, और आरएसएस के संघचालक भी ब्राह्मण रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि सत्ता में ब्राह्मणों को बनाए रखने का उद्देश्य था।

भविष्य में प्रभाव: बीजेपी और आरएसएस का यह उद्देश्य स्पष्ट है कि वे हिंदू राष्ट्र के विचार को संविधान में लागू करना चाहते हैं, और इसमें ब्राह्मणों का आधिकारिक नियंत्रण हमेशा से है।

निष्कर्ष - हिंदुत्व,आरएसएस, और बीजेपी तीनों एक ही विचारधारा के हिस्से हैं, जो ब्राह्मणवाद और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।

इनका उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना, ब्राह्मणों को सशक्त करना, और हिंदू राष्ट्र (ब्राह्मण सर्वोच्च) के रूप में भारत को फिर से स्थापित करना है।

सावरकर का 'हिंदुत्व' – मूल विचार (1923 की पुस्तक "हिंदुत्व: हू इज़ ए हिंदू?" के आधार पर)

उन्होंने इस किताब में क्या-क्या बात की?

1. राष्ट्र
2. जाति की जगह 'हिंदू रक्त' और संस्कृति पर जोर
3. मुसलमानों और ईसाइयों की पहचान को 'बाहरी' बताया
4. हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्रवाद को एक किया
5. एकता की बात, लेकिन 'सांस्कृतिक हिंदू' पहचान के साथ

उन्होंने किन बातों को सीधे तौर पर नहीं छुआ या खारिज किया?

मुद्दा	चर्चा या विचार	स्थिति
जाति व्यवस्था	सीधी चर्चा नहीं की	परंपरा के नाम पर टाल गए
वर्ण व्यवस्था	नहीं की	अस्पष्ट
मूर्ति पूजा	न समर्थन, न विरोध	चुप्पी
ज्योतिष	कहीं नहीं लिखा	वे खुद तर्कवादी थे, लेकिन हिंदू परंपराओं पर टकराव से बचे
सहिष्णुता	मुस्लिमों-ईसाइयों के लिए सीमित	केवल राष्ट्रवादी सहिष्णुता

हिंदुत्व की परिभाषा (सावरकर के शब्दों में)

सावरकर ने अपनी पुस्तक "हिंदुत्व: हू इज अ हिंदू?" (1923) में लिखा: *"हिंदू वह है जो भारत को पितृभूमि (पितृभू) और पुण्यभूमि (पुण्यभू) दोनों मानता है।"*

- पितृभूमि: भारत भूमि जहाँ उसके पूर्वज रहे।
- पुण्यभूमि: भारत जिसे वह आध्यात्मिक/सांस्कृतिक केंद्र मानता है।

2. हिंदुत्व के मूल सिद्धांत

(1) हिंदू राष्ट्रवाद

भारत = हिंदू राष्ट्र: सावरकर के अनुसार, भारत का इतिहास, संस्कृति और पहचान हिंदू है। अल्पसंख्यकों की भूमिका: मुस्लिम/ईसाई भारत को अपनी पुण्यभूमि नहीं मानते, इसलिए वे "हिंदू" नहीं।

(2) जाति और वर्ण व्यवस्था-

सावरकर जाति, मूर्ति पूजा, ज्योतिष, वर्ण जैसे मुद्दों पर साफ-साफ कुछ नहीं कहते। उनका फोकस था: हिंदू राष्ट्र और सांस्कृतिक एकता। लेकिन वो समाज सुधारक की तरह ब्राह्मणवाद, जातिवाद, अंधविश्वास के विरोध में खुलकर खड़े नहीं हुए, जैसा कि फुले, अंबेडकर या कबीर ने किया। आरएसएस/हिंदुत्व संगठन जाति को "सांस्कृतिक विविधता" कहते हैं, लेकिन व्यवहार में इसे बनाए रखते हैं। पेरियार की मूर्ति विरोध पर हिंदुत्व समर्थकों का हंगामा।

(3) मूर्तिपूजा और ज्योतिष

हिंदुत्व इन्हें "सांस्कृतिक प्रतीक" मानता है, न कि अनिवार्य धार्मिक कर्मकांड।

ज्योतिष: हिंदुत्व इसे हिंदू विज्ञान बताता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी पुष्टि नहीं होती। उदाहरण: मोदी सरकार द्वारा ज्योतिष को विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करना।

(ख) वास्तविकता

वैज्ञानिक दृष्टि से अप्रमाणित: इसरो जैसे संस्थान ज्योतिष को नहीं मानते। राजनीतिक फायदा: हिंदुत्व अंधविश्वास को "संस्कृति" बताकर वोट बैंक जुटाता है।

प्रमाण: **2014–2024:** भाजपा नेताओं द्वारा मुहूर्त देखकर योजनाएँ लॉन्च करना।

(4) सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता

सावरकर का रुख: मुस्लिम/ईसाई = बाहरी: चूँकि वे भारत को "पुण्यभूमि" नहीं मानते, इसलिए उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। धर्मांतरण विरोध: हिंदुत्व हिंदू समाज की संख्यात्मक शक्ति बनाए रखना चाहता है। सावरकर ने मुस्लिम शासन को "भारत का काले युग" बताया। हिंदुत्व मस्जिद-मंदिर विवाद को राष्ट्रीय मुद्दा बनाता है (जैसे: अयोध्या)। लव जिहाद/लैंड जिहाद: अल्पसंख्यकों को "राष्ट्रविरोधी" ठहराने की रणनीति। प्रमाण: मोब लिंचिंग **(2015–2024):** गौरक्षा के नाम पर हिंसा। कानून **(2024):** धर्मांतरण रोकने के लिए जबरन शादी रद्द करने का प्रावधान।

इतिहास पुनर्लेखन: हिंदुत्व भारत के इतिहास को "हिंदू गौरव" के नजरिए से पेश करता है (जैसे: नालंदा को बौद्ध नहीं, "हिंदू" विश्वविद्यालय बताना)।

धर्मनिरपेक्षता का विरोध: हिंदुत्व भारत को "धर्मनिरपेक्ष" नहीं, "हिंदू राष्ट्र" मानता है।

5. निष्कर्ष: हिंदुत्व क्या चाहता है?

- राजनीतिक लक्ष्य: एक हिंदू-केंद्रित राष्ट्र जहाँ संविधान नहीं, हिंदू संस्कृति प्राथमिक हो।

- **सांस्कृतिक लक्ष्य:** हिंदू एकता (ब्राह्मण सर्वोच्च), लेकिन विचारधारा अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखती है।

सावरकर का मूल मंत्र**:**

"हिंदुओं का राजनीतिक एकीकरण → हिंदू राष्ट्र की स्थापना → अल्पसंख्यकों को 'हिंदू संस्कृति' स्वीकार करनी होगी।"

अंतिम निष्कर्ष

पहलू	हिंदुत्व का रुख	वास्तविकता
जाति	"एकता" का दावा	उच्च जातियों का वर्चस्व
मूर्तिपूजा	सांस्कृतिक प्रतीक	राजनीतिक हथियार
ज्योतिष	"हिंदू विज्ञान"	अंधविश्वास
सहिष्णुता	केवल हिंदुओं के लिए	अल्पसंख्यकों का दमन

सावरकर का मूल दृष्टिकोण

"दो राष्ट्र सिद्धांत" का समर्थन (हाँ, सावरकर ने!) सावरकर ने 1937 में कहा: *"हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं।"*

उनका मानना था कि मुसलमान ईसाई भारत को अपनी "पुण्यभूमि" (धार्मिक मातृभूमि) नहीं मानते मुसलमान की पुण्यभूमि मक्का मदीना है ,ईसाईयों की "पुण्यभूमि" भारत नहीं, यरुशलम है। इसलिए वे हिंदू राष्ट्र के अंग नहीं हो सकते।

हिंदुत्व संगठनों का कहना है कि:

"ईसाई मिशनरी गरीबों को लालच देकर या डराकर धर्म बदलवाते हैं।"

विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड) में ये आरोप तेज़ होते हैं।

"धर्मांतरण विरोधी कानून": कई राज्यों (उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा) में ईसाइयों के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। बिना सरकारी अनुमति के कोई भी धर्मांतरण "अपराध" बना दिया गया।

ईसाई विरोधी हिंसा: कंधमाल दंगे (ओडिशा, 2008): बजरंग दल ने आरोप लगाया कि स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या ईसाइयों ने की, और फिर हजारों चर्च व घर जलाए गए। मणिपुर (2023): मेइतेई और कुकी समुदायों के संघर्ष में, ईसाई चर्चों को टार्गेट किया गया। एनजीओ पर शिकंजा: मदर टेरेसा की संस्था "मिशनरीज़ ऑफ चारिटी" का लाइसेंस 2019 में रद्द किया गया, ये कहते हुए कि "धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियाँ" हो रही हैं। सांस्कृतिक कारण

ईसाई प्रतीक (क्रॉस, बाइबल, क्रिसमस) को "पश्चिमी प्रभाव" मानकर, हिंदुत्व उसे भारतीय संस्कृति से विपरीत बताता है। *"घर वापसी अभियान"* चलाकर ईसाइयों को पुनः हिंदू बनाने की कोशिश की जाती है।

(ख) राजनीतिक कारण

ईसाई समुदाय भाजपा का वोट बैंक नहीं माना जाता।

कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और मानवाधिकार संगठनों के साथ इनका झुकाव, हिंदुत्व को खटकता है।

(ग) सामरिक कारण

ईसाई मिशनरियों का नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय है। हिंदुत्व इसे "विदेशी साजिश" के रूप में पेश करता है, विशेषकर उत्तर-पूर्वी भारत में।

आंकड़े और तथ्य

बिंदु	विवरण
जनसंख्या में हिस्सेदारी	भारत में ईसाई **~2.3%** हैं
धर्मांतरण के केस **(2020-2023)**	**~300** मामले दर्ज, लेकिन **90%** में सबूत नहीं मिले
चर्चों पर हमले	**2018-2023** के बीच **600** से अधिक चर्च हमले दर्ज
राज्य सरकारों द्वारा एनजीओ लाइसेंस रद्द	**~20** ईसाई संगठन **2021** में प्रतिबंधित

निष्कर्ष**:** हिंदुत्व बनाम ईसाई – विरोध का नया रूप

तत्व	हिंदुत्व का रुख	वास्तविकता
धर्मांतरण	"लालच से धर्म बदलवाया जाता है"	अधिकतर सेवा कार्य, जबरन धर्मांतरण के प्रमाण नहीं
सांस्कृतिक पहचान	"विदेशी संस्कृति का प्रतीक"	भारत में सदियों से मौजूद, विशेषकर गोवा, नागालैंड, केरल

राजनीतिक पक्ष	भाजपा विरोधी माने जाते हैं	कई ईसाई नेता भाजपा में भी हैं, लेकिन संख्या कम

मुस्लिम शासन = "भारत का काले युग"

सावरकर ने मुगल शासन को "हिंदू समाज का विनाशक" बताया। उनकी पुस्तक "सिक्स ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री" में इस्लामिक शासन को बर्बरता से जोड़ा। एनसीईआरटी की किताबों से मुगल इतिहास हटाया। सावरकर को "हीरो" बनाया।

(ख) आधुनिक हिंदुत्व का रुख

मुसलमान = "अंदरूनी खतरा"

हिंदुत्व संगठन (आरएसएस, भाजपा) मुसलमानों को "धर्मांतरण, लव जिहाद, जनसंख्या विस्फोट" का आरोपी बताते हैं। राजनीतिक नारे: *"मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए!" "जिन्ना वाली आजादी का मतलब, हिंदू राष्ट्र!"*

कानूनी/सामाजिक दमन

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए, **2019**): मुसलमानों को बाहर रखा, क्योंकि उन्हें "भारत का मूल निवासी" नहीं माना गया। गौरक्षा और लव जिहाद कानून: मुस्लिम युवकों को टार्गेट करके हिंसा को बढ़ावा। मस्जिद-मंदिर विवाद: अयोध्या (**1992**), काशी, मथुरा को हिंदुत्व का एजेंडा बनाया गया।

(ग) हिंदुत्व का मुस्लिम विरोध क्यों?

- ऐतिहासिक कारण:
    - मुगलकालीन शासन को "हिंदू अपमान" का प्रतीक माना जाता है।
- राजनीतिक कारण:
    - "हिंदू खतरे में" का नारा देकर वोट बैंक तैयार करना।
- सांस्कृतिक कारण:
    - मुसलमानों को "भारतीय संस्कृति का विरोधी" बताकर हिंदू एकता कायम करना।

प्रमाण:

- **2024** का चुनावी भाषण: योगी आदित्यनाथ ने कहा – *"मुसलमानों को या तो राम नाम लेना होगा या कब्रिस्तान जाना होगा।"*
- दंगे: गुजरात **(2002),** दिल्ली **(2020)** में हिंदुत्व समर्थकों की भूमिका।

(ख) आधुनिक हिंदुत्व का दोहरा चरित्र

"हिंदू एकता" का ढोंग:

दलित हिंदुत्व: भाजपा ने रामनाथ कोविंद (दलित) को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन सामाजिक भेदभाव जारी। जय भीम-जय श्रीराम: दलितों को रामभक्ति से जोड़ने की कोशिश, लेकिन मंदिरों में भेदभाव बरकरार।

दलित विरोधी हिंसा:

भीमा कोरेगाँव **(2018):** दलितों पर हिंदुत्व समर्थकों द्वारा हमला। रोहित वेमुला केस **(2016):** आरएसएस-समर्थक संगठनों द्वारा दलित छात्रों का उत्पीड़न।

मनुवाद को बढ़ावा: हिंदुत्व संगठन मनुस्मृति (जो दलितों को अछूत बताती है) का सीधा विरोध नहीं करते। संघ के गोलवलकर ने कहा था: *"जाति व्यवस्था हिंदू समाज की रीढ़ है।"*

(ग) हिंदुत्व दलितों को क्यों नहीं स्वीकारता?

ब्राह्मणवादी ढांचे को बनाए रखना:

हिंदुत्व उच्च जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय) के वर्चस्व को चुनौती नहीं देना चाहता।

राजनीतिक उपयोग: दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती।

प्रमाण: **2021,** हैदराबाद: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा – *"जाति भेदभाव गलत है,"* लेकिन आरएसएस में दलित नेतृत्व **5%** से कम। **2024** चुनाव: भाजपा ने एससी/एसटी उम्मीदवारों को केवल **15%** टिकट दिया (जबकि जनसंख्या **25%** है)।

3. निष्कर्ष: हिंदुत्व का असली एजेंडा

समूह	हिंदुत्व का रुख	वास्तविकता

मुसलमान	"राष्ट्रविरोधी", "धर्मांतरण करने वाले"	नागरिकता, सुरक्षा और सम्मान पर खतरा
दलित (अछूत)	"हिंदू एकता" का हिस्सा	सामाजिक भेदभाव जारी, नेतृत्व नहीं

हिंदुत्व का लक्ष्य: - मुसलमानों को हाशिए पर रखकर हिंदू राष्ट्र बनाना। दलितों को "हिंदू" बताकर उनका वोट लेना, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं तोड़ना।

ब्राह्मण नेतृत्व: सावरकर खुद ब्राह्मण थे,केशव बलिराम हेडगेवार (आरएसएस संस्थापक) और उनके उत्तराधिकारी गोलवलकर ब्राह्मण थे।

(ग) हिंदुत्व का राजनीतिकरण

- भाजपा का उदय **(1980):**
    - आरएसएस की राजनीतिक शाखा बनी, जिसने राम मंदिर आंदोलन **(1992)** से हिंदुत्व को जन-आंदोलन बनाया।
- ब्राह्मणवादी एजेंडा:
    - मोदी सरकार **(2014**–अब तक**):**
        - **75%** मंत्री उच्च जाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय)।
        - दलितों/मुसलमानों के खिलाफ हिंसा/भेदभाव को नजरअंदाज किया गया।

3. हिंदुत्व बनाम ब्राह्मणवाद: सत्ता का नया समीकरण

पहलू	ब्राह्मणवाद **(1857** तक)	हिंदुत्व **(1923** के बाद)
सत्ता का स्वरूप	अप्रत्यक्ष नियंत्रण (राजाओं/मुगलों के माध्यम से)	सीधी राजनीतिक सत्ता (चुनाव, सरकार)

मुसलमानों से रिश्ता	समझौता (धार्मिक स्वतंत्रता के बदले कर)	खुला विरोध ("राष्ट्रविरोधी" का नारा)
दलित नीति	अछूत बनाए रखना	"हिंदू एकता" का ढोंग, लेकिन भेदभाव जारी
सांस्कृतिक रणनीति	मनुस्मृति को बनाए रखना	मंदिर-मस्जिद विवाद को हथियार बनाना

सावरकर ने "हिंदुत्व" की नींव क्यों रखी?

- मकसद:
    - हिंदुओं को एक राजनीतिक शक्ति बनाना, ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके।
    - मुसलमानों और अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू अस्मिता को मजबूत करना।
- सावरकर का सपना:

  "हिंदू वह है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है।"
    - यानी, जो भारत को धार्मिक+राष्ट्रीय निष्ठा से जोड़ता है, वही "हिंदू" है।
- ब्राह्मणों का फायदा:
    - लेकिन उन्होंने जाति तोड़ने की बात की।
    - पर आरएसएस/भाजपा ने ब्राह्मणवाद को बनाए रखा क्योंकि उन्हें सत्ता में ऊपर रहना था।

2. आरएसएस की स्थापना: सावरकर के विचारों को अमल में लाने के लिए

- कब और क्यों बनी आरएसएस?
    - **1925** में केसव बलिराम हेडगेवार ने बनाई।
    - मकसद: सावरकर के "हिंदू राष्ट्र" के सपने को पूरा करना।
- आरएसएस का काम:

    - हिंदू युवकों को ट्रेनिंग देना (शाखाओं में)।
    - हिंदू एकता का प्रचार करना (लेकिन जाति व्यवस्था नहीं तोड़ना)।
    - मुसलमानों/ईसाइयों को "अन्य" बताना।
- ब्राह्मणों का कंट्रोल:
    - आरएसएस के **90%** संघचालक ब्राह्मण हैं।
    - गोलवलकर (दूसरे सरसंघचालक) ने कहा था:

      "हिंदुओं को दूसरों पर राज करना चाहिए।"

3. बीजेपी: आरएसएस की राजनीतिक दुकान

- कैसे बनी बीजेपी?
    1. **1980** में आरएसएस ने जनता पार्टी से अलग होकर बीजेपी बनाई।
    2. मकसद: आरएसएस के एजेंडे को सत्ता में लाना।
- बीजेपी का काम:
    1. हिंदुत्व के मुद्दे उठाना:
        - राम मंदिर (अयोध्या), गौरक्षा, लव जिहाद।
    2. कानून बनाना:
        - सीएए (2019): मुसलमानों को बाहर रखा।
        - धर्मांतरण कानून: ईसाई/मुस्लिम विरोध।
    3. इतिहास बदलना:
        - मुगलों को "आक्रमणकारी" बताना।
        - हिंदू राजाओं को "हीरो" बनाना।

4. कैसे चलता है यह नेटवर्क?

संगठन	काम	एजेंडा

आरएसएस	समाज को प्रभावित करना	हिंदू एकता, ब्राह्मणवाद बनाए रखना
बीजेपी	सत्ता में आकर कानून बनाना	हिंदुत्व को कानूनी रूप देना
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी)	धार्मिक मुद्दे उठाना	मंदिर-मस्जिद विवाद

उदाहरण:

1. अयोध्या राम मंदिर:
    - आरएसएस ने **1990** में आंदोलन किया।
    - बीजेपी ने **2019** में सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का फैसला लिया।
    - **2024** में मोदी ने प्राण-प्रतिष्ठा की।
2. दलितों के साथ ढोंग:
    - बीजेपी ने रामनाथ कोविंद (दलित) को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन दलितों पर अत्याचार जारी।

6. असली मकसद: ब्राह्मणवाद + हिंदू राष्ट्र

- ब्राह्मणों का राज:
    - मोदी कैबिनेट (**2024**) में **75%** मंत्री उच्च जाति (ब्राह्मण, राजपूत, बनिया)।
    - आरएसएस के सभी बड़े नेता ब्राह्मण।
- हिंदू राष्ट्र का सपना:
    - संविधान बदलकर भारत को "हिंदू राष्ट्र" घोषित करना।
    - मुसलमानों/ईसाइयों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना।

तीनों का गहन और संपूर्ण तुलनात्मक विश्लेषण

पहलू / मुद्दा	☐सनातन (आदिकालीन दर्शन)	☐ हिंदू धर्म (धार्मिक परंपरा)	●हिंदुत्व (राजनीतिक सोच)
1. ईश्वर की अवधारणा	💫 निराकार ब्रह्म, आत्मा ही परमात्मा	🕉 अनेक देव-देवियाँ, अवतारवाद	⚙ केवल "हिंदू पहचान" ज़रूरी
2. मूर्ति पूजा	✖ नहीं थी	✔ मुख्य आधार	⚒ राजनीतिक प्रतीक (राम मंदिर आदि)
3. सहिष्णुता	🕊 सबको सत्य का मार्ग मान्यता	⚠ सीमित – बाहरियों से दूरी	✖ असहिष्णु – "हम बनाम वे" सोच
4. जाति व्यवस्था	⚖ कर्म आधारित वर्गीकरण	🔐 जन्म आधारित कठोर भेदभाव	🔗 सामाजिक वर्चस्व का साधन
5. शूद्र/अछूतों की स्थिति	☐ सब आत्माएं समान	🚫 सेवा मात्र के पात्र, अपवित्र घोषित	🎭 भावनात्मक रूप से जोड़ना, असल में हाशिए पर
6. महिलाओं की स्थिति	👑 स्वतंत्र चिंतक, ऋषिकाएं	⛓ सती, पर्दा, शिक्षा पर रोक	🚷 नियंत्रित भूमिका – "धर्म रक्षक" के नाम पर बंदी

7. सत्ता से रिश्ता	☐ सत्ता से दूर, आत्मज्ञान ही उद्देश्य	🏛 राज्य और धर्म जुड़ गए	⚔ सत्ता ही लक्ष्य (राजनीतिक यज्ञ)
8. पाखंड/कर्मकांड	✖ नहीं था	✔ मुख्य हिस्सा बना दिया गया	⚙ धर्म का नाटकीय प्रदर्शन
9. ज्योतिष और अंधविश्वास	✖ तार्किक चिंतन, ज्योतिष का विरोध	✔ भाग्य, पाप-पुण्य पर आधारित सोच	⚙ चुनाव-लाभ, शुभ-अशुभ, मुहूर्त आदि पर जोर
10. संविधान के प्रति दृष्टिकोण	📜 नैतिक आत्म-नियमन (ऋषियों के सिद्धांत)	⚖ कुछ लोग संविधान का समर्थन, कुछ मनुस्मृति को श्रेष्ठ मानते	✖ संविधान को “विदेशी दस्तावेज़” कह कर बदलने की बात
11. संगठन / संस्थाएँ	☐ आश्रम, गुरुकुल, खुले मंच	✡ मंदिर, मठ, अखाड़े, संघ	⬣ आरएसएस,वीएपी,बीजेपी– एक ही वैचारिक फैक्ट्री
12. नेतृत्व का चरित्र	☐ विचारशील, मुक्त चिंतन	☐ ब्राह्मण प्रधान, पुरोहित वर्चस्व	☐ आरएसएस में ब्राह्मण शीर्ष पर, बाकी केवल अनुयायी
13. उद्देश्य	🌱 आत्ममुक्ति, ज्ञान की खोज	⛪ धर्म पालन, परंपरा संरक्षण	⚔ हिंदू राष्ट्र की स्थापना

🔍 विशेष स्पष्टीकरण – तीनों में प्रमुख अंतर

☐ सनातन धर्म (दर्शनिक मूल)

- कोई संस्थागत ढाँचा नहीं – व्यक्ति स्वतंत्र, ध्यान और ज्ञान की खोज में।
- ज्योतिष, मूर्तिपूजा, जाति, पाखंड को नकारा गया – *तार्किक दर्शन का युग*।
- संविधान जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी – जीवन स्वयं अनुशासित था।

☐ हिंदू धर्म (ब्राह्मणिक परंपरा)

- ब्राह्मणों ने आश्रमों को मठों में बदलकर सत्ता की नींव रखी।
- ज्योतिष, मुहूर्त, राशियों आदि को लोक में रोपित कर दिया।
- संविधान के बजाय "मनुस्मृति" को आदर्श माना – "शूद्रों का धर्म है सेवा" जैसे नियम गढ़े। धर्म के खिलाफ जाकर एक और वर्ण बनाया "अन्त्यज" को अछूत कहलाए।

⬤ हिंदुत्व (राजनीतिक परियोजना)

- आरएसएस = संगठन, बीजेपी= राजनीति, वीएचपी= धर्म का चेहरा, ये तीनों एक ही मशीन के पुर्जे।
- संविधान को खुलकर नकारते हैं – "भारतीयता का संविधान बनना चाहिए" कहते हैं।
- मूर्तियों, त्योहारों, मुहूर्तों, और ज्योतिष को राजनीतिक साधन बना दिया गया।

📢 जनता के सामने कैसे पेश करें?

1. तथ्यों के साथ जोर से बोलें:
   - "सनातन में ज्योतिष नहीं था, ये ब्राह्मणों ने जोड़ा, आरएसएस ने इसे हथियार बना लिया!"
   - "संविधान बाबा साहब ने दिया, लेकिन हिंदुत्व वाले उसे बदलना चाहते हैं!"
2. एक-एक उदाहरण के साथ:

- *"अगर आरएसएस संविधान का सम्मान करता, तो कभी मनुस्मृति जलाने वालों को 'राष्ट्रविरोधी' नहीं कहता।"*
- *"अगर हिंदू धर्म में सभी बराबर थे, तो दलितों को मंदिरों से क्यों निकाला गया?"*

◆ . किन-किन चीजों को बाद में जोड़ा गया?

1 मूर्ति पूजा (इसे पुराणों में डाला गया)

➡ पहले सिर्फ यज्ञ होते थे, लेकिन पुराणों में भगवान की मूर्तियाँ बनाने और पूजने की परंपरा शुरू हुई।

2 मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ

➡ पहले लोग खुले आसमान के नीचे यज्ञ करते थे।

➡ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में स्तूप और मठ बनने लगे, तो हिंदू धर्म में भी मंदिर बनने लगे।

3 जाति व्यवस्था (मनुस्मृति में जोड़ी गई)

➡ वेदों में जाति सिर्फ व्यवसाय पर आधारित थी (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र)।

➡ लेकिन मनुस्मृति (200 ईसा पूर्व) में इसे जन्म से जोड़ दिया गया और कठोर बना दिया गया।

4 पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत (गुप्त काल में मजबूत हुआ)

➡ पहले वेदों में सिर्फ "यज्ञ और अच्छे कर्म" पर जोर था।

➡ लेकिन बाद में पुराणों में "पिछले जन्म के कर्मों" का सिद्धांत जोड़ दिया गया।

5 अवतारवाद (भगवान को इंसान के रूप में देखने की परंपरा)

➡ वेदों में अवतारवाद नहीं था, लेकिन पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों (राम, कृष्ण, बुद्ध, नरसिंह आदि) का जिक्र किया गया।

📌 ✅ निष्कर्ष:

✔ मूर्ति पूजा, मंदिर, अवतारवाद और कठोर जाति व्यवस्था बाद में जोड़ी गई।

✔ ये चीजें पुराणों से आईं, वेदों में इनका कोई जिक्र नहीं था।

◆. निष्कर्ष – असली हिंदू धर्म क्या था और क्या बाद में जोड़ा गया?

📌 ✅ असली हिंदू धर्म (वेदों के अनुसार)

✔ मूर्ति पूजा नहीं थी, सिर्फ यज्ञ होते थे।

✔ मंदिर नहीं थे, खुले में पूजा होती थी।

✔ कोई अवतारवाद नहीं था, सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी।

✔ जाति व्यवस्था सिर्फ व्यवसाय पर आधारित थी, जन्म से नहीं थी।

📌 ✖ बाद में जोड़ा गया (पुराणों के अनुसार)

✖ मूर्ति पूजा – इसे पुराणों में जोड़ा गया।

✖ मंदिर – बौद्ध धर्म के बाद बनाए गए।

✖ अवतारवाद – विष्णु के **10** अवतार बाद में जोड़े गए।

✖ कर्म और पुनर्जन्म – गुप्त काल में मजबूत हुआ।

✖ जाति व्यवस्था – मनुस्मृति में जन्म आधारित बना दिया गया।

◆ "राम मंदिर" और "राम भक्ति" – सही समझ क्या है?

✅ अगर असली सनातन धर्म को मानें, तो राम को दिल में रखना ही असली भक्ति है।

✖ मूर्ति और मंदिर को राम भक्ति का आधार बनाना असली सनातन परंपरा नहीं है।

➡ असली भक्ति राम के गुणों को अपने जीवन में उतारना है।

➡ हनुमान जी ने कभी मूर्ति की पूजा नहीं की, वे राम के नाम को ही पूजा मानते थे।

📌 ✅ निष्कर्ष:

✔ "राम मंदिर" बनाने की जरूरत नहीं, असली जरूरत राम को दिल में बसाने की है।

✔ हनुमान की तरह राम को मन में बसाना ही असली भक्ति है।

4 हिंदुत्व के नेता कौन-कौन हैं और उन्होंने क्या किया?

◆ योगी आदित्यनाथ:

☞ खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है, लेकिन संतों जैसी जीवनशैली नहीं रखता। **5** स्टार सुविधाओं का आनंद लेते हैं।

☞ राजनीति में धर्म को इस्तेमाल करता है।

☞ मुसलमानों को "अब्बा जान", "मुगल", "लव जिहाद" जैसे शब्दों से उकसाता है।

☞ लेकिन गीता और वेद में कहा गया है कि संत वह होता है जो किसी से नफरत न करे।

☞ गाय के नाम पर राजनीति करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बूचड़खाने बंद नहीं करता।

❌ योगी बनने के पहले खुद हिंसा और दंगों के आरोप में रहे हैं।

❌ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर कोई ठोस काम नहीं हुआ।

❌ संविधान की जगह धर्म ग्रंथों को कानून बनाना चाहते हैं।

◈ ▼ लोग क्या कहते हैं:"योगी राज में डर है, न्याय नहीं। मुसलमानों को दुश्मन दिखाकर हिंदुओं से वोट मांगे जाते हैं।"

"उत्तर प्रदेश को गुजरात मॉडल की तरह सांप्रदायिक बना दिया गया है।"

◆ नरेंद्र मोदी:

☞ खुद को हिंदू धर्म का सेवक बताते हैं, लेकिन हिंदुत्व का प्रचार करते हैं।

☞ "सबका साथ, सबका विकास" बोलते हैं, लेकिन हिंदू-मुस्लिम को लड़ाने वाले नेताओं को बढ़ावा देते हैं।

☞ राम मंदिर बनवाया, लेकिन भूखे गरीब हिंदुओं को रोटी नहीं दी।

☞ धर्म के नाम पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के असली सिद्धांतों (शांति, योग, ध्यान) पर नहीं चलते।

◆ काम क्या किया:

✓ बड़े-बड़े वादे – "**15** लाख", "हर साल **2** करोड़ नौकरी", "मेक इन इंडिया" – ज्यादातर अधूरे।

✅ धर्म के नाम पर चुनाव – राम मंदिर, काशी, मथुरा – बार-बार मुद्दा बनाकर जनता को भटकाया।

✅ मुस्लिम विरोधी नेताओं को खुला समर्थन – जैसे: कपिल मिश्रा, योगी, राजा सिंह आदि।

✅ देश में सीएए-एनआरसी लागू करने की कोशिश, जिससे अल्पसंख्यक डर में जीने लगे।

✅ **2019** में एससी/एसटी एक्ट को कमजोर किया।

❌ देश की संस्थाओं को दबाया गया – चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया सब मौन हैं।

❌ कोरोना में लोगों की लाशें गंगा में तैरती रहीं, सरकार मूकदर्शक बनी रही।

❌ पेट्रोल-डीजल, गैस, खाने की चीजों की कीमतें आसमान पर – जनता त्रस्त।

❌ गौ हत्या के नाम पर भीड़ हत्या (मॉब लिंचिंग) को बढ़ावा मिला।

▼ लोग क्या कहते हैं: "मोदी जी सिर्फ प्रचार में माहिर हैं, असल में देश में डर, भूख और बेरोजगारी बढ़ी है।"

"वह गांधी के नाम की बात करते हैं, लेकिन गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं।"

◆● विनायक दामोदर सावरकर (हिंदुत्व के जनक):

☞ उन्होंने गीता, रामायण, वेदों को हिंदू राष्ट्र की नींव मानने से इनकार किया।

☞ ब्रिटिश सरकार से माफी मांगकर जेल से छूट गए।और फिर ब्रिटिश एजेंट की तरह काम किया।

✅ हिंदुत्व को धार्मिक विचार नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार बनाया।

✅ अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर जेल से निकले,

✅ गांधी की हत्या के पीछे की विचारधारा उन्हीं की थी – सावरकर और उनके शिष्यों ने गांधी को "राष्ट्रद्रोही" बताया था। लेकिन सबूतों की कमी से बच निकले।

◈ असलियत क्या है:

❌ उन्होंने खुद कहा: "मुझे हिंदू धर्म में कोई श्रद्धा नहीं है, मैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं।"

❌ **1948** में गांधी हत्या केस में आरोपी बने, लेकिन राजनीतिक कारणों से बरी हो गए।

❌ संविधान को कभी नहीं माना, और भारत को थोपे गए "सेक्युलर" राष्ट्र की आलोचना करते रहे।

▼ लोग क्या कहते हैं: "सावरकर गोडसे की प्रेरणा थे, उन्होंने ही नफरत का बीज बोया।"

"उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर क्रांतिकारियों को दबाने का काम किया।"

इन तीनों की विचारधारा हिंदू धर्म के असली मूल्यों (शांति, प्रेम, समानता) के खिलाफ है। ये लोग धर्म को सत्ता का औजार बना चुके हैं। गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह जैसे नेताओं की समावेशी सोच को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

हिंदुत्व = राजनीति + धर्म का हथियार + अल्पसंख्यक विरोध।

📌 हिटलर, मोदी और योगी – तीनों की तुलना एक सरल भाषा में

तत्व	हिटलर **(1933-1945)**	नरेंद्र मोदी **(2014-**वर्तमान**)**	योगी आदित्यनाथ **(2017-**वर्तमान**)**
मुख्य विचारधारा	जर्मनी में आर्य नस्ल को सर्वोच्च बनाना और यहूदियों, कम्युनिस्टों को खत्म करना	भारत में हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और हिंदू-मुस्लिम विभाजन की राजनीति करना	उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व को मजबूत करना, धार्मिक आधार पर राजनीति को केंद्रित करना
लक्षित समुदाय	यहूदी, कम्युनिस्ट, समलैंगिक, विकलांग लोग	मुस्लिम, दलित, आदिवासी (राजनीतिक विरोधियों को दबाना)	मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय

प्रचार तकनीक	मीडिया को नियंत्रित किया, झूठा प्रचार किया	गोदी मीडिया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, प्रोपेगेंडा	धार्मिक भाषा और हिंदुत्ववादी संगठनों का उपयोग
हिंसा	नाज़ी शिविरों में लाखों लोगों को मारा	दंगे (गुजरात **2002**, दिल्ली **2020**), मॉब लिंचिंग	मॉब लिंचिंग, बुलडोजर राजनीति
मुख्य मुद्दा	जर्मनी के लिए आर्य शुद्धता और यहूदियों को खत्म करना	भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की राजनीति	उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण

📌 हिटलर की नीतियाँ और भारत में मौजूदा राजनीति का मेल

1 हिटलर का नस्लवाद और मोदी-योगी का धार्मिक राष्ट्रवाद

- हिटलर**:** जर्मनी में "आर्य श्रेष्ठता" की विचारधारा को फैलाया और यहूदियों को "खतरा" बताया। उसने यहूदियों के अधिकार छीने, उन्हें दूसरी श्रेणी का नागरिक बना दिया और अंततः नरसंहार किया।
- मोदी-योगी**:** भारत में "हिंदू राष्ट्र" की बात बार-बार की जाती है। मुसलमानों को अक्सर देशद्रोही, आक्रांता और गैर-वफादार के रूप में दिखाया जाता है।

⬤ निष्कर्ष**:** दोनों ही "अपने समुदाय को सर्वश्रेष्ठ" बताने की नीति अपनाते हैं और बाकी को खतरा दिखाते हैं।

2 नफरत का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए

- हिटलर**:** यहूदियों को देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया और इस नफरत के आधार पर चुनाव जीते।

- **मोदी-योगी:** मुसलमानों को अक्सर देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताया जाता है—चाहे वो जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद, पाकिस्तान प्रेम, या हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश हो।

● **निष्कर्ष:** नफरत को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना दोनों की रणनीति का हिस्सा है।

3 बुलडोजर और हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स

- **हिटलर:** यहूदियों को गैस चैंबरों में डालकर मारा और उनके घर और संपत्तियाँ जब्त कीं।
- **योगी:** मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर दंडात्मक कार्रवाई की गई।

● **निष्कर्ष:** दोनों ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर दंडित किया।

4 उग्र राष्ट्रवाद और मिलिट्री स्टाइल प्रचार

- **हिटलर:** हर जगह स्वस्तिक का झंडा, "हेल हिटलर" का नारा और नाजी स्टाइल रैलियाँ।
- **मोदी-योगी:** भगवा झंडे, "जय श्री राम" और मिलिट्री स्टाइल प्रचार (योगी की भगवा ड्रेस और मोदी की दमदार बॉडी लैंग्वेज)।

● **निष्कर्ष:** सत्ता को मजबूत करने के लिए धार्मिक और सैन्य छवि का उपयोग।

📌 क्या मोदी-योगी का उद्देश्य बाकी धर्मों को खत्म करना है?

- मोदी और योगी सीधे यह नहीं कहते कि "मुसलमानों को खत्म करो", लेकिन उनके भाषणों और कार्यों से यह संदेश दिया जाता है कि "भारत केवल हिंदुओं का है।"
- गाय, लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे उठाकर मुसलमानों को निशाने पर रखा जाता है।
- "घर वापसी" अभियान मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू धर्म में लाने का एक प्रयास था।

● **निष्कर्ष:** जबकि हिटलर ने यहूदियों को सीधे मारने का आदेश दिया, मोदी-योगी प्रॉक्सी तरीकों से मुस्लिम विरोधी नीतियाँ अपनाते हैं। क्योंकि जर्मनी लोकतंत्र न था।

📌 क्या भारत में हिटलर जैसी स्थिति आ सकती है?

हाँ, अगर –

1 धार्मिक आधार पर भेदभाव बढ़ता है और मुसलमानों को "दूसरी श्रेणी का नागरिक" बना दिया जाता है।

2 धार्मिक हिंसा और मॉब लिंचिंग पर सरकार चुप रहती है।

3 संविधान में बदलाव कर भारत को "हिंदुत्व राष्ट्र" बना दिया जाता है।

4 मीडिया पूरी तरह सरकार के पक्ष में हो जाता है।

5 धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती।

📌 निष्कर्ष

⬣ हिटलर, मोदी और योगी में कई समानताएँ हैं—खासतौर पर "नफरत का इस्तेमाल करके सत्ता में बने रहने" की रणनीति।

⬣ भारत में अभी यहूदियों के नरसंहार जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन मुस्लिम विरोधी राजनीति से मुसलमानों के अधिकारों में कमी जरूर हो रही है।

⬣ अगर यही नीतियाँ जारी रहीं, तो भारत एक धार्मिक राष्ट्र में बदल सकता है, और यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक हो सकता है।

अब देखते है गांधी का स्वराज असल में हिंदू धर्म की वापसी थी — न कि सनातन धर्म की, और न ही हिंदुत्व की।”-

◆ गांधीवाद बनाम आधुनिक भारत: हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से तुलनात्मक विश्लेषण

क्रमांक	तत्व / मूल्य	हिंदू धर्म	गांधीवाद	भारतीय संविधान / आधुनिक गाँव
①	जाति व्यवस्था	जन्म आधारित चार वर्ण – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।	गांधी भी चार वर्णों के पक्षधर – ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सबको उनका पारंपरिक कार्य करना चाहिए। यानी जन्म आधारित	संविधान – जाति आधारित भेदभाव प्रतिबंधित, समान अवसर व अधिकार सभी को।
②	पांचवा वर्ण (अछूत)	'अछूत वर्ण' – गाँव से बाहर, मंदिर में प्रवेश नहीं।	गांधी ने 'हरिजन' नाम दिया पर उनका पेशा – सफाई – नहीं बदला।	संविधान – अछूत प्रथा अपराध, दलितों को आरक्षण व विशेष सुरक्षा अधिकार।
③	पैतृक व्यवसाय	हर जाति अपना पैतृक पेशा अपनाए।	गांधी – "भंगी को भंगी का काम, लोहार को लोहार का ही काम करना चाहिए।"	संविधान – व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)।

④	संपत्ति का अधिकार (शूद्रों के लिए)	शूद्र संपत्ति नहीं रख सकते।	गांधी का मानना – शूद्रों को संपत्ति रखने की आवश्यकता नहीं।	संविधान – सभी नागरिकों को संपत्ति का समान अधिकार।
⑤	हिंसा व हथियार	शूद्रों को हथियार रखने की अनुमति नहीं।	गांधी – अहिंसा सर्वोपरि, कोई हथियार नहीं।	संविधान – आत्मरक्षा और राष्ट्ररक्षा का अधिकार।
⑥	गौ पूजा	गोवध पाप, गाय की पूजा आवश्यक।	गांधी – गाय को माता मानते थे, गौ हत्या का विरोध।	संविधान – कुछ राज्यों में गौ हत्या प्रतिबंधित, पर कानून द्वारा, धर्म नहीं।
⑦	कर्म फल व पुनर्जन्म	"जो करेगा वही पाएगा" – पुनर्जन्म आधारित न्याय।	गांधी भी कर्म, फल, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे।	संविधान – धर्मनिरपेक्ष, कर्म-फल निजी आस्था का विषय।
⑧	मूर्ति पूजा व अवतारवाद	विष्णु, शिव, राम, कृष्ण – अवतारों की पूजा।	गांधी – मूर्ति पूजा में विश्वास, रामराज्य की कल्पना।	संविधान – धार्मिक स्वतंत्रता, पर राज्य धर्म से निरपेक्ष।

⑨	ब्राह्मण की श्रेष्ठता	ब्राह्मण सबसे ऊँचा वर्ग, ज्ञान का अधिकारी।	गांधी – ब्राह्मणों को "समाज का मार्गदर्शक" मानते थे।	संविधान – सभी समान, कोई भी ज्ञान व नेतृत्व का अधिकारी।
⑩	शास्त्रों की प्रमाणिकता	वेद, उपनिषद, गीता – प्रमाणिक।	गांधी – गीता को "अपना जीवन मार्गदर्शक" मानते थे।	संविधान – किसी धर्मग्रंथ को राज्य का आधार नहीं माना गया।
⑪	शिक्षा और योग्यता	जाति के अनुसार शिक्षा की सीमा।	गांधी – हर वर्ण की अलग शिक्षा, भंगी को शास्त्र नहीं, सफाई सिखाई जाए।	संविधान – सभी को समान शिक्षा का अधिकार (आरटीई एक्ट)।

◆ निष्कर्ष:

गांधीवाद, सामाजिक रूप से भले ही अहिंसा और सादगी का संदेश देता हो, लेकिन वह मूल रूप से हिंदू वर्ण-धर्म का ही पुनरावर्तन है। उन्होंने केवल कुछ शब्द बदले – जैसे 'अछूत' को 'हरिजन' कहा, पर पेशे, स्थिति, सम्मान – कुछ नहीं बदला।

गांधीवादी गाँव बनाम आज के गाँव का तुलनात्मक विश्लेषण

◆ गांधीवाद का स्वराज व आधुनिक गाँव – एक गहराई से किया गया तुलनात्मक विश्लेषण

◆

क्रमांक	तथ्य का पहलू	गांधीवादी गाँव	आज का गाँव (वास्तविक स्थिति)

①	व्यक्तिगत स्वच्छता	न तेल, न साबुन, न शैम्पू।जू सिर और कच्छे तक में पड़ते थे।	शैम्पू, तेल, साबुन सब उपलब्ध।जू मिट गए, मगर गरीबी अब भी कुछ के पीछे है।
②	खेती-बाड़ी	बैलगाड़ी, हल, हाथ से दिनभर खेत में। मशीनों का गांधी विरोध करते थे।	ट्रैक्टर, कंबाइन, सिंचाई, खाद –खेती आज मेहनत + तकनीक दोनों का मेल है।
③	पंचायत व्यवस्था	गांधी पंचायत समर्थक थे, पर वर्ण व्यवस्था के अनुसार। नीची जाति को निर्णय का अधिकार नहीं।	संविधान ने पंचायतों को लोकतांत्रिक बनाया, मगर आज भी ऊँची जातियों का दबदबा अनेक जगहों पर दिखता है।
④	जातिवादी पेशे	गांधी के स्वराज में – भंगी, नाई, लोहारसब अपनी जाति का काम ही करेंगे।वेतन समान होगा, योग्यता निरर्थक।	आज – संविधान कहता है "हर कोई कोई भी काम कर सकता है"। वास्तविकता में – जाति के अनुसार काम बांटने की सोच अब भी जिंदा।

⑤	संपत्ति का अधिकार (शूद्रों के लिए)	गांधी का विचार – शूद्रों को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं।संपत्ति का अधिकार सिर्फ "श्रेष्ठ" लोगों को।	संविधान – सभी को समान संपत्ति का अधिकार।लेकिन जमींदारी और जातिगत कब्ज़े आज भी कई इलाकों में कायम।
⑥	मशीनों पर दृष्टिकोण	गांधी – मशीनें आलस्य और लालच लाती हैं।पूरा विरोध किया ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, मिल का।	आज – मशीनें समय बचाती हैं, उत्पादन बढ़ाती हैं।इन्हीं मशीनों ने गाँव को आत्मनिर्भर बनाया है।
⑦	वेतन प्रणाली	गांधी का स्वराज – सभी को समान वेतन, भले ही वह डॉक्टर हो या मोची। टैलेंट का कोई मूल्य नहीं।	आज – शिक्षा, योग्यता, अनुभव के आधार पर सैलरी। समाज आगे बढ़ा, पर अवसर अब भी सबको समान नहीं।
⑧	न्याय का स्वरूप	गांधी के मॉडल में – सामाजिक न्याय वर्ण पर आधारित। निचली जातियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती।	आज – संविधान कहता है “समान न्याय”। लेकिन व्यावहारिक रूप से – कोर्ट, पुलिस, पंचायत सबमें वर्गभेद देखा जाता है।

⑨	व्यक्तिगत आज़ादी	गांधी के स्वराज में – व्यक्ति का जीवन पूरी तरह सामूहिक सोच पर निर्भर। व्यक्तिगत महत्वकांक्षा का कोई स्थान नहीं।	आज – व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने में, करियर चुनने में। फिर भी पारिवारिक और जातिगत दबाव अब भी हैं।
⑩	राष्ट्र की दिशा	गांधी का सपना – एक आत्मनिर्भर, मशीन-विहीन, वर्ण आधारित राष्ट्र। किसी को कुछ ज़्यादा पाने का हक नहीं।	आज – एक उद्यमी भारत, जहाँ इसरो, डीआरडीओ, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप जैसे विचारों ने भारत को चीन तक की आँख में आँख डालने वाला बना दिया है।

◆ निष्कर्ष:

गांधी का ग्राम स्वराज सादगी, आत्मनिर्भरता और त्याग पर आधारित था – लेकिन यह त्याग समानता नहीं देता, बल्कि एक नियंत्रित गुलामी लाता है।

आज का आधुनिक गाँव, भले ही पूरी तरह परिपूर्ण न हो, लेकिन वह विकास, तकनीक, व्यक्तिगत आज़ादी और संविधान की शक्ति से जुड़ा हुआ है।

. आँकड़ों से पुष्टि: गांधी का स्वराज समाज में क्या लाता?

क्षेत्र	गांधी का मॉडल	प्रभाव

शिक्षा	पेशा जन्म से तय, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं	गरीब वर्ग कभी भी ब्राह्मण, डॉक्टर, अधिकारी नहीं बन सकता
संपत्ति	शूद्रों को संपत्ति नहीं	आर्थिक गुलामी
राजनीति	ब्राह्मण मार्गदर्शन करें	लोकतंत्र का ब्राह्मणिक नियंत्रण
विकास	मशीन विरोध	औद्योगिक विकास ठप, बेरोजगारी
समता	सबकी सैलरी एक जैसी	प्रतिभा का अपमान, कोई प्रेरणा नहीं

६. निष्कर्ष: गांधीवाद = नवमनुस्मृति

गांधी सनातन धर्म नहीं, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का समर्थन करता है।

वह वर्ण व्यवस्था को न्यायसंगत बताता है, शूद्रों को सीमित करता है, मशीनों से डरता है, और धार्मिक आस्था को सामाजिक शृंखला में बदल देता है।

गांधी का स्वराज 'स्वतंत्र भारत' नहीं, बल्कि 'नवमनुस्मृति' वाला भारत होता।

कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे फर्क नहीं पड़ता… . . . हुकूमत तो ईश्वर के वंशजों की ही होगी यानि मूलनिवासियों की …

ब्राहाणवाद का उदय

मैं जिस “ब्राह्मण” की बात करूंगा, वो असली सनातनी ब्राह्मण नहीं है, बल्कि एक विदेशी ब्राह्मण है।

देखो, आप लोग अक्सर ब्राह्मण शब्द का मतलब गलत समझते हो। हमारे असली सनातन धर्म में भी ब्राह्मण थे, लेकिन वहां ब्राह्मण कोई जाति नहीं था।

वो एक वर्ग था, जिसमें समाज के अलग-अलग जातियों से आने वाले वो लोग शामिल होते थे जो बुद्धिमान, ज्ञान से भरे हुए और अच्छे कर्मों वाले होते थे।

ब्राह्मण बनते थे, जन्म से नहीं — अपने कर्म से।

लेकिन मैं जिन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, वो विदेशी थे। जब ये विदेशी भारत में आए, तो इन्होंने ब्राह्मण को एक "वर्ग" से बदलकर "जाति" बना दिया।

अब चाहे कोई कितना भी पढ़-लिख जाए, विद्वान बन जाए — अगर वो ब्राह्मण के घर पैदा नहीं हुआ, तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा।

ब्राह्मण अब जन्म से तय होने लगा।

यही नहीं, इन्होंने हमारे असली सनातन धर्म को खत्म करके एक नया धर्म बना दिया — "हिंदू धर्म"।

उन्होंने किताबें बदलीं, मतलब धार्मिक ग्रंथों की बातें बदल दीं और अपनी जाति यानी ब्राह्मण जाति को सबसे ऊपर बैठा दिया।

उन्होंने धर्म को तो पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को निकालकर, बस एक ढांचा छोड़ दिया — और उसी ढांचे में ऊँच-नीच, जात-पात और भेदभाव भर दिया।

मैं इसी बात को साबित करूंगा — कि किस तरह विदेशी ब्राह्मणों ने एक वर्ग व्यवस्था को जाति में बदलकर, असली सनातन धर्म को बदल डाला।

इन लोगों ने अपने को विदेशी खुद बताया है। उनमें से कुछ के नाम ये है -

राहुल सांकृत्यायन उर्फ केदार नाथ पांडेय - वोल्गा नदी के किनारे से चलकर गंगा नदी किनारे आये थे।

- बाल गंगाधर तिलक -उत्तरी धुव्र
- गंगनाथ - अज्ञात ब्रहा देश
- दयानन्द सरस्वती- तिब्बत
- डॉ० अविनाश चन्द्र बोस दास - सप्त सैंधव प्रदेश
- जवाहरलाल नेहरू- मध्य-एशिया

लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया इनके पूर्वजो की वास्तविक पहचान क्या थी, वह क्या करते थे? इन लेखकों द्वारा आर्य और आर्य जाति को विदेशी बताना इसका आधार "वेद "है।

हरप्रसाद शास्त्री कहते है। कि पुष्यमित्र शुंग पारसी था। जो मग ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये मग ब्राहाण पारसी परंपरा के अनुसार सूर्योपासक थे और सूर्य की उपाधि धारण करते थे। मित्र का अर्थ सूर्य ही होता है। इसलिए उसका नाम पुष्यमित्र था। पुष्य मे मित्र अर्थात सूर्य जुडा हुआ है। उसके उत्तराधिकारी अग्निमित्र, वसुमित्र आदि सूर्य की उपाधि धारण करते थे। ये मग लोग ज्योतिष, हस्तरेखा, भविष्यवाणी आदि में अधिक रूची रखते थे। प्रसिद्ध ज्योतिष वराहमिहिर भी मग ब्राहाण थे मिहिर का अर्थ भी सूर्य होता है। जैसे मित्र का अर्थ सूर्य होता है।

अब मैंने इसी **agent** बुक में 'कैसे और कब पारसी भारत आये' वाले **chapter** में बताया है कि किस तरीके से पारसी भारत में आये यानी यह पुष्यमित्र भी विदेशी है। यह पलायन बहुत पहले से ही चल रहा था इन लोगों का,बस मौका देखकर इन्होंने गद्दी हथिया ली और ब्राह्मण धर्म खड़ा कर दिया।

आदिशंकर के वंशज जंघम ब्राहाण कहलाते है ऐसे ही और ब्राहाण है। सारस्वत ब्राह्मण, भाट ब्राहाण, जगात ब्रह्माण, मग ब्राहाण।। इन्होंने यह सब नाम गोत्र बाद में बनाये थे क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति है ही नहीं।

शुरू करते है -

पृष्ठभूमि: सत्ता और धर्म का गठबंधन

मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने जब सत्ता हथियाई (ईसा पूर्व **185**), तब भारत में एक *ऐसी सामाजिक क्रांति की नींव रखी गई*, जिसने सदियों तक दलितों, शूद्रों और बौद्धों को हाशिये पर डाला।

यह सत्ता की लड़ाई थी, जिसमें धर्म को औज़ार बनाया गया।

पुष्यमित्र स्वयं ब्राह्मण था, और उसका उद्देश्य था —

"बौद्धों की अहिंसा-आधारित व्यवस्था को हटाकर एक यज्ञ-केंद्रित, ब्राह्मण प्रधान सत्ता स्थापित करना।"

. ब्राह्मण धर्म की स्थापना: कर्म नहीं, जन्म का युग

- पहले जहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, अब वह जन्म आधारित जातियों में बदल दी गई।
- जो ब्राह्मणों की सत्ता को न माने — उन्हें नीच, अपवित्र, या अछूत घोषित कर दिया गया।
- अछूत वही बने जो या तो विरोध में थे या जिनके कार्यों से ब्राह्मण व्यवस्था को खतरा था।

उदाहरण:

– चमड़ा उद्योग से जुड़े लोग, सफाई कर्मी, पशु हड्डियाँ इकट्ठा करने वाले — ये वो लोग थे जो ब्राह्मण धर्म की "पवित्रता" की परिभाषा में फिट नहीं बैठते थे।

– कई बौद्ध अनुयायी, जिन्होंने ब्राह्मणों की प्रभुता स्वीकार नहीं की, उन्हें भी 'म्लेच्छ' या 'चांडाल' घोषित किया गया।

प्रमाण: इतिहास क्या कहता है?

अ. बौद्ध ग्रंथों के अनुसार:

"दिव्यावदान" नामक बौद्ध ग्रंथ में साफ लिखा है कि पुष्यमित्र ने:

- बौद्ध मठों को ध्वस्त करवाया।
- सैकड़ों भिक्षुओं की हत्या करवाई।
- बौद्ध शिक्षाओं को "धर्म विरोधी" कहकर, ब्राह्मण धर्म की वापसी का आह्वान किया।

ब. मनुस्मृति का प्रभाव:

मनुस्मृति (**100** बीसीई– **200** सीई) उसी ब्राह्मण धर्म की कानूनी किताब बनी जिसमें लिखा गया:

"शूद्र को वेद सुनना भी नहीं चाहिए। यदि वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला सीसा डाल दो।"

"ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, भले ही पापी हो। शूद्र नीच है, भले ही गुणी हो।"

– यही वो दर्शन था जिसने जन्म आधारित जातियों को धर्म का स्वरूप दे दिया।

अछूत: धार्मिक बहिष्कार नहीं, सत्ता विरोधियों का दमन

हकीकत क्या थी?

- अछूत वो थे जो ब्राह्मण व्यवस्था के विरोधी थे।
- उन्होंने यज्ञ, वेद, पुरोहितवाद को नहीं स्वीकारा।
- वे आत्मनिर्भर थे, अपने तरीके से जीते थे – इसलिए खतरा बन गए।

इसलिए उन्हें क्या किया गया?

- समाज से बहिष्कृत कर दिया गया।
- "स्पर्श से अपवित्र करने वाले" कहकर उन्हें गाँवों से बाहर कर दिया गया।
- धर्म के नाम पर उनकी पीढ़ियों को मानसिक गुलाम बना दिया गया।

अब धर्म का प्रयोग केवल ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता बनाए रखने के लिए किया जाने लगा। उसी व्यवस्था से नई-नई कुरीतियाँ जन्म लेने लगीं।

अ. देवदासी प्रथा:

प्रारंभ में यह मंदिरों की सेवा में लगी महिलाओं की परंपरा थी। लेकिन समय के साथ, यह यौन शोषण का धार्मिक रूप बन गई। उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों की कन्याओं को "ईश्वर को समर्पित" कहकर यौन शोषण,देह व्यापार के दलदल में धकेलने लगे। निम्न जाति की कन्याओं को कम उम्र में "ईश्वर को समर्पित" कहकर देवदासी बना दिया जाता था। इन देवदासीयों से जब कोई बच्चा पैदा होता था उसको नाम देते थे "हरिजन"

देवदासी प्रथा से जन्मे बच्चों को समाज नहीं अपनाता था, क्योंकि: उनकी मां "ईश्वर को समर्पित" मानी जाती थी, लेकिन समाज उन्हें यौन शोषण का शिकार बनाता था। ऐसे बच्चों का कोई "पिता" नहीं होता था, जिससे वे जाति-विहीन माने जाते थे। इसी कारण इनको

हरि" = भगवान विष्णु

"जन" = लोग

हरिजन = "भगवान के लोग" या "ईश्वर के बच्चे"

कहते थे। उनका उद्देश्य था: "समाज के द्वारा तिरस्कृत इन लोगों को सम्मान देना और उन्हें ईश्वर के समीपतम मानना।" ताकि कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति अपनी लड़की को ब्राह्मणों को दान देने से पीछे ना हटे वह लड़कियों को दान देते समय गर्व महसूस करे। भारत सरकार ने देवदासी प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। कई राज्यों में इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं, जैसे:

कर्नाटक देवदासी प्रतिबंध अधिनियम, **1982**

आंध्र प्रदेश देवदासी अधिनियम, **1988**

फिर भी कुछ क्षेत्रों में यह प्रथा गुप्त रूप से या संस्कृति के नाम पर जारी है।

ब. सती प्रथा:

तैमूर लंग **(1398)** जब भारत आया तो उसने देखा कि
"पतियों की चिता पर पत्नियों को जबरन जलाया जा रहा है।"

इब्न बतूता **(1333 ई.)** ने भी अपनी किताब 'रिहला' में लिखा कि: "मैंने भारत में कई बार देखा कि जब कोई पुरुष मरता है तो उसकी पत्नी को आग में धकेला जाता है।"सती प्रथा को कानूनी रूप से **4** दिसंबर **1829** को ब्रिटिश शासनकाल में प्रतिबंधित किया गया था।

क. पशु बलि और नरबली:

धार्मिक पूजा में बलि प्रथा प्रचलन में आई। विशेषकर *तांत्रिक पूजा* और *शक्ति साधना* में नर बलि की घटनाएं दर्ज हैं।

यह भय, अंधविश्वास और सत्ता की कठोरता का प्रतीक था।

ख. नियोग और कन्या शुद्ध प्रथा:

नियोग को धार्मिक वैधता दी गई —

यानी अगर कोई पति संतान नहीं दे पाता तो दूसरे ब्राह्मण से संतान उत्पत्ति करवाई जाती। कन्या शुद्ध यानी शूद्र कन्याओं को अपवित्र माना जाता और उन्हें पवित्र करने के लिए *कुछ अमानवीय रस्में* करवाई जातीं थीं। दयानंद सरस्वती ने इस सबको एकदम सही ठहराया है। उन्होंने इन सबके बारे में अपनी किताब "सत्यार्थ प्रकाश" में लिखा है।

ग. बाल विवाह और जातीय जंजीरें:

बाल विवाह को धर्म का दर्जा दे दिया गया। लड़कियों को **5-6** साल की उम्र में ब्याह देना एक "पवित्र कर्तव्य" बन गया।

जाति व्यवस्था इतनी कठोर हो गई कि एक पेशे को जीवनभर निभाना और उसी जाति में विवाह करना अनिवार्य हो गया।

वह व्यक्ति जिनके विवाह कम उम्र में कर दिए गए हिंदू धर्म के अनुसार:

व्यक्ति का नाम	सत्यापन टिप्पणी
डॉ. भीमराव अंबेडकर	✅ सत्य — **1906** में **15** वर्ष की उम्र में रामाबाई से विवाह हुआ। उनकी उम्र लगभग **9** वर्ष थी। स्रोत: ***Waiting for a Visa*** और अन्य जीवनी
महात्मा गांधी	✅ सत्य — **1883** में **13** वर्ष की उम्र में कस्तूरबा (**14** वर्ष) से विवाह हुआ। स्रोत: ***My Experiments with Truth***

रवींद्रनाथ टैगोर	✓ सत्य — **1883** में लगभग **11** वर्ष की उम्र में मृणालिनी देवी **(10** वर्ष**)** से विवाह हुआ। स्रोत**:** ***Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man***
डॉ. राजेंद्र प्रसाद	✓ सत्य — **1896** में **12** वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से विवाह हुआ। स्रोत**:** उनकी आत्मकथा और जीवनी
बाल गंगाधर तिलक	✓ सत्य — **1871** में लगभग **16** वर्ष की उम्र में तापीबाई (बाद में सत्यभामा) से विवाह हुआ। स्रोत**:** ***Lokmanya Tilak: A Biography***
ईश्वरचंद्र विद्यासागर	✓ सत्य — लगभग **14** वर्ष की उम्र में दीनमयी देवी से विवाह हुआ। स्रोत**:** ***Vidyasagar Charitamrita***
मदन मोहन मालवीय	✓ सत्य — विवाह लगभग **16** वर्ष की उम्र में हुआ**,** पत्नी का नाम ज्ञात नहीं। स्रोत**:** ***Madan Mohan Malaviya: A Maker of Modern India***

कुरीतियों का मुख्य कारण**:** धर्म का राज्य से गठबंधन

*जब धर्म को राज्य की तलवार मिल जाती है**,** तब न्याय नहीं**,*** डर फैलता है।

- यही हुआ ब्राह्मण धर्म के उभार के साथ।
- धार्मिक आडंबरों और सत्ता को बचाने के लिए कुरीतियों को नियम बना दिया गया।

निष्कर्ष**:** यह धर्म नहीं**,** सत्ता की योजना थी

ब्राह्मण धर्म की जड़ें धर्म से नहीं, राजनीति से जुड़ी थीं।

पुष्यमित्र शुंग ने सनातन धर्म की सहिष्णुता को हटाकर, ब्राह्मण धर्म की कठोरता लादी। अछूत — कोई जन्म से नीच नहीं था।

वे बस इस व्यवस्था के विरोधी और स्वतंत्र विचारधारा के लोग थे।

अब थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते है -

मेगस्थनीज के अनुसार समाज का प्रथम वर्ग विद्वान वर्ग होता था। जो कोई भी किसी कबीला या तकनीकी परिवार का सदस्य बनता था। उस विद्वान व्यक्ति को बमन (ब्राहाण) कहा जाता था। जिसका वर्णन सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख के द्वारा बाम्हन (ब्राहाण) से संबोधित किया है। और समुद्रगुप्त ने बाभन (ब्राहाण) लिखवाया था। श्रमशील तकनीकी जातियों के कबीला प्रमुख, जो अब सांमत बन गये थे। अब बाहाण ने इनको राजा का पुत्र (राजपुत्र) कहना शुरू कर दिया था। यह पालि भाषा में हमको अशोक के अभिलेख में कई जगह लाजा पुत्त देखने को मिलता है। ये इसी से अपभ्रंश किया होगा। अब इनको (सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी रघुवशी,यदुवंशी, जैसे काल्पनिक पात्रों का वंशज बनाकर अपना पेट भरता था ब्राह्मण। यह सांमत को राजपूत कहना शुरू कर दिया था और इनके वंशज वही बताए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी……..यह राजपूत तकनीकी जातियों से लूटकर खाता था तो दूसरा भाट (ब्राहाण) राजपूतों को मूर्ख बनाकर या उन्हें चने के झाड़ पर चढाकर अपना पेट भरता था।

यहाँ में आगे बढ़ने से पहले ये क्लीयर कर देता हूँ कि ब्राह्मणों ने इन सामंत को राजपूत कहना शुरू किया था या नहीं? -

जैसे- सांमतवाद के समय के बाद पहला गूजर प्रतिहार नाम का पश्चिमी भूभाग पर एक कबीलाई शासक था। जिसको भ्रमशीलों (भाटों) ने इनको राजपूत बना डाला लेकिन उस गुजर कबीला के शेष लोग आज भी मूल गूजर जाति के नाम से जाने जाते हैं। खेतों या पशुपालन करने वाले जाति से संबोधित होकर अपना जीवन-यापन कर रहे है। गोंड आदिवासी के गोंड राजा, आज चंदेली वंशी राजपूत बनकर गोंडों के जल जंगल जमीन पर ही कब्जा किए गए। आला ऊदल विन्ध क्षेत्र के राजा थे जो बनाफर जाति से थे लेकिन आज इनको राजपूत बना दिया था। गोहिल वंश (पासवान जाति) गहलोत राजपूत बना।

राजा-आल्हा - राजा आल्हा की शादी नैनागढ़ (उत्तरारखण्ड) के राजा राघोमच्छ की बेटी राजकुमारी सोनवती के साथ हुई थी। राजा आल्हा की मां दो बहने थी। एक का नाम "दिवला" और दूसरी का नाम" मलना" था। दिवला का पुत्र आल्हा और मलना के पुत्र का नाम ब्रह्वाजीत

था। बहाजीत की शादी पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला के साथ हुई थी। राजा आल्हा ने ही मैहर मंदिर की स्थापना की थी। सबसे बड़ी बात है कि राजा आल्हा चंदेल वंश से सम्बंध रखते थे। आगे चलकर कुछ चंदेल वंशियों ने अपने आपको सिर्फ राजपूत कहलवाने में गर्व महसूस किया लेकिन राजा आल्हा ने अपने आपको सिर्फ राजा या चंदेल वंश तक ही सीमित रखा आज भी राजा आल्हा का वीर रस **(**विरहा**)** पूरे चंदेल शासक के क्षेत्र या महोबा या बुदेलखण्ड की सीमा में प्रसिद्ध है। आज अधिकतर चंदेल वंशी राजा आल्हा के वंशज मुख्य रूप से बनाफर और दुसाध के नाम से अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं।

राजा लखुजी जाधव**-** राजा लखुजी जाधव जी महाराष्ट्र के अहमद नगर क्षेत्र के राजा हुए और उनकी पुत्री जीजा बाई की शादी शाहजी राजे भोसले से हुई और बाद में जीजा बाई को राज माता की उपाधि मिली। उनके घर में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। जो आगे चलकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुगलों और ब्राहाणों से सामाजिकता की रक्षा हेतु लबी लड़ाई लड़ा और सामाजिक समानता का झण्डा को ऊंचा किया। लेकिन उन्होंने अपने आप को राजपूत कहलाना पंसद नहीं किया सिर्फ और सिर्फ मराठा क्षत्रप कहलाए और अपने आपको कृषक कर्मी **(**कुर्मी**/**कुणबी**)** से जोड़ के रखा और उनके उत्तराधिकारी और वंशज आज के समय में भी कृषक कर्मी के नाम से जाने जाते है। और उनसे अपने को जोड़ कर रखा भी है।

राजा सुहेलदेव **-** राजा सुहलदेव **(995**ई० **-1050**ई०**)** यह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के राजा थे। उनके पिता जी का नाम मोरध्वज था। राजा सुहलदेव दो भाई थे एक स्वंय सुहलदेव दूसरे मलेहदेव। मलेहदेव ने ही आगे चलकर लखनऊ के पास अपने नाम से मलिहाबाद तहसील की स्थापना की। जो आज भी दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होने अपने आप को राजपूत शब्द से अलग रखा। मुस्लिम आततायी गजनी ने **17** बार भारत पर आक्रमण किया उसका बलार भांजा सलार मसूद गजनी था**,** जिसने पूरी पश्चिमी भारत के राजाओं को हराते हुए हिन्दू महिलाओं के साथ हत्या और बलात्कार करते हुए सारे पूजा स्थलों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। राजा सुहेलदेव ने उसे रोका और उसके भांजा सलार मसूद को **14** जून**, 1033** ई० को मार गिराया। जिसका प्रमाण आज भी आपकी बहराइच के पास देखने को मिल जाएगा। आगे तुगलक वंश ने मसूद के दफनाए हुए जगह को इस्लाम का प्रचारक और विस्तारक की उपाधि देकर उस जगह को गाजी बाबा की मजार का नाम दे दिया। जहां आज भी मेला लगता है। राजा सुहेलदेव **15 June, 1033**ई० की सुबह मसूद गजनी के नजदीकी इब्राहिम बारा हजारी के हाथों मारे गए। इसमें लड़ाई में राजा सुहेलदेव के नजदीकी रिश्तेदार कन्नौज के राजा चन्द्रदेव ने भी साथ दिया था। जो बाद के समय में नेपाल की तराई में जाकर बस गये। राजा चन्द्रदेव के वंशजों ने बाद में जाकर अपने आपको राठौर राजपूत के रूप में स्थापित किया। आगेचल कर वीर शिरोमणि सुहेलदेव के वंशजो ने दो भागों में बंटकर अपनी पहचान बनाई। पहले प्रकार के

सच्चे अनुयायी सुहेलदेव जी ने वंशी पासी समाज को अंगीकार किया और शिरोमणि सुहेल देव को पासी समाज का नायक बनाकर रखा। 'पासी' शब्द फअसी से शब्द बना हुआ है। जिसका शाब्दिक अर्थ प= पंजे, असी=तलवार, लेकिन आज ये सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से पंजा से आधारित काम करने लगे और पिछड़ते चले गए, जो अब अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के अनुयायी सुहलदेव जी से अलग होकर बैस राजपूत बन गए।

सिंधिया राजवंश - सिंधिया राजवंश को महाराष्ट्र प्रदेश के सतारा जिले के ग्राम कन्हेरखड़ के रहने वाले (पटेल) पाटिल समाज के जनको जी राव सिंधिया का बेटा राणोजी सिंधिया ने स्थापित किया था। इनके पूर्वज गुजरात के पटेल थे। जो समय के साथ महाराष्ट्र के सतारा जिला में जाकर बस गए थे। उनके उत्तराधिकारियों मे राणोजी जयजीराव, ज्योतिबाराव,दत्तजीराव, जानको-जीराव, महादजी राव, दौलतराव सिंधिया शामिल थे। इन्होंने **1731** में उज्जैन में अपनी राजधानी को स्थापित किया। सिंधिया राज्य **18** वीं सदी के उत्तरार्ध में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बन गया था। दौलतराव सिंधिया ने कई राज्यों पर प्रभाव कायम किया, और उत्तर भारत के कई राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। **1818** ई० के तीसरे, अंग्रेज-मराठा युद्ध में अग्रेजो से दौलतराव सिंधिया हार गए। दौलतराव सिंधिया ने ब्रिटिश भारत के भीतर एक रियासत के रूप में स्थानीय स्वायत्ता को स्वीकार कर लिया। दौलत-राव सिंधिया की मृत्यु के बाद इनकी महारानी बैजा बाई ने रियासत को संभाला दौलतराव सिंधिया को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने सतारा जिले के पास में अपने पाटिल परिवार से एक बच्चा गोद ले लिया। जिसका नाम जानकोजीराव रखा। दौलतराव का बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने राज्य का कार्यभार संभाला। जानकोलजीराव की **1843** मे मौत हो गई। और उसकी विधवा ताराबाई राजे सिंधिया ने सफलतापूर्वक रियासत की स्थिति को बनाये रखा। जानकोजी और ताराबाई को भी कोई बेटा नही था। उन्होंने भी सतारा जिले के पास से अपने परिवार (पाटिल) एक बच्चा गोद ले लिया। जिसका नाम जीवाजीराव सिंधिया रखा। उनके बाद जीवाजीराव ने गद्दी संभाली थी। जीवाजीराव की पत्नी का नाम राजमाता विजयराजे सिंधिया था। जीवाजीराव सिंधिया और राजमाता विजयेराज सिंधिया ने अपने आपको शुद्ध रूप से राजपूत के नाम से सम्बोधित करना शुरू कर दिया और अपने होने वाले बच्चो भी राजपूतों में शादी करना शुरू कर दिया जो आपके सामने है। जब **1947** ई**0** में अंग्रेजो ने भारत को आजाद किया तब महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने भारत सरकार की प्रभुता को स्वीकार कर लिया, तब ग्वालियर को अन्य रियासतों के साथ मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। जीवाजीराव ने **28** मई **1998** ईस्वी से **31**अक्टूबर,**1956** तक राजप्रमुख (नियुक्त राज्यपाल) के रूप में कार्य किया। **1962** में राजमाता विजयराज सिंधिया ने महाराजा जीवाजीराव की विधवा के रूप में चुनावी राजनीति में परिवार के कैरियर की शुरुआत की और लोक सभा के लिए चुनी गई। वह पहले 'कांग्रेस पार्टी की

सदस्या थी। और बाद में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रभावशाली सदस्या बन गई। जीवाजीराव और राजमाता विजयराजे के उत्तराधिकारी पुत्र-पुत्रिया - उषा राजे, माधवराब, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे हुए। आज ये अपने आप को शुद्ध जाट / राजपूत वंश का मानते हैं। जबकि सत्यता कुछ अलग है।”

सभी लोग राजपूत नहीं बने, क्योंकि वैसे लोग सांमतवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। अब उन सभी को वंशज में जोड़ते हुए अपने वश में कर लिया था।

इनको अब ब्राहाणों ने क्षत्रिय की उपाधि देने लगे और श्रमशील तकनीकी जातियों को जातियों में बोटने लगा था। जैसे उनका नामकरण व जातियों का निर्माण उनके कौशल के आधार पर हुआ है।-

- फूल, बागवानी जो लगाते थे या तकनीकी रूप से अच्छे जानकार थे। उनको - माली,सैनी, फूले कहलाए।
- पशु पालने - अहीर, ग्वाला, गड़रिया
- खेती करने - लोध, गूजर, जाट, रेड्डी
- करीगर - कुम्भकार, चर्मकार, लोहार
- तेल निकालने - तेली

इसके बाद से समस्त भारत के अंदर एक दूसरा संदेश भी प्रचारित होने लगा था। कि गैर-क्षत्रिय वर्ण से कोई भी शासक नहीं बन सकता था। धूरतों ने इस बात को लोगों के मानस पटेल पर पत्थर की लकीर की तरह बैठाने के लिए सम्यक काल वाले सभी साक्ष्य **850** ई० से पूर्व काल के रहे सभी सम्राटो वाले इतिहास को मुगलो के साथ मिलकर नष्ट करने करने लगे। और रामायण, महाभारत पुराण जैसी अनेक कथाए अनेक कथाएं में मिलावट करने लगे। व सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग काल स्थापित किया। शैव, वैष्णव धर्म विकसित होने लगा। अब अलौकिक शक्ति वाले भगवान के सहारे धूर्तो ने बहुसंख्यक लोगों को पूर्व जन्म में किए कर्मों के प्रायश्चित हेतु, इस जन्म में उच्च वर्णो की सेवा कर्तव्यो द्वारा मुक्ति पाने का दिशा-निर्देश देना शुरू कर दिया। वज्रयान से शंकर प्रच्छन्न बौध का उदय होता है। जिसे आदिशंकर के नाम से जाना जाता है। शैव पंथ इसमें एक परिवार का एकाधिकार है। जिसे आज कोई भी आदिशंकर के जन्मस्थान केरल से लेकर आदिशंकर की कर्मभूमि केदारनाथ मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर, नेपाल काठमांडू मे अवस्थित मंदिर में देख सकता है। शैव पंथ के वंशज जंघम ब्राह्मण कहलाते थे। आदिशंकर के जन्म का नाम शंकर था। इनका जन्म केरल में **788** ई० में हुआ था। आदिशंकर का जन्म चेर साम्राज्य में हुआ था तथा **820** ई० में **32** साल की उम्र में केदारनाथ में पाल साम्राज्य के समय

हुआ था। आदिशंकर के गुरु का नाम गोविंद भगवत्पाद जी था। गोविंद भगवत्पाद की जीवनी में इनका जन्म **16** वीं शताब्दी है। इसने उपनिषदो और वेदांतसूत्रों का रचना की थी।

रामानुज इसका जन्म तमिलनाडु में **1017** ई० में हुआ था। रामानुज की मृत्यु **1137** ई० में **120** वर्ष की आयु में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। रामानुज के गुरु शैव पंथ के गुरु यादव प्रकाश थे। रामानुज ने ब्रहासूत्र और विष्णु सहस्रनाम की थी व ब्रहासूत्र के भाष्य पर दो मूल ग्रंथ लिखे श्री भाष्यम व वेदांत संग्रहम।

मध्वाचार्य का इनका जन्म कन्नड़ में **1238** ई० में हुआ था। मध्वाचार्य की मृत्यु **1317** ई० में **79** वर्ष की अवस्था में हुआ था। मध्वाचार्य के गुरु शंकर मत के अनुयायी अच्युत्प्रेक्ष थे।

मध्वाचार्य ने ब्रहासूत्र पर भाष्य लिखा, वेदांत के व्याख्यान की तार्किक पुष्टि के लिये एक स्वतंत्र ग्रंथ अनुव्याख्यान लिखा। श्रीमदभगवद - गीता, उपनिषदों, श्रीमद्भागवतपुराण, पर टीका लिखे । महाभारत के तात्पर्य की व्याख्या करने वाले ग्रंथ महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा तथा ऋग्वेद के पहले **40** सूक्तों पर टीका लिखा **!**

आदिशंकर ने बौद्ध मठो की पंरपरा को परिवर्तित करते हुए अपने चार मठों की स्थापना की यह अभी तक पवित्र मठ (पीठ) माने जाते है।

रामानुज मैसूर के श्रीरंगम से चलकर रामानुज शालिग्राम पहुंचे वहा उन्होंने **12** वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया।

मध्वाचार्य ने उडुपी में कृष्ण मंदिर की स्थापना की थी। जो एक तीर्थ स्थान बन गया है।

आदिशकर की कथाओ के माध्यम से कलियुग, त्रेतायुग, सतयुग, द्वापरयुग स्थापित हुए।

रामानुज ने दर्शन में तीन स्तर माने गये हैं। ईश्वर, आत्म तत्व, प्रकृति तत्व

मध्वाचार्य ने पूर्वजन्म, आत्मा, मोक्ष पर टिका दिया वैदिक धर्म।

आदिशंकर ने अद्वैत सिद्धांत पर शैव पंथ की स्थापना की।

रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत वेदांत का प्रवर्तक बना मध्वाचार्य ने द्वैत दर्शन की स्थापना की।

आदिशंकर- आदि शंकराचार्य या आदिशंकर भगत पाड़ा या शंकर भगवत्पदाचार्य ये तीनों एक ही नाम है। जिनका जन्म **788** ई० में हुआ था। (आदि शंकर के जन्म के संबध में मैक्स मुलर,

मैकडॉनेल, पाठोक, ड्यूसन, राधाकृष्णन आदि सभी लोगों का मत एक ही है। कि इन्होंने **788** में जन्म लिया। यद्यपि आदि शकराचार्य के जन्म के समय को लेकर ग्रन्थों में काफी मत भिन्नता मिलती है। इसका कारण यह है। कि- शंकराचार्य ने सबसे ज्यादा ध्यान "श्रुति स्मृति ग्रन्थों "को अपने स्वहित और अपनी स्व-प्रसिद्धि के अनुसार रूपांतरित करने में लगाया था। जिसमें मुख्य रूप से वेद की बात करता है। 'श्रुति वेद 'पूर्व में सिर्फ एक ही के रूप में मिलता था, जिसके अन्दर जानकारी मनुष्य की जरूरत के अनुसार थी। लेकिन शंकराचार्य द्वारा उसके अंदर सिर्फ बनावटी ब्राहाणवादी कर्मकांड ही है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। उसी प्रकार से मनुस्मृति, श्रुति गीता, श्रुति महाभारत, श्रुति रामायण के अंदर ब्राहाणों की उपस्थिति प्रगाढ करने का काम किया है। यानी इनमें मिलावाट का काम किया। जिसके लिए भारत की चारों दिशाओं मे चार पीठ और चार मीमांसा स्कूल स्थापित किए गए थे। उसी पीठ और मीमांसा स्कूल के माध्यम से इन विवादित ग्रंथो को शंकराचार्य ने समाज मे पौराणिक व सच्चा साबित करने के लिए अपनी जन्म तिथि को भ्रामक और हर समय का बनाया। भारतीय सभ्यता में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रथम जगद्गुरु शंकराचार्य पीठ की स्थापना की गई थी। इनका जन्म **788** में कालादी **(**केरल**)** में हुआ। मृत्यु **820** ई० में केदारनाथ **(**उत्तराखण्ड**),**केरल में त्रिशूर एक खूबसूरत प्राचीन शहर और केरल की सांस्कृतिक राजधानी है। नगर के मध्य में ही **9** एकड़ में फैला ऊंचे परकोटे वाला एक विशाल शिव मंदिर है। जिसे वडुकनाथ कहते हैं। वडुकनाथ से तात्पर्य उत्तर के नाथ से है। जो केदारनाथ ही हो सकता है। यहा शंकराचार्य की तथाकथित समाधि भी है। और उसके साथ एक छोटा सा मंदिर भी है। जिनमें उनकी मूर्ति भी स्थापित हैं। उल्लेखनीय है कि आदि शंकराचार्य की एक समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे भी है। कत्यूरो शैली में निर्मित केदारनाथ मंदिर **3562** मीटर की ऊंचाई पर है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसे **1000**ई०**-1200**ई० के बीच निर्मित किया है। मन्दिर का निर्माण किसने कराया पता नहीं। लेकिन हाँ**!** कहा जाता है कि इसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य ने चार पीठों की नीब डाली जिसके माध्यम से पूरे भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत बूनाने का काम किया। इसे चारों दिशाओ में स्थावित किया।

- पूर्व में **(**ओडिशा**) -** जगन्नाथपुरी गोवर्द्धन पीठ
- पश्चिम गुजरात में **- (**द्वारिका**)** शारदामठ
- उत्तर में **-** बद्रिकाश्रम
- दक्षिण में **-** श्रृंगेरी शंकराचार्यपीठ

पीठो के माध्यम से शंकराचार्य ने ब्रहासूत्र उपनिषद, अद्वैत वेदांत के प्रचार हेतु मीमांसा स्कूल की स्थापना की थी। मीमांसा स्कूल के माध्यम से कर्मकाड, ब्रहासूत्र,उपनिषद, अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार एवं अपनी उपस्थिति को प्रगाढ करने का काम किया जाने लगा। साथ ही साथ मीमांसा स्कूल के माध्यम से सांख्य,वैशैषिक,बौद्ध,जैन को कुचलना भी शुरू कर दिया था।

शंकराचार्य ने अपनी "मीमांसा स्कूल पीठ" के माध्यम से "अद्वैत वेदांत" को आदि - अनंत तक स्थापित किया। अब ब्राह्मणों द्वारा जगद्गुरु शंकराचार्य पीठ और मीमांसा स्कूल के माध्यम से समाज में कर्मकाण्ड को बढावा दिया जाने लगा। इन्ही चारों पीठो के अंदर अपनी सुख सुविधा हेतु 'ईश्वर' के नाम पर देव कन्या या देवदासी प्रथा की शुरुआत हुई। जिसमें धर्म के नाम पर स्त्रीयों को बिना वस्त्र के रखना, यौनाचार करना होता था। मीमांसा दर्शन के सूत्रकार जैमिनी और कुमारिल भट्ट है। जैमिनी ने अपने जन्म समय को दिग्भ्रमित करने के लिए अपनी लेखन कला के द्वारा अपने आपको 'नारद' के जैसा हर काल में उपस्थित रहने वाला इंसान बना लिया था। इसलिए काफी लोग जैमिनी के जन्म को लेकर दिग्भ्रमित है। मीमांसा दर्शन में **16** अध्याय है। जिनमें प्रथम **12** अध्याय "द्वादशलक्षणी" के नाम से जाने जाते है। इस दर्शन की सूत्र संख्या **2644,** अधिकरण संख्या **909** हैं। जर्मन विद्वान मैक्समूलर का कहना है। कि यह दर्शन शास्त्र कोटि में नहीं आ सकता। क्योंकि इसमें धर्मानुष्ठान का ही विवेचन किया गया है। इसमें जीव, ईश्वर,बंधन, मोक्ष, और उनके साधनों को कहीं भी विवेचना नहीं है। मनुस्मृति का प्रणयन किसने किया। यह कहना कठिन है। यह सत्य है कि मानव के आदि पूर्वज मनु ने इसका प्रणयन नहीं किया है। इसके प्रणेता ने अपना नाम क्यो छिपा रखा है। यह कहना दुबकर ही है इस ग्रन्थ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुकृत कहा गया हो - मैक्समूलर।।

डॉ० बहुलर ने भी यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। कि मनुस्मृति या मानव धर्मसूत्र नामक ग्रंथ कभी विद्यमान ही नहीं था। मनुस्मृति के माध्यम से शंकराचार्य ने स्वंय और अपने तथाकथित प्रतिनिधि ब्राह्मणों के द्वारा भारतीय समाज में धर्म के नाम पर लोगों को डराना और शोषण करना शुरू कर दिया था।

अब जब यह पंथ बने तो इस समय भारत मे दो मतों के एकाधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब कि शैव पंथ और वैष्णव पंथ दोनो के अनुयायी लोग भारत में अपने अपने अलग-अलग प्रचार प्रसार ज्यादा करने के लिए एक दूसरे के दर्शन को अपने दर्शन से नीचा दिखाने लगते है। जिससे देश में विद्वेष की भावना बढने लगी और यह हत्या में बदल गई। इन शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के झगड़े पर कृष्ण झा और धीरेन्द्र कुमार झा द्वारा लिखित पुस्तक "अयोध्या की वह स्याह रात" जिसके पेज नंबर **169-170** पर लिखते है- रामानंदी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के कई पंथो में एक पंथ है। इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा होती है। रामानन्द का जन्म **13** वीं शताब्दी में इलाहाबाद में हुआ था। इस रामानंद पथ में साधु और नागाओं की सबसे बड़ी फौज पायी जाती है। क्योकि आदिशंकर द्वारा स्थापित शैव संप्रदाय के लोगों ने अपने विस्तार हेतु सात शैव अखाडों का निर्माण किया था। जिसे दशनामी अखाड़ा कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग आदिशंकर को अपना गुरु मानते है। उसी प्रकार रामानंदी के नागा सैनिक भगवान राम की पूजा करते है। और रामानंद को अपना गुरु मानते हैं। दशनामी

अखाड़ा के लोग शिव की पूजा करते हैं। रामानंदी के लोग तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को अपना प्रमुख ग्रंथ मानते है। अखाड़ा उसे कहते हैं जहां शस्त्रधारी लडाकू नागा साधु निवास करते हो, क्योंकि अखाड़ों का गठन बुद्ध विहार, बौद्ध मठ, जैन मठ, वैष्णव मठ, के बने मंदिरो के ऊपर जबरन कब्जा जमाने के लिए किया जाता था। इसलिए रामानंद पंथ में भी अखाड़ा बना जिसमें साधु, नागाओं की फौज थी जो दशनामी अखाड़ा से बचने के लिए थी।" इसी कारण दशनामी अखाड़ा और रामानंदी अखाडा के बीच आपस में हत्या प्रतिहत्या के कई प्रमाण मिलते है। **1690 ई0** में नासिक के सिंहस्थ मेले में दशनामी अखाड़ा के नागा साधु और रामांनंदी अखाडा के नागा साधुओं के बीच भारी नरसंहार हुआ था। उसी प्रकार **1760** ई० में हरिद्वार के शाही स्नान में इन दोनों के बीच खूनी लड़ाई हुई थी। जिसमें दोनों तरफ से कई हजार नागा साधुओं की मौत हुई थी। प्रयाग का तो कहना ही नहीं है यहां पर दशनामी और रामानंदी अखाड़ा के बीच प्रत्येक कुम्भ मेला में दोनों ओर से शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। इसी वजह से दशनामी अखाड़ा का एक नागा, जिसका नाम भैरव गिरी गोस्वामी था। उसने यह प्रण कर रखा था कि प्रत्येक दिन कम से कम एक वैष्णव नागा की हत्या नहीं कर दूं तब तक भोजन नहीं करूंगा। भैरव गिरी नागा के इस हिंसात्मक कार्य को देखते हुए रामानंदी अखाड़ा का एक नागा जिसका नाम रामदास था। इसने भी प्रतिज्ञा की कि मैं भी जब तक एक दशनामी अखाड़ा के नागा की हत्या नहीं कर दूंगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। इस समय तक भारत में कई राजपूत **(**क्षत्रिय**)** शासकों का उदय हो गया था। कोई शासक शैव पंथ का अनुयायी था तो कोई शासक वैष्णव पंथ का अनुयायी बनकर रह रहा था। वे एक दूसरे पंथों के अनुयायी राजा से युद्ध करते रहते थे। दक्षिण भारत में प्रतिद्विदिता ज्यादा थी। शैव पंथ के अनुयायियों ने सर्वप्रथम अपने दर्शन का लेखन 'वेद' के नाम पर कागज की पांडुलिपि पर किया, जिसका प्रथम भाष्य सायण ने किया इसके जन्म का पता नहीं लेकिन मृत्यु **1387**ई० में हुई थी। इसका भाष्यकार के रूप में **16** वीं शताब्दी में जन्मे महीधर का नाम भी आता है। इस क्रिया की प्रतिक्रिया में वैष्णव पंथियों ने भी अपने दर्शन "गीता" का लेखन उस वेद वाले दर्शन को नीचा दिखाने के लिए कागज की पाण्डुलिपि पर किया। आज कोई भी गीता के अध्याय **2** श्लोक **42,43,44,45,46** में वेद के ऊपर की गयी तुक्ष टिप्पणी को देख सकता है। देखें डॉक्टर सुरेन्द्र कुमार अज्ञात की बुक हिन्दू धर्म के पेज **431** पर।

तुलसीदास की रामचरितमानस भी वेद से अपर ऊपर है। इसी ग्रंथ को रामानंद के लोग अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। लेकिन आज जो वेद" के नाम पर जो भाष्य है। वह सभी 'मैक्स मूलर " का भाष्य है।

ब्राहाणों के द्वारा भारत के अंदर सारे राजा -रजवाड़ों को वर्ण-व्यवस्था के तहत क्षत्रिय वर्ण में जोड़कर महिमा मंडित करने का काम अब जोर पकड़ने लगा था। अपनी जीविकोपार्जन हेतु

ब्राह्मणों ने उस समय के राजा रजवाड़े के द्वारा सत्कर्म के नाम पर हर राजाओं से प्रत्येक जगह मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। इसका स्पष्ट प्रमाण भारतीय पुरातत्व विभाग की घोषणा है।-"भारत में जितने भी हिन्दू मंदिर है वह सभी के सभी को **1000ई0** के बाद का बना हुआ प्रमाणित किया गया है। इनमें प्रसिद्ध मंदिर ये है। बुन्देलखण्ड के चंदेल वेश द्वारा मध्यप्रदेश में निर्मित मंदिर, अनंतवर्मन गंग **(1125**ई०**)** द्वारा उडीसा का जगन्नाथ मंदिर। राजा धंगदेव द्वारा खुजराहो का मंदिर, ,राजा आल्हा द्वारा मैहर मंदिर एवं उत्तर और पूर्व भाग में अनेक मंदिर जिसमें काली बाड़ी, कामरूप, कामाख्या प्रमुख है। पाल वंश के राजा नारायण पाल द्वारा देवघर शिव मंदिर की स्थापना की गई थी **12**वी सदी में राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश के द्वारा अंजता गुफा मंदिर, रामप्पा मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया था। राज-राजा प्रथम में तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। होयसल वंश के द्वारा दक्षिण भारत में लगभग **1500** मंदिर बनवाए गए। जिनमें मुख्य है बेलूर मंदिर रामेश्वरम् मंदिर, हैदराबाद के पास हलेबिड मंदिर। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात प्रतिमा थी। बौद्ध मूर्तियो के अलावा, दुर्गा, सरस्वती के चित्र भी पाल राजवंश के शासन के दौरान निर्मित किए गए।

पाल वंश के समय में भूमिच्छिद्रन्याया सिद्धांत के अनुसार पढे-लिखे डिग्रीधारी लोगो को जमीन का एक अंश उपहार दिया जाता था। आज के समय में इन सारे मंदिरों के ऊपर ब्राहाणों का अधिकार था। इन्होने अपने स्वार्थ हेतु राजा रजवाड़े से उस मंदिर के रख-रखाव हेतु काफी ज मीन मंदिर के सुपुर्द करवाने का काम आंरभ करवा दिया था। उस मंदिर की जमीन को बाद में (भगवान की जमीन) ठाकुरवाडी या मठ की जमीन का नाम दिया गया।

इन पर ब्राहाणो का ही अधिकार था। जिससे इन मंदिरों पर का चढावा सब इन्हीं का होता था। मंदिर में पूजा और कर्मकांड को ब्राहाणों ने अपने आने वाले परिवार बच्चे और पीढी हेतु सुरक्षित करवाने हेतु, यह प्रचारित कर दिया की पूजा-पाठ कर्मकांड सिर्फ ब्राहाण या उसके बच्चे ही कर सकते हैं।

पाल वंश के बाद समाज में भारतीय सत्ता और गिरावट का दौर शुरू हो गया। राजपूत राजाओं के अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ओर द्वेष की भावना काफी अधिक थी। बाद में प्रत्येक राजपूत एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में एक-दूसरे की कमजोरी की खुफिया जानकारी विदेशी मुस्लिम आंक्रान्ताओं को देने का काम करने लगे। एक समय ऐसा आया जब स्वंतत्र राजाओं का अंत हो गया। और जो बचे उन्होंने तुर्क मुस्लिम शासकों के अधीन होकर पारिवारिक सम्बन्ध बना लिए। कुछ स्वाभिमानी राजा भी थे। उन्होंने उनकी गुलामी से बचने के लिए किसी अज्ञात स्थान या जंगल में जाकर अपनी बची हुई जिंदगी बिताई। इस पर राजीव

पटेल अपनी किताब जाति उत्पत्ति का भ्रम जाल के पेज **10** पर लिखते है **-"**कुछ सम्राट/राजपूत मुगलों की शर्तों को नहीं मानकर जंगलों में पलायन कर गए और आज की कुछ घुमन्तु जाति बन गए। कुछ राजपूत शासक मुगलों से युद्ध करते हुए मारे गए**,** जबकि बहुत सारे राजपूत शासक मुगलों की शर्तों को मानते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिया।**"**

ये हर मुस्लिम शासक **2-4** हजार सैनिक लेकर आया और राजपूतों की **25-50** हजार सेना को चंद घंटो या दिनों में ही परास्त कर दिया। आखिर कैसे**?**

अब मुगलों का दौर आता है **-** मुगलो के काल में ही वेदों ने वृहद पुस्तक का रुप लिया था। अब मुगल सम्राटों के साथ मिलकर ब्राह्मणों ने बौद्ध सम्पदा मिटानी शुरू कर दी थी। उनकी जगह पर मंदिर बनाना शुरू कर दिया था। और इस काल में धार्मिक किताबें उल्टी सीधी लिखी गई जैसे रामचरितमानस**,** रामचरितमानस इसमे जाति व्यवस्था को मजबूत किया गया और सभी नीची जातियों को गाली दी गई। इसके विरोध में ही वाल्मीकि रामायण के अनुयायों ने तुलसी गोस्वामी को बहुत मारा पीटा व परेशान किया था और उसका नाम शूद्र पर यानि तुलसी गोस्वामी से तुलसीदास कर दिया। इसके अलावा इस समय मुगलों को खुश करने के लिए भविष्यपुराण में अकबर की कहानी अलग से जोड़ी गई व रानी विक्टोरिया का नाम भी जोड़ा**,** व अल्लाह उपनिषद भी लिख डाला। रामायण**,** उपनिषद जैसे सभी पूर्व की पुस्तको में कुछ न कुछ शुद्धिकरण करते हुए। परिवर्तित रूप में लिपिबद्ध करते हुए बाजार में प्रसारित करने लगे। अब ब्राह्मण इतना सब कुछ कर रहे थे मुगलों के लिए तो**,**वह कहाँ पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी- अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब-खाना (पुस्तकालय) स्थापित किया था। इसी पुस्तकालय में रामायण**,** महाभारत**,** भागवत और कथा ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद सम्पन्न हुआ। अकबर के आदेश पर तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान अब्दुल कादिर बदांयुनी ने रामायण का फारसी भाषा मे अनुवाद किया था। इसके अनुवाद में इसको **4** साल का समय लगा था। यह **1584-1589** ई० तक चला था। इसके अनुवाद में संस्कृत श्लोकों की व्याख्या के लिये कई संस्कृत विद्वानों से सहायता ली थी। इसके कथा के विभिन्न प्रसंगों का स्थान स्थान पर चित्र बनाया गया है। सम्पूर्ण अनुवाद में कुल **165** चित्र बनाये गये थे। चित्र बनाने का कार्य **1587** ई० में प्रारंभ किया गया। लेकिन इसकी मूल प्रति आज उपलब्ध नहीं है। पर उसकी दूसरी प्रतियों में से एक प्रति जयपुर**,** राजस्थान के सवाई मानसिंह संग्रहालय में है। इस प्रति को वहां के राजा मुगल शासन के उत्तराधिकारी ने उपहार स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रति में **365** प्रष्ठ इस अनुवाद में कुल **176** चित्र है। इसमें एक चित्र पर दो चित्रकारों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। रामायण की इस प्रति में **1654** ई० की शाहजहां की तथा **1658** व **1661** ई० की औरंगजेब की मुहर लगी हुई है।

अकबर की अनुमति से रामायन की दो और प्रतियां तैयार करवाई थी एक कवि अब्दुल रहीम खानखाना के लिए यह प्रति "फ्रीर आर्ट गैलरी" वाशिंगटन मे सुरक्षित है। इसमे **130** चित्र है। दूसरी प्रति अकबर ने अपनी माता हमीदाबानू बेगम को दी इसमें **55** चित्र है। यह प्रति वर्तमान में ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इस्लामिक संग्रहालय में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में रामायण के दो अन्य फारसी अनुवाद किये गये थे। ये अनुवाद मुल्ला शेख सादुल्लाह और गुलाम दास द्वारा किया गया था। मुल्ला शेख सादुल्लाह ने बनारस से **12** साल संस्कृत की पढाई की, फिर फारसी में रामायण की रचना की थी। इनके चित्रों में सुनहरा और चमकदार रंग देने के लिए सोने-चांदी के पानी का प्रयोग हुआ। तथा इनके चित्रों में आपको मुगल शैली देखने को मिलेगी। **1623** ई० में फारसी के कवि शेख साद मसीहा ने भी 'दास्ताने राम व सीता' शीर्षक से रामकथा लिखी थी। इसके अलावा शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने भी रामायण का फारसी में खुद अनुवाद किया था। लेकिन यह रामायण 'बिस्मिल्लाह-ए-रहमान अर-रहीम' से शुरू होता है।

मुगल काल में **23** से ज्यादा बार फारसी में रामायण को लिखा गया। इनमे से कुछ मूल संस्कृत से अनुवाद किया व अन्य तुलसीदास की रामायण पर आधारित था। इस्लाम में किसी भी जीव-जन्तु सहित प्राणी का चित्र बनाकर रखना या अपने साम्राज्य में स्थापित करवाने की मान्यता नहीं रही है। फिर भी मुगल काल में प्रचलित मुद्राओं पर शेर, सूर्य, बिच्छु,राम-सीता, मछली, गाय, गैंडा, हिरण, जैसे चित्रों का मिलना काफी मात्रा में हुआ है। इसी मुद्रा प्राप्ति के क्रम में एक मुद्रा पेशवा काल की मिली है। यह वही पेशवा है। जिसने औरंगजेब के साथ मिलकर शिवाजी महाराज के साम्राज्य को खत्म करते हुए पेशवा शाही स्थापित की थी। उस पेशवा के पंत प्रधान ने शिवाजी, संभाजी महाराज की शौर्यता भरी यादों को दबाने के लिए गणपती के नाम पर के मुद्रा और 'गुड़ी पड़वा का प्रचलन करवाया। गणपती महोत्सव मनाना गलत नहीं लेकिन उसके पीछे की मंशा से नफरत है मुझे। यह गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस मुद्रा पर फारसी और नागरी दोनो लिपि द्वारा एक ओर श्री गणपति। दूसरी ओर श्री पंतप्रधान अंकित करवाया था। हर मुगल सम्राट के दरबार में धूर्त भ्रमभाटों का स्थाई निवास सलाहकार के रूप में हो गया था। मुगलो की बस अपनी ऐशो आराम की जरूरत थी। इससे सम्राट के वास्तविक जनता से लगभग सभी संबध खत्म हो गये। अब बहुसंख्यक जनता पर हो रहे अत्याचार की खबर लेने वाला कोई भी सम्राट नहीं था। अब तो सिर्फ अपने दरबारियों की आंखों से ही अपनी राज-सत्ता को देखना सुनना सुहाना लग रहा था।

ये इतना भी आसान नहीं था यहाँ ब्राह्मणों ने तो मुगलों की गुलामी स्वीकर कर ली वैसे ये गुलामी नहीं समझौता था। कि मुगल हिन्दू धर्म में कोई दखल न देगा और ब्राह्मण का काम था कि कोई भी भारतीय मुगलों को भगायेगा नहीं? कुछ गुलाम हिन्दु राजाओं ने इस्लाम धर्म

स्वीकार कर लिया, जिनमें राजपूत अब पठान के रूप में और ब्राहाण शेख के रूप में जाने या पहचाने जाते हैं। कुछ हिन्दू राजा मुस्लिम शासकों के दरबार में सेनापति या किसानों से लगान बसूल करने का काम करने लगे। मुस्लिम शासको ने कुछ वर्षों बाद अपने अधीनस्थ लगान बसूल करने वालों को छोटा-छोटा रियासतदार बना दिया। उस रियासतदार को मुगलो के बाद अंग्रेजो ने भी आगे बरकरार रखा। जिनको हम लोग आज स्टेट या महाराज कहकर सम्बोधित करते है। इन्होंने मुगल और अंग्रेजो के हित के लिए ही किसानों से लगान बसूलने का काम किया जैसे - उदयपुर स्टेट, ग्वालियर स्टेट, जगदीशपुर स्टेट, जोधपुर स्टेट, प्रतापगढ़ स्टेट, दरभंगा महाराज, हथुआ स्टेट, डुमराव स्टेट इत्यादि।

1500 ई**0** के बाद से भारत के अंदर जितने भी मुगलकालीन राजपूत महल देखने को मिलते हैं। या देखते है। उनमें से कोई भी राजा का किला नहीं था। बल्कि मुगलो के रियासतदार का किला था। जो मुगलो के साथ रहकर यहा की आम जनता की सम्पत्ति को लूटकर काफी सम्पन्न हो गए थे। **1757** ई० तक व्यावहारिक रूप से सत्ता अग्रेजो के हाथ में आ गई थी। अब ये सारे रियासतदारों (मुगल रियासतदार और हिन्दू रियासतदार) ने अंग्रेजी सरकार सरकार की गुलामी स्वीकार कर ली। और जिन्होने ऐसा नहीं किया उनके राज्यों को अंग्रेजो ने जबरदस्ती कब्जा में ले लिया। यह रियासतदार किसानों के साथ सामंतवादी व्यवहार करते हुए मनमानी लगान बसूल करने लगे। तथा अपने आपको उस रियासत का राजा घोषित करवाने लगे। पहले के समय में शिक्षा का अभाव से जनता इनको राजा समझती थी। लेकिन अब लोग शिक्षित होने लगे थे। तो अब जनता इनको राजा नहीं मानती थी।

राजपूतों पर आज के तथाकथित पंडितों का मानना है। कि यह ब्राह्मणी परम्परा मूल क्षत्रिय वर्ण है। क्योंकि इसी क्षत्रिय वर्ग द्वारा सभी समाज और देश की सुरक्षा होती थी। क्षत्रिय यानी राजपूत को देशों समाज को रक्षक बोला जाता था। **950** ई० के बाद से क्षत्रियों द्वारा कौन सी समाज देश की सुरक्षा प्रदान की अगर इन राजपूतों ने सुरक्षा प्रदान की थी तो गौरी, तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद,लोदी, बाबर जैसे लोग कैसे आ गए?

ब्राह्मणों से मुगलों का गठबंधन हो जाने के बाद अब भारत में इस्लामीकरण का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और मुस्लिम सांमती सैनिको द्वारा सरेआम महिलाओं से बलात्कार करना शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए हिन्दू महिलाओं के अंदर "गोदना प्रथा" चली थी। जिसको इस्लाम के अंदर अछूत माना जाता है। (इस्लाम में फोटो वर्जित है) इससे महिलाएं मुगलों के अत्याचार से बचने लगी। गोदना प्रथा को ब्राह्मण और राजपूत महिलाओं को छोड़कर हिन्दू समाज की सभी महिलाओं ने अंगीकार किया था। वर्तमान में भी आप इसे आस पास देख रख सकते हैं। यानि की ब्राहाण - राजपूत मुगलों के साथी थे। जिस वजह से उनकी महिलायों को मुगलो से किसी भी प्रकार का भय नहीं था। इसलिए उन्होंने गोदना प्रथा नहीं अपनाई। गोदना

प्रथा को देखकर मुगलो के सलाहकार ब्राहाण और राजपूत मुगलों को और भी ज्यादा उग्र करने का काम करने लगे। अब सरेआम मुगलो ने खुल कर हिन्दुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया था। **16** वी सदी में इससे दुःखी होकर हिन्दुओं की ओर से एक संगठन स्थापित हुआ। जिसका नाम "सिख खालसा" था। इसके सस्थापक गुरुनानक थे। ये ग्राम -तलवंडी (अब ननकाना साहब) लाहोर के रहने वाले थे। इस बीच बहुत सारे लोग न्याय के लिए खड़े हुए जिनमें - कबीरदास, रैदास, तुकाराम, थे। सिख खालसा में मुगलो से लडाई की लिए एक सेना बनाई इसके लिए गुरु नानक ने प्रत्येक परिवार से उनके बडे बेटे को मांगा और लोगो ने अपना बडा पुत्र इनको समर्पित कर दिया। गुरु नानक ने इसको सरदार बनाकर युद्ध शिक्षा दी। और एक नारा दिया। "जो बोलो सो निहाल सत श्री अकाल ! वाहे गुरु जी दी फतह वाहे गुरु जी दा खालसा" आदि। आज हम इनको सिख या सरदार कहते हैं। उस समय जितनी भी जातियां दुखी थी सिख या खालसा पंथ के अंदर वे सारी जातियां मिल जाएगी। जैसे- जाट सरदार, गूजर सरदार, सैनी, धोबी, बनिया, वाल्मीकि, जाटव आदि। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य तब होता है। जब हम पाते है। कि इसमे ब्राह्मण सरदार या राजपूत सरदार इसके अंदर एक भी नहीं मिलता। क्या ब्राहाण और राजपूत पर उस समय अत्याचार नहीं हो रहा था। इससे साफ जाहिर होता है। उस समय का राजपूत कहीं या किसी भी दृष्टिकोण से क्षत्रिय नहीं था। मुगलों से लड़ने वाले दूसरे महाराजा शिवाजी महाराज हुए। **1757** ई० के बाद व्यावहारिक रूप से **1857** ई० तक सैद्धांतिक रूप से भारत के शासक मुगल वंश के बादशाह बने रहे। भारतीय सत्ता मुगलो के हाथो से अंग्रेजो के पास पहुंच गई थी। अंग्रेजी सरकार ने, मुगलकाल के जितने भी चाटुकार और दरबारी थे। उनको निचले स्तर के चाटुकारिता के लिए रखा जबकि मुस्लिम जागीरदारों को भरोसेमंद चाटुकार के रूप मे रखा। क्योंकि अंग्रेज ब्राहाणों को पहचान चुके थे। इसलिए अंग्रेजो ने सबसे ज्यादा बड़ी रियासते मुगलो को दी और बची हुई रियासतें राजपूत और ब्राह्मण को दी थी। इन रियासतो का काम सिर्फ किसानों से लगान वसूल करने का होता था।

अंग्रेजों ने प्रथम बार **1872** ई० में भारत में जनगणना अग्रेजो (लॉर्ड मेयो) ने कराई थी। यह जनगणना बाह्मणों की साजिश की वजह से मनुस्मृति में अंकित चार वर्णों के अनुसार करवाई गई थी यानि की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अंतिम जनगणना भी **1931** ई० में अंग्रेजो ने करवाई। जिसमें पहले हुई वर्ण की जनगणना को अब जाति आधारित करते हुए ब्राह्मण वर्ग की ब्राह्मण जाति,क्षत्रिय वर्ण की राजपूत जाति, वैश्य वर्ण को **100** से भी अधिक उपजातियों में बांटते हुए। अंत में शूद्र वर्ण के अंदर **6500** से ऊपर उपजातिया में बांटते हुए भारतीय समाज को छिन्न-भिन्न कर दिया गया। जिससे खासकर पूरे भारत का कृषक वर्ग **1500** उपजातियों में बंटकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इस विभाजन से अंग्रेजों को ब्राह्माणों द्वारा यहां की बनाई गई झूठी वर्ण और जातीय व्यवस्था की कमजोरी का पता चला।

ब्राह्मणों द्वारा नीची जातियों पर जुल्म करते देख अंग्रेजो ने पूरे भारत के अंदर भोले-भाले गरीब, सबसे अशिक्षित और उस समय के सबसे अछूत माने जाने वाले इलाको में जाकर ईसाई संगठनों की स्थापना करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी हिन्दू ईसाई बनना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजो ने लगान वसूल करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए नई व्यवस्था बनाई, जिसके अंतर्गत निचले स्तर का जमीदार यदि अपने कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं होता था या लगान बसूल की प्रक्रिया में कमी दिखती, तो उसकी जमींदारी को बेचा या नीलाम किया जा सकता था। और उस नीलामी प्रक्रिया में उस इलाके का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता था। इसी वजह से बाद के समय में कुछ कृषक रैयत परिवार (आज का पिछडा समाज) भी इस नई जमींदारी प्रक्रिया में भाग लेकर उस जमींदारी का कुछ भाग खरीद कर जमींदार बनने लग गया।

प्रथम तथ्य - कुछ किसान परिवार के लोगों ने लगभग **1800**ई० के बाद से मेहनत और बचत करते हुए अंग्रेजी सरकार के अंदर एक आना से लेकर सोलह आना (उस जमाने की एक प्रकार की हिस्सेदारी मापने का तरीका) तक की जमींदारी खरीदी। इसके प्रमाण के रूप में देश के कुछ भागों में नए प्रतिष्ठित जमींदार परिवारों को आज भी देख सकते है।

द्वितीय तथ्य - अंग्रेजी सरकार को समाचारपत्रों के माध्यम से और सामाजिक संगठनों के दबाब में आकर नहीं चाहते हुए भी अपने अधीनस्थ दरबारी और रियासतदारों के ऊपर कुछ बंदिशों को लगाना पड़ा, जिसकी वजह से इन दरबारी और रियासतदारों ने अपने स्वामी अंग्रेजो के विरुद्ध आवाज भी उठाई थी उस समय विस्तारवाद के पीछे अंग्रेजो की दो सोच हमेशा रही-

पहली - आर्थिक दोहन करना।

दूसरी- ईसाइयत का प्रचार करना।

मनुस्मृति चार बनाई गई थी- बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी वह सतयुग के लिए थी। त्रेतायुग के लिए गौतमधर्मसूत्र, द्वापरयुग के लिए शंखस्मृति कलयुग के लिए पराशरस्मृतिक

इन किताबों का अध्ययन करने पर पता चलता हैं कि इनमे सारा का सारा मटेरियल द्वैतवाद का है। यानी **11** वीं सदी का रामानुजाचार्य का अवतार वाला धर्म,

पारसी

जेन्द अवस्ता किताब- इस प्रकार संध्या-वन्दना के साप्ताहिक पाठ में महर्षि जरथुस्त्र की वाणी सुनते सुनते उस अतिप्राचीन मानव-धर्म के प्रति मेरी रूची बढ़ती गई। इससे पहले शास्त्रीय भाषा इब्रानी एवं अरामी के अध्ययन से मुझे पता चला था कि प्राचीन इसरायल देश के लोगों पर फारसी साम्राज्य का बड़ा प्रभाव पड़ा। जब विदेशी आक्रमण के कारण बहुत से इसरायली लोग बंदी बनाये गये और बेबिलोन में निष्कासित हुए, तो बंदियो को-आशा दिलाने के लिए उनमें एक नबी बोल उठा कि हमारे उद्धार के लिए प्रभु परमेश्वर ने प्राचीन ईरान के राजा कुस्रू को अपना अभिषिक्त सेवक और अपनी प्रजा का चरवाहा नियुक्त किया है, ताकि वह महाप्रभु के समस्त अभिप्रायों को पूरा करे। राजा कुस्रू से प्रभु यों कहता है।: "राष्ट्रों को तेरे अधीन करने के लिए मैने तुझे सामर्थ्य प्रदान की है। मैं ही प्रभु हूं। मुझे छोड़ दूसरा प्रभू नहीं है। मैं ही प्रकाश का उत्पन्न कुरने वाला हूं, मैं ही अंधकार का स्रष्टा हूँ। मैं ही कल्याण का देने वाला, मैं ही विपत्ति का ढाने वाला हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। इसलिए प्रजा के लिए प्रभु की यह वाणी है: “ओ आकाश, धर्म की वर्षा कर ओ आकाश-मण्डल, धार्मिक बरसा। मैंने ही राजा कुस्रू को सत्कार्य के लिए उभाड़ा है, मैं उसके सब मार्गो को सफल बनाऊंगा। मूर्ति बनानेवाले सब के सब लज्जित, भ्रमित और आतान्कित हो गए। मैं ही प्रभु हूँ। मैं केवल सच बोलता हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़ दूसरा धार्मिक और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं है। लोग मेरे विषय में यह कहेंगे: केवल प्रभु में ही बार्मिकता और सामर्थ है।

(प्राचीन काल में जिसकी लाठी उसकी भैस होती थी यानी हर कोई मुंह उठाके नबी बन जाता था। नबी बनते ही व्याख्या करने लग गया कि धरती ऐसे बन गई, सूरज ऐसे जल गया आदि। खुद से बोलते जाओ गप हांकते जाओ और बन जाओ खुदा के पैगम्बर)

प्राकृत शब्द बमण (ब्राह्मण) को इसी जेंद अवेस्ता की किताब में मगूश कहा गया है। मतलब पारसी अपने पुरोहित को मगूश कहते थे। (लेकिन भारत में बमण शब्द पुरोहित नहीं होता था)

इन लोगों का पहनावा - कमीज "सुदरेह" और कमरबन्द "कुस्ती"

प्रायः **10** साल की उम्र में जरथुस्त्री परिवार के हर बालक-बालिका को ‘नवजोते’ के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होना पड़ता है। उस दिन वह धर्मसमाज के सामने खडे होकर प्रभु अहुर-मज्द के द्वारा महर्षि जरथुस्त्र पर प्रकट की गई, धर्मव्यवस्था को स्वीकार लेती या लेता है। उसे नवजोत और नवीन आराधक माना जाता है। और प्रतीक स्वरूप उसे सुदरेह नामक कमीज

पहनाई जाती है। जिस पर कुस्ती नामक कमरबन्द भी बंधवाया जाता है। (जैसे ब्राह्मण अपने बच्चे का जनेऊ करता है। यह वैसे ही करते है या एक मुस्लिम, बच्चे का अंग भंग जैसा कुछ करता है और तब वह मुस्लिम बनता है) सुदरेह को शुद्ध श्वेत रंग की मलमल अथवा सूती कपडे से सिलवाते हैं। वह नीम आस्तीन कमीज की तरह दिखाई देता है। परन्तु उसे निज बानियाइन की तरह बदन पर ही पहनते है।

अब यह व्यक्तिगत स्वधर्म निभाने का संकेत हैं। सुदरेह की बनावट से सात बातों की धर्मशिक्षा मिलती है।

कमरबंद **-** यह भेड़ के ऊँन से बुना विशेष कमरबन्द है। यस्न ग्रंथ के **72** हा-अध्यायों की संख्या के अनुसार इसमें **72** धागे है। इसका तात्पर्य है कि भक्त उपासक अपने जीवन को प्रभु स्तुति में एक यस्न अर्थात यज्ञ- यजन बनाना चाहता है। कुस्ती के दोनो छोरो पर **24** धागों के **3-3** झब्बे हैं। इसका अर्थ है। कि उपासक दिन भर के **24** घण्टों में तीन प्रकार से-सु-विचार से, सु-वचन से, सु-व्यवहार से (यह भी बुद्ध,धम्म, संघ जैसा है) धार्मिकता का जीवन बिताना चाहता है। और इसलिए कमरबन्द को **3** बार लपेटकर सभी बुराइयों से संरक्षण की शक्ति मांगता है।

यस्न (यज्ञ) यहां पर यज्ञ करते है बीच में आग जला लेते हैं। चारों ओर सामग्री रख लेते हैं। फिर अग्नि मे मंत्र पढकर डालते रहते हैं। निःसंदेह अनुष्ठानिक विधियों का विकास और नियोजन महर्षि जरथुस्त्र के जीवन काल के बाद हुआ। फिर भी पंचगाथा में प्रयुक्त कुछ शब्दों से पता चलता है। कि पहले भी सोमरस निचोडने और मन्त्रोच्चारण के साथ होम करने का प्रचलन था।

यज्ञ करने की सामग्री- अगियारी (हवन कुण्ड), अग्नि वेदी (मसाल जैसा)। आसन, श्वेत रंग शुद्धता का प्रतीक-फर्श पर सफेद चादर, पुरोहित के सफेद वस्त्र और मुंह ढकने का सफेद वस्त्र**……..**सामग्री रखने एवं तैयार करने की मेज, जोर (आशीषित जल) की कुण्डी और पात्र, धूप, चन्दन, घी, दीप, चिमटा, चमचा, दूध की कटोरी, रोटी की तश्तरी, फल फूल आदि के लिए थाली ।"

भारत में पारसी कब- सामान्य संवत् पूर्व छठी सदी के मध्य में (यानी ईसा से **600** साल पहले) फारस देश (प्राचीन ईरान) पर केन्द्रित विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रीय धर्म का उपास्य देव अहुरमन्द ही था, (जैसे भारत में इन्द्र है,पारसी आज भी अहुरमन्द को ही मानते है लेकिन ब्राह्मण ने इन्द्र को छोड दिया है। उसे बलात्कारी बना दिया है। यह बलात्कारी विदेशी ब्राह्मणों ने ही बनाया था) जिसका संदेश महर्षि जरथुस्त्र ने इससे पहले सुनाया था। परन्तु सामान्य संवत् पूर्व **333** में यूनान के राजा सिकन्दर ने फारस के साम्राज्य को पराजित किया और आठ सदियों के बाद **636** सामान्य संवत् में अरब आक्रमणकारियों ने पुनर्स्थापित फारसी साम्राज्य पर अपना

अधिकार जमाया। अपने जरथुस्त्री धर्म की रक्षा हेतु अनेक फारस वासियों ने उन देशों में शरण ली, जहाँ पहले भी व्यापार के सम्बन्ध थे। जो "फारसी" शरणार्थी भारत की ओर निकल गए। वे यहां अपभ्रंश में पारसी कहलाए।

(जो लोग यह कह रहे थे सिन्धु को हिन्दु कह दिया क्योंकि स' बोलना नहीं आ रहा था तो वह फारसी का 'स' और पारसी का 'स' कैसे बोल रहे थे। उन का पहला समूह शायद **8** वीं सदी के अन्त में मध्य एशिया के खुरासान प्रदेश से गुजरात के दीऊ द्वीप पर आ पहुंचा। स्थानीय शासक 'जाडी राणा' ने उन्हे शरण दी, पर साथ में यह शर्त रखी कि वे स्थानीय बोली और रीति रिवाज अपना लें। (**8-9** सदी का अरबीयों का नक्शा मिला है। वह भी व्यापार करने आते थे तो उन्होंने गुजरात को बुद्धदेश' लिखा है।)

(कुषाण, शक, हूणों,ने भी यहां के रीति रिवाजों को अपनाया था)

पारसी शरणार्थियों ने अपनी पहली बस्ती को 'संजान' नाम दिया क्योंकि इसी नाम का एक नगर उस प्रान्त में हैं। जहां से वे आये थे। संजान में पारसियों के बसने की जानकारी "किस्सा-ए-संजान" में उपलब्ध है। जिसकी रचना ब्रहमान कैकोबाद" द्वारा **16** वीं सदी के अन्त में की गयी थी। कुछ वर्षों के बाद एक दूसरा समूह आया, जो अपने साथ धार्मिक उपकरण लाया। तब स्थल मार्ग से एक तीसरे समूह के आने का उल्लेख है। ये पहले दो जहाज के रास्ते से आये थे। पारिसियों ने ईरान से बचाकर लाए गये पवित्र अग्नि 'अताश बहराम' को स्थापित करने के लिए संजान में एक मंदिर का निर्माण किया। भले ही इन्होंने स्थानीय भाषा और रहन सहन को अपना लिया था पर अपनी संस्कृति और धार्मिक परम्पराओं को संजोये रखा। आगे चलकर वे गुजरात के अन्य भागों में भी बसने लगे। **15** वी सदी में संजान पर तुर्कियों के द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण पारसी जान बचाकर पवित्र अग्नि को साथ लेकर नवसारी चले गये। **1516** में वह पवित्र अग्नि वहां के मंदिर में स्थापित हुई। परंतु पुरोहितों के आपसी झगडे के कारण वही पवित्र अग्नि "उद्द्वदा " स्थानांतरित की गई। सन् **1620** के आसपास सूरत में अंग्रेजो की फैक्ट्री स्थापित हुई और सूरत एक प्रमुख व्यापारिक अड्डा बन गया । बड़ी संख्या में पारसी कारीगर तथा व्यापारी सूरत में आकर बसने लगे। जब बॉम्बे भी अंग्रेजो के हाथ लग गया, तब कर्मठ पारसी वहां भी चले। दोराबजी नानाभाई नामक एक पारसी के **1640** में मुम्बई में पाए जाने का प्रमाण है। बम्बई के मालाबार हिल में अंग्रेजो ने पारसियों के प्रथम दाख्मा (शव निपटान बुर्ज) के लिए जमीन दी, जो सन **1673** में बना। और पवित्र अग्नि का मंदिर जो सबसे पुराना है। **1709** में बना। आज भी बम्बई के हृदय स्थल में पारसियों का एक अग्नि मंदिर स्थित है। जिसे आतश गाह पारसी अगियारी कहते हैं। **1849** में पारसीयो द्वारा एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई। पूरे विश्व में पारसियों की संख्या **2,00,000** से भी कम रह गयी है और भारत में उनकी आबादी लगभग **70,000** है।

जमशेदजी टाटा पारसी है। पारसीयों में भी **4** वर्ण होते हैं। और चौथा वर्ण **"** शूद्र नहीं कारीगर होता है। **(** पारसी जब अन्य धर्म के लड़का/लड़की से विवाह कर लेते हैं। तो उनका जो बच्चा होगा वह पारसी नहीं कहलायेगा लेकिन ब्राह्मण किसी अन्य जात से शादी कर लेगा तो **7** पुस्तों बाद वह ब्राह्मण बन जाएगा **)**

ये **"**नौरोज **"** **(**नववर्ष**)** मनाते हैं। **(**ब्राह्मण भी नौरात्रि मनाता है**)** पृथ्वी**,** अग्नि**,** जल को पवित्र माना जाता है एक ऊंचे बुर्ज **(**दाख्मा**)** पर मृत देह को छोड दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी**,** अग्नि जल को दूषित होने से बचा लेते हैं। अब उस लाश को चील**,** गिद्ध खा जाते है। **(**जब अलबरूनी आया था तो उसने भी लोगो के मुंह से यही सुना था**)**

बहुत सालों से मुंबई में रहने वाले पारसी लोग अपने मृत सगे संबधियों के शवों के लिए मलाबार हिल स्थित 'टावर आफ साइलेंस' का अन्तिम विश्राम के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं। समस्या यह है कि शहर में गिद्दों की संख्या कम हो गई हैं। अत**:** शवों को राख में बदलेन के लिए और भट्टियों का प्रयोग करना पड़ रहा है।

यज्ञ मंत्र**-** जब पारसी धर्म के जोतृ **(**होता**,** पुरोहित**)** तथा रास्पी **(**सह**-**पुरोहित**)** पवित्र अग्नि की वेदी के समक्ष यस्न **(**यज्ञ**)** के स्तोत्र गाते हुए अनुष्ठान की विधियां आरम्भ करते हैं। तो बार**-**बार प्राचीन ईरानी**-**आर्य भाषा में मन्त्रों का उच्चारण करते है। जब वे कुण्डी में जल डालते**,** मेज पर दूध का प्याला और रोटी की थाली रखते है। अथवा होम **(**सोम**)** का रस निचोडने के लिए कटी हुई टहनियाँ तैयार करते हैं। तो विशेषकर अहुन**-**वइर्य नामक प्रथम गाथा मन्त्र का प्रयोग करते है। इस मन्त्र के तीन पद हैं। परंतु बहुधा केवल प्रथम पद को ही दुहराया जाता है। यह इस प्रकार सुनाई देता है **- "**यथा अहू वइर्यो अथा रतुश अषात**-**चीत् हचा**"** बाद में सम्पूर्ण अहुन**-**वइर्य मन्त्र के एक**-**एक शब्द का विश्लेषण किया जाएगा।

जेंद को अवेस्ता की उत्पत्ति **-** यह अपने को ईसा से **3500** साल पहले बताते थे। लेकिन इनकी पोल सिकन्दर के समय में लिखी एक किताब बुन्दाहिश्न ग्रन्थ से खुल गई। इसमें उल्लिखित परम्परा के अनुसार यूनानी राजा सिकन्दर के **258** वर्ष पहले अर्थात सामान्य संवत **588** में उस क्षेत्र के शासक वीश्तास्प ने महर्षि जरथुस्त्र के धर्मप्रवचनों को मान्यता प्रदान की। उस समय महर्षि जस्युश्त्र की उम्र **40** थी। यानी अब जरथुस्त्र ईसा से **500-600** साल पहले तक का था। **3500** साल पहले तक का नहीं।

व्याख्या सहित अवेस्ता को जेन्द अवेस्ता कहते हैं।

आरंभ में महर्षि जरथुस्त्र के अनुयायी उनका संदेश मौखिक परम्परा में संजोए रखते थे। वे सर्वोच्च प्रभु, अपने ईष्ट ईश्वर की उपासना 'अहुर मज्द' के नाम से करते थे। जो संस्कृत में असुर होता है।

जेन्द अवेस्ता की ही किताब से पता चलता है कि इसे 10 वीं सदी में कम्पाइल किया गया। जब यह कम्पाइल किया गया तो उस समय की भाषा का प्रभाव इस पर पड़ा। यहां पर लिखावट के सबूत मिले है। जो पहलव लिपि, अवेस्ती लिपि, अरमाइक लिपि (लेकिन इनकी लिपि का नाम अवेस्ती लिपि थी)

अवेस्ती लिपि से 224 से 651 सामान्य संवत् मे डिजाइन हुई थी। (इस समय भारत में नागरी लिपि आई थी।) जेंद अवेस्ता लिखने के लिए 14 स्वर और 25 व्यंजन (जो हलंत् अर्थात जा स्वर रहित है) की जरूरत है। (लेकिन भारत की धम्म लिपि में हलन्त नहीं था।)

मुगल

"विदेशी या देशी, जितने भी आक्रमणकारी या राजा होते थे, वह पुजारियों / भिक्षुओं की जल्दी हत्या नहीं करते थे, यानी न के समान हत्या करते थे। चंगेज खान ने भी किसी **Priest** की हत्या नहीं की, तैमूर लंग ने भी नहीं की। दारा शिकोह के पक्ष में खंचाकी ब्राह्मण था। जब औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवाई, तो यह जानते हुए भी कि चन्द्रभान ब्राह्मण दारा शिकोह के साथ था, तो भी उस ब्राह्मण की हत्या उसने नहीं करवाई।

ब्राह्मणों ने मुगलों की गुलामी की, लेकिन औरंगजेब के समय पेशवाओं को लगा कि हमको भी अब राज करना चाहिए। इसलिए वह मुगलों से गद्दारी करने लगे थे, लेकिन इससे पहले चाटुकारिता कर रहे थे।

कहते हैं कि औरंगजेब हर रोज उतने ब्राह्मणों को मारा करता था कि उनके जनेऊ को तोलो तो वह सवा मन जनेऊ बैठते थे। अब सवाल यह है, फिर भी औरंगजेब ने ब्राह्मण चंदर भान को अपना खंचाकी **(Economic System)** बना रखा था। दरअसल, चंदर भान एक मुंशी थे, जिन्होंने **1630** से **1660** के दशक तक मुगल दरबार में सेवा की। वह एक कुशल फारसी कवि और गद्य-शैलीकार था। उसने अकबर **(1556–1605)**, जहांगीर **(1605–1627)**, शाहजहां **(1628–1658)**, और औरंगजेब आलमगीर **(1658–1707)** के शासन में इतना काम किया था।

दूसरी बात यह है — कोई भी ब्राह्मण ने औरंगजेब से लड़ाई नहीं लड़ी।

प्रश्न:

"औरंगज़ेब ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया या उन्हें सत्ता के लिए इस्तेमाल किया?" *(क्या हिंदू खुद औरंगज़ेब के साथ थे? क्यों?)*

⬤ **1.** सच्चाई: औरंगज़ेब के दरबार में हज़ारों हिंदू थे

■ प्रशासन में हिंदू अधिकारी:

- मुगल दरबार के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, क़ानून-लेखन, सेना और कूटनीति में बड़ी संख्या में ब्राह्मण, कायस्थ, और राजपूत शामिल थे।
- इनके बिना शासन चलाना असंभव था क्योंकि ये क्षेत्र, भाषा, भूमि और प्रजा के विशेषज्ञ थे।

👤 नाम	📜 पद	🔍 भूमिका
चंदरभान ब्राह्मण	मुंशी / खंजाची	राजस्व व वित्तीय सलाहकार **(1630-1660** तक**)**
राजा जयसिंह	सूबेदार	शिवाजी को पकड़ने की योजना में भूमिका
राजा जसवंत सिंह	सेनापति	औरंगज़ेब की तरफ से दक्षिण में लड़े
राजा बुध सिंह	सहयोगी	कई सैन्य अभियानों में साथ
हिंदू लेखपाल वर्ग (कायस्थ व ब्राह्मण)	प्रशासनिक अमला	जमीन, कर, कानून, फ़ारसी भाषा में दक्ष

डॉ. सतिशचंद्र के मुताबिक़ –

"1660 के बाद भी औरंगज़ेब के प्रशासन में करीब **31-33%** उच्च पदों पर हिंदू अधिकारी थे।**"**

⚫ **2.** मंदिर तोड़े गए – पर किस समय और क्यों?

🔥 तथ्य	🔍 कारण
1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देव मंदिर तोड़े	वहाँ की जनता ने बग़ावत या हिंदवी स्वराज की हवा दी

कई मंदिर राजनीतिक विद्रोहियों के केंद्र बन गए थे	जैसे आज मीडिया हाउस या **NGO** हो
कुछ मंदिरों को राजकीय संपत्ति के रूप में जब्त किया गया	सत्ता को चुनौती या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

औरंगज़ेब ने हर मंदिर नहीं तोड़ा, बल्कि सिर्फ वहाँ तोड़ा जहाँ से विद्रोह की गंध आई।

उदाहरण:

- *तिरुपति मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, त्रिवेंद्रम का पद्मनाभस्वामी मंदिर* – इन पर कोई आक्रमण नहीं हुआ।
- क्यों? क्योंकि ये मुगलों की सत्ता को चुनौती नहीं दे रहे थे।

☐ **3.** विरोध करने वाले कौन थे?

❌ धार्मिक नहीं, राजनैतिक विद्रोही थे:

🧔‍♂️ नाम	⚔️ क्या किया?	🔍 वजह
शिवाजी महाराज	हिन्दवी स्वराज की नींव रखी	सत्ता का समानांतर केंद्र
सम्भाजी महाराज	औरंगज़ेब से खुली लड़ाई	स्वतंत्र सत्ता की चाह
गुरु तेगबहादुर	धर्म की रक्षा की	धर्मांतरण के खिलाफ खड़े हुए
महाराणा राज सिंह (मेवाड़)	सैन्य संघर्ष किया	धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा
दुर्गादास राठौड़	मारवाड़ को बचाया	मुग़ल हस्तक्षेप का विरोध

निष्कर्ष: विरोध धर्म के लिए नहीं, बल्कि *स्वराज और स्वतंत्र सत्ता* के लिए था।

✅ **4.** हिंदू क्यों औरंगज़ेब से जुड़े रहे?

🎯 वजहें:

1. प्रशासनिक दक्षता – ब्राह्मण और कायस्थ फ़ारसी में माहिर थे, शासन चलाने के लिए ज़रूरी।
2. राजनीतिक मजबूरी – हर राजा का लक्ष्य था *अपना क्षेत्र, अपनी जनता बचाना*, भले ही संधि करनी पड़े।
3. सत्ता-साझेदारी – कई राजाओं को लगता था कि मुग़ल साथ रहने से उनका क्षेत्र सुरक्षित रहेगा।

☸ **5.** निष्कर्ष: यह धर्म की नहीं, सत्ता की लड़ाई थी

"अगर औरंगज़ेब को केवल मुसलमान पसंद होते, तो वो अपने ही भाई दारा शिकोह को क्यों मारता, जो सबसे बड़ा सूफ़ी और उदार मुसलमान था?"

"अगर हिंदू विरोधी होता, तो हज़ारों हिंदू मंत्री, लेखक, मुंशी और सेनापति क्यों होते उसके दरबार में?"

"अगर ये धर्म की लड़ाई होती, तो शिवाजी जैसे हिंदू नेता कभी जयसिंह जैसे हिंदू सेनापति से नहीं लड़ते।"

✅ अब डिबेट में ये बोलो:

"इतिहास सिर्फ मंदिर-तोड़ने या जनेऊ तौलने से नहीं समझा जा सकता। वास्तविकता यह है कि सत्ता की रक्षा के लिए औरंगज़ेब ने जो भी उपयोगी था – हिंदू या मुसलमान – उसे उपयोग किया। जिसने चुनौती दी – धर्म कोई भी हो – उसे कुचला। यही कारण है कि उसके विरोध में जितने हिंदू थे, उतने ही मुसलमान भी थे।"

⚫ **1.** "सबा मन जनेऊ" का मतलब क्या होता है?

- **1** मन = लगभग **37.32** किलोग्राम
- सबा मन = लगभग **46.65** किलोग्राम **(37.32 × 1.25)**

अब सोचो — **46** किलो जनेऊ रोज़!

एक आम ब्राह्मण का जनेऊ कितना भारी होता है?

- एक जनेऊ का वजन = लगभग **5** ग्राम से **10** ग्राम

  (यह सामान्य सूती जनेऊ की बात है**)**

🔍 **2. 46** किलो जनेऊ = कितने ब्राह्मण**?**

अब हम गणना करते हैं**:**

- मान लो एक जनेऊ = **10** ग्राम
- तो **1** किलो = **1000 ÷ 10 = 100** ब्राह्मण
- तो **46** किलो = **4600** ब्राह्मण रोज़ाना

अगर जनेऊ हल्का हो **(5** ग्राम का**),** तो

46 किलो = **9200** ब्राह्मण रोज़ाना

क्या रोज़ **4600** से **9000** ब्राह्मण मारे जा सकते थे**?** क्या इतनी संख्या हर दिन मिल सकती थी**?**

● **3. 1600–1700** ईस्वी में भारत में ब्राह्मणों की अनुमानित जनसंख्या

- भारत की कुल आबादी उस समय लगभग **15–20** करोड़ थी
- ब्राह्मणों की अनुमानित जनसंख्या लगभग **3–5%** मानी जाती है
- यानी ब्राह्मण जनसंख्या = लगभग **75** लाख से **1** करोड़

अब सोचो**:**

- अगर **4600** ब्राह्मण हर दिन मारे जाएं तो

  1 साल में = **4600 × 365 = 16,79,000** ब्राह्मण

मतलब सिर्फ **2-3** साल में पूरे भारत के ब्राह्मण खत्म हो जाते**!** तो फिर **50** साल तक ब्राह्मणों की मौजूदगी कैसे रही**?**

✅ **4.** निष्कर्ष – तर्क क्या कहता है**?**

तर्क	जवाब

क्या रोज़ **4600+** ब्राह्मण मारे जा सकते थे?	नहीं, पूरी व्यवस्था ही ढह जाती
क्या ब्राह्मण खत्म हो गए थे?	नहीं, आज भी मौजूद हैं और उस समय भी उच्च पदों पर थे
क्या औरंगज़ेब ने अत्याचार किए?	हां, लेकिन इस हद तक नहीं कि सबा मन जनेऊ रोज़ इकट्ठा हो
तो ये बात कहां से आई?	अतिशयोक्ति, लोककथाओं, या धार्मिक उकसावों से उपजी कहानी

🔊 अगर कोई कहे कि – "सबा मन जनेऊ रोज़ बैठता था", तो तुम क्या बोलो?

"अगर **1** ब्राह्मण का जनेऊ **10** ग्राम का हो, तो सबा मन यानी **46** किलो जनेऊ के लिए **4600** ब्राह्मण रोज़ मारने पड़ेंगे। भारत में ब्राह्मणों की संख्या उस समय लगभग **1** करोड़ थी। अगर रोज़ इतने मारे जाते तो **2** साल में सारे ब्राह्मण खत्म हो जाते! लेकिन वास्तविकता यह है कि उस समय भी ब्राह्मण मुगल प्रशासन में ऊँचे पदों पर थे। इसलिए ये बात तथ्य से नहीं, भावनात्मक कहानी से जुड़ी है। इतिहास भाव से नहीं, तथ्य से समझो।

अकबर को भविष्यपुराण में ब्राह्मणों ने अपना भाई लिखा है। इसलिए यह अकबर को आज अच्छा राजा के रूप में दिखाते हैं और बाकी के मुगलों को बुरा दिखाते हैं। लेकिन अकबर के बेटे को हमेशा पागल के रूप में दिखाते हैं। नाटक में भी उसे पागल दिखाते हैं। देखें - 'अकबर और बीरबल' नाटक को।

डॉक्टर सुरेन्द्र कुमार अज्ञात अपनी **book** 'जाति इतिहास और स्वरूप' के **page 83** पर लिखते हैं - जातिवादी तत्त्व बहुत डींग हांका करते हैं कि अकबर की पत्नी हिन्दू थी और उसने अपने पुत्र सलीम (जो बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा) का विवाह भी हिन्दू लड़की से किया। इसके फलस्वरूप अकबर ने **1582** में दीने-इलाही नाम का नया समन्वयात्मक धर्म चलाया। इस हिन्दू समाज की पाचन शक्ति बहुत तेज है, आदि।

परंतु यहां जो बात ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि सारी डींगों के बावजूद हिन्दू तो एक भी मुगल औरत से शादी न कर पाए। मुगलों ने यदि राजपूतों की लड़कियों से शादियां कीं तो यह

एकतरफा रास्ता था। लड़की तो हिन्दू समाज से बाहर गई, अतः जाति आड़े न आई; परंतु पाचन शक्ति का तो तब पता चलता यदि मुगल औरत से शादी करते। उससे पैदा हुए बच्चे फिर कहां जाते? एक नई वर्णसंकर जाति बनती, और क्या? इन कथित तेज पाचन शक्ति वालों ने लोहे का वह चना चबाना तो एक ओर रहा, उसे मुंह के पास तक भी नहीं जाने दिया। ऐसे में किस पाचन शक्ति की डींगें मार रहे हो? यदि पाचन शक्ति होती तो जाति ही न रहती। हजारों वर्षों में जो जातिवाद को नहीं पचा सके, उन्होंने मुसलमान बने मुगल को क्या खाक पचाना था? जो अपने समाज में व्याप्त जातिवाद के जहर को न नष्ट कर सके, उन्हें मध्य एशिया में लाखों की तादाद में खुद ही उस स्थान पर गुलामों के रूप में मरना था, जो अब 'हिन्दूकुश' कहलाता है।

बाकी रही बात दीने-इलाही की। अकबर ने गाय के गोबर को तो पवित्र करने वाला घोषित कर दिया, परंतु अछूत को बराबर का इंसान घोषित नहीं कर सका। वह कर भी नहीं सकता था — जो गाय के मल को शुद्धिकारक मानेंगे, उनके लिए शूद्र पशु के समान भी नहीं, बल्कि उससे भी नीचे ही रहेगा। जब कुछ वर्ष पहले एक मृत गाय के मामले में पांच दलितों की हत्या की गई थी, तो यही सुनने को मिला था — गर्व से यही कहा गया था — कि गाय इंसान से बढ़ कर है!

दीने-इलाही के नाम पर जो आदेश जारी किए गए थे, उनकी हिन्दूवादी अन्तर्वस्तु पर टिप्पणी करते हुए प्रो. नरसु ने ठीक ही कहा है कि यही कहना पड़ता है कि गाय की पवित्रता और उसके गोबर की शुद्धीकरण की सामर्थ्य से संबंधित आदेशों के पीछे अकबर के हिन्दू सलाहकारों का उत्साह ही काम कर रहा था। ऐसे में वह जातिवाद के विरुद्ध जाने का साहस क्या खाक कर सकता था? एक तरह से इस्लाम ने वह मौका हाथ से खो दिया जब वह जातिवाद की कब्र पर समतावादी मानवतावाद का महल खड़ा कर सकता था। फलस्वरूप आज मुसलमान बनने पर भी दलित 'दलित मुस्लिम' है, जैसे वह 'दलित ईसाई' है। पंजाबी के एक कवि ने एक विवाहिता युवती को संबोधित अपनी कविता में कहा है —"क्या प्राप्त किया तूने विवाह करवा कर?

तू एक जेल से निकल दूसरी में पड़ गई हो।"

लगभग यही बात दलित मुस्लिम या दलित ईसाई से कही जा सकती है।

इतिहासकार **Lenpul** के अनुसार - मुगल काल में ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, क्योंकि वह मुस्लिम शासकों से यह कहते थे कि हम भी आपकी तरह विदेशी आक्रमणकारी हैं। यही बात राजीव पटेल अपनी किताब *जाति उत्पत्ति का भ्रम जाल* के **page 11-12** पर लिखते हैं, व तैमूर लंग ने भी यही बात अपनी आत्मकथा में लिखी है कि यह खुद को विदेशी बताते थे। - मुगल काल में ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था।

फिर जब अंग्रेजों का काल आया, तो तिलक जैसे ब्राह्मण नेताओं ने ***Artich Home in Vedas*** लिखकर खुद को इस देश की बहुसंख्यक आजादी से अलग बताया। और मुगलों ही की तरह अंग्रेजी हुकूमत में उनका सगा होने की कोशिश की। अर्थात जब देश को भारतीयों की

जरूरत थी, तब ब्राह्मणों ने अन्य भारतीयों यानी **OBC, SC, ST** से खुद को अलग कर लिया था। और इसी दौरान अपनी पोथी-पत्रा का निर्माण कर अन्य भारतीयों को तरह-तरह की जातियों में बांटने लगे। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी ब्राह्मण का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है। यकीन नहीं है तो सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनियां जो भी हैं, सबको देखो — उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही हैं।

अंबेडकर की नजर में - हिन्दू धर्म का चरित्र फांसीवादी / नाजीवादी विचारधारा है।

हिन्दू धर्म एक ऐसी राजनैतिक विचारधारा है, जो पूर्णतः लोकतंत्र विरोधी है और जिसका चरित्र फांसीवादी, नाजीवादी विचारधारा जैसा ही है। अगर हिन्दू धर्म को खुली छूट मिल जाए, तो ये लोग उन लोगों को आगे बढ़ने के मार्ग अवरुद्ध कर देंगे, जो हिन्दू नहीं हैं या हिन्दू धर्म का विरोध करते हैं।

- डॉ० अम्बेडकर

अब यहां हिन्दू धर्म की जगह ब्राह्मण धर्म लिखकर देखो –

अगर ब्राह्मण धर्म को खुली छूट मिल जाए, तो ये लोग उन लोगों को आगे बढ़ने के मार्ग अवरुद्ध कर देंगे, जो ब्राह्मण नहीं हैं या ब्राह्मण धर्म का विरोध करते हैं।

राजीव पटेल अपनी किताब *जाति उत्पत्ति का भ्रम जाल* के **page 10** पर लिखते हैं - **11**वीं और **12**वीं शताब्दी आते-आते भारतीय ब्राह्मण काल और राजपूत शासकों के काल में वर्ण आधारित और जाति आधारित व्यवस्था के चरमोत्कर्ष के कारण भारतीय सामाजिकता चरमरा गई थी। यह बात उस समय के देशी-विदेशी सभी लेखकों की बातों में लम्बी दास्तान के रूप में मिलती है कि उस समय के सभी राजाओं की सैनिक छावनी में हर जाति के लिए खाने की व्यवस्था अलग-अलग होती थी। भारतीय राजपूत शासक एक-दूसरे राजाओं को नीचा दिखाने हेतु विदेशी तुर्क-मुस्लिम आक्रमणकारियों से मदद लेनी शुरू कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप **13**वीं सदी के आरम्भ से ही तुर्क-मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में अपने पैर जमा लिए और क्रमशः भारत में उनकी सत्ता का विस्तार होता चला गया।

सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इसी समय बहुत सारे समाज सुधारक आगे आए, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने रक्षक क्षत्रिय शासकों के साथ मिलकर कठोर दमनात्मक कार्रवाई करते हुए कबीर आदि संतों के सामाजिक सुधार आंदोलन को दबाने का काम किया। बचे हुए समाज सुधार आंदोलन की रही-सही कसर तब और पूरी कर दी, जब बहुजनों की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों ने इस बात का प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया कि ये समाज सुधारक लोग **"**संत**"** हैं और ये ब्राह्मणी धर्मानुसार अपना मार्ग चुने हैं, इसलिए इनका समाज में मान-सम्मान बढ़ा है। आप लोग भी अगर सम्मान पाना चाहते हैं, तो हिन्दू धर्मानुसार कार्य करें**!**

अब उस बढ़ते हुए समाज सुधार आंदोलन को रोकने हेतु ब्राह्मणों ने उनके समाज सुधार कार्यक्रम को "धर्म से जोड़कर भक्ति आंदोलन या संत आंदोलन" का नाम दे दिया और लोगों के बीच में काफी प्रसारित भी किया, ताकि बहुजन लोग अपनी-अपनी जातियों के अंदर ब्राह्मणों के विषमतामूलक धार्मिक व्यवस्था के उत्थान हेतु धार्मिक आंदोलन चलाते रहें। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणों के फैलाए गए अन्धविश्वास और असमान जाति बंधन में बंधते चले गए।

मुस्लिम शासकों के काल (1206 ईस्वी के बाद से ही लागू) में जब भारतीय हिन्दू समाज पर जजिया टैक्स लगा, तब ब्राह्मण वर्ण के लोग उस जजिया टैक्स के दायरे से बाहर हो लिए थे। दरअसल, जजिया टैक्स का मूल उद्देश्य था कि जो कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता है, तो वह इस्लाम धर्म का दुश्मन समझा जाएगा और इस कारण वह व्यक्ति मुस्लिम सम्राटों को टैक्स देगा। मुगलों (मुस्लिम शासकों की एक प्रजाति) के इस प्रस्ताव पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोगों ने मुगलों से मिलकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र तो किया, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार किया या नहीं किया, इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। लेकिन वे मुगलों के बनाए जाल "जजिया टैक्स" से मुक्त जरूर हो गए थे।

दूसरा प्रमुख वर्ण "क्षत्रिय वर्ण" था, जिसमें उस समय के भारतीय सम्राट या राजपूत लोग आते थे। कुछ सम्राट/राजपूत मुगलों की शर्तों को नहीं मानकर जंगलों में पलायन कर गए और आज की कुछ घुमन्तु जाति बन गए। कुछ राजपूत शासक मुगलों से युद्ध करते हुए मारे गए, जबकि बहुत सारे राजपूत शासक मुगलों की शर्तों को मानते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिया।

→ *"अकबरनामा"* के अनुसार, ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के लोग मुगलों से छुपे तौर पर पारिवारिक सम्बन्ध भी बनाने लगे थे। इसका स्पष्टीकरण आज के ब्राह्मणी समाज के विद्वानों को देना चाहिए!

यहाँ जो भी बताऊँगा, वह सब अकबरनामा में लिखा है। राणा सांगा ने बार-बार काबुल पत्र भेजकर स्वामी भक्ति प्रकट की थी। यानी राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ मुस्लिमों को बुला रहा था।

बाबर राणा सांगा की लड़ाई में राणा सांगा के साथ 22 हजार मुस्लिम साथ थे, यानी सैनिक थे जो उसकी तरफ से लड़ रहे थे। यानी उस समय हिन्दू-मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई थी।

जब हुमायु ने देखा कि सिन्ध में सफलता की कोई आशा नहीं थी, उसकी सेना में राजद्रोह था, उसके भाई सहायता नहीं कर रहे थे, भाग्य साथ नहीं देता था, इसलिए उसकी इच्छा हुई फकीर बनकर एक कुटिया में रहने लग जाए और संसार के कोलाहल से दूर चला जाए। परन्तु उसके घनिष्ठ साथियों ने उसे समझाया कि यह विचार छोड़ दिया जाए और मालदेव के देश में भाग्य

की परीक्षा ली जाए, क्योंकि इस राजा ने बार-बार स्वामी-भक्तिपूर्ण पत्र लिखे थे और कहा था कि उसके पास सेना और तोपखाना है। इसलिए बादशाह ने आदेश दिया कि इस राजा के देश की ओर प्रयाण (चला) किया जाए।

जब मालदेव की सेना के कपट की जांच हो गई और मालदेव के कुत्सित विचार प्रकट हो गए, तो बादशाह ने तार-दी-बेग खां, मुनीम खां और अपने अन्य सेवकों को आदेश दिया कि उन दुष्टों को शाही शिविर में घुसने न दिया जाए। फिर बादशाह ने थोड़े से स्वामिभक्त अनुचरों और अपनी महिलाओं के साथ प्रयाण शुरू किया। (यानि मालदेव के राजा ने हुमायु की मदद नहीं की)। उसके साथ लगभग 20 सैनिक थे।

(यानि हुमायु के 20 सैनिक ही बचे थे)। इनके अतिरिक्त कुछ घरेलू दास और छोटे दर्जे के स्वामिभक्त नौकर थे तथा मुल्ला ताजुदीन और मौलाना चाँद दो विद्वान थे।

इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, शत्रु भी इनकी बीच कूच में इनकी कुटाई कर देते थे। तार-दी-बेग खां और कितने ही अन्य लोगों के पास सामान और सम्पत्ति थी, परन्तु उन विपत्ति के दिनों में भी उन्होंने बादशाह को कुछ नहीं दिया।

(यानी हुमायु के साथियों ने भी उसे अपना धन नहीं दिया)। तब अमरकोट के राय की सहायता से हुमायु ने उनसे कुछ छीन लिया और अपने अनुचरों में उसे विभक्त किया। शेष जिनका था, उनको लौटा दिया।

(यानी यहाँ सिर्फ हुमायु की मदद अमरकोट के राय ने की थी)।

जब अकबर की आयु 3 साल 2 माह 8 दिन थी, उसी दिन अकबर का 'खतना' हुआ था। हेमू का न तो कुल ऊंचा था और न उसकी जाति अच्छी थी। वह देखने में सुंदर नहीं था, उसमें अच्छे गुण भी नहीं थे। वह खोड़ी का एक मामूली बनिया था।

(यानी बनिया राजा बन गया, यह मामूली बनिया था, यानी बनियों में ऊँचे-नीचे बनिए होते थे। यह नमक बेचने वाला बनिया था)।

खाड़ी मेवात का एक कस्बा है। वह ढूसरी जाति का था।

(यानी बनिया को सबसे छोटी जाति थी ढूसरी और यह नमक और तेल बेचा करते हैं)।

वह नमक बेचा करता था। अपनी चतुरता से उसने सलीम खां तक अपनी गति कर ली। वह प्रत्यक्ष में उसका स्वामिभक्त था, परन्तु गुप्त रूप से उसका विनाश करना चाहता था। (यह एक मुस्लिम की सहायता से राजा बना था और ऊपर उठा था। ब्राह्मण तो इसको कभी भी राजा बनने नहीं देता। इसलिए आखिरी हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज को बताते हैं, जबकि हेमू आखिरी हिन्दू है)।

हेमू के पिता जब युद्ध में हार गए थे, तो उसे मुस्लिम धर्म कबूल करने को कहा गया। लेकिन वह सबकुछ हार चुका था, इसलिए वह बोला, "मैं अपना सब कुछ तो हार चुका हूं और जब **80** साल से एक ही धर्म में रहा, तो अब क्या धर्म बदलूंगा?" तो फिर उसका सिर काट दिया गया।

अकबर ने अपने राज्यभिषेक से एक नया संवत चलाया, जिसका नाम तारीख-ए-ईलाही (ईश्वरीय संवत) रखा गया। ईरानी मास ही इस संवत के मास माने गए और दिनों के नाम भी ईरानी ही रखे गए। अकबर ने अधिक मास के दिन निकलवा दिए और मास चन्द्र नहीं सौर माने जाने लगे।

(यानि चन्द्र मास चलता था, अब वह सौर मास कर दिया)।

ईलाही संवत का प्रारंभ **992** हिजरी **(1584)** में किया था, परन्तु अकबर के राज्यकाल में उसके राज्याभिषेक के दिन से जो भी घटनाएँ हुईं, उन्हें फिर इलाही संवत में लिखा गया।

(**19**वीं सदी तक, सब घर में अपने-अपने इष्ट देव होते थे। कोई भी राम भक्त हनुमान भक्त नहीं था, आज की तरह, क्योंकि शूद्र अछूत को मंदिर में जाने ही नहीं दिया जाता था और रामायण पढ़ना तो दूर, सुनने ही नहीं दी जाती थी)। देखें- हेमू के पिता को जीवित पकड़कर नासिरुतमुल्क के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो उससे अपना धर्म बदलने के लिए कहा। उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, "मैं **80** वर्ष से अपने 'इष्ट देव' की पूजा कर रहा हूं और अपने धर्म पर आरूढ़ हूं। अब इस अवस्था में धर्म क्यों स्वीकार करूं?" पीर मुहम्मद ने इन शब्दों को सुना भी नहीं, तलवार से उस वृद्ध को समाप्त कर दिया।

अकबर के यहां छक्के भी रहते थे और लड़का-लड़का आपस में सेक्स करते थे। देखें - "अलीकुली खाँ जमान भौर एक रेबारी लड़के का प्रेम"। यह अलीकुली खां कभी लड़कों को पसंद करता था, कभी लड़कियों को पसंद करता था। आरामजान एक वेश्या थी। अलीकुली खां उसके भी प्रेम में डूबा था और उसकी बात मानता था। इस वेश्या का हजारों से संबंध रह चुका था, परंतु अलीकुली खां ने उससे विवाह कर लिया।

मुगल काल में बेकसूर औरतों को लूटा और मारा गया था। क्योंकि औरतों को मुस्लिम खेती समझते थे।

(सभी मुस्लिम नहीं)। अकबर भी औरतों को उठवाकर अपने हरम में डालवा देता था। मुगलों का एक नियम था, जो भी इनकी अधीनता स्वीकार करेगा, वह उनके चौखट को चूमेगा।

राजा बिहारीमल - सौभाग्यवश राजा को अच्छा विचार आया और उसने सोचा कि बादशाह (अकबर) का जमींदार बन कर एक प्रसिद्ध दरबारी बन जाये। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए उसने एक विशेष सम्बन्ध का विचार किया, वह यह था कि वह अपनी पुत्री को बादशाह के अन्तःपुर (हरम) में पहुंचा दे। बादशाह ने राजा बिहारीमल की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसकी तथा

चगताई खां को बिदा करते हुए कहा कि विवाह की शीघ्र तैयारी करके राजा अपनी लड़की को ले आया।

[राजा बिहारीमल ने दरबारी बनने के लिए अपनी लड़की को अकबर के हरम में भेज दिया]

राजा बिहारीमल ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़े प्रशंसनीय ढंग से विवाह की व्यवस्था की और अपनी भाग्यशाली पुत्री को अन्तःपुर में भेजने के लिए ले आया। जब बादशाह रणथम्भौर के निकट पहुंचा तो राजा बिहारीमल और उसके पुत्रों ने अधीनता प्रकट की। "मानसिंह" को स्थायी रूप से सेना में ले लिया गया। यह राजा भगवन्त दास का पुत्र था और भगवन्त दास राजा बिहारीमल का उत्तराधिकारी था। (यानि बिहारीमल का बेटा था भगवन्त दास, यहां एक तीर से दो निशाने चलाए गए, पहला तो खुद बिहारीमल अकबर का दरबारी बन गया, दूसरा मानसिंह भी सेना में ले लिया)

किसी दरबारी ने अकबर से निवेदन किया कि जैसलमेर का शासक रावत हरराय शाही सेवक बनने के लिए तैयार है और चाहता है कि उसकी लड़की को शाही अन्तःपुर में सेवार्थ ले लिया जाए, परन्तु कई रुकावटों के कारण रावल दरबार में नहीं आ सकता। वह चाहता है कि किसी एक दरबारी को उसके पास भेजकर स्वीकृति का समाचार दिया जाए और वही राजकुमारी को दरबार में ले जाए। अकबर ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। और राजा भगवन्तदास को इस काम के लिए रवाना किया। और राजकुमारी को "शाही हरम" में दाखिल कर दिया गया। बीकानेर के राय कल्याणमल ने भी अपनी बेटी को अकबर के अन्तःपुर में भेज दिया था।

तैमूर लंग अपनी आत्मकथा में लिखता है - मुसलमान भी अपनी लड़कियों को बेच देते थे। तैमूर ने एक लड़के के लिए **10** लड़कियां खरीदी थीं। जिस प्रकार हिन्दू अपनी लड़कियों को अकबर के हरम में बेच देते थे।

तैमूर लंग अंधविश्वास नहीं मानता था - भारत के अछूत लोगों को खाने तक के लिए लाले रहते थे, इसलिए जब भी कोई विदेशी भारत को लूटने आता, तो अछूत लोग उनकी मदद करते थे (यह हमें भीमा कोरेगांव की लड़ाई में भी दिखता है कि किस तरह से अछूत लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी) और बदले में उनसे अपने परिवार के लिए खाना मांगते थे। यही हाल तैमूर लंग के साथ हुआ, अछूत लोगों ने उसका साथ दिया दिल्ली को जीतने में।

तैमूर लंग किसी को भी मुसलमान नहीं बनाता था।

वह तो चंगेज खान से यही सीखा था कि सिर को धर से अलग करते जाओ। किसी ने भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया था। यह सब तब शुरू हुआ जब अछूत लोग इनकी शरण में खुद जा रहे थे। तो मुगलों ने यह सब देखकर लोगों को मुसलमान बनाना शुरू किया था। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने भी यह सब नहीं किया। नीच जाति के लोग ही ज्यादातर

मुसलमान बने हैं। (और यह हमें अंग्रेजों के समय भी दिखा कि अछूत लोग ईसाई बने सम्मान पाने के लिए, बाबा साहब बौद्ध बने, और सिख धर्म तो इसी कारण बना था)

तैमूर अपने को खुद चंगेज की संतान बताता है। तैमूर बताता है। मेरा पुरखा चंगेज खान खाता था, मगर सिर्फ उतना जिससे भूख मिट जाए, वह भी हल्का-फुल्का खाना जो ज्यादातर घोड़ी के दूध से तैयार दही से बना होता था। चंगेज खान जरूरत से ज्यादा कभी नहीं खाता था। इसीलिए लगातार **30** दिन तक घोड़े की पीठ पर बैठकर सफर कर सकता था।

आजादी के बाद फिर से ब्राह्मण वर्चस्व लाने के लिए दयानंद ने **10** अप्रैल, **1875** में आर्य समाज की स्थापना कर दी थी। महात्मा फूले ने शूद्र-अछूतों को शिक्षित तथा जाग्रत करने का आंदोलन सन् **1848** में शुरू कर दिया था और **24** सितम्बर **1873** को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप में दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और उसके लिए बनारस की बजाय महाराष्ट्र बंबई को चुना था, इसलिए आधुनिक भारत की क्रांति का केन्द्र महाराष्ट्र था।

हिन्दू

सावरकर ने अपनी बुक "हिन्दुत्व" में ही सबसे पहले यह **Fake News** फैलाई थी कि जितने भी ब्राह्मण हैं, वे आर्य हैं और बाहर से आकर सिन्धुघाटी के तट पर बस गये। अब ब्राह्मण लोग सप्तसिन्धु पार करके आए और यहां बसे।

सप्तसिन्धु इसलिए कहते हैं, क्योंकि यहां सात नदियाँ बहती थीं। इन नदियों में सर्वश्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ नदी सिंधु को वे लोग राष्ट्र तथा संस्कृति का मूतिमंत प्रतीक मानते थे।"

(यह कहते हैं कि इनके वेद में सिन्धु शब्द आया है, और वेद तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते आए हैं। तो इनके वेद में 'स' था और इनको सिन्ध भी पता था, तो 'स' को 'ह' और सिन्धु को हिन्दु कैसे बोल दिया?)

आगे लिखता है- "परंतु जिन सप्तसिंधुओं ने उनके लिए स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित किया और जिनके नामों से प्रभावित होकर उनके पूर्वजनों ने उनकी राष्ट्रीयता तथा सांस्कृतिक एकता की घोषणा की और उन्हें सप्तसिन्धु' नाम भी दिया।"

(यानी इन्हीं लोगों ने सप्तसिन्धु नाम दिया) अब यह सात नदियों की बात बताता है- शतद्रु, रावी, चिनाव, वितस्ता, गंगा, यमुना, सरस्वती।"

(असल में यह पंजाब के क्षेत्र की नदियों की बात हो रही है। और वहां पांच नदियाँ थीं। इसमें तीन नदियाँ और बढ़ा दी हैं: गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा यमुना पंजाब में नहीं बहती, सरस्वती काल्पनिक है, इसकी खुदाई हो चुकी है, यह कहीं नहीं मिली भारत में।)

केवल आर्य ही स्वयं को 'सिन्धु' कहलाते, ऐसा नहीं था, उनके पड़ोसी राष्ट्र (कम से कम एक) भी उन्हें इसी नाम से जानते थे।"

(सावरकर बोल रहा है। जैसे सत्ताह को हफ्ता कहते हैं। यूरोपीय भाषाओं में सप्ताह 'हफ्टार्की' बन जाता है। संस्कृत का "केसरी" शब्द हिंदी में 'केहरी' और सरस्वती का रूप हरहवती तथा 'असुर' का अहुर इसी प्रकार सप्तसिन्धु के लिए आर्याणवासी प्राचीन पारसिकों ने अपने धर्म ग्रंथ अवेस्ता में हप्ताहिंदू नाम का उल्लेख किया है।"

(जब खुद ब्राह्मण ईरान से आया और बाकी के ईरानी 'स' का 'ह' क्यों बोल रहे थे, जबकि तुमने तो 'स' को 'ह' नहीं बोला?)

इस प्रकार आर्यानवासी पारसिक वैदिक आर्यों को हिंदू 'नाम से ही संबोधित करते थे। (इन लोगों ने भारतीयों के लिए हिंदू कहा, तो खुद को क्या कहते थे यह?)

अधिकतर लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि आर्य हिन्दुस्तान में बाहर से आए हैं। यह हम लोग भी स्वीकार करते हैं।"वैदिक संपत्ति बुक में लिखा है- "सप्त और सिन्धु शब्द वेदों में हैं, परंतु वे सर्वत्र इन्द्रियों, वाणी और सूर्य की किरणों के लिए ही आते हैं। पृथ्वी की किन्हीं सात नदियों के लिए नहीं।"

(यानी जो सप्त, सिन्धु शब्द आया है, वह नदी नहीं किरणें हैं, और यह **7** नदियों के लिए नहीं आया।)

जिस प्रकार सात इन्द्रियों (दो आँख-कान, दो नासिका छिद्र और मुख) से शिरस्थान सप्तसिन्ध हो और जिस प्रकार सात किरणों से घौस्थान सप्तसिन्धु है, उसी प्रकार सात नदियों से सप्तसिन्धु हो सकता है, परंतु भारतवर्ष को या उसके किसी प्रान्त को आर्यों ने सप्तसिन्धु के नाम से कभी नहीं पुकारा। पंजाब प्रत्यक्ष ही पांच नदियों से बना है। रहा सिन्धप्रदेश, वह आज तक केवल सिन्ध ही कहलाता है, कोई उसे सप्तसिन्धु नहीं कहता। सिन्ध का सम्बन्ध बलूचिस्तान, ईरान, अरब में रहा है, और वहां 'स' को 'ह' बोलते हैं। इसीलिए उस प्रान्त का नाम सिन्धु से सिन्ध और हिन्द हो गया, और उसी पर से सारे देश का नाम हिन्द कहलाने लगा। परंतु उसको कभी किसी ने सप्तसिन्धु नाम से नहीं पुकारा। हां, पारसियों के यहां हप्तहिन्द का वर्णन है।

(यानी जो हिन्ददेश है, वह भारत का हिन्ददेश नहीं बल्कि वो बलूचिस्तान, ईरान, अरब है। हम हिन्ददेश नहीं हैं)

परंतु किसी को अब तक पता नहीं है कि वह क्या वस्तु है।।

(यानी हिन्द नाम अवेस्ता में मिलता है, लेकिन वह किसी को नहीं पता कहां पर है।)

पहले आर्य की बस्ती यहां से फारस तक थी, फारसवाले ही सिन्धुदेश को हिन्द कहते थे। (यानी बलूचिस्तान, ईरान, अरब को यह हिन्द देश कहते थे)

वही लोग सिन्धुदेश से पूर्व बसने वालों को पूर्वी हिन्दू और अपने को पश्चिमी हिन्दू कहते थे।

(इस किताब का लेखक स्वयं कह रहा है कि ईरान के लोग खुद को हिन्दू (पश्चिमी हिन्दू) कहते थे। और आज जो भारत में हो वही लोग अपने को हिन्दू कहते हैं।)

अथर्ववेद **4/6/1** - अर्थात "पहले सूर्य हुआ जिसने अपने दस सिर और दस मुख से सोम का पान किया और विषों को अरस किया।।"

(यहां तो सूर्य के दस मुख, सिर, बता दिये, 'रावण के भी **10** बताते हैं)

सूर्य के **10** मुख और दस सिर किरणें ही हैं।" वेदों में इन **10** प्रकार की किरणों का विलक्षण वर्णन है। ऋग्वेद **9/97/23** में लिखा है कि **10** किरणों से, दूसरे स्थान पर ऋग्वेद **9/12/4** में

लिखा है **10** किरणों से सात नदियां बहती हैं। ऋग्वेद **6/61/10-** सरस्वती **7** बहने हैं। ऋग्वेद **6/61/11-** पृथ्वी का जल खींचने वाली। सरस्वति**!** तू अन्तरिक्ष की रक्षा कर।”

पानी खींचनेवालों**,** आकाश की रक्षा करने वाली और सात बहिनों वाली सरस्वती क्या कभी पंजाब की नदियां हो सकती हैं**?** यानि ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है। ये सात नदियां कभी हैं ही नहीं**,** ये तो किरणें हैं

ऋग्वेद **8/69/12** का अर्थ करते हुए तिलक महोदय कहते हैं। "सातों नदियां वरुण के मुख में गिरती हैं। यहां वरुण मेघ के सिवा और कुछ नहीं है।

(यहां वरुण का मेघ बना दिया**,** पहले **chapter** में नदियों के नाम को सूर्य की किरणें बता दिया। उसी प्रकार ताड़ना का अर्थ बदल डाला**)**

अन्त में लेखक कहता है **-** सप्तसिन्धु पृथ्वी पर बहने वाली नदियां नहीं। प्रत्युत आकाश में बहने वाली किरणें हैं।

गंगा और यमुना के लिए प्रसिद्ध है कि गंगा विष्णु के चरण से निकली हैं। यमुना सूर्य की कन्या है। 'इदं विप्रूर्विचक्रमे' आदि मन्त्रो से सिद्ध हो चुका है। कि वेद का विष्णु**,** सूर्य के सिवा और कुछ नहीं है। जब गंगा यमुना का सम्बन्ध सूर्य से है तो वे संयुक्तप्रान्त में बहनेवाली नदियां नहीं हो सकती।"

(यानी वेद से इनका सम्बन्ध है। और यह गंगा**,** यमुना**,** सरस्वती**,** कोई भी नदियां नहीं हैं। हां**,** यह सूर्य की किरणें हैं।**)**

“दयानंद ने यह कहानी बनाई कि हम पूर्व से आए हैं**,** सावरकर बोला हम पश्चिम से आए हैं। इसीलिए। सावरकर का खण्डन किया है यहां**,** पर आर्यसमाजियों ने”

आर्य जब भारत आए तो वह दक्षिण भारत में नहीं गए थे। वह पश्चिम के हिस्से में थे।

मुस्लिम लोग जहां भी गए वहाँ के मूर्ति मानने वाले या बनाने वालों को उन्होंने हिन्दू कहा था।

अलबरूनी जब भारत आया तो उसने किताब का नाम भारत बताया **(**जो बाद में महाभारत बनी**)** लेकिन तब भी देश का नाम भारत नहीं था। मेगस्थनीज भारत के बारे में 'इण्डिका' नामक किताब में लिखता है। और एक और लेखक भारत के बारे में इण्डिका नामक किताब में लिखता है। इससे ऐसा लगता है। तब यह भारत को इण्डिका कहना शुरु कर दिए थे।

हिंदू का उल्लेख हमको ईसा से **500** साल पहले फारस के राजा दारा महान के अभिलेखों में मिलता है। दूसरा सबूत**,** लुंबिनी में अशोक का अभिलेख मिला है। जिस पर हिद लिखा मिला है। इस हिदू का मतलब इसी जगह या इसी स्थान है। तीसरा सबूत जब अशोक के पुत्र महिन्द में हिन्द शब्द कहां से आया जब हिन्दु था ही नहीं। अब बात करते हैं। सिंधु शब्द की है।

हिंदु शब्द पुराना है। और सिंधु शब्द बाद का है। 'स' (सिंधु) का उच्चारण सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त जीभ कर सकती है। जबकि 'ह' (हिंदु) के उच्चारण में जीभ की आवश्यकता ही नहीं है। 'ह' सरल ध्वनि है। इसीलिए आदिम भावसूचक शब्दों में प्रायः 'ह' रहता है।

(यथा-आह, ओह, अहा, अहो, हाय, हा-हा, हूं आदि। यदि जीभ के प्रशिक्षण को ध्वनि-विकास का आधार माना जाए तो प्राकृत शब्द हिंहु से हिंदू का और हिंदू से सिंधु का विकास होगा। इसे डार्विन के विकासवाद से भी समझा जा सकता है। मूल स्वर (अ, इ, उ) सरल कोशिय है। तथा (क, त, प) अधिक एक की कोशिय, (घ, ध, भ) बहु कोशिय है। (ऋ, क्ष, ज्ञ) जटिल कोशिय है।"

भाषा में ध्वनियों का विकास सरल कोशिय से जटिल कोशीय की ओर हुआ है। यदि प्राकृत शब्द हिंहु जीवों के विकास की भांति कम कोशिय है, तो हिंदू उससे अधिक कोशीय है। और सिंधु उससे भी जटिल शब्द है।

हिंहु की पूर्व सरल कोशिय शब्द की कड़ी भी होगी, जिसका हमें ज्ञान नहीं है। यदि जीभ को ध्वनि-विकास का गवाह माना जाए तो हिन्द से सिन्ध का विकास संभव है। सिंध से हिंद बनने की संभावना नहीं है।

अशोक का एक स्तंभ लेख लुम्बीनी में मिला है। जिस पर धम्म लिपि में हिद लिखा मिला है। इस हिद का अर्थ उस समय "इस जगह व इस स्थान से था।

लेकिन आज यह हिद सर्वनाम से संज्ञा बन गया है। जिस वजह से हिद से हिंद बनकर एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

राजा राममोहन राय द्वतीय अकबर के दरबारी थे। वह **east India,** यानी रानी के पास जाते थे, संदेशवाहक बनकर। द्वितीय अकबर के राजा राममोहन राय ने **1816-17** में पहली बार हिंदुइज्म प्रयोग किया था, और वह मुस्लिम राजा के **Representative** थे। और मुस्लिम ही भारतीयों को हिन्दू कहते थे।

दयानंद सरस्वती ने कहा है, हिन्दू मतलब गाली है। आर्य समाजी कोर्ट में पहुंच गये थे। गुलामगिरी में भी फूले साहब हिन्दू शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यानी **1873** तक। यानि **19** वी सदी तक हिन्दू शब्द **Famous** नहीं था। जब **20** वी सदी में **democracy** आई थी, तब लोगों को वोट लेना हुआ, तो उन्होंने लोगो को हिन्दू कहना शुरू कर दिया था। किसी भी धर्म ग्रन्थ में हिन्दू शब्द नहीं मिलता।

भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस अरब में होता था (जो मैंने ऊपर समझाया है)। **13** वीं शताब्दी में भारत के फारसी कवि औफी **(1228)** ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषायों के लिए न करके भारत की (संभवतः मध्य प्रदेश की) देशी भाषायों के लिए

किया। शरफुद्दीन यजदी तैमूर लंग का पोता ने अपनी रचना जफरनामा में **1414** ई० में *हिंदी* शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी भाषा के अर्थ में किया था। **13-14**वी सदी में देशी भाषा को हिंदी या हिंदवी अथवा हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो है। कुछ लोगों ने हिन्दी को सिन्धी का रुपान्तरण माना है। यानि कि हिंदी शब्द का प्रयोग मुस्लिम करते थे।

अगर ब्राह्मणों की काल्पनिक कहानी मान भी ली जाये तो ये भारत किसके नाम पर पड़ा है**,** देख लो –

दो भरत जातियां एक दूसरे से अलग हैं। एक तो दुष्यंत पुत्र भरत है**,** जिसका वर्णन महाभारत में आता है और दूसरे भरत ऋग्वेद में वर्णित मनु के वंशज हैं**,** जिनमें सुदास भी है। इस देश का नाम ऋग्वेद के भरतों के नाम पर ही भारत पड़ा**,** न कि दुष्यंत के भरत के नाम पर। यह भगवत पुराण में स्पष्ट किया है**-**

प्रियंवदो नाम सुतो मनोः स्वायंभुवतस्य ह।

तस्याग्रीध्रस्ततो नाभिऋषभश्च सुतस्ततः ।।

अवतीर्ण पुत्रशतं तस्यासी दहयपारगम्।

तेषां वे भरतों ज्येष्ठों नारायणपरायणः। विख्यातं वर्षमेतद्यन्नाम्ना भारतमुत्तप्रम् ।।

अर्थात **:** **"**खुदभु के पुत्र मनु के एक पुत्र प्रियंवद थे। उनके पुत्र अग्नीध हुए। अग्नीध के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभ के एक और वेद विद पुत्र हुए जिनमें नारायण के परम भक्त भरत ज्येष्ठ थे। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा।**"**

भरत आर्य थे**,** अस्तु सुदास भी आर्य ही होगा।

गांधी

बाह्मणी राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए ब्राह्मणों ने गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी आन्दोलन चलाया।

गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई ने गांधी का यह वचन अपनी डायरी में लिखकर रखा है कि, "अछूत गुंडे, मुस्लिम गुंडों के साथ मिलकर वे ऊंचे जातियों के ब्राह्मणों को मार देंगे" [इसलिए मुस्लिमों को अलग देश दे दिया]।

सेक्ट्रल प्रोविन्स में बी० जी० खेर ने अपने मंत्रीमंडल में एक अछूत को भंगी के तौर पर लिया, तो गांधी ने खेर का जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, **1946** को जब संविधान सभा का चुनाव चल रहा था, तब मुफ्फरनगर के ग्रेजुएट अछूत भंगी जाति के लड़के ने संविधान सभा में चुनकर भेजने के लिए गांधी जी से खत लिखकर अनुरोध किया। तब गांधी ने वह पत्र अपने 'हरिजन' के अंक में सार्वजनिक कर जवाब लिखा। जिसमें गांधी ने जाहिर तौर पर कहा कि, "तुम्हारा काम संविधान सभा में जाने का नहीं है, ब्राह्मणों की बराबरी करने का नहीं है। बल्कि तुम्हारा काम ऊंची जातियों का मैला सिर पर ढोने का है।" गांधी जी ने उल्टा उस पढ़े-लिखे ग्रेजुएट नवजवान को यह भी सलाह दी कि, "तुम्हारी जाति के अनपढ़ लोग जब मैला धोते हैं, तो वह उनके बदन पर गिरता है। तुम अपने शिक्षा-पढ़ाई का उपयोग मैला ढोने के लिए ही करो और वह मेला शरीर पर गिरने मत दो!"

गांधी ने कायस्थ जाति के सुभाष चन्द्र बोस तक को दबाने का प्रयास किया। नेहरू के लिए वे रोड़ा बन रहे थे। गांधी-नेहरू ने सुभाष को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने तथा देश छोड़ने के लिए मजबूर किया।

गांधी वर्ण व्यवस्था, वांशिक भेदभाव का खुलकर समर्थन करते थे। इसलिए गांधी को मरणोपरांत भी नोबेल प्राईज नहीं मिला, क्योंकि वह रेसियल था।

कुछ और बात कर लेते है सवारकर, मोदी की व हिन्दू धर्म की -

◉ चरण **1:** अंडमान जेल से रिहाई के बाद **(1909–1924)**

❗ सावरकर की रिहाई और माफीनामे **(Mercy Petitions)**

1909 में इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ़्तार हुए। **911** में सज़ा काटने के लिए उन्हें सेलुलर जेल (अंडमान) भेजा गया। वहाँ से उन्होंने **1911, 1913, 1914, 1920** में ब्रिटिश सरकार को क्षमा याचिकाएं **(mercy petitions)** भेजीं।

उदाहरण**: "I am ready to serve the Government in any capacity they like…**

if the Government in their clemency release me…"

— Savarkar's 1913 mercy petition

इसका उद्देश्य क्या था?

सावरकर खुद को राजनीति से अलग करने और ब्रिटिशों की सेवा करने की पेशकश कर रहे थे।

रिहाई के बाद अंग्रेजों ने उन्हें **'good conduct'** के आधार पर **1924** में रत्नागिरी में नजरबंद किया।

◉ चरण **2: 1937** में कांग्रेस सरकारों के खिलाफ अभियान

❗ मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करते हुए ब्रिटिशों की नीतियों को अप्रत्यक्ष समर्थन

जब **1937** में कांग्रेस ने चुनाव जीतकर प्रांतीय सरकारें बनाई, सावरकर ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने हिन्दू महासभा के मंच से कांग्रेस की आलोचना की, और ब्रिटिश शासन को चुनौती देने से परहेज़ किया।

हिंदू महासभा का नारा:

"अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना पहले, स्वतंत्रता बाद में।"

ब्रिटिशों के लिए फायदेमंद क्यों?

ब्रिटिश चाहते थे कि भारतीय दल आपस में बंटे रहें।

सावरकर कांग्रेस से अलग होकर अंग्रेजों के लिए एक 'वफादार विरोधी' बन गए।

◉ चरण **3:** द्वितीय विश्व युद्ध **(1939–1945)** में खुला सहयोग

❗ ब्रिटिश सेना के लिए भारतीयों की भर्ती का समर्थन

तथ्य	विवरण
सावरकर ने ब्रिटिशों से कहा	“भारतीय युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दो”
अभियान चलाया	**“Join the armed forces of the British”**
तर्क दिया	“स्वतंत्रता बाद में, पहले हिंदू शक्ति”

प्रत्यक्ष उद्धरण:

“Let Hindus join the British military forces in large numbers… we must not be unarmed.”

— Savarkar, 1941

ब्रिटिश क्या चाहते थे?

- युद्ध में सैनिक
- भारत में आंदोलन न हो
- सावरकर दोनों में मददगार साबित हुए

◉ चरण **4:** भारत छोड़ो आंदोलन **(1942)** का विरोध

❗ भारत छोड़ो आंदोलन का खुला विरोध

पक्ष	स्थिति
कांग्रेस	जेल चली गई, आंदोलन का नेतृत्व किया

सावरकर व हिंदू महासभा	आंदोलन का विरोध किया
तर्क	"अगर अभी अंग्रेज गए, तो मुस्लिम लीग देश को तोड़ देगी"

प्रमाणित बयान:

"The Congress movement is irresponsible and dangerous at this time of war."

— Savarkar, Hindu Mahasabha address, 1942

नतीजा:

ब्रिटिशों को आंदोलन कुचलने में सहूलियत मिली

हिंदू महासभा की छवि ब्रिटिश समर्थक संगठन जैसी बन गई

◉ चरण **5:** युद्धकाल में प्रांतीय सरकारों में भागीदारी

! सिंध और बंगाल की प्रांतीय सरकारों में हिंदू महासभा नेताओं ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाईं

तथ्य	विवरण
बंगाल	श्यामा प्रसाद मुखर्जी (हिंदू महासभा) ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई
सिंध	हिंदू महासभा नेताओं ने मुस्लिम लीग के साथ सत्ता साझा की

क्या सावरकर ने इसका विरोध किया?

नहीं। उन्होंने इसे "रणनीतिक सहकार्य" बताया।

◉ निष्कर्ष: सावरकर ने अंग्रेजों की कैसे मदद की?

क्रम	तरीका	लाभ किसे हुआ?
1	माफीनामे लिखकर जेल से रिहाई	अंग्रेजों को "वफादार" नेता मिला
2	कांग्रेस का विरोध	अंग्रेजों को विभाजित विपक्ष मिला
3	सेना भर्ती अभियान	ब्रिटिशों को युद्ध में सैनिक
4	भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध	अंग्रेजों को आंदोलन दबाने में सुविधा
5	प्रांतीय सरकारों में सहयोग	ब्रिटिश शासन को स्थिरता

क्या सावरकर का मकसद अंग्रेजों की मदद करना था?

दो दृष्टिकोण हैं:

1. राष्ट्रवादी समर्थकों का तर्क:

- उन्होंने रणनीतिक रूप से हिंदू शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा किया।
- उनका उद्देश्य था कि जब भारत स्वतंत्र हो, तब हिंदू नेतृत्व कमजोर न हो।

2. आलोचकों का तर्क:

- उन्होंने क्रांतिकारी विचार छोड़ दिए और अंग्रेजों से समझौता किया।
- उनका हर कदम ब्रिटिश सरकार के हित में था।

आपके सवाल का सीधा जवाब (बिना खुश करने के):

✔ सावरकर ने **1924** के बाद अंग्रेजों को कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मदद दी।

✔ इसके पीछे उनके रणनीतिक तर्क थे, लेकिन व्यावहारिक परिणाम यह रहा कि उन्होंने उस समय के सबसे बड़े विरोध आंदोलन (भारत छोड़ो) का भी विरोध किया।

✔ अंग्रेजों को उनसे फायदा हुआ, और उन्होंने उन्हें कभी भी देशद्रोही नहीं माना।

सावरकर का मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण: एक संपूर्ण विश्लेषण

भाग **1:** सैद्धांतिक विचारधारा **(1923-1947)**

1.1 "हिंदुत्व" **(1923)** में मूलभूत सिद्धांत

पृष्ठ **92-95:** *"मुसलमानों की धार्मिक निष्ठा मक्का-मदीना के प्रति है, जो भारत से बाहर है। इसलिए वे इस भूमि के पुत्र नहीं हो सकते।"*

पृष्ठ **113:** *"जो लोग भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों नहीं मानते, वे राष्ट्र के शत्रु हैं।"*

स्रोत: मूल पांडुलिपि, सावरकर सदन, मुंबई

1.2 दो राष्ट्र सिद्धांत की स्वीकार्यता

1937 अहमदाबाद भाषण:

"हिंदू और मुसलमान दो भिन्न सभ्यताएँ हैं। ये दो अलग राष्ट्रों की तरह हैं जो एक भूगोल में रह रहे हैं।"

1938 नागपुर सम्मेलन:

"मुस्लिम लीग का पाकिस्तान आंदोलन हिंदू राष्ट्र के लिए घातक है।"

प्रमाण: 'हिंदू महासभा की रिपोर्ट्स' **(1938)**, पृष्ठ **45-47**

भाग **2:** व्यावहारिक राजनीति **(1937-1947)**

2.1 बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ **(1941-43)**

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की मंत्रिमंडल में:

वित्त मंत्री का पद स्वीकार किया। हिंदू महासभा ने लीग के साथ संयुक्त नीतियाँ बनाईं

प्रमाण: बंगाल विधानसभा रिकॉर्ड्स **(1941)**। 'द टेलीग्राफ' (कलकत्ता), **12** दिसंबर **1941**

2.2 सिंध में सत्ता साझेदारी **(1942)**

सर गोपालदास मेहरचंद:

- मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त सरकार बनाई
- शिक्षा विभाग का प्रभार संभाला

प्रमाण: सिंध गजेटियर (1943 संस्करण), पृष्ठ 201

भाग 3: विचार और व्यवहार में विरोधाभास

3.1 सिद्धांत **vs** व्यवहार

पहलू	सिद्धांत (लेखन/भाषण)	व्यवहार (राजनीतिक कार्य)
मुसलमानों की स्थिति	"विदेशी/खतरा" (हिंदुत्व, 1923)	मुस्लिम लीग के साथ सरकार (1941)
दो राष्ट्र सिद्धांत	"हिंदू-मुस्लिम अलगाव स्वाभाविक" (1937)	संयुक्त मंत्रिमंडल में भागीदारी
इस्लामिक विरासत	"भारतीय संस्कृति के लिए खतरा"	लीग के साथ शिक्षा नीति बनाना

3.2 इस विरोधाभास के कारण

तात्कालिक राजनीतिक लाभ:

- कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति

सत्ता में भागीदारी:

- प्रांतीय सरकारों में प्रभाव बनाए रखना

हिंदू हितों की रक्षा:

- मुस्लिम बहुल प्रांतों में हिंदू अधिकार सुरक्षित करना

भाग 4: ऐतिहासिक प्रमाणों की पुष्टि

4.1 प्राथमिक स्रोत

सावरकर के मूल लेखन:

- 'हिंदुत्व' **(1923)** की मूल प्रति
- 'हिंदू राष्ट्र दर्शन' **(1938)**

सरकारी अभिलेख:

- बंगाल विधानसभा कार्यवाही **(1941)**
- ब्रिटिश गुप्तचर रिपोर्ट्स **(IOR/L/PJ/12/499)**

4.2 समकालीन समाचार पत्र

- 'द स्टेट्समैन' (कलकत्ता) - **1941** की सरकार गठन की खबर
- 'मराठा' (पुणे) - **1937** के भाषण का विवरण

निष्कर्ष: सावरकर की द्वैत नीति

वैचारिक स्तर पर:

- मुसलमानों को सांस्कृतिक खतरा माना
- हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को प्राथमिकता दी

राजनीतिक स्तर पर:

- सत्ता प्राप्ति के लिए मुस्लिम लीग से समझौता किया
- प्रांतीय सरकारों में हिंदू प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया

अंतिम तथ्य: सावरकर का मुसलमानों के प्रति रुख सिद्धांत और व्यवहार के बीच स्पष्ट अंतर दिखाता है, जो उनकी रणनीतिक राजनीति को प्रदर्शित करता है।

(1) मुस्लिम लीग ने सावरकर या हिंदू महासभा का साथ क्यों दिया?

उत्तर: "राजनीतिक फायदा" और "कांग्रेस का विरोध"

स्थिति क्या थी?

कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी (जैसे भारत छोड़ो आंदोलन) अंग्रेजों को ऐसे दल चाहिए थे जो सरकार में उनके साथ काम करें। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा — दोनों को कांग्रेस से सत्ता छिनने का मौका दिखा

बंगाल और सिंध में क्या हुआ?

बंगाल में **1941** में जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया, तब मुस्लिम लीग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी (हिंदू महासभा) को उपमुख्यमंत्री बनाया

मकसद था: कांग्रेस को किनारे करना, सत्ता में आना और अपने-अपने वोटबैंक को खुश करना

यानी: *"दुश्मन का दुश्मन, दोस्त होता है" वाली रणनीति चली गई थी।*

सावरकर और जिन्ना दोनों ने यह मान लिया था कि जब तक भारत पूरी तरह आज़ाद नहीं होता, तब तक अंग्रेजों के साथ सत्ता में रहकर अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए।

(2) सावरकर दो राष्ट्र की बात करता था फिर पाकिस्तान का विरोध क्यों करता था?

यहां पर सावरकर की रणनीति को समझिए:

सावरकर का "दो राष्ट्र" का मतलब यह था कि *"हिंदू और मुसलमान अलग सोचते हैं, लेकिन यह देश एक ही रहेगा — हिंदू राष्ट्र के रूप में। मुसलमानों को इसी में रहना होगा।"*

यानी:

मुसलमानों को अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू राष्ट्र में रहना चाहिए। भारत का बंटवारा न हो, लेकिन हिंदू प्रधान राष्ट्र हो, पाकिस्तान बनाना मतलब भारत को कमजोर करना — इसलिए सावरकर उसका विरोध करते थे

सीधा शब्दों में:

सावरकर मुसलमानों को बराबरी नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्हें देश बाँटना भी मंज़ूर नहीं था। वह उनको शूद्र और अछूत की तरह गुलाम बनाकर रखना चाहते थे ईस सपने को **bjp** पूरा कर रही है। सावरकर को लगता था कि "भारत को एक हिंदुत्व राष्ट्र" के रूप में बनाए रखना जरूरी है, न कि दो हिस्सों में बाँटना।

अब एक सारांश देखें (चारों पक्षों की सोच):

नेता / दल	मुसलमानों के बारे में सोच	बंटवारे का रुख	सत्ता की रणनीति

सावरकर	मुस्लिम अलग संस्कृति, विदेशी	बंटवारे के खिलाफ	सत्ता के लिए मुस्लिम लीग से भी समझौता
हिंदू महासभा	कट्टर हिंदुत्व	बंटवारे के खिलाफ	अंग्रेजों के साथ सरकार
मुस्लिम लीग (जिन्ना)	मुस्लिमों को अलग राष्ट्र चाहिए	बंटवारे के पक्ष में	कांग्रेस को रोकने के लिए हिंदू महासभा से समझौता
कांग्रेस (गांधी-नेहरू)	सभी धर्म बराबर	बंटवारे के खिलाफ (पर मजबूरी में स्वीकार)	अंग्रेजों से संघर्ष, सत्ता का त्याग

निष्कर्ष **(Important Analysis):**

सावरकर पाकिस्तान का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि *"मुसलमान भारत में रहें, लेकिन हिंदुत्व राष्ट्र के अधीन रहकर।"* मुस्लिम लीग ने समझदारी से राजनीतिक सौदेबाजी की: *"जहां कांग्रेस नहीं है, वहां हिंदू महासभा को साथ ले लो, ताकि सत्ता मिल जाए और अपना प्रभाव बढ़े।"* दोनों दलों ने एक-दूसरे की सोच से सहमत ना होते हुए भी सत्ता, अवसर और कांग्रेस विरोध के कारण एक-दूसरे का सहयोग लिया।

☀ सावरकर की "हिंदुत्व" विचारधारा पर आधारित प्रमुख संगठन

क्रम	संगठन का नाम	स्थापना वर्ष	कार्यक्षेत्र	विचारधारा स्रोत	विशेष कार्य/भूमिका

1	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ **(RSS)**	**1925**	सामाजिक-सांस्कृतिक	सावरकर, गोलवलकर	हिंदू समाज को संगठित करना, शाखा प्रणाली
2	भारतीय जनता पार्टी **(BJP)**	**1980**	राजनीतिक	सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय	हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व आधारित नीतियाँ
3	विश्व हिंदू परिषद **(VHP)**	**1964**	धार्मिक-सांस्कृतिक	सावरकर, शंकराचार्य, गोलवलकर	धर्म रक्षा, राम मंदिर आंदोलन, धर्मांतरण विरोध
4	बजरंग दल	**1984**	युवाओं में सक्रिय	सावरकर, **VHP** प्रेरित	गौरक्षा, लव जिहाद विरोध, हिंदू रक्षा समूह
5	**ABVP** (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद)	**1949**	छात्र संगठन	सावरकर, **RSS**	शिक्षा में राष्ट्रवाद, छात्र आंदोलनों का नेतृत्व

6	संस्कृत भारती	**1981**	भाषा और संस्कृति	सांस्कृतिक हिंदुत्व	संस्कृत प्रचार, वैदिक संस्कृति का पुनर्जागरण
7	हिंदू जागरण मंच	**1993**	सामाजिक-सांस्कृतिक	उग्र हिंदुत्व	धर्मांतरण विरोध, हिंदू समाज को जागरूक करना

आज सावरकर को विलन से हीरो बनाया जा रहा है -

सावरकर पर बनी फिल्मों का अपडेटेड आंकड़ा **(2000–2024):**

वर्ष	फिल्म का नाम	निर्देशक/अभिनेता	राजनीतिक प्रभाव
2001	वीर सावरकर	शशिलाल नायर	**RSS** ने प्रचार किया।
2015	द लास्ट हीरो: सावरकर	डॉक्यूमेंट्री	हिंदुत्व ग्रुप्स द्वारा फंड की गई।
2022	सावरकर**:** एक विस्मृत योद्धा	राहुल प्रेम	महाराष्ट्र **BJP** ने समर्थन दिया।
2023	अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की फिल्म	शॉर्ट फिल्म	शिक्षा संस्थानों में दिखाई गई।

2024	स्वतंत्र वीर सावरकर	रणदीप हुड्डा, अनुराग कश्यप	**BJP** नेता इसे "राष्ट्रवादी फिल्म" बताया।

क्या यह फिल्में इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही हैं**?**

1. माफीनामे को छुपाना**:**
   - फिल्मों में सावरकर के **6** माफीनामों **(1911–1924)** का जिक्र नहीं है**,** जिनमें उन्होंने अंग्रेजों से "मैं कभी विद्रोह नहीं करूँगा" लिखा था।
   - उदाहरण**: 2024** की फिल्म में केवल "काला पानी की यातना" दिखाई गई**,** पर माफीनामे वाला सीन हटा दिया गया।
2. गांधी हत्या से जुड़ाव को साफ़ करना**:**
   - सावरकर पर गांधी हत्या के केस में आरोप लगे थे **(**हालाँकि बाद में बरी हो गए**),** पर फिल्मों में इसे "कांग्रेस का षड्यंत्र" बताया जाता है।
3. जाति व्यवस्था का समर्थन**:**
   - सावरकर ने अछूतों को "हरिजन" बनाने का समर्थन किया**,** पर उनके पेशे **(**सफाईकर्मी**)** को बदलने का विरोध किया। फिल्में इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज करती हैं।

फिल्मों का राजनीतिक उद्देश्य

- **BJP/RSS** का एजेंडा**:** सावरकर को "हिंदुत्व के नायक" के रूप में स्थापित करना**,** ताकि**:**
  - ब्राह्मण/उच्च जातियों का समर्थन मिले।
  - गांधी-नेहरू की विरासत को कमजोर किया जाए।
  - मुस्लिम विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा मिले **(**सावरकर ने मुसलमानों को "देशद्रोही" कहा था**)**।
- आंकड़ा**: 2024** के चुनाव से पहले **3** राज्यों **(MP, Rajasthan, Chhattisgarh)** में सावरकर की फिल्मों को फ्री में दिखाया गया।

निष्कर्ष:

- सावरकर पर **6** फिल्में **(2001–2024)** बन चुकी हैं, जबकि भगत सिंह या अंबेडकर पर औसतन **1–2**।
- इन फिल्मों में झूठा इतिहास दिखाया जाता है, ताकि सावरकर को "संपूर्ण क्रांतिकारी" साबित किया जा सके।
- यह हिंदुत्व राजनीति का हिस्सा है, जिसमें सावरकर को गांधी/अंबेडकर से ऊपर रखा जा रहा है।

सिनेमा का असर: केवल कहानी नहीं, सोच बदलने वाला माध्यम है।

1. फिल्मों की ताक़त – **"Reality** को **Perception** में बदल देना"

तर्क:

फिल्में **2–3** घंटे में किसी भी व्यक्ति की छवि को ऐसे गढ़ देती हैं कि लोग उस पर शक करना छोड़ देते हैं।

फिल्म भावनाओं से खेलती है – जब आप रोते हो, हँसते हो, गुस्सा करते हो, आप लॉजिक नहीं, फीलिंग से सोचते हो।

उदाहरण से तर्क सिद्ध करें:

1. संजय दत्त – अपराधी से 'बेचारा' बनने की कहानी

बात	असलियत	फिल्म 'संजू' में
कानून	**1993** मुंबई बम धमाके में **AK-56** रखने का दोष	कहा गया – उसने डर में रखी, आतंक से कोई रिश्ता नहीं
इमेज	मीडिया ने "टेररिस्ट" बोला	फिल्म ने बोला – "बोलने वाले मीडिया वाले गलत थे"

असर	लोगों ने शक किया	लोग बोले – “अरे यार, बेचारा था वो, मीडिया ने खराब बना दिया”

➡ तर्क:

फिल्म ने उसकी गलतियों को "इमोशनल कहानी" बना दिया, और जनता ने सब कुछ माफ कर दिया।

2. पुष्पा – तस्कर लेकिन मसीहा

बात	असलियत	फिल्म में
काम	लाल चंदन की तस्करी, माफिया लिंक	गरीब से उठा तगड़ा बंदा, जो सिस्टम से लड़ता है
कानून	गैरकानूनी काम, पुलिस से टकराव	फिल्म में पुलिस वाले विलेन बना दिए गए
असर	असल में ऐसा कोई करे तो जेल	फिल्म में ऐसा करे तो "स्टाइल" बन जाता है

➡ तर्क:

लोग आज "पुष्पा स्टाइल" अपनाते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि वो एक क्रिमिनल का रोल है।

3. KGF का यश – गोल्ड माफिया लेकिन हीरो

बात	असलियत	फिल्म में
काम	सोने की तस्करी, कानून तोड़ना	गरीबों का **Robin Hood**
सरकार	विरोध में	लेकिन पब्लिक उसे मसीहा मानती है
असर	असली दुनिया में ऐसा हो तो वो देशद्रोह कहलाए	फिल्म में **“Messiah of the poor”**

➡ तर्क:

यहाँ भी वही खेल – इमोशन के ज़रिए नैतिकता का फ्रेम ही बदल दिया गया।

अब मुद्दा – क्यों ऐसा किया जाता है?

1. बॉलीवुड एक बिज़नेस है, उन्हें हीरो बनाकर पैसा कमाना है, चाहे असल में वो अपराधी क्यों न हो।
2. पब्लिक इमोशन से चलती है, लॉजिक से नहीं – फिल्में ये अच्छे से जानती हैं।
3. जो दिखता है, वही बिकता है – इसलिए दिखा देते हैं कि बुराई भी ‘कूल’ है।

इसका समाज पर असर क्या होता है?

चिन्ह	असर
⚠	अपराध **glamorize** होता है – बच्चे सोचते हैं "ऐसा बनने में बुराई नहीं है"

✕	लोगों का सच से भरोसा हटता है – "अगर फिल्म में अच्छा दिखाया तो असल में भी सही होगा"
☐	सोचने की क्षमता कम हो जाती है – लोग कहानी पर सवाल नहीं उठाते
✓	कुछ फिल्में अच्छी सीख देती हैं, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ दिखावे के लिए बनी होती हैं

नतीजा क्या है?

- फिल्में इतिहास को भी तोड़-मरोड़ कर दिखा देती हैं।
- किसी नेता, स्वतंत्रता सेनानी या अपराधी की छवि बदल सकती हैं।
- जनता उसको ही सच मानती है, और फिर इतिहास, सच्चाई या तर्क की अहमियत खत्म हो जाती है।

तो क्या करना चाहिए?

- देखो फिल्में, लेकिन दिमाग से।
- जो रोल दिख रहा है, वो असलियत में भी सही है क्या – ये खुद रिसर्च करो।
- **Emotions** से सोचने से ज़्यादा, तर्क से सोचो।

"आज यह सिनेमा सावरकर जैसों के लिए वरदान बन गया है... वो सावरकर, जिसने न तो असहयोग आंदोलन में साथ दिया, न 'भारत छोड़ो' की पुकार मानी, उल्टा अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर जेल से रिहा हुआ... जो हिंदुओं के नाम पर नफ़रत का बीज बोता रहा, मुसलमानों और अछूतों को बराबरी का हक़ देने के खिलाफ था — आज वही आदमी परदे पर 'वीर' बनकर चमक रहा है। अफ़सोस इस बात का नहीं कि फिल्म बनी, इतिहास के किरदार बदले नहीं हैं... बस उन्हें निभाने वाले बदल दिए गए हैं — विलेन को हीरो बना दिया गया, और हीरो को देशद्रोही।"

"अफ़सोस इस बात का है कि झूठ को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया कि लोगों ने सच को ही झूठ समझ लिया। पर्दा आज भी है, लेकिन अब वह सच्चाई पर पड़ा है – परदे पर नहीं”

"आज बीजेपी यह तय कर रही है कि हिंदू धर्म में क्या होगा और क्या नहीं होगा… क्योंकि असल में वह हिंदू धर्म के नहीं, 'हिंदुत्व' के मालिक बन बैठे हैं।

ध्यान रखना –सनातन धर्म व 'हिंदू धर्म' और 'हिंदुत्व' एक नहीं हैं।

सनातन धर्म तो वह था, जिसमें ऋषि-मुनियों ने वेद लिखे, उपनिषद रचे, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की। ऋग्वेद की ऋचाएं किसी सरकार ने नहीं लिखीं, उन्हें साधकों ने तपस्या से पाया। धर्म में बदलाव या दिशा तय करने का अधिकार सिर्फ ज्ञानी ऋषियों के पास होता था — न कि किसी राजनीतिक पार्टी के।

लेकिन आज जो बदलाव हो रहे हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं — वो धर्म के नाम पर नहीं, हिंदुत्व के नाम पर हैं। और हिंदुत्व की यह विचारधारा सावरकर की देन है, जिसने धर्म को राजनीतिक सत्ता का औजार बना दिया। और उसी सावरकर की राह पर आज आरएसएस और बीजेपी चल रही है — जो खुद को हिंदुत्व का उत्तराधिकारी मानते हैं।

इसलिए आज अगर बीजेपी यह तय कर रही है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं, कौन देवता है और कौन दैत्य, मंदिर में कौन जा सकता है, कौन नहीं… कौन ‘शुद्ध’ है और कौन ‘अशुद्ध’… कौन राष्ट्रभक्त है और कौन देशद्रोही — तो समझ लेना यह 'सनातन धर्म' की आत्मा नहीं बोल रही, यह 'हिंदुत्व की सत्ता' बोल रही है। जिस हिंदुत्व की नींव सावरकर ने रखी थी, उसमें अछूतों के लिए मंदिर बंद थे, मुसलमानों के लिए नफरत थी, और दलितों के लिए सिर्फ इस्तेमाल। वही विचारधारा आज सत्ता के सिंहासन पर बैठी है। कभी ये कहा जाता है कि ओबीसी आरक्षण खत्म होना चाहिए, कभी मुसलमानों से देशभक्ति का प्रमाण मांगा जाता है, और कभी **SC/ST** को संविधान की याद दिलाई जाती है — ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ता की जड़ें अब धर्म में नहीं, हिंदुत्व की कट्टर राजनीति में हैं।

आज ‘हिंदू धर्म’ को एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया है, जिससे संविधान पर हमला हो रहा है, और समाज के सबसे पिछड़े, दबे-कुचले वर्गों को एक बार फिर हाशिए पर धकेला जा रहा है।

सनातन धर्म हजारों सालों की साधना से निकला ज्ञान है — और हिंदुत्व सत्ता की राजनीति से निकली रणनीति। फर्क पहचानो, नहीं तो कल को धर्म भी सत्ता का गुलाम बन जाएगा।"

“वो कलम जो कभी क्रांति लिखती थी, आज उन्हीं के खिलाफ केस लिख रही है — क्योंकि अब स्याही नहीं बिक रही, पूरा इतिहास बिक चुका है।”

अब देखते है हिन्दू धर्म में जातियों को लेकर क्या कहा गया है-

तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। जन्म का वर्ष **1497** या **1532** ईस्वी के आस-पास था क्योंकि भारतीय इतिहासकारों के अंदर पक्के तौर पर किसी एक समय पर सहमति नहीं बनती है। और तुलसीदास की मृत्यु जहांगीर के समय में **1623** ई० में अस्सी घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई थी।

इतिहास कहता है, बाबर ने रामजी का मंदिर **1528** ई० में तुड़वाया था और वहां बाबरी मस्जिद बनवाई थी। लेकिन तुलसीदास ने अपनी "रामचरितमानस" में इस बात का विवरण तक नहीं किया। उस समय तुलसीदास की एक और पुस्तक "विनय पत्रिका" भी निकली थी। उसमें भी मुगलों के आतंक या मंदिर तोड़ने की बात नहीं की गई और न ही जजिया कर की चर्चा की गई।

अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल, तुलसीदास के परम मित्र थे। इसकी चर्चा "तुलसी जयंती पुस्तक" में भी मिलती है।

तुलसीदास में 'दास' नहीं

तुलसीदास के नाम में "दास" लगा हुआ नहीं है। इसका नाम तुलसी गोस्वामी है। यह तब की बात है जब ब्राह्मण-ब्राह्मण में झगड़ा हो गया था। वाल्मीकि रामायण वाले इसको मान नहीं रहे थे, तो इसे शूद्र कहने के लिए इसके नाम में 'दास' लगा दिया गया। क्योंकि इसने वाल्मीकि रामायण को पूरा का पूरा ही बदल दिया था। यह रामचरितमानस ब्राह्मणों को मजबूत बनाने के लिए लिखी गई थी। इसमें सब जातियों को गाली दी गई है और राम के मुंह से भी नारी को गाली दिलवाई गई है।

इसमें बहुत सारी चीजें बदल दी गई हैं — जैसे *लक्ष्मण रेखा*। यह आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी, लेकिन तुलसी गोस्वामी की किताब में मिल जाएगी। आपको बता दूँ, "दास" शब्द सिर्फ शूद्र लगाते थे अपने नामों के पीछे — देखें *मनुस्मृति 2/32* — यह और भी ग्रंथों में लिखा है।

इतना ही नहीं, तुलसीदास को उनके समकालीन जातिवादियों में से कुछ लोग यदि "राजपूत" कहते थे, तो कुछ "जुलाहा" कह कर उनकी भर्त्सना करते थे। हालत यह हो गई थी कि कोई उन्हें किसी मंदिर में घुसने तक नहीं देता था।

जो लोग उन्हें "जुलाहा" कहते थे, उनके कारण रहने का कोई ठिकाना न होने की स्थिति में उन्हें मसीत (मस्जिद) में सोना पड़ता था और भीख मांगकर खाना पड़ता था।

यह सब तुलसीदास अपनी पुस्तक *कवितावली* (गीता प्रेस, गोरखपुर, तीसवां संस्करण, पृ. **169** व *कवितावली उत्तरकांड 106*) में खुद लिखते हैं —

"चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे संन्यासी (विरक्त) कहे; चाहे कोई राजपूत कहे या जुलाहा कहे — मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और न मैं किसी से संपर्क बना कर उसकी जाति ही बिगाडूंगा। मैं तुलसी तो राम का प्रसिद्ध गुलाम हूं। जिसको जो रुचे, सो कह ले। मुझको तो मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है; न किसी से एक लेना है, न किसी को दो देने हैं।"

तुलसी की माता का देहांत तभी हो गया था जब वह कुछ ही दिनों के थे। कहते हैं कि जन्म के समय तुलसी के मुंह में दांत थे।

उनके कारण धर्म ने यह अंधविश्वासपूर्ण भावना पिता के मन में भर दी कि इसने अपनी मां को 'खा' लिया है। परिणामस्वरूप, पिता ने शिशु तुलसी के लालन-पालन की ओर कोई विशेष

ध्यान नहीं दिया। गली-मोहल्ले के लोग बालक पर दया करके उसे खाने-पीने के लिए थोड़ा-बहुत दे देते थे, या फिर वह स्वयं भीख मांग लेता था।

पिता की मृत्यु के बाद, उसे एक साधु अपने साथ काशी ले गया। पढ़-लिख कर जब तुलसी पैतृक स्थान पर वापस आए, उनका विवाह हो गया।

जन्म से ही प्यार के भूखे तुलसी का पत्नी में खो जाना अस्वाभाविक नहीं था। परंतु, उसने धर्म के नाम पर तुलसी को ऐसी फटकार सुनाई कि उन्हें सदा के लिए घर-बार त्याग देना पड़ा। घोर निराशा में तुलसी भगवान की ओर हो लिए, परंतु हिंदू धर्म ने उन्हें तब भी नहीं बख्शा।

अपने जीवनकाल में जब तुलसी काशी में रहे, तो उन्हें शिव भक्त हिंदुओं (शैवों) ने उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया। इससे उन्हें काशी छोड़ कर जाना पड़ा।

बात यहीं खत्म नहीं हुई। जातिवादी हिंदुओं ने तुलसी की जाति को लेकर उनका अपमान किया, उन्हें चिढ़ाया, और स्थिति इस कदर बदतर हो गई कि किसी भी हिंदू मंदिर में शरण लेना उनके लिए दुश्वार हो गया।

अंत में उन्होंने मस्जिद में शरण ली।

राम जब समुद्र पार करने के लिए 3 दिन तक वहाँ बैठते हैं, लेकिन समुद्र उनकी नहीं सुनता तो राम कहते हैं - इधर तीन दिन बीत गये, किन्तु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब रामजी क्रोध सहित बोले - बिना भय के प्रीति नहीं होती।।57।।

इसके बाद राम बाण मंगवाते हैं। इससे समुद्र भयभीत हो जाते हैं, मगर साँप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गये। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों (रत्नों) को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया।।4।।

यानि यहाँ समुद्र ब्राह्मण के रूप में आया और राम क्षत्रिय हैं। तो यह क्षत्रिय- ब्राह्मण के बीच की लड़ाई है।।

काकभुशुंडी जी कहते हैं - हे गरुड़ जी! सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सोचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डाँटने पर ही झुकता है (रास्ते पर आता है)।।58।।

समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा - हे नाथ! मेरे सब अवगुण (दोष) क्षमा कीजिए। हे नाथ! आकार, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी - इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है।।1।। यानि यह जड़ पदार्थ न तो बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं। हम तो मजबूर हैं।

आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिये उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिये स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है।।**2**।।

प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा (दंड) दी, किन्तु मर्यादा (जीवों का स्वभाव) भी आपको ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री - सब शिक्षा के अधिकारी हैं।।**3**।।

यहाँ राम (क्षत्रिय) और समुद्र (ब्राह्मण) की लड़ाई में शूद्र, पशु, नारी, ढोल, गंवार का कोई भी प्रसंग नहीं बनता। यह ऐसी बात है, जैसे एक गाँव में दो बच्चे लड़ रहे हैं और वे कहें कि तुम्हारी-हमारी लड़ाई में तालिबान का हाथ है। यानी यह अप्रासंगिक शब्द है, वहाँ यह शब्द आना ही नहीं चाहिए। दूसरा, यहाँ ताड़ना का मतलब "शिक्षा" कर दिया है, जबकि यह आधार से ही गलत है। इसका जवाब रामचरितमानस में ही है - (अरण्यकाण्ड, रामचरितमानस)

सापत ताड़त परुष कहता…

यानि शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है।।**1**।।

ताड़ना का अर्थ-

ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी - सकल ताड़ना के अधिकारी।

लोग कहते हैं यह समुद्र की वाणी है, राम की नहीं। और क्योंकि समुद्र राम के विपक्ष में खड़ा एक पात्र (**character**) है, जो विलन की भूमिका में है, इसीलिए इस बात को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। मूवी में विलन की बात को नहीं लिया जाता। इस तरह से राम के मुँह से निकली बात तुलसीदास के मुख की बात है, लेकिन समुद्र के मुख की बात तुलसीदास के मुख की बात नहीं, जैसे **Hero** के मुख की बात **Director** की मुख की बात होती है, लेकिन विलन की मुख की बात **Director** की बात नहीं होती।

रामचरितमानस में भरत कहता है - विधाता भी महिला के स्वभाव को, हृदय गति को नहीं जान सकता। हर तरह का छल, कपट और तमाम तरह की बुराइयों की खान होती है महिला।

यहाँ पर भरत मंथरा को कह रहा था।

यानि अब यहाँ तो कोई विलन नहीं है। यहाँ तो भरत है, जो हीरो के किरदार में है। तो यह कैसे गलत बोल रहा है? यहाँ तो समुद्र नहीं बोल रहा है।

अब देख लेते हैं, समुद्र विलन है या हीरो।

रामायण के सुन्दरकाण्ड में आता है - जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों (रत्नों) को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया।।**4**।।

यानि यहाँ समुद्र अभिमान छोड़कर (बहुत सीधा-सादा ब्राह्मण) ब्राह्मण बनकर आया। यह बात तुलसीदास कह रहे हैं। यानि इससे पता चलता है कि उस समय का सीधा-सादा ब्राह्मण भी ऐसी (नीच भरी) बात करता है।

तुलसीदास के दोहों में (,) कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है। तुलसीदास के जन्म और रचनाओं पर विवाद है कि जन्म कब का है, रचनाएँ कितनी हैं। सीता को अनसूइया समझाती है - नारी का अर्थ केवल सेवा करना है, चाहे कैसा भी पति हो। उसकी सेवा नारी नहीं करेगी तो यमलोक में जाएगी और बड़ा दुःख पाएगी।।

रामचरितमानस में "जातियों" के नाम मिलते हैं - तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल और कलवार आदि, जो वर्ण में नीचे हैं। स्त्री के मरने पर अथवा घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं।।**3**।

रामचरितमानस के अरण्यकाण्ड

राम ने कहा- "जो ब्राह्मणों के खिलाफ काम करता है या उन्हें नुकसान पहुँचाता है, वह मुझे अच्छा नहीं लगता।।**4**।।

जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से ईमानदारी से, बिना किसी कपट के, पृथ्वी के देवता और ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसके पास सभी देवता, जैसे ब्रह्मा और शिव भी आकर रहते हैं। वह बहुत भाग्यशाली होता है।।**33**।।

शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है।।**1**।।

रामचरितमानस जहां खत्म होती है, वहां तुलसीदास कहते हैं-

"अरे मूर्ख मन! सुन, पतितों को भी पावन करने वाले राम को भजकर किस ने परमगति नहीं पायी? गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच (चाण्डाल) आदि, जो अत्यंत पापरूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ।।**1**।।

यह श्रीमद्भागवत महापुराण से लिया गया है। उसमें लिखा है-

अर्थात, जिनके आश्रित भक्तों का आश्रय लेकर किरात (भील-भिलाले), हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर (अहिर यादव, गूजर), कंक, यवन, खस (गौड़ या आदिवासी) आदि अधम (नीच) जाति के लोग तथा इनके सिवा और भी बड़े से बड़े पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, उन जगतप्रभु भगवान विष्णु को नमस्कार।

(विदेशी हूण, शक ही आगे चलकर हिन्दू धर्म में राजपूत कहलाए - स्वामी रामतीर्थ) *(श्रीमद्भागवत महापुराण 2/4/18)*

मूर्ख और पामर चाण्डाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं।।**94**।। *(अयोध्याकाण्ड, रामचरितमानस)*

तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल और कलवार आदि, जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं।।**3**।। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं।।**4**।।

यानि जब शूद्र जाति से कोई उठकर साधु-संत बन जाते हैं, तो ब्राह्मण वर्ग को वह बहुत चुभता है।।

हिन्दू धर्म (ब्राह्मण धर्म) में सभी ग्रंथों में मिलावट कर दी गई थी, देखें

मेरी Sunny Deol सी बॉडी रै

महाभारत, चतुर्थ खण्ड, **44** सर्ग

"जो प्रदेश हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर है तथा जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम—इन पाँच एवं छठी सिंधु नदी के बीच में स्थित हैं, उन्हें बाहीक कहते हैं। वे धर्म से बाहर और अपवित्र हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए"।।7।।

श्लोक **12**

"वहाँ की स्त्रियाँ बाहर दिखाई देनेवाली माला और अंगराग धारण करके मतवाली तथा नंगी होकर नगर एवं घरों की चारदीवारियों के पास गाती और नाचती हैं।।**12**।।

इसमें यह जो स्थान बताया गया है, वह पहले का पंजाब था (बंटवारे से पहले)। उसमें हरियाणा, पंजाब और भी जगहें आती थीं। यह उन्हीं लोगों के बारे में बात चल रही है।

श्लोक **13**

वे गधों के रेंकने और ऊँटों के बलबलाने की-सी आवाज से मतवालापन में ही भाँति-भाँति के गीत गाती हैं और मैथुन काल में भी परदे के भीतर नहीं रहती हैं। वे सब की सब सर्वथा स्वेच्छाचारिणी होती हैं।।**13**।।

श्लोक **32**

जहाँ सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम—ये पाँच नदियाँ छठी सिंधु नदी के साथ बहती हैं, जहाँ पीलु नामक वृक्षों के जंगल हों, वे हिमालय की सीमा से बाहर के प्रदेश "आरटट्" नाम से विख्यात हैं। वहाँ का धर्म-कर्म नष्ट हो गया है। उन देशों में कभी न जाए।।**32**।।

यानि इस स्थान पर जितनी भी जातियों के लोग हैं, जैसे जाट, सिख, यहाँ सब "आरटट्" नाम से जाने जाते थे।

कुषाण का साम्राज्य

पूरा पंजाब से लेकर मथुरा तक था। "जाटों" का जो पूरा इलाका है, वहाँ का जो सबसे बड़ा राजा हुआ है, वह कनिष्क हुआ है।

अलबरूनी लिखते हैं-

"तब मथुरा नगरी में उस समय के राजा कंस की भगिनी के गर्भ से वसुदेव के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह एक पशुपालन करने वाला, नीच शूद्र जट्ट परिवार था।

कंस ने अपनी भगिनी के विवाह के समय एक आकाशवाणी द्वारा सुना था कि मेरी मृत्यु इसके

पुत्र के हाथ से होगी, इसलिए वह उसके सभी बच्चों को—क्या लड़का और क्या लड़की—मार डालता था।

अंततः उसके यहाँ बलभद्र उत्पन्न हुआ; और नन्द ग्वाल की स्त्री, यशोदा, बालक को उठाकर अपने घर ले गई। यह एक घट जातक कथा है, जो मथुरा में बहुत प्रचलित थी।"

इससे पता चलता है कि **11**वीं सदी में जाटों को नीच शूद्र कहना शुरू हो गया था। यहाँ जो "जट्ट" शब्द आया है, यह पुराने ***scriptions*** में "आरटट्" भी आता है, और अब "जाट" भी कहा जाता है।

महाभारत, चतुर्थ खण्ड, कर्ण पर्व, **44** सर्ग, श्लोक **38**

"मदिरापान, गुरु की शय्या का उपभोग, भ्रूणहत्या और दूसरों के धन का अपहरण—ये जिनके लिये धर्म हैं, उनके लिये अधर्म नाम की वस्तु है ही नहीं। ऐसे आरटट् और पंचनद-देश के लोगों को धिक्कार है।।**38**।।"

37 श्लोक - "शल्य! ऐसे ही तुम हो। अब मेरी बात का जवाब नहीं दोगे। मद्रदेश के निवासी को पृथ्वी के सम्पूर्ण देशों का मल बताया जाता है।।**37**।।

यहां पर यह जो मद्रदेश है, यह वही इलाका है जहां जाट रहते हैं।

- "वे जारज पुत्र उत्पन्न करनेवाले नीच आरटट् नामक बाहीक, सबका अन्न खाते और सभी पशुओं के दूध पीते हैं। अतः विद्वान पुरुष को उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए"।।

"जहां पर्वत से निकलकर ये पूर्वोक्त पांचों नदियां बहती हैं, वे आरट्ट नाम से प्रसिद्ध बाहीक प्रदेश हैं। उनमें श्रेष्ठ पुरुष दो दिन भी निवास न करें।"

यह उन प्रदेशों यानी क्षेत्रों की बात चल रही है, जहां जाट निवास करते थे।

"जाट जाति प्रच्छन्न् बौद्ध है। देखें - वर्तमान में जाट जाति उत्तर भारत और पाकिस्तान में कृषि प्रधान जाति है। सन् **1960** में ये जाति पंजाब की जनसंख्या का **20%** भाग थी। लगभग **10%** जनसंख्या का भाग बलूचिस्तान, राजस्थान, दिल्ली एवं **2** से **5%** जनसंख्या का भाग सिन्ध, उत्तर-पश्चिम में सीमान्त भाग, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। लगभग **40** लाख पाकिस्तान के जाट इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं (यानी मुस्लिम धर्म को अपना लिया)। भारत के लगभग **3** करोड़ **25** लाख जाट दो धार्मिक-जातियों में बंटे हुए हैं, जिसकी संख्या लगभग एक समान है। वे हैं - पंजाब में सिख और अन्य हैं - हिन्दू। मुसलमान जाट उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो सैकड़ों समूहों में विभाजित हैं और अपनी पैत्रिक परम्पराओं के अनुसार चल रहे हैं। वे अधिकांशतः ऊँट पालने का कार्य और मज़दूरी करते हैं।

भारत में पंजाब और पाकिस्तान में **10%** से अधिक जाट कृषि के मालिक हैं, लेकिन अधिकांशतः जाट कृषि कार्य ही करते हैं।”

(यह जाट लोग सिख और मुसलमान सम्मान पाने के लिए बने थे। ब्राह्मणवाद ने इन्हें नीच कहा है। सभी जानते हैं कि जब भारत में पहले से ही सनातन धर्म चल रहा है तो उन्हें सिख धर्म बनाने की क्यों पड़ी थी? इसका जवाब है - सम्मान के लिए। जो अछूत-शूद्र समझे जाते थे हिन्दू धर्म में, उन्होंने ही सिख, मुस्लिम व ईसाई धर्म अपनाया था, जैसे बाबा साहब ने हिन्दू धर्म से परेशान होकर बौद्ध धर्म अपनाया था।)

जाट की उत्पत्ति - "जागा, चारण और भाट, जिनकी उपयोगिता उस समय के जाट भी मानने लग गए थे। उनकी बहयों (पोथियों) यानी बहीखाता में जाटों को वर्ण-संकर और दोगला लिखाया गया है। प्रत्येक ऐसे जाट गोत्र के सम्बन्ध में, जो कि राजपूतों में भी मिलता है (यानी कुछ ऐसे गोत्र जो राजपूतों में भी मिलता है और जाटों में भी मिलता है), के बारे में बताया गया है कि अमुक गोत्र के राजपूत पुरुष ने अमुक गोत्र की जाट लड़की से शादी कर ली थी। अतः राजपूतों ने उसे अपनी बिरादरी से निकाल दिया और उसके पुत्रों से फलां-फलां जाट गोत्र प्रचलित हुए आदि आदि।”

इस अपशब्द (गाली) युक्त लोकोक्ति से भोले-भाले "जाटों का एक समूह यह मानने लगा है कि वह राजपूतों की औलाद है", जबकि यह बात आधारहीन, प्रमाण-शून्य और असत्य पर निर्भर करती है।

यह यानी जाटों की उत्पत्ति के बारे में पंडित अंगद शास्त्री ने सन् **1872** ई. में जाटों पर एक "जाठरोत्पत्ति" नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पुराणों की परशुराम-सहस्रबाहु अर्जुन वाली कथा का उल्लेख किया गया है कि परशुराम (सुपुत्र ऋषि जमदग्नि) ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए **21** बार क्षत्रियों से युद्ध करके उनको समाप्त कर दिया था। इस तरह से पृथ्वी क्षत्रिय-विहीन हो गई थी।

तो सहस्रों राजकन्याओं और क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से वीर्यदान लिया। उन क्षत्राणियों के पेट से पैदा होने के कारण वे सन्तानें "जाठर" कहलाईं। उनके वंशज 'जाट' हैं (संस्कृत में पेट को 'जठर' कहते हैं)। उनके वंशज जाट, दक्षिण भारत को छोड़कर उत्तर में हिमालय के अंचल में जठर देवकुट पहाड़ में रहने लगे। जाठर लोगों के रहने के कारण इस पहाड़ का नाम जठर पड़ गया।

(इसमें पुराणों में जो **21** बार में क्षत्रिय-विहीन की कहानी आई है, यह कहानी महाभारत में भी मिलती है।)

अंगद सिंह की तरह ही मेरठ के चौधरी लहरी सिंह ने भी अपनी पुस्तक **"The Anthropology of the Jats"** में इसी प्रकार का मत प्रस्तुत किया है।

अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब परशुराम ने **21** बार पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीन कर दिया था, तो फिर पौराणिक युग के भूतकाल, वर्तमान युग के करोड़ों क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर कहां से आ टपके?

वाई. पी. शास्त्री ने अपनी पुस्तक "जाट क्षत्रिय इतिहास" और कालिका रंजन कानूनगो ने अंगद शास्त्री और लहरी सिंह के मत को मूर्खता से भरपूर बताया है। प्रसिद्ध इतिहासकार डी. डी. कोसम्बी के द्वारा भी अंगद शास्त्री और लहरी सिंह की बात को अत्यन्त मूर्खतापूर्ण बताते हुए कहा गया है कि यहां क्षत्रियों का कभी अंत नहीं हुआ। यदि क्षत्रियों का अन्त हो ही जाता तो राम और लक्ष्मण के सामने परशुराम अपने अस्त्र-शस्त्र ही क्यों त्यागते?

जाटों की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत चिन्तामणि विनायक वैद्य का है उन्होंने अपनी पुस्तक 'महाभारत मीमांसा' में कहा है। महाभारत के कर्ण पर्व में शाकल नगरी के जर्तिक का वर्णन आया है। उनके अनुसार जाट इन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। इस मत के भी ठोस प्रमाण नहीं हैं। कालिका रंजन ने वैद्य के इस मत का प्रमाणों के साथ खण्डन किया है। कुछ इतिहासकार तीसरा मत प्रस्तुत करते हैं कि "जाट हैहय क्षत्रियों की उन शाखाओं में से हैं, जो सुजात और जात नाम से प्रसिद्ध थी।" ऐसा मालूम पड़ता है कि यादु नस्ल की एक शाखा जाट कहलाने लगी। जाट और यादु शब्द एक-दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हैं। यादवों को हैहय कबीले की एक शाखा का नाम 'जात' या 'सुजात' था।

इस मत में भी कोई दम-खम प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हैहय क्षत्रियों और जाट जाति में गोत्र और शारीरिक बनावट की कोई समानता नहीं।

कुछ लोग जाट जाति की उत्पत्ति महाभारत के युग से मानते हैं। उनका कथन है—महाभारत युद्ध के पश्चात राजसूय यज्ञ के समय पर भारत के सभी राजाओं ने महाराज युधिष्ठिर को ज्येष्ठ की पदवी दी थी। उन्हीं के वंशज को लोग आगे चलकर 'ज्येष्ठ' से 'जाट' कहने लगे।

यह कल्पनाओं पर आश्रित है, प्रमाण कुछ नहीं। पंडित लेखराम भी कुछ इसी प्रकार की मिलती-जुलती बात कहते हैं। उन्होंने 'यदु' शब्द का अपभ्रंश—जादू, जात, जाट—बतलाया है। कर्नल टॉड भी इसी बात को मानते हैं कि जाट यादव हैं। नेशफील्ड और विल्सन ने भी टॉड से सहमति प्रकट की है। हेरोडोटस, स्ट्रेबो, कनिंघम आदि का मत है—यूरोप में गाथ, गेटी, जेटी / चीन के यूची और यूती—ऐसे नाम हैं जो जाट से मिलते हैं। इस शब्द समानता के मिलते ही उन्होंने जाटों को इन्हीं जातियों के वंशज अथवा विदेशों से जाकर भारत में बस गए कह डाला।

चौधरी राम लाल हाला का मत है—सम्राट उशका 'याट' से जाट जाति का प्रारंभ हुआ है। पर इन सबका प्रमाण किसी के भी पास नहीं, सब काल्पनिक कहानियाँ हैं।

अगर जाट, यादव, ग्वाला बाहर से आई हैं, तो बुद्ध के समय ग्वाला सुजाता कौन थी? ठाकुर देशराज का मत है कि "जाट शब्द 'ज्ञात' शब्द का रुपान्तर है।" उनका कथन है—यह जान लेना चाहिए कि 'ज्ञात' शब्द साहित्यिक संस्कृत का है और 'जाट' शब्द प्राकृत (बोलचाल की संस्कृत) का है। उसी प्राकृत भाषा में 'ज्ञात' (जात) का 'जाट' हो गया है। किन्तु पंजाब वालों की बोलचाल में सच को 'सथ', 'सच्च' और हाथ को 'हथ', 'हथ्य' कहते हैं। जाट को भी 'जट', 'जट्ट' कहकर पुकारते हैं। ज्ञात से जात और फिर जाट और जट्ट शब्द भाषा (उच्चारण) भेद से बन गए।

पालि त्रिपिटक और जैन-वाडमय में अभी तक जाट जाति कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

दूसरी बात, पालि के सभी शब्दों को ब्राह्मणों ने बिगाड़ा है। जैसे—'देवानपियं' को पालि में 'देवों का प्रिय' होता है और संस्कृत में इसका अर्थ 'महामूर्ख' होता है। कुछ लोगों का मत है कि शिव की जटा से उत्पन्न होने के कारण ये जाट कहलाए।

मनुस्मृति **(10/4) -** अर्थात "ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—ये तीन वर्ण संस्कार होने से द्विजन्मा और शूद्र (संस्कार रहित रहने के कारण) एक जन्मा चौथा वर्ण है। पाँचवा कोई वर्ण नहीं।"

मनु के इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि जाट जाति वर्ण-व्यवस्था के अनुसार किसी भी वर्ण में नहीं आती थी, और न ही अनुलोम विवाहों और प्रतिलोम विवाहों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली वर्णसंकर जातियों में ही इनकी गिनती होती थी।

मनुस्मृति **(10/43-44) -** "पौण्ड्र आदि नाम के देशों में उत्पन्न पौण्ड्रक, चौड्र, द्रविण, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्हव, चीन, किरात, दरद, खश आदि क्षत्रिय जातियां ही धीरे-धीरे कर्तव्य आचरण न रहने तथा आचार-व्यवहार के दर्शक ब्राह्मणों के न रहने से शूद्र बन गई हैं।" इसका तात्पर्य यह है कि इन श्लोकों में जो बारह जातियां मनु के द्वारा गिनाई गई हैं, उन्हीं किसी एक अथवा दो जातियों में से वर्तमान जाट जाति का प्रादुर्भाव होना चाहिए।

जाट राजा व जाटों के पूर्वज, जिनको यह खुद को इनका वंशज मानते हैं—

सम्राट अशोक	**India**	सन् **269** ई०पू०
मिलिंद	“”	सन् **100**ई०पू०

कनिष्क	“””	सन् 78 ई०
हर्षवर्धन	“””	**606**
अंसुवर्मा	नेपाल	**700**
ऊ- ती	चीन	**502**
वान किएन	कोरिया	**935**
धम्चेति	वर्मा	**1453**
दुटुगामी	लंका	**101**
पराक्रमबाहु	लंका	**431**
चन्गेज खाँ*	मंगोलिया	**1206**
मंगू खाँ	कराकोरम	**1251**
कुबले* खाँ	पीकिंग	**1259**
सूर्यवंश राम	स्याम देश	**1882**
फान्युन	लाओस	**1355**

इन्द्रवर्मा	चम्पा	**860**
सिरी विजयनाग	सुमात्रा	सन् **384** ई०

यह "खाँ" की बुद्ध की उपाधि है, मंगोलिया में बुद्ध को खाँ कहा जाता है।

*हुलाकू कुबले का छोटा भाई है, जिसने कुबले के साम्राज्य का विस्तार ईरान और मेसोपोटामिया तक किया।

जाट लोग अशोक को और मिलिन्द को अपना पूर्वज धर्म के तौर पर मानते हैं, जैसे मुहम्मद अरब का है, फिर भी भारत के लोग उसे अपना सब कुछ मानते हैं, यानी धर्म के तौर पर वही पूर्वज हैं।

जाटों के वास्तविक पूर्वज कनिष्क से शुरू होते हैं, वर्तमान तजाकिस्तान ही प्राचीन कम्बोज देश था, शक लोग पूर्णतः कम्बोज से परिचित थे और तीसरी शताब्दी में कम्बोज को शकों का ही देश कहा जाता था, और शक जाति ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और यह जाति ही वर्मन और दत्त लिखने के कारण वर्मा और जट्ट (जाट) में परिवर्तित हो गई।

इसीलिए जयवर्मा सप्तम भी वर्तमान जाटों के पूर्वज का नरेश था, नरेश जयवर्मा सप्तम के रुग्णालयों सम्बन्धी **10** शिलालेख मिले हैं, इन लेखों में बुद्ध के निर्वाण काय, धर्म काय, संभोग काय इन तीनों कायों को नमस्कार किया गया है, इसने चिकित्सालय खुलवाये थे जो हर विहार के चारों ओर चिकित्सालय बनवाये गये थे, जैसा कि बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, "आरोग्य परमा लाभा" आरोग्य रहना परम लाभ है।

कुल मिलाकर "सनातन धर्म नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जाटों को कभी अपनाया ही नहीं। उन्हें शूद्र कहा, नीचा दिखाया, मंदिरों से बाहर रखा, और समाज में हाशिये पर धकेल दिया। इस अपमान और बहिष्कार का परिणाम था — जाटों का बिखराव।

गुरु नानक देव जी का सिख धर्म इसी ब्राह्मणवाद के विरोध में खड़ा हुआ था। उनका उद्देश्य था एक ऐसा रास्ता बनाना जहाँ जाति-पांति का कोई स्थान न हो, जहाँ इंसान सिर्फ इंसान हो — न ब्राह्मण, न शूद्र, न ऊँच, न नीच।

लेकिन अफ़सोस... समय के साथ वही सिख धर्म भी धीरे-धीरे उसी वर्ण व्यवस्था की गिरफ्त में जा पहुँचा, जिससे उसे जन्म लेने की ज़रूरत पड़ी थी। आज वहाँ भी पंडित, जातियाँ, ऊँच-नीच का बोलबाला है।

और सबसे बड़ा अफ़सोस तो यह है — कि जिन जाटों को इस व्यवस्था ने ठुकराया, आज वही जाट खुद को ब्राह्मणों का 'भाई', 'गुरु', और 'पिता तुल्य' कहकर उनके चरणों में बैठे हैं। वे भूल चुके हैं कि उनकी अस्मिता की लड़ाई किसी ने ब्राह्मण धर्म के भीतर नहीं, बल्कि उसके विरोध में शुरू की थी।

यह इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ है — जब शोषित खुद अपने शोषक को भगवान समझने लगे।"

ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ज्योतिषि और नक्षत्र हमको सनातन धर्म में नहीं मिलते, यह हिन्दू धर्म में मिलते हैं, यानी यह गुप्त काल में आने शुरू हुए थे, लेकिन मगल काल में इनको अंधविश्वास से जोड़ने लगे थे। देखिये डॉक्टर सुरेन्द्र कुमार अज्ञात की किताब "हिन्दू धर्म" के **page 294–295** पर —

"तुलसीदास ने अपनी बांह में होने वाले दर्द के उपचार के लिए हनुमान की स्तुति में 'हनुमानबाहुक' रच दिया, और यह प्रचार किया गया कि इस से क्योंकि तुलसी की बाहु की पीड़ा शांत हुई है, अतः जो भी इसका पाठ करेगा, उसकी भी बाहु-पीड़ा शांत हो जाएगी। इस तरह लोगों को औषधि के स्थान पर पाठ के पीछे लगाया गया।

दूसरे, उसने चिकित्सक पर भी अपना आधिपत्य जमा कर, अपने को उससे बड़ा दर्शा कर, अपने हलवे मांडे को सुरक्षित किया।

उसने ग्रहों और नक्षत्रों के शुभ–अशुभ फल की कपोल–कल्पित बातों से न केवल आम आदमी को, बल्कि चिकित्सक को भी भरमाने की कोशिश की, और ऐसी बातें कीं, जिनसे रोगी औषधि देने से ही पराङ्मुख हो जाए।

उसने कहा कि अमुक नक्षत्र में रोग पैदा होगा तो इतने दिन तक पीड़ा अवश्य रहेगी, उसके बाद स्वयं खत्म हो जाएगी। अतः औषधि लेना या न लेना एक ही बात है। नीचे कुछ नक्षत्रों के विषय में भिन्न–भिन्न रोग अवधियां अंकित हैं —

अश्विनी नक्षत्र में रोग की उत्पत्ति होने पर एक दिन, या **9** दिन, अथवा **25** दिन तक पीड़ा होती है।

भरणी नक्षत्र में रोग उत्पन्न होने पर **11** अथवा **21** अथवा **1** महीने तक पीड़ा होती है, अथवा मृत्यु हो जाती है।

कृत्तिका में **10** दिन, या **9** दिन, अथवा **21** दिन पीड़ा रहती है। **(**धर्मसिंधु, तृतीय परिच्छेद **1–3)**

इसी तरह 27 नक्षत्रों के विषय में काल्पनिक रोग अवधियां लिखी मिलती हैं। इस सब का परिणाम यह हुआ कि लोगों में औषधि न लेने की प्रवृत्ति बढ़ी, और वैद्य हतोत्साहित हुए।

लोग रोग निवृत्ति के लिए वैद्य के पास जाने की अपेक्षा, पुरोहित और ज्योतिषी के पास यह जानने के लिए जाने लगे कि रोग किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, और कितने दिन बाद शांत होगा।

हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, उसे अपने से दूर रखना चाहता है।

पुरोहितों ने — जिन्हें अपनी दान–दक्षिणा मिलने न मिलने तक का कुछ ज्ञान न था — लोगों को वैद्य से दूर करके, अपने चंगुल में फंसाने के लिए, उन्हें बताना शुरू किया कि अगर अमुक तिथि को आदमी बीमार होगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है।

एक बहुत लंबी सूची में से कुछ योग निम्नलिखित हैं —

जन्म–नक्षत्र, जन्म–राशि और अष्टम चंद्रमा में रोग का आरंभ होने पर मृत्यु होती है। रविवार को मघा द्वादशी, सोमवार को विशाखा एकादशी, मंगलवार को पंचमी आर्द्रा के योग में मृत्यु होती है। (धर्मसिंधु, तृतीय परिच्छेद)

लोगों को इस तरह अंधकारमय भविष्य से भयभीत कर, उनके रोग तो पंडों–पुरोहितों से दूर न हो सकते थे, पर उन्होंने अपनी गरीबी अवश्य दूर कर ली।

'धर्मसिंधु' में आगे लिखा है कि जिस–जिस नक्षत्र में रोग आरंभ होने से मृत्यु अवश्य होती बताई गई है, उस–उस नक्षत्र की शांति अवश्य करनी चाहिए।

शांति में मुख्यतः उस नक्षत्र की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए, उसकी पूजा करके, वह सुवर्ण–मूर्ति तथा एक गाय पुरोहित को दी जानी चाहिए:

ध्यान रहे, पुरोहित ने कहीं भी यह बात नहीं कही कि इस तरह शांति करने से मृत्यु टल जाएगी। यदि दान देने के पश्चात संयोगवश कोई बच गया, तो पुरोहित अपनी पीठ पर थापी देकर, उसका उदाहरण यहां–वहां देकर, दूसरों को उलटे उस्तरे से निर्विकार भाव से मंडता था।

यदि दान देने वाला मर जाता, तब भी पुरोहित के लिए कोई धर्म–संकट नहीं पैदा होता था। वह बड़ी ढिठाई से मृतक के संबंधियों को बताता कि म्रत्यु–योग था, उसको कोई कैसे टाल सकता था।”

अब इसी को आगे के ब्राह्मण भी करने लगे थे, और आम जनता भी।

आपको याद होगा, मैंने पीछे बताया था कि गाँधी जिस मन्दिर में जाता था, वहाँ एक ब्राह्मण लाढ महाराज रहते थे। वह रामायण का पाठ करते थे, लेकिन उनको कुष्ठ रोग था और वह दवा

नहीं लेते थे। उनका मानना था कि रामायण का पाठ करने से मैं ठीक हो जाऊँगा, और वह ठीक हो भी जाता है — ऐसा हमको गाँधी बताता है।

लेकिन गाँधी जब बीमार पड़ा, उसका बेटा और पत्नी बीमार पड़ी, तो उसने उनका डॉक्टर से इलाज कराया था।

और गाँधी ने अपने *हिन्दू स्वराज* बुक में वैध और डॉक्टर दोनों को गाली दी है, उनको नकारा है और प्राकृत इलाज की बात करता है।

देख रहे हो विनोद, हमको कैसे बेबकूफ बनाया जा रहा है।

Hii अखिलेश जी

यादव समाज शूद्र है या नहीं? यह हम देखेंगे - सबसे पहले तो मनुस्मृति में चारों वर्णों का कर्म लिखा हुआ है। उसको हम देखते हैं। - अध्याय **1** श्लोक **88** में ब्राह्मण के कर्म दिये गए हैं। - ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, ये **6** कर्म निश्चित किए गए हैं।

ऐसे ही **89** श्लोक में क्षत्रिय के कर्म दिये गए हैं। - क्षत्रियों के लिए संक्षेप से प्रजाओं की रक्षा, दान, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों (गीत-नृत्यादि) में आसक्त न होना, ये **5** कर्म निश्चित किए हैं।

90 श्लोक में वैश्य के कर्म - पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार (सूद पर रुपया देना और कृषि करना), ये वैश्यों के कर्म हैं।

91 श्लोक में शूद्र का कर्म - ब्रह्मा ने उपर्युक्त तीनों वर्णों का गुणान्वाद करते हुए सेवा करना, यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है।

अब चूंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पढ़ने का अधिकार था लेकिन शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो यहां से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि यादव समाज जो कि अंग्रेजों के समय तक अशिक्षित था, अन्य पिछड़ी जातियों की तरह, तो यह शूद्र की **category** में आता था। या आता है। अगर इस पर विश्वास नहीं है, तो किसी भी एक महापुरुष का नाम बताएं जो अंग्रेजों के समय से पहले का हो, जो शिक्षित हो। अब अगर अब भी संदेह है, तो आप इस मनुस्मृति के अध्याय **2** में उपनयन संस्कार के बारे में बताया गया है। क्योंकि उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही कर सकते हैं। शूद्र उपनयन संस्कार नहीं कर सकते हैं। यादव समाज कभी जनेऊ (उपनयन संस्कार) नहीं पहनता है। अब अगर भी आपको संदेह है, तो वाल्मीकी रामायण ही देख लीजिए। (यह मैं बता देता हूं कि इन सभी किताबों में बाद में ब्राह्मणों ने मिलावट की है, लोगों को शूद्र और अछूत बनाने के लिए)। रामायण के युद्धकांड के **22** के सर्ग में जब राम धनुष पर वाण चढ़ाकर समुद्र के पानी को सोखने के लिए उसे ललकारते हैं, तो तब समुद्र इंसान के रूप में प्रकट होकर राम से समुद्र पर पुल बनाने की डील करता है। और साथ ही राम से यह भी कहता है कि धनुष वाण आप उठा ही लिए हो, तो आप वह आभीर को, यानि यादवों को खत्म कर दो उस धनुष से। देखिए **22** सर्ग में श्लोक संख्या **33** - वहां आभीर यानि यादव आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं। जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी, बोर, लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं।

श्लोक **34** - उन पापचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम! आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए।

श्लोक **35** - महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री राम ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया।

श्लोक **36** - वह वज्र और अशनि के समान तेजस्वी वाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

अब आप तुलसीदास की रामचरितमानस को देखें - उत्तरकांड के **129** छंद **1** में, लिखा है। पेज नं. **1045** पर - आभीर (यादव), यवन, किरात, खस, चाण्डाल आदि जो अत्यन्त पापरूप हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम को मैं नमस्कार करता हूं।

अब आप व्यास स्मृति का श्लोक देखिए अध्याय **1** के **11-13** श्लोक - अर्थात बढ़ई, नाई, ग्वाला (यादव, आभीर), आशाप, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, मालो, कुटुंबी, चर्मकार, भट, भील, धोबी, पुष्कर, नट, बुरुड, मेद, चांडाल, दाश (कैवर्त), श्वक्च, कोल - ये और गोमांस खाने वाले अन्य अंत्यज कहलाते हैं। इन में से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए। इन से बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए।"

ययाति कुल खानदान को याद रखना चाहिए क्योंकि इसी से एशिया की जातियों का जन्म हुआ, ययाति से ही आगे चलकर चंद्रवंश चला जिसमें से यदुओं, तुर्वसुओं, आनवों और द्रहुओं का वंश चला। ययाति के प्रमुख **5** पुत्र थे - पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रहु। इन पांचों ने संपूर्ण धरती पर राज किया था।

पांचों पुत्रों ने अपने-अपने नाम से राजवंशी की स्थापना की।

यदु से यादव, अनु - म्लेच्छ, तुर्वसु - यवन, पुरु - पौरख वंश, द्रहु - भोज इन पांचों पुत्रों से अखंड भारत (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिन्दुस्तान, बांग्लादेश, वर्मा, थाईलैंड) की जातियां बनीं।

ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रूष्ट हो गया था और उसे शाप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न प्राप्त होगा। (हरिवंश पुराण **1/30/29**) ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों से ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया (महाभारत **1/85/32**)

मनुस्मृति **chapter 10** श्लोक **92** - मांस, लाख, भौर, नमक बेचने से ब्राह्मण शीघ्र ही पतित हो जाता है। और दूध बेचने से तीन ही दिन में शूद्र हो जाता है।।**92**।।

यहां दूध बेचने वाला (ग्वाला या यादवों) की बात चल रही है। यानि ब्राह्मण ने दूध बेचा तो वह **3** दिन में ही शूद्र हो जाएगा, तो दूध बेचने वाला (ग्वाला या यादव) तो वैसे ही शूद्र है।

इसी का **15** श्लोक **-** उग्रकन्या **(**क्षत्रिय से शूद्र में उत्पन्न कन्या को उग्रा कहते हैं**)** में ब्राह्मण से उत्पन्न बालक को आवृत्त**,** अम्बष्ठ **(**ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न कन्या**)** कन्या में उत्पन्न पुत्र अभीर आयोगवी कन्या **(**शूद्र से वेश्या में उत्पन्न कन्या**)** में उत्पन्न पुत्र को धिग्वर्ण कहते हैं।।**15**।।

यहां आभीर **(**ग्वाला या यादव**)** है।**"**

रामचरितमानस**,** उत्तरकाण्ड**, 129** छन्द **1-** आभीर/ ग्वाला**,** यवन**,** किरात**,** खस**,** चाण्डाल आदि जो अत्यन्त पापरूप ही हैं**?**

व्यासस्मृति **1/11-13 -** बढ़ई**,** नाई**,** ग्वाला**,** कुम्हार**,** कायस्थ**,** माली**,** चर्मकार**,** धोबी **………** इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए। इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए**,** तब द्विज शुद्ध होता है।

(इसी कारण रामानुज जब जंगलों में व्याधों से बातचीत करते हैं तो वह स्नान करते हैं।**)**

महाभारत मौसल पर्व अध्याय **7,** श्लोक **47** में **"**अशुभदर्शी**,** मूर्ख अहीर**,** पापाचारी आभीरों ने**"** ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है।

श्लोक **63-** यहां महाभारत में कृष्ण को यादव बताया है**,** जबकि आभीर/अहीर समाज के प्रति फिर से नफरत जाहिर करता है**,** उन्हें डाकू म्लेच्छ मूर्ख पापाचारी बोलना नहीं छोड़ता**,** जो कि उसने मनुस्मृति**,** व्यासमृति सहित बाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड के **20** से **22** सर्ग में किया है। यहां पर भी यही बात दोहराता नजर आता है।

गोलवलकर का साइंस

गोलवलकर और संघ के लिए भारत का मतलब केवल उत्तर भारत तक सीमित था। जब वे 'हिन्दू स्वर्ण काल' की बात करते थे, तो इसका मतलब होता था उत्तर भारत का 'स्वर्ण काल', यह केवल मुसलमानों और ईसाइयों को ही बहिष्कृत नहीं करता था, बल्कि ब्राह्मणों, विशेषकर उत्तर भारतीय बाहाणों को छोड़कर अन्य सभी हिन्दुओं को भी खारिज करता था। इसे **17 September 1960** को गुजरात विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र के विद्यार्थियों को दिये गये गोलवलकर के भाषण में साफ तौर पर देखा जा सकता है।

मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर के नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया। और एक नियम बनाया गया कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। एक और इससे भी अधिक साहसी काम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और उसके बाद ही वह अपने पति से संतान उत्पत्ति कर सकती है। आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, यानि आज की डेट में तो लोग इसे व्यभिचार बताएंगे, तो इस पर गोलवलकर कहता है, "नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यह तो पहली संतान तक ही सीमित था"[विशेष जोर देकर कहा है] ॥ (ऑर्गनाइजर, **2 Jan 1961** में गोलवलकर का यह **statement** छपा था)।

गोलवलकर का यह बयान कई तरह से घोर अपमानजनक है। पहला तो यह कि इससे साबित होता है कि गोलवलकर का विश्वास था कि भारत में हिन्दुओं की एक बेहतर नस्ल या वंशावली है तथा एक कमतर नस्ल भी है, जिसे क्रॉस-ब्रीडिंग द्वारा सुधारने की जरूरत है। दूसरा उनके विश्वास का और अधिक चिंतनीय पहलू यह है कि उनके अनुसार केवल उत्तर भारतीय ब्राह्मण, खासतौर पर नंबूदरी ब्राह्मण ही उस बेहतर नस्ल से संबंध रखते थे। इसी नस्ली श्रेष्ठता के कारण ही नंबूदरी ब्राह्मणों को उत्तर से केरल में वहां के हिन्दुओं की, जिसमें वहां के ब्राह्मण भी शामिल थे, हीन प्रजाति को सुधारने के लिए भेजा गया था।

19वीं सदी में केरल को तंजोर माधव राव ने स्थापित किया था और महिलाएं खुले स्तन रखेगी यह कानून इसी ने पास किया था। नंबूदरी ब्राह्मण ने यह कानून बनाया था। इस चीज के सबूत भी हैं। अंग्रेजों ने कहा था जो लोग या महिलाएं ईसाई धर्म अपना रही हैं, वह स्तन ढक सकती हैं, लेकिन ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे थे। यह चैप्टर **NCERT** की **Book** से हटा दिया गया है केरल में।

1729 में मार्थड वर्मा ने त्रावणकोर (केरल) की स्थापना की थी, ऊंची जातियों के द्वारा कानून बनाया गया कि निम्न (नीच) जातियों के पुरुष सिर पर पगड़ी या गमछा रखते या वह सिर को किसी तरह से ढकना चाहते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। निम्न जातियों की ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। उस समय वेल्लार, नायर, नंबूदरी को केरल में सवर्ण (अपर कास्ट) माना जाता था। पुलस्य, एडवा, नाडार को निचली जाति, एडवा जाति की एक महिला थी कालो नांगेली **(Nangeli)**, वह अपना स्तन काट देती है, तो इससे जनता का वहां के राजा मार्ताण्ड (मार्थड वर्मा) पर प्रेसर डाला जाता है, तो वह राजा सिर्फ एडवा जाति की महिलाओं से ही स्तन **tax** हटाता है। साल **1803** में, अब नाडर जाति भी अपना टैक्स हटवाना चाहती थी और भी जातियां हटवाना चाहती थीं, इसको अंग्रेजों ने बंद करने का प्रयास किया लेकिन वह कर नहीं पाए, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों का पूरे भारत पर शासन नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने इसका दूसरा उपाय खोजा था कि जो महिलाएं ईसाई बन जाएंगी, वह स्तनों को ढक सकती हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के इस नियम को नहीं माना, वह अंग्रेजों से लड़ते रहे, फिर **1859** में चार्ल्स ट्रेवेलियन द्वारा यह कुप्रथा बंद की गई। क्योंकि अब अंग्रेजों का पूरे भारत पर शासन था, क्योंकि **1857** की क्रांति हो चुकी थी और **1858** तक अंग्रेजों ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था।

राजा मार्थड वर्मा ने हाउस टैक्स, पानी टैक्स भी लगा रखे थे। स्तनों के साइज के अनुसार टैक्स वसूला जाता था। मलयालम में इस टैक्स को मुलक्करम कहा जाता था। राजा का आदमी घर-घर जाकर इस टैक्स को बसूलता था। इतिहास में यह दर्ज है कि **1822-23, 1827-29, 1858-59** तक अलग-अलग जगहों पर इसका विरोध हुआ, स्तन टैक्स का। इन विरोधों में सबसे ज्यादा नांगेली प्रसिद्ध है।

India Today ने इतिहासकार मनुएस पिल्लई का एक बयान प्रकाशित किया है। इसके अनुसार, कोचिन की रानी भी अपना स्तन खुला ही रखती थी। ये स्त्रियां ब्राह्मण परिवार की थीं। इस मनुएस पिल्लई ने यह बात इस आधार पर की है- "केरल समुद्री तटीय इलाका है, भौगोलिक रूप से इसे ट्रापिकल एरिया कहा जाता है। यहां पर भीषड़ गर्मी पड़ती है और उमस रहती है। इसलिए अधिकांश लोग शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं पहनते थे, पुरुष हो या महिलाएं, वे शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला ही रखते थे।"

इसी आधार पर पिल्लई ब्राह्मण को सही ठहराना चाहता है।

नंबूदरी ब्राह्मणों ने यह प्रथा चालू की और इस कानून को वहां के राजा मार्थण्ड वर्मा ने पास किया था।

लोगों का और न्यूज़ वालों का यह भी कहना है कि जिस समय केरल में यह प्रथा प्रचलित थी, उस समय उस समाज में बहुपति प्रथा या व्यवस्था थी और इस प्रथा को सम्मान के नजरिए से

देखा जाता था। यानी महिलाओं को यह स्वतंत्रता थी कि वे किसी भी पति को चुन सकती थीं। यह जनजातीय समाज का एक गुण था। इसे मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रथा का अपने तरीके से फायदा उठाया। अंग्रेजों ने महिलाओं को स्तन ढकने की आज़ादी दी थी, जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था, अंग्रेजों ने उन्हें जाहिल और पिछड़ा कहा। अंग्रेजों ने इन इलाकों में मातृसत्तात्मक समाज की जगह पर पितृसत्तात्मक सोच को थोपा गया।

जबकि **1** नवम्बर **1858** को महारानी विक्टोरिया ने यह फैसला सुनाया कि - भारतीय प्रजा को यह आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा, बल्कि उनके प्राचीन विश्वासों, आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान किया जायेगा। भारतीयों को जाति या धर्म के भेदभाव के बिना उनकी योग्यता, शिक्षा, निष्ठा और क्षमता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्त, किए जाने का समान अवसर प्रदान करने का आश्वासन दिया।

"मैं जानता हूँ, मेरी इस किताब के सामने आने के बाद, बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे —

'गांधी और अंबेडकर दोनों महान थे!

दोनों में बस विचारों का फर्क था!'

लेकिन मैं आज इस झूठ की चादर को फाड़कर फेंक दूंगा!

असलियत यह है — गांधी ने छुआछूत मिटाने के लिए कभी कोई संघर्ष नहीं किया!

न सत्याग्रह, न आंदोलन, न बलिदान! कभी हिंदू समाज की ऊंची जातियों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ।

बाबा साहब ने खुद अपनी किताब 'कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया' में गांधी और कांग्रेस के नकली चेहरे को नंगा किया!

कैसे गांधी और कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहते थे!

गांधी कभी अछूतों को बराबरी देना ही नहीं चाहता था!

वह चाहता था दलित सदियों तक नीचे रह जाएं —

गांधी के लिए अछूत केवल 'हरिजन' थे — यानी दया के पात्र! उन्हें बराबरी का इंसान कभी नहीं माना गया।

गांधी ने अछूतों को कभी अपने आंदोलन का असली साथी नहीं बनाया।

उन्होंने सिर्फ उनके नाम पर सहानुभूति दिखाई, पर कभी सच्चा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार नहीं देने की बात नहीं की।

इसके उलट बाबा साहब ने अछूतों के लिए न केवल सम्मान की मांग की, बल्कि समान अधिकार, स्वतंत्र राजनीति, स्वतंत्र पहचान और सम्मानजनक जीवन की भी लड़ाई लड़ी।

बाबा साहब ने खुद साफ कहा है —

'गांधी को मैंने महात्मा कभी नहीं माना, मैंने उनके भीतर के जहरीले दांत देखे हैं।'

बाबा साहब ने गांधी को समाज सुधारक भी नहीं माना, और ना ही कोई ईमानदार नेता माना।

बाबा साहब के शब्दों में —जिसने अंग्रेजी अखबारों में खुद को उदार दिखाया, लेकिन गुजराती भाषा में वर्णव्यवस्था का समर्थन किया! बाहर दुनिया को वह उदारवादी लगते थे, लेकिन अपने असली दिल से वह कट्टर हिंदू ही थे।'

बाबा साहब ने कहा था —

'जब सारे लोग गांधी को महात्मा समझकर उनके पैरों में गिरते थे,

तब मैंने उनके असली चेहरे को पहचान लिया था!'

बाबा साहब ने गांधी का ना तो आदर किया, ना महिमा मानी, ना ही उन्हें महात्मा स्वीकारा।

बाबा साहब ने सच देखा था, सच समझा था, और सच बोला भी था।

मेरी यह किताब बाबा साहब की उसी सच की मशाल को लेकर खड़ी है —

ताकि आने वाली पीढ़ियों को असली इतिहास जानने से कोई रोक न सके!"

आज मैं भी वही कर रहा हूँ —

गांधी की बनाई हुई उस झूठी महिमा का नकाब उतार रहा हूँ,

ताकि सच की रोशनी हर अंधेरे को फाड़कर बाहर निकले!"

जब मेरी यह किताब छपेगी —

तब बहुत सारे टीचर, इतिहासकार, यूट्यूबर, पैसे और डर के गुलाम बनकर चिल्लाएंगे वे कहेंगे — 'गांधी तो महान थे', 'अंबेडकर ने भी गांधी का सम्मान किया था', लेकिन मैं तुम्हें सीधा सच दिखा चुका हूं:

"सच जिंदा है — झूठ का साम्राज्य आज टूटेगा!"

"महात्मा नहीं — सत्ता का सौदागर था वह!"

"महापुरुष वही होता है जो समय के छलावे को पहचान लेता है — बाबा साहब ने गांधी को पहचान लिया था।

"अब सवाल यह है कि कुछ लोग गांधी को भी सही बताते हैं और बाबा साहब को भी। इसके पीछे जो असली सच्चाई और चाल है, वह यह है कि बाबा साहब को अछूतों का मसीहा नहीं दिखाना। लोग यह नहीं चाहते कि बाबा साहब को पूरी तरह से अछूतों का असली मसीहा माना जाए। इसके बजाय, वे यह संदेश फैलाना चाहते हैं कि अछूतों के असली मसीहा गांधी थे, और गांधी ने उनके लिए काम किया। यह केवल एक चाल है, ताकि बाबा साहब की भूमिका को कम करके दिखाया जा सके।

दूसरी वजह है इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर। जब किसी व्यक्ति को दो विरोधी विचारों को एक साथ सही मानने की कोशिश करनी होती है, तो वह अपने मानसिक असमंजस से बचने के लिए ऐसा करता है। यह मानसिक स्थिति कॉग्निटिव डिसोनेंस के रूप में सामने आती है। **Cognitive Dissonance** (कॉग्निटिव डिसोनेंस) का मतलब है जब किसी व्यक्ति के मन में

दो बिल्कुल विरोधी विचार होते हैं, और उसे इन दोनों को एक साथ मानने में परेशानी होती है। वह व्यक्ति मानसिक असमंजस या उलझन महसूस करता है, क्योंकि दोनों विचार एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, फिर भी वह उन्हें सही मानने की कोशिश करता है।

अब इसका उदाहरण:

मान लीजिए, एक तीसरा व्यक्ति है जो गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर दोनों के विचारों को सही मानता है। गांधी जी ने कहा था कि अछूतों के लिए कुछ सुधार किए जाएं, लेकिन असल में उन्होंने उन्हें समाज में समानता देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, बल्कि यह केवल दिखावा था। वहीं, बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि अछूतों को समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और कड़े कदम उठाए।

अब, यह तीसरा व्यक्ति दोनों के विचारों को सही मानता है, जो एक प्रकार से असंभव है। गांधी जी का दृष्टिकोण और बाबा साहब का दृष्टिकोण बहुत अलग थे। गांधी जी ने केवल दिखावे के रूप में अछूतों के लिए काम किया, जबकि बाबा साहब ने पूरी तरह से अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

इस स्थिति में, यह तीसरा व्यक्ति कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाता है। उसे यह समझने में कठिनाई होती है कि दोनों विचार एक साथ कैसे हो सकते हैं। इसलिए, वह खुद को मानसिक शांति देने के लिए कह सकता है, "गांधी जी ने थोड़ा बहुत तो अछूतों के लिए किया ही था, और बाबा साहब ने जो किया, वह और भी प्रभावी था।" इस तरह से वह दोनों विचारों को सही साबित करने की कोशिश करता है, ताकि वह मानसिक असमंजस से बच सके और उसे किसी भी विचार को पूरी तरह से नकारना न पड़े।

सारांश में: यह व्यक्ति दोनों विरोधी विचारों को एक साथ सही मानने की कोशिश करता है, ताकि वह मानसिक असमंजस या उलझन से बच सके। ऐसे में वह तर्क देने लगता है कि गांधी जी ने दिखावे के लिए थोड़ा कुछ किया था, और बाबा साहब ने सही मायने में बदलाव लाया। इसी तरह वह दोनों को सही साबित करने की कोशिश करता है।”

साप्ताहिक 'जनता' के **26** नवंबर, **1938** के अंक में प्रकाशित हुआ। दरअसल, अहमदाबाद में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आने वाले हैं, इस प्रकार का समाचार चारों ओर फैल गया था। इस समाचार को सुनकर कांग्रेस के लोग बड़े बेचैन हो गये थे। उन्होंने डॉ. आंबेडकर अहमदाबाद न आएं, इस बात का पूरा प्रयास किया। लेकिन डॉ. आंबेडकर **22, 23** अक्टूबर, **1938** को अहमदाबाद के दौरे पर आए। अहमदाबाद में गुजरात वर्नाकुलर सोसायटी के प्रेमभाई सभागार में दलित युवक मंडल की ओर से उनको सम्मान पत्र दिया गया था। इस सभा को संबोधित करते हुए डॉ. आंबेडकर ने भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने गांधी पर विश्वासघात करने का

आरोप लगाया था। यह आरोप शायद ही किसी ने गांधी पर लगाया हो। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी द्वारा गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद अछूतों के राजनीतिक अधिकारों के प्रति अपनाया गमेरेया रवैया था। साथ ही गांधी की तुलना डॉ. आंबेडकर ने नेपोलियन से की है, जो गांधी की लोकतांत्रिक व्यक्तित्व की छवि को तार-तार कर देता है। वह [डॉ. आंबेडकर] बोलते है- ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं गांधी का विरोधी हूं, मैं उन्हें नहीं मानता। यह बात बिल्कुल सही है। और इस बात को मैं गुजरात के इस मैदान में गांधीवाद के किले में आप सभी के सामने खुलेआम कह रहा हूं। यह कहते हुए मुझे कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि गांधी के विरोध में बोलना आसान नहीं है। आज करोड़ों लोग उन्हें अवतारी पुरुष मानते हैं। दुनिया के सामने वे हिंदुस्तान के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में विदेश जाते हैं। वे साधु, महात्मा समझे जा रहे हैं। क्या मुझे यह नहीं मालूम कि गांधी के चरणों में नाक रगड़कर 'जी हुजूरी' करने से कितनी भलाई है? सुभाषचंद्र बोस को ही लीजिए। सन् **1932** में विट्ठलभाई पटेल के कान में उन्होंने गांधी के बारे में क्या कहा था?....... एक समय नेपोलियन ने कहा था, 'आई ऍम दी स्टेट' [मैं ही राज्य हूं], आज गांधी लोगों को परोक्ष रूप से यही बनना चाहते हैं, 'आई ऍम दी कांग्रेस' [मैं ही कांग्रेस हूं]…मेरे ऊपर एक और आरोप यह है कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं। और बात भी सही है। कांग्रेस में जाने से क्या-क्या फायदे हैं, यह मुझे मालूम है। मैं कांग्रेस में जाऊं, इसके लिए भी प्रयास किये गये हैं। उनमें से एक प्रयास के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इससे आपको यह बात समझ में आएगी कि कांग्रेस में जाने का मतलब क्या होता है। सन् **1935** में एक बार मेरा एक मित्र मुझे आग्रह के साथ गांधी से मिलवाने वर्धा ले गया। मैं जानता था कि मुलाकात का कोई उपयोग नहीं है। किंतु मित्र के आग्रह पर मैं वर्धा गया। शेगांव में गांधी से भेंट हुई और मेरा अंदाजा सही निकला। पुनः हम लोग वर्धा में सेठ जमनालाल के यहां गये। वहां फिर कुछ लोग मेरा मन अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करने लगे। जमनालाल बजाज ने कहा- "देखो डॉक्टर साहब, आप बड़ी भूल कर रहे हैं।"

मैंने कहा- "वह कैसे?"

उन्होंने कहा- "देखिए, कांग्रेस में आने से आपकी कितनी भलाई होगी! अछूतोद्धार का आंदोलन हमलोग आपके हाथों में सौंप देंगे। क्या आप यह जानते हैं कि हमारे मारवाड़ी समाज के बारे में लोग क्या कहते थे? ये लोग समाज का खून चूसने वाले हैं, किसानों को बर्बाद करने वाले, बेरहम, बदमाश हैं, लेकिन आज एक मारवाड़ी राष्ट्रपुरुष हैं। चारों ओर उन्हीं की हवा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आज हम लोग कांग्रेस में हैं। आप कांग्रेस में आइए, आप भी राष्ट्रपुरुष होंगे।"

मैंने कहा- "यह कैसे संभव है? मेरा गांधी पर यकीन नहीं है। उनके काम पर मुझे भरोसा नहीं है। मेरे उनसे मतभेद हैं। मैं कांग्रेस में आकर क्या करूंगा?"

"कोई बात नहीं, मतभेद हैं, तो क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू को देखिए। उनके भी गांधी से मतभेद हैं। कई बातों पर अनबन होती है। फिर भी वे कहते हैं कि 'गांधी मेरे गुरु हैं', वही बात आपको भी करनी चाहिए। बस हो गया। फिर सब बातें ठीकठाक हो जाएंगी।"

मैंने हंसकर कहा- "यदि किसी पर अपना विश्वास हो तो मतभेदों के बावजूद भी उसके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। किंतु मेरा तो गांधी पर विश्वास ही नहीं है। फिर मैं उन्हें गुरु कैसे कहूंगा? और उनके साथ काम कैसे कर पाऊंगा?"

बात यहीं पर रुक गई। पुनः हमलोग गांधी से विदा लेने शेगांव गये। वहां पहुंचने के बाद मैंने पाया कि मुझसे पहले ही वर्धा में हुई बातचीत शेगांव पहुंच गई। मेरे वहां पहुंचकर गांधी के सामने जाते ही महादेव देसाई ने गांधी से कहा- "खबर छे बाबूजी, डॉक्टर साहेब सूँ कहे छे।"

"क्या? क्या कहते हैं?" गांधी ने पूछा।

गांधी के बारे में मेरे विचार क्या हैं, उनके सामने कहने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। कुछ इस तरह के भाव व्यक्त करते हुए महादेव देसाई ने कहा-"वे कहते हैं कि आप पर उनका विश्वास नहीं है। इसलिए वे आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।"

गांधी ने मेरी ओर सवालिया नजरों से देखा। मैंने कहा- "बिल्कुल सही बात है। मेरा आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है।"

कांग्रेस में जाकर समाज-परिवर्तन का कोई कार्यक्रम हाथ में लेना संभव नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं।” (अनुवाद : डॉ. एल. जी. मेश्राम 'विमलकीर्ति')

डॉ. आंबेडकर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'ह्वाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबिल्स' का दसवां अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक 'बीवेयर ऑफ मिस्टर गांधी' था। यह पुस्तक सन् **1945** में प्रकाशित हुई थी। यह 'डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज' के नवें खंड में संकलित है।

इसमें डॉ. आंबेडकर ने गांधी के पूरे जीवन, व्यक्तित्व, विचारों एवं कार्यों का आकलन किया है। इस अध्याय में उन्होंने विशेष तौर पर छुआछूत प्रथा के प्रति गांधी का नजरिया क्या रहा है, इसका विस्तार से वर्णन किया है और समय-समय पर उसमें क्या परिवर्तन आए, उसे भी रेखांकित किया है। इसके साथ ही डॉ. आंबेडकर ने गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा छुआछूत प्रथा मिटाने के लिए किए गए कार्यों की असलियत को भी उजागर किया है और तथ्यों के साथ यह बताया है कि वास्तव में गांधी और कांग्रेस ने छुआछूत प्रथा मिटाने लिए भी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। जो कदम उठाए गए, वे सिर्फ दिखावे के लिए थे और ढकोसला थे। गांधी और कांग्रेस ने कैसे अछूतों के राजनीतिक अधिकारों के मार्ग में हर कदम पर बाधा खड़ी की, यह अध्याय इस पूरे घटनाक्रम को भी उजागर करता है।”

कांग्रेस ने हमेशा एक षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को कुचलने की कोशिश की!

वह बार-बार यह झूठा नारा फैलाती रही कि अछूतों, ओबीसी, एससी, एसटी के असली रक्षक केवल गांधी हैं!

सच्चाई का गला घोंटने के लिए कांग्रेस ने दलितों के सामने गांधी की नकली छवि बनाई — लेकिन आज मैं, हाँ मैं — सच्चाई की आवाज़ बनकर — पेश करता हूँ राय बहादुर मेहर चंद खन्ना का वह ऐतिहासिक बयान,

जो **12** अप्रैल **1945** को पेशावर में दलित वर्ग संघ की सभा में दिया गया था!

ताकि दुनिया जान ले —

असली लड़ाई किसने लड़ी, और नकाबपोश मसीहा कौन था!

"तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों के लिए अनशन किया और पूना पैक्ट के अंतर्गत मताधिकार तथा स्थानीय निकायों और विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाया। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डॉ. आंबेडकर के पीछे दौड़ रहे हैं, जिन्हें साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने खड़ा किया है और जो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ मजबूत करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं ताकि अंग्रेज भारत में फूट डाल कर शासन करते रहें। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि यह समझें कि आपकी अपनी भलाई किस बात में है और स्वयंभू नेताओं और अपने वास्तविक शुभचिंतक मित्रों के बीच के फर्क को पहचानें।"
(गाँधी और गाँधीवाद **page 34)**

गांधी ने सत्ता में हो रही गलतियों को सुधारने के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ सत्याग्रह छेड़ा, स्वराज की लड़ाई के लिए अनशन किया, पर जब सवाल आया अछूतों के — एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों का, तो वह मौन साधकर बैठ गया! वह कुओं से पानी भरने के हक के लिए, मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अछूतों के लिए — एक बार भी हिंदू समाज के खिलाफ सत्याग्रह करने की हिम्मत नहीं जुटा सका! पूरी जिंदगी में **21** अनशन किए — लेकिन याद रखना! दलितों के लिए एक भी अनशन नहीं किया! एक भी नहीं!!

अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला गांधी, ऊंची जातियों के खिलाफ लड़ने से डर गया! यह है उस तथाकथित महात्मा की सच्चाई, जो स्वराज के लिए भूखा रहा, लेकिन दलितों की आजादी के लिए एक निवाला भी त्यागने को तैयार नहीं था!! क्या यह महात्मा था?

या सत्ता का एक नकली अवतार??

आज सच को चीख-चीखकर कहना पड़ेगा —

उसने दलितों के लिए कभी युद्ध नहीं लड़ा — कभी नहीं”

जो लोग गांधी को महान बताते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब की तरह गांधी भी महान थे और अछूतों के लिए काम किया था, तो उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए। ध्यान रखें, जो लोग गांधी का पूरी तरह से पक्ष लेते हैं, जो गांधी को सही मानते हैं, वे दरअसल बाबा साहब को पूरी तरह से नकार रहे हैं। वे बाबा साहब की किताबों को कचरा समझकर खारिज कर रहे हैं। जो लोग यह कहते हैं कि बाबा साहब ने गांधी की इज्जत की थी, उन्होंने गांधी को बुरा नहीं बताया, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने कभी बाबा साहब की किताबें पढ़ी ही नहीं, कभी बाबा साहब को समझा ही नहीं है, क्योंकि वे बाबा साहब को नीचे समझते हैं, तो वे बाबा साहब की किताबों को क्यों पढ़ेंगे, क्यों उसे हाथ लगाएंगे? खैर अंधभक्तों इन सवालों का जबाब जरूर दें -

1. गांधी के राजनीतिक मंच पर आने से पहले अछूतों का उत्थान करने के लिए कुछ सवर्ण हिंदुओं ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी बनाई थी। उस संस्था को चलाने के लिए हिंदुओं ने चंदा इकट्ठा किया था। उस सोसायटी का कार्य-संचालन, हिंदू और अछूत दोनों के संयुक्त बोर्डों द्वारा किया जाता था। तब गांधी ने हरिजन सेवक संघ के प्रबन्ध से अछूतों को क्यों अलग रखा ?

2. पूना पैक्ट पर स्वीकृति के पश्चात गांधी भलेमानुष की तरह समझौते पर क्यों नहीं कायम रहे और कांग्रेस मंत्रिमंडलों में अछूतों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कांग्रेस हाई कमान को निर्देश क्यों नहीं दिए?

3. सन् **1921** में गांधी ने तिलक स्वराज फंड के लिए एक करोड़ पच्चीस लाख रुपए एकत्र किए थे। गांधी ने जोर देकर कहा है कि जब तक छुआछूत का निवारण नहीं हो जाता, स्वराज प्राप्त करना संभव नहीं है। तब गांधी ने अछूतों के हित में **43,000** रुपए की मुट्ठी भर धनराशि के आवंटन पर कोई आपत्ति क्यों नहीं की?

4. सन् **1922** में रचनात्मक कार्य की बारदोली योजना की रूपरेखा तैयार की गई। अछूतों का उत्थान करना उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसकी विस्तृत योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने कभी कोई कार्य नहीं किया और भंग कर दी गई और बारदोली कार्यक्रम से अछूतोत्थान की योजना निकाल दी गई। समिति के खर्चों को पूरा करने के लिए केवल **500** रुपए दिए गए थे। तब गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की इस कंजूसी और सौतेले व्यवहार के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई? गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद का समर्थन क्यों नहीं किया, जो समिति को बड़ी धनराशि दिलवाने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति से लड़ रहे थे? गांधी ने समिति भंग करने का विरोध क्यों नहीं किया? गांधी ने दूसरी समिति क्यों गठित नहीं की? उन्होंने

अछूतों के उत्थान की कार्य योजना को कार्यक्रम से क्यों निकल जाने दिया? क्या वे उसे महत्वहीन और मामूली समझते थे?

5. गांधी ने स्वराज प्राप्ति के आंदोलन की शुरुआत में ही इसकी पांच पूर्व शर्तें बताई थीं- (एक) हिंदू-मुस्लिम एकता; (दो) छुआछूत निवारण; (तीन) हाथ की कताई और हाथ की बुनी खादी को आम जनता द्वारा अपनाया जाना (चार) पूर्ण अहिंसा; और (पांच) पूर्ण असहयोग।

6. गांधी ने केवल इन शर्तों का निर्धारण ही नहीं किया था, वरन् उन्होंने देशवासियों से कहा था कि इन शर्तों को पूरा किए बिना स्वराज नहीं मिल सकता। सन् **1922** में उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए अनशन किया। सन् **1924** में उन्होंने कांग्रेस सदस्यता प्राप्त करने के लिए सूत कातना और खादी का इस्तेमाल आवश्यक करार दिया। तब गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सन् **1924** में अथवा उसके बाद किसी भी समय छुआछूत न मानने की शर्त क्यों नहीं रखी ? वह कह सकते थे जो छुआछूत को मानेगा उसे कांग्रेस की सदस्यता नहीं मिलेगी।

7. गांधी ने घोषणा की थी कि यदि जमोरिन द्वारा गुरुवायूर मंदिर अछूतों के लिए नहीं खोला जाएगा तो वह अनशन करेंगे। परंतु जब मंदिर अछूतों के लिए नहीं खोला गया तो गांधी ने अनशन क्यों नहीं किया ?

8. गांधी ने **1932** में ब्रिटिश सरकार को धमकी दी थी कि यदि गवर्नर जनरल ने कांग्रेस की ओर से श्री रंगा अय्यर को केंद्रीय विधान मंडल में मंदिर प्रवेश विधेयक पेश करने की अनुमति नहीं दी तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। केंद्रीय सभा के लिए नए चुनाव कराने की घोषणा होते ही, कांग्रेस ने श्री रंगा अय्यर के विधेयक का समर्थन करना बंद कर दिया और उन्हें उसे ऐसे ही अधर में छोड़ना पड़ा। यदि गांधी वास्तव में मंदिर प्रवेश के पक्ष में थे तो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन क्यों किया? अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश अथवा चुनावों में कांग्रेस की विजय, इन दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण था?

9. गांधी जानते हैं कि अछूतों के सामने कठिनाई यह नहीं है कि उनको नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अछूतों की कठिनाई हिंदुओं के इस षड्यंत्र में निहित है कि उन्हें धमकी दी जाती है कि यदि अछूतों ने अपने अधिकारों का उपयोग किया, तो उन्हें इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अछूतों की सही मायनों में मदद करने का मार्ग यही है कि उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई संस्था हो, जिसका दायित्व उन हिंदुओं के विरुद्ध अभियोग चलाना हो जो अछूतों पर अत्याचार करने, उनका सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार करने और उन्हें नागरिक अधिकारों का उपयोग

करने से रोकने के दोषी पाए जाएं। गांधी ने इसे हरिजन सेवक संघ के एक उद्देश्य के रूप में क्यों नहीं शामिल किया ?

10. यदि गांधी अछूतों के सच्चे मित्र हैं, तो वे इस बात का निर्णय लेने की जिम्मेदारी अछूतों पर ही क्यों नहीं छोड़ देते कि उनके संरक्षण का सबसे बेहतरीन उपाय राजनीतिक संरक्षण है या कुछ और? अछूतों को अलगाव में डालने और उनको परास्त करने के लिए गांधी इस हद तक क्यों चले गए कि उन्होंने मुसलमानों से समझौता कर लिया? अछूतों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के फैसले के लाभों से वंचित करने के लिए गांधी ने आमरण अनशन जैसे चरम उपाय का सहारा क्यों लिया ?

11. सेंट्रल प्रोविंसेस के मुख्यमंत्री डॉ. नारायण भास्कर खरे के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के सदस्य, श्री अग्निभोज के शामिल करने के बारे में गांधी ने अपनी स्वीकृति क्यों नहीं प्रदान की, जबकि श्री अग्निभोज मंत्री होने की सारी योग्यताओं को पूरा करते थे? क्या गांधी यह मानेंगे कि वह स्वयं अछूतों में उत्कट महत्वाकांक्षाएं पैदा करने के खिलाफ हैं?

12. हरिजन सेवक संघ से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था, यानी साफ-साफ उस ढोंग को लात मार दी थी। लेकिन गांधी ने बाबा साहब की जगह किसी और अछूत को हरिजन सेवक संघ में क्यों नहीं लिया? यहां तक कि जो दो अछूत बाबा साहब के कहने पर शामिल किए गए थे, उन्होंने भी संघ को छोड़ दिया। पर उन खाली पड़ी सीटों को भरने की गांधी ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि गांधी का असली खेल अछूतों को बराबरी दिलाना था ही नहीं! वह सिर्फ दिखावे का स्वांग रचता था ताकि ऊंची जातियों का दिल न दुखे और अपनी महात्मा वाली झूठी छवि बची रहे।"

इन सब प्रश्नों के संबंध में गांधी के पास क्या उत्तर हैं? गांधी के मित्रों के पास इनका क्या स्पष्टीकरण है? गांधी को छुआछूत निवारण की अपेक्षा चरखा कातने का प्रचार-प्रसार करने में अधिक रुचि थी?”

गांधी की वजह से कभी कोई स्कूल या मंदिर खुला है अछूतों के लिए, चलो देखते है -17 अगस्त, 1939 को बंबई विधान सभा में कांग्रेसी मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार खोले गए मंदिरों की संख्या 142 थी। उनमें से 121 मंदिर बिना स्वामित्व के थे, जो सड़कों के किनारे वीरान पड़े थे, जिनकी देखभाल कोई नहीं करता था और जिनमें कभी कोई भी आदमी पूजा करने के लिए नहीं जाता था। दूसरा तथ्य यह सामने आया कि गुजरात में गांधी के अपने जिले में एक भी मंदिर अछूतों के लिए नहीं खोला गया था।

गांधी के **10** मार्च, **1940** के गुजराती समाचार पत्र 'हरिजन बंधु' में कहा गया-।"अछूतों के पाठशालाओं में प्रवेश पाने के संबंध में अभी भी छुआछूत जितना बाधक गुजरात में है, उतना और कहीं नहीं है।"

'बांबे क्रॉनिकल' ने **27** अगस्त, **1940** के अपने अंक में हरिजन सेवक संघ के मासिक पत्र से एक अंश उद्धृत किया था जो इस प्रकार है- "अहमदाबाद जिले में गोधावी के हरिजनों को अपने बच्चों को स्थानीय बोर्ड के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने पर, सवर्ण हिंदुओं द्वारा इतना सताया गया कि अंततः **42** हरिजन परिवारों ने उस स्थान को ही छोड़ दिया और सानंद के ताल्लुक कस्बे में जाकर बस गए।"

27 अगस्त, **1943** को बम्बई प्रेसीडेंसी के ठाणे में रहने वाले अछूत नेता श्री एम.एम. नंदगावकर को, जो नगरपालिका के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, एक हिंदू होटल में चाय देने से इंकार कर दिया गया। 'बांबे क्रॉनिकल' ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए दिनांक **28** अगस्त, **1943** के अपने अंक में लिखा-

"गांधी ने **1932** में जब अनशन किया था, उस समय अछूतों के लिए मंदिर और होटल खोलने के लिए ताबड़तोड़ प्रयत्न किये गए थे। लेकिन अब मंदिर और होटल में प्रवेश के संबंध में हालत पहले जैसी हो गई है। सब तरह से स्वच्छ हरिजन भी मंदिर तथा होटल में प्रवेश नहीं पा सकता। तब भी बहुत से छुआछूत विरोधी कार्यकर्ताओं ने इन बुराइयों के विषय में कड़ा रुख न अपनाते हुए कृपापूर्वक कहा है कि "पहले उन्हें ऊँचा उठाया जाए, हरिजनों को साफ रहना सिखाया जाए, तब उनकी सार्वजनिक कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। यह हद दर्जे की बकवास है।"

कोई भी माई का लाल मुझे यह बता दे कि गांधी की वजह से कितने स्कूल, कितने कूएं और कितने मंदिर अछूतों के लिए खुले थे। अगर कहीं भी मन्दिर, कूएं या स्कूल दिखावे के लिए खोले गए थे, तो वहां पर अछूतों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी, न कि वहां पर सभी हिंदू धर्म के लोग एक साथ पानी भरते या एक साथ स्कूल जाते थे। गांधी केवल छुआछूत पर धर्मोपदेश देने तक ही क्यों सीमित रहे? उन्होंने असल में अछूतों के लिए समाज में समानता लाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए?"

गांधी ने कभी भी किसी के लिए भी कुछ नहीं किया था। वह केवल उल्टा ही ज्ञान देता था। यानी वह नहीं चाहता था कि हिंदू धर्म के ऊंची जाति के लोग गांधी से नाराज हों। इसका मैं एक और आपको सबूत देता हूं -गुजरात के अहमदाबाद जिले के काविठा नामक गांव की घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष **1935** में अछूतों ने उस गांव के हिंदुओं से मांग की कि अन्य हिंदू बच्चों के साथ-साथ अछूतों के बच्चों को भी गांव के स्कूल में भर्ती किया जाए। इस पर चिढ़ कर हिंदुओं ने बदले में अछूतों का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस बहिष्कार से संबंधित

घटनाएं श्री ए.वी. ठक्कर द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्णित की गई थीं, जो अछूतों की ओर से मध्यस्थता करने के लिए काविठा गये थे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी- " हरिजनों ने (खुद से) अपने बच्चे उस स्कूल में न भेजने का वचन दिया है। ऐसा वचन उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं दिया था, वरन् इसके लिए सवर्ण हिंदुओं द्वारा उन्हें विवश किया गया था। इस मामले में सवर्ण लोग गरासिया जाति के थे, जिन्होंने गरीब हरिजनों को, जिनमें जुलाहा, चमार और अन्य जातियों के **100** से ज्यादा परिवार शामिल थे, उनके सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी थी। वे खेतों में मेहनत करने से वंचित कर दिए गए थे, चारागाहों में उनके जानवर घास चरने नहीं जा सकते थे और उनके बच्चे छाछ तक के लिए तरसते थे। यही नहीं, एक हरिजन नेता को महादेव की कसम खाने के लिए विवश किया गया कि इसके बाद कभी भी वह और उसके दूसरी साथी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। मामले के आपसदारी से निकाले गये तथाकथित हल की सच्चाई यही थी।

परंतु **10** तारीख के उस फर्जी समझौते और गरीब हरिजनों के पूर्णतया आत्मसमर्पण के बाद भी **19** तारीख तक सामाजिक बहिष्कार वापस नहीं लिया गया था और जुलाहों का आंशिक बहिष्कार तो **22** तारीख तक चलता रहा। चमारों पर से बहिष्कार थोड़ा पहले उठा लिया गया था क्योंकि गरासिया अपने मुर्दा जानवरों को स्वयं नहीं हटा सकते थे और इसलिए वे चमारों से पहले समझौता करने के लिए विवश हो गये। इतने ही अत्याचार काफी नहीं थे, वरन् हरिजनों के कुओं में **15** तारीख को और फिर **19** तारीख को मिट्टी का तेल उड़ेल दिया गया। कोई भी कल्पना कर सकता है कि बेचारे हरिजनों पर कैसे भयानक अत्याचार किए गए,

क्योंकि उन्होंने गरासिया 'शहजादों' के साथ अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने के बारे में सोचने की हिमाकत की थी।

मैं **22** तारीख को प्रातः गरासिया जाति के नेताओं से मिला। उन्होंने कहा कि वे इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि स्कूल में ढेड़ों और चमारों के बच्चे उनके बच्चों साथ बैठें। **23** तारीख को मैं अहमदाबाद के जिलाधीश से इस उम्मीद से मिला कि शायद इससे कोई रास्ता निकल आए, परंतु सब व्यर्थ।

"इस प्रकार हरिजन बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने से वंचित कर दिए गए, परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की। इससे हरिजनों में इस कदर निराशा घर कर गयी है कि वे सबके सब गांव छोड़ कर दूसरे गांव जाने की सोच रहे हैं।"

जब यह रिपोर्ट गांधी को दी गई तो उन्होंने क्या किया ? गांधी ने काविठा गांव के अछूतों को गाँव छोड़ने को कहा। गांधी ने काविठा के अछूतों को अपनी जन्मभूमि त्यागने की सलाह तो दी, परंतु उन्होंने श्री ठक्कर को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वह काविठा के हिंदुओं पर मुकदमा चलवाएं और अपने अधिकार प्राप्त करने में अछूतों की पूरी सहायता करें? स्पष्ट है कि अगर

उनके वश में होता तो वह अछूतों के उत्थान के लिए जरूर कुछ करते, परंतु इसके लिए वे हिंदुओं की नाराजगी मोल लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अछूतों के उत्थान के लिए ऐसा मनुष्य भला क्या कर सकता है?"

ये भी याद रखना कि गाँधी ने कहीं भी जाति व्यवस्था की बुराई या निंदा नहीं की है बल्कि उसे सिर्फ काल- असंगत कहा है। इसे पैशाचिकता नहीं कहा। वे जाति-प्रथा को अभिशाप नहीं कहते। अब गांधी जाति के पक्ष में नहीं हैं। परंतु गांधी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलते। और गांधी की वर्ण व्यवस्था है क्या ? यह जाति व्यवस्था का ही नया नाम है, जिसमें जाति व्यवस्था के सभी अशुभ लक्षण विद्यमान हैं।

देखें- सन् **1921-22** के गुजराती पत्र 'नवजीवन' में भारत की मुख्य सामाजिक समस्या/जाति प्रथा पर गांधी के विचारों का खुद उन्हीं के द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया है।

1. मेरा विश्वास है कि हिन्दू समाज आज तक इसी कारण टिका हुआ है क्योंकि यह जाति-व्यवस्था पर आधारित है।
2. स्वराज के बीज जाति-व्यवस्था में मौजूद हैं। विभिन्न जातियां सेना की अलग-अलग डिवीजनों जैसी हैं। प्रत्येक डिवीजन समग्र के हित में काम कर रही है।
3. जो समाज जाति-व्यवस्था का सृजन कर सकता है, उसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसमें अनोखी संगठन क्षमता है।
4. जाति-व्यवस्था के कारण सेना खड़ी करना आसान है, हर जाति से एक-एक सैनिक टुकड़ी उपलब्ध कराने की मांग करने से यह काम पूरा हो सकता है
5. मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने के लिए सहभोज अथवा अंतर्जातीय विवाह आवश्यक नहीं है। यह कहना कि अंतर्जातीय सहभोज से मित्रता बढ़ेगी, अनुभव के ठीक विपरीत है। यदि इसमें सच्चाई होती, तो यूरोप में युद्ध न होते। एक साथ भोजन करना उसी प्रकार गंदा है, जैसे कि एक साथ मल-मूत्र विसर्जन करना। अंतर इतना है कि मल-मूत्र त्यागने के बाद हमें चैन मिलता है और खाने के बाद परेशानी का अनुभव करते हैं। अतः जिस प्रकार हम शौच से एकांत में निवृत्त होते हैं, उसी प्रकार भोजन भी एकांत में ही करना चाहिए।
6. भारतवर्ष में भाइयों के बच्चों में पारस्परिक विवाह नहीं होते, क्या पारस्परिक विवाह न करने से उनके प्रेम में कमी आती है? वैष्णवों में बहुत-सी महिलाएं इतनी कट्टर होती हैं कि वे अपने परिवार के लोगों के साथ भोजन नहीं करतीं और न एक ही बर्तन से पानी पीती हैं। क्या उनमें पारस्परिक प्रेम नहीं है? जाति-प्रथा को इस कारण बुरा

नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों में पारस्परिक भोज एवं पारस्परिक विवाह की आज्ञा का निषेध है।

7. जाति-प्रथा संयम का ही दूसरा नाम है। जाति आनंद की सीमा निर्धारित करती है।

सन् **1922** में गांधी खुलकर जाति-व्यवस्था के पक्ष में खड़ा था। लेकिन जब **1925** आते-आते जाति-व्यवस्था के खिलाफ चारों तरफ बगावत का शंखनाद होने लगा, खासकर साउथ में आंदोलन तेज हुए, तो गांधी की नींद खुली। डर के मारे उसने चाल बदली और अब जाति की जगह वर्णव्यवस्था की ढाल पकड़ ली। लेकिन यह भी सिर्फ छलावा था — क्योंकि गांधी ने वर्ण को भी जन्म के आधार पर ही बांधा, कर्म के आधार पर नहीं। असलियत ये थी कि हिंदू समाज में जाति और वर्ण दोनों का एक ही गंदा काम था — जातियों में आपस में रोटी-बेटी का संबंध तोड़ देना! और गांधी इस ढांचे का रक्षक बनकर बैठा था, सुधारक नहीं।"

हिंदू समाज में व्यवहार के स्तर पर जाति और वर्ण एक ही चीज हैं, क्योंकि दोनों का एक ही काम है यानी अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह को रोकना।"

"गांधी कहीं भी यह नहीं कहते कि अस्पृश्यों का स्पर्श हो जाने से नहाना अनिवार्य नहीं है। गांधी ने तो बहुत ही स्पष्ट कहा है कि अस्पृश्यता के निवारण का अर्थ हिंदुओं के बीच अंतरजातीय सहभोज और अंतरजातीय विवाह बिल्कुल नहीं है। गांधी के अस्पृश्यता के निवारण का अर्थ तो बस इतना है कि अस्पृश्य को "अतिशूद्र" की श्रेणी से उठाकर शूद्र वर्ग में रख दिया जाए।" **(यंग इँडिया 5 feb, 1925)**

गांधी अछूतों को अलग मतदान का अधिकार देने के खिलाफ था। जान लो — गांधी शुरू में मुस्लिमों को भी अलग मतदान देने के खिलाफ था, लेकिन बाद में मुस्लिमों के आगे घुटने टेक दिए और मान गया। पर जब बात अछूतों की आई तो गांधी ने अपनी असली औकात दिखा दी — अछूतों को अलग मतदाता अधिकार देने के नाम पर वह बौखला उठा। बहाना बनाया कि इससे हिंदू धर्म टूट जाएगा!

जब दूसरी जातियों और वर्गों को स्वतंत्र मतदान के अधिकार बाँटे जा रहे थे, तब गांधी की बुद्धि गहरी नींद में थी, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही अछूतों के अधिकारों की बात आई, उसकी सत बुद्धि हड़बड़ा कर जाग उठी और जान देने की धमकी देकर आतंक फैलाने लगा। इस तरह की घिनौनी, न्यायहीन और क्रूर नीति पर क्या कहा जाए?

आर्थिक दृष्टि से देखो तो अछूत समाज उस समय पूरी तरह दूसरों की दया पर निर्भर था — लेकिन गांधी ने उन्हें कभी भी खुदमुख्तारी देने का प्रयास नहीं किया।

गांधी का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह अछूतों को राजनीतिक सत्ता में मामूली सी भी भागीदारी देने से घबराता है।

गांधी ने अछूतों के अधिकारों को कुचलने के लिए मुस्लिम नेताओं के सामने भीख मांगी — सौदेबाजी की।

बेशर्मी से कहा — "तुम मेरे साथ अछूतों के खिलाफ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी चौदहों मांगे मंजूर करवा दूंगा।"

पर गांधी की ये घिनौनी साजिश भी मुस्लिम प्रतिनिधियों की इंसानियत के सामने दम तोड़ गई।

गांधी का षड्यंत्र नाकाम हो गया — पर उसके इरादे की नीचता पूरी दुनिया के सामने नंगी हो गई।"

गांधी का यह तर्क कि इस निर्णय से अछूत समाज हिंदू समाज से अलग हो जाता है। लेकिन डॉ. बी.एस. मुंजे तो इस तरह से कुछ भी नहीं कह रहे हैं और डॉ. मुंजे को तो प्रतिक्रियावादी हिंदू और फौजी दिमाग का हिंदू हितरक्षक समझा जाता है। इंग्लैंड से आने के बाद डॉ. मुंजे ने जो व्याख्यान दिए, उन सभी में उन्होंने यही कहा है कि ब्रिटिश सरकार ने जाति संबंधी जो निर्णय दिया है, उससे अछूत समाज हिंदू समाज से बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है। बल्कि डॉ. मुंजे तो इस तरह की शेखी बघार रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने यह जो निर्णय दिया है, वह उन्हीं की वजह से दिया है। और अछूत समाज को राजनीतिक दृष्टि से हिंदू समाज से अलग करने का मेरा [डॉ. आंबेडकर] जो प्रयास था, उसमें उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है। इस निर्णय से अछूत समाज हिंदुओं से अलग नहीं हो रहा है, इसका लाभ डॉ. मुंजे के अनुसार उन्हें नहीं पहुंचता, फिर भी वे जो कुछ कह रहे हैं, वह गलत नहीं है।"

अछूत समाज हिंदू समाज से अलग होता है, यह गांधी का डर बेकार और बेमतलब है। जो डर, डॉ. मुंजे जैसे प्रतिक्रियावादी हिंदू को नहीं दिखाई दे रहा है, वह डर गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता समझे जाने वाले व्यक्ति को दिखाई देना ये सिर्फ एक सोची समझी चाल है।

इसके अलावा इसका जबाब ये भी है अछूत यानी अंत्यज कभी भी हिन्दू धर्म या सनातन धर्म का हिस्सा रहा ही नहीं है क्योंकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में पांच वर्ण है ही नहीं और ये अंत्यज पांचवाँ वर्ण है।"

"गोलमेज सम्मेलन में गांधी का विरोध करने के बाद देश में मेरे [डॉ. आंबेडकर] खिलाफ जबरदस्त शोरशराबा हुआ और तथाकथित राष्ट्रवादी प्रेस ने मुझे षडयंत्रपूर्वक राष्ट्रवाद के द्रोही के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। मेरी तरफ से किए जा रहे पत्राचार को प्रेस ने नजरअंदाज किया और मेरी पार्टी के खिलाफ प्रचार को बढ़ावा देने के लिए बैठकों और सम्मेलनों की अतिश्योक्तिपूर्ण रपटें प्रकाशित की गईं, जिनमें से कई हुई ही नहीं थीं। उन्होंने अछूत वर्ग के कुछ लोगों को 'सिल्वर बुलेट' (पैसा) का लालच देकर उन्हें मेरे विरोध में भौंकने के लिए खड़ा कर दिया। कुछ जगहों पर सवर्ण और अछूत समाज में संघर्ष भी हुए, कुछ खून-खराबा भी हुआ है।"

यानी बाबा खुद बोल रहे है उनकी जान मुश्किल में थी और इनके समाज के लोगों के साथ लोग मारपीट कर रहे थे।"

बाबा साहब गाँधी को महात्मा नहीं मानते थे। देखें - डॉ. आंबेडकर का यह आलेख साप्ताहिक 'चित्रा' के अक्टूबर, **1938** के किसी एक अंक में प्रकाशित हुआ। इस लेख में उन्होंने 'महात्मा' शब्द की कसौटियों पर विचार किया है तथा गांधी को 'महात्मा' जैसे सम्मानजनक संबोधन के योग्य नहीं पाया है। किसी व्यक्ति को समाज द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मानजनक सम्बोधन 'महात्मा' है। गांधी को यह उपाधि सर्वप्रथम रवीन्द्र नाथ टैगोर ने सन् **1915** में दी थी। हालांकि सन् **1915** में दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन के पहले से ही उनके अनुयायियों ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहना प्रारंभ कर दिया था। सन् **1920** के कांग्रेस के नागपुर **152** अधिवेशन में जिन्ना ने गांधी को मिस्टर गांधी कहकर संबोधित किया तो गांधी के अनुयायियों ने जिन्ना को अपमानित किया। जिन्ना उसके बाद कांग्रेस से अलग हो गये।) इस सवाल से मुझे बड़ी नफरत हो रही है। इसके दो कारण हैं। *मैं सभी महात्माओं से नफरत करता* हूं। और मेरी यह मान्यता है कि सभी महात्माओं से मुक्ति पा लेनी चाहिए। आप सूट-बूट या कोट-धोती आदि मामूली कपड़े पहनिए, आपकी ओर लोग आंख उठाकर नहीं देखेंगे। लेकिन आप दिगंबर बन जाइए, बाल बढ़ाइए, गंदा पानी पी लीजिए, लोग आपके कदमों में झुक जाएंगे। फिर भारत में गांधी 'महात्मा' बन गये, इसमें कौन-सा आश्चर्य है! अन्य किसी देश में इस तरह के महात्माओं को दीवाना कहकर लोगों ने उनका माखौल उड़ाया होता। *सत्य और अहिंसा के सिद्धांत गांधी की कोई अपनी खोज नहीं हैं।*

डॉ. आंबेडकर, गांधी को सदैव 'मिस्टर → गांधी' कहकर संबोधित करते थे तथा उन्हें केवल एक कुटिल राजनीतिज्ञ मानते थे। **26** फरवरी, **1955** को बीबीसी को दिए गए साक्षात्कार में डॉ. आंबेडकर ने गांधी के प्रति अपने विचारों को बड़ी ही स्पष्टता के साथ रखा है। वे गांधी को समाज सुधारक भी नहीं मानते थे। अपने एक भाषण 'रानाडे, गांधी और जिन्ना' में डॉ. आंबेडकर ने महापुरूष और समाज सुधारक जैसी उपाधियों के मानकों के विषय में चर्चा की है। डॉ. आंबेडकर की दृष्टि में गांधी वर्ण व्यवस्था के मूल्यों पर भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। वे ऊपर से उदारवादी दिखने के प्रयास करते थे, लेकिन अंदर से रुढिवादी थे।) मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं उनसे मिला, एक प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला। मुझे लगता है कि ज्यादातर अन्य लोगों की तुलना में मैं उन्हें बेहतर जानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे ही सामने अपने असली जहरीले दांत खोले थे। मैं उस आदमी के भीतर तक झांक सकता था। आप जानते ही हैं कि आम तौर पर अन्य लोग उनके सामने उनके भक्तों की तरह जाते थे। ऐसे लोग उनका बाहरी रूप देखने के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते थे। बाहरी तौर पर उन्होंने अपना बाना महात्मा के रूप में बना रखा था। लेकिन मैं उन्हें इंसान के तौर पर देखता था, बिल्कुल उनके असली रूप में। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि मैं उनसे जुड़े हुए अन्य सभी लोगों की तुलना में उन्हें ज्यादा बेहतर

तरीके से समझता था। क्या गाधी लोगों के दिलो मे जब भी रहते......वे युग निर्माता कभी नहीं रहे। यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। गांधी पहले ही इस देश के लोगों की स्मृति से ओझल हो चुके हैं। आपने देखा होगा, गांधी की स्मृति सिर्फ इसलिए बनी हुई, क्योंकि कांग्रेस वार्षिक तौर पर उनके नाम पर छुट्टियां करती है, या तो उनके जन्मदिन पर या किसी अन्य दिन, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ हो। हर साल एक सप्ताह का उत्सव होता है। स्वाभाविक है, इसके चलते वे लोगों की स्मृति में पुनर्जीवित हो जाते हैं। मेरी यह समझ है कि यदि इस कृत्रिम तरीके से उन्हें लोगों की स्मृतियों में जिलाया न जाता, तो गांधी कब के भूला दिए गए होते।

साक्षात्कारकर्ता : क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने परिदृश्य को बुनियादी तौर पर बदल डाला?

आंबेडकर : नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में, वह हमेशा दोहरा व्यवहार करते थे। वे दो अखबार निकालते थे, एक अंग्रेजी में 'हरिजन', जो पहले 'यंग इंडिया' था, और गुजरात में, एक अलग अखबार ['हरिजन बंधु']... यदि आप इन दोनों अखबारों को पढ़ें तो देखेंगे कि मिस्टर गांधी लोगों को कैसे धोखा दे रहे थे। अंग्रेजी अखबार में, उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था, और अस्पृश्यता के विरोधी के रूप में पेश किया, और लोकतांत्रिक दिखने का ढोंग किया। लेकिन अगर आप उनकी गुजराती पत्रिका पढ़ें, तो वे आपको ज्यादा रुढिवादी दिखेंगे, वहां वे जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म, या उन सभी रुढिवादी हठधर्मिताओं का समर्थन करते रहे हैं, जिन्होंने युगों-युगों से भारत को दबाए रखा है। दरअसल 'हरिजन' अखबार में मिस्टर गांधी के बयानों और उनके गुजराती अखबार में उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए किसी को उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। उनका गुजराती अखबार सात खंडों में संकलित है। पश्चिमी दुनिया केवल उनका अंग्रेजी अखबार पढ़ती है, जिसमें मिस्टर गांधी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले पश्चिमी लोगों की निगाह में सम्मान पाने के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत करते हैं। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने वास्तव में अपनी जनभाषा के अखबार में लोगों से क्या बात की थी। अभी तक कोई भी शख्स इसका संदर्भ लेता हुआ नहीं दिखा। उनकी सभी जीवनियां उनके 'हरिजन' और 'यंग इंडिया' अखबारों पर ही आधारित हैं, कोई भी गांधी के गुजराती लेखन पर आधारित नहीं है।

साक्षात्कारकर्ता : तो अनुसूचित जाति और जाति संरचना के पीछे उनकी असली मंशा क्या थी?

आंबेडकर : आप देखें कि अनुसूचित जाति के बारे में दो बातें हैं। हम चाहते हैं कि अस्पृश्यता का खात्मा हो, लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हमें समान अवसर दिया जाना चाहिए ताकि हम अन्य वर्गों के स्तर तक उठ सके. हमारी सोच मात्र अस्पृश्यता के खात्मे की बिल्कुल नहीं है। हम पिछले **2000** वर्षों से अस्पृश्यता को ढो रहे हैं, किसी ने इसकी परवाह नहीं की।

आप देखें कि किसी ने इसकी परवाह नहीं की। हाँ, कुछ समस्याएं हैं जो बहुत हानिकारक हैं, उदाहरण के तौर पर, कि लोग पानी नहीं ले सकते, लोग अपने पास खेती करने और अपनी आजीविका कमाने के लिए जमीन नहीं रख सकते। लेकिन कुछ अन्य चीजें भी हैं जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि देश में उनका दर्जा सबके समान होना चाहिए और उन्हें उच्च पदों पर पहुंचने का समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि न केवल उनकी गारिमा बढ़े, बल्कि उन्हें निर्णायक महत्व वाले वे ओहदे मिलें, कहाँ से वे अपने लोगों की रक्षा कर सके। मिस्टर गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ।

साक्षात्कारकर्ता : मंदिर प्रवेश जैसी चीजों से तो वे संतुष्ट थे।

आंबेडकर : बस मंदिर में प्रवेश ही वह सब कुछ था जो वह करना चाहते थे।......उदाहरण के तौर पर, रेलों के शुरुआती दिनों में लोग दूषित होने के डर से अछूतों को रेल से यात्रा करने की इजाजत नहीं देते थे। अब वे आपत्ति नहीं करते क्योंकि रेलवे किसी के लिए कोई अलग इंतजाम नहीं करती। लेकिन क्योंकि वे ट्रेन में एक साथ यात्रा करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि गांवों में भी उनका जीवन हिंदुओं के ऐसे ही भोलेपन के बीच गुजरता है। जब भी हिंदू और अछूत ट्रेन से उत्तर जाते हैं तो वे फिर से अपनी पुरानी भूमिकाओं में आ जाते हैं।

साक्षात्कारकर्ता : यानि आपका कहना है कि मिस्टर गांधी एक रुढ़िवादी हिंदू थे?

आंबेडकर : हाँ, वह पूरी तरह से एक रुढिवादी हिंदू थे। एक तो यह कि वह कभी सुधारक नहीं रहे, उनमें किसी तरह की कोई गतिशीलता नहीं थी और अस्पृश्यता के बारे में ये सारी बातें सिर्फ अछूतों को कांग्रेस में शामिल करने के उद्देश्य से थीं। दूसरे, वह चाहते थे कि अछूत उनके स्वराज आंदोलन का विरोध न करें। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे बढ़कर वास्तव में उनका उत्थान करने का उनका कोई मकसद था। वह संयुक्त राज्य अमरीका के गैरिसन की तरह नहीं थे जिन्होंने नीग्रो लोगों के लिए संघर्ष किया था।

साक्षात्कारकर्ता : तो उन्होंने बिल्कुल राजनेता की तरह काम किया?

आंबेडकर : बिल्कुल राजनेता के रूप में, वह कभी महात्मा थे ही नहीं। मैंने उन्हें महात्मा कहने से इनकार कर दिया था। आप देखिए, मैंने अपने जीवन में कभी भी उन्हें महात्मा नहीं कहा। वे उस उपाधि के लायक नहीं थे, यहां तक कि नैतिकता के लिहाज से भी नहीं।" (अनुवाद : शैलेश)

गाँधी ने जब बाबा साहब पर यह आरोप लगाया था कि बाबा साहब सिर्फ **publicity** चाहते है तो इस पर बाबा बोलते है - यह देख कर मुझे आश्चर्य हुआ है कि तमाम लोगों में से महात्मा ने मुझ पर प्रचार पाने की इच्छा का आरोप लगाया है। जब वे लिखते हैं कि न दिये गये व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा इरादा यह सुनिश्चित करना था कि मुझे 'भूला' नहीं दिया जाये,

तो वे मुझ पर यही आरोप लगाते हैं। मैं प्रचार के पीछे कभी नहीं भागा हूं और अगर मुझे यह कहने की अनुमति है, तो उससे ज्यादा प्रचार मुझे मिला है जितने की मुझे इच्छा या जरूरत है। लेकिन मान लिया जाये कि प्रचार पाने की इच्छा से ही मैंने यह व्याख्यान छपवाया है, तो मुझ पर पत्थर फेंकने का अधिकार किसे है? निश्चय ही उन्हें नहीं, जो, महात्मा की तरह, शीशे के घरों में रहते हैं।”

(गाँधी और गाँधीवाद **page, 136)**

अब नमन नहीं, विद्रोह होगा!

इस **'Agent'** पुस्तक में प्रस्तुत सभी विचार और जानकारी निम्नलिखित पुस्तकों से अध्ययन और मनन द्वारा संग्रहित की गई है:

- *सत्य के साथ मेरे प्रयोग* (प्रभात प्रकाशन, दिल्ली)
- *हिंद स्वराज* (अनुवादक: अमृतलाल ठाकोरदास नाणावटी)
- *ग्राम स्वराज* (संग्राहक: हरिप्रसाद व्यास)
- *जाति: इतिहास और स्वरूप* (लेखक: डॉ. सुरेन्द्र कुमार अज्ञात, सम्यक प्रकाशन)
- *हिन्दू धर्म* (लेखक: डॉ. सुरेन्द्र कुमार अज्ञात)
- *गांधी और गांधीवाद* (संपादक: सिद्धार्थ अलख निरंजन)
- *कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया?* (लेखक: डॉ. भीमराव अंबेडकर; अनुवाद: धम्मचारी सत्य प्रकाश; प्रकाशन: सम्यक प्रकाशन)
- *जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल* (लेखक: राजीव पटेल)
- *पूना समझौता* (संपादन व अनुवाद: प्रभाकर गजभिये)
- *शूद्रों का इतिहास* (लेखक: डॉ. भीमराव अंबेडकर; प्रकाशन: बुद्धम पब्लिशर्स)

इसके अतिरिक्त, इस पुस्तक में कई अन्य ग्रंथों और स्रोतों से भी ज्ञान ग्रहण किया गया है। मैं विशेष रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि यह ज्ञान मुझे स्वयं ईश्वर ने दिया है; यह मात्र कृपा नहीं, बल्कि उनकी प्रत्यक्ष देन है।"



अंग्रेज़ों की जंजीरें तो हमने तोड़ दीं,
अब वक्त है उस ब्राह्मणवादी पट्टे को उतार फेंकने का
जो आज भी हमारी गर्दन में मानसिक गुलामी बनकर
जकड़ा है!" - रामजी मंडल